इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम – मिनी रत्न श्रेणी-I)

25वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

यात्रा को आसान, आनंददायक और किफायती

बनाना

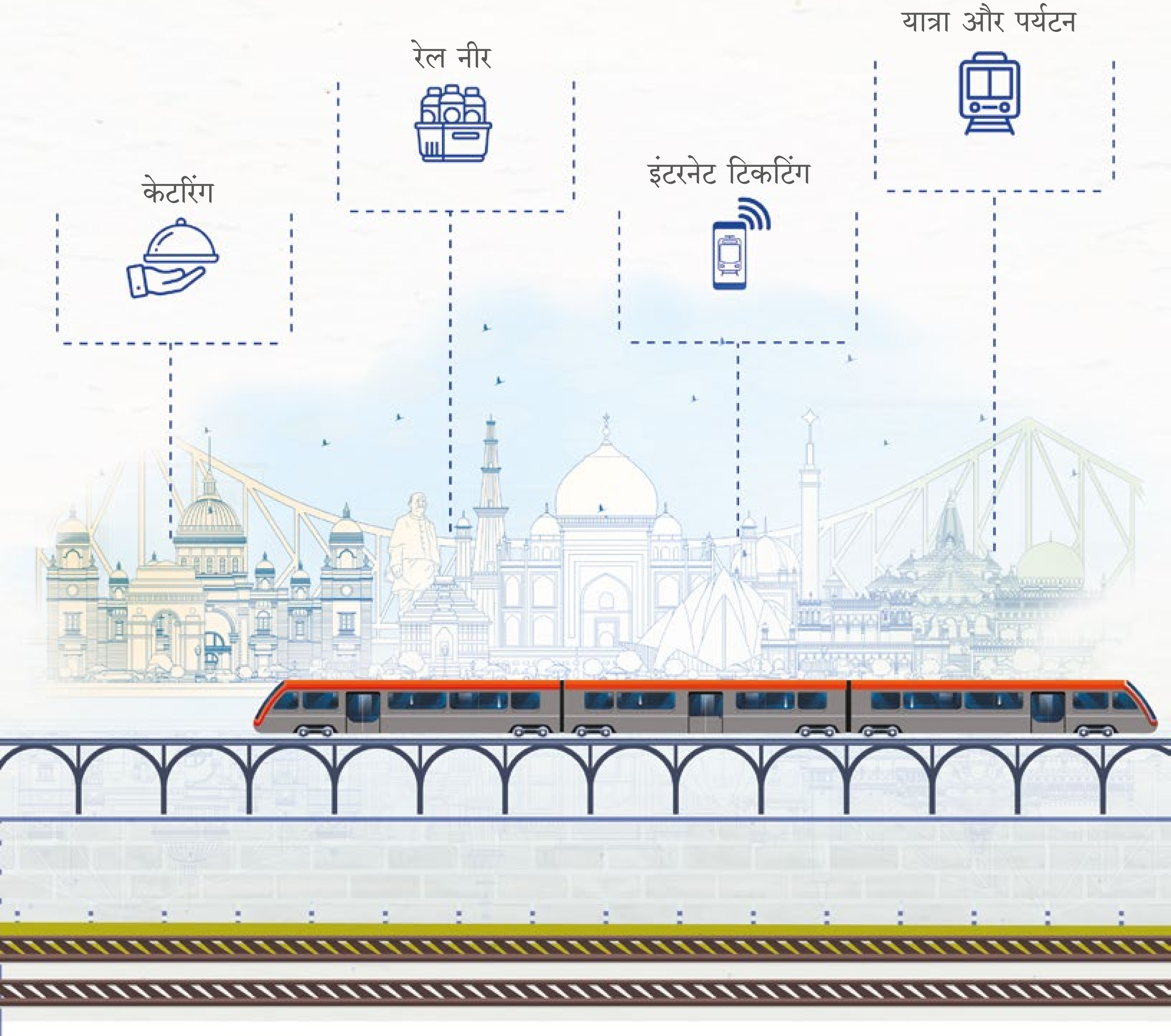

भारतीय रेलवे देश की जीवनरेखा है, जो विशाल नेटवर्क के माध्यम से उपमहाद्वीप के विविध हिस्सों को जोड़ती है। हलचल भरे शहरों से लेकर शांतिपूर्ण ग्रामीण इलाकों तक, रेलवे हर कोने और कोने को कवर करती हैलाखों लोगों और स्थानों को एक साथ जोड़ती है।

02–48
कॉरपोरेट अवलोकन

04 ----- अध्यक्ष का संदेश
06 ----- वित्तीय झलकियां
08 ----- एक सुदृढ़ मूल्य-सृजन मॉडल पर टिकी बुनियाद
10 ----- हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क
12 ----- विविध व्यवसाय सेगमेंट - केटरिंग
20 ----- रेल नीर पैकेज्ड पेयजल
24 ----- इंटरनेट टिकटिंग
26 ----- यात्रा और पर्यटन
32 ----- लक्षित ब्रांडिंग प्रयासों के साथ प्रभावी जुड़ाव
34 ----- अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना
35 ----- पर्यावरण
36 ----- सामाजिक
38 ----- हमारी उपलब्धियां
39 ----- यात्रियों से मिली जानकारी : ट्रेन यात्रा के अनुभवों को बेहतर बनाना
40 ----- निदेशक मंडल की प्रोफाइल
44 ----- वरिष्ठ प्रबंधन
45 ----- क्षेत्रीय प्रमुख
46 ----- कॉरपोरेट जानकारी
48 ----- दस साल की वित्तीय झलकियां

आईआरसीटीसी में हम भारतीय रेल के महत्त्व को भली-भांति समझते हैं और हर यात्रा को सरल, आनंददायक और यथासंभव किफायती बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं।

सदियों से ही भारत में रेल से यात्रा करना एक भावना की तरह ज्यादा रहा है, जो इस देश का सार अपने आप में समेटे हुए है। इस अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए हम यात्रियों के सफर की योजना और यात्रा करने के ढंग में एक बड़ा बदलाव लाने की ओर प्रयासरत हैं। हमने अपने उपयोगकर्ता-अनुकूल / यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के जरिए हम टिकट बुक करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। इससे यात्री कभी भी और कहीं से भी अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं।

साथ ही हम यह भी समझते हैं कि भोजन और आराम एक सुखद यात्रा की कुंजी है। ऐसे में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यात्रियों को उत्तम तरीके से सेवाएं प्रदान की जाएं। हमारी खानपान सेवाएं स्वच्छ और स्वादिष्ट व्यंजनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। इससे यात्री अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने भोजन को अनुकूलित कर सकते हैं। हमारी रेलगाड़ियां अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं और सहज, आरामदायक यात्रा प्रदान करती हैं।

हमने हमारी मोबाइल खानपान सेवाओं, पैकेज्ड पेयजल, हवाई यात्रा पैकेज और अन्य सेवाओं को बेहद किफायती रखा है, ताकि अतिरिक्त वित्तीय भार के बिना हर व्यक्ति विभिन्न स्थानों की यात्रा कर सके।

हम टिकट बुकिंग और खानपान के अलावा यात्रा के पूरे अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई मूल्यवर्धित सेवाएं भी देते हैं। अपने पर्यटन पैकेजों के जरिए हम यादगार यात्रा अनुभव की स्थिति निर्मित करते हैं। इससे यात्रियों के लिए सुनियोजित यात्रा कार्यक्रम बनाना और आराम दायक आवासन के साथ भारत के लोकप्रिय और प्रतिष्ठित स्थलों की सैर करना आसान हो जाता है। तीर्थयात्रा से लेकर कॉरपोरेट टूर तक हमारे पैकेज परेशानीमुक्त यात्रा को सक्षम करके यात्रियों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

भविष्य में भी हम अपनी सेवाओं में नवाचार और सुधार करना जारी रखेंगे। हम यात्रा को

आसान, आनंददायक और किफायती बनाने

के अपने वादे पर खरे उतरते रहेंगे।

49-218
वैधानिक रिपोर्ट

49 ----- निदेशकों की रिपोर्ट
92 ----- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण
117 ----- कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट
159 ----- सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
162 ----- व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट
199 ----- स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य
204 ----- सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
209 ----- निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

219-318
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

224 ----- स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
238 ----- संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
252 ----- स्टैंडअलोन तुलन पत्र
253 ----- स्टैंडअलोन लाभ और हानि का विवरण
254 ----- स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह का विवरण
256 ----- स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
260 ----- भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)
271 ----- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

319-412
समेकित वित्तीय विवरण

324 ----- स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
332 ----- संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
340 ----- समेकित तुलन पत्र
341 ----- समेकित लाभ और हानि का विवरण
342 ----- समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
344 ----- समेकित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
346 ----- भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)
360 ----- समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

413-415
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

पूरे भारत में यात्रियों के लिए एकल समाधान / वन-स्टॉप सॉल्यूशन

आईआरसीटीसी में हमने अपने 25 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भारत के एक प्रमुख खानपान और आतिथ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। भारतीय रेल के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में सेवाएं देते हुए हमारा परम उद्देश्य यात्रियों को एक व्यापक और सहज अनुभव प्रदान करना है।

रेल यात्रा के लिए परेशानीमुक्त ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा से लेकर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर खानपान सेवाएं प्रदान करने तथा पैकेज्ड पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हम यात्रियों के लिए एकल समाधान / वन-स्टॉप सॉल्यूशन का काम करते हैं।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में हम भारतीय रेल नेटवर्क में यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को उत्कृष्ट बनाने पर पूरा ध्यान देते हैं। पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं की हमारी व्यापक श्रेणी में लक्जरी ट्रेन टूर, होटल बुकिंग, थीम आधारित भारत गौरव यात्रा कार्यक्रम, घरेलू हवाई पैकेज, रेल टूर पैकेज, विदेशी टूर पैकेज, हॉलिडे पैकेज और बहुत सी अन्य सेवाएं शामिल हैं। हम रेल, सड़क और हवाई यात्रा को कवर करते हुए ग्राहकों को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। हमारा साथ यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर करने और पूरे भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रयासों तक फैला है। अपने अभिनव दृष्टिकोण और ग्राहक-केंद्रित एकाग्रता के जरिए हम देश में यात्राओं के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024 में प्रमुख प्रदर्शन और समीक्षा

₹4,270 करोड़
राजस्व परिचालनों से

₹74,396 करोड़
बाजार पूंजीकरण 31 मार्च, 2024 तक

₹1,630.68 करोड़
एबिटा मार्जिन

आईआरसीटीसी अब अनुसूची 'ए' का सीपीएसई हुआ

हमारी इम्पैक्ट स्टोरी

केटरिंग

समस्त भारत में 1,250 से ज्यादा ट्रेनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएं।

400 से ज्यादा स्टेशनों पर 2,000 से ज्यादा भागीदारों के साथ ई-केटरिंग, गुणवत्तापूर्ण खानपान सेवाएं।

सभी 51 वंदेभारत ट्रेनों में अनुकूलित आंचलिक मैन्यू।

प्रतिदिन 16 लाख से ज्यादा बार भोजन परोसना।

रेल नीर पैकेज्ड पेयजल

रेल नीर के 19 संयंत्र।

प्रतिदिन 17.68 लाख लीटर की स्थापित उत्पादन क्षमता।

410 से ज्यादा भारतीय रेलवे स्टेशनों पर उपस्थिति।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में रेल नीर की 39 **करोड़** से ज्यादा बोतलों का उत्पादन।

इंटरनेट टिकटिंग

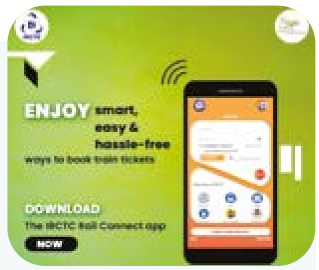

भारतीय रेल की आरक्षित टिकट बुकिंग में 82.68% हिस्सेदारी।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान औसतन 12.38 लाख टिकट प्रतिदिन ऑनलाइन बुक किए गए।

उच्च क्षमता वाले सर्वरों की सहायता से अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग (एनजीईटी) प्रति मिनट 28,000 से ज्यादा टिकट बुक करने में सक्षम है।

अब तक 12.21 **करोड़** मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस पर) डाउनलोड किए जा चुके हैं।

यात्रा और पर्यटन

वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्रियों की संख्या में 134% की वृद्धि।

आस्था ट्रेनों के 337 फेरे, जिनमें 5.48 लाख यात्रियों ने सफर किया।

4 तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गईं।

एनआरआई लोगों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए टूर रामकथा यात्रा, काशी-तमिल और सौराष्ट्र-तमिल संगम आदि संचालित किए गए।

अध्यक्ष का संदेश

अपने हितधारकों को ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवाएं देने की अपनी प्रतिबद्धता पर हम डटे हुए हैं। इस साल आईआरसीटीसी को अनुसूची 'ए' के सार्वजनिक उपक्रमों वाले प्रतिष्ठित समूह में शामिल किया गया है। यह हमारे निगमन के 25वें वर्ष में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस साल की उल्लेखनीय उपलब्धि है।

प्रिय शेयरधारको,

आईआरसीटीसी एक ऐसा संगठन है जो करोड़ों लोगों की यात्रा जरूरतों को पूरा कर रहा है। उसके अध्यक्ष का पद ग्रहण करते हुए आपको ये संदेश लिखना मेरे लिए अपूर्व सौभाग्य की विषय है। इतने वर्षों में मैंने इस कंपनी की यात्रा को करीब से देखा है कि कैसे इसने सफर को बहुत सहज, सरल बनाया है और एक अतुलनीय ग्राहक अनुभव प्रदान किया है। लोगों के यात्रा करने के ढंग को नया आकार देने की कंपनी की प्रतिबद्धता मेरे लिए वाकई में एक रोमांचक अवसर है। अब जबकि आईआरसीटीसी अपने विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, तब इसका नेतृत्त्व सौंपे जाने पर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं।

गुजरे वर्ष के दौरान बाहरी वातावरण अपनी करवट लेता रहा और हम अपने हितधारकों को ईमानदारी और समर्पण के साथ सेवाएं देने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहे। इस वर्ष एक उल्लेखनीय उपलब्धि आईआरसीटीसी का अनुसूची 'ए' के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों वाले प्रतिष्ठित समूह में शामिल होना है। ये सम्मान हमारे कुशल परिचालनों और आतिथ्य, यात्रा तथा पर्यटन क्षेत्रों में पर्याप्त योगदान का प्रतिबिंब है। साथ ही ये आईआरसीटीसी से जुड़े सभी लोगों की 25 वर्षों की कड़ी मेहनत और लगन का प्रमाण भी है।

वित्तीय वर्ष 2024 पर एक नज़र

मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान अपना अब तक का सर्वाधिक राजस्व और लाभ दर्ज किया है। हमारा परिचालन राजस्व 4,270 करोड़ तक पहुंच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष लगभग 20% की वृद्धि है। इसका श्रेय मुख्यतः हमारे केटरिंग विभाग को जाता है। एबिटा बढ़कर ₹1,466 करोड़ हो गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 15.2% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं असाधारण मदों से पहले करपश्चात लाभ (पीएटी) कुल ₹1,170 करोड़ का रहा जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर ₹978 करोड़ से ज्यादा है।

आईआरसीटीसी के लिए उसके शेयरधारक इस संगठन का बहुमूल्य और अभिन्न हिस्सा हैं। कंपनी अपने शेयरधारकों को नियमित लाभांश प्रदान करती रही है। निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ₹4/- प्रति शेयर (यानी चुकता शेयर पूंजी पर 200%) के अंतिम लाभांश का सुझाव दिया है। इसकी कुल राशि ₹320 करोड़ है। ये आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। ये अंतिम लाभांश नवंबर 2023 में निदेशक मंडल द्वारा घोषित ₹2.50 प्रति शेयर (यानी चुकता शेयर पूंजी का 125%) के अंतरिम लाभांश के अलावा है। इससे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश ₹520 करोड़ होता है।

मुझे आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि लगातार चौथे साल आईआरसीटीसी को वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों पर कैग से ङ्मशून्यफ टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

विकास के नए अवसरों की तलाश

उत्तरोत्तर विकास पर दृष्टि केंद्रित करने के अपने निर्णय से हमें अपने केटरिंग और पर्यटन व्यवसायों का पर्याप्त विस्तार करने में सहायता मिली है। हम 450 से ज्यादा खान-पान इकाइयों और 1200 से ज्यादा ट्रेनों में सेवाओं के साथ अपनी विकास की गति को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। हम केटरिंग से परे भी अपने राजस्व स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पैकेज्ड पेयजल और पर्यटन उत्पादों में विकास के विविध अवसर ढूंढ़ रहे हैं।

बीते साल के दौरान इंटरनेट टिकटिंग प्रभाग ने 16% की वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि के साथ मजबूती दिखी। वंदेभारत जैसी नई यात्री ट्रेन सेवाओं को जोड़ने से हमारे खान-पान व्यवसाय में उछाल आया है। अब हम वंदेभारत ट्रेनों की 51 जोड़ी गाड़ियों में सेवाएं प्रदान करते हैं।

रेलनीर की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 17.68 लाख लीटर/दिन है जो 19 कार्यरत संयंत्रों से सक्षम होती है। हमारे रेल नीर प्रभाग में भी विस्तार हो रहा है। विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के पास मल्लावल्ली में एक और संयंत्र के शुरू होने की संभावना के साथ ये क्षमता बढ़कर लगभग 18.40 लाख लीटर/दिन हो जाएगी।

यात्री अनुभव में बेहतरी

भारतीय रेल नेटवर्क पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए ज़ोमैटो के साथ हमारी साझेदारी और स्विग्गी के साथ भी इसी तरह की व्यवस्था यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगी। साथ ही, विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में सेवाएं प्रदान करने वाले 17 एग्रीगेटरों के साथ हमारा ई-कैटरिंग इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है।

हमारी भारत गौरव ट्रेनें पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही हैं। क्षेत्रीय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने जैसी प्रमुख सहभागिता की गई है। रामायण सर्किट पर चलते हुए हमारी 'श्री रामायण यात्रा' थीम वाली तीर्थ यात्राएं आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं। इसके अलावा, महाराजा एक्सप्रेस निरंतर भारत में सैलानियों की आवक और विदेशी मुद्रा ला रही है। ये पहल सेवाओं में विविधता लाने और अपने ग्राहकों के लिए अधिक मूल्य-सृजन की हमारी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।

तकनीकी प्रगति

हम प्रौद्योगिकी और फिनटेक में भी महत्त्वपूर्ण कुलांचे भर रहे हैं। सहायक व्यवसाय निर्मित करके पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर बिज़नेस में विविधीकरण के जरिए हमारा लक्ष्य ई-टिकटिंग सेवाओं को सुव्यवस्थित करने का है। रिफंड प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। त्वरित और अधिक कुशल सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ लिया जा रहा है।

क्लस्टर रसोई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सीसीटीवी लगाने से भारतीय रेल की ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला निगरानी तंत्र सुदृढ़ होगा।

हमने रियल टाइम आधार पर यात्रियों की शिकायतों और असुविधाओं के त्वरित निवारण के लिए एक वॉर रूम भी बनाया है। ये नवीनतम संचार सुविधाओं और पर्याप्त कर्मचारियों से सुसज्जित है और चौबीसों घंटे काम करता है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्बाध यात्रा अनुभव के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) के साथ हमारा सहयोग 'एक भारत, एक टिकट' की पहल को बढ़ावा दे रहा है। ये एक ही छाते तले एकीकृत और सुविधाजनक यात्रा समाधान प्रदान करने के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।

आगे की राह

रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को लंबी अवधि (5+2 वर्ष) के क्लस्टर-आधारित अनुबंधों के जरिए ट्रेनों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया है। दीर्घावधि की इन क्लस्टर-आधारित निविदाओं के क्रियान्वयन से भारतीय रेल नेटवर्क पर रेलगाड़ियों में ऑनबोर्ड खानपान सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होने की संभावना है। पहले चरण में आईआरसीटीसी ने भारतीय रेल की 1393 ट्रेनों को कवर करते हुए 196 क्लस्टरों के लिए निविदाएं बुलाई हैं। इन दीर्घावधि क्लस्टर आधारित निविदाओं के कई लाभ होंगे। इससे पूरे भारत में सत्कार क्षेत्र में बेहतर कार्य माहौल के साथ रोजगार का सृजन होगा। आईआरसीटीसी द्वारा लक्ष्यकेंद्रित अनुबंध प्रबंधन होगा। भोजन तैयार करने में स्वच्छता, शुचिता और मानक कच्चे माल के उपयोग का आश्वासन भी मिलेगा।

हम रेल क्षेत्र में मजबूत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं और इसके चलते भविष्य उम्मीदों से भरा हुआ लग रहा है। आने वाले वर्ष के लिए बड़ा पूंजीगत व्यय निर्धारित है और वंदेभारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। इससे हम निरंतर विस्तार करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही, हमारी नई निगमित सहायक कंपनी 'आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड' भुगतान क्षेत्र में हमारी उपस्थिति को और बढ़ाएगी।

भविष्य में यात्रा को आसान, सुखद और किफायती बनाने पर हमारा पूरा ध्यान है। अपने सभी हितधारकों के लिए निरंतर मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए हम ठोस उपाय करते रहेंगे। साथ ही, लक्षित रणनीतियों को क्रियान्वित करना जारी रखेंगे। चुनौतियों का जवाब चपलता और सुदृढ़ तरीके से देने की हमारी क्षमताओं पर मुझे पूरा भरोसा है। इसमें हमारी समर्पित टीमों का पूरा सहयोग भी रहता है, जो हमारे ग्राहकों को अनूठी सेवाएं देने पर पूरे मनोयोग से लगी हुई हैं।

धन्यवाद

संजय कुमार जैन
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

वित्तीय झलकियां

निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

3,229.97

25.22%
सीएजीआर

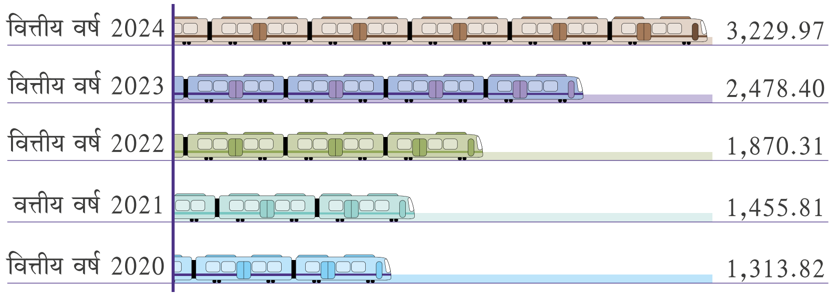

एबिटा

(₹ करोड़ में)

1,630.68

20.31%
सीएजीआर

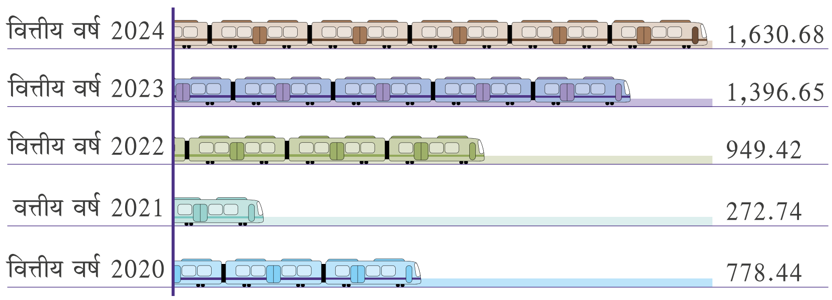

कर पूर्व लाभ

(₹ करोड़ में)

1,496.28

19.67%
सीएजीआर

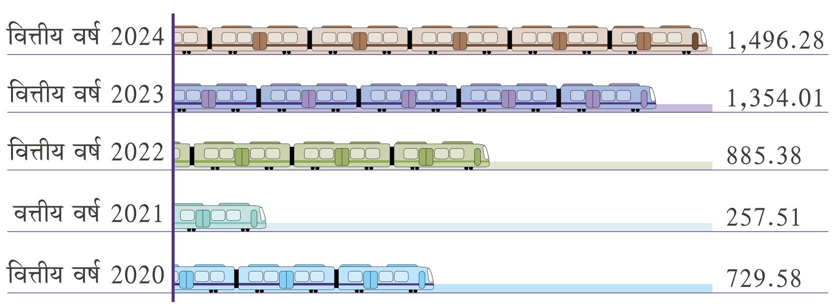

परिचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

4,270.18

17.19%

सीएजीआर

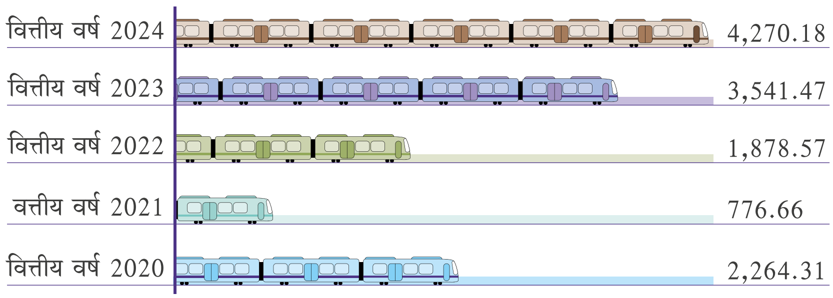

कर पश्चात लाभ (पीएटी)

(₹ करोड़ में)

1,111.26

21.31%

सीएजीआर

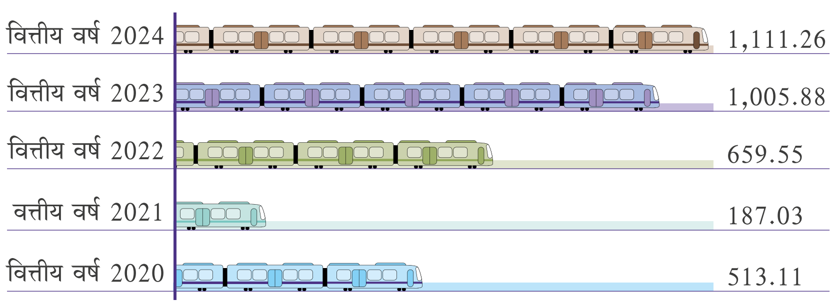

चुकता पूंजी पर दिया गया लाभांश

(% में)

325

26.98%

सीएजीआर

एक सुदृढ़ मूल्य-सृजन मॉडल पर टिकी बुनियाद

हमारे संसाधन / इनपुट

वित्तीय पूंजी

हमारी वित्तीय पूंजी हमारी परिचालन गतिविधियों को जारी रखने के लिए आवश्यक तरलता को दर्शाती है।

19,10,307
शेयरधारकों की कुल संख्या

₹160 करोड़
चुकता पूंजी

शून्य
निवल ऋण

बौद्धिक पूंजी

एक परेशानीमुक्त सेवा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अभिनव समाधानों में निवेश।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में यातायात में कुल वृद्धि **13.12%**

ई-टिकटिंग एप्लिकेशन पर कुल यातायात **2,528.32 मिलियन**

22.34 मिलियन
आईआरसीटीसी एप का डाउनलोड (एंड्रॉइड और आईओएस को मिलाकर)

मानव पूंजी

अपने विज़न को हासिल करने के लिए कर्मचारी विकास और नवाचार को बढ़ावा देते हुए हम सीखने की और विकास-उन्मुखी कार्य संस्कृति को विकसित करते हैं।

2,726
कर्मचारी संख्या

₹289.05 करोड़
कर्मचारी लाभ में निवेश

सामाजिक और संबंधों की पूंजी

हमारी सीएसआर प्रेरित सामुदायिक विकास पहलें विश्वास निर्माण को बढ़ावा देती हैं और समुदाय में बहुमूल्य संबंधों को बढ़ावा देती हैं।

10
आकांक्षी जिले सीएसआर के अंतर्गत शामिल

₹16.64 करोड़
सीएसआर खर्च

प्राकृतिक पूंजी

अपने पर्यावरणीय फुटप्रिंट को कम करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ धरती सुनिश्चित करने के लिए हम संपोषी उत्पादन पद्धतियों और उत्तरदायित्वपूर्ण संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देते हैं।

1,08,017.02 जीजे
गैर-नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा की कुल खपत

1,09,647.46 जीजे
नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोत से ऊर्जा की कुल खपत

मूल्य सृजन प्रक्रिया

हमारी पेशकश

ट्रेन यात्रियों को सुविधाजनक भोजन और पेय सेवाएं प्रदान करना, जो हमारे ऐप और सहयोगी खाद्य भागीदारों के जरिए पूरी की जाती हैं।

45.60%
राजस्व में योगदान

400+
स्थायी इकाइयां स्टेशनों पर, 48 इकाइयां पूरे भारत में रहने-रुकने की सुविधाएं देती हैं।

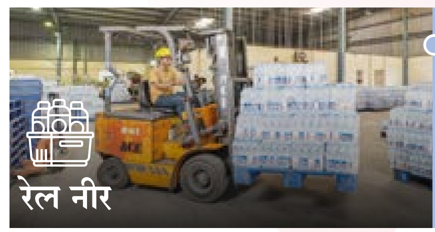

पैकेज्ड पेयजल रेल नीर का उत्पादन और उसे यात्रियों को उपलब्ध कराना

7.65%
राजस्व का योगदान

39.49 करोड़
कुल बोतलों का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2024 में

मूल्य

- ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण
- नवाचार
- दक्षता

प्रमुख हितधारक

- ग्राहक
- कर्मचारी
- शेयरधारक/निवेशक

	आउटपुट	परिणाम	एसडीजी

ट्रेन, विमान और बसों के लिए ई-टिकट हमारे मोबाइल ऐप पर तुरंत मिल जाते हैं।

30.33%
का योगदान राजस्व में

4529.83 लाख
टिकट बुक हुए
वित्तीय वर्ष 2024 में

आउटपुट

₹4,270 करोड़
का राजस्व परिचालनों से

20.58%
एबिटा मार्जिन

36.77%
एबिटा मार्जिन

परिणाम

- लाभयुक्त वृद्धि प्रदान की
- एक सुदृढ़ बैलेंस शीट प्राप्त की

एसडीजी: 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

आउटपुट

45.30 करोड़
टिकट वित्तीय वर्ष 2023-24 में बुक किए गए

10.5+ लाख
वारंट आधारित बुकिंग सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए

3 करोड़ से अधिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 9.5 लाख टिकट बुक किए गए
पूछताछ और टिकट बुकिंग के लिए एआई-संचालित 'आस्क दिशा' चैटबॉट सेवा

परिणाम

- एक नवाचार भरे पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण किया
- ब्रांडिंग और विपणन में निरंतर निवेश

एसडीजी: 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH; 9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

हम विशिष्ट जगहों के लिए समर्पित ट्रेनों के साथ टूर पैकेज प्रदान करते हैं और एक समृद्ध पर्यटक अनुभव प्रदान करते हैं।

16.42%
का योगदान राजस्व में

15.59 लाख
पर्यटकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्रा की

आउटपुट

79,392 घंटे
का प्रशिक्षण प्रदान किया गया

1767
प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या

परिणाम

- कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता दी गई
- एक सुरक्षा भरे कार्य माहौल को बढ़ावा

एसडीजी: 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING; 5 GENDER EQUALITY; 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH; 10 REDUCED INEQUALITIES; 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

पारदर्शिता | निष्ठा | सामाजिक उत्तरदायित्व

आउटपुट

3,66,430
सीएसआर लाभार्थी

परिणाम

- ग्राहकों के साथ दीर्घावधि संबंध बनाए
- निर्बाध भोजन आपूर्ति सुनिश्चित की

एसडीजी: 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING; 4 QUALITY EDUCATION; 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH; 15 LIFE ON LAND

समुदाय और नागरिक समाज/एनजीओ | विनियामकीय निकाय और सरकार | विक्रेता/सहयोगी

आउटपुट

0.26
टर्नओवर पर प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता

1.49
टर्नओवर पर प्रति रुपया जल तीव्रता

0.02
टर्नओवर पर प्रति रुपया अपशिष्ट तीव्रता

परिणाम

- कार्बन फुटप्रिंट को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया
- प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां क्रियान्वित की

एसडीजी: 6 CLEAN WATER AND SANITATION; 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY; 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION; 13 CLIMATE ACTION

हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क

हितधारक समूह	शेयरधारक और निवेशक	ग्राहक	कर्मचारी
वे क्यों महत्त्वपूर्ण हैं	उनका निरंतर निवेश हमें विस्तार योजनाओं को बढ़ावा देने, अवसंरचनाओं को उन्नत करने और नवाचारयुक्त सेवाएं सृजित करने के लिए पूंजी प्रदान करता है।	हम ग्राहक संतुष्टि को प्राथमिकता देते हुए यात्रियों के साथ मजबूत संबंध बनाकर लगातार बदलते यात्रा परिदृश्य में दीर्घावधि सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।	हमारे कर्मचारी परिचालनों को अनुकूलित करने और संगठन को सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
संपर्क का माध्यम	• प्रेस विज्ञप्ति • निवेशक सम्मेलन • व्यक्तिगत बैठकें • ईमेल • वार्षिक आम बैठकें • वार्षिक रिपोर्ट और स्टॉक एक्सचेंज घोषणाएं • बैठकें और कॉल	• सर्वेक्षण • सहभागिता गतिविधियां • वेबसाइट • डिजिटल मंच - सोशल मीडिया • विज्ञापन	• नोटिस बोर्ड • ईमेल और कॉल • कॉरपोरेट पोर्टल • कर्मचारी सहभागिता सर्वेक्षण • व्यक्तिगत बैठकें
प्रमुख क्षेत्र	• वित्तीय प्रदर्शन • व्यवसाय रणनीति और निष्पादन योजना • व्यवसाय प्रदर्शन • कॉरपोरेट गवर्नेंस	• सेवाएं प्राप्त करना • संधारणीयता से जुड़ी साख • फीडबैक	• प्रशिक्षण और सीखने के अवसर • विविधता • परामर्श सत्र

सरकार और विनियामक

सरकार और विनियामक हमारे व्यवसायों को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी तरह से परिभाषित विनियमों और नीतियों के जरिए हम बेरोक-टोक परिचालनों का ढांचा स्थापित करते हैं।

- नोटिस
- कार्यालय ज्ञापन
- प्रेस विज्ञप्ति

- कॉर्पोरेट व्यवहार
- विनियामक मुद्दे

आपूर्तिकर्ता और विक्रेता

आपूर्तिकर्ता हमारी सेवा आपूर्ति, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत प्रभावशीलता में सीधे योगदान करते हैं। आपूर्तिकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना हमारी दीर्घावधि सफलता में अहम है।

- ईमेल और कॉल
- वेबसाइट
- खरीद आदेश
  आपूर्तिकर्ता समीक्षा
- व्यक्तिगत दौरे

- व्यवसाय
- गतिविधियां
- गुणवत्ता जांच

एनजीओ / समुदाय

हम सामाजिक पहलों या अवसंरचना विकास परियोजनाओं के जरिए समुदायों के साथ जुड़कर परिचालन करने के लिए एक सामाजिक अनुज्ञा अर्जित करते हैं। ये हमारी ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।

- ईमेल और कॉल
- बैठकें
- पत्र

- ऑडिट
- प्रतिपुष्टि

विविध व्यवसाय सेगमेंट – केटरिंग

आईआरसीटीसी देश के अग्रणी हॉस्पिटैलिटी / सत्कार और खानपान उद्यमों में से एक है। हमारे विस्तृत परिचालन यात्री ट्रेनों, रेलवे स्टेशनों, स्टेशन परिसरों और विभिन्न सहायक व्यावसायिक गतिविधियों में फैले हैं। ये परिवहन, आतिथ्य क्षेत्रों में हमारी उपस्थिति को मज़बूत करते हैं। हम पेंट्री कारों या बेस किचन के एक सुव्यवस्थित नेटवर्क के जरिए ट्रेनों में खानपान सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता रखते हैं। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण खान-पान अनुभव प्रदान करने पर हमारा विशेष ध्यान उनके समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने में हमारी अहम भूमिका दिखलाता है।

खानपान और हॉस्पिटैलिटी / सत्कार

मोबाइल केटरिंग सेवाएं

- वंदेभारत
- राजधानी
- शताब्दी
- दुरंतो
- गतिमान
- तेजस
- मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें
- ट्रेन साइड वेंडिंग

स्थैतिक खानपान सेवाएँ

- फूड प्लाजा
- फास्ट फूड इकाइयां
- फूड कोर्ट
- रिफ्रेशमेंट रूम
- जन आहार
- बेस किचन
- एग्जीक्यूटिव लाउंज
- विश्राम कक्ष
- रेल यात्री निवास
- बीएनआर होटल
- गैररेलवे केटरिंग इकाइयां

ई–केटरिंग सेवाएं

- फूड एग्रीगेटर
- डायरेक्ट वेंडर
- बी2सी एजेंट
- डिलीवरी पार्टनर

मोबाइल केटरिंग

भारतीय रेल के लिए ऑनबोर्ड केटरिंग सेवाओं के प्रबंधन में हमारी विशेषज्ञता 1,200 से अधिक यात्री ट्रेनों तक फैली हुई है। इनमें राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान एक्सप्रेस और विभिन्न मेल/एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही हमने नई यात्री ट्रेनों, जैसे वंदे भारतएक्सप्रेस और अभिनव तेजस ट्रेनों में सेवाएं शुरू की हैं, जो रेलवे सत्कार / हॉस्पिटैलिटी में नए मानक स्थापित करती हैं।

हम यात्रियों के लिए विभिन्न स्वाद और आहार संबंधी प्राथमिकताओं के अनुसार ताजा तैयार भोजन की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करते हैं। इस तरह उनके खान-पान के अनुभव को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। हमारी पेंट्री कारें मोबाइल रसोई के रूप में काम करती हैं और भोजन को गर्म करने के लिए उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इससे अपने गंतव्य तक यात्रा करते हुए यात्री स्वादिष्ट और संतोषपूर्ण भोजन का आनंद ले पाते हैं।

ट्रेनसाइड वेंडिंग

हम मेल / एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों पर ट्रेनसाइड वेंडिंग अनुबंधों का प्रबंधन भी करते हैं, जो पेंट्री कारों के बिना संचालित होती हैं। खानपान के लिए हमारा नवीन दृष्टिकोण एक विस्तृत मैन्यू चार्ट से ऑर्डर लेने वाले ऑनबोर्ड विक्रेताओं के जरिए कुशल सेवा वितरण को सक्षम करता है। इस प्रक्रिया में विक्रेता पहले से ऑर्डर किए भोजन को एक व्यवस्थित क्रम में निर्दिष्ट फूड पिक-अप स्पॉट से लेते हैं। इससे यात्रियों को समयबद्ध और व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित होता है।

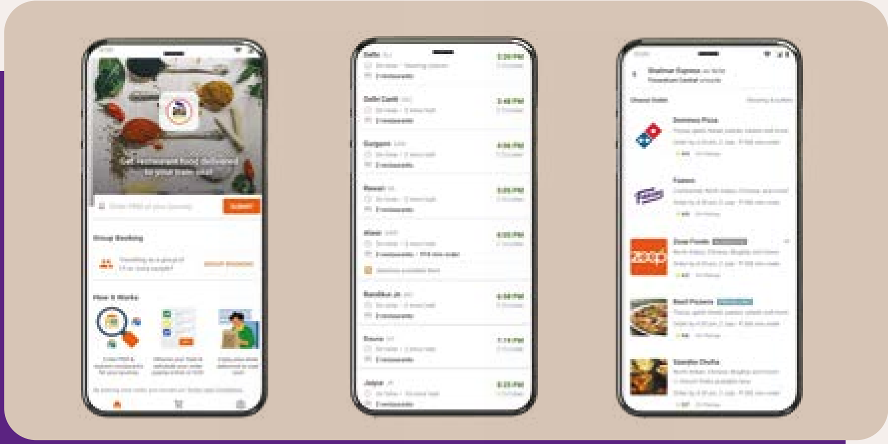

ई-केटरिंग सेवाएं

हम ई-केटरिंग सेवाओं के जरिए खानपान और सत्कार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। हमारी पहल ट्रेन यात्रियों के लिए भोजन संबंधी अनुभव में बड़ी सहजता से प्रौद्योगिकी का मेल करती है। इस इंटरनेट-आधारित सेवा का लाभ उठाते हुए यात्री अब ट्रेन यात्रा करते समय मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके भागीदार रेस्तरां और फूड आउटलेट्स को चुनकर अपना पसंदीदा भोजन आसानी से बुक कर सकते हैं। ये नया तरीका अपनाकर यात्री सीधे अपनी सीट या बर्थ पर डिलीवर किए गए स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं।

आईआरसीटीसी ई–केटरिंग के हिस्से

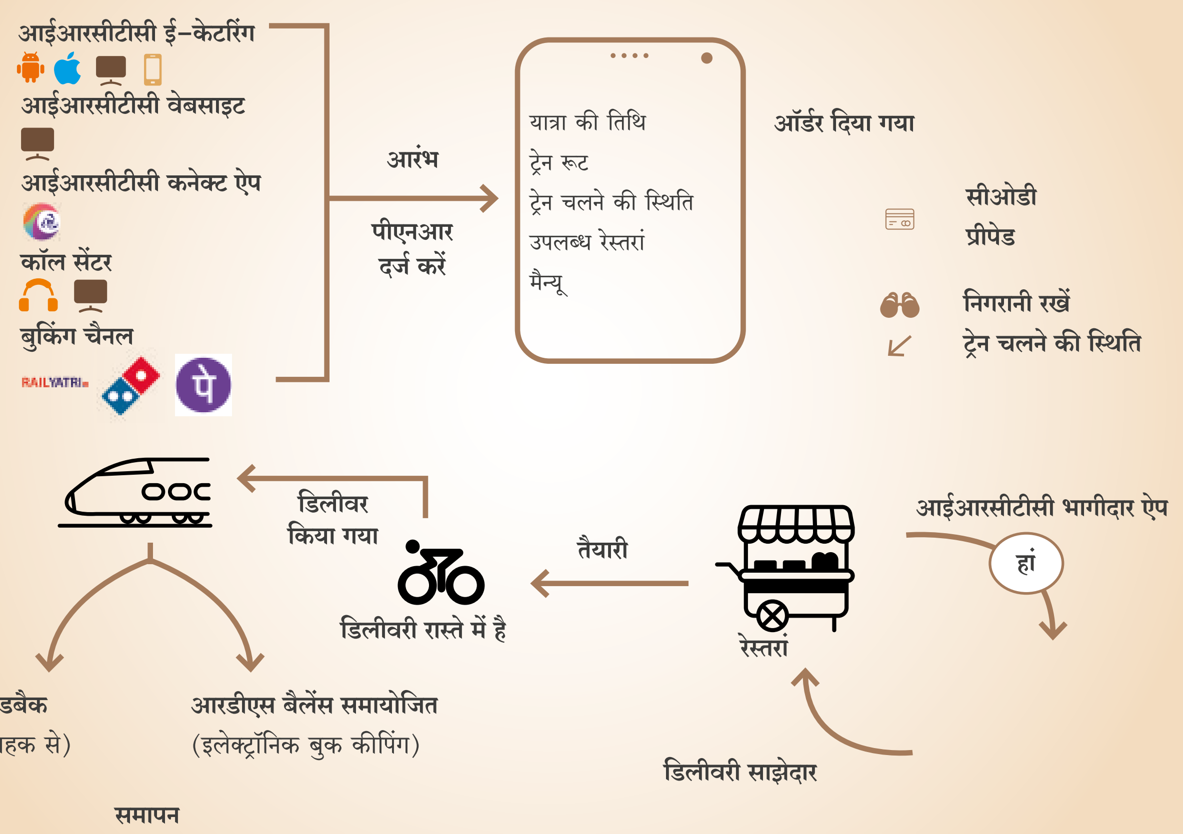

2,000+

साझेदार रेस्टोरेंट

3 करोड़+

भोजन संख्या

40,669

ऑर्डर औसतन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बुक किए गए

49%

वृद्धि लेनदेन मूल्य में

अध्ययन के लिए मामला

ट्रेन यात्रा में गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना

पेंट्री कार और बेस किचन के अपने सुव्यवस्थित नेटवर्क के जरिए ट्रेनों में अत्यंत गुणवत्तापूर्ण भोजन का अनुभव प्रदान करने में आईआरसीटीसी महारत रखता है। आईआरसीटीसी के व्यापक परिचालनों में यात्री ट्रेनें, रेलवे स्टेशन, स्टेशन परिसर और सहायक व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं। समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर करने के साथ-साथ आईआरसीटीसी सुनिश्चित करता है कि यात्रियों को अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान किफायती और स्वच्छ भोजन के विकल्प मिलें।

उठाए गए कदम

- खाद्य सामग्री विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से ली जाती है और गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित होता है।
- हर भोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के मानकों के अनुरूप होता है, जिससे स्वाद, ताज़गी और पोषण की गारंटी मिलती है।
- तैयारी और पैकेजिंग के दौरान स्वच्छता प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन किया जाता है। इससे स्वच्छता से कोई सम झौता नहीं होता।
- आईआरसीटीसी ई-केटरिंग सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट के साथ सहयोग करता है, जो एफएसएसएआई से अनुमोदित हैं। जिससे कि डिलीवर किए गए भोजन में गुणवत्ता और स्वच्छता दोनों सुनिश्चित हों।
- रसोई से लेकर ट्रे तक की प्रक्रिया पूरी सजगता से संचालित की जाती है। इससे यात्रियों को समयबद्ध डिलीवरी और पूर्ण ताजगी की गारंटी मिलती है।

असर

- ट्रेन यात्रा के दौरान स्वादिष्ट भोजन परोसकर यात्रियों के अनुभव बेहतर किए।
- उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करके ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाई।
- आईआरसीटीसी ई-केटरिंग ने स्वच्छता को प्राथमिकता देकर खाद्यजनित बीमारियों से जुड़ी यात्रियों की चिंताओं को कम किया।

स्थायी खानपान सेवाएं

रेलवे स्टेशनों पर स्थित हमारी स्थायी खानपान सेवा इकाइयों में फूड प्लाज़ा, फ़ास्ट फूड इकाइयां, फूड कोर्ट, रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार, विश्राम कक्ष और डॉरमेटरी के साथ ही एग्जीक्यूटिव लाउंज शामिल हैं। हम हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री निवास और रांची और पुरी में बीएनआर होटलों को भी स्थायी खानपान सेवाएं प्रदान करते हैं।

इसके अलावा गैर रेलवे खानपान सेवाओं के अंतर्गत रेलवे परिसर के बाहर संस्थानों, कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों की खानपान इकाइयों का प्रबंधन भी किया जाता है। बड़े कॉरपोरेट समूहों और सरकारी विभागों के साथ भागीदारी करके हमारी स्थायी खानपान सेवाएं रेल यात्रियों के भी परे सेवाएं देती हैं। ये खाद्य प्रतिष्ठान गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करते हैं और हमारे ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुसार बनाया गया विविधतापूर्ण मैन्यू प्रस्तुत करते हैं।

आईआरसीटीसी के अंतर्गत 31.03.2024 तक प्रचालित स्थायी खानपान इकाइयों की संख्या निम्नांकित है –

305

फूड प्लाजा/
फास्ट फूड इकाइयां

141

रिफ्रेशमेंट रूम

40

जन आहार

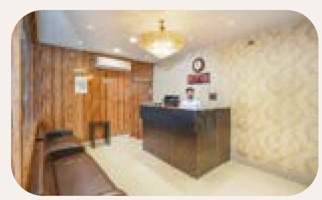

03

रेल यात्री
निवास/बीएनआर होटल

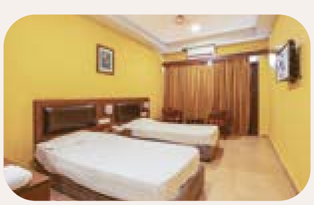

36

विश्राम कक्ष

09

एग्जीक्यूटिव लाउंज

09

गैर-रेलवे खानपान परियोजनाएं

गुणवत्ता सुनिश्चित करना

सख्ती से निरीक्षण

प्रति वर्ष हम 40,600 से अधिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण दलों में भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी के अधिकृत अधिकारी शामिल होते हैं। ये ट्रेनों के साथ ही साथ विभिन्न रसोइयों का भी सख्ती से निरीक्षण करते हैं। ये निरीक्षण स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

ऑनबोर्ड निगरानी

हम सभी प्रीमियम ट्रेनों पर समर्पित ऑनबोर्ड निरीक्षणकर्मी नियुक्त करते हैं। वे भोजन बनाने की तैयारी से लेकर ट्रेनों के यात्रियों को सेवा तक, खानपान की पूरी सेवाप्रक्रिया की देखरेख करते हैं। इससे प्रीमियम श्रेणियों में निरंतर गुणवत्ता और त्वरित सेवा सुनिश्चित होती है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए हम एक अनुभागीय निगरानी मार्ग अपनाते हैं। इसमें रेल मार्ग के प्रमुख बिंदुओं पर निरीक्षण शामिल है। जिससे कि संपूर्ण यात्रा के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

रसोईयों की केंद्रीकृत निगरानी

हमने रसोई इकाइयों में सीसीटीवी कैमरा सिस्टम क्रियान्वित किया है। इससे आईआरसीटीसी कॉरपोरेट कार्यालय और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से रसोईयों की रियल टाइम निगरानी सक्षम होती है। ये केंद्रीकृत निगरानी सुनिश्चित करती है कि सभी रसोईयों में लगातार स्वच्छता पद्धतियों का पालन होता रहे और भोजन की गुणवत्ता बनी रहे।

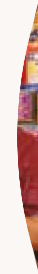

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पहलें

- आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप 'क्लस्टरिंग सिस्टम' के तहत अनुबंध देने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश क्रियान्वित किए। यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे भारत में अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ आर्ट) रसोईयां स्थापित की जा रही हैं।
- प्रमुख खाद्य एग्रीगेटर्स के साथ साझेदारियों के बाद ई-केटरिंग के जरिए भोजन की बुकिंग प्रति दिन 1 लाख मील को पार कर गई।
- गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अपनी स्थायी खानपान ट्रेनों के लगभग 40,600 निरीक्षण किए।
- 100% प्रीमियम ट्रेनों में एंड-टू-एंड खानपान सेवाओं की निगरानी और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में सेक्शनल निगरानी के लिए ऑनबोर्ड निगरानी कर्मचारियों को तैनात किया।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में खानपान सेवाओं का राजस्व 31.88% बढ़ा।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव की विशेष ट्रेनों / स्प्लिंटर कोचों को 22.71 लाख की संख्या में भोजन उपलब्ध कराया गया।

रेल नीर पैकेज्ड पेयजल

रेल नीर, पैकेज्ड पेयजल का हमारा प्रमुख ब्रांड है। वर्तमान में रणनीतिक पूंजीगत खर्च और क्षमता वृद्धि पहलों के जरिए ये ब्रांड रेलवे में पैकेज्ड पेयजल की 100% मांग पूरी करने पर केंद्रित है। रेल नीर अत्याधुनिक संयंत्रों में शुद्धिकरण और बोतलबंद करने की एक बारीक प्रक्रिया से गुजरता है। हमारे पूरी तरह से स्वचालित संयंत्र स्वच्छता के कड़े मानकों पर चलते हैं। हर चरण में उत्पादित पानी के लिए मानवीय हस्तांतरण की जरूरत खत्म करते हैं।

हमारा लक्ष्य रेलवे क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और साख का लाभ लेते हुए गैर-रेल आधारित बाजार में विविधता लाना है। स्वच्छ पेयजल को लेकर बढ़ते आग्रह और विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच बढ़ते उपभोग के चलते घरेलू बाजार में शुद्ध और पैकेज्ड पेयजल की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा, महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र के वापस पटरी पर लौटने से पैकेज्ड पेयजल की मांग बढ़ने की उम्मीद है। इस संदर्भ में रेल नीर रेलवे नेटवर्क के अंदर और बाहर यात्रियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

7.65%

कुल राजस्व में हिस्सा

उत्पादन प्रक्रिया

रेल नीर के लिए हमारी उत्पादन प्रक्रिया ऐसी है जो रेल यात्रियों के लिए पैकेज्ड पेयजल की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। इसकी प्रक्रिया बोरवेल से पानी निकालने से शुरू होती है, जहां इसे हमारे उपचार संयंत्र में ले जाने से पहले भूमिगत जलाशय में एकत्रित किया जाता है। उसके बाद पानी एक आठ-चरणीय शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरता है। इसमें एक सक्रिय कार्बन फ़िल्टर, एक ऑटो सॉफ़्नर यूनिट, अल्ट्रा-फ़िल्ट्रेशन यूनिट, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक मार्बल चिप फ़िल्टर, दो-चरणीय माइक्रोन फ़िल्टर, एक अल्ट्रा-वायलेट स्टेरिलाइज़र यूनिट और एक ओजोनाइज़िंग यूनिट शामिल है। प्रत्येक चरण को यूं जटिल रूप से डिजाइन किया है, जिससे धूल और मृत रोगाणुओं से लेकर घुली हुई अशुद्धियों और सूक्ष्मजीवों जैसी अशुद्धियों को खत्म किया जाता है।

उत्पादक संयंत्र

1 नांगलोई
2 दानापुर
3 पालुर
4 अंबरनाथ
5 अमेठी
6 बिलासपुर
7 परसाला
8 हापुड़
9 संकरैल
10 नागपुर
11 साणंद
12 मंडीदीप
13 जगलौद
14 उना
15 मनेरी
16 भुसावल
17 कोटा
18 भुवनेश्वर
19 सिम्हाद्रि

39.49 करोड़

कुल बोतलों का उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 में किया गया

बोतल बनाने वाली स्वचालित मशीन

हम अपने परिचालन के हर पहलू में त्रुटिहीनता और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसमें रेल नीर की बोतलों का उत्पादन भी शामिल है। अपने संयंत्र में एक स्वचालित ब्लोइंग मशीन के जरिए हम पानी की बोतलें बनाने के लिए उच्च श्रेणी के रेजिन प्रीफॉर्म का उपयोग करते हैं। स्वचालित ब्लोइंग उपकरण के उपयोग से बहुत सटीकता के साथ बोतलों का उत्पादन सुनिश्चित होता है और यात्रा के दौरान उनके टिकाऊपन की गारंटी मिलती है।

रिन्ज़िंग, फिलिंग और कैपिंग के लिए स्वचालित मशीन

हमारी उत्पादन प्रक्रिया में रेल नीर की बोतलों को ऑटोमैटिक ब्लोइंग मशीन पर ब्लो किया जाता है। यहां बोतलें एक एयर कन्वेयर सिस्टम के जरिए हमारी उन्नत स्वचालित रिन्ज़िंग, फिलिंग और कैपिंग मशीन में से गुजरती हैं। इस उन्नत संयंत्र में प्रत्येक बोतल को उलटी स्थिति में एक व्यापक रिन्ज़िंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसमें बहुत उच्च दाब वाला जेट चलाया जाता है जो पानी की पूरी निकासी सुनिश्चित करता है। पानी भरने का चरण बिना किसी त्रुटि के बहुत सटीकता से संपन्न किया जाता है। पानी को उलटी बोतलों में डालने के लिए नोजल का उपयोग किया जाता है। फिर उन्हें तेजी से कैपिंग स्टेशन पर भेजा जाता है। कैपर प्रत्येक बोतल को सुरक्षित रूप से सील करता है, जिससे पैकेजिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कड़े मानकों को बनाए रखते हुए बोतल फिलिंग क्षेत्र को बंद और प्रतिबंधित रखा जाता है। इसमें तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ये निषिद्धताएं स्वच्छता और उत्पाद की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर सुनिश्चित करती है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पहलें

- कोटा (राजस्थान), भुवनेश्वर (ओडिशा) और सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) में तीन नए रेल नीर संयंत्र सफलतापूर्वक चालू किए गए हैं। प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 72,000 बोतल प्रति दिन है। इन संयंत्रों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग हेतु रिसाइकल हुई पीईटी बोतलों का उपयोग।

- रेल नीर के लिए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की तैनाती। ये पूर्णतः स्वचालित संयंत्र हैं। किसी भी स्तर पर उत्पाद की कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं है।

इंटरनेट टिकटिंग

हमने अपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली के जरिए टिकट बुकिंग के अनुभव को सरल बनाया है। ये मंच उपयोगकर्ता को बेहतरीन सुविधा प्रदान करता है। यह देश ही नहीं, एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक बनकर उभरा है। नवाचार पर हमारे फोकस ने ई-टिकटिंग को उन्नत नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग (एनजीईटी) प्रणाली में बदल दिया है। इससे प्रति मिनट टिकट बुकिंग की क्षमता बढ़ गई है। इंटरनेट आधारित रेल टिकट आरक्षण में क्रांति की अगुवाई करते हुए हमने अपनी वेबसाइट www.irctc.co.in और यूज़र-फ्रेंडली आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के जरिए अपनी सेवाओं को सहज ढंग से समेकित किया है। ये ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है।

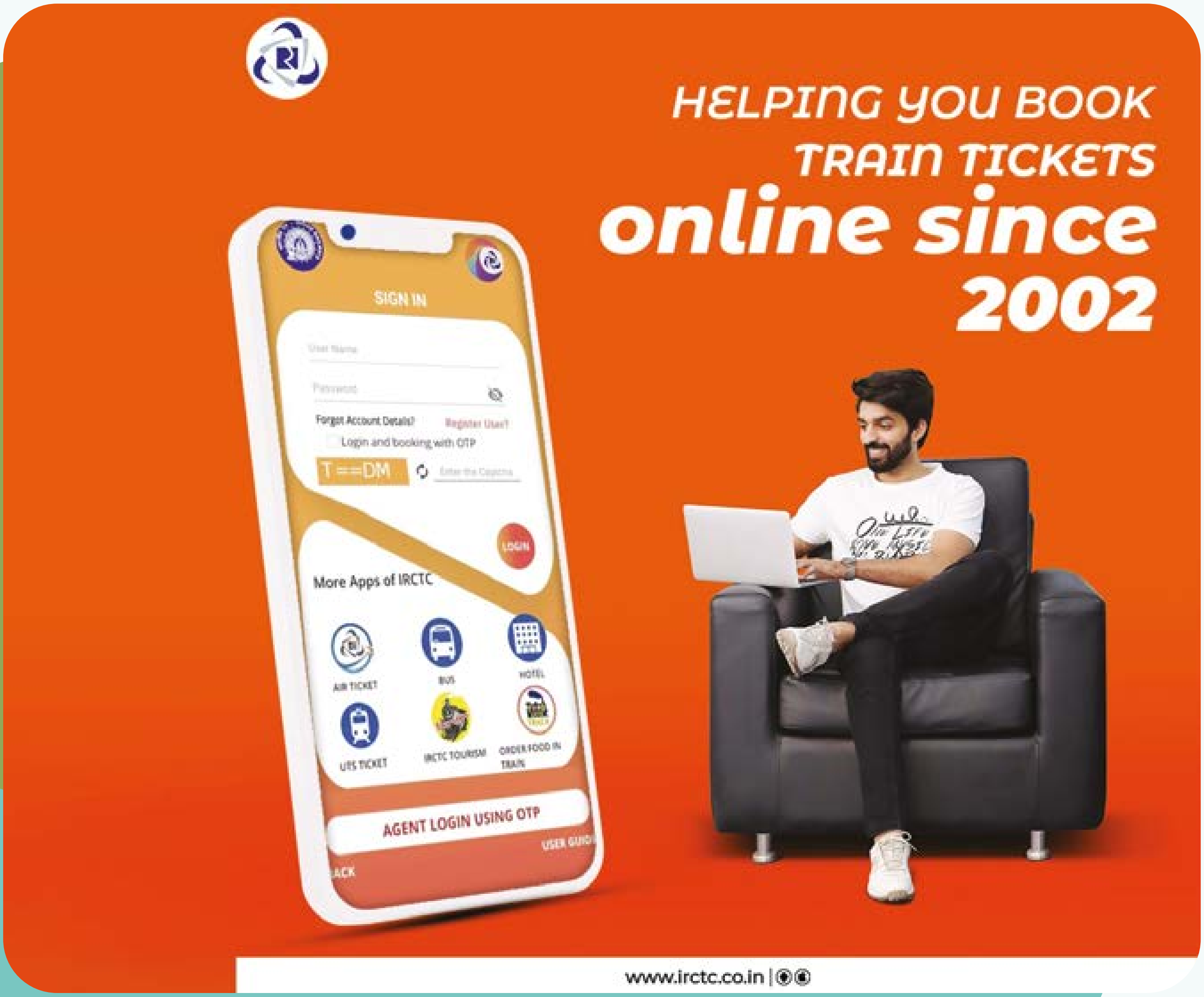

4,529.83 लाख

टिकट वित्तीय वर्ष 2024 में बुक किए गए।

8,025.06 लाख

यात्रियों ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ई-टिकट बुक किए

30.33%

हिस्सा कुल राजस्व में

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पहलें

- वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लेन-देन की मात्रा और प्रतिदिन के लॉगिन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2024 में प्रति माह 37.75 मिलियन से अधिक लेन-देन और प्रति दिन 6.91 मिलियन लॉगिन हुए।
- रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप को भरपूर ढंग से अपनाया गया। वित्तीय वर्ष 2024 में कुल ऑनलाइन टिकटों में से 51.27% ऐप के जरिए बुक हुईं।
- ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म के यूज़र अनुभव को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। नेक्स्ट जेनरेशन ई-टिकटिंग (एनजीईटी) प्रणाली ने समग्र बुकिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाया।
- ऑनलाइन रेल ई-टिकट लेनदेन में विफल लेनदेन के मामलों (जहां उपयोगकर्ता का खाता डेबिट हो जाता है लेकिन टिकट बुक नहीं होता है) में उसी दिन रिफंड की व्यवस्था शुरू की।

यात्रा और पर्यटन

आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की पर्यटन शाखा का काम करता है। रेल मंत्रालय द्वारा देश में मुख्यतः रेल-आधारित पर्यटन के विकास और प्रोत्साहन का जिम्मा दिए जाने के बाद, हम 24 वर्षों से भी अधिक समय से रेल-आधारित पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध हैं। हम विभिन्न रेल-आधारित पर्यटन उत्पादों का परिचालन करते हैं, जिनमें रेल टूर पैकेज, थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनें, चार्टर ट्रेन / कोच टूर, हिल चार्टर / सैलून कार, लग्जरी ट्रेनें - महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट, चुनाव स्पेशल और राज्य स्पेशल ट्रेनें आदि शामिल हैं।

इस स्पर्धायुक्त बाजार में अपने व्यवसाय को और सुदृढ़ करने के लिए हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज, होटल बुकिंग, किराए की कार, हवाई टिकट, शैक्षिक पर्यटन और क्रूज पैकेज जैसे गैर-रेल आधारित पर्यटन उत्पाद भी संचालित करते हैं।

हम संपोषी पर्यटन की दिशा में भी काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने के प्रति पर्यटकों को जागरूक कर सकें। हमने देशभर में रेल पर्यटन को आगे बढ़ाने और पोषित करने में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में, हम एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां) प्रभाग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।

16.42%
हिस्सा कुल राजस्व में

134%
वृद्धि पर्यटकों में, वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में

15.59 लाख
यात्रियों ने विभिन्न टूर पैकेज का लाभ उठाया

187
चार्टर्ड ट्रेनें संचालित

5,166
हवाई टिकट औसतन प्रतिदिन बुक किए गए

यात्रा और पर्यटन के लिए वन-स्टॉप समाधान

घरेलू टूर पैकेज

- रेल टूर पैकेज
- हॉलिडे पैकेज
- चार्टर ट्रेन/कोच वाले पैकेज
- अनुकूलित टूर
- एलटीसी टूर
- घरेलू हवाई पैकेज

भारत में विदेशी पर्यटक के लक्षित टूर

- महाराजा एक्सप्रेस
- गोल्डन रथ
- बौद्ध विशेष पर्यटक ट्रेन (डीलक्स पर्यटक ट्रेन)

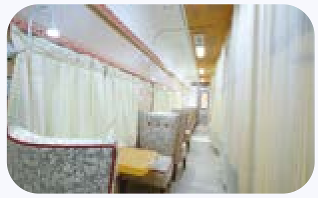

आईआरसीटीसी कॉरपोरेट ट्रेनें

- अहमदाबाद-मुंबई तेजस एक्सप्रेस
- लखनऊ - नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस

जन पर्यटन

- भारत गौरव ट्रेनें
- राज्य विशेष की पर्यटक ट्रेनें
- चुनाव विशेष

विदेश के टूर पैकेज

- श्रीलंका
- नेपाल
- दुबई
- सिंगापुर
- मलेशिया
- यूरोप
- भूटान
- थाईलैंड, आदि

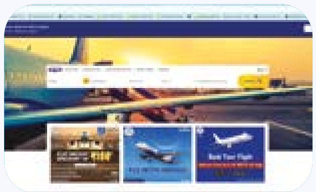

हवाई टिकट और कॉरपोरेट यात्रा

- हवाई टिकटिंग
- कॉरपोरेट यात्रा

अन्य पर्यटन गतिविधियां

- इवेंट मैनेजमेंट
- चार्टर ट्रेनों और कोचों की बुकिंग
- पहाड़ी और विरासत चार्टर
- सैलून टूर और चार्टर
- आवास सुविधाओं का ऑनलाइन आरक्षण
- क्रूज़ पैकेज
- वीज़ा और फ़ॉरेक्स

विशेष उद्देश्य की यात्राएं

शैक्षणिक यात्राएं

सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राएं

रेलवे आधारित पर्यटन

आईआरसीटीसी में हम भारत के विभिन्न स्थलों से कन्फ़र्म सीटों/बर्थ के साथ रेल-आधारित टूर पैकेज संचालित करते हैं। विभिन्न तीर्थयात्राओं और आराम के सैर-सपाटे वाली जगहों के लिए सभी समावेशी सेवाएं देते हैं।

कॉरपोरेट यात्रा व्यवसाय

हम कॉरपोरेट के लिए भी संपूर्ण यात्रा समाधान उपलब्ध कराते हैं। इसमें हवाई टिकटिंग, अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) सहित घरेलू बुकिंग, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय टिकट, होटल बुकिंग, वीज़ा सुविधा, बीमा आदि शामिल हैं। साथ ही हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / मंत्रालयों / सरकारी विभागों के साथ और अधिक गठजोड़ बनाने और संगठनों के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर व्यवसाय का विकेंद्रीकरण किया है। वर्तमान में हमारे पास ऐसे 280 गठजोड़ हैं, जिनमें कॉरपोरेट यात्रा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

बस टिकट

अपने ग्राहकों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने की सुविधा देने के लिए हमने जनवरी 2021 में एक समर्पित बस पोर्टल www.bus.irctc.co.in शुरू किया। इस बस पोर्टल के शुभारंभ के बाद हमारी आकांक्षा वन-स्टॉप ट्रैवल समाधान प्रदाता बनने की है, जहाँ हवाई, रेल और सड़क, परिवहन के इन तीनों साधनों में से कोई भी चुनने में ग्राहक सक्षम होंगे। वर्तमान में 27 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन बस बुकिंग की जा सकती है। मेसर्स लि ट्रैवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड (अभिबस) और मेसर्स रेडबस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (रेडबस) को सूचीबद्ध सेवा प्रदाताओं के रूप में नियुक्त किया गया है।

शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राएं

आईआरसीटीसी अपनी ट्रैवल टू लर्न योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए शैक्षिक यात्राएं करवाता है। छात्रों की शैक्षिक यात्राएं संचालित करने के लिए हम विभिन्न राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी स्कूलों के साथ भी गठजोड़ करते हैं। आईआरसीटीसी विभिन्न सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राएं भी करवाता है, जो भारत सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत लोगों से लोगों के संपर्क को मजबूत करने के लिए एक पहल है। खास तौर पर विभिन्न राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए। काशी तमिल संगम 2.0 और युवा संगम सीजन 2, 3 और 4 का संचालन वित्तीय वर्ष 2023-24 का मुख्य आकर्षण रहा है।

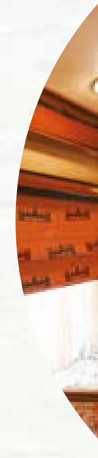

भारत गौरव ट्रेनें

भारतीय रेल भारत गौरव ट्रेन (बीजीटी) नाम की एक आकर्षक पहल शुरू कर रही है, जो घरेलू पर्यटन को सुदृढ़ और पुनर्जीवित करने वाली एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के अंतर्गत आती है। आईआरसीटीसी में हमारे पास पूरे भारत में भारत गौरव ट्रेनों के 10 रेक हैं, जो भारत के सभी प्रमुख तीर्थस्थलों और धार्मिक स्थलों को कवर करते हैं। ये विशेष ट्रेनें बौद्ध स्पेशल, राम कथा/रामायण यात्रा, जैन सर्किट, सिख सर्किट, पूर्वोत्तर भारत, ज्योतिर्लिंग यात्रा, दक्षिण दर्शन आदि जैसे थीम आधारित सर्किट पर भी संचालित की जाती हैं। इस कदम का उद्देश्य यात्रा को प्रोत्साहित करना और भारतीय रेल को देश में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने में अग्रणी बनाना है।

विशेष

महाराजा एक्सप्रेस

महाराजा एक्सप्रेस इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा प्रचालित एक शानदार ट्रेन है। ये अपनी समृद्ध यात्राओं और बेहतरीन ऑनबोर्ड सुविधाओं के लिए विख्यात है।

23 डिब्बों वाली इस ट्रेन में चार तरह के केबिन हैं-

- डीलक्स केबिन
- जूनियर सुइट केबिन
- सुइट
- प्रेसिडेंशियल सुइट

यात्री इसमें दो रेस्तरां - रंग महल और मयूर महल में भोजन कर सकते हैं, जो विभिन्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन परोसते हैं। ट्रेन में दो बार लाउंज भी हैं - द राजा क्लब और द सफ़ारी बार। ये हाउस पोर और अन्य अंतरराष्ट्रीय ब्रांड पेश करते हैं। पैकेज में हाउस पोर शामिल हैं, साथ ही चुनिंदा अंतरराष्ट्रीय वाइन और स्पिरिट भी खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

गोल्डन चैरियट

गोल्डन चैरियट एक अनूठी ट्रेन है, जो कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होकर गुजरती है। इसने 2008 में परिचालन शुरू किया और यह इतिहास और आधुनिक विलासिता का एक अनूठा मिश्रण अपने में समेटे है। इसे भारतीय रेल द्वारा कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से संचालित किया जाता है।

ट्रेनें

विस्टाडोम कोच

भारतीय रेल ने विस्टाडोम कोच के जरिए भारत के स्थलों की सुंदरता अनुभव करने का एक नया तरीका प्रस्तुत किया है। स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए इन कोचों में कांच की छत और बड़ी खिड़कियां हैं जो यात्रियों को 360 डिग्री का शानदार नज़ारा देते हैं। इसमें आराम का खास ख्याल रखा गया है। कुर्सियां यूं डिज़ाइन की गई हैं कि वे पूरी 360 डिग्री पर घूम जाती हैं। इससे यात्री हर तरह से सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। इस अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए विद्युत नियंत्रित परदे (ब्लाइंड) लगाए गए हैं, जो एडजस्ट की जाने वाली छाया देते हैं।

विस्टाडोम कोच भारतीय रेल के विभिन्न ज़ोन में विभिन्न दर्शनीय मार्गों पर चलते हैं।

लक्षित ब्रांडिंग प्रयासों के साथ प्रभावी जुड़ाव

आईआरसीटीसी की डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग पहलों ने प्रभावी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) रणनीतियों के साथ मिलकर अपने संपर्क को बहुत हद तक बढ़ाया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे मंचों के जरिए आईआरसीटीसी रियल टाइम अपडेट और प्रचार संबंधी जानकारियां देता है। सोशल मीडिया पर संवादात्मक कंटेंट और प्रचार सामग्री जीवंत ऑनलाइन समुदाय को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त, एसईओ पर आईआरसीटीसी के ध्यान ने उसकी सभी वेबसाइटों की पहुंच और दृश्यता को बढ़ाया है, जिससे उन पर ट्रैफ़िक भी बढ़ा है। इन प्रयासों ने आईआरसीटीसी की ब्रांड उपस्थिति को सुदृढ़ किया है, जिससे एक बड़ा ग्राहक आधार निर्मित हुआ और बना रहा है।

सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ)

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ऑर्गेनिक यूनिक विजिटर की संख्या में वृद्धि इसकी एसईओ संबंधी रणनीतियों को दर्शाती है। प्रासंगिक कीवर्ड के साथ कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके, वेबसाइट लोड होने के समय में सुधार करके और मोबाइल के अनुकूल बनाकर, आईआरसीटीसी ने अपनी सर्च इंजन रैंकिंग को बढ़ाया है। बैकलिंक्स का लाभ उठाने और महत्त्वपूर्ण जानकारी के साथ कंटेंट को नियमित रूप से अपडेट करने से इसका प्रसार और बढ़ा है। इन एसईओ रणनीतियों ने आईआरसीटीसी की ऑनलाइन पहुंच में काफी वृद्धि की है, जिससे अधिक संख्या में विजिटर आकर्षित हुए और वेबसाइट पर बने रहे हैं।

सोशल मीडिया विपणन (एसएमएम)

आईआरसीटीसी ब्रांड के प्रचार विस्तार और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। नियमित रूप से क्रिएटिव, वीडियो और प्रचार संबंधी पोस्ट करके आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं (यूजर्स) को अपनी सेवाओं और पेशकशों के बारे में बताता है। इसके अतिरिक्त, आईआरसीटीसी टूर पैकेज बुकिंग, महाराजा एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट टूरिस्ट ट्रेन और विशेष ऑफर समेत विभिन्न सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया चैनलों का लाभ उठाता है। अपने प्रचार संबंधी प्रयासों को और बढ़ाने के लिए, आईआरसीटीसी विभिन्न आईआरसीटीसी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पर सशुल्क गतिविधियां संचालित करता है।

आईआरसीटीसी ने जून 2024 तक अपने 'आईआरसीटीसी ऑफिशियल' यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचकर 2.3 मिलियन व्यूज और 32.4 हजार वॉच ऑवर्स के साथ एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह सफलता प्रभावी कंटेंट संबंधी रणनीतियों, लक्षित प्रचार और आकर्षक ग्राहक इंटरेक्शन को दर्शाती है, जो यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के भीतर डिजिटल सहभागिता में एक अग्रणी के रूप में आईआरसीटीसी की स्थिति को मजबूत करती है।

प्रचार अभियान

हम सीजनल डिस्काउंट और विशेष पेशकशों को बढ़ावा देने, नए ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें बार-बार बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लक्षित ऑनलाइन विज्ञापन अभियानों का उपयोग करते हैं। त्योहारी सीजन के दौरान, हम यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज और डील्स लॉन्च करते हैं। इसके अलावा, हम टिकट बुक करने, यात्रा का प्रबंधन करने और यात्रा की जानकारी की सुलभता हेतु अपने उपयोगकर्ताओं (यूजर) की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किए गए मोबाइल ऐप को भी बढ़ावा देते हैं। यह एक तरह से बढ़ी हुई सुविधा को प्रदर्शित करता है।

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)

हम ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संचार-संवाद करने, बुकिंग पर अपडेट प्रदान करने, लक्षित प्रचार की पेशकश करने और सर्वेक्षणों के माध्यम से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए ई-मेल मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन फीडबैक प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके हम ग्राहकों की जानकारी इकट्ठा करते हैं और अपनी सेवाओं में निरंतर सुधार करते हैं।

ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम

हमारा आईआरसीटीसी सह-ब्रांडेड कार्यक्रम अक्सर यात्रा करने वाले यात्रियों को छूट और लाभ प्रदान करता है। इससे ग्राहकों की निष्ठा को प्रोत्साहन मिलता है। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी रेल बुकिंग के लिए लॉयल्टी रिवॉर्ड पॉइंट्स का लाभ प्रदान करता है। इसके तहत उन्हें मुफ़्त टिकट की सुविधा भी मिल सकती है। यह संतुष्ट ग्राहकों से ऑनलाइन पॉजिटिव रिव्यू देने का भी आग्रह करता है, जिससे कि संभावित ग्राहकों के लिए भरोसा और विश्वसनीयता बनती है। हमने सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए कई बैंकों के साथ साझेदारी की है, जो स्वदेशी रुपे और वीजा प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है। इस क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य स्वदेशी वित्तीय तकनीक को अपनाने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है। यह पहल आईआरसीटीसी लॉयल्टी प्रोग्राम (एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी और बीओबीकार्ड के साथ सह-ब्रांडेड) को समेकित करती है। इससे हमारे ग्राहक रिवॉर्ड बेनिफिट अर्जित सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। हम जानकारीपूर्ण कंटेंट और शानदार दृश्यों के साथ यात्रा ब्लॉग प्रकाशित करते हैं। साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रेन टिकट में बदलने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहन देते हैं।

अपनी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाना

हम भारत में ट्रेन टिकटिंग में विभिन्न डिजिटल पहलों के साथ बदलाव ला रहे हैं। इसमें सुविधा, सुरक्षा और उपयोग में आसानी जैसी चीजों को प्राथमिकता दी गई है।

आईआरसीटीसी ई-मार्केट प्लेस बिल भुगतान और रिचार्ज संबंधी पहल

भारतीय उपभोक्ता के लिए विभिन्न दैनिक सेवाओं हेतु ऑनलाइन भुगतान सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक बन गया है। आईआरसीटीसी में, हमारे पास बड़ा उपयोगकर्ता आधार है। इसके माध्यम से हम पर्यटन, खानपान, हवाई टिकट, बस टिकट, होटल बुकिंग, रिटायरिंग रूम बुकिंग और अन्य विविध सेवाएं प्रदान करते हैं। हम ई-टिकटिंग सेवाओं के लिए अपने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को बेहतर बनाकर ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं। हम ई-टिकटिंग के दूरगामी महत्त्व को पहचानते हैं और अधिक बेहतर अनुभव का अवसर सृजित करने के लिए अतिरिक्त सेवाओं को एकीकृत करने की योजना बना रहे हैं। अपने मौजूदा प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट की सफलता के आधार पर, हम अपने ई-मार्केटप्लेस बिल भुगतान और रिचार्ज को पेश करने के लिए तैयार हैं। इस नई पहल का उद्देश्य ग्राहकों को उपयोगिता (यूटिलिटी) बिलों के लिए डिजिटल भुगतान विकल्प और एक निर्बाध ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव प्रदान करना है।

व्यापक भुगतान समाधान

प्रत्येक भुगतान विकल्प को व्यक्तिगत रूप से एकीकृत करने की जटिल और समय लेने वाली प्रकृति एवं असफल लेन-देन रिफंड/विलंबित रद्दीकरण रिफंड मामलों में वृद्धि ने हमें एक व्यापक और भविष्य के एकल-बिंदु भुगतान समाधान तलाशने के लिए प्रेरित किया है। वह एक सुरक्षात्मक कवर के रूप में काम करेगा, जिससे क्रिस (सीआरआईएस) और अन्य भुगतान गेटवे के साथ सहज एकीकरण की सुविधा होगी।

सुव्यवस्थित एकीकरण से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड) पर किए गए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है। इससे विफल लेनदेन रिफंड और विलंबित रद्दीकरण रिफंड से संबंधित समस्याओं का कुशलतापूर्वक समाधान किया जा सके।

प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (अवधारणा के प्रमाण-पीओसी) के असाधारण परिणाम मिले हैं। आईआरसीटीसी के भुगतान के इतिहास में यह सचमुच अभूतपूर्व हैं।

इसके पायलट रन के प्रदर्शन को भी आशाजनक परिणामों के लिए व्यापक रूप से सराहा गया है। हम निरंतर सहज ई-टिकट बुकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए अपने प्लेटफ़ॉर्म में ऐसी अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करने के लिए तत्पर हैं।

ट्रेनें एक नजर में (टीएजी)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर उल्लेखनीय बदलाव देखा है, जो कि 2,540 प्रतियों के वितरण और 4,549 डिजिटल ई-बुक सब्सक्राइबरों / ग्राहकों के जुड़ने से स्पष्ट है। इसने हमें अक्टूबर 2023 में 'ट्रेन एट ए ग्लांस' (टीएजी) यानि 'ट्रेनें एक नजर में' के 44वें संस्करण को प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। इस परियोजना ने रेल यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की और डिजिटल संसाधनों की बढ़ती सर्वसुलभता को रेखांकित किया। यह डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करने के व्यापक उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए रेल यात्रियों के लिए पहुंच और सुविधा को बढ़ा रहा है।

पर्यावरण

अपशिष्ट प्रबंधन

हमने प्लास्टिक और पैकेजिंग कचरे के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। इस्तेमाल की गई रेल नीर की बोतलों को आईआरसीटीसी नेटवर्क में निर्दिष्ट बिंदुओं पर एकत्रित किया जाता है। फिर उन्हें पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए अधिकृत विक्रेताओं को भेज दिया जाता है। इसके अलावा, हमने स्टेशनों और सुविधा केंद्रों पर दो कूड़ेदान वाली अपशिष्ट पृथक्करण प्रणाली स्थापित की है। यह सुनिश्चित करते हुए कि नगर निगम द्वारा निपटान के लिए विभिन्न श्रेणियों के कचरे को ठीक से अलग किया जाए।

10,229 एमटी
अपशिष्ट उत्पन्न हुआ

7,320 एमटी
अपशिष्ट को पुनर्चक्रित किया गया

जैव विविधता

स्वतंत्रता दिवस (आज़ादी का अमृत महोत्सव) के देशव्यापी समारोह के हिस्से के रूप में, हमने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। हमारे सीएमडी, आईआरसीटीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पहल के उद्घाटन दिवस पर उपस्थित रहे। अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, हमने अभियान के दौरान विभिन्न किस्मों के पौधे लगाए। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तर रेलवे इको पार्क में हुआ। इस गतिविधि के माध्यम से, हमारा उद्देश्य अपने बच्चों में उपयुक्त मूल्यों और संस्कृति की भावना पैदा करना है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल और हरित भविष्य में योगदान देना है।

310
सौर लाइटें स्थापित की गईं

सामाजिक

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्त्व (सीएसआर)

एक व्यापक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्त्व और संधारणीयता नीति को लागू करके हम आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहते हैं। हमारे मिशन के अनुरूप, हमारी सीएसआर पहल, हमारी सीएसआर नीति में व्यक्त निम्नलिखित प्रमुख मूल्यों को बनाए रखने के लिए तैयार की गई हैं।

सीएसआर विजन

आईआरसीटीसी में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्त्व संबंधी गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित लोगों के जीवन में बदलाव लाना। साथ ही, समय के साथ एक संपोषी, समावेशी विकासात्मक बदलाव की दिशा में काम करने में अग्रणी बने रहना।

सीएसआर मिशन

आईआरसीटीसी में हमारा लक्ष्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की अनुसूची के तहत शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित करना है। अपनी सीएसआर एवं संधारणीय पहलों के माध्यम से, हम अपने हितधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए मूल्य सृजन करने का प्रयास करते हैं।

₹16.64 करोड़
सीएसआर व्यय

सीएसआर समिति की सिफारिशों के बाद हमने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित नीति के साथ-साथ एक मजबूत सीएसआर ढांचा विकसित किया है। यह ढांचा दो-स्तरीय प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है-

स्तर-I
इसमें एक बोर्ड स्तरीय समिति शामिल है

स्तर-II
इसमें बोर्ड स्तर से नीचे की एक समिति है। उसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी (जीजीएम) शामिल हैं, जो सीएसआर कार्यों के निष्पादन में स्तर-I की समिति को सहयोग प्रदान करते हैं।

सुविचारित सीएसआर पहलों को अपनाकर, हमारा उद्देश्य सामुदायिक सद्भावना को बढ़ावा देना तथा निवेशकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, व्यापार भागीदारों, नागरिक समाज समूहों और सरकारी संस्थाओं सहित हमारे सभी हितधारकों के बीच सकारात्मक, सामाजिक रूप से उत्तरदायी कॉरपोरेट छवि बनाना है।

हमारे सीएसआर कार्यक्रम मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्गों की जरूरतों को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं। हमने अपने सीएसआर बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने परिचालन से जुड़े क्षेत्रों में, खासकर उन राज्यों में जहां हम अपने व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं, वहाँ सरकार द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के विकास के लिए आवंटित किया है। हमारी सीएसआर पहलों का उद्देश्य सकारात्मक और टिकाऊ परिणाम प्राप्त करना है जो समय के साथ स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा दें।

पर्यावरण संरक्षण

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

मुख्य फोकस क्षेत्र

स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता

शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि

सामुदायिक विकास

हमारी उपलब्धियां

वर्ल्ड ट्रैवल अवाड्र्स ने महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन को एशिया की अग्रणी लक्जरी ट्रेन अवार्ड 2023 प्रदान किया

यात्रियों से मिली जानकारी : ट्रेन यात्रा के अनुभवों को बेहतर बनाना

Post

Bhavna Bajaj @BajajBhavnaa · Follow

Appreciation Tweet for @Irctc #Irctc #VandeBharat special #RagiLaddoo Not just promote #Millet #JustDoIt @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw

16:37 · 12 Mar 23 · 173 Views

4 Likes

Tripti Singh

#IRCTC @IRCTCofficial thank you for the hygienic meal

@AshwiniVaishnaw

IRCTC @IRCTCofficial · 23 Jun

Hearing from #IRCTC passenger makes our Day. Thank you Mr. Himanshu Gupta

#HappyPassenger #VandeBharat #Traveller

subhash laddha @s9829827077

@IRCTCofficial pnr no 2203700620, coach C2, seat no29, train no.20979.

it's been a very fantastic journey today from Bhilwara to jaipur in vande bharat train, good food, service and staff is well behaved .thank you irctc

1:50 PM · Oct 16, 2023 · 33 Views

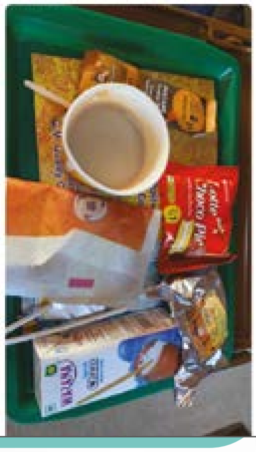

प्रवीण महेश्वरी @Maheshwari... · 12 Apr 23

@IRCTCofficial @RailMinIndia @AshwiniVaishnaw Hello IRCTC Team, I have travelled 12285 on 9 Apr 2023 from Secunderabad to Balharshah. This was indeed the first time I have seen and enjoyed a very good quality food, both lunch and evening Snacks. It was amazingly good.

1 · 29

Post

Shivam @sushi_yam

@IRCTCofficial

Vande Bharat express from Nagpur to Indore and vice a versa is very good, good work IRCTC and the guys maintaining the train Especially the executive class. Feels like luxury.

Good food. Good staff. Everything good.

Kudos @IRCTCofficial

2:02 PM · Nov 17, 2023 · 94 Views

Sandeep Kumar @KumarSa... · 18 Oct 23

Hello everyone , this is Sandeep Kumar traveling in Tejas express 82901 train as on date 18- 10- 2023 ,the food served by IRCTC person (Gayathri) all the food was fresh & delicious good job by IRCTC i wish all the best !

9

निदेशक मंडल की प्रोफाइल

(31 मार्च 2024 तक)

01

श्री संजय कुमार जैन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

02

श्री अजीत कुमार

निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

03

डॉ. लोकैया रविकुमार

निदेशक (खानपान सेवाएं)

04

श्री राहुल हिमालियन

निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)

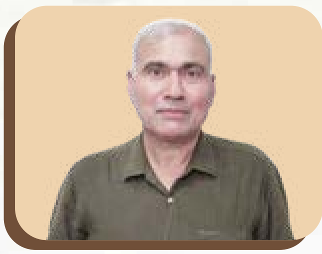

05

श्री नीरज शर्मा

सरकार द्वारा नामित निदेशक

06

श्री मनोज कुमार गांगेय

सरकार द्वारा नामित निदेशक

07

श्री विनय कुमार शर्मा

स्वतंत्र निदेशक

08

श्री नामग्याल वांगचुक

स्वतंत्र निदेशक

09

श्री देवेन्द्र पाल भारती

स्वतंत्र निदेशक

01

श्री संजय कुमार जैन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(10 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक अतिरिक्त प्रभार और 14 फरवरी 2024 से नियमित पदभार)

श्री संजय कुमार जैन 1990 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के अधिकारी हैं। उत्तर रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के रूप में, उन्हें रेल मंत्रालय (भारत सरकार) की पत्र संख्या 2016/ई(ओ)/40/11 दिनांक 09 जनवरी, 2024 के माध्यम से आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। उन्होंने 10 जनवरी, 2024 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया।

रेल मंत्रालय (भारत सरकार) ने अपनी पत्र संख्या 2019/ई(ओ)/40/18 दिनांक 08 फरवरी, 2024 के माध्यम से श्री संजय कुमार जैन (डीआईएन: 09629741), आईआरटीएस, पीसीसीएम/उत्तर रेलवे को आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31.12.2026 तक या अगले आदेश, जो पहले हो, तक के लिए होगी। तदनुसार, उन्होंने 14 फरवरी, 2024 से नियमित आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है।

एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) श्री जैन का करियर नीति निर्माण, वाणिज्यिक उपक्रमों और भारत सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के विकासात्मक उपक्रमों में नेतृत्वकारी भूमिकाओं से परिपूर्ण रहा है। उनके पास रेल मंत्रालय, पीएसयू और सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में महत्त्वपूर्ण विभागों को संभालने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। उनकी महत्त्वपूर्ण नेतृत्व भूमिकाओं में आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र), मुंबई मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक, सार्वजनिक उद्यम विभाग में संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम लिमिटेड के अंशकालिक अध्यक्ष और सीईओ का दायित्त्व शामिल हैं।

आईआरसीटीसी के समूह महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र) के रूप में उन्होंने अनूठी मार्केटिंग पहलों के माध्यम से सर्वसुविधायुक्त ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस को एक नया आयाम देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट लाउंज की तर्ज पर भारत के पहले एग्जीक्यूटिव लाउंज शुरू करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल के दौरान जन आहार नई दिल्ली के लिए विकसित वित्तीय और परिचालन मॉडल का बाद में आईआरसीटीसी में अनुकरण किया गया। उनके नेतृत्त्व के दौरान, आईआरसीटीसी उत्तरी क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय में 5 वर्षों की अवधि में 35 गुना वृद्धि हुई।

मुंबई के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लगभग 30,000 जनशक्ति का नेतृत्त्व किया, जो लगभग 40 लाख यात्रियों को दैनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे बड़े उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का संचालन करती है। स्वच्छता मिशन को सफल बनाने के लिए विभिन्न पहल की गईं, जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित स्वच्छता स्थान का पुरस्कार दिया गया। उन्हें 2019 में एक प्रमुख औद्योगिक घराने और मुंबई के एक प्रसिद्ध गैर-सरकारी संगठन के सहयोग से मुंबई बायकुला रेलवे स्टेशन के प्रतिष्ठित विरासत संरक्षण की पहल करने का सौभाग्य मिला। इस स्टेशन ने 2023 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृति विरासत पुरस्कार जीता। उन्होंने मुंबई के माटुंगा में पहले महिला संचालित रेलवे स्टेशन के परिचालन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। इसके लिए स्टेशन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया। उनके कार्यकाल के दौरान एक और उल्लेखनीय प्रयास था, 'मक स्पेशल' ट्रेन जो मुंबई में रेलवे लाइनों के किनारे की बस्तियों से कचरा उठाने के लिए समर्पित थी। इसके अलावा यात्री सुविधाओं और पर्यावरणीय संधारणीयता से संबंधित बड़ी संख्या में परियोजनाएं रिकॉर्ड समय में पूरी की गईं। उनके योगदान को रेल मंत्रालय द्वारा भी सराहा गया है। उन्हें 1999 में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (दानापुर) और 2019 में मंडल रेल प्रबंधक/मुंबई सीएसएमटी मध्य रेलवे के रूप में उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे के सर्वोच्च 'रेल मंत्री पुरस्कार' से दो बार सम्मानित किया गया है। एक चिंतक, श्री जैन ने हमेशा अपनी टीम के सदस्यों की पहल को प्रोत्साहन दिया है और अपने अनुभव एवं दूरंदेशी विजन के माध्यम से उनका समर्थन किया है। उनका करियर उनके बहुमुखी नेतृत्त्व, तकनीकी कौशल और प्रणाली के विकास और दक्षता के प्रति समर्पण का प्रमाण है।

02

श्री अजीत कुमार

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

श्री अजीत कुमार 1989 बैच के इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस (आईआरएएस) के अधिकारी हैं। वे 29 मई, 2020 से आईआरसीटीसी से जुड़े हैं। उन्हें रेलवे के विभिन्न संगठनों के साथ-साथ बाहरी निकायों में भी काम करने का व्यापक अनुभव है। मंडल और मुख्यालय के अलावा, उन्होंने डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप (डीएलडब्ल्यू), रेलवे विद्युतीकरण, आईआरपीएमयू में काम किया है। श्री अजीत कुमार ने एनडीएमसी में निदेशक/वित्त लेखा के रूप में कार्य किया है। वह सदस्य वित्त/रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) के बोर्ड सदस्य भी रहे हैं। कानूनी पृष्ठभूमि से होने के नाते, उन्होंने निविदा और अनुबंधों के दस्तावेजीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमि का निभाई। उत्तर रेलवे में वह वाणिज्यिक विभाग के कैटरिंग ठेके और अर्जन संबंधी निविदाओं का दायित्त्व भी संभालते थे। आईआरसीटीसी के निदेशक/वित्त का कार्यभार संभालने से पहले, वह रेल मंत्रालय (आईआरओएएफ) के तहत वैकल्पिक ईंधन के लिए भारतीय रेलवे संगठन में वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (एफए एंड सीएओ) के रूप में पदास्थापित थे।

उन्हें आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है, जो आईआरसीटीसी लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्त्व वाली उसकी सहायक कंपनी है।

03

डॉ. लोकैया रविकुमार

निदेशक (खानपान सेवाएं)

डॉ. लोकैया रविकुमार ने 11 फरवरी 2023 से आईआरसीटीसी के निदेशक (खानपान सेवाएं) का पदभार ग्रहण किया है।

डॉ. लोकैया रविकुमार के पास आतिथ्य उद्योग में कार्य करने का 38 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। इसमें व्यवसाय संचालन और प्रबंधन में गहरी जानकारी के साथ खानपान और पर्यटन व्यवसाय शामिल हैं। वह एक प्रख्यात विद्वान हैं और उन्होंने चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से होटल मैनेजमेंट तथा खान-पान प्रौद्योगिकी में अर्हता प्राप्त की है। पर्यटन में स्नातकोत्तर भी हैं। साथ ही उन्होंने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय से पर्यटन में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ताज ग्रुप ऑफ़ होटल्स से की थी। इसके बाद वे तमिलनाडु सरकार के राज्य पर्यटन विकास निगम में भी कार्यरत रहे। फिर, उन्होंने 1990-2005 (16 वर्ष) तक भारतीय रेलवे में सेवाएं दीं और 2006 के दौरान आईआरसीटीसी में आ गए। यहाँ पिछले 18 वर्षों से विभिन्न पदों पर काम किया। आईआरसीटीसी में अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों, क्षेत्रल कार्यालयों और कॉरपोरेट कार्यालय में कार्य किया है। इस अवधि के दौरान, उन्होंने खानपान, पर्यटन में उप महाप्रबंधक, संयुक्त महाप्रबंधक, अतिरिक्त महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के रूप में काम किया है। साथ ही संचालन, प्रशासन, विपणन, उत्पाद विकास और अनुबंध प्रबंधन के क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल की है।

04

श्री राहुल हिमालियन

निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)
16 फरवरी 2024 से प्रभावी

रेलवे बोर्ड के 16 फरवरी, 2024 के पत्र के अनुसार, श्री राहुल हिमालियन ने 16 फरवरी, 2024 से आईआरसीटीसी के निदेशक (पर्यटन और विपणन) का पदभार ग्रहण किया है। वह आईआरसीटीसी के यात्रा, पर्यटन और आईटी व्यवसाय का नेतृत्त्व कर रहे हैं।

श्री राहुल हिमालियन 1999 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं। वह लॉरेंस स्कूल सनावर के छात्र हैं, जहां वो हैडब्वाय थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड छात्र चुना गया था। उन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की। वहाँ उन्होंने 10.00 संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत और सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड छात्र के लिए राष्ट्रपति स्वर्ण पदक का विशिष्ट गौरव हासिल किया। एक प्रतिष्ठित यातायात सेवा अधिकारी होने के नाते, उन्होंने पश्चिम रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे में परिचालन और वाणिज्यिक पदों पर कार्य किया है, वह इससे पहले आईआरसीटीसी में दो बार प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं- पहले पांच साल के लिए पर्यटन में अतिरिक्त महाप्रबंधक के रूप में और फिर आईआरसीटीसी, मुंबई में पश्चिम क्षेत्र के समूह महाप्रबंधक के रूप में। उनके शौक में रचनात्मक लेखन, वायलिन बजाना, स्कैश खेलना और क्लोजअप मैजिक का प्रदर्शन करना शामिल है।

05

श्री नीरज शर्मा

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री नीरज शर्मा, कार्यकारी निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग (यात्री विपणन)), रेलवे बोर्ड हमारी कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं। वह 12 जुलाई, 2018 से हमारी कंपनी के बोर्ड में हैं। वह 1991 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के अधिकारी हैं। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नैनीताल से स्नातकोत्तर और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली से पीएचडी की हैं। भारतीय रेलवे के साथ 25 से अधिक वर्षों के अपने सहयोग के दौरान, उन्होंने आईआरआईटीएम (भारतीय रेलवे परिवहन प्रबंधन संस्थान), लखनऊ में सहायक परिचालन प्रबंधक, मंडल परिचालन प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल परिचालन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रोफेसर प्रशासन, आपदा प्रबंधन समेत पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर रेलवे में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। साथ ही उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी और उत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) के पदों पर भी कार्य किया है। उनकी उपलब्धियों के लिए, उन्हें भारतीय रेलवे में सर्वोच्च सम्मान, 'रेल मंत्री पुरस्कार' से दो बार सम्मानित किया जा चुका है।

06

श्री मनोज कुमार गांगेय

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री मनोज कुमार गांगेय को 21 सितंबर, 2022 से कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री मनोज कुमार गांगेय वर्तमान में रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक (योजना) के पद पर कार्यरत हैं। वह 1999 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) अधिकारी हैं। वह आईआईटी दिल्ली (बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी) से स्नातक हैं। उन्होंने आईआईएम लखनऊ से 'कार्यकारी प्रबंधन', सीईपीटी विश्वविद्यालय से 'शहरी परिवहन', एमआईटी (माइक्रो-मास्टर प्रोग्राम ऑनलाइन) से 'डेटा, अर्थशास्त्र और विकास नीति', 'रेलवे वित्तपोषण', 'वैश्विक ऊर्जा और जलवायु नीति' आदि में पेशेवर प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं।

उन्हें नीति आयोग सहित कई मंत्रालयों में सार्वजनिक सेवा में लगभग 22 वर्षों का अनुभव है। रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (योजना) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, उन्होंने नीति आयोग में निदेशक (अवसंरचना) और मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में काम किया। वह अल्ट्रा-हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए नीति विकास, विमानन अवसंरचना के कार्यक्रमों/परियोजनाओं के मूल्यांकन और

संबंधित नीतिगत मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन (एमओईएफसीसी) में निदेशक के रूप में भी कार्य किया। साथ ही भारतीय प्रतिनिधि के रूप में कई वैश्विक पर्यावरण वार्ताओं/सम्मेलनों में भाग लिया। वह भारत में प्रदूषण की रोकथाम और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कई नीतिगत परिवर्तनों तथा बेसल कन्वेंशन से भी जुड़े हुए हैं।

भारतीय रेलवे में अपने शुरुआती करियर (लगभग 15 वर्ष) में उन्होंने वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में कई प्रमुख पदों पर काम किया। इसमें वाणिज्यिक, परिचालन और सुरक्षा कार्यों का दायित्व संभाला। उन्होंने 'कुंभ मेला, नासिक-2015' के दौरान वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में भी काम किया।

07

श्री विनय कुमार शर्मा

स्वतंत्र निदेशक

श्री विनय कुमार शर्मा 09 नवंबर, 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (डीएवीवी) से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की डिग्री और सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री ली है। उनके पास प्रबंधन, वित्त, बिक्री, विपणन, कॉरपोरेट प्रशासन और योजना के क्षेत्रों में विविध और व्यापक अनुभव है। वह इंडसइंड बैंक (2002-2008) में रीजनल हेड क्रेडिट और आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (2008-2012) में रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर हेड प्रोजेक्ट अकाउंट्स रहे हैं। वह वर्तमान में जैविक खेती के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

08

श्री नामग्याल वांगचुक

स्वतंत्र निदेशक

श्री नामग्याल वांगचुक 12 नवंबर, 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह पेशे से वकील हैं, जिन्हें सिविल/आपराधिक/वैवाहिक/ट्रिब्यूनल/कॉरपोरेट आदि में वकालत के विभिन्न क्षेत्रों में एडवोकेट के रूप में 23 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1991 में कश्मीर विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 1997 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और मार्च 1998 से मार्च 2000 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य रहे हैं। उन्होंने 1998 से 2000 तक केसर दास बी एंड एसोसिएट्स के साथ एक एसोसिएट के रूप में काम किया। उन्होंने अगस्त 2001 से अगस्त 2003 तक मुंसिफ/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में भी कार्य किया। वह भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ वकील के रूप में भी सूचीबद्ध हैं।

09

श्री देवेन्द्र पाल भारती

स्वतंत्र निदेशक

(09 जून 2023 से प्रभावी)

श्री देवेंद्र पाल भारती, 09 जून 2023 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। वर्ष 2004 से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में सदस्य रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एमजेपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की है। श्री देवेंद्र पाल भारती ने संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की टेलीफोन सलाहकार समिति में सलाहकार के रूप में कार्य किया है। उन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 2008 से 2012 तक उत्तर प्रदेश के जिला योजना समिति, राज्य योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया था। वह लगभग 27 वर्षों से सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं।

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)

श्री अजीत कुमार

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

श्रीमती सुमन कालरा

वरिष्ठ प्रबंधन

श्री प्रदीप कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सुनील कुमार
समूह महाप्रबंधक
(इंटरनेट टिकटिंग सेवाएं-2)

श्री गईसिंगम कबुई
समूह महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री संदीप त्रिवेदी
समूह महाप्रबंधक
(एचआरडी एवं राजभाषा)

श्री सुरेश कुमार शर्मा
समूह महाप्रबंधक
(सेवाएं)

श्रीमती प्रमिला गुप्ता
समूह महाप्रबंधक
(पर्यटन)

श्रीमती रश्मि गौतम
समूह महाप्रबंधक
(एससीएस और लीगल/सीओ)

श्री सुदीश वी.सी.
समूह महाप्रबंधक
(इंटरनेट टिकटिंग सेवाएं-1)

श्री संजय प्रियदर्शनम
समूह महाप्रबंधक
(रेल नीर परियोजना)

श्री विनय कुमार पाठक
समूह महाप्रबंधक
(खरीद एवं निविदा)

क्षेत्रीय प्रमुख

श्री मनोज कुमार शर्मा

समूह महाप्रबंधक
(उत्तर क्षेत्र)

श्री जफर आज़म

समूह महाप्रबंधक
(पूर्व क्षेत्र)

श्री पी. राजलिंगम बसु

समूह महाप्रबंधक
(दक्षिण क्षेत्र)

श्री गौरव झा

समूह महाप्रबंधक
(पश्चिम क्षेत्र)

श्री पी. राजकुमार

समूह महाप्रबंधक
(दक्षिण मध्य क्षेत्र)

कॉरपोरेट जानकारी

31 मार्च, 2024 तक

निदेशक मंडल

श्री संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (10 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक अतिरिक्त प्रभार तथा 14 फरवरी 2024 से नियमित पदभार)

श्रीमती सीमा कुमार
पूर्व सदस्य (परिचालन और व्यवसाय विकास), रेलवे बोर्ड और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01 जून 2023 से 09 जनवरी 2024 तक)

श्रीमती रजनी हसीजा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (31 मई 2023 तक)

श्री अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्त अधिकारी

डॉ. लोकैया रविकुमार
निदेशक (खानपान सेवाएं)

श्री राहुल हिमालियन
निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (16 फरवरी 2024 से)

श्री कमलेश कुमार मिश्र
कार्यकारी निदेशक (बीडी), रेलवे बोर्ड और निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (अतिरिक्त प्रभार) (01 जून, 2023 से 16 फरवरी, 2024 तक)

श्री नीरज शर्मा
कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, सरकार नामित निदेशक

श्री मनोज कुमार गांगेय
कार्यकारी निदेशक (योजना), रेलवे बोर्ड, सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री विनय कुमार शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्री नामग्याल वांगचुक
स्वतंत्र निदेशक

श्री देवेन्द्र पाल भारती
स्वतंत्र निदेशक (09 जून 2023 से)

आंतरिक लेखा परीक्षक
मेसर्स एस.के. मिश्रा और गुजराती चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई दिल्ली-110001

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स एच.एम.वी.एन एंड एसोसिएट्स 31, कम्युनिटी सेंटर, अशोक विहार, फेज-I, दिल्ली-110052

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव
121, विनायक अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर: सी-58/19, सेक्टर-62, नोएडा-201309 (यूपी)

पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय
बी-148, 11वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001

इंटरनेट टिकटिंग
इंटरनेट टिकटिंग केंद्र आईआरसीटीसी, आईआरसीए बिल्डिंग, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-110055

पर्यटन कार्यालय
एम-13, पुंज हाउस, ब्लॉक -एम, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

रेल नीर संयंत्र, नांगलोई
उत्तर रेलवे वायरलेस स्टेशन एरिया, नांगलोई बस डिपो के सामने, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली- 110041

रेल नीर संयंत्र, दानापुर
लोको कॉलोनी, साउथ आर.पी.एफ बैरक, खगौल, दानापुर, पटना- 801105 (बिहार)

रेल नीर संयंत्र, पालुर
पालुर रेलवे स्टेशन ग्राम और पोस्ट पालुर तालुक- चेंगलपट्टू, जिला- कांचीपुरम (तमिलनाडु) - 603101

रेल नीर संयंत्र, अंबरनाथ
जीआईपी डैम, एडीशनल एमआईडीसी के निकट, पोस्ट आनंद नगर, अंबरनाथ (पूर्व), जिला-ठाणे, महाराष्ट्र 421506

रेल नीर संयंत्र, अमेठी
प्लॉट नं. सी 11 एवं 12, यूपीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, टकरिया गौरीगंज, जिला-अमेठी (उ.प्र.)

रेल नीर संयंत्र, पारस्सला
रेलवे यार्ड, पारस्सला रेलवे स्टेशन के निकट, केरल -695502

रेल नीर संयंत्र, बिलासपुर
प्लॉट नं. 22/23, सेक्टर-बी, सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़- 495004

रेल नीर संयंत्र, हापुड़
आई-2, फेज-III, औद्योगिक क्षेत्र, मसूरी गुलावठी रोड, हापुड़ (उ.प्र.)

रेल नीर संयंत्र, नागपुर
डी-53, एमआईडीसी बूटी बोरी औद्योगिक क्षेत्र, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

रेल नीर संयंत्र, संकरेल
एफपी 3/8 फूड पार्क, फेज-III, संकरेल (पश्चिम बंगाल)

रेल नीर संयंत्र, भोपाल
प्लॉट नं. 01, वेयरहाउसिंग परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप, फेज-II, जिला रायसेन (म.प्र.)

रेल नीर संयंत्र, जागी रोड
उत्तर खोला मौजा के अंतर्गत ग्राम बोरखल, अमलीघाट, जिला-मोरीगांव, गुवाहाटी (असम)

रेल नीर संयंत्र, साणंद-II, अहमदाबाद
प्लॉट नं. 668, सानन-II, औद्योगिक क्षेत्र, अहमदाबाद, गुजरात

रेल नीर संयंत्र, जबलपुर
प्लॉट नं. 11, सेक्टर-ई, आईजीसी मनेरी, जिला मंडला (जबलपुर) मध्य प्रदेश

रेल नीर संयंत्र, उना
संयंत्र नं.- 5ए (1), औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर, जिला-उना (हिमाचल प्रदेश)

रेल नीर संयंत्र, भुसावल
प्लॉट नं. - एफ-20, भुसावल औद्योगिक क्षेत्र, भुसावल, जिला- जलगांव (महाराष्ट्र)

रेल नीर संयंत्र, कोटा
प्लॉट नं.- ई-270 एंड ई-271, औद्योगिक क्षेत्र कुबेर (एक्सटेंशन) रणपुर, कोटा (राजस्थान)

रेल नीर संयंत्र, भुवनेश्वर
संयंत्र नं.- 13 (पी) एंड 14 (पी), छताबर औद्योगिक क्षेत्र, भुवनेश्वर-752011

रेल नीर संयंत्र, सिम्हाद्री
एनटीपीसी परिसर, चिपुरुपल्ली विलेज रोड, रावडा, परवाडा, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर क्षेत्र
रेल यात्री निवास, भूतल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट साइड, नई दिल्ली - 110002

पूर्व क्षेत्र
पुराना कोयलाघाट भवन (भूतल),
3 कोयलाघाट स्ट्रीट, कोलकाता - 700 001

पश्चिम क्षेत्र
द्वितीय तल, नया प्रशासनिक भवन, मध्य रेलवे, सीएसटी, मुंबई - 400001

दक्षिण क्षेत्र
6ए, द रेन ट्री प्लेस, 9, मैक निकोलस रोड, चेटपेट, चेन्नई - 600031।

दक्षिण मध्य क्षेत्र
9-1-129/1/102, प्रथम तल, ऑक्सफोर्ड प्लाजा, सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद, तेलंगाना 500003

पूरक जानकारी

मुख्य वित्त अधिकारी
श्री अजीत कुमार

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
श्रीमती सुमन कालरा

सांविधिक लेखा परीक्षक
एन. के. भार्गव एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट (पंजीकरण नं. 000429एन)
सी-1, प्रथम तल, आचार्य निकेतन, फेज-1, मयूर विहार, नई दिल्ली-110091

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
केनरा बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक
आईडीबीआई बैंक
एक्सिस बैंक
यस बैंक
यूको बैंक
इंडसइंड बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
फेडरल बैंक
कर्नाटक बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
करूर वैश्य बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
आरबीएल बैंक
साउथ इंडियन बैंक
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक
पंजाब एंड सिंध बैंक

पंजीयक एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट
अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड

पता: 4ई/2, अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली-110055

ई-मेल आईडी: rta@alankit.com

फोन नं. : 011-42541234

सूचीबद्ध शेयर:

स्टॉक एक्सचेंज	स्क्रिप कोड
बीएसई लिमिटेड	542830
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	आईआरसीटीसी

डिपॉजिटरी :

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)

सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)

आईएसआईएन नं.: INE335Y01020

वेबसाइट: www.irctc.com

ई-मेल आईडी: investors@irctc.com

दस वर्षों की वित्तीय झलकियां

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	कुल आय	1,141.21	1,523.41	1,598.71	1,544.75	1,958.94	2,342.41	861.64	1,954.48	3,661.90	4,434.66
2	व्यय (स्टॉक में वृद्धि/कमी सहित)	906.76	1,193.58	1,242.31	1,184.45	1,486.78	1,563.98	588.90	1,005.06	2,265.25	2,803.98
3	परिचालन मार्जिन	234.45	329.82	356.40	360.30	472.16	778.44	272.74	949.42	1,396.65	1,630.68
4	ब्याज व्यय	-	1.81	2.54	2.91	2.35	9.76	8.27	11.05	16.11	18.64
5	मूल्यह्रास	20.42	21.22	22.41	23.66	28.64	40.21	46.35	48.99	53.73	57.22
6	कर पूर्व लाभ	214.03	306.79	331.45	338.98	478.56	729.58	257.51	885.38	1,354.01	1,496.28
7	कर पश्चात् लाभ	130.63	197.30	214.69	219.52	308.56	513.11	187.03	659.55	1,005.88	1,111.26
8	घोषित लाभांश	26.13	75.45	84.68	88.81	122.37	200.00	80.00	280.00	440.00	520.00
9	ईपीएस*	65.31	49.32	52.93	13.72	19.12	32.07	2.34	8.24	12.57	13.89
10	सामान्य आरक्षण को अंतरण	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
11	आरक्षण व अधिशेष	424.25	680.57	738.34	905.37	911.02	1,153.82	1,295.81	1,710.31	2,318.40	3,069.97
12	अचल परिसंपत्तियां(सकल ब्लॉक)	276.84	310.69	337.62	336.63	356.35	380.96	450.32	438.91	484.21	515.22
13	मालसूचियां	9.54	8.26	6.58	7.41	7.89	9.76	6.54	7.93	9.61	10.97
14	विदेशी मुद्रा विनिमय आय	21.89	35.23	47.51	37.59	33.54	43.32	9.85	19.37	27.37	36.06
15	शेयर पूंजी	20.00	20.00	40.00	40.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00
16	नियोजित पूंजी	444.25	700.57	778.34	945.37	1,071.02	1,313.82	1,455.81	1,870.31	2,478.40	3,229.97
17	निवल मालियत	444.25	700.57	778.34	945.37	1,071.02	1,313.82	1,455.81	1,870.31	2,478.40	3,229.97
18	नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ (% में)	48.18	43.79	42.58	35.86	44.68	55.53	17.69	47.34	54.63	46.33
19	नियोजित पूंजी पर परिचालन मार्जिन (% में)	52.77	47.08	45.79	38.11	44.09	59.25	18.73	50.76	56.35	50.49
20	शेयर पूंजी पर कर पश्चात लाभ (% में)	653.15	986.48	536.73	548.80	192.85	320.69	116.89	412.22	628.68	694.54
21	आय पर व्यय (% में)	79.46	78.35	77.71	76.68	75.90	66.77	68.35	51.42	61.86	63.23
22	कर्मचारियों की सं.	1,511	1,483	1,494	1,464	1,509	1,446	1,417	1,408	1,562	1,770
23	प्रति कर्मचारी आय	0.76	1.03	1.07	1.06	1.30	1.62	0.61	1.39	2.34	2.51
24	प्रति कर्मचारी विदेशी मुद्रा अर्जन	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02
25	वर्तमान अनुपात	1.55	1.96	1.80	1.60	1.55	1.61	1.76	1.88	1.82	1.95
26	निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	बाज़ार का पूंजीकरण**	-	-	-	-	-	15,718.40	28,099.20	61,968.00	45,840.00	74,396.00

* वित्त वर्ष 2020-21 तक शेयर का अंकित मूल्य रु. 10 प्रति शेयर था, उसके बाद रु. 2/- प्रति शेयर था।

** आईआरसीटीसी 14.10.20219 से बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध है।

नोट:-आंकड़े 2016-17 के बाद से भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस) वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

हमें इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद 'आईआरसीटीसी' या 'कंपनी' कहा गया है) के व्यवसाय और परिचालन पर 25वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2024 (वित्तीय वर्ष 2024) को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इसके लेखापरीक्षित विवरण, साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। इस रिपोर्ट में कंपनी के विस्तृत वित्तीय और परिचालन संबंधी कार्य-निष्पादन का विवरण दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 24 के लिए प्रमुख कार्य-निष्पादन विवरण –

- खानपान, रेल नीर, पर्यटन और इंटरनेट टिकटिंग व्यवसाय से 4,270.18 करोड़ रु. का अब तक का सर्वाधिक परिचालन राजस्व।
- 1,111.26 करोड़ रु. का अब तक का सर्वाधिक पीएटी।
- 1250 से अधिक रेलगाड़ियों में खानपान सेवाएं प्रदान की गईं तथा प्रतिदिन 16 लाख से अधिक भोजन परोसा गया।
- वित्तीय वर्ष 24 में फूड एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग करते हुए ई-कैटरिंग के लेनदेन का मूल्य 250 करोड़ रु. से अधिक हुआ।
- रेल मंत्रालय के तत्वावधान में, आईआरसीटीसी ने 181 भारत गौरव ट्रेन टूर संचालित किए और वित्तीय वर्ष 24 में 1.17 लाख पर्यटकों को सेवाएं प्रदान कीं।
- 337 आस्था रेलगाड़ियों में 5.48 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान की गईं।
- वित्तीय वर्ष 24 में प्रतिदिन अब तक का सर्वाधिक औसत 12.38 लाख रेल ई-टिकट जारी किया गया।
- भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय के लिए आईआरसीटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड की स्थापना।

वित्तीय कार्य-निष्पादन अवलोकन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का संक्षिप्त वित्तीय कार्य-निष्पादन और वित्तीय वर्ष 2022-23 का संबंधित कार्य-निष्पादन नीचे उल्लिखित है-

राशि (रु करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	% वृद्धि / कमी
परिचालनों से राजस्व	4,270.18	3,541.47	20.58
कुल आय	**4,434.66**	**3,661.90**	**21.10**
ईबीआईटीडीए (असाधारण मदों, वित्त लागत, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले लाभ)	1,630.68	1,396.65	16.76
मूल्यह्रास	57.22	53.73	6.50
कर पूर्व लाभ और असाधारण मदें	1,554.81	1,326.81	17.18
कर पूर्व लाभ	**1,496.28**	**1,354.01**	**10.51**
कर का प्रावधान	385.03	348.13	10.60
कर पश्चात् लाभ	**1,111.26**	**1,005.88**	**10.48**
अंतरिम लाभांश	200.00	280.00	-28.57
अंतिम लाभांश	320.00	160.00	100.00
सामान्य आरक्षण	35	35	0
आरक्षण व अधिशेष	3,069.97	2,318.40	32.42
निवल मालियत	3,229.97	2,478.40	30.32
प्रति शेयर अर्जन (रु.)	13.89	12.57	10.50

- **पूंजी संरचना**

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 250 करोड़ रु. थी जिसमें 2/- रु. प्रत्येक के 125 करोड़ इक्विटी शेयर और कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 160 करोड़ रु. थी जिसमें 2/- रु. प्रत्येक के 80 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने कोई शेयर जारी नहीं किया।

शेयरों के डीमैटीरियलाइजेशन, डीमैट उचंत खाता/अदावी उचंत खाते का विवरण कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

- **भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता (पीओआई)**

भारत के राष्ट्रपति (पीओआई) कंपनी में 2/- रु. प्रत्येक अंकित मूल्य के 49,91,72,170 इक्विटी शेयर (अर्थात कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 62.40%) धारित करते हैं।

- **लाभांश**

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4/- रु. प्रति शेयर (यानी, चुकता शेयर पूंजी पर 200%) यानी 320 करोड़ रु. का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है जो आगामी एजीएम में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह अंतिम लाभांश, नवंबर 2023 के महीने में निदेशक मंडल द्वारा घोषित 2.50 रु. प्रति शेयर (यानी, चुकता शेयर पूंजी का 125%) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है, जो दिसंबर 2023 में शेयरधारकों को पहले ही अदा किया जाचुका है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश 520 करोड़ रु. (अर्थात चुकता शेयर पूंजी पर 325%) होगा, जो 2023-24 के लिए कर-पश्चात लाभ का 46.79% और 31 मार्च 2024 तक निवल मालियत का 16.10% बनता है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष के लिए अदा किया जाने वाला न्यूनतम लाभांश निवल मूल्य का कम से कम 5% या कर के बाद लाभ का 30%, इनमें से जो भी अधिक हो, होना चाहिए।

कंपनी की लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है -

https://www.irctc.com/assets/images/IRCTCšDIVIDEND%20DISTRIBUTION%20POLICY-š31.07.2019šCB%20Comments%2005.08.2019.pdf

- **अदत्त/अदावी लाभांश**

अदत्त/अदावी लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/iepf.html लिंक पर उपलब्ध है, तथा कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में भी इसका प्रकटन किया गया है।

- **आरक्षित निधि में अंतरण**

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने 35 करोड़ रु. सामान्य आरक्षण निधि में स्थानांतरित किया है।

- **स्टॉक एक्सचेंजों (बीएसई और एनएसई) में आईआरसीटीसी की रैंक**

31 मार्च 2024 को कंपनी के बाजार पूंजीकरण के आधार पर, आपकी कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में 113वें स्थान पर थी।

- **बाजार पूंजीकरण**

कंपनी का बाजार पूंजीकरण (बीएसई) 31 मार्च 2023 को 45,840 करोड़ रु. से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 74,396 करोड़ रु. हो गया।

- **रेल मंत्रालय को राजस्व हिस्सेदारी के माध्यम से कंपनी का योगदान**

कंपनी रेल मंत्रालय (एमओआर) को राजस्व हिस्सेदारी के माध्यम से योगदान देती है और इस तरह के योगदान का कुल हिस्सा वर्ष के दौरान 944.62 करोड़ रु. था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह 704.90 करोड़ रु. था।

रेल मंत्रालय के राजस्व में योगदान में ढुलाई शुल्क, रेलवे का हिस्सा और लाभांश शामिल हैं।

- **कर्मचारी स्टॉक विकल्प**

आपकी कंपनी ने कोई कर्मचारी स्टॉक विकल्प उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 12(9) और नियम 16(4) के तहत ईएसओपी के संबंध में प्रकटीकरण की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

परिचालन कार्य-निष्पादन

2023-24 के दौरान कंपनी का खंडवार परिचालन कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है -

ए. खानपान एवं आतिथ्य -

आईआरसीटीसी का खानपान और आतिथ्य खंड नीचे वर्णित अनुसार विभाजित है -

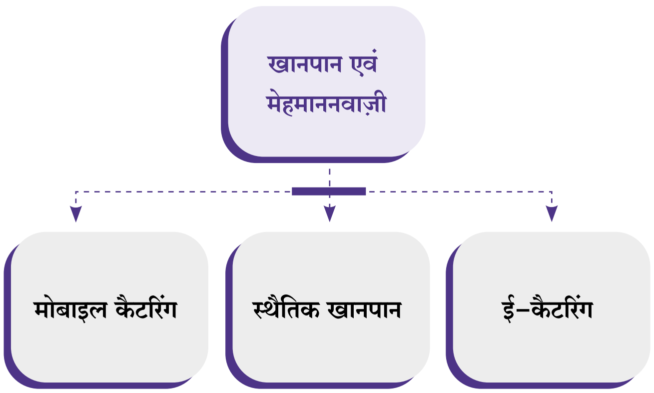

मोबाइल कैटरिंग

मोबाइल कैटरिंग व्यवसाय के अंतर्गत ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवा व्यवस्था के माध्यम से सेवा प्रदान किया जाता जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं –

मोबाइल कैटरिंग

- गतिमान तेजस और वंदे भारत
- राजधानी, शताब्दी और दुरंतो (आरएसडी)
- मेल एक्सप्रेस
- ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी)

मोबाइल कैटरिंग व्यवसाय में ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवा व्यवस्था के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मोबाइल कैटरिंग सेवाएं ट्रेनों में पेंट्री कार/मिनी पैंट्री (ऑन-बोर्ड स्टोरेज, रीहीटिंग और कूलिंग सुविधा के साथ) या जिन ट्रेनों में पेंट्री कार/मिनी पैंट्री नहीं हैं, उनमें ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। ट्रेनों में सेवा के लिए भोजन प्रारंभिक/मार्ग के स्टेशनों से उठाया जाता है और यात्रियों को परोसा जाता है।

31 मार्च, 2024 तक, आईआरसीटीसी ने 1265 ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान कीं।

- **वंदे भारत ट्रेनें –**

  वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेल का गौरव है। 31.03.2024 तक, आईआरसीटीसी ने भारतीय रेल में 51 वंदे भारत ट्रेनों में खानपान सेवाओं का प्रबंधन किया था।

  वंदे भारत ट्रेन के लिए खानपान सेवाओं का मेनू क्षेत्रीय व्यंजनों और यात्रियों की लोकप्रिय मांग के आधार पर तैयार किया जाता है, जिसमें बाजरा के खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं।

- **राजधानी, शताब्दी और दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनें –**

  ये भारतीय रेल की प्रीमियम ट्रेनें हैं। इनके टिकट किराए में खानपान शुल्क शामिल होता है। यात्रा की अवधि और समय के आधार पर, खानपान सेवाओं में सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, हाई टी और रात का खाना शामिल है। इन ट्रेनों की खानपान सेवाओं के लिए शुल्क रेलवे द्वारा नियंत्रित किया जाता है जबकि मेनू क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी द्वारा तय किया जाता है। 31.03.2024 तक, आईआरसीटीसी ने 25 राजधानी एक्सप्रेस, 21 शताब्दी एक्सप्रेस और 18 दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान कीं।

- **गतिमान या तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें –**

  ये भी भारतीय रेलवे की प्रीपेड मॉडल वाली प्रीमियम ट्रेनें हैं। इनके टिकट किराए में खानपान शुल्क शामिल होता है। इन ट्रेनों की खानपान सेवाओं के लिए शुल्क रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है जबकि मेनू क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी द्वारा तय किया जाता है। दिनांक 31.03.2024 तक, आईआरसीटीसी ने 01 गतिमान और 02 तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान कीं।

- **मेल एक्सप्रेस ट्रेनें –**

  ये वे ट्रेनें हैं जहां टिकट के किराए में खानपान शुल्क शामिल नहीं होता है और यात्रियों को भोजन का सामान ट्रेन में ही खरीदना पड़ता है। इन ट्रेनों में वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 60, 2019 के तहत जारी किया गया भोजन मेनू लागू होता है। मेनू आइटम में नाश्ता (शाकाहारी/मांसाहारी), मानक शाकाहारी और मांसाहारी भोजन (अंडा करी और चिकन करी के साथ) शामिल हैं। 31.03.2024 तक, आईआरसीटीसी ने 443 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान कीं।

- **ट्रेन-साइड वेंडिंग –**

  ऐसी बहुत सी ट्रेनें हैं जिनमें पेंट्री कार या मिनी पेंट्री नहीं होती। ऐसी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में आईआरसीटीसी द्वारा ट्रेन साइड वेंडिंग के माध्यम से खानपान सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। इस व्यवस्था में, सेवा प्रदाताओं के लिए भोजन और पेय पदार्थों की व्यवस्था प्रारंभिक और मार्ग के स्टेशनों से की जाती है।

  31 मार्च, 2024 तक आईआरसीटीसी ने 702 ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिंग व्यवस्था (सेक्शनल/एंड टू एंड) के माध्यम से खानपान सेवाएं प्रदान कीं।

- **परिवाद / शिकायतों से निपटने के लिए वॉर रूम –**

  यात्रियों के परिवाद और शिकायतों का वास्तविक समय पर तेज और त्वरित निवारण करने के लिए आईआरसीटीसी के कार्पोरेट कार्यालय में शिकायत और प्रतिपुष्टि प्रबंधन के लिए एक विशेष वॉर रूम स्थापित किया गया है।

  यह वॉर रूम नवीनतम संचार सुविधाओं से सुसज्जित है और इसमें योग्य, कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं। वॉर रूम चौबीसों घंटे, सातों दिन चालू रहता है।

- **गुणता नियंत्रण**

  यात्रियों के लिए भोजन और सेवा की मानक गुणता में सुधार करने के लिए, आईआरसीटीसी ने निम्नलिखित प्रणालियां लागू की हैं।

  - **नियमित और औचक निरीक्षण –**

    आईआरसीटीसी के अधिकारियों द्वारा ट्रेनों और स्टेशनों पर खानपान यूनिटों में समय-समय पर नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, इसके अलावा, आईआरसीटीसी के कार्पोरेट और अंचल कार्यालयों के अधिकारियों और रेलवे द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। इन निरीक्षणों में पाई गई कमियों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, लगभग 11,840 ऑनबोर्ड निगरानी जांच और 9,600 औचक निरीक्षण किए गए।

  - **खाद्य नमूनाकरण –**

    खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कच्चे माल, पके हुए भोजन, रेडी टू ईट (आरटीई) और प्रोप्राइटरी आर्टिकल डिपो (पीएडी) वस्तुओं के खाद्य नमूनों की नियमित रूप से जांच की जा रही है, ताकि एनएबीएल-मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में नियमित रूप से परीक्षण के लिए नमूने भेजकर एफएसएसएआई मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कच्चे माल, पके हुए भोजन, आरटीई और पीएडी वस्तुओं के

कुल 24,269 नमूने एकत्र किए गए और एनएबीएल प्रयोगशालाओं में उनका परीक्षण किया गया।

- **तृतीय पक्ष खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता लेखापरीक्षा –**

स्वच्छता, भोजन की गुणता, बुनियादी ढांचे की सुविधा, एफएसएसएआई नियमों के कार्यान्वयन आदि पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा तीसरे पक्ष की खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता लेखापरीक्षा कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 259 मोबाइल यूनिटों और 163 स्थिर यूनिटों में तीसरे पक्ष की खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता लेखापरीक्षा कराई गई।

- **ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण –**

आईआरसीटीसी द्वारा प्रतिष्ठित पेशेवर एजेंसियों के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की प्रतिपुष्टि और राय प्राप्त करने के लिए तीसरे पक्ष के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मेसर्स फोरसाइट रिसर्च एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 370 स्थैतिक यूनिटों और 332 मोबाइल यूनिटों में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कराए गए।

- **खानपान पर्यवेक्षकों की ऑन-बोर्ड तैनाती –**

आईआरसीटीसी सभी प्रीमियम प्रीपेड ट्रेनों में खानपान सेवाओं की एंड-टू-एंड निगरानी करने के लिए पर्यवेक्षकों/खानपान सहायकों को तैनात करता है और साथ ही उन सभी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की सेक्शनल निगरानी भी करता है जहां खानपान सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इससे ऑन-बोर्ड निगरानी कर्मचारी द्वारा वास्तविक समय पर यात्रियों की शिकायतों का समाधान करना सुनिश्चित होता है।

- **ऑन-लाइन पैनल तैयार करना –**

सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने प्रॉपराइटी आर्टिकल डिपो (पीएडी) और रेडी टू ईट (आरटीई) उत्पादों के लिए ऑनलाइन पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। कोई भी आवेदक अपने कार्यालय या घर में बैठकर www.irctc.com और www.tenderwizard.com/IRCTC पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आईआरसीटीसी के उत्पादों के पैनल में शामिल होने का आवेदन कर सकता है। आवेदक को समयबद्ध प्रक्रिया में आवेदन के परिणाम के बारे में सूचित किया जाता है।

- **एमएसईएम का प्रारंभ –**

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल के अनुरूप, आईआरसीटीसी ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छूट प्रदान की हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने भारतीय रेल नेटवर्क पर खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए एमएसएमई फर्मों द्वारा प्रचारित 08 ब्रांडों को सूचीबद्ध किया।

- **शिकायत निगरानी एवं निवारण –**

यात्री रेल मददफ मॉड्यूल जिसमें यात्री मोबाइल ऐप/वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं, पर खानपान सेवाओं के बारे में अपनी प्रतिपुष्टि दे सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराने के लिए अन्य कई तरीके भी हैं, जैसे सीपीग्राम, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, शिकायत पुस्तिका आदि।

आईआरसीटीसी ने एक निगरानी दल गठित किया है, जो शिकायतों की प्रतिपुष्टि डेटा को संबंधित विभागों को अग्रेषित करता है, यात्रियों को ऑनलाइन अंतरिम जवाब देता है और उसके बाद की गई कार्रवाई पर अंतिम टिप्पणी देता है। आईआरसीटीसी से संबंधित शिकायतों/प्रतिपुष्टि को की गई कार्रवाई और उसके निपटान के बारे में ई-

सीएसआईएम (कैटरिंग सर्विस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट) पर दर्ज किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ई-सीएसआईएम प्लेटफॉर्म पर कुल 19,891 कैटरिंग शिकायतें दर्ज की गईं और सभी शिकायतों का निपटारा किया गया।

➢ **क्यूआर कोड –**

यात्रियों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, बेस किचन में तैयार किए गए भोजन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए क्यूआर कोड की अवधारणा शुरू की गई थी, जैसे तैयारी की तारीख, रसोई का नाम, एफएसएसएआई, वजन, लाइव सीसीटीवी स्ट्रीमिंग लिंक आदि। इससे यात्रियों में गुणता और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने का भरोसा और आश्वासन बढ़ता है। उपरोक्त सुविधा को पूरे भारत में विभिन्न बेस किचन में चरणों में लागू किया जा रहा है।

➢ **सीसीटीवी निगरानी –**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी पोर्टल पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 36 रसोई में लाइव निगरानी की सुविधा शुरु की। पके हुए भोजन के स्वच्छता स्तर और सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने रसोई यूनिटों/बेस किचन की 24X7 निगरानी की सुविधा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, जिसकी निगरानी कार्पोरेट कार्यालय और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में स्थित वॉर रूम द्वारा की जाती है।

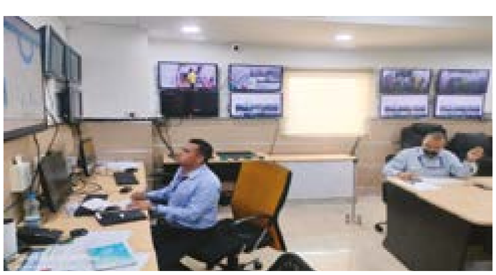

➢ **बिक्री केन्द्र (पीओएस) हैंडहेल्ड बिलिंग मशीनें –**

अधिक कीमत वसूलने पर अंकुश लगाने के लिए सभी विक्रेताओं के लिए सभी खानपान यूनिटों में पीओएस मशीनों के जरिए चालान जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है। ये मशीनें मोबाइल और स्थिर दोनों खानपान यूनिटों में प्रत्येक लेनदेन के लिए बिल जारी करती हैं जिससे उचित लेखा प्रणाली और नियंत्रण में मदद मिलती है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत सभी ट्रेनों, ट्रेन-साइड वेंडिंग आदि में नगद-रहित लेनदेन के प्रयास किए गए हैं। दिनांक 31.03.2024 तक, पेंट्री कार ट्रेनों के 891 रेक में 4128 पीओएस मशीनें और टीएसवी ट्रेनों के 1106 रेक में 4035 पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, आईआरसीटीसी के तहत 534 स्थिर खानपान यूनिटों जैसे रिफ्रेशमेंट रूम, जन आहार, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, रिटायरिंग रूम, एग्जीक्यूटिव लाउंज और आरवाईएन / बीएनआर होटलों में 657 पीओएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं।

स्थैतिक खानपान –

स्टेशन परिसर में स्टैटिक कैटरिंग यूनिटें हैं जो देश भर में यात्रा करने वाले यात्रियों को खानपान सेवाएं प्रदान करती हैं। स्थैतिक खानपान में निम्नलिखित शामिल हैं -

स्थैतिक खानपान सेवाएं

- फूड प्लाज़ा
- फास्ट फूड यूनिटें
- जलपान कक्ष
- जन आहार
- बेस रसोई
- कार्यकारी लाउंज
- रिटायरिंग रूम
- आरवाईएन / बीएनआर होटल
- गैर रेलवे खानपान (एनआरसी)

31 मार्च, 2024 तक आईआरसीटीसी ने **141 रिफ्रेशमेंट रूम, 40 जन आहार, 9 बेस किचन, 146 फूड प्लाजा और 159 फास्ट फूड यूनिटों** का प्रबंधन किया। रिफ्रेशमेंट रूम और जन आहार रेल प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं और यात्रा करने वाले यात्रियों को कम बजट के भोजन की वस्तुएं बेचते हैं। रिफ्रेशमेंट रूम और जन आहार के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं का शुल्क रेल मंत्रालय/ आईआरसीटीसी द्वारा विनियमित और अनुमोदित किया जाता है। इन यूनिटों पर बेची जाने वाली वस्तुओं की सूची और उनकी कीमतें रेल मंत्रालय/ आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये यूनिटें आमतौर पर प्लेटफ़ॉर्म पर यात्रियों को सामान बेचती हैं और कभी-कभी चलती ट्रेनों में भोजन की आपूर्ति करती हैं।

- **जन आहार –**

जन आहार रेल द्वारा अधिकृत स्नैक्स और ए-ला-कार्टे आइटम, मानक नाश्ता, मानक भोजन, जनता खाना परोसता है। इसके अलावा, जन आहार में एमआरपी के आधार पर वातित पेय, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, चॉकलेट और रेडी टू ईट मील (आरटीई) और रेलनीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (पीडीडब्ल्यू) आदि जैसे पैक किए गए आइटम के अनुमोदित ब्रांड भी बेचे जाते हैं।

- **जलपान कक्ष –**

आईआरसीटीसी सभी स्टेशनों पर 1 और श्रेणी के स्टेशनों पर जलपान कक्षों का प्रबंधन करता है। ये यूनिटें आम तौर पर स्टेशन भवन का हिस्सा होती हैं। इन यूनिटों में परोसे जाने वाले भोजन में स्नैक्स, ए-ला-कार्टे आइटम, मानक नाश्ता/भोजन, जनता खाना आदि शामिल हैं। पके हुए खाद्य पदार्थों का शुल्क विनियमित है। इसके अलावा, पैक किए गए आइटम जैसे कि वातित पेय, बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, चॉकलेट और रेडी टू ईट मील (आरटीई) और रेलनीर पीडीबल्यू आदि के स्वीकृत ब्रांड भी परोसे जाते हैं।

- **बेस रसोई का प्रबंधन –**

बेस किचन रेलवे परिसर के आसपास स्थापित खाना पकाने और पैकिंग एक बड़ी सुविधा है, जहां से भोजन तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है, पहुँचाया जाता है और ट्रेनों में परोसा जाता है। बेस किचन से यात्रियों को सीधे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जाती है। बेस किचन से भोजन की आपूर्ति सभी प्रकार की ट्रेनों में की जाती है। आईआरसीटीसी ने दिनांक 31.03.2024 तक कुल 09 बेस किचन का प्रबंधन किया।

- **रसोईघर का उन्नयन –**

खानपान नीति-2017 में निहित प्रावधानों के अनुसार और खानपान सेवाओं को सुविधा की दृष्टि से विभाजित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने रसोई यूनिटों/बेस रसोई से भोजन की आपूर्ति के लिए अधिक ट्रेनों को कवर करने के लिए 48 रसोई को अपग्रेड किया। वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने भोजन उत्पादन के लिए आधुनिक और मशीनीकृत रसोई उपकरण स्थापित करते हुए 23 रसोई को और अपग्रेड किया है। अपग्रेड किए गए रसोई में भोजन के पैकेटों पर क्यूआर कोड, सीसीटीवी कैमरों के जरिए लाइव निगरानी आदि की सुविधा है। प्रयोगशाला परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा करने के लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों (एफएसएस) को तैनात किया गया है। रेल बोर्ड द्वारा जारी वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 24/2023 द्वारा ट्रेन क्लस्टर निविदाओं के लिए दीर्घकालिक ठेकों की अनुमति दी गई है जिसके लिए स्टेट ऑफ आर्ट बेस किचन बनाए जाएंगे जिनका प्रबंध प्रत्येक सेक्शन में ट्रेन ठेके के सफल लाइसेंसप्राप्तकर्ताओं द्वारा किया जाएगा जहां क्लस्टर ट्रेन चलाए जाते हैं। इसका कार्यान्वयन प्रक्रिया में है।

- **फूड प्लाज़ा (एफपी)/फास्ट फूड यूनिट (एफएफयू) –**

फूड प्लाजा स्टेशनों पर बहु-व्यंजन आउटलेट हैं जहां एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, आरामदायक भोजन-स्थल में एक अच्छा माहौल और एक आम रसोई के साथ तरह-तरह के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। फूड प्लाजा की वस्तुओं की गुणता और दरें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं। दिनांक 31.03.2024 तक, आईआरसीटीसी ने भारतीय रेलवे नेटवर्क में 146 फूड प्लाजा का प्रबंधन किया।

फास्ट फूड यूनिटें स्टेशनों पर स्वयं सेवा काउंटरों के माध्यम से फास्ट फूड आइटम परोसने वाली प्रमुख यूनिटें हैं और काउंटरों पर यात्रियों के लिए टेक-अवे की सुविधा भी उपलब्ध है। फास्ट फूड यूनिटों में सामान की गुणता और दरें भी बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं। दिनांक 31.03.2024 तक, आईआरसीटीसी ने भारतीय रेलवे नेटवर्क में 159 फास्ट फूड यूनिट्स का प्रबंधन किया।

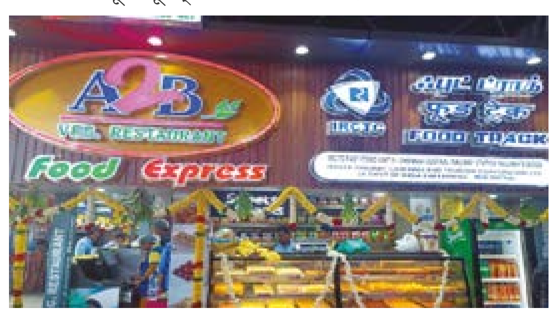

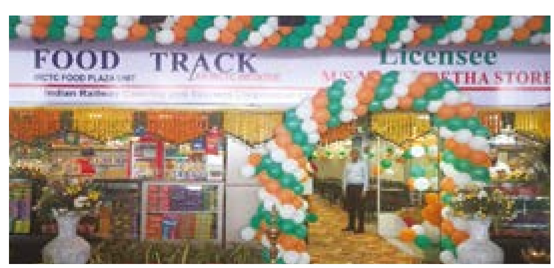

- **एक्ज़िक्यूटिव लाउंज –**

  आईआरसीटीसी को स्टेशनों पर एक्ज़िक्यूटिव लाउंज के प्रबंधन का काम सौंपा गया है, जहां भुगतान के आधार पर कई तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन सेवाओं में धुलाई और कपड़े बदलना, वाई-फाई इंटरनेट, लाइव टीवी, चैनल संगीत, समाचार पत्र/पुस्तक स्टैंड, बुफे सेवाएं और यात्रियों को प्रस्थान से पहले और आगमन के बाद सहायता के लिए द्वारपाल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक, आईआरसीटीसी ने 9 स्टेशनों - नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड और अजमेरी गेट साइड), आगरा कैंट, जयपुर, अहमदाबाद, मदुरै, सियालदह, द्वारका और वाराणसी में एक्ज़िक्यूटिव लाउंज का प्रबंधन किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन और वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भी एक्ज़िक्यूटिव लाउंज का निर्माण कार्य चल रहा है।

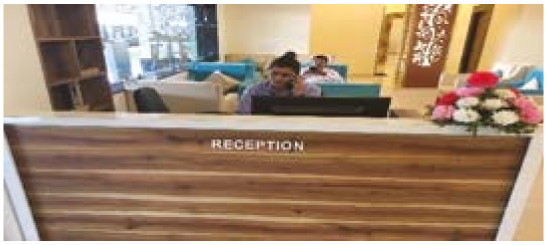

- **विश्राम कक्ष (रिटायरिंग रूम) –**

  आईआरसीटीसी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए आवास सुविधाओं में सुधार करने और किफायती और आरामदायक रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए विश्राम कक्ष का प्रबंधन करता है। विश्राम कक्ष में वातानुकूलित कमरे और शयनगृह, स्वच्छ कपड़े, सामान के लिए लॉकर सुविधा, एलईडी टेलीविजन, शौचालय, गीजर, शॉवर आदि जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ बाथरूम और पेंट्री और हाउसकीपिंग सेवाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 31 मार्च, 2024 तक, आईआरसीटीसी ने 36 रिटायरिंग रूम का प्रबंधन किया। आईआरसीटीसी ने रेल मंत्रालय से 100 से अधिक स्थल लिया है जो निविदा प्रक्रिया में हैं।

- **रेल-इतर खानपान (एनआरसी) –**

  आईआरसीटीसी विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों में स्थित विभिन्न कैंटीन, कैफेटेरिया, कियोस्क आदि का प्रबंधन करता है, जिसमें आतिथ्य और खानपान सेवाओं के प्रावधान के लिए संस्थागत खानपान भी शामिल है। एनआरसी यूनिट गुणतापूर्ण और स्वच्छ नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, स्नैक्स आदि परोसती है। 31.03.2024 तक, आईआरसीटीसी ने 09 गैर-रेलवे परियोजनाओं का प्रबंधन किया।

- **रेल यात्री निवास/बीएनआर होटल –**

  आईआरसीटीसी रेल यात्री निवास/बीएनआर होटल का विकास, संचालन और रखरखाव भी करता है। ये स्थल आईआरसीटीसी को लाइसेंस पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से तीसरे पक्ष को अधिकारों को उप-लाइसेंस देने की अनुमति के साथ दिए गए हैं। 31 मार्च, 2024 तक, आईआरसीटीसी ने हावड़ा में एक रेल यात्री निवास और पुरी और रांची में दो बीएनआर होटलों का संचालन किया।

ई-कैटरिंग –

यात्रा के दौरान गुणतापूर्ण और व्यापक श्रेणी के व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए, आईआरसीटीसी ने चुनिंदा स्टेशनों पर ट्रेनों में भोजन की डिलीवरी के लिए अपनी नई ई-कैटरिंग वेबसाइट और मोबाइल

ऐप (फूड ऑन ट्रैक) शुरू की है। Google Play और iTunes से डाउनलोड करते हुए यात्री अब आसानी से अपने ndroid या iOS स्मार्ट फोन पर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ट्रेनों में विभिन्न खाद्य भागीदारों से स्वादिष्ट और किफ़ायती भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ई-कैटरिंग के तहत बुक किए गए भोजन की कीमतें बाजार द्वारा निर्धारित होती हैं, जहां रेस्तरां मेनू तय करते हैं।

इस नए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप का इस्तेमाल करते हुए यात्री बस पीएनआर नंबर, ट्रेन का नाम, सीट/बर्थ नंबर जैसे अपने यात्रा विवरण दर्ज करते हुए ट्रेन में भोजन का ऑर्डर कर सकते हैं और ट्रेन में स्वादिष्ट और त्वरित भोजन की सुपुर्दगी ले सकते हैं। ट्रेन में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की इस प्रभावी प्रणाली से न केवल आपकी सीट पर स्वादिष्ट भोजन की गारंटी मिलती है, बल्कि रेल का नया फूड मेन्यू भी मिलता है जिससे आपकी यात्रा थोड़ी और भी लज्जतदार बनती है। स्टेशनों पर कई फूड एग्रीगेटर के साथ, यात्री अब उत्तर भारतीय से लेकर दक्षिण भारतीय, पिज़्ज़ा से लेकर मुंह में पानी लाने वाली बिरयानी, बटर चिकन और चाइनीज़ व्यंजनों आदि तक के भोजन का ज़ायका ले सकते हैं।

आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग ने B2C साझेदारों के साथ एकीकरण किया है। ग्राहकों तक पहुँचने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कुछ साझेदार पहले से ही सक्रिया हैं जैसे इक्सिगो, कन्फर्मटिकट, मेक माई ट्रिप, यात्रा, रेलोफाई आदि।

ई-कैटरिंग सेवाओं से जुड़े कुछ प्रमुख ब्रांड हैं डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, हल्दीराम, फासोस, ए2बी, ओवन स्टोरी, बेहरोज़ बिरयानी, वाउ मोमो आदि।

- **ई-कैटरिंग का विकास –**

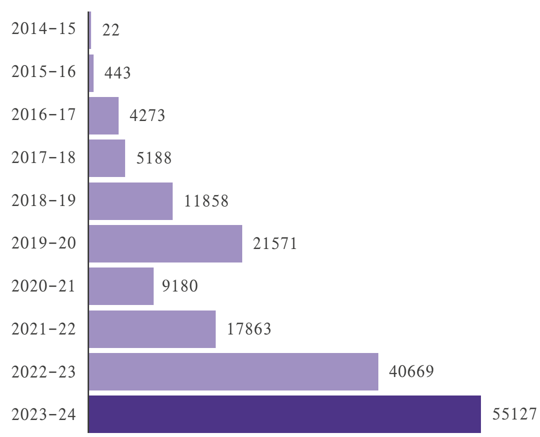

*प्रतिदिन औसत भोजन बुक किया गया

- **ज़ोमैटो और स्विगी के माध्यम से ई-कैटरिंग ऑर्डर की बुकिंग**

  हाल ही में आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग सेवाओं ने अपने यात्रियों के लिए सुविधाजनक भोजन विकल्प लाने और उनकी ट्रेन यात्रा को सुखद बनाने के साझा दृष्टिकोण के साथ मेसर्स ज़ोमैटो लिमिटेड और मेसर्स स्विगी के साथ साझेदारी की है। हमें विश्वास है कि इनके साथ जुड़ने से हमारे ग्राहकों को बहुत खुशी होगी क्योंकि हम अपने यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा को और अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अनूठे तरीके खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भविष्य की रणनीति –

1. **ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों में फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिट के लिए नए स्थलों की पहचान –**

   बाजार आधारित दरों और मानकों पर खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए, रेल बोर्ड से 146 स्टेशनों पर फूड प्लाजा और फास्ट फूड यूनिटों की स्थापना के लिए नए स्थल सौंपने का अनुरोध किया गया है।

2. **विश्राम कक्ष और शयनगृह –**

   स्टेशनों पर आवास सेवाओं के प्रति दृष्टिकोण बढ़ाने तथा आईआरसीटीसी के राजस्व में वृद्धि करने के लिए, रेल बोर्ड से अनुरोध किया गया है कि वह अंचल रेलवे को निर्देश जारी करे कि वे विशेष रूप से ए1 और ए श्रेणी के स्टेशनों पर 100 से अधिक विश्राम कक्षों के स्थलों को आईआरसीटीसी को सौंपने के कार्य में तेजी लाएं।

बजट होटल –

किफायती/बजट यात्रियों को ध्यान में रखते हुए आईआरसीटीसी की योजना होटलों की एक सुनियोजित श्रृंखला का नेटवर्क बनाने की है। निम्नलिखित स्थानों पर होटलों की योजना बनाई जा रही है/बनाई गई है –

- **लखनऊ में बजट होटल –** लखनऊ में 109 प्रमुख बजट होटल की स्थापना का काम लगभग पूरा होने वाला है। विनियामक/

संचालन लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यक प्रक्रिया चल रही है। इस होटल को पीपीपी मॉडल के माध्यम से 20 करोड़ रु. के निवेश से स्थापित किया जा रहा है। होटल में पर्यटकों की मांग को पूरा करने और मीटिंग, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी कक्ष (एमआईसीई) की सुविधाएं होंगी। लखनऊ में बजट होटल के प्रारंभिक संचालन की अपेक्षित तारीख सितंबर, 2024 है।

- **खजुराहो में बजट होटल–** खजुराहो में 60 प्रमुख बजट होटल स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। इन होटलों का विकास पीपीपी मॉडल के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें 7.5 करोड़ रु. का निवेश किया जाएगा। खजुराहो में बजट होटल के पूरा होने की अपेक्षित तारीख अगस्त, 2025 है।

- केवड़िया में बजट होटल– स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और केवड़िया के आगामी पर्यटन स्थल की पर्यटन क्षमता का दोहन करने के लिए, आईआरसीटीसी इस शहर में 500 प्रमुख बजट आवास बनाने जा रहा है। पहले चरण में, केवड़िया में 125 प्रमुख बजट होटल स्थापित करने का काम पीपीपी मॉडल के माध्यम से 20 करोड़ रु. के निवेश के साथ चल रहा है। केवड़िया में बजट होटल के पूरा होने की अपेक्षित तारीख दिसंबर, 2025 है।

- **प्रारंभ किए जाने वाले अन्य होटल–** अखिल भारतीय स्तर पर उपस्थिति के लिए, आईआरसीटीसी ने अन्य राज्य सरकारों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर से भूमि आवंटन के लिए निम्नानुसार संपर्क किया है –

  ए. गोवा में बजट होटल– आईआरसीटीसी गोवा के मोपो में न्यू मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भूमि आवंटित कराने की प्रक्रिया में है। गोवा सरकार ने गोवा में आईआरसीटीसी होटल के लिए पहले ही भूमि की पहचान कर ली है।

  बी. अयोध्या, उत्तर प्रदेश में बजट होटल– आईआरसीटीसी पवित्र शहर अयोध्या में बजट होटल के विकास के लिए उपयुक्त भूमि खरीदने की प्रक्रिया में है।

  सी. कोहिमा, नागालैंड में बजट होटल– नागालैंड सरकार ने कोहिमा, नागालैंड में बजट होटल की स्थापना के लिए आईआरसीटीसी से संपर्क किया है। उक्त परियोजना के लिए आईआरसीटीसी को भूमि आवंटन की चर्चा अग्रिम चरण में हैं।

  डी. गंगटोक, सिक्किम में बजट होटल– सिक्किम सरकार ने गंगटोक, सिक्किम में होटल की स्थापना के लिए आईआरसीटीसी को भूमि देने की पेशकश की है। उक्त परियोजना के लिए आईआरसीटीसी को भूमि आवंटन संबंधी बातचीत चल रही है।

बी. यात्रा और पर्यटन

रेल पीएसयू होने के नाते, आईआरसीटीसी को रेल-आधारित उत्पादों में विशेषज्ञता प्राप्त है और इस व्यवसाय में बाज़ार की अग्रणी है। आईआरसीटीसी बाजार में यात्रा और पर्यटन कंपनियों में अग्रणी है जो पर्यटकों की विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करती है, चाहे वह जगह हो, आवश्यकता आधारित मांग हो या एलटीसी पैकेज हो। रेल आधारित पर्यटन उत्पादों के अलावा, आईआरसीटीसी ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पर्यटन बाजार में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य पर्यटन व्यवसायों में भी विविधता लाई है। विरासत, संस्कृति, रोमांच, चिकित्सा कल्याण और विशेष रुचि वाले पर्यटन पर आधारित नए पैकेजों की योजना बनाकर नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आईआरसीटीसी ने अपने विशेष पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com पर एक ही स्थान पर विभिन्न पर्यटन उत्पादों और बुकिंग के लिए आकर्षक, प्रतिस्पर्धी और किफायती टूर पैकेज लॉन्च किए हैं, जो नीचे दिखाए गए हैं –

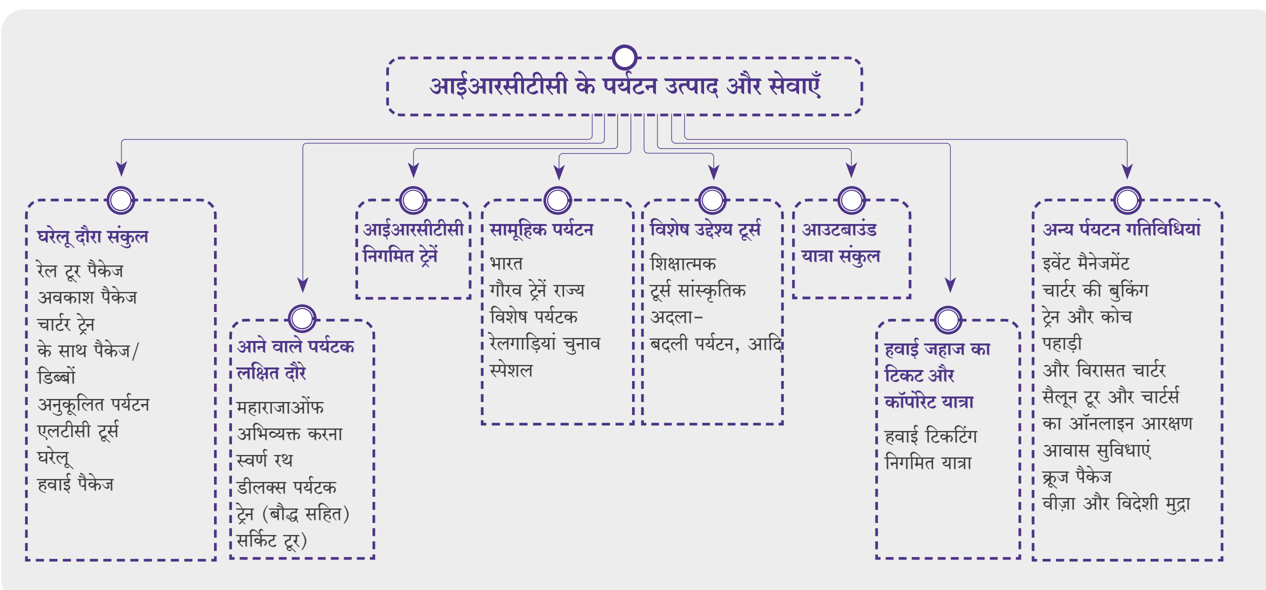

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने विभिन्न विपणन गतिविधियों, खास तौर पर डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे भारत में अपने पर्यटन उत्पादों का विपणन किया है। विपणन और विज्ञापन के पारंपरिक तरीकों के अलावा, सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फ़ॉलोअर्स के कारण डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वोच्च पर्यटन राजस्व प्राप्त करने में भारत गौरव ट्रेनें (राज्य विशेष ट्रेनें और डीलक्स पर्यटक ट्रेन सहित), आईआरसीटीसी कार्पोरेट तेजस ट्रेनें, महाराजा एक्सप्रेस, घरेलू हवाई पैकेज, हॉलिडे/कस्टमाइज़्ड/शिक्षा यात्राएं आदि का प्रमुख योगदान रहा हैं।

पर्यटन उत्पादों का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है-

1. **घरेलू पर्यटन**

   i. **रेल टूर पैकेज –** आईआरसीटीसी सभी समावेशी सेवाओं जैसे आने-जाने की संपुष्ट रेल यात्रा, सड़क मार्ग से स्थानान्तरण, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के साथ व्यापक रेल टूर पैकेज प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने रेल टूर पैकेज के माध्यम से 26,395 यात्रियों को सेवा प्रदान की, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 21,741 पर्यटकों की तुलना में 21.41% अधिक है।

   ii. **हॉलिडे पैकेज –** आईआरसीटीसी हॉलिडे पैकेज (भूमि पैकेज) भी संचालित करता है जिसमें यात्रा कार्यक्रम के अनुसार सड़क मार्ग से स्थानान्तरण, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थलों की यात्रा शामिल है। इन पैकेजों में, गंतव्य से पहले (चाहे रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस स्टैंड से) की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 45,477 यात्रियों ने आईआरसीटीसी भूमि पैकेज का लाभ उठाया।

   iii. **चार्टर कोच और ट्रेन वाले पैकेज –** ये रेल टूर पैकेज जैसे सर्व-समावेशी पैकेज हैं जिसमें आईआरसीटीसी द्वारा चार्टर्ड कोच या ट्रेनों के माध्यम से ट्रेन यात्रा की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 972 यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाले चार्टर कोच के साथ 17 आरटीपी संचालित किए, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 14 आरटीपी चार्टर कोच यात्राएं संचालित की गई थीं।

   iv. **आवश्यकता-अनुरूप टूर पैकेज –** ये पैकेज पर्यटकों की आवश्यकता के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जैसे बजट, विलासिता का स्तर, रुचि के स्थान, ठहरने की अवधि आदि। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 6,671 यात्रियों ने आईआरसीटीसी के अनुकूलित पैकेज का लाभ उठाया।

   v. **छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) –** भारत सरकार ने एलटीसी पर्यटन के संचालन के लिए तीन सार्वजनिक उपक्रमों में से आईआरसीटीसी को भी प्राधिकृत किया है। आईआरसीटीसी सरकारी कर्मचारियों को सामान्य और आवश्यकता-अनुकूल एलटीसी पैकेज प्रदान करता है। आईआरसीटीसी द्वारा की जाने वाली सभी यात्राएं एलटीसी यात्रा के लिए अधिकृत हैं।

   vi. **घरेलू हवाई पैकेज –** आईआरसीटीसी ने सभी ज़ोन से शिरडी, गोवा, दिल्ली, तिरुपति, गंगटोक, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अंडमान और निकोबार, लद्दाख, श्रीनगर, मुंबई, पुरी, कोणार्क, अयोध्या जैसे विभिन्न गंतव्यों के लिए विभिन्न घरेलू हवाई पैकेज संचालित किए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 598 घरेलू हवाई पैकेज संचालित किए और 12,122 यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं।

   आईआरसीटीसी घरेलू पैकेज के लिए बुकिंग कराने वाले प्रत्येक यात्री को 10 लाख रु. का दुर्घटना बीमारक्षा प्रदान करता है।

2. **अंतर्गामी (इनबाउंड) पर्यटक लक्षित यात्राएं**

   i. **महाराजा एक्सप्रेस –**

   महाराजा एक्सप्रेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विलासितापूर्ण पर्यटन के क्षेत्र में आईआरसीटीसी की एक विशेष ब्रांड छवि स्थापित की है। वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत के बाद से, महाराजा एक्सप्रेस को वर्ष 2012 से लेकर 2018 तक कई बार वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स में दुनिया की अग्रणी लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के रूप में सम्मानित किया गया है। महाराजा एक्सप्रेस को नवंबर 2022 में लक्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफ़स्टाइल अवार्ड्स श्रेणी में सेवन स्टार्स 2022 और वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स द्वारा एशिया की अग्रणी लग्जरी ट्रेन अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है।

   महाराजा एक्सप्रेस चार अलग-अलग यात्रा कार्यक्रमों पर चलती है, जिनमें से तीन यात्रा कार्यक्रम 6 रात/7 दिन और एक 3 रात/4 दिन का है, जिसमें उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, रणथंभौर, आगरा, खजुराहो और वाराणसी जैसे पर्यटन स्थल शामिल हैं। ये यात्रा कार्यक्रम ट्रेन की वेबसाइट www.the-maharajas.com पर प्रस्थान तिथियों के साथ अपलोड किए गए हैं। यह ट्रेन सितंबर से अप्रैल तक के पर्यटन महीनों के दौरान संचालित की जाती है।

   वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 995 पर्यटकों (भुगतान करने वाले यात्रियों) के लिए 26 यात्राएं संचालित कीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 975 पर्यटकों (भुगतान करने वाले यात्रियों) के लिए 23 यात्राएं संचालित की गईं।

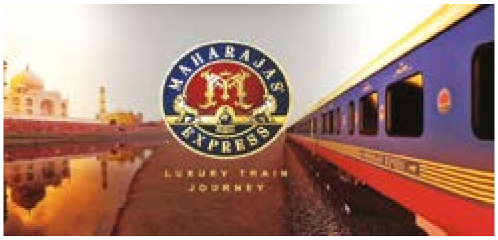

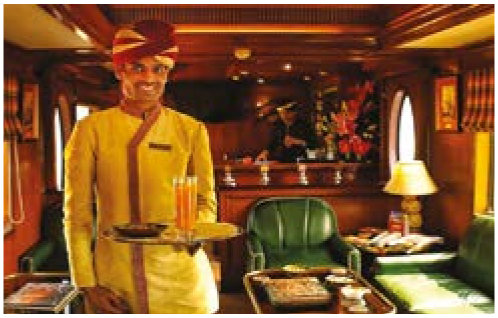

ii. **गोल्डन चैरियट –** कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा दक्षिण भारत में संचालित की जाने वाली एकमात्र लक्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट को 19 नवंबर, 2019 में दोनों संगठनों के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के माध्यम से 10 वर्षों की अवधि के लिए विपणन, संचालन और रखरखाव के लिए आईआरसीटीसी द्वारा अपने अधीन लिया गया था और आईआरसीटीसी को इस ट्रेन का वास्तविक अधिकार जनवरी, 2020 में प्राप्त हुआ था।

2023-24 और 2024-25 में इस ट्रेन के यात्रा कार्यक्रम और प्रस्थान की तारीखें पहले ही घोषित की जा चुकी हैं और आधिकारिक वेबसाइट www.goldenchariot.org पर प्रकाशित की जा चुकी हैं। तीन यात्रा कार्यक्रम यानी प्राइड ऑफ कर्नाटक (5 रातें/6 दिन), जेवेल्स ऑफ साउथ (5 रातें/6 दिन) और ग्लिम्प्सेस ऑफ कर्नाटक (3 रातें/4 दिन) कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा के विभिन्न गंतव्यों के लिए योजनाबद्ध किए गए हैं।

iii. **डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन –** आईआरसीटीसी दो डाइनिंग कार, वैक्यूम बायो-टॉयलेट, एयर सस्पेंशन स्प्रिंग्स, सुरक्षा लॉकर, साइड सीटिंग सुविधा के साथ संशोधित 2एसी कोच, ऑन-बोर्ड हाउसकीपिंग और सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा, दुर्घटना बीमा सुविधा, फुट मसाजर और मिनी लाइब्रेरी आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं के साथ डीलक्स टूरिस्ट ट्रेनों की नई रेक का संचालन कर रहा है। इस रेक का उपयोग बौद्ध सर्किट टूर के संचालन के लिए किया जाता है, जो 2007 से चल रहा है। बौद्ध टूर 7 रातों और 8 दिनों की अवधि का है, जिसमें भारत और नेपाल में लुम्बिनी के सभी प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थान शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 218 पर्यटकों के साथ बौद्ध सर्किट टूर की 04 यात्राएं संचालित कीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 44 पर्यटकों के साथ 01 यात्रा संचालित की गई थी।

आईआरसीटीसी बौद्ध स्पेशल के साथ-साथ रामायण सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, गर्वी गुजरात आदि सहित यात्रा कार्यक्रमों का संचालन करते हुए डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन के उपयोग को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आईआरसीटीसी ने 1592 यात्रियों के साथ 11 यात्राएं संचालित कीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आईआरसीटीसी ने 833 यात्रियों के साथ 05 यात्राएं संचालित कीं।

iv. **आउटबाउंड टूर पैकेज –** आईआरसीटीसी ने भारत के बाहर के गंतव्यों को शामिल करते हुए विभिन्न टूर पैकेज तैयार किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 81 टूर संचालित किए और 2,299 यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आईआरसीटीसी ने 95 आउटबाउंड पैकेज संचालित किए जिसमें 3,195 पर्यटकों को सेवाएं प्रदान की गई थीं।

3. हवाई टिकट और कार्पोरेट यात्रा

i. **ऑनलाइन हवाई टिकट –** आईआरसीटीसी की हवाई टिकटिंग माइक्रो-साइट www.air.irctc.co.in में बाजार में ऑनलाइन ट्रैवल एजेंटों (ओटीए) के अन्य पोर्टलों की तुलना में सबसे कम सुविधा शुल्क के साथ बहुत प्रतिस्पर्धी कीमतों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान करती है।

आईआरसीटीसी का मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए हवाई टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईआरसीटीसी के माध्यम से प्रतिदिन बुक की जाने वाली हवाई टिकटों की औसत संख्या 5,166 थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह संख्या 5,322 थी। आईआरसीटीसी के वेब पेज और ऐप के माध्यम से की गई सभी बुकिंग के यात्रियों को आईआरसीटीसी 50 लाख रु. का निःशुल्क यात्रा बीमा-रक्षा भी प्रदान करता है।

ii. **कार्पोरेट यात्रा व्यवसाय –** आईआरसीटीसी कार्पोरेट संस्थाओं के लिए संपूर्ण यात्रा समाधान प्रदान करता है, जिसमें हवाई टिकट, घरेलू (एलटीसी टिकट सहित) की बुकिंग, अंतर्राष्ट्रीय टिकट, होटल बुकिंग, वीज़ा सुविधा, बीमा आदि शामिल हैं। आईआरसीटीसी ने सार्वजनिक उपक्रमों/मंत्रालयों/सरकारी विभागों आदि के साथ अधिक गठजोड़ करने और संगठनों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए इस व्यवसाय को आंचलिक स्तर पर विकेंद्रीकृत किया है। आईआरसीटीसी ने कार्पोरेट यात्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए **280 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों/मंत्रालयों/सरकारी विभागों और संस्थानों** के साथ गठजोड़ किया है।

4. सामूहिक पर्यटन

i. **भारत गौरव ट्रेन –** आईआरसीटीसी ने घरेलू बाजार में रेल आधारित पर्यटन को किफायती मूल्य पर बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराए गए एलएचबी रेक के साथ पूरे भारत में भारत गौरव ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। रेल बोर्ड द्वारा जारी नीति में परिवर्तन करने पर, सभी पर्यटक ट्रेनें भारत गौरव नीति के तहत संचालित की जाती हैं। आईआरसीटीसी के पास पूरे भारत में भारत गौरव ट्रेनों के संचालन के लिए 10 रेक हैं और कर्नाटक सरकार की एक अतिरिक्त रेक भी आईआरसीटीसी द्वारा प्रबंधित और संचालित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आईआरसीटीसी ने 75 भारत गौरव ट्रेन टूर संचालित किए और 42,255 यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 यात्राएं और 5,330 यात्रियों (कर्नाटक सरकार के लिए संचालित 03 यात्रा कार्यक्रम सहित) को सेवाएं प्रदान की गईं।

ii. **राज्य तीर्थ विशेष यात्राएं –**

ए) **ट्रेनों द्वारा राज्य विशेष यात्राएं –** आईआरसीटीसी विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य विशेष पर्यटक ट्रेन यात्राओं का संचालन करता है। टूर पैकेज के लाभार्थियों का चयन सरकार करती है जो ज़्यादातर वरिष्ठ नागरिक होते हैं। ये ट्रेनें यात्राएं भारत के पर्यटन और तीर्थयात्रा के महत्व वाले विभिन्न स्थलों में चलाई जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आईआरसीटीसी ने दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकार के लिए 95 राज्य विशेष ट्रेनें संचालित कीं, जिनमें 70,213 पर्यटकों ने विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्राएं कीं जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आईआरसीटीसी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गोवा, ओडिशा और झारखंड के लिए 96 राज्य विशेष ट्रेनें संचालित कीं और 94,508 यात्रियों को सेवाएं प्रदान कीं।

बी) **हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएं –** आईआरसीटीसी ने पहली बार राज्य के वयोवृद्ध निवासियों के लिए हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएं संचालित कीं। ये हवाई यात्राएं राजस्थान राज्य सरकार के लिए नियमित आधार पर जयपुर से काठमांडू के साथ-साथ भोपाल/इंदौर से मथुरा/वृंदावन-गंगासागर-वाराणसी-शिरडी के लिए संचालित की गईं। वित्तीय वर्ष 23-24 में, आईआरसीटीसी ने कुल 8,291 यात्रियों के लिए 87 यात्राएं संचालित कीं।

5. **आईआरसीटीसी कार्पोरेट ट्रेनें –**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने नियमित आधार पर (यानी सप्ताह में 6 दिन) कार्पोरेट ट्रेनों का संचालन किया और इसे आम जनता के बीच विशेष ट्रेन के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एडीआई-एमएमसीटी तेजस 95% यात्री बुकिंग स्तर के साथ संचालित हुई और एलजेएन-एनडीएलएस तेजस 70% यात्री बुकिंग स्तर के साथ संचालित हुई। आईआरसीटीसी यात्रियों को आकर्षित करने के लिए 120 दिनों की अग्रिम आरक्षण अवधि (एआरपी), कम और अधिक यात्रा वाली अवधि की कीमत आदि जैसे विभिन्न विकल्प देकर यात्री बुकिंग स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

i. **चुनाव विशेष ट्रेनें –** आईआरसीटीसी को चुनाव विशेष ट्रेनों की बुकिंग और आवागमन के लिए एकल खिड़की के रूप में नामित किया गया है, साथ ही आवागमन करने वाले बलों के लिए ट्रेन पर खानपान सेवाओं का प्रावधान भी किया गया है। आईआरसीटीसी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, गोवा और दिल्ली के विधानसभा चुनावों के सिलसिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 244 चुनाव विशेष ट्रेनों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 542 चुनाव विशेष ट्रेनें संचालित कीं और 4,93,944 अर्धसैनिक बलों को सेवाएं प्रदान कीं।

6. **विशेष प्रयोजन यात्राएं –**

i. **शैक्षणिक यात्राएं –** आईआरसीटीसी अपनी ज्ञानार्जन यात्रा योजना के तहत छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्राएं संचालित करता है और छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्राएं संचालित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी स्कूलों के साथ गठजोड़ करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने विभिन्न शैक्षणिक यात्राएं संचालित की जो इस प्रकार हैं -

ए. जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय के लिए भारत के विभिन्न भागों जैसे अहमदाबाद, मुंबई, गोवा, वर्धा, नागपुर आदि के लिए कॉलेज ऑन व्हील्स जैसी विशेष शैक्षिक रेल यात्रा संचालित की गई और श्री माता वैष्णो देव कटरा से 762 छात्र और संकाय सदस्य रवाना हुए।

ii. **सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राएं –** आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित सांस्कृतिक आदान-प्रदान यात्राओं का संचालन किया -

ए. तमिल काशी समागम 2.0 का संचालन चेन्नई से अयोध्या-काशी-प्रयागराज तक किया गया जिसमें 1,512 प्रतिभागियों को सेवा प्रदान की गई।

बी. आईआरसीटीसी ने भारत सरकार की **एक भारत श्रेष्ठ भारत** योजना की पहल के तहत युवा संगम टूर का संचालन किया जिसका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत करना है, खासकर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच। इसके अंतर्गत आईआरसीटीसी ने 54 यात्राएं सफलतापूर्वक आयोजित की और लगभग 2650 प्रतिभागियों को सेवा प्रदान की।

7. **अन्य पर्यटन गतिविधियां –**

i. **इवेंट मैनेजमेंट –** आईआरसीटीसी भारतीय रेल, सार्वजनिक उपक्रमों, शिक्षा विभाग और अन्य प्रमुख संस्थानों के लिए विभिन्न सम्मेलन, कार्यक्रम और प्रोत्साहन पैकेज आयोजित करते आ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने ऐसे 19 कार्यक्रम आयोजित किए और 13,411 लाभार्थियों को सेवाएं प्रदान कीं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 180 लाभार्थियों के लिए 5 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ii. **लॉजिस्टिक व्यवसाय –** आईआरसीटीसी ने सरकारी संगठनों को परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समाधान प्रदान करने तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई व्यवसाय को लक्षित करने के लिए कार्गो / लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कदम रखा है। आईआरसीटीसी को बीएसएफ, रक्षा मंत्रालय मुख्यालय और आयुध निर्माणी खमरिया द्वारा कार्य सौंपा गया है।

iii. चार्टर ट्रेनों और कोचों की बुकिंग – रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को चार्टर आधार पर सभी ट्रेनों और कोचों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में नामित किया है। एफटीआर ट्रेनों/कोचों की ऑनलाइन बुकिंग आईआरसीटीसी के विशेष वेब पेज www.ftr.irctc.co.in/ftr के माध्यम से की जाती है। आईआरसीटीसी ऐसी ट्रेनों की सूची भी प्रदान करता है जिनमें ग्राहक की सुविधा के लिए कोच जोड़े जा सकते हैं, जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी के माध्यम से 576 (187 ट्रेनें और 389 कोच) चार्टर ट्रेनें/कोच बुक की गईं, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आईआरसीटीसी के माध्यम से 539 (140 ट्रेनें और 399 कोच) चार्टर बुक किए गए।

iv. हिल और हेरिटेज चार्टर – आईआरसीटीसी भारत के 5 पर्वतीय रेल अर्थात नीलगिरि माउंटेन रेलवे (एनएमआर), दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे (डीएचआर), कालका-शिमला रेलवे, कांगड़ा वैली रेलवे और माथेरान रेलवे को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। आईआरसीटीसी कालका-शिमला, नीलगिरि माउंटेन रेलवे और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों पर हिल चार्टर संचालित करता है।

v. शानदार रेलवे सैलून कार – रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को पूरे भारत में सैलून कारों के विपणन और बुकिंग का कार्य सौंपा है, जिसे अब किसी भी यात्री या कंपनी द्वारा विशेष रेल उत्पाद के रूप में बुक किया जा सकता है।

एक सैलून कार में आम तौर पर एक बैठक कक्ष, दो वातानुकूलित शयन कक्ष होते हैं - पहला दो-शयन कक्ष और दूसरा एसी प्रथम श्रेणी कूप के समान जिसमें स्नानघर, भोजन क्षेत्र और रसोईघर साथ लगे होते हैं।

पर्यटकों की मांग के अनुसार ट्रेन में सहायक, खानपान, पिक एंड ड्रॉप जैसी वैकल्पिक सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी ने पूरे भारत में 80 सैलून कारों का सफलतापूर्वक संचालन किया।

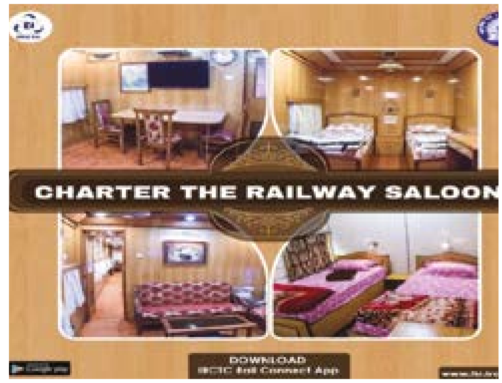

vi. स्टेशनों पर रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग और होटल बुकिंग – आईआरसीटीसी के पर्यटन पोर्टल के माध्यम से आईआरसीटीसी 387 रेलवे स्टेशनों पर कन्फर्म पीएनआर वाले रेल यात्रियों को ऑनलाइन रिटायरिंग रूम की बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यात्री आईआरसीटीसी के ऐप के माध्यम से एंड्रॉइड और iOS मोबाइल पर भी रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं।

65 स्टेशनों पर प्रति घंटे की बुकिंग भी उपलब्ध है। वर्तमान में भारतीय रेल के कुल रिटायरिंग रूम की लगभग 80% बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है।

आईआरसीटीसी ने पीपीपी मॉडल के तहत 14 स्टेशनों - काचेगुडा (KCG), नांदेड़ (NED), परभणी (PBN), काजीपेट (KZJ), गुंटूर (GNT), कारवार (KWR), उडुपी (UD), दाहोद (DHD), काकीनाडा (CCT), वाराणसी (BSB), होसपेट (HPT), अयोध्या धाम (AY), अराकू (ARK), तंजावुर (TJ) पर रिटायरिंग रूम को अपग्रेड किया है और 2023-24 में इनकी बुकिंग ऑनलाइन कर दी गई है। अपग्रेड किए गए रिटायरिंग रूम में पूरी तरह से वातानुकूलित कमरे, वाईफाई, टीवी, गीजर, लिनन, सोफा आदि के समान होटल जैसी सुविधाएं हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, रिटायरिंग रूम के लिए कुल बुकिंग 8.04 लाख थी, जिसका कुल राजस्व 48.43 करोड़ रु. था, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 38.83 करोड़ रु. के राजस्व के साथ 6.23 लाख बुकिंग की गई थी।

vii. ऑनलाइन होटल बुकिंग – आईआरसीटीसी का www.hotels.irctc.co.in और आईआरसीटीसी पर्यटन मोबाइल ऐप - एंड्रॉइड और आईओएस के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग के लिए आवास भागीदारों (होटल, होम स्टे, डॉरमेट्री, पेइंग गेस्ट हाउस, यात्री निवास, हॉलिडे होम आदि) के साथ सीधा एकीकरण है।

होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी की होटल वेबसाइट पर होटल मालसूची की श्रृंखला बढ़ाने के लिए होटल एग्रीगेटर

के साथ एकीकरण भी किया है। ग्राहक अब 2,773 शहरों में 70,000 से ज़्यादा होटल बुक कर सकते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 300 रु. जितनी कम है। इनमें से ज़्यादातर होटल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और शहर के केंद्रों के नज़दीक स्थित हैं।

वर्ष 2023-24 में 12,290 बुकिंग हुई, जिससे कुल राजस्व 4.14 करोड़ रु. प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10667 बुकिंग हुई, जिसका कुल राजस्व 2.67 करोड़ रु. था।

viii. **संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित मेरी माटी मेरा देश (एमएमएमडी) अभियान के लिए विशेष ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग –** संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने अगस्त-सितंबर 23 में आज़ादी का अमृत महोत्सवफ के समापन समारोह के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश (एमएमएमडी) अभियान शुरू किया जिसमें प्रत्येक जिले/गांव से लोगों को अमृत कलश यात्रा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अमृत कलश में गांवों से मिट्टी और चावल एकत्र किए गए जिन्हें फिर ब्लॉकों में और ब्लॉक स्तर से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी को भेजा गया। इसके अलावा, इस अभियान के समापन के लिए 28 से 30 अक्तूबर तक देश भर से अमृत कलश दिल्ली पहुंचाए गए।

संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार, आईआरसीटीसी ने देशभर से अमृत कलश को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों में टिकट बुक किए। तदनुसार, अक्तूबर-नवंबर 2023 में 20 विशेष ट्रेनों में 16,147 यात्रियों के लिए कुल 2704 पीएनआर बुक किए गए, जिनकी कीमत 1.82 करोड़ रु. थी।

ix. **अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनें –**

रेल मंत्रालय ने पर्यटन परियोजना के रूप में पूरे भारत से सामाजिक-सांस्कृतिक स्थल अयोध्या तक विशेष आस्था ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। टिकटों की बुकिंग राउंड-ट्रिप टिकटिंग के साथ आईआरसीटीसी पर्यटन पोर्टल के माध्यम से की गई। रिकॉर्ड समय में आसान बुकिंग के लिए इस पोर्टल पर एक विशेष टिकटिंग एप्लिकेशन विकसित किया गया।

आस्था ट्रेन का परिचालन 28 जनवरी, 2024 को शुरू हुआ। आईआरसीटीसी ने क्षेत्रवार विशेष रंग के आईडी कार्ड सह टिकट जारी किए, जिन्हें संबंधित आईआरसीटीसी के जोन द्वारा मुद्रित किया गया और संगठनों/यात्रियों को सौंपा गया।

यात्रियों और टीम/कोच नेताओं के साथ संवाद व्हाट्सएप और एसएमएस चैनलों के माध्यम से किया गया। इसके अतिरिक्त, रेलवे में पहली बार, आईआरसीटीसी ने एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से अत्याधुनिक ब्लॉकचेन-आधारित नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) डिजिटल टिकट सह यादगार चीजें जारी की हैं। ये डिजिटल टिकट एक स्मारिका के रूप में कार्य करते हैं और इसके द्वारा तीर्थयात्री फोटो अपलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं।

कुल 337 आस्था ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें 4.5 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री शामिल हुए। ये ट्रेनें 22 राज्यों और 03 केंद्र शासित प्रदेशों से शुरू हुईं। आस्था ट्रेनों का संचालन तीर्थयात्रियों के बीच बेहद सफल रहा है और ग्राहक संतुष्टि रेटिंग 5 में से 4.59 रही। आस्था ट्रेनों के टिकटिंग सिस्टम को पूरी तरह आईआरसीटीसी की आंतरिक टीम ने विकसित किया था। भारतीय रेल में पहली बार, तीर्थयात्रा की थीम के साथ ब्लॉकचेन आधारित डायनेमिक एनएफटी (नॉन-फंजिबल टोकन) टिकट के रूप में जारी किए गए।

आस्था ट्रेन पहल सफल रही है, जिसने तीर्थयात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है, साथ ही स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया और प्रभावी नागरिक सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित किया है।

x. **ऑनलाइन बस बुकिंग –** जनवरी 2021 से आईआरसीटीसी का विशेष बस पोर्टल www.bus.irctc.co.in अपने ग्राहकों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करता है और उन अंतिम मील तक जाने की सुविधा भी देता है, जहां ट्रेन और उड़ान सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान में, 27 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन बस बुकिंग की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1,95,416 यात्रियों ने ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा का लाभ उठाया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बुक की गई कुल टीआईडी की संख्या 1,26,015 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईआरसीटीसी के बस पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन औसतन लगभग 345 बस टिकट बुक किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्रतिदिन 300 टिकट बुक किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस पोर्टल में यात्रियों की यात्रा में 19% और राजस्व सृजन में 23% की वृद्धि दर्ज की गई।

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, आईआरसीटीसी ने 13 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया ताकि आईआरसीटीसी के बस बुकिंग पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से एमएसआरटीसी की ऑनलाइन बस बुकिंग सेवाओं को सक्षम किया जा सके, जिससे यात्रियों के अनुभव को बढ़ाया जा सके और उन्हें एक ही स्थान से अपनी यात्रा व्यवस्था को सरल बनाने की सुविधा मिल सके और यात्रियों को आईआरसीटीसी बस बुकिंग पोर्टल के माध्यम से अंतिम-मील की निर्बाध पहुंच का लाभ मिल सके, जिससे सुगम यात्रा सुनिश्चित हो सके।

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की गरिमामयी उपस्थिति में आईआरसीटीसी के सीएमडी और परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के बीच समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान-प्रदान हुआ।

xi. आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप –

आईआरसीटीसी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, कंपनी ने Android और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए अपने उपयोगकर्ता-अनुकूल यात्रा और पर्यटन मोबाइल ऐप पेश किए हैं। इसमें बस, उड़ानें, होटल, रिटायरिंग रूम, लाउंज, टूर पैकेज, भारत गौरव, क्रूज, बौद्ध ट्रेन, महाराजा, गोल्डन चैरियट, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, ट्रेनों पर एक नज़र, ट्रेन टिकट, हेलीयात्रा और डिजिटल मेमोरी जैसे विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

xii. पर्यटन पोर्टल –

ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी की क्षमता को समझते हुए, आईआरसीटीसी के उन्नत पर्यटन पोर्टल www.irctctourism.com पर पर्यटक ट्रेनों, हवाई टिकटों, टूर पैकेजों (रेल, हवाई या भूमि के माध्यम से), होटल, सैलून कार, एसी पर्यटक ट्रेनों, इवेंट मैनेजमेंट आदि की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। अन्य ओटीए द्वारा दी जाने वाली प्रयोक्ता मैत्रीपूर्ण और सुविधाओं के समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए, आईआरसीटीसी ने अपनी पर्यटन वेबसाइट का नवीनीकरण किया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 23,17,989 यात्रियों के लिए कुल 10,23,785 लेनदेन आईडी (टीआईडी) तैयार की गईं, जिनसे ₹ 773.68 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 18,08,548 यात्रियों के लिए 8,15,630 लेनदेन आईडी (टीआईडी) तैयार की गईं, जिनसे ₹ 537.24 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ था।

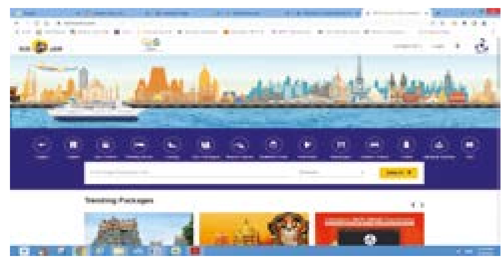

xiii. ट्रेनों पर एक नज़र (टीएजी) – भारतीय रेलवे की समय सारणी ट्रेनों पर एक नज़र, जिसके पाठकों की संख्या बहुत अधिक है, महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों, प्रीमियम ट्रेनों के मार्गों, समय-सारणी के बारे में विस्तृत जानकारी देती है; अन्य विवरण, जो रेल यात्रा के लिए उपयोगी हैं जैसे आरक्षण प्रक्रिया, यात्रा के नियम और विनियमन, ट्रेनों और स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं जिनमें खानपान, मेनू प्रकार और दरें शामिल हैं और रेल-आधारित पर्यटन के बारे में भी जानकारी देती है।

रेल मंत्रालय ने ग्राहकों के लिए ट्रेन्स एट अ ग्लांस का 44वां संस्करण जारी किया है, जिसे अक्तूबर, 2023 में राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया है

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 2540 टीएजी ग्राहकों के घरों तक पहुंचाए गए।

ट्रेन्स एट अ ग्लांस - 2023 डिजिटल प्रारूप में ई-बुक के रूप में भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 4549 ई-बुक्स (अंग्रेजी और हिंदी) की सदस्यता ली गईं।

xiv. भारतीय रेल पत्रिकाएं – 2020 में शुरु करने के बाद से, दो वार्षिक रेल पत्रिकाओं (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में) - भारतीय रेल और भारतीय रेल की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खंड ने डिजिटलीकरण के कारण संभावित पाठकों तक पत्रिका की पहुंच बढ़ाई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 504 टीआईडी सृजित हुए जिसका राजस्व 1.57 लाख रु. रहा।

दिनांक 29.02.2024 को लाइव की गई इन पत्रिकाओं को डिजिटल प्रारूप में ई-पत्रिका के रूप में भी बुक किया जा रहा है और ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है।

xv. राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम) के लिए ऑनलाइन टिकटिंग – आईआरसीटीसी राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम), चाणक्यपुरी, नई दिल्ली की ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली का प्रबंधन करता है, जिससे संग्रहालय देखने और विभिन्न यात्राओं के लिए वेबसाइट (www.nrmindia.org) के माध्यम से अपने ऑनलाइन टिकट पहले से बुक करने वाले आगंतुकों को सुविधा मिलती है। इस प्रणाली में स्कूलों और अन्य संस्थानों द्वारा संस्थागत बुकिंग भी की जा सकती है।

टिकट बुकिंग कई भुगतान माध्यम से की जा सकती है, जैसे क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आदि। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान के लिए काउंटर बुकिंग भी पीओएस मशीनों से की जा सकती है।

आगंतुकों के आसान प्रवेश के लिए विभिन्न काउंटरों पर टिकट जांच कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए मोबाइल ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड सक्षम टिकटों को स्कैन किया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 2,52,47,922 रु. के लेनदेन मूल्य के साथ 81,921 टिकट बुक किए गए, जबकि पिछले वर्ष 2,18,99,590 रु. के लेनदेन मूल्य के साथ 63,574 टिकट बुक किए गए थे।

xvi. श्री केदारनाथ हेलीयात्रा टिकट प्रणाली – श्री केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए यात्रियों को हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग प्रणाली प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी और यूसीएडीए (उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, आईआरसीटीसी ने हेलीकॉप्टर टिकटिंग वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in विकसित की है और दिनांक 08.04.2023 से 5 वर्षों की अवधि के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग सफलतापूर्वक शुरू की है।

तीर्थयात्रियों द्वारा श्री केदारनाथ धाम के पवित्र तीर्थस्थल की यात्रा करने हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली, आईआरसीटीसी की एक प्रतिष्ठित परियोजना है, जो जटिलताओं और कई विविधताओं के साथ बेजोड़ है। इसके लिए आईआरसीटीसी प्रशासनिक और तकनीकी संचालन, भुगतान गेटवे लेखा/समाधान आदि का कार्य संभालेगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, 1,92,551 तीर्थयात्रियों के लिए कुल 83,714 टिकट बुक किए गए, जिनका कुल लेनदेन मूल्य 121 करोड़ रु. था जिसमें से आईआरसीटीसी का सुविधा शुल्क 5.38 करोड़ रु. (जीएसटी को छोड़कर) था।

भावी रणनीति –

भारतीय रेल की पर्यटन शाखा होने के नाते, आईआरसीटीसी ने शुरुआती चरणों में रेल आधारित पर्यटन उत्पादों को अधिक विकसित किया और बढ़ावा दिया है। लेकिन बाजार में प्रतिस्पर्धा का प्रबंधन करने के लिए, आईआरसीटीसी ने विभिन्न गैर-रेल आधारित पर्यटन उत्पादों को भी प्रस्तुत और संचालित किया। इस अत्यंत विविध पर्यटन उत्पाद क्षेत्रों के साथ, पर्यटन के क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं और यह देखा गया है कि डबल्यूटीटीसी (विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद) द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार, पर्यटन व्यवसाय अगले 10 वर्षों (2023-2033) में लगभग 5.1% (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) बढ़ेगा।

आईआरसीटीसी आने वाले वर्षों में पर्यटन व्यवसाय को और बढ़ाने तथा मजबूत करने के लिए अधिक रेल तथा गैर-रेल आधारित पर्यटन उत्पाद पेश करते हुए अपने उपक्रम में नए उद्यम जोड़ रहा है।

आईआरसीटीसी को भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने के साथ घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है, जिसका इस्तेमाल राज्य विशेष पर्यटक ट्रेनों के संचालन के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अधिक आउटबाउंड टूर पैकेज शुरू किए जा रहे हैं।

आईआरसीटीसी के पास कुल 10 भारत गौरव रेक हैं, जिनका उपयोग पूरे भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और कर्नाटक सरकार के 01 रेक का संचालन भी आईआरसीटीसी द्वारा किया जाता है। इस रेक की संरचना न्यूनतम 14 कोच की रखी गई है।

हालांकि, आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है जो इस प्रकार हैं -

i. **भारत गौरव ट्रेनें –** आईआरसीटीसी ने घरेलू बाजार में रेल आधारित पर्यटन को उचित मूल्य पर बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराए गए एलएचबी रेक के साथ पूरे भारत में भारत गौरव ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि आईआरसीटीसी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य विशेष ट्रेन यात्राओं सहित 200 से अधिक यात्राएं संचालित करेगा।

ii. **रेल टूर पैकेज –** रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आईआरसीटीसी ने मौजूदा रेल टूर पैकेजों की संख्या बढ़ाने के ठोस प्रयास करने के अलावा अधिक से अधिक तीर्थयात्रा और अवकाश आधारित पर्यटन पैकेज शुरू करने की योजना बनाई है।

iii. **आवश्यकता-अनुकूल अवकाश पैकेज –** ग्राहकों की मांग के आधार पर, आईआरसीटीसी परिवार और दोस्तों के छोटे समूहों के लिए अधिक अनुकूलित पैकेजों की योजना बनाएगा और उनका विकास करेगा, जिससे ग्राहकों को अधिक विविधता मिलेगी।

iv. **आउटबाउंड पर्यटन –** आउटबाउंड पर्यटन के लिए भूमि व्यवस्था में गुणता युक्त सुपुर्दगी के साथ प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पैकेज उपलब्ध कराने के लिए गंतव्य प्रबंधन कंपनियों (डीएमसी) को नियुक्त किया जा रहा है।

v. **घरेलू हवाई पैकेज –** इस व्यवसाय-खंड पर विशेष जोर दिया गया है और इस कारोबार को अत्यधिक बढ़ाने की योजना है। आउटबाउंड टूर की तरह, सभी अंचलों को ऐसी यात्राओं की संख्या के साथ-साथ पर्यटकों की संख्या पर भी कठोर लक्ष्य दिए गए हैं।

vi. **हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएं –** राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने आईआरसीटीसी के माध्यम से राज्य विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। आईआरसीटीसी राज्य विशेष यात्राएं संचालित करेगा और अन्य राज्यों के साथ समन्वय करते हुए उनके राज्यों से भी ऐसे पैकेज संचालित करेगा।

vii. **ऑनलाइन होटल व्यवसाय –** वेबसाइट डिजाइन, अधिक भागीदारों के साथ संभावित सहयोग और विपणन/प्रचार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए होटल व्यवसाय के पुनरुद्धार की परिकल्पना की जा रही है।

viii. **एमआईसीई –** आईआरसीटीसी बैक-एंड सेवा प्रदाता के पैनल को मजबूत करने के साथ-साथ अधिक से अधिक कार्पोरेट को आईआरसीटीसी का संरक्षण लक्षित करते हुए एमआईसीई के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।

सी. इंटरनेट टिकटिंग

वर्ष 2002 में अपनी शुरुआत के बाद से और दो दशकों से अधिक की बेमिसाल प्रगति के बाद, आईआरसीटीसी की वेबसाइट एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इस प्लेटफ़ॉर्म के विकास ने आम आदमी को नई तकनीक का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है, जिससे ऑनलाइन टिकटिंग अधिक सुलभ, सुविधाजनक और सस्ती हो गई है। आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से, लोग अपने घरों, कार्यालयों आदि में आराम से टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे पीआरएस काउंटर पर स्वयं चलकर जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, समय की बचत होती है और परेशानी कम होती है।

आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट आधारित रेल टिकट बुकिंग में अग्रणी है, जो 2023-24 में भारतीय रेल पर ऑनलाइन बुक किए गए कुल आरक्षित टिकटों का 82.68% होता है, जिसमें एआई आधारित बुकिंग, एकल प्लेटफॉर्म पर निर्बाध भुगतान विधियों के माध्यम से और वृद्धि होने की संभावना है।

यह साइट 23:45 बजे से 00:20 बजे तक 35 मिनट के ब्रेक को छोड़कर चौबीसों घंटे टिकट बुकिंग सेवाएं प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप ने 12.38 लाख टिकटों की औसत दैनिक टिकट बिक्री दर्ज की, जो पिछले वित्तीय वर्ष के औसत 11.82 लाख टिकटों से 5% अधिक है। ये आंकड़े भारतीय ई-कॉमर्स क्षेत्र में सिस्टम की प्रभावशाली वृद्धि और प्रभुत्व को उजागर करते हैं।

सुविधा शुल्क

आईआरसीटीसी ई-टिकट बुकिंग पर गैर-एसी श्रेणी के लिए 15/- रु. + जीएसटी प्रति टिकट और एसी श्रेणी (प्रथम श्रेणी/एफ़सी सहित) के लिए 30/- रु. + जीएसटी प्रति टिकट की दर से सुविधा शुल्क वसूलता है। उन उपयोगकर्ताओं के लिए, जो भीम/यूपीआई भुगतान मोड के माध्यम से ई-टिकट के लिए ऑनलाइन भुगतान करते हैं, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गैर-एसी श्रेणी के लिए 10/- + जीएसटी प्रति टिकट और एसी श्रेणी (प्रथम श्रेणी सहित) के लिए 20/- रु. + जीएसटी प्रति टिकट की दर से सुविधा शुल्क लिया जाता है और इस प्रकार भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन में योगदान देता है।

Ask Disha चैटबॉट के माध्यम से इंटरनेट टिकटिंग

31 मार्च, 2022 को प्रारंभ किए जाने के बाद से, Ask DISHA चैटबॉट (डिजिटल इंटरेक्शन टू सीक हेल्प एनीटाइम) ने आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत की है। कृत्रिम प्रज्ञान (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) आधारित यह अभिनव प्रणाली पारंपरिक तरीकों की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इस अत्याधुनिक सुविधा ने बुकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाया है। Ask DISHA की बुकिंग में हुई वृद्धि अपने आप में सफलता और उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

इसकी पूरी-पूरी संभावना है कि उपरोक्त प्रवृत्ति जारी रहेगी तथा आधुनिक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ भविष्य में आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग के भविष्य को आकार देगी।

अवलोकन

i. **इंटरनेट टिकटिंग –** प्रति माह 37.75 मिलियन से अधिक की लेनदेन मात्रा और प्रतिदिन 6.91 मिलियन लॉगिन के साथ, कंपनी एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक आबादी और लेनदेन वाली वेबसाइटों में से एक बनी हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, भारतीय रेल में यात्रा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 22 लाख यात्रियों के लिए औसतन 12.38 लाख टिकट ऑनलाइन बुक किए गए, जिसमें ऑनलाइन बुक की गई भारतीय रेल की लगभग 82.68% आरक्षित टिकटें शामिल हैं।

ii. **NGeT सिस्टम –** नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग (एनजीईटी) सिस्टम को पिछले ई-टिकटिंग सिस्टम के प्रतिस्थापन के रूप में लागू किया गया था। इसने प्रति मिनट टिकट बुकिंग क्षमता को 2000 से बढ़ाकर 7200 टिकट कर दिया है, जिससे सिस्टम की दक्षता में काफी सुधार हुआ है। इसके अलावा, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी के क्रिस (CRIS) परिसर में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित किया गया है, ताकि इस उन्नत सिस्टम को सहायता किया जा सके, क्षमता बढ़ाई जा सके और दैनिक बुकिंग बढ़ सके, जिसे तकनीकी प्रगति के साथ बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। कंपनी के पास एक मजबूत ग्राहक डेटाबेस है और वह ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने और टॉप-लाइन वृद्धि प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों को विविध बिक्री और प्रतिफल बढ़ाने के लिए इसका लाभ उठाती है।

NGeT सिस्टम में प्रति मिनट 28,000 से ज़्यादा टिकट बुक करने की क्षमता है, जो इसे दुनिया भर में सबसे दक्ष ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम में से एक बनाता है। हालांकि, आईआरसीटीसी ने एक मिनट में 28,434 टिकट बुक करते हुए सबसे ज़्यादा टिकट बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया है।

वर्षवार बुक किए गए ई-टिकट (लाखों में)

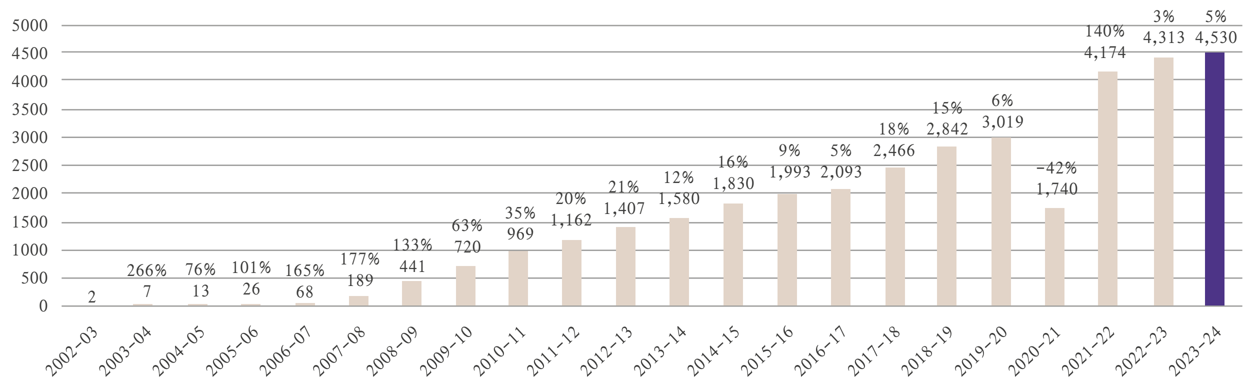

NGeT सिस्टम का शानदार कार्य-निष्पादन और सफलता आईआरसीटीसी की नवाचार और तकनीकी उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। शानदार विकास, दक्षता और निर्बाध अनुभव ने लाखों लोगों को सस्ती और सुविधाजनक ऑनलाइन टिकटिंग सेवा प्राप्त करना सक्षम बनाया है, जिससे एक अग्रणी ई-कॉमर्स वेबसाइट के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है।

iii. **आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप ई-टिकटिंग –** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, औसत मोबाइल टिकट बुकिंग प्रतिदिन 6.35 लाख थी, जिसमें मोबाइल ऐप पर 12.20 करोड़ डाउनलोड और दैनिक मोबाइल लॉगिन 51.77 लाख थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए 2322 लाख से अधिक टिकट बुक किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2042 लाख टिकट बुक किए गए थे। आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल Google Play स्टोर में भारत के सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले मोबाइल ऐप में से एक है।

रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

मोबाइल ऐप बुकिंग शेयर (लाख में)

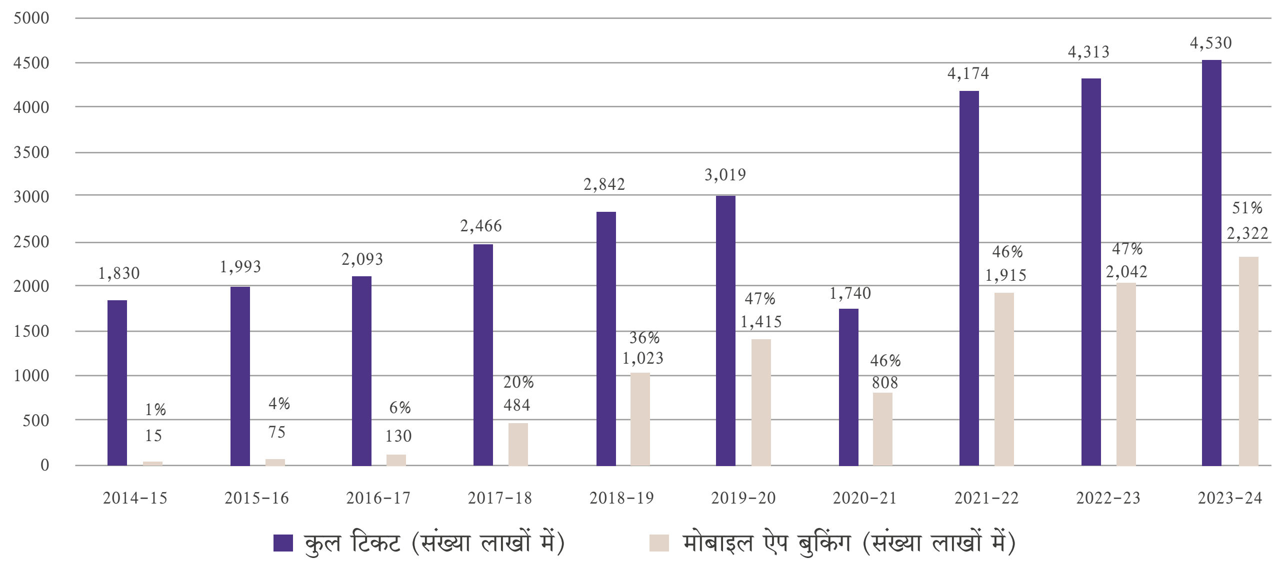

iv. **आईआरसीटीसी i-Pay – पेमेंट एग्रीगेटर –** आईआरसीटीसी का अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे – आईआरसीटीसी i-Pay (PCI-DSS अनुपालक भुगतान समाधान) एक संपूर्ण भुगतान समाधान है जिसमें सभी भुगतान माध्यमों (जैसे इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई खाता और ऑटोपे) के माध्यम से भुगतान की सुविधा दी जाती है और व्यापारी वेबसाइट, बहुलक जारीकर्ता संस्थानों, अधिग्रहण करने वाले बैंकों और भुगतान गेटवे प्रदाताओं के बीच सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, i-Pay ने वित्तीय वर्ष 2022-24 में 95.99 करोड़ रु. के राजस्व की तुलना में 19.33% की वृद्धि के साथ 114.54 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया है।

आईपे राजस्व रिपोर्ट

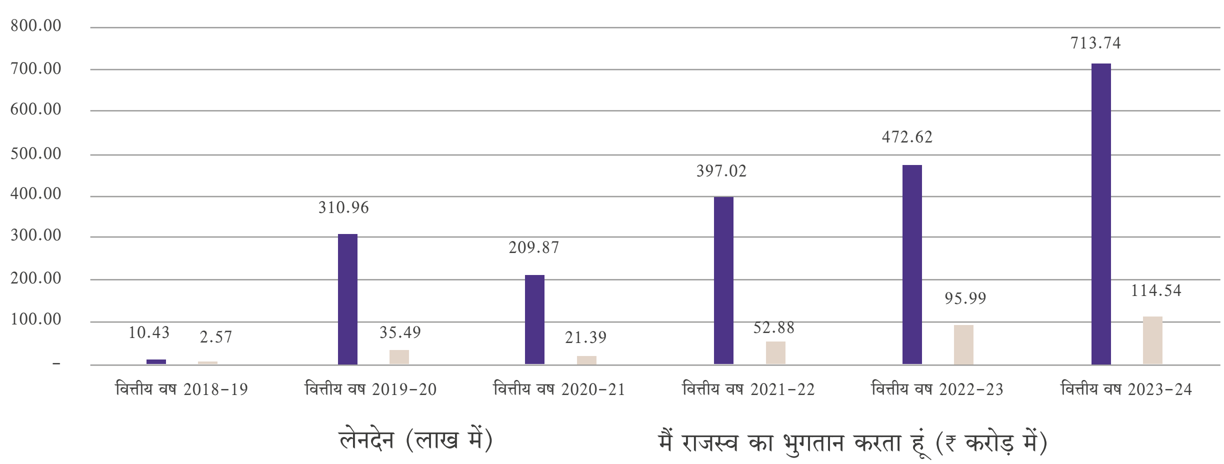

v. **नया यूजर इंटरफेस (यूआई) –** आईआरसीटीसी अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट और रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करते समय ग्राहक अनुभव और सुविधा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते आ रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आईआरसीटीसी ने संशोधित कार्यात्मकता और कुछ अतिरिक्त सुविधाओं के साथ ई-टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप का नया यूजर इंटरफेस शुरु किया था। आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग यूजर इंटरफेस को नया स्वरूप देना डिजिटल इंडिया की पहल थी, जो यात्रियों को दी जाने वाली सेवा सुपुर्दगी अनुभव को बदलने के लिए आशयित है। इसके अलावा, ई-टिकटिंग के लिए नया इंटरफेस उपयोगकर्ता के अनुकूल सुविधाओं और अधिक आरामदायक नेविगेशन के साथ आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप्स (एंड्रॉइड और आईओएस: प्लेटफॉर्म) के उपयोगकर्ता की वैयक्तिक पसंद और सुविधा को बढ़ाता है जो उन्नत डेटा प्रणालियों और प्रक्रियाओं से सुरक्षित है। इस इंटरफेस की दिखावट और अनुभव को अधिक आसान और आकर्षक डिज़ाइन के लिए समय के साथ बदला जा रहा है।

vi. आईआरसीटीसी भुगतान प्रणाली – ई-कॉमर्स उद्योग की सफलता के लिए भुगतान विकल्प और सफल लेनदेन दरें महत्वपूर्ण होती हैं। आईआरसीटीसी ने पिछले कुछ वर्षों में आईआरसीटीसी वेबसाइट एप्लिकेशन और अन्य विशेष वेब एप्लिकेशन और ऐप के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम/यूपीआई, मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर, पे-लेटर, ईएमआई जैसे विभिन्न भुगतान विकल्पों के साथ भुगतान गेटवे की मजबूत प्रणाली विकसित और पोषित की है। यहां तक कि विदेशी उपयोगकर्ता भी अन्य मल्टीपल भुगतान विकल्पों के साथ-साथ एटम टेक्नोलॉजीज, पेयू-एमपीपी, रेजरपे-एमपीपी और पाइन लैब (प्लुरल द्वारा संचालित) द्वारा उपलब्ध कराए गए भुगतान गेटवे के साथ-साथ पर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (भारत के बाहर जारी) का उपयोग करते हुए टिकट बुक कर सकते हैं।

आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लेनदेन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे वीज़ा, वेरीसाइन, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, सेफ की, एमवीज़ा, यूपीआई और मास्टर सिक्योर आदि द्वारा प्रमाणित किया गया है। टिकट बुक करते समय उपयोगकर्ताओं के बैंक खाते या कार्ड खाते का विवरण आईआरसीटीसी के सर्वर में सेव नहीं किया जाता है और इस प्रकार किसी भी तरह के दुरुपयोग की रोकथाम की जाती है।

vii. आरक्षित टिकटों के लिए तत्काल योजना – तत्काल शुल्क न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन द्वितीय श्रेणी के लिए मूल किराए के 10% और अन्य सभी वर्गों के लिए मूल किराए के 30% की दर से किराए के प्रतिशत के रूप में तय किए गए हैं। तत्काल टिकट यात्रा की वास्तविक दूरी के लिए जारी किए जाते हैं, न कि प्रारंभ से गंतव्य स्टेशन तक, जो ट्रेन पर लागू दूरी प्रतिबंधों के अधीन होते है। चार्ट तैयार होने तक एक ही तत्काल बर्थ/सीट को कई चरणों में बुक किया जा सकता है। चार्ट तैयार होने के समय, अप्रयुक्त बर्थ/सीटें सामान्य आरएसी/प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को जारी कर दी जाती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों के एग्जीक्यूटिव श्रेणी में उपलब्ध 10% स्थान यानी प्रति कोच 5 सीटें निर्धारित करते हुए भी तत्काल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तत्काल बुकिंग एसी श्रेणी के लिए सुबह 10 बजे और नॉन-एसी श्रेणियों के लिए सुबह 11 बजे खुलती है। ट्रेन के प्रारंभ होने वाले स्टेशन से, मार्गस्थ स्टेशनों की यात्रा की तारीख को छोड़कर, तत्काल टिकट एक दिन अग्रिम में बुक किए जा सकते हैं। यह योजना www.irctc.co.in और आईआरसीटीसी की रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है, जहां ग्राहक बिना तत्काल योजना पर किसी परेशानी के टिकट बुक कर सकते हैं।

viii. विकल्प योजना – जिन यात्रियों को बुकिंग कोटा या रियायतों पर ध्यान दिए बिना, प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है, वे इस योजना के तहत अधिकतम पाँच ट्रेनें चुन सकते हैं। इसमें बर्थ की पुष्टि नहीं की जाती है, क्योंकि यह संबंधित ट्रेन में सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन बदली हुई ट्रेनों के लिए तत्काल कीमतों सहित कोई रिफंड या अतिरिक्त किराया नहीं लिया जाता है। इस योजना को चुनने वाले पीएनआर के सभी यात्रियों को उसी श्रेणी में वैकल्पिक ट्रेनों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा या किसी को भी नहीं स्थानांतरित किया जाता। वैकल्पिक ट्रेन में पुष्टि हो जाने पर, सामान्य नियमों के अनुसार रद्दीकरण शुल्क लागू होते हैं। उपयोगकर्ता द्वारा किए गए चयन के अनुसार किसी व्यक्ति को समान ट्रेन के भीतर उपलब्ध किसी भी ट्रेन में स्थानांतरित किया जा सकता है। विकल्प योजना के तहत एक बार चुनी गई ट्रेन सूची को केवल एक बार बदला या अपडेट किया जा सकता है।

ix. लॉयल्टी प्रोग्राम – आईआरसीटीसी स्वदेशी RuPay प्लेटफॉर्म पर एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक के साथ ग्राहकों को सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। आईआरसीटीसी सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए यात्री अपनी टिकट बुक कर सकते हैं और बाज़ार से अन्य सामान खरीद सकते हैं। आईआरसीटीसी पोर्टल पर, रेल टिकट बुक करने पर यात्री को लॉयल्टी पॉइंट मिलते हैं, जिन्हें आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर रेल टिकट बुक करने के लिए भुनाया जा सकता है। आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग वेबसाइट पर उपयोग किए जाने पर इन कार्डों से भुगतान गेटवे शुल्क पर 1% छूट का लाभ मिलता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस खंड से 39.54 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित किया गया था, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 37.52 करोड़ रु. था। इस योजना में 10.12 लाख सक्रिय कार्ड धारक हैं, जिसमें RuPay प्लेटफॉर्म पर 4.33 लाख क्रेडिट कार्ड धारक भी शामिल हैं।

x. भीम/यूपीआई भुगतान मोड – वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल भीम/यूपीआई लेनदेन 1806.12 थे, जो कुल ऑनलाइन टिकटिंग का 39.87% है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1454.71 के लेनदेन किए गए थे।

xi. यात्रा बीमा – आईआरसीटीसी ने आईआरसीटीसी की वेबसाइट एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए अपनी टिकट बुक करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा बीमा की शुरुआत की है। इस यात्रा बीमा में यात्रियों को भारतीय रेल में यात्रा के दौरान दुर्घटना बीमारक्षा प्रदान किया जाता है। ट्रेनों के बीच टक्कर, यात्रियों को ले जा रही ट्रेन के पटरी से उतरने या किसी अन्य प्रकार की ट्रेन दुर्घटना होने पर, यात्री या नामित व्यक्ति मुआवज़े का दावा कर सकते हैं। इस पॉलिसी में बीमारक्षा पीएनआर पर आधार होती है और इसमें मृत्यु, स्थायी पूर्ण विकलांगता, स्थायी आंशिक विकलांगता के साथ-साथ अस्पताल में भर्ती होने का खर्च भी शामिल होता है। 10 लाख रु. तक का यह यात्रा बीमा उन यात्रियों को प्रदान किया जाता है जो इसे चुनते हैं और इसके लिए उन्हें प्रति यात्री 0.45 रु. का प्रीमियम देना होता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कुल 46.55 करोड़ यात्रियों ने यात्रा बीमा का विकल्प चुना है।

xii. रियायती बुकिंग – पत्रकारों और दिव्यांग यात्रियों के लिए भारतीय रेल द्वारा उपलब्ध कराए गए आईडी कार्ड का उपयोग करते हुए आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन टिकट बुक करने पर रियायती बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

xiii. रेलवे पास धारकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग – सेवारत रेलवे कर्मचारियों के लिए रेलवे पास का उपयोग करते हुए आरक्षित रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग लागू की गई है। इन बुकिंग के लिए सुविधा शुल्क और यात्रा बीमा लागू नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रेलवे पास/पीटीओ का उपयोग करते हुए 33.67 लाख टिकट ऑनलाइन बुक किए गए, जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 27.40 लाख टिकट बुक किए गए थे।

xiv. अर्धसैनिक बलों के लिए ई-टिकटिंग पोर्टल – आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग सुविधा अर्धसैनिक बलों के लिए उनकी आरक्षित ट्रेन ई-टिकट आवश्यकताओं को पूरा करने का एक अत्यंत सुविधाजनक माध्यम साबित हुई है। इससे रेलवे वारंट प्रबंधन, भारतीय रेल और गृह मंत्रालय के बीच हिसाब-समाधान और लेखा-जोखा की बोझिल मैनुअल प्रक्रियाओं की आवश्यकता भी समाप्त हुई है।

आईआरसीटीसी ने ई-टिकटिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए एक विशेष वेबसाइट विकसित की है, साथ ही इस पोर्टल के माध्यम से ट्रेनों में बिना किसी परेशानी के यात्रा करने के लिए ई-टिकटों की बुकिंग के लिए वारंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया है। इसके परिणामस्वरूप, टिकट बुकिंग में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्धसैनिक बलों के माध्यम से कुल 10.68 लाख टिकट बुक किए गए, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुक किए गए 8.99 टिकटों की तुलना में 18.85% अधिक है।

वर्तमान में आईआरसीटीसी सात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों अर्थात् एनएसजी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, एआर, सीआईएसएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी को सेवा प्रदान कर रहा है।

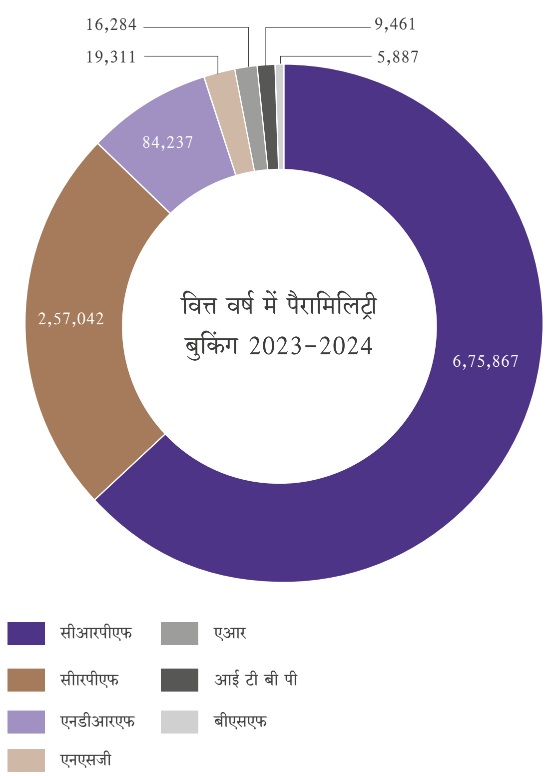

xv. डेटा और साइबर सुरक्षा – यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी की सभी ऑनलाइन सेवाओं और इसके डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता मौजूदा साइबर सुरक्षा खतरों से पूरी तरह से सुरक्षित है, कंपनी अत्याधुनिक तकनीकों पर विश्वास करती है। कंपनी अपने डेटा को उन्नत सुरक्षा प्रणालियों के साथ सुरक्षित रखती है और दुर्भावनापूर्ण वायरस या अन्य साइबर खतरों के खिलाफ सिस्टम का सफलतापूर्वक बचाव करती है।

आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग प्रणाली एक सुरक्षित प्रणाली है, जो साइबर खतरों और डेटा चोरी से सुरक्षा के लिए उद्योग-मानक के अत्याधुनिक व नवीनतम सुरक्षा तकनीकों से सुसज्जित है। इसमें नेटवर्क फ़ायरवॉल, नेटवर्क घुसपैठ रोकथाम प्रणाली और वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, DDoS सुरक्षा सेवाएं आदि शामिल हैं। यह वेबसाइट एक विस्तारित सत्यापन (ईवी) एसएसएल / टीएलएस प्रमाणपत्र पर चलती है जो वेबसाइट और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच शुरु से अंत तक का डेटा एन्क्रिप्शन प्रदान करती है। उपयोगकर्ता पासवर्ड जैसे संवेदनशील डेटा को डेटाबेस में एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत किया जाता है। **NGeT सिस्टम की सुरक्षा स्थिति में सुधार के निरंतर प्रयास करते हुए, आईआरसीटीसी ने अनुप्रयोगों और आईसीटी अवसंरचना के द्वि-वार्षिक साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा के लिए CERT-In के पैनल के सुरक्षा लेखापरीक्षकों को नियुक्त किया है।**

नेट बैंकिंग और क्रेडिट/डेबिट कार्ड सहित सभी ऑनलाइन भुगतान एकीकरण को यूआरएल-रीडायरेक्शन मॉडल पर क्रियान्वित किया गया है, जिसमें सभी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के लिए संबंधित बैंकों/भुगतान गेटवे वेबसाइटों पर रीडायरेक्ट किया जाता है, जिससे आईआरसीटीसी की ओर से क्रेडिट/डेबिट कार्ड डेटा लीक होने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाती है।

कंपनी ने अपनी यात्रा एवं पर्यटन तथा खानपान सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सुरक्षा के कई समाधान जैसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, प्रिविलेज्ड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, सिक्योर ईमेल गेटवे और मैलवेयर सैंडबॉक्सिंग समाधान, DDoS प्रोटेक्शन सर्विसेज (क्लीन पाइप सर्विसेज) आदि किए हैं। आईआरसीटीसी ने अपने परिवेश में कमजोरियों के अवलोकन और समय पर उनके निवारण के लिए एक भेद्यता प्रबंधन समाधान तैयार किया है।

अपने कार्यबल को अपने उद्यम अनुप्रयोगों तक सुरक्षित और विश्वसनीय दूरस्थ पहुँच प्रदान करने के लिए, बहु- प्रमाणीकरण क्षमता के साथ ज़ीरो-ट्रस्ट आधारित सुरक्षित पहुंच समाधान लागू किया गया है। इस समाधान से आईआरसीटीसी के कर्मचारियों को किसी भी समय कहीं भी कार्पोरेट अनुप्रयोगों और डेस्कटॉप में सुरक्षित रूप से लॉग इन करने और निजी अनुप्रयोगों/प्रणालियों तक पहुँचने की सुविधा होती है जो उन्हें कुशल और उत्पादक बनाने के लिए आवश्यक है।

आईआरसीटीसी की गोपनीयता नीति सहित सूचना सुरक्षा नीतियां आईआरसीटीसी के कार्पोरेट पोर्टल (कर्मचारी लॉगिन के अंतर्गत) पर अपलोड की जाती हैं। यह वेब लिंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

इंटरनेट टिकटिंग सांख्यिकी

ए. ई-टिकट और बुक किए गए यात्रियों की संख्या – वर्ष 2023-24 में कुल 4529.83 लाख टिकट बुक किए गए जबकि वर्ष 2022-23 में 4313 लाख टिकट बुक किए गए थे। कुल मिलाकर, वर्ष 2023-24 में 8025.06 लाख यात्रियों ने ई-टिकट बुक किए, जबकि वर्ष 2022-23 में 7706.40 लाख यात्रियों ने ई-टिकट बुक किए थे।

बी. वर्ष के दौरान यात्री-टिकट का अनुपात 1.77:1 था।

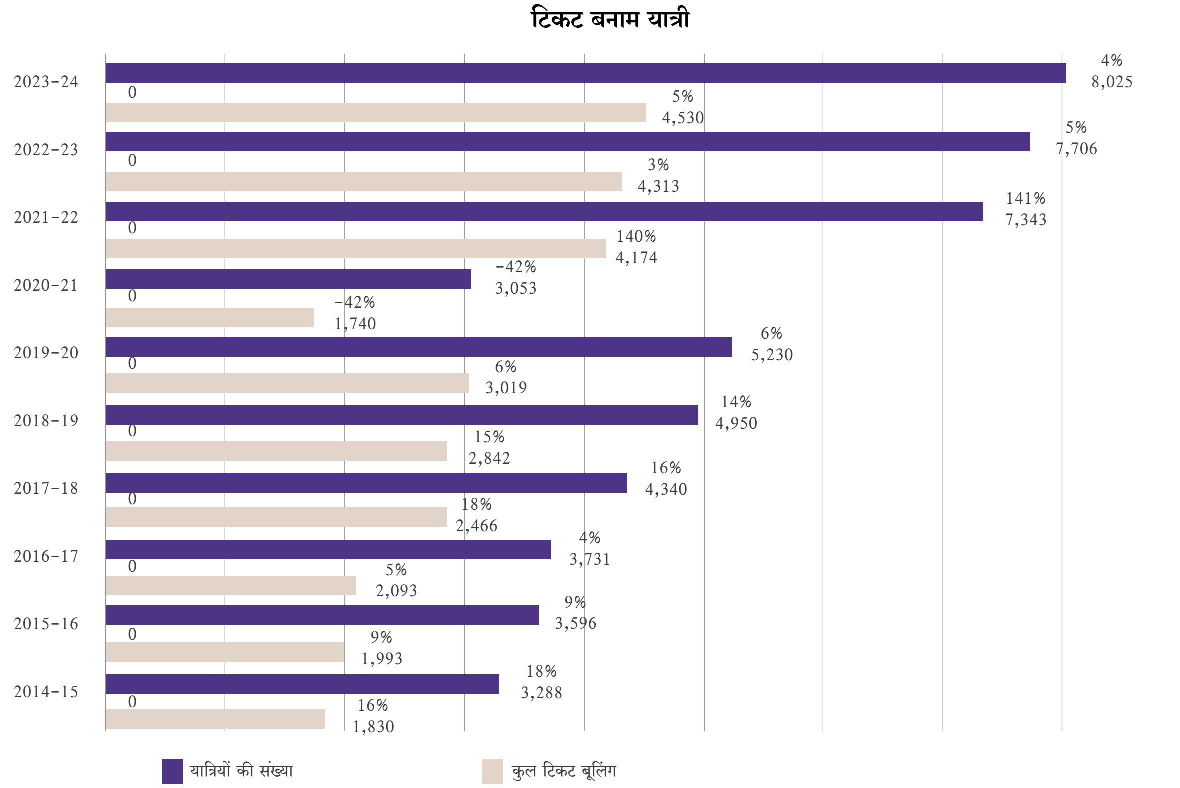

सी. ई-टिकटिंग किराया संग्रह – वर्ष 2023-24 के दौरान, ई-टिकटिंग राजस्व के रूप में उपयोगकर्ताओं से टिकट किराए के रूप में 61,736.71 करोड़ रु. की राशि एकत्र की गई, जो पिछले वर्ष के संग्रह 54,313.46 करोड़ रु. से 13.67% अधिक है।

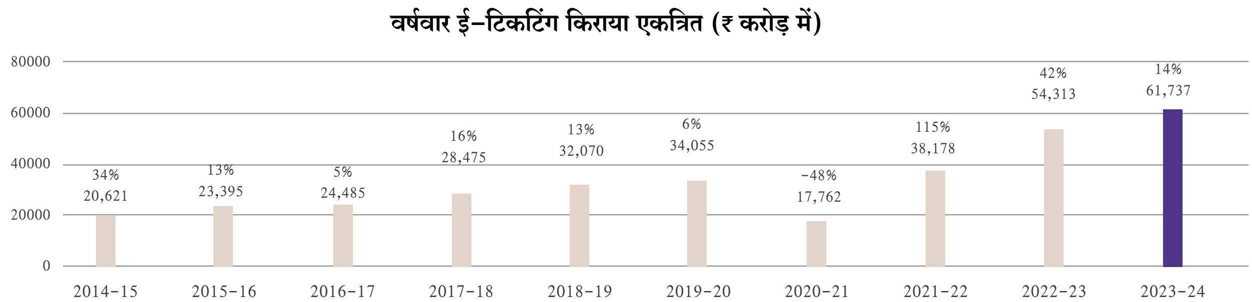

डी. ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकटिंग में वृद्धि

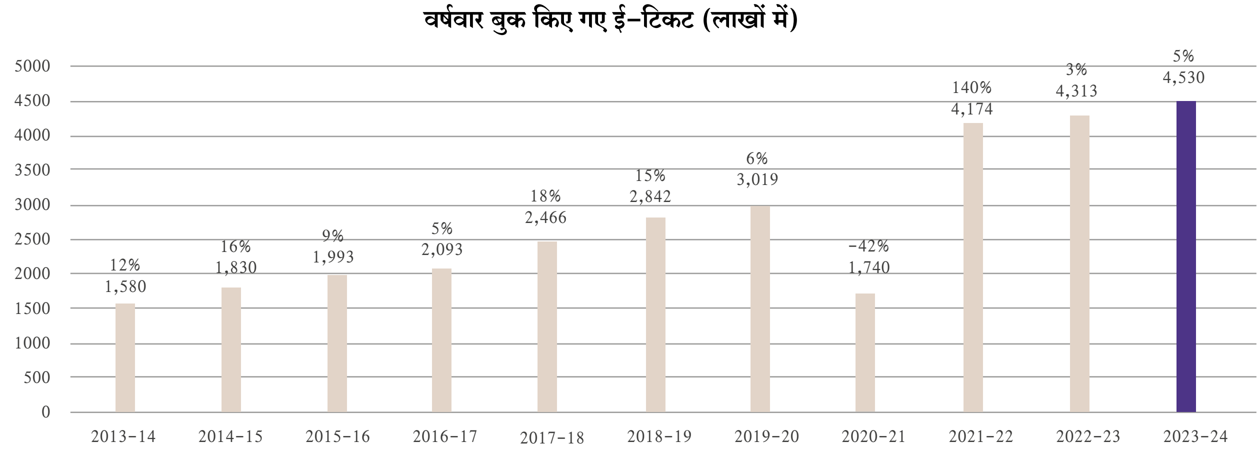

ई. 2023–24 में खंड–वार ऑनलाइन टिकट बुकिंग हिस्सा

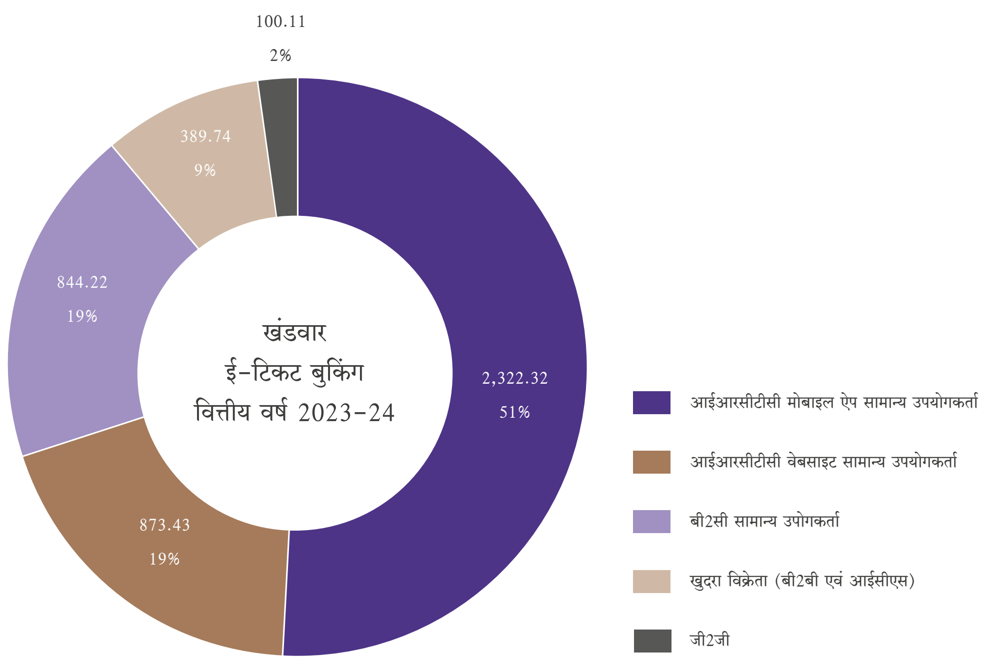

वर्ष 2023–24 के दौरान की गई नई पहल

एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन एवं पूछताछ प्रणाली (आईआरएचईएस–139) –

एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन और पूछताछ प्रणाली (आईआरएचईएस–139) एक व्यापक सेवा है जिसमें किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे यात्रियों को रेलवे की जानकारी और सहायता प्रदान की जाती है। आईआरसीटीसी ने उन्नत तकनीकी सुविधाओं के साथ इस सेवा को अद्यतन किया है। इस प्रणाली में प्राकृतिक भाषा समझ (एनएलयू) / स्वाभाविक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) द्वारा संचालित स्वचालित भाषण पहचान (एएसआर) के साथ आईवीआरएस का प्रयोग किया जाता है, जिससे यात्री अपनी मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से बातचीत कर सकते हैं जो 13 भाषाओं – हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, असमिया, पंजाबी, उड़िया और उर्दू में उपलब्ध है।

इस अभिनव पहल में रेलवे की जगह का उपयोग किए बिना या अतिरिक्त खर्च किए बिना पीआरएस, NGeT, यूटीएस, रेल मदद, एनटीईएस, और अन्य से एपीआई को शामिल किया जाता है। इसकी अवसंरचना क्लाउड–आधारित (MeitYempaneled) है और इसमें आईटी सुरक्षा अनुपालन के लिए आईएसओ 27000 अनुपालन मानकों का पालन किया जाता है। इसमें मापनीयता और एसएलए–आधारित दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जाता है, और इसकी स्वचालन दर 85% प्रभावी है। इसमें हर दिन लगभग 2.5 लाख कॉल लिए जा रहे हैं, जिनमें से 14–15% कॉल एजेंटों द्वारा और बाकी ए.आई. आधारित आईवीआर

सिस्टम द्वारा संभाले जाते हैं। लगभग 1 लाख एसएमएस प्रतिदिन भेजे जा रहे हैं और लगभग 6500 शिकायतें 139 के माध्यम से प्रतिदिन रेल मदद पर दर्ज की जा रही हैं। कॉल छोड़ने की दर लगभग 1% दर्ज की गई है।

ए) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शामिल की गईं नई सेवाएं –

1. वंदे भारत ट्रेनों के यात्री अब दिनांक 25.07.2023 से टिकट बुक करते समय खानपान के विकल्प के रूप में चाय/कॉफी का चयन कर सकते हैं।

2. रेल ई-टिकटिंग में यदि टिकट बुक नहीं होता है और राशि की कटौती हो जाती है तो उसी दिन धन-वापसी की सुविधा शुरू की गई है।

3. वंदे भारत ट्रेनों में, कन्फर्म यात्रियों के लिए दिनांक 17.01.2024 से एसएमएस के माध्यम से दिए गए लिंक के माध्यम से भोजन बुक करने के लिए नई एसएमएस सेवा लागू की गई है। इसके अलावा, एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध भोजन योजनाओं का मेनू भेजने, भोजन बुकिंग की पुष्टि, भोजन की असफल बुकिंग, भोजन बुकिंग को रद्द करने और एसएमएस और मेल के माध्यम से रद्द भोजन बुकिंग की वापसी की सुविधा भी दिनांक 21.02.2024 से लागू की गई है।

बी) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप पर शामिल की गईं नई सेवाएं –

1. 07 अप्रैल 2023 से iOS मोबाइल ऐप में पिन रहित बायोमेट्रिक या पैटर्न लॉक के माध्यम से और कैप्चा के बिना लॉगिन शुरू किया गया है।

2. 26 जुलाई 2023 को एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर और 8 अगस्त 2023 को आईओएस मोबाइल ऐप पर बुकिंग प्रक्रिया के दौरान ट्रेनों में खानपान सेवा के रूप में चाय/कॉफी का विकल्प शामिल किया गया।

3. डील्स, ऑफर्स और शॉपिंग अनुभव के लिए विज्ञापन भागीदार के रूप में और बिल भुगतान और रिचार्ज भागीदार के रूप में अमेज़न सहयोगकर्ताओं का एकीकरण किया गया है और इन उत्पादों को 14-सितंबर-23 को एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर लाइव किया गया।

4. 16 नवंबर 2023 से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप्स पर (व्यापक भुगतान समाधान) के एकीकरण से भुगतान और धन-वापसी की गति में वृद्धि हुई है, जिसके कारण टिकट बुकिंग की सफलता दर और समय पर धन-वापसी दर में सुधार हुआ है।

5. वंदे भारत ट्रेनों में यात्री 11 जनवरी 2024 से मोबाइल एंड्रॉइड ऐप पर और 22 फरवरी 2024 से मोबाइल आईओएस ऐप पर भोजन बुकिंग करा सकते हैं।

6. मोबाइल आईओएस ऐप्स में ई-कैटरिंग सेवाओं का उपयोग करते हुए भोजन का ऑर्डर देना 22 फरवरी 2024 से शुरू किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में इंटरनेट टिकटिंग की मुख्य विशेषताएं

1. आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म ने 01 मार्च 2024 को सुबह 11:02 बजे 26,672 बुकिंग का दूसरा सर्वोच्च प्रति मिनट रिकॉर्ड हासिल किया और 08 फरवरी 2024 को सुबह 10:01 बजे 25,712 बुकिंग का तीसरा सर्वोच्च प्रति मिनट रिकॉर्ड हासिल किया।

2. आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म ने 21.03.2024 को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच तत्काल घंटों के दौरान 1,85,513 प्रति घंटे की सर्वोच्च बुकिंग का रिकॉर्ड हासिल किया।

3. आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग प्लेटफॉर्म ने 22.03.2024 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच तत्काल घंटों के दौरान 2,23,193 की उच्चतम प्रति घंटा बुकिंग का रिकॉर्ड हासिल किया।

4. कुल बुक की गई टिकटों की संख्या 4529.83 लाख थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.03% अधिक है।

5. 31 मार्च, 2024 तक कुल 12.20 करोड़ मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस पर) डाउनलोड किए गए।

6. 2023-24 के दौरान औसत मोबाइल ऐप बुकिंग प्रतिदिन 6.35 लाख टिकट थी, जबकि 2022-23 में यह 5.60 लाख टिकट थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईआरसीटीसी के 13.70% ई-टिकट आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए गए।

7. 2023-24 में ऑनलाइन बुक किए गए आरक्षित रेल टिकटों की हिस्सेदारी 82.68% थी, जबकि 2022-23 में ऑनलाइन बुक किए गए आरक्षित टिकटों की हिस्सेदारी 80.99% थी। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन बुकिंग हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।

8. AskDisha चैटबॉट के माध्यम से टिकट बुकिंग में पर्याप्त और लगातार राजस्व वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस माध्यम में कुल टिकट 11.04 लाख बुक किए गए (जो पिछले वर्ष की तुलना में 91% है) और कुल अर्जित राजस्व 162.21 करोड़ रु. था।

भावी रणनीति –

आईआरसीटीसी ने अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने सिस्टम में कुछ नई परियोजनाएं लाने की योजना बनाई है, जो न केवल आईआरसीटीसी के ब्रांड नाम को बढ़ाएंगे बल्कि बाजार में प्रचलित नवीनतम नवोन्मेषी तकनीकों के लिए कंपनी की विशेषज्ञता और अनुकूलनशीलता को भी साबित करते हैं। साथ ही, इससे नए व्यवसाय भी बनने का अनुमान है जिससे कंपनी को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। आईआरसीटीसी न केवल अपने व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार करेगा, बल्कि सिस्टम सुधार के लिए प्रचलित नवीन तकनीकों का उपयोग करेगा।

इंटरनेट टिकटिंग द्वारा शुरू की जाने वाली कुछ भावी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं –

ए) एक भारत – एक टिकट पहल की ओर (डीएमआरसी)

यात्रियों की सुविधा और यात्रा को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने एक भारत-एक टिकट पहल शुरु की जिसमें आईआरसीटीसी पोर्टल के माध्यम से डीएमआरसी सेवाओं के लिए क्यूआर कोड-आधारित टिकटिंग शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएमडी/आईआरसीटीसी और एमडी/डीएमआरसी ने 14 अगस्त, 2023 को दोनों निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी के तहत, आईआरसीटीसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को डीएमआरसी क्यूआर कोड-आधारित टिकट बुक करने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। ये डीएमआरसी टिकट भारतीय रेल की अग्रिम आरक्षण अवधि के साथ जारी किए जा सकते हैं। इन सेवाओं को एकीकृत करते हुए यात्री आसानी से एक बार में अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकते हैं। डीएमआरसी क्यूआर कोड-आधारित टिकट आईआरसीटीसी की इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची (ईआरएस) पर आसानी से तैयार और मुद्रित किया जा सकते हैं। इस एकीकरण का उद्देश्य यात्रा के अनुभवों को सुव्यवस्थित करना, यात्रियों को लंबी कतारों में खड़े होने से बचाना और उनका बहुमूल्य समय बचाना है।

बी) फिनटेक कंपनी के रूप में आईआरसीटीसी का विविधीकरण

आईआरसीटीसी की अपनी व्यावसायिक पहल ळझरू को 2018-19 में एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आईआरसीटीसी की वेबसाइटों में इसके उपयोग और सरकारी कारोबार में उपलब्ध विशाल बाजार अवसर को ध्यान में रखना था, जहां आईआरसीटीसी iPay अनुकूलित भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए एक अच्छा विकल्प है और बेहतर ढंग से सुसज्जित है। डिजिटल भुगतान के युग में और भारत सरकार द्वारा भारत को कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में, इस तरह के उत्पाद की मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी का यानी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उत्पाद होने के कारण, इसे निजी क्षेत्र की तुलना में भरोसा और विश्वसनीयता का लाभ मिलेगा।

इस दूरदृष्टि को पूरा करने और फिनटेक क्षेत्र में आईआरसीटीसी के व्यवसाय में विविधीकरण के लिए, 10 फरवरी, 2024 को आईआरसीटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड की स्थापना की गई।

इस संबंध में, आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड गैर-बैंक पीए के लिए भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के रूप में काम करने की योजना बना रहा है।

सी) जीएसए बी2बी नीति

आईआरसीटीसी अपनी वेब सेवा बी2बी सुविधा को विदेशी देशों के संगठनों तक विस्तारित करने की संभावना तलाश रहा है। विदेशी संगठनों से संबद्ध एजेंट, जिन्हें 'जीएसए रिटेल सर्विस प्रोवाइडर' (जीआरएसपी) कहा जाता है, को जनरल सेल्स एजेंट (जीएसए) के पोर्टल या वेबसाइट के माध्यम से आईआरसीटीसी आरक्षित रेल ई-टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें 'जीएसए बी2बी प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर' कहा जाता है। इस व्यवस्था से जीआरएसपी को अपने-अपने देशों में आम जनता के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करने की अनुमति मिलती है। इस नीति का उद्देश्य संभावित विदेशी देशों के एजेंटों को लक्षित करना और प्रोत्साहित करना है ताकि वे आईआरसीटीसी की आरक्षित रेल ई-टिकटिंग सेवा प्रदान करने के लिए खुद को जीएसए के रूप में पंजीकृत करें।

डी) उसी दिन ऑनलाइन धन-वापसी

अपने ग्राहक आधार को बनाए रखने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट और रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से आरक्षित रेल ई-टिकटों के लिए ग्राहक अनुभव और सुविधा को लगातार बढ़ा रहा है। आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग प्रणाली में भुगतान और धन-वापसी के मुद्दों को हल किया जाना है जो सबसे बड़ी संख्या में शिकायतों का मुख्य कारण है।

पहले पारंपरिक फ़ाइल आधारित रिफंड पद्धति के तहत उपयोगकर्ता को T+1 दिन पर धन-वापसी की जाती थी। हालांकि, अब आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन रेल ई-टिकट लेनदेन के विफल लेनदेन मामलों (जहां उपयोगकर्ता के खाते से राशि की कटौती हो जाती है लेकिन टिकट बुक नहीं होता है) के लिए उसी दिन धन-वापसी शुरू करने की कार्यक्षमता लागू की है। इस प्रक्रिया में पहला कदम दिसंबर 2023 में रखा गया था। अब ऐसे सभी लेनदेन की धन-वापसी उसी दिन की जा रही है। यूपीआई के माध्यम से किए गए लेनदेन की धन-वापसी उसी दिन उपयोगकर्ता के खाते में वापस की जा रही है।

आईआरसीटीसी रद्द टिकटों की धन-वापसी भी उसी दिन करने की व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया शुरु कर रहा है।

ई) आईआरसीटीसी सह-ब्रांडेड सह-बिक्री (क्रॉस-सेलिंग) चैटबॉट

आईआरसीटीसी का को-ब्रांडेड को-सेल/क्रॉस-सेलिंग चैटबॉट एक संवादात्मक एआई प्लेटफ़ॉर्म समाधान है जो प्लेटफ़ॉर्म बाय आउट मॉडल पर आधारित है, जो तकनीकी साझेदार के सहयोग से सभी संगठनों (पीएसयू, सरकारी विभागों और निजी उद्यमों) में सभी सूचनाओं/प्रश्नों, लेन-देन और प्रतिपुष्टि को पूरा करता है। इस व्यवस्था में, पूरा प्लेटफ़ॉर्म, डैशबोर्ड, ग्राहक/व्यापारी देखभाल सहायता और इंस्टॉलेशन, कस्टमाइज़ेशन और अन्य एआई सेवाओं आदि की सहायता प्रदान की जाएगी। यह उत्पाद जल्द ही डीएमआरसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

एफ) आईसीटी रिफ्रेश

एनजीईटी (NGeT) प्रणाली अप्रैल 2014 में शुरू की गई थी, तब से, आईसीटी इन्फ्रा को अपग्रेड/संवर्धित किया गया है ताकि बढ़ते लोड और नई सेवाओं/कार्यक्षमताओं के एकीकरण को संभालने में सिस्टम सक्षम हो सके। आईसीटी इन्फ्रा को संबंधित ओईएम से एएमसी सहायता के तहत रखा गया था ताकि सिस्टम के लिए 247 समर्थन उपलब्ध हो सके। आईसीटी रिफ्रेश के तहत एनजीईटी के नए आईसीटी इन्फ्रा को होस्ट करने के लिए नए डेटा सेंटर स्पेस के विकास के लिए सीआरआईएस के समन्वय में एनजीईटी आईसीटी रिफ्रेश परियोजना के तहत एनजीईटी सिस्टम के लिए आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और हेल्प डेस्क सेवाओं की खरीद और कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है। इस परियोजना से बदलती आवश्यकताओं, अतिरिक्त कार्यक्षमताओं, सेवाओं और भार को संभालने की क्षमता के साथ एनजीईटी प्रणाली की स्थिरता को अगले 5 वर्षों तक सुनिश्चित किया जा सकेगा।

डी. पैकेज्ड पेयजल (रेल नीर)

रेल नीर भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) का पैकेज्ड पेयजल का एक विशेष ब्रांड है। हमारा पैकेज्ड पेयजल अत्याधुनिक संयंत्रों में संसाधित, शुद्ध, बोतलबंद और पैक किया जाता है और भारतीय रेल नेटवर्क के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर व्यापक रूप से उपलब्ध है।

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेल नीर पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है तथा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए आईआरसीटीसी देश भर में विभिन्न रेल नीर संयंत्र स्थापित कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोटा (राजस्थान), सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) और भुवनेश्वर (उड़ीसा) में तीन नए रेल नीर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 72000 बोतल प्रतिदिन है। तीनों नए संयंत्र में जल संरक्षण के

लिए 100% वर्षा जल संग्रहण प्रणाली है। ऊर्जा बचाने के लिए सभी नए संयंत्रों में एलईडी लाइटिंग फिक्सचर और ऊर्जा कुशल ब्लोइंग मशीन और एयर कंप्रेसर लगाए गए हैं।

31 मार्च, 2024 तक, आईआरसीटीसी के 19 परिचालन रेल नीर संयंत्र हैं जो नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ, अमेठी, पारसला, बिलासपुर, साणंद, हापुड, मंडीदीप, नागपुर, जगीरोड, मनेरी, सांकराइल, ऊना, भुसावल, कोटा,सिम्हाद्री और भुवनेश्वर में स्थित हैं जिनमें से अमेठी, परसाला, साणंद, हापुड, मंडीदीप, नागपुर, जगीरोड, मनेरी, सांकराइल, ऊना, बिलासपुर, भुसावल, कोटा, सिम्हाद्री और भुवनेश्वर के संयंत्र पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रेल नीर संयंत्रों का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है-

वित्तीय वर्ष	उत्पादन (बोतलें करोड़ में)	कारोबार (रु. करोड़ में)	संयंत्र उपयोग (%)
2023-24	39.45	326.66	74.00
2022-23	35.77	300.97	73.32

गुणता – नांगलोई, दानापुर, पलुर और बिलासपुर स्थित रेल नीर संयंत्र को आईएसओ 9001:2015 गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त है तथा अंबरनाथ स्थित रेल नीर संयंत्र को आईएसओ:22000-2015 प्रमाणन प्राप्त है।

रेल नीर पैकेज्ड पेयजल पर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों के परिणाम बताते हैं कि रेल नीर की गुणता कीटनाशक अवशेषों के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) के मानदंडों के अनुरूप है।

प्रौद्योगिकी/क्षमता उन्नयन

- रेल नीर संयंत्र सिम्हाद्री की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की गई है। इस संयंत्र की स्थापना एनटीपीसी पावर संयंत्र सिम्हाद्री के परिसर में की गई है। यह परियोजना अलवणीकरण जल पर आधारित है। एनटीपीसी के अलवणीकरण जल का उपचार फ्लू गैस आधारित समुद्री जल (एफजीएसडब्ल्यू) विलवणीकरण प्रणाली की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है और 1.2 किमी एसएस पाइपलाइन के माध्यम से रेल नीर संयंत्र को आपूर्ति की जाती है, जहां पैकेज्ड पेयजल के लिए बीआईएस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे और खनिजयुक्त किया जाता है। फ्लू गैस आधारित समुद्री जल (एफजीएसडब्ल्यू) अलवणीकरण प्रणाली पर आधारित पैकेज्ड पेयजल की यह परियोजना अभिनव, कम कार्बन गहन संयंत्र है। यह संयंत्र हमारे देश में अपनी तरह का पहला संयंत्र है। जीवाश्म से चलने वाले बिजली संयंत्र में मौजूदा फ्लू गैस से निकलने वाली अपशिष्ट ऊष्मा का उपयोग पारंपरिक विलवणीकरण प्रणाली में प्रयुक्त भाप या बिजली के बजाय समुद्री पानी के आसवन के लिए किया जाता है।
- हम मौजूदा पारंपरिक फोर्क लिफ्ट ट्रक ड्राइव-इन रैकिंग सिस्टम को बैटरी और रिमोट संचालित कैसेट ड्राइव रैकिंग सिस्टम में बदलने की भी योजना बना रहे हैं।
- आईआरसीटीसी ने संयंत्रों में रेल नीर वितरण कार्यों की बिलिंग और निगरानी के लिए रेल नीर ऐप विकसित किया है। इस ऐप से रेल नीर वितरण कार्यों के कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है और निर्णय लेने वाले उपकरण के रूप में उपयोगी है। रेल नीर ले जाने और अग्रेषित करने वाली एजेंसियों (सीएफए) को लाइसेंसधारियों को रेल नीर ऐप के माध्यम से चालान जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिससे ट्रेनों और खानपान यूनिटों को स्टॉक की बिक्री और आपूर्ति का स्थल पर

रिकॉर्ड और मिलान संभव हो पाया है। इससे वास्तविक समय में बिल निपटान की प्रक्रिया सरल हो गई है, जिससे हर बार सटीक परिणाम मिल रहे हैं। इससे लेखन-सामग्री की बचत भी हुई है और मिलान के लिए समय भी मिलता है। इसके अलावा, बिलिंग का डेटा स्वचालित रूप से जीएसटी पोर्टल पर अपलोड हो जाता है।

भावी रणनीति –

भारतीय रेल में रेल नीर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, पलुर, अंबरनाथ और दानापुर में रेल नीर संयंत्र की क्षमता बढ़ाई जा रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह कार्य पूरा होने की संभावना है। इसकी क्षमता बढ़ाने से प्रतिदिन लगभग 3 लाख बोतलों का अतिरिक्त उत्पादन होने की उम्मीद है।

आईआरसीटीसी की वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 17.68 लाख लीटर/दिन है, जो उन्नीस कार्यरत संयंत्रों में फैली हुई है। जुलाई, 2024 में विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) के पास मल्लवल्ली में एक और संयंत्र के चालू होने किए जाने पर यह क्षमता बढ़कर लगभग 18.40 लाख लीटर/दिन हो जाएगी।

ई. मानव संसाधन विकास

कंपनी मानव संसाधन विकास में निवेश करना जारी रखे हुए है, जिसमें मानव संसाधन नीति में बदलाव और ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत शामिल है। व्यक्तियों और संगठन के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए कई प्रगतिशील योजनाएं लागू की गई हैं। ई7 और ई8 कर्मचारियों के लिए पीएमएस की शुरुआत, अलग कौशल विकास अनुभाग की शुरुआत, कर्मचारी संबद्धता को बढ़ाना और प्रबंधन से बात करें कार्यक्रम, आंतरिक शिकायत निवारण और ज्ञानार्जन व विकास के लिए ई-प्लेटफ़ॉर्म आधारित पहलों से आंतरिक संचार को मजबूत करने के साथ कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को नया रूप दिया गया है।

31 मार्च, 2024 तक कंपनी में कुल 2726 कार्मिक थे, जिनका विवरण इस प्रकार है–

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या
नियमित कर्मचारी	1,348
प्रतिनियुक्ति पर	48
संविदा पर	374
बाह्यस्रोतण	926
सलाहकार	24
पुन:नियोजित	06

सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से नियोजित।

कंपनी के नियमित कर्मचारियों में से महिला कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों, विकलांग व्यक्तियों और पूर्व सैनिकों का प्रतिशत इस प्रकार है –

वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	कुल नियमित कर्मचारियों (1348) की संख्या का %
महिला कर्मचारी	114	8.48
एससी कार्मिक	263	19.51
एसटी कार्मिक	70	5.19
अन्य पिछड़ा वर्ग	337	25
दिव्यांगजन	13	0.96

कर्मचारी कल्याण –

कर्मचारी एक सफल कंपनी की बुनियाद होते हैं। वे ऐसी मूल्यवान संपत्ति होते हैं जिनमें निवेश किया जाना चाहिए, उनका पालन-पोषण किया जाना चाहिए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह एक ऐसा सकारात्मक कार्य परिवेश बनाए जो कर्मचारी संबद्धता, प्रेरणा, संतुष्टि और प्रतिधारण को बढ़ावा दे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कर्मचारी खुश, स्वस्थ, सुरक्षित और उत्पादक हों। कर्मचारी कल्याण से तात्पर्य कर्मचारी को उनकी भलाई के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं और अनुलाभों से है जिसमें शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और तनाव-प्रबंधन कार्यक्रम शामिल हैं।

इस दिशा में आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने निम्नलिखित पहल की है –

- **प्रबंधन से बात करें –** कर्मचारी/संविदाजन्य कर्मचारी अपने नियंत्रक अधिकारी/पर्यवेक्षक के हस्तक्षेप के बिना, अपनी लंबित शिकायतों या संगठन के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी अभिनव विचार या किसी अन्य मुद्दे के बारे में आईआरसीटीसी के मानव संसाधन प्रमुख से बातचीत कर सकते हैं। इस योजना के पीछे मूल विचार कर्मचारी की शिकायत को हल करने के अलावा संगठन के सिस्टम सुधार के लिए विचार-मंथनफ के माध्यम से कर्मचारियों से सुझाव प्राप्त करना है।

- **कौशल विकास अनुभाग की शुरुआत –** आईआरसीटीसी ने कौशल विकास और प्रशिक्षण अनुभाग शुरू किया है, जिसमें प्रशिक्षण प्रकोष्ठ ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, पीओएसएच, एमडीपी, अभिविन्यास कार्यक्रम, वर्चुअल कैंपस, GeM², मानव संसाधन सम्मेलन, साइबर सुरक्षा, तनाव प्रबंधन, कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और सभी स्तरों पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आईआरसीटीसी ने अपना खुद का एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) शुरू किया है जिसे i-Prepare के नाम से जाना जाता है जो गूगल पे पर उपलब्ध है। आईआरसीटीसी के i-prepare ऐप के माध्यम से 629 कर्मचारियों/अधिकारियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

- **कार्यालय परिसर में संस्थागत डॉक्टरों का पैनल –** आईआरसीटीसी कार्पोरेट कार्यालय और उत्तरी क्षेत्र के कर्मचारियों को आयुष चिकित्सकों, सामान्य एलोपैथिक चिकित्सक और स्त्री रोग विशेषज्ञ की निःशुल्क परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है। आयुष उपचार ने बड़ी

संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामान्य खांसी, जुकाम और मौसमी बीमारियों की रोकथाम आदि जैसी बीमारियों से उबरने में मदद की है। सामान्य एलोपैथिक चिकित्सक का पैनल तैयार करने से, कर्मचारियों को सामान्य नैदानिक बीमारियों के लिए क्लीनिक/दवाखाने में जाने की आवश्यकता नहीं होती जिससे उनका समय और पैसा बचता है। इसके अलावा, संस्थागत स्त्री रोग विशेषज्ञ का पैनल तैयार करने से महिला कर्मचारियों की स्त्री रोग संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

- **मृतक नियमित कर्मचारी के स्थान पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति –** आईआरसीटीसी, सेवा के दौरान अपनी जान गंवाने वाले आईआरसीटीसी के नियमित कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान कर रहा है (आत्महत्या के मामले को छोड़कर) ताकि मृतक कर्मचारी के परिवार/आश्रितों को सहायता मिल सके और शेष दायित्वों को पूरा किया जा सके।

- **कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता का प्रावधान –** आईआरसीटीसी कर्मचारी अंशदायी कल्याण योजना की शुरुआत आईआरसीटीसी के कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। कोई भी कर्मचारी स्वैच्छिक आधार पर 100/- रु. प्रति माह की मामूली राशि का योगदान देकर इस योजना का सदस्य बन सकता है।

- **ओपीडी और आईपीडी उपचार के लिए अस्पतालों का पैनल तैयार करना –** अस्पताल में भर्ती और इनडोर देखभाल की आवश्यकता वाले चिकित्सा उपचार के लिए, सूचीबद्ध अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों, सरकारी सहायता प्राप्त अस्पतालों आदि में किए गए खर्चों की पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है। सूचीबद्ध अस्पताल कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सीजीएचएस दरों पर या रियायती दरों पर ओपीडी परामर्श भी प्रदान कर रहे हैं।

- **सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय –** सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में, आईआरसीटीसी ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना शुरू की है, जिसमें आईडीए वेतनमान में ऐसे पात्र कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा अनुलाभ दिया जाता है, जो सीपीएसई में 15 साल की सेवा करने के बाद 01.01.2007 को या उसके बाद अधिवर्षिता पर निवृत्त हुए/सेवानिवृत्त हुए/मृत्यु हुई। इस योजना में ऐसे सभी कर्मचारी भी शामिल किया जाता है जो दिनांक 01.01.2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या चिकित्सा रूप से सेवानिवृत्त हुए।

- **आकस्मिक मृत्यु बीमारक्षा –** समूह जीवन बीमा योजना की शुरूआत के साथ, आईआरसीटीसी ने प्रतिनियुक्ति सहित आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों के लिए 70 महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की मौद्रिक सीमा के साथ आकस्मिक मृत्यु के साथ-साथ स्वाभाविक मृत्यु की बीमारक्षा प्रदान करती है।

- **मृत कर्मचारी के लिए अनुग्रह राशि –** मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार व्यय के रूप में 25,000/- रु. की अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है।

- **शिक्षुओं की नियुक्ति –** कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आईआरसीटीसी स्वीकृत क्षमता के 2.5% से 10% तक की सीमा में प्रशिक्षण के लिए शिक्षुओं को नियुक्त करने के अपने दायित्व को विधिवत पूरा कर रहा है। प्रशिक्षण की इस अवधि के लिए, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक शिक्षु को वजीफा दिया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 73 शिक्षुओं (यानी कुल कर्मचारी संख्या का 5.41%) को नियुक्त किया गया।

पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों की झलक इस प्रकार है –

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	श्रम दिवस
2022-23	68	1,285	8,529
2023-24	39*	1,767	9924

* i-prepare ऐप पर उपलब्ध कार्यक्रमों को छोड़कर।

एलएमएस (i-prepare) के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	प्रशिक्षण/कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
1	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) के बारे में ऑनलाइन एलएमएस ऐप (i-prepare) के माध्यम से जागरूकता।	288
2	ऑनलाइन एलएमएस ऐप (i-prepare) के माध्यम से वंदे भारत कैटरिंग स्टाफ कोर्स मॉड्यूल।	122
3	ऑनलाइन एलएमएस ऐप (i-prepare) के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता।	183
4	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	36
	कुल स्टाफ	**629**

आईआरसीटीसी द्वारा मानव संसाधन के स्वास्थ्य एवं संरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल

आईआरसीटीसी अपने कर्मचारियों से संबंधित स्वास्थ्य और संरक्षा मामलों से पूरी तरह अवगत है, इसलिए, नियमित रूप से स्वास्थ्य और संबद्ध गतिविधियों पर प्रशिक्षण सत्र/कार्यशालाएं/वेबिनार आयोजित करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	गतिविधियां	अवधि	उपस्थित थे
1.	विश्व संरक्षा एवं स्वास्थ्य दिवस पर डॉ. रेड्डीज फाउंडेशन द्वारा आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम गैस्ट्रिक समस्याओं की देखभाल पर ऑनलाइन स्वास्थ्य सत्र का आयोजन किया गया	28-4-2023	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
2.	आईआरसीटीसी की महिला कर्मचारियों के लिए स्तन स्वास्थ्य जागरूकता सह जांच शिविर का आयोजन किया गया।	12/13-04-2023	138 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया
3.	विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर 14 जून, 2023 को आईआरसीटीसी के कार्पोरेट कार्यालय में रक्तदाता शिविर का आयोजन किया गया।	14-6-2023	आईआरसीटीसी के दिल्ली कार्यालय के कर्मचारी
4.	विश्व योग दिवस पर जगन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दिल्ली द्वारा कार्य-जीवन संतुलन के लिए कार्यस्थल पर योग पर 02 घंटे का ऑनलाइन सत्र आयोजित किया गया।	21-6-2023	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
5.	विश्व योग दिवस पर प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए ध्यान विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया।	21-6-2023	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
6.	आईआरसीटीसी कर्मचारियों के लिए सामान्य निवारक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।	24-7-2023	आईआरसीटीसी के दिल्ली कार्यालयों के कर्मचारी
7.	मधुमेह एवं किडनी रोग पर वेबिनार का आयोजन किया गया।	11 28-07-2023	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
8.	आईआरसीटीसी के महिला कर्मचारियों की संरक्षा के लिए पीओएसएच पर वेबिनार का आयोजन किया गया।	9-12-2023	आईआरसीटीसी की 180 महिला कर्मचारी
9.	नामित अधिकारियों ने तनाव प्रबंधन और रणनीतिक वित्तीय योजना पर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा गंगटोक में आयोजित पांच दिवसीय आवासीय कार्यक्रम में भाग लिया।	18-12-2023 से 22-12-2023	आईआरसीटीसी के 05 अधिकारी
10.	सार्वभौमिक स्वास्थ्य रक्षा दिवस पर स्वास्थ्य चर्चा का आयोजन किया गया।	12-12-2023	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
11.	आईआरसीटीसी I- prepare' एंड्रॉइड आधारित एआई एकीकृत ऐप के माध्यम से पीओएसएच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- महिला कर्मचारियों को जागरूक बनाना की योजना बनाई और क्रियान्वित की।	वर्षपर्यंत	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
12.	मिर्गी' पर वेबिनार का आयोजन किया गया।	15-02-2024	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
13.	विश्व क्षय रोग दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।	24-03-2023	आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारी
14.	सामान्य स्वास्थ्य जांच और कर्मचारियों की तंदुरुस्ती तथा होम्योपैथिक दवा उपलब्ध कराने के लिए कार्पोरेट कार्यालय में आईआरसीटीसी द्वारा होम्योपैथिक डॉक्टर की व्यवस्था।	वर्षपर्यंत	आईआरसीटीसी का दिल्ली स्थित कार्पोरेट कार्यालय एवं संबद्ध कार्यालय
15.	स्टाफ की सामान्य स्वास्थ्य जांच एवं तंदुरुस्ती के लिए सीता राम भारतीय विज्ञान एवं शोध संस्थान से डॉक्टर (जनरल फिजिशियन) की व्यवस्था।	वर्षपर्यंत	आईआरसीटीसी का दिल्ली स्थित कार्पोरेट कार्यालय एवं संबद्ध कार्यालय

औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबंधों का माहौल पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहा है। कंपनी में सहयोगात्मक और निर्बाध आईआर माहौल बनाए रखा गया है ताकि आईआरसीटीसी के कर्मचारी बदलते कारोबारी माहौल के कारण कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहें। कंपनी के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में प्रबंधन का सहयोग करने के लिए सशक्तिकरण, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण और भागीदारी प्रबंधन के अभ्यास के माध्यम से कंपनी में एक प्रभावी कार्य संस्कृति स्थापित की गई है।

कर्मचारियों का विवरण

अधिनियम की धारा 134(3)(ई) के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते। परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 178(3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

इसी तरह, अधिनियम की धारा 197 भी सरकारी कंपनी के लिए छूट प्राप्त है। परिणामस्वरूप, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरण दर्शाने वाले विवरण के बारे में प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, जो वित्तीय वर्ष के दौरान या उसके हिस्से में कार्यरत होने पर नियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे, जिसे अधिनियम की धारा 197 (12) के अनुसार कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) और (2) के साथ प्रदान नहीं किया गया है।

मानव संसाधन डेटा का डिजिटलीकरण

वर्ष के दौरान, कंपनी ने डिजिटलीकरण की दिशा में कई कदम उठाए हैं। संस्थागत रूप से विकसित विभिन्न सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को सफलतापूर्वक लागू किया गया -

ए. ई-8 स्तर तक के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली।

बी. आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों/स्टाफ से आईडी कार्ड अनुरोध की ऑनलाइन रसीद का विकास।

सी. कर्मचारियों से प्रशिक्षण का अनुरोध प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन।

डी. सतर्कता शिकायत प्रबंधन प्रणाली।

ई. विक्रेता प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली।

एफ. एचआरएमएस प्रणाली में नए मॉड्यूल एकीकृत किए गए।

जी. सभी कर्मचारियों के लिए आईओएस आधारित एचआरएमएस मोबाइल ऐप प्रारंभ किए जाने के लिए परीक्षण चरण में है -

i. बाहरी रोजगार के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

ii. नियमित कर्मचारियों को विवाह उपहार की मंजूरी,

iii. पासपोर्ट (नए/नवीनीकरण) के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र एचआरएमएस प्रणाली में विकसित किए गए हैं।

iv. सूचना प्रौद्योगिकी/ईआरपी का उपयोग

सूचना प्रौद्योगिकी विभिन्न उपयोगकर्ता विभागों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है। कर्मचारियों के लाभार्थ वर्ष के दौरान ई-ऑफिस उन्नयन जैसी कई पहल की गई हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त तथा दैनिक कार्यों में इलेक्ट्रॉनिक साधनों के व्यापक उपयोग को ध्यान में रखते हुए, संगठन में विभिन्न आंतरिक अनुप्रयोगों को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

आईआरसीटीसी के बाहर आम जनता को शामिल करते हुए आधिकारिक कार्यों में पारदर्शिता के साथ-साथ भागीदारी के लिए प्रयास किए गए, जिसमें संस्थागत रूप से विकसित अनुप्रयोग शामिल हैं, जैसे पैकेज्ड वस्तुओं और रेडी टू ईट उत्पादों के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे के साथ ऑनलाइन विक्रेता पैनल प्रणाली का सफल समापन, गिफ्ट वाउचर / गिफ्ट कार्ड आधारित व्हाइट लेबल समाधान का एजेंसी एकीकरण, डीएवीपी / बीओसी दरों पर विज्ञापन एजेंसी, ऑनलाइन विक्रेता प्रमाणीकरण प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रमाणीकरण।

इसके अलावा, कंपनी ने ईआरपी के साथ एयर टिकटिंग पोर्टल का एकीकरण भी किया और वर्ष 2023-24 के दौरान नया रेलनीर ऐप नए सिरे से प्रारंभ किया।

एफ. सतर्कता

आईआरसीटीसी का सतर्कता स्कंध एक प्रमुख विभाग है जो सीवीसी, रेल बोर्ड सतर्कता और संगठन के बीच सीधे संपर्क के रूप में कार्य करता है। इसे संगठन में किसी भी तरह की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अनुचित/गैरकानूनी व्यावसायिक आचरण का पता लगाने के लिए समय-समय पर विभिन्न औचक जांच करने और विभिन्न विभागों के अभिलेखों/दस्तावेजों की जांच करने की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह सतर्कता प्रशासन, नीति और दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों से निपटने में आईआरसीटीसी प्रबंधन और रेलवे बोर्ड सतर्कता के साथ समन्वय करता है। आईआरसीटीसी के सतर्कता स्कंध का नेतृत्व एक पूर्णकालिक सीवीओ करते हैं, जिनकी सहायता के लिए डिप्टी सीवीओ, 2 सतर्कता अधिकारी और कार्पोरेट कार्यालय में 3 सतर्कता निरीक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय यूनिटों में सतर्कता संबंधी मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक अंचल में एक, 5 सतर्कता अधिकारी होते हैं। सतर्कता विभाग का मुख्य ध्यान खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और निरीक्षण की कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर होता है। सतर्कता के लिए सक्रिय निवारक उपाय करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य निष्पक्ष प्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना है, ताकि पारदर्शिता बढ़े और विवेकाधिकार की संभावना कम हो।

वर्ष 2023-24 के दौरान सतर्कता विभाग ने 27 शिकायतों की विस्तारपूर्वक जांच की और 47 शिकायतों में सतर्कता संबंधी कोई पहलू नहीं था, जिन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया। खानपान और ई-टिकटिंग क्षेत्र में कुल 111 निवारक/औचक जांच की गई। इस प्रकार पाई गई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की घटनाओं को लाइसेंसधारकों और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सूचित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 13,33,455/- रु. तक का जुर्माना वसूली गया।

इसके अलावा, सतर्कता विभाग की सिफारिश पर, प्रबंधन द्वारा दो प्रणालीगत सुधार लागू किए गए, ताकि कदाचार की घटनाओं को कम किया जा सके, विशेषकर खरीद, खानपान, पर्यटन और ई-टिकटिंग क्षेत्रों में। सीवीसी के आदेश के अनुसार, सीएमडी/आईआरसीटीसी ने सीवीओ के साथ सतर्कता विभाग की गतिविधियों और कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा की।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशानुसार, आईआरसीटीसी में 30 अक्तूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसका विषय था, भ्रष्टाचार को कहें ना; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध

और सभी कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली। प्रणालीगत सुधार के माध्यम से निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आईआरसीटीसी के सभी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं/सेमिनार आयोजित किए गए। इसके अलावा, तेजसथॉन जैसी नई पहल लागू की गई, जिसमें आम जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए यात्रियों के साथ संवादमूलक सत्र आयोजित किए गए। यह सभी हितधारकों, कर्मचारियों, संबद्ध विक्रेताओं और नागरिकों को सामूहिक रूप से भाग लेने, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और भ्रष्टाचार की मौजूदगी, उसके कारणों, गंभीरता और भ्रष्टाचार से उत्पन्न खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया गया।

निष्ठा संधि

आईआरसीटीसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों के अनुरूप निष्ठा संधि कार्यक्रम लागू किया है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी कंपनी या सरकारी विभाग और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियां और लेनदेन निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से हो। आईआरसीटीसी द्वारा निष्ठा संधि को अपनाने से स्वस्थ व्यावसायिक प्रथाएं स्थापित करने में मदद मिली है। आईआरसीटीसी ने सार्वजनिक अधिप्राप्ति/संविदाओं में पारदर्शिता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए निष्ठा संधि को अपनाया है। सीवीसी की मंजूरी से आईआरसीटीसी में दो (02) स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान में, श्री अपूर्व वर्मा, आईएएस (से.नि.) और श्री भरत प्रसाद सिंह, आईएफओएस (से.नि.) आईआरसीटीसी में निष्ठा संधि के लिए आईईएम हैं। निष्ठा संधि की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए निष्ठा संधि के लिए एक समन्वयक भी नियुक्त किया गया है। निष्ठा संधि का प्रयोग अब उन सभी निविदाओं में किया जा रहा है जो निर्धारित सीमा मूल्य से अधिक हैं।

निगरानी तंत्र की स्थापना

सतर्कता तंत्र की स्थापना से संबंधित प्रकटीकरण कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–'बी'** में किया गया है।

आपकी कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, आचार संहिता के उल्लंघन और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकट होने के मामलों के बारे में वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सचेतक नीति/सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। यह सतर्कता तंत्र उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है जो इस तंत्र का उपयोग करते हैं और इसमें उचित या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का प्रावधान है।

जी. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी पिछले कई वर्षों से विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल रही है, जिसमें देश भर में सामाजिक कल्याण/उत्थान गतिविधियों का संपूर्ण कार्यक्षेत्र शामिल है। कंपनी ने सीएसआर के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें अन्य बातों के अलावा स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता, शिक्षा और महिलाओं और सामाजिक/आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों का सशक्तिकरण आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न सीएसआर गतिविधियों पर 16.64 करोड़ रु. का पूरा बजट खर्च किया। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर एककी रिपोर्ट और वर्ष के लिए सीएसआर की मुख्य बातें रिपोर्ट के **अनुलग्नक– सी** में उल्लिखित हैं। कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में सीएसआर समिति की संरचना प्रदान की गई है। कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/assets/images/CSR-Vision-Document. विष वेब लिंक पर देखी जा सकती है।

एच. अनुपालन

- **सूचना का अधिकार अधिनियम**

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित मामलों से निपटने के लिए कंपनी भर में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया गया है। आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से, विस्तृत जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctc.com/rti.html पर डाली जाती है और नियमित रूप से अपडेट की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीपीआईओ / एपीआईओ / अपीलीय प्राधिकारी, अनिवार्य प्रकटीकरण पर तीसरे पक्ष की लेखा परीक्षित रिपोर्ट आदि का विवरण शामिल है। आरटीआई आवेदनों को फास्ट ट्रैक मोड में निपटाने के लिए, आईआरसीटीसी प्रत्येक आवेदन के लिए एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यूआरएन) प्रदान करता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित सीपीआईओ / पीआईओ द्वारा इसका उत्तर दिया जाता है।

कंपनी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का सक्रिय रूप से उपयोग करती है और इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों/अपीलों का निपटारा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। तिमाही रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट यानी www.cic.gov.in पर प्रस्तुत की जाती हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत कुल 2351 आरटीआई आवेदन और 162 आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं और सभी आवेदनों का समय पर निपटारा किया गया।

आरटीआई आवेदनों और अपीलों का विवरण नीचे दिया गया है।

विवरण	01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के तहत अन्य पीए से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त	धारा 6(3) के तहत अन्य पीए को हस्तांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोध / अपील अस्वीकृत की गईं	निर्णय जहां अनुरोध / अपील का उत्तर दिया गया	31.03.2024 को अंतिम शेष
अनुरोध	49	3	2,351	260	25	2011	107
अपील	3	0	162	0	0	143	22

- **राष्ट्रपति के निर्देश**

कंपनी रेल मंत्रालय से प्राप्त होने वाले राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है। हालांकि, वर्ष के दौरान कोई राष्ट्रपति का निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

- **राजभाषा**

आईआरसीटीसी के कार्पोरेट कार्यालय में राजभाषा अनुभाग स्थापित है, ताकि भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। राजभाषा विभाग में अनुभवी राजभाषा अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। वर्तमान में आईआरसीटीसी के कार्पोरेट कार्यालय में समूह महाप्रबंधक/मानव संसाधन विकास को मुख्य राजभाषा अधिकारी और सहायक प्रबंधक, रेल नीर को राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त हिंदी का प्रशासनिक कार्य देखते हैं। इसके अलावा डीईओ और सलाहकार उनके अधीन सभी प्रकार के कार्य कर रहे हैं जैसे आईआरसीटीसी के सभी आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा विभाग से संबंधित कार्यों का निष्पादन, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का पालन और मार्गदर्शन करना तथा राजभाषा विभाग से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी देना आदि।

आईआरसीटीसी के सभी अंचल कार्यालयों में परामर्शदाता/राजभाषा के पद पर केन्द्र सरकार के कार्यालयों / उपक्रमों / सार्वजनिक निकायों/विभागों के राजभाषा विभाग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी/राजभाषा अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। 03 अंचल कार्यालयों में 05 परामर्शदाता/राजभाषा की नियुक्ति की जा चुकी है तथा अन्य 02 अंचल कार्यालयों में परामर्शदाता/राजभाषा की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

कार्पोरेट कार्यालय के राजभाषा विभाग में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई है। इस पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की रोचक एवं ज्ञानवर्धक हिंदी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इनमें उपन्यास, कहानी संग्रह, कविता संग्रह तथा हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित एवं सुप्रसिद्ध लेखकों एवं रचनाकारों द्वारा विभिन्न समसामयिक विषयों पर अनेक विश्लेषणात्मक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें शामिल हैं।

हिंदी सप्ताह 2023

आईआरसीटीसी के कार्पोरेट कार्यालय में 14 से 21 सितंबर, 2023 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया। राजभाषा सप्ताह के दौरान, कार्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ सभी क्षेत्रीय और अधीनस्थ कार्यालयों में रेल मंत्री और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी के हिंदी दिवस संदेशों का प्रचार-प्रसार किया गया और प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय/कार्पोरेट कार्यालय में राजभाषा प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

राजभाषा सप्ताह के दौरान हिंदी कार्यशालाएं, टिप्पण, प्रारूपण और शब्द ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में 95 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 16 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण –

वर्ष 2023-24 के दौरान पटना/क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ/क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु/क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा/क्षेत्र कार्यालय, विशाखापत्तनम/क्षेत्र कार्यालय और दानापुर/क्षेत्र कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। दिनांक 29.12.2023 को संसदीय राजभाषा की द्वितीय उप-समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, रेलनीर प्लांट, दानापुर का निरीक्षण किया गया।

14.07.2023 को राजभाषा पर संसद की द्वितीय उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु का निरीक्षण

14.07.2023 को राजभाषा पर संसद की द्वितीय उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु का निरीक्षण

14.07.2023 को राजभाषा पर संसद की द्वितीय उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु का निरीक्षण

- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता**

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है। कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट किए जाने पर तुरंत कार्रवाई करती है। अधिनियम के अनुसार, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने और उनकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए, आईआरसीटीसी ने कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिनियम के तहत आवश्यक संरचना के साथ आंतरिक शिकायत समितियों को गठित किया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है –

1 अप्रैल 2023 तक की स्थिति	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निपटाया गया	31 मार्च 2024 तक लंबित
1 (एक)	2 (दो)	2 (दो)	1 (एक)

- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) से खरीद**

भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति, यथा संशोधित, के अनुसार, कंपनी को वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का कम से कम 25% एमएसई से खरीदना आवश्यक है, जिसमें से 4% एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से और 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एमएसई से खरीद इस प्रकार रही ड्ढ

पैरामीटर	लक्ष्य	वास्तविक
एमएसई से कुल खरीद (सामान्य, आरक्षित एससी/एसटी और महिलाएं)	25%	63.02 %
आरक्षित एससी/एसटी एमएसई स खरीद	4% (25% का उप-लक्ष्य)	7.77 %
महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद	3% (25% का उप-लक्ष्य)	3.05 %

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई तथा महिला स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए उद्यमियों की पहचान करने के लिए कई पहल की गईं।

- **TReDS पोर्टल के माध्यम से बीजक भुगतान की सुविधा –**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी सीपीएसई को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार स्थापित व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ढठशऊ) प्लेटफार्म पर स्वयं को दर्ज करना आवश्यक है।

उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन में, आपकी कंपनी TReDS प्लेटफॉर्म पर है, जो रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (RXIL) के साथ पंजीकृत है, ताकि एमएसई के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण को उनकी प्राप्तियों की छूट और नियत तारीख से पहले उनके भुगतान की वसूली की सुविधा मिल सके।

कंपनी में विक्रेताओं द्वारा बिल अपलोड करने और भुगतान जारी करने की सुविधा के साथ वास्तविक समय की बिल ट्रैकिंग प्रणाली है। एमएसई को टीआरईडीएस पोर्टल का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, कंपनी संविदाओं की निर्धारित समय अवधि के भीतर माल और सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति और एमएसई विक्रेताओं को भुगतान पर निर्णय सुनिश्चित कर रही है।

- **खरीद के लिए जेम पोर्टल का अनिवार्य उपयोग –**

वर्ष के दौरान, पूंजीगत वस्तुओं, उपभोग्य सामग्रियों के साथ-साथ अंचल और क्षेत्रों में सेवाओं की खरीद के लिए जेम पोर्टल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, GeM के माध्यम से आईआरसीटीसी की कुल खरीद इस प्रकार है –

वित्तीय वर्ष	कुल खरीद (₹ करोड़ में)	जेम से खरीद (₹ करोड़ में)	जेम से खरीद (% में)
2022-23	144.84	85.76	59.21%
2023-24	213. 19	122.06	57.25%

i. कंपनी अधिनियम 2013 / सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का अनुपालन

- **वार्षिक विवरणी**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत यथा आवश्यक, वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट पर डाली जाती है जिसे https://irctc.com/nnual%20Return.html लिंक में देखा जा सकता है।

- **जमा राशियां**

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय त जिसे कंपनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत जनता से कोई जमा स्वीकार या आमंत्रित नहीं किया है। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (5) (v) के अंतर्गत रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी शून्य है।

इसके अलावा, सचिवीय मानकों में किए गए प्रावधान के अनुसार, जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान के लिए समय विस्तार, लगाए गए जुर्माने (यदि कोई हो) के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)/राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेशों के विवरण के बारे में जानकारी भी शून्य है।

- **दिए गए ऋण और गारंटियों, किए गए निवेशों और प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अंतर्गत कोई ऋण या कोई गारंटी नहीं दी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड में किए गए निवेश का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों का हिस्सा है।

- **संबंधित पक्षों के साथ संविदाएं और व्यवस्थाएं**

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया है, जिससे कंपनी के हितों के साथ संघर्ष होने की संभावना हो। संबंधित पक्षों के साथ की गई सभी संविदाएं / व्यवस्थाएं / लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर किए गए थे। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) जिसे अधिनियम की धारा 188 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के साथ पढ़ा जाना है, के तहत फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेन-देन का प्रकटन शून्य है और इसे रिपोर्ट में **अनुलग्नक-एच** में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और संबंधित पक्ष प्रकटीकरण पर लेखांकन मानक -24 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 44 में प्रकट किया गया है।

- **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली**

आपकी कंपनी ने अपने व्यवसाय के कुशल संचालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और कंपनी के संचालन के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। इन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रभावशीलता प्रबंधन की समीक्षाओं, स्व-मूल्यांकन और आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा स्वतंत्र परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की

जाती है। ये मूल्यांकन इंगित करते हैं कि आपकी कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। लेखापरीक्षा समिति आशयित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा करती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अनुसार कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों में शामिल की गई है।

मेसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) के प्रमाणीकरण के लिए नियुक्त किया गया।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मेसर्स अशोक श्याम एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट को विचार-विमर्श के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विवरण **अनुलग्नक – ए** में दी गई प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिया गया है।

- **जोखिम प्रबंधन**

कंपनी में एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति है और इसकी संरचना, आयोजित बैठकों और विचारार्थ विषय का विवरण कार्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट में **अनुलग्नक – बी** में दिया गया है।

कंपनी में बोर्ड स्तर से नीचे की एक समिति भी है जिसमें जीजीएम स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जिसमें मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के रूप में जीएम (गुणता परियोजनाएं और कार्पोरेट समन्वय) शामिल हैं। समिति का कार्य आईआरसीटीसी के विशिष्ट व्यावसायिक खंडों से संबंधित जोखिमों की पहचान करना है ताकि कंपनी में उचित जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया जा सके।

बोर्ड स्तर से नीचे की जोखिम प्रबंधन समिति की तिमाही बैठकों के दौरान, बोर्ड स्तर की समिति में विभिन्न जोखिमों की पहचान की जाती है और उन पर विचार-विमर्श किया जाता है। पहचाने गए जोखिमों का विवरण और उनकी शमन रणनीतियों का उल्लेख **अनुलग्नक– ए** में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में किया गया है।

- **उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेश**

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की सक्रिय व लाभप्रद स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालन को प्रभावित करता हो।

- **सचिवीय मानक**

कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का, जहां तक वे लागू होते हैं, अनुपालन किया है।

- **निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ)**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों की स्थिति से संबंधित विवरण कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

- **लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग**

लेखापरीक्षकों ने वर्ष की अपनी रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी का कोई मामला दर्ज नहीं किया है।

- **प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी को रेटिंग एजेंसियों द्वारा कोई क्रेडिट रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है।

- **दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत प्रारंभ की गई कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया**

कंपनी के पास उपरोक्त के अंतर्गत प्रकट करने के लिए कोई जानकारी नहीं है।

- **किसी कार्पोरेट कार्रवाई को लागू करने में विफलता**

कंपनी ने सभी कार्पोरेट कार्रवाइयों को निर्धारित समयसीमा के भीतर सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। इसलिए, कंपनी के पास रिपोर्ट करने के लिए कोई सूचना नहीं है।

- **ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय आदि से संबंधित विवरण**

ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के अंतर्गत प्रकट किया जाना अपेक्षित है, इस प्रकार है –

ऊर्जा संरक्षण –

आपकी कंपनी अपने परिचालन, उत्पादों और सेवाओं के परिणामस्वरूप होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी प्रक्रियाओं, प्रथाओं, सामग्रियों और उत्पादों का उपयोग करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास और पहल करती है जिनमें प्रदूषण से बचने, कम करने और नियंत्रण को प्राथमिकता दिया जाता हे।

इसके अलावा, आईआरसीटीसी अपने सभी संयंत्रों और यूनिटों में प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए संबंधित पर्यावरण कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। यह सक्रिय दृष्टिकोण पर्यावरण की सुरक्षा करने, संरक्षित व स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने का अभिन्न अंग है।

ऊर्जा संरक्षण पर विस्तृत विवरण व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट में दिया गया है, जो **अनुलग्नक-डी** में दिया गया है।

प्रौद्योगिकी अवशोषण ह्व

क्र. सं.	विवरण	स्थिति
(a)	आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा;	शून्य
(b)	आयात का वर्ष;	ला.न.
(c)	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से आत्मसात कर ली गई है;	ला.न.
(d)	यदि पूर्णतः अवशोषित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, तथा उसके कारण;	ला.न.

- **अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय**

आपकी कंपनी विशेष शोध परियोजनाएं नहीं करती है क्योंकि इस क्षेत्र में कार्यरत नहीं है। हालांकि, तकनीकी क्षमता में सुधार और क्षमता बढ़ाने के लिए, विभिन्न तरीके और तकनीक विकसित की गई हैं और इसके व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे रेल नीर, खानपान और इंटरनेट टिकटिंग के लिए नवीन प्रणालियां शुरू की गई हैं।

- **विदेशी मुद्रा विनिमय आय और व्यय**

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान वास्तविक आय के रूप में अर्जित विदेशी मुद्रा तथा वास्तविक खर्च के रूप में वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण नीचे दिया गया है -

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
विदेशी मुद्रा अर्जन	36.06	27.37
विदेशी मुद्रा व्यय		
विदेश यात्रा व्यय	0.41	0.23
अन्य व्यय	1.47	0.24-

- **चक्रानुक्रम द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति**

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, श्री मनोज कुमार गांगेय, ईडी (योजना), रेल बोर्ड और सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी की आगामी 25वीं एजीएम में चक्रानुक्रम के आधार पर सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण, वे पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। आगामी एजीएम में पुनः नियुक्ति चाहने वाले श्री मनोज कुमार गांगेय, ईडी (योजना), रेल बोर्ड और सरकार द्वारा नामित निदेशक का विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है।

- **निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की नीति**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों के अनुसार सूचीबद्ध संस्था को बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य-निष्पादन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला विवरण शामिल करना आवश्यक है। हालांकि, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 05.06.2015 और 05.07.2017 की अधिसूचनाओं के अनुसार सरकारी कंपनियां उक्त प्रावधानों से छूट प्राप्त हैं। आईआरसीटीसी को, रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों से भी छूट प्राप्त है।

आईआरसीटीसी में कार्यात्मक निदेशकों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन में संबंधित कार्यात्मक निदेशकों द्वारा स्व-मूल्यांकन और तत्पश्चात सीएमडी द्वारा मूल्यांकन तथा रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन शामिल है।

सीएमडी के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन में स्व-मूल्यांकन और रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन शामिल है।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों के मामले में, उनका मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। चूंकि, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है, इसलिए उनका मूल्यांकन भी रेल मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग द्वारा किया जाता है।

क्ष. समझौता ज्ञापन

डीपीई के मापदंडों के अनुसार वर्ष 2022-23 के समझौता ज्ञापन के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिया गया है और कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निहित प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के संदर्भ में प्राप्त परिणामों के आधार पर अत्युत्तम की रेटिंग प्राप्त की है।

कंपनी ने 2023-24 के लिए रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और डीपीई के साथ इसका मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	परिमापी का नाम	अभ्युक्ति
1.	TReDS पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति	अनुपालन किया गया। कृपया निदेशकों की रिपोर्ट में TReDS पोर्टल से संबंधित पैरा देखें।
2.	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार GeM^2 से खरीद	अनुपालन किया गया। कृपया निदेशकों की रिपोर्ट में TReDS पोर्टल से संबंधित पैरा देखें।

क्र. सं.	मापदंडों का अनुपालन	अभ्युक्तियां
1.	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।	अनुपालन किया गया। कृपया अनुलग्नक - सी में दी गई सीएसआर रिपोर्ट देखें।
2.	कार्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे (i) निदेशक मंडल की संरचना (ii) बोर्ड समितियां (लेखापरीक्षा समिति आदि) (iii) बोर्ड बैठकें आयोजित करना (iv) संबंधित पक्षकार के लेनदेन (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता	निदेशक मंडल की संरचना को छोड़कर अनुपालन किया गया। कृपया अनुलग्नक- बी में दी गई कार्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट देखें।
3.	नीति आयोग द्वारा परिसंपत्ति मुद्रीकरण उपलब्धियों के लिए दिए गए लक्ष्य	अनुपालन किया गया। रेल मंत्रालय द्वारा शून्य लक्ष्य की सूचना दी गई है।
4.	एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का % - 25%	अनुपालन किया गया। कृपया निदेशकों की रिपोर्ट में एमएसई के माध्यम से खरीद से संबंधित पैरा देखें।
5.	वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 4%	
6.	महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद, वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद का % - 3%	
7.	सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य एवं संरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा)	अनुपालन किया गया। कृपया निदेशकों की रिपोर्ट में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए आईआरसीटीसी द्वारा उठाए गए कदमों और पहलों से संबंधित पैरा देखें।
8.	डीपीई के दिनांक 04.05.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई-7(4)/2007-वित्त में उल्लिखित TReDS से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन	अनुपालन किया गया।

के. पुरस्कार और उपलब्धियां

वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड्स द्वारा महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन को एशिया का अग्रणी लक्जरी ट्रेन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया (सितंबर 2023 में 30वां वार्षिक वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड समारोह में)।

एल. सहायक और सहयोगी कंपनियों /संयुक्त उद्यम कंपनियों का विवरण

31 मार्च 2024 को आपकी कंपनी की निम्नलिखित सहायक और सहयोगी कंपनियां /संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं -

आई. सहायक कंपनियां –

आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड –

आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड को 10 फरवरी, 2024 को पेमेंट एग्रीगेटर व्यवसाय के उद्देश्य से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 25 करोड़ रु. है, जिसमें 10/- रु. प्रत्येक के 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर हैं और 15 करोड़ रु. की चुकता शेयर पूंजी है, जिसमें 10/- रु. प्रत्येक के 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर हैं। आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड के निदेशकों, सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/Subsidairy.html पर वेब-लिंक पर उपलब्ध है।

ii. सहयोगी/संयुक्त उद्यम कम्पनियां –

रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) –

27 नवंबर, 2008 को स्थापित रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के बीच 50:50 के अनुपात में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका उद्देश्य लक्जरी ट्रेनों का अधिग्रहण, सुसज्जित, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन करना और अवकाश पैकेजों का विपणन करना है।

तदनुसार, कंपनी द्वारा 23 कोच वाली एक लग्जरी ट्रेन का निर्माण, फेब्रिकेशन और वित्तपोषण किया गया तथा महाराजा एक्सप्रेस के नाम से इसका विपणन किया गया और इस लग्जरी पर्यटक ट्रेन को चलाने, संचालन करने तथा प्रबंधित करने के उद्देश्य से रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) को 15 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दिया गया। हालांकि, इक्विटी भागीदारों के बीच कुछ मुद्दों के

कारण, लग्जरी ट्रेन का पट्टा वापस ले लिया गया तथा 10 दिसंबर, 2008 को संयुक्त उद्यम करार समाप्त कर दिया गया। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उद्यम समझौते की बहाली के लिए विवाचन कार्यवाही शुरू की। विवाचन कार्यवाही के समापन के बाद विवाचन न्यायाधिकरण ने कॉक्स एंड किंग्स के सभी दावों को खारिज करते हुए आईआरसीटीसी के पक्ष में 31.07.2023 को निर्णय पारित किया।

आईआरसीटीसी ने रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटेल) और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड तथा अन्य के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) (पूर्ववर्ती कंपनी लॉ बोर्ड) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 388इ, 397, 398, 399 और 403 के तहत याचिका दायर की है जो विचाराधीन है। एनसीएलटी ने उक्त कंपनी (आरआईआरटेल) को प्रबंधकीय विवाद में घोषित किया है। संयुक्त उद्यम का विवरण 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों में नोट संख्या 37.2(ii) और 45 में शामिल किया गया है। पक्षकारों ने जुलाई, 2013 में उसकी मंजूरी के बिना आरआईआरटीएल की बोर्ड और आम बैठकें आयोजित न करने के लिए एनसीएलटी से अनुमति भी प्राप्त कर ली है। आरआईआरटीएल के समापन से संबंधित मामला, जिसके लिए एनसीएलटी से एक एक्सप्रेस आदेश प्राप्त किया जाना है, प्रक्रियाधीन है और इस प्रक्रिया में होने वाली प्रगति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

iii. वे कंपनियां जो वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान कंपनी की सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां बन गई हैं/नहीं रह गई हैं

i.	जो सहायक कंपनियां बन गई हैं	1 (आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड)
ii.	जो सहायक कंपनियां नहीं रहीं	कोई नहीं
iii.	जो संयुक्त उद्यम या सहयोगी बन गई हैं	कोई नहीं
iv.	जो संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं रहीं	कोई नहीं

एम. वित्तीय विवरणों का समेकन

उपरोक्त पैराग्राफ में बताया गए अनुसार, कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ लंबित विवाद के कारण वित्तीय वर्ष 2010-2011 से आरआईआरटीएल में बोर्ड की बैठकें और आम बैठकें आयोजित नहीं की गई हैं। इसलिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के तहत आवश्यक वित्तीय विवरणों का समेकन नहीं किया जा सका, जैसा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खातों की टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 45 के माध्यम से स्पष्ट और प्रकट किया गया है।

साथ ही, चूंकि आईआरसीटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड को 31 दिसंबर 2023 के बाद स्थापित किया गया था, इसका पहला वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होगा; इसलिए, आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2024-25 से कंपनी की वेबसाइट पर डाले जाएंगे। हालांकि, आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड ने समेकन के उद्देश्य से 10 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरण (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित) तैयार किए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के प्रथम परंतुक के अनुसार सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 84 में दी गई हैं।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए लेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी है।

एन. लेखा परीक्षक

वैधानिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स एन.के. भार्गव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षक को समेकित आधार पर किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है 0

(₹ करोड़ में)

लेखा परीक्षकों को भुगतान	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ
लेखापरीक्षा शुल्क	0.18	0.16
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.05	0.04
प्रमाणन और अन्य सेवाएं	0.11	0.11
यात्रा और फुटकर खर्च	0.09	0.12

सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए पेशेवर कंपनी सचिवों की एक स्वतंत्र फर्म मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स को नियुक्त किया है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक- ई** में दी गई है।

आंतरिक लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 जिसे कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 13 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा फर्म मेसर्स एस. के. मिश्रा एंड गुजराती, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है। इस फर्म के कार्यक्षेत्र और कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

लागत लेखा परीक्षक

आईआरसीटीसी के व्यावसायिक खंड कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लागत लेखापरीक्षा नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं। हालांकि, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर रेल नीर संयंत्रों द्वारा बनाए गए लागत अभिलेखों की लागत लेखापरीक्षा कराई है।

ओ. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर पूरक लेखापरीक्षा की है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर सी एंड एजी की टिप्पणियां भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी।

अन्य लेखापरीक्षा से सी एंड एजी के पैरा – ऊपर बताए गए वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के अलावा, सी एंड एजी विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा भी करता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सी एंड एजी टीम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के लिए आईआरसीटीसी कार्पोरेट कार्यालय के लेन-देन लेखापरीक्षा के दौरान तीन पैराग्राफ जारी किए। ये तीन पैराग्राफ आईआरसीटीसी द्वारा संचालित तेजस ट्रेन, गोल्डन चैरियट ट्रेन और बौद्ध ट्रेन के परिचालन घाटे से संबंधित हैं। इसके उत्तर सी एंड एजी को दिए गए हैं और वर्तमान में जांच के अधीन हैं।

भाग खख			भाग खख ड़			कुल		
प्राप्त पैरा की सं.	उत्तर दिए गए पैरा की सं.	अभ्युक्ति	प्राप्त पैरा की सं.	उत्तर दिए गए पैरा की सं.	अभ्युक्ति	प्राप्त पैरा की सं.	उत्तर दिए गए पैरा की सं.	अभ्युक्ति
3	3	सी एंड एजी द्वारा जांच के अधीन	शून्य	शून्य	ला.न.	3	3	सी एंड एजी द्वारा जांच के अधीन

पी. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में कंपनी का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि –

(i) वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है, साथ ही महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और समुचित सावधानी बरती है;

(iv) निदेशकों ने सक्रिय व लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं; और

(v) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

क्यू. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीईओ), निदेशक (वित्त), निदेशक (खानपान सेवाएं), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन), मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं।

पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं –

1. श्रीमती सीमा कुमार (डीआईएन- 10064353), पूर्व सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास)/रेल बोर्ड, जिन्हें 01 जून, 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किया गया था, ने श्री संजय कुमार जैन (डीआईएन-09629741), पीसीसीएम/उत्तर रेलवे को सीएमडी/आईआरसीटीसी (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण 09 जनवरी, 2024 को सीएमडी/आईआरसीटीसी के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया।

2. श्री कमलेश कुमार मिश्रा (डीआईएन- 10186377) कार्यकारी निदेशक (व्यवसाय विकास), रेल बोर्ड, जिन्हें 01 जून, 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में निदेशक (पर्यटन और विपणन) (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किया गया था, ने आईआरसीटीसी के बोर्ड में निदेशक (पर्यटन और विपणन) के रूप में श्री राहुल हिमालियन (डीआईएन-10393348) की नियुक्ति के कारण 16 फरवरी, 2024 को निदेशक (पर्यटन और विपणन)/आईआरसीटीसी के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया।

3. श्री संजय कुमार जैन (डीआईएन- 09629741), पीसीसीएम/उत्तर रेलवे, जिन्हें आईआरसीटीसी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था, ने 10 जनवरी, 2024 से अतिरिक्त कार्यभार और 14 फरवरी, 2024 से नियमित कार्यभार ग्रहण किया।

4. श्री राहुल हिमालियन (डीआईएन- 10393348) को 16 फरवरी, 2024 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में निदेशक (पर्यटन और विपणन) नियुक्त किया गया।

आपकी कंपनी का बोर्ड श्रीमती सीमा कुमार (डीआईएन- 10064353), पूर्व सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास)/रेल बोर्ड और श्री कमलेश कुमार मिश्रा (डीआईएन- 10186377), कार्यकारी निदेशक (व्यवसाय विकास), रेल बोर्ड द्वारा कंपनी में अपने सेवाकाल के दौरान प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए अपनी हार्दिक सराहना दर्ज करता है।

रिपोर्ट की तिथि तक निम्नलिखित निदेशक पद धारित करते हैं-

क्र. सं.	विवरण	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री संजय कुमार जैन (डीआईएन- 09629741) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	10 जनवरी, 2024 से 13 फरवरी, 2024 तक अतिरिक्त प्रभार 14 फरवरी, 2024 से नियमित प्रभार
2.	श्री अजीत कुमार (डीआईएन- 07247362) निदेशक (वित्त)	29 मई, 2020 से
3.	डॉ. लोकय्या रविकुमार (डीआईएन- 10045466) निदेशक (खानपान सेवाएं)	11 फरवरी, 2023 से
4.	श्री राहुल हिमालियन (डीआईएन- 10393348) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	16 फरवरी, 2024 से
5.	श्री नीरज शर्मा (डीआईएन 08177824) ईडी (पीएम), रेल बोर्ड एवं अंशकालिक सरकारी निदेशक	12 जुलाई, 2018 से
6.	श्री मनोज कुमार गांगेय (डीआईएन- 09744752) ईडी (योजना), रेल बोर्ड एवं अंशकालिक सरकारी निदेशक	21 सितंबर, 2022 से
7.	श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन- 03604125) स्वतंत्र निदेशक	9 नवंबर, 2021 से
8.	श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन- 09397676) स्वतंत्र निदेशक	12 नवंबर, 2021 से
9.	श्री देवेन्द्र पाल भारती (डीआईएन- 10198557) स्वतंत्र निदेशक	9 जून, 2023 से

आर. एकीकृत रिपोर्ट

नीचे दी गई तालिका में संबंधित उप-परिशिष्टों के साथ पुनः प्रस्तुत निम्नलिखित रिपोर्टें इस निदेशक रिपोर्ट का अभिन्न अंग हैं, तथा इन्हें क्रमशः अनुलग्नकों के साथ रखा गया है -

रिपोर्ट का नाम	अनुलग्नक
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	ए
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	बी
सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	सी
व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)	डी
बीआरएसआर पर स्वतंत्र आश्वासन विवरण	डी1
सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	ई
सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट में निहित प्रेक्षणों पर प्रबंधन के उत्तर	एफ
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों प्रबंधन के उत्तर	जी
फॉर्म एओसी-2	एच

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट कंपनी के कामकाज, इसकी कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, कारोबारी माहौल, मिशन और उद्देश्यों, क्षेत्रीय और खंडवार परिचालन कार्य-निष्पादन, शक्तियों, अवसरों, बाधाओं, रणनीति और जोखिमों और चिंताओं के साथ-साथ मानव संसाधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करती है **अनुलग्नक – ए**।

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में कार्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत और कंपनी के प्रमुख मूल्यों, इसके निदेशक मंडल और इसकी समितियों की संरचना, 2023-24 और उसके बाद बोर्ड में शामिल होने वाले निदेशकों की प्रोफ़ाइल सहित उनके विवरण, निदेशकों की उपस्थिति और पारिश्रमिक, स्वतंत्र निदेशक की घोषणा आदि, अन्य संबंधित प्रकटन और शेयरधारकों के लिए सामान्य जानकारी **अनुलग्नक – बी** पर प्रकाश डाला गया है। यह निम्नलिखित अनुपालन प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित है –

i. वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों से आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति की पुष्टि करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। (**परिशिष्ट – बी1** में दिया गया है);

ii. वित्तीय विवरणों की सत्यता और निष्पक्षता, उचित अनुपालन और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक वित्त (सीएफओ) से प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट – बी2** में दिया गया है);

iii. पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के अनुपालन का प्रमाणपत्र (**परिशिष्ट– बी3** में दिया गया है);

iv. कंपनी के निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र (**परिशिष्ट– बी4** में दिया गया है)।

सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति, सीएसआर समिति की संरचना, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ, निर्धारित सीएसआर व्यय और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए गतिविधियों / परियोजनाओं पर खर्च किए गए सीएसआर का विवरण आदि की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करती है। **अनुलग्नक – सी**)।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 के अनुसार, बाजार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को परिगणित) के आधार पर सर्वोच्च एक हजार सूचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) शामिल करनी होगी, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस के दृष्टिकोण से उनके द्वारा की गई पहलों का वर्णन, सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में किया जाएगा।

तदनुसार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कंपनी, 31 मार्च 2024 तक, मानदंडों के अनुसार सर्वोच्च 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में से एक है, व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक– डी** में दिया गया है।

टीयूवी इंडिया (पी) लिमिटेड द्वारा बीआरएसआर के मुख्य संकेतकों का स्वतंत्र उचित आश्वासन **अनुलग्नक– डी–1** में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी सचिवों की एक स्वतंत्र पेशेवर फर्म मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट **अनुलग्नक– ई** के साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित प्रेक्षणों पर प्रबंधन के उत्तर **अनुलग्नक–एफ** में दिए गए हैं।

वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों/ जोर दिए जाने वाले मामले के संबंध में प्रबंधन के उत्तर **अनुलग्नक–जी** में दिए गए हैं।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम के नियम (8) के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एओसी-2 **अनुलग्नक–एच** में दिए गए हैं।

आभार

आपके निदेशकगण कंपनी के संचालन और विकास रणनीतियों में रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, दीपम, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों और भारत सरकार के सभी अन्य विभागों और एजेंसियों द्वारा दिए गए सभी समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आभारी हैं। निदेशकगण रचनात्मक सुझावों और निरंतर सहयोग के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी), सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षकों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशकगण कंपनी के सम्माननीय ग्राहकों और प्रतिष्ठित शेयरधारकों द्वारा कंपनी के प्रबंधन को दिए गए समर्थन और विश्वास के लिए उनकी हार्दिक सराहना करते हैं तथा भविष्य में भी इसे जारी रखने की आशा करते हैं।

निदेशकगण सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग तथा वित्तीय संस्थाओं, बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के लिए अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–

(संजय कुमार जैन)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09629741

स्थान – नई दिल्ली

दिनांक – 19 जुलाई, 2024

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- ए

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2021-22 में 9.7% और 2022-23 में 7.0% की प्रभावशाली जीडीपी वृद्धि दिखाई, जो इसकी लचीलापन और आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। वर्ष 2023-24 की पहली तीन तिमाहियों में 8.2%, 8.1% और 8.4% की अनुमानित वृद्धि दर देखी गई, जो मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में निरंतर गति से प्रेरित थी1। ई-वे बिल, माल ढुलाई, जीएसटी संग्रह और एयर कार्गो यातायात जैसे प्रमुख संकेतकों में दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ी हुई मांग की संभावना को दर्शाता है।

अप्रैल-दिसंबर 2023-24 के दौरान चालू खाता घाटा जीडीपी के 1.2% पर नियंत्रित रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में कमी है। अप्रैल-जनवरी 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 59.9 बिलियन पर मजबूत रहा, जो निवेशकों के निरंतर विश्वास का संकेत है। बाहरी वाणिज्यिक उधारी में भी उछाल आया, अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान 3.7 बिलियन का निवल प्राप्ति हुई, जिससे उद्योगों के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण विकल्प उपलब्ध हुए। इसके अलावा, दिसंबर 2023 के अंत तक बाहरी ऋण/जीडीपी अनुपात घटकर 18.7% हो गया और जीडीपी अनुपात में निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति में सुधार होकर 10.8% हो गया, जो देश की बाहरी स्थिति में मजबूती का संकेत है।

दृष्टिकोण

वित्त मंत्रालय द्वारा बताए गए अनुसार भारत की आर्थिक संभावनाएं आशाजनक हैं, जिसमें आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि और सोपानी उपलब्धि की कल्पना की गई है। अनुमानों से संकेत मिलता है कि भारत तीन वर्षों के भीतर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच जाएगा, जिसका जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की एक और उपलब्धि हासिल करने का लक्ष्य है। अतीत में मैक्रो असंतुलन और संकटग्रस्त वित्तीय क्षेत्र जैसी चुनौतियों से जूझने के बावजूद, भारत ने काफी प्रगति की है, एक दशक पहले 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका अनुमानित जीडीपी वित्तीय वर्ष 24 के लिए 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। इस ऊपरी प्रक्षेपवक्र का श्रेय कई सुधारों को दिया जाता है, जो ठोस और वृद्धिशील दोनों हैं, जिन्होंने आर्थिक लचीलापन बढ़ाया है और भारत को अप्रत्याशित वैश्विक झटकों से निपटने में सक्षम बनाया है।

भारत का सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक है, जिसमें रेल एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है। भारतीय रेल न केवल औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देता है, बल्कि अपनी सहायक सेवाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में अनौपचारिक नौकरियां पैदा करता है। चूंकि सेवा क्षेत्र अपने रोजगार हिस्से का विस्तार करना जारी रखता है, इसलिए मौजूदा रेल लाइनों की क्षमता को बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। यह क्षमता वृद्धि माल के कुशल परिवहन की सुविधा प्रदान करती है और यात्री यातायात को बढ़ाती है। परिचालन अनुपात में सुधार के लिए एक ठोस प्रयास आवश्यक है, क्योंकि यह भावी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त, ट्रेनों में ई-कैटरिंग सेवाओं की शुरूआत रेल के विकास को गति देने और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक है। यह पहल रोजगार सृजन में सहायक साबित हुई है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास प्रक्षेपवक्र को बल मिला है।

सरकार का कैपेक्स पर जोर

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति को बनाए रखने के लिए, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024/253 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11.11 ट्रिलियन रु. (लगभग 134 बिलियन डॉलर के बराबर) की ऐतिहासिक राशि निर्धारित की है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले पूंजीगत व्यय के लिए यह आवंटन चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.1% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। यह पर्याप्त वृद्धि देश भर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण प्रेरक है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश करते हुए, सरकार का लक्ष्य आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजित करना और दीर्घकालिक सतत विकास को सुविधाजनक बनाना है।

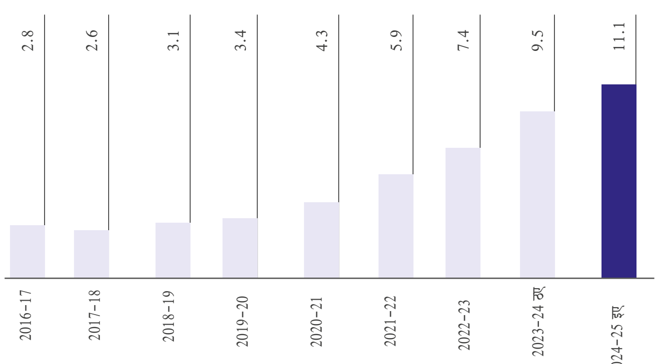

Source: Reuters

[1]https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=57638#:~:text=Imports%20of%20capital%20goods%20expanded,per%20cent%20in%20January%202024.&text=India's%20merchandise%20exports%20expanded%20by,to%20%2460.1%20billion%20in%20February.

[2]https://www.thehindu.com/business/Economy/india-to-become-third-largest-economy-with-gdp-of-5-trillion-in-three-years-finance-ministry/article67788662.ece

[3]https://www.reuters.com/world/india/india-budget-government-raises-202425-capex-spend-record-1111-trln-rupees-2024-02-01/

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.3% पर पहुँच चुके सकल घरेलू उत्पाद में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का अनुपात आगामी वित्तीय वर्ष में थोड़ा बढ़कर 3.4% होने का अनुमान है। हालांकि, अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्यों में अनुमानित वृद्धि चालू वित्तीय वर्ष में देखी गई 37% की महत्वपूर्ण वृद्धि से बिल्कुल अलग है।4 यह अंतर राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का पालन करने के लिए सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों के कारण है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने की भारत की महत्वाकांक्षा को साकार करने में पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, राजकोषीय दूरदर्शिता प्राथमिकता बना हुआ है।

सरकार का अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था 7.3% की तेज़ गति से बढ़ेगी, जबकि पिछले वर्ष 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 7% वृद्धि के अनुमान से कहीं ज़्यादा है। यह आशावादी दृष्टिकोण वैश्विक अर्थव्यवस्था में भू-राजनीतिक तनावों सहित कई अनिश्चितताओं के बीच सामने आया है।

हालांकि, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस वृद्धि की गति की स्थिरता के बारे में चिंता जताई है और खपत में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्हें 7.3% की वृद्धि लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यवहार्यता पर भी संशय हैं और पूंजीगत व्यय में कमी और कृषि क्षेत्र में निराशाजनक परिदृश्य को संभावित बाधा बताते हैं।

उद्योग का अवलोकन

भारतीय रेल

भारतीय रेल प्रणाली अर्थव्यवस्था की आधारशिला और जीवन रेखा के रूप में खड़ी है, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और लगभग पूरे देश से गुजरती है। यह अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़े रेल तंत्र है और अर्थव्यवस्था के 45% मॉडल माल ढुलाई हिस्से के साथ बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% योगदान देता है। इस व्यापक बुनियादी ढांचे की देखरेख रेल बोर्ड करता है जो भारत में रेल सेवाओं के प्रावधान पर एकाधिकार रखता है। अपनी किफायती और कुशल संचालन के कारण, रेल अधिकांश भारतीयों के लिए लंबी दूरी की यात्रा का पसंदीदा तरीका बना हुआ है।

भारत सरकार ने निवेशक-अनुकूल नीतियों के माध्यम से रेल के बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी है, जिससे माल ढुलाई और हाई-स्पीड ट्रेन के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को तेजी से सक्षम किया जा रहा है। वर्तमान में, कई घरेलू और विदेशी संस्थाएं भारतीय रेल परियोजनाओं में निवेश के अवसर तलाश रही हैं।

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारतीय रेल ने अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अर्ध-उच्च गति वाली स्व-चालित रेलगाड़ियां शुरू की हैं, जैसे वैश्विक मानकों को पूरा करने वाली अन्य समकालीन विशेषताओं के साथ तीव्र गति, यात्रा समय में पर्याप्त कमी, 160 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति, ऑनबोर्ड इन्फोटेनमेंट, जीपीएस-आधारित यात्री सूचना प्रणाली, स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, वापस लेने योग्य पदचिह्न और शून्य उत्सर्जन वैक्यूम बायो-शौचालय।

भारतीय रेल ने व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और किफायती दरों पर सेवा वितरण में सुधार करने का निरंतर प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप रेल ने पारंपरिक और गैर-पारंपरिक दोनों प्रकार के कमोडिटी स्ट्रीम से नया ट्रैफ़िक आकर्षित किया है। ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और व्यवसाय विकास यूनिटों के प्रभावी काम के माध्यम से, चुस्त नीति-निर्माण द्वारा समर्थित, भारतीय रेल ने वर्ष 2022 में पहली बार 1400 मीट्रिक टन माल लदान के लक्ष्य को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा, भारतीय रेल ने वर्ष 2023 में किसी भी वित्तीय वर्ष में अपना अब तक का सबसे अधिक माल लदान हासिल किया, जो 1512 मीट्रिक टन तक पहुंच गया।5

भारतीय रेल की प्रमुख पहल

वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, भारतीय रेल ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई पहल की हैं। इनमें अपने संचालन में ऊर्जा-दक्ष तकनीकों को अपनाना शामिल है। इसका ध्यान पुनर्योजी क्षमताओं के साथ तीन-चरणीय इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण में पूरी तरह से बदलाव करने, हेड-ऑन जनरेशन (एचओजी) तकनीक को अपनाने, इमारतों और कोचों में एलईडी लाइटिंग को एकीकृत करने, स्टार-रेटेड उपकरणों का उपयोग करने, जल संरक्षण उपायों को लागू करने और वनीकरण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेने पर है।

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की छह परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है, जिनकी कुल लागत 12,343 करोड़ रु. है। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय रेल के कुछ सबसे व्यस्त खंडों पर परिचालन को सुव्यवस्थित करना और भीड़भाड़ को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, ये परियोजनाएं क्षेत्र में व्यापक विकास को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं, जिससे रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।

छह राज्यों- राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों को शामिल करते हुए स्वीकृत परियोजनाओं को खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला, सीमेंट जैसी विभिन्न वस्तुओं के परिवहन में उनके महत्व के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रणनीतिक रूप से चुना गया है। क्षमता वृद्धि के प्रयासों से लगभग 87 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) अतिरिक्त माल यातायात की सुविधा मिलने का अनुमान है। पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा-कुशल होने की रेलवे की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो रसद लागत को कम करने, तेल आयात पर अंकुश लगाने और कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायता करती है। इन परियोजनाओं

[4] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/budget-2024-budget-raises-capex-target-by-11-1-to-rs-11-11-lakh-crore-to-steer-indias-economy-to-third-largest-spot/articleshow/107315590.cms?from=mdr

[5] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1991568

में मौजूदा भारतीय रेल नेटवर्क का 1020 किलोमीटर तक विस्तार करना शामिल है, जिससे इन राज्यों के निवासियों के लिए लगभग तीन करोड़ श्रम-दिवस के रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

रेल में सुधार के लिए सरकारी पहल

भारत सरकार ने भारतीय रेल द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ पहल की हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-

प्रौद्योगिकी प्रगति

स्मार्ट रेल मिशन – इस मिशन में बेहतर सुरक्षा और वास्तविक समय पर ट्रेन ट्रैकिंग के लिए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी), ट्रेन प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) और स्वचालित निरीक्षण प्रणाली जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है।

रोलिंग स्टॉक में नवाचार – विकास कार्यों में एकीकृत डायग्नोस्टिक प्रणाली के साथ मस्मार्टफकोच, उन्नत सुविधाओं के साथ 'स्मार्ट' लोकोमोटिव, और बेहतर रखरखाव और विश्वसनीयता के लिए स्वचालित ट्रेन जांच प्रणाली शामिल हैं।

यात्री सुविधाएं और संरक्षा

परियोजना स्वर्ण और उत्कृष्ट – ये पहल यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शौचालयों सहित मौजूदा कोचों को बेहतर बनाने पर केंद्रित हैं। हमसफर और अंत्योदय जैसी ट्रेनों की शुरूआत विशिष्ट यात्री वर्गों को ध्यान में रखकर की गई है, जिनमें यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

बेहतर स्वच्छता – सभी कोचों में कूड़ेदानों का प्रावधान, बेहतर गुणता वाले कपड़ों के लिए मशीनीकृत लॉन्ड्रियां तथा कीट नियंत्रण के सख्त उपाय, ट्रेनों में बेहतर स्वच्छता की दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं।

संरक्षा पर ध्यान

जनवरी 2019 तक ब्रॉड गेज लाइनों पर सभी मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने से इन संवेदनशील बिंदुओं पर दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है।

निजी भागीदारी और निवेश

आधुनिक रेलगाड़ियां शुरू करने और यात्री सेवाओं में सुधार करने के लिए सरकार कुछ खास मार्गों पर निजी भागीदारी को आमंत्रित कर रही है। इससे नए निवेश आने, प्रौद्योगिकी अनुकूलन में वृद्धि होने और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने की अपेक्षा है।

खानपान सेवाएं

भारत में खानपान सेवा बाजार में शहरीकरण, पर्यटन और बदलती जीवनशैली जैसे कारकों के कारण काफी तेजी देखी जा रही है। खानपान सेवाओं की मांग में यह बदलाव बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) इवेंट सेक्टर के तेजी से बढ़ने और कार्पोरेट कार्यक्रमों में खाद्य और पेय पदार्थों की पेशकश के एकीकरण से स्पष्ट है। इसके अलावा, व्यस्त जीवनशैली के कारण बाजार में वृद्धि देखी जा रही है और लोग खाना पकाने के लिए सुविधाजनक विकल्प तलाश रहे हैं।

भारत में खानपान व्यवसाय संचालित करने के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें विनिर्माण, भंडारण, पैकेजिंग, प्रसंस्करण और खानपान सेवाओं के विभिन्न चरण शामिल हैं। ताजा, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य विकल्पों के लिए ग्राहकों की बढ़ती प्राथमिकता वैश्विक खानपान सेवा बाजार को आगे बढ़ा रही है। इस क्षेत्र के संचालक ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ताजा सामग्री से तैयार घर का बना भोजन पेश करना चाहते हैं।

संविदा और गैर-संविदा प्रकारों में विभाजित, गैर-संविदा खानपान वित्तीय वर्ष 23 में भारत के खानपान सेवा बाजार में प्रमुख श्रेणी के रूप में उभरा। शहरीकरण, पर्यटन प्रवाह और जीवनशैली में बदलाव से इस उद्योग को और बढ़ावा मिला है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी प्रगति, उत्पाद नवाचार और विविधीकरण बाजार की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निकट भविष्य में महत्वपूर्ण विस्तार देखते हुए भारत के खानपान सेवा बाजार में तेजी से वृद्धि की उम्मीद है, जो कि बी2बी इवेंट क्षेत्र के फलने-फूलने और कार्पोरेट इवेंट में खाद्य और पेय सेवाओं के बढ़ते एकीकरण से प्रेरित है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, जिसमें भारतीय व्यंजनों में शाकाहार और हरे भोजन की खपत जैसी आहार संबंधी प्राथमिकताएं शामिल हैं, व्यक्तिगत ऑर्डरिंग पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, जो बाजार की वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में कार्य करती हैं।

ई-बुकिंग उद्योग

भारत के ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जिसका अनुमानित आकार वित्तीय वर्ष 25 में 17.24 बिलियन है, जो वित्तीय वर्ष 30 तक 28.40 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पूर्वानुमान अवधि के दौरान 10.5% की सीएजीआर को दर्शाता है[6]। कोविड-19 महामारी ने भारत के ऑनलाइन ट्रैवल उद्योग को गंभीर झटका दिया था, लेकिन इसके दीर्घकालिक विकास के मूल तत्व मजबूत बने रहे। इस संकट ने एक बड़ी चुनौती के रूप में काम किया, लेकिन मजबूत संगठनों के लिए अधिग्रहण के अवसर भी पेश किए, जिससे उद्योग बेहतर हुआ। इसके विपरीत, घरेलू पर्यटन में तेजी आने की उम्मीद है, जो कि दबी हुई मांग से प्रेरित है और अपेक्षाकृत तेजी से सुधार का संकेत देता है।

भारतीय ई-बुकिंग उद्योग का विकास

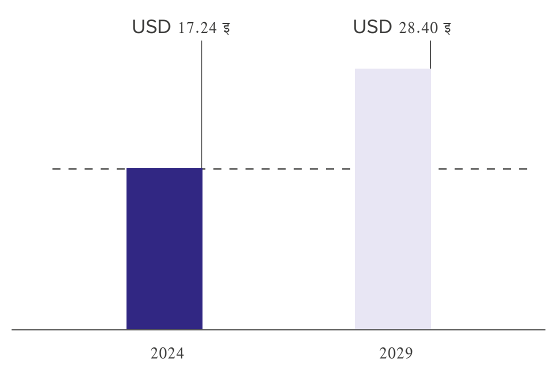

[6]https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/online-travel-market-in-india

विशेष रूप से, मोबाइल ऐप यात्रा बुकिंग के एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में उभरे हैं और भारत में अग्रणी ट्रैवल कंपनियां टिकट और आवास के तुरंत आरक्षण के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करती हैं। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल (डबल्यूटीटीसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का यात्रा और पर्यटन उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने में सातवें स्थान पर है। पिछले एक दशक में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि के साथ, आशा है कि सकारात्मक आर्थिक विकास पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देगा। भारतीयों के बीच बढ़ती डिस्पोजेबल आय से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे उद्योग के विकास की गति को बल मिलेगा।

यात्रा और पर्यटन

पर्यटन और आतिथ्य भारत के सेवा उद्योग के भीतर महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो देश के विकास को गति देते हैं और समृद्धि को बढ़ावा देते हैं। यात्रा और पर्यटन के लिए भारत का विशाल बाजार विविध प्रकार के विशिष्ट उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें क्रूज, रोमांच, चिकित्सा, कल्याण, खेल, एमआईसीई, इको-पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, भारत ने आध्यात्मिक पर्यटन के गंतव्य के रूप में मान्यता प्राप्त की है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यात्रियों को आकर्षित करता है।

वर्ष 2023 में राजस्व 28 बिलियन डॉलर को पार करते हुए और 5.1% की सीएजीआर के साथ अनुमान लगाया गया है कि भारत के पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में पर्याप्त वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और उम्मीद है कि वर्ष 2033 तक यह लगभग 46 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा और विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) में 20.4 मिलियन (2023 में 9.24 मिलियन, 8.4% की सीएजीआर के साथ) की अनुमानित वृद्धि होगी।

हाल के वर्षों में एशिया-प्रशांत के मजबूत आर्थिक और मध्यम वर्ग के विस्तार ने, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और गैर-अवकाश संसाधनों के असाधारण मिश्रण के साथ मिलकर, ऐतिहासिक रूप से यात्रा की मांग में तेजी से वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद की है। चीन, जापान और भारत जैसे देश दुनिया की कुछ सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं के केंद्र हैं और तीनों प्राकृतिक, सांस्कृतिक और गैर-अवकाश संपत्तियों के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं।

वर्ष 2024 में, जापान (तीसरा) एपीएसी क्षेत्र में शीर्ष कार्य-निष्पादन करने वाला देश होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया (5वां) और चीन (8वां) वैश्विक शीर्ष 10 में स्थान पर होंगे। चीन के पास इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टी एंड टी अर्थव्यवस्था भी है, जबकि भारत (39वां) दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा यात्रा और पर्यटन क्षेत्र है और टीटीडीआई की शीर्ष निम्न-मध्यम आय अर्थव्यवस्था में है।

पर्यटन दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है जो नौकरियां पैदा करता है, निर्यात को बढ़ावा देता है और दुनिया भर में समृद्धि लाता है। इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने की भी बड़ी क्षमता है। भारत परिदृश्य, व्यंजनों, विरासत, रोमांच, वन्य जीवन और संस्कृति में विविधता के कारण हाल के वर्षों में विदेशी और घरेलू दोनों तरह के पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध गंतव्य के रूप में उभरा है। पर्यटन अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है, इसलिए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकास की अनेक पहल की गई हैं।

पर्यटन में डिजिटलीकरण

भारत में पर्यटन की एक समृद्ध श्रृंखला है, जिसमें रोमांच, सांस्कृतिक, पारिस्थितिकी पर्यटन, ऐतिहासिक, चिकित्सा, धार्मिक और वन्यजीव अनुभव शामिल हैं। पर्यटन स्थलों की अपनी समृद्धि के बावजूद, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2023 में भारत की 39वीं रैंकिंग इस बात को दर्शाती है कि इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यटन ने ऐतिहासिक रूप से भारत में सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ऊर्जा और खाद्य लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच, स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संरक्षण दोनों को प्राथमिकता देते हुए, स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना अनिवार्य है।

पर्यटन उद्योग हमेशा से यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने में सबसे आगे रहा है। जैसे-जैसे हम 2023 की दूसरी छमाही में कदम रख रहे हैं, प्रौद्योगिकी और पर्यटन का रूपांतरण दुनिया को देखने के हमारे तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। व्यक्तिगत अनुशंसाओं से लेकर निमज्जित अनुभवों तक, अत्याधुनिक नवाचारों द्वारा यात्रा और परिदृश्य को बदला जा रहा है। हम वर्ष 2023 में पर्यटन उद्योग के भविष्य को आकार देने वाले शीर्ष तकनीकी रुझानों पर विचार करेंगे।

पर्यटन उद्योग अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा संचालित नवाचार के एक नए युग को अपना रहा है। वर्ष 2023 में, कृत्रिम प्रज्ञान, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और संधारणीय समाधान यात्रा के भविष्य को आकार दे रहे हैं। ये तकनीकी रुझान हमारी यात्राओं की योजना बनाने, बुक करने और उनका अनुभव करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। जैसे-जैसे उद्योग विकसित होता जा रहा है, यात्री आने वाले वर्षों में अविस्मरणीय रोमांच सुनिश्चित करते हुए अधिक व्यक्तिगत, निमज्जित और संधारणीय यात्रा अनुभवों की उम्मीद कर सकते हैं।

पर्यटन उद्योग को आकार देने वाली प्रौद्योगिकियां[7]

- **कृत्रिम प्रज्ञान (ए.आई.) और मशीन लर्निंग (एम.एल.) –**

  कृत्रिम प्रज्ञान और मशीन लर्निंग पर्यटन उद्योग के अभिन्न अंग बन गए हैं, जो यात्रियों के लिए व्यक्तिगत और अनुरूप अनुभव को सक्षम बनाते हैं। ए.आई.-संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान, यात्रा की योजना बनाने से लेकर वास्तविक समय में सहायता करने तक की मदद कर रहे हैं। ये बुद्धिमान सिस्टम तत्काल प्रतिक्रिया दे सकते हैं, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर सुझाव दे सकते हैं और यहां तक कि बुकिंग भी कर सकते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम रुझानों की भविष्यवाणी करने, मूल्य निर्धारण को अनुकूलित करने और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करने के लिए विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं।

[7] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/budget-2024-budget-raises-capex-target-by-11-1-to-rs-11-11-lakh-crore-to-steer-indias-economy-to-third-largest-spot/articleshow/107315590.cms?from=mdr

संवर्धित वास्तविकता (ए.आर.) और आभासी वास्तविकता (वी.आर.) –

ए.आर. और वी.आर. तकनीकें यात्रियों के अपने गंतव्यों के साथ संपर्क करने के तरीके को बदल रही हैं। ए.आर. -संवर्धित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से, पर्यटक अपने भौतिक परिवेश पर डिजिटल जानकारी को ओवरले करते हुए वास्तविक समय की जानकारी और निमज्जित अनुभवों तक पहुँच सकते हैं। दूसरी ओर, वी.आर. से यात्रियों को गंतव्यों को वर्चुअल रूप से देखने और अनुभव करने की सुविधा मिलती है, जिससे यात्रा की योजना बनाना और सुनियोजित निर्णय लेना आसान हो जाता है। होटल और ट्रैवल एजेंसियां वर्चुअल टूर प्रदान करने के लिए वी.आर. का उपयोग कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को बुकिंग करने से पहले उनकी पेशकशों को समझ सके।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स –

इंटरनेट ऑफ थिंग्स यात्रा को और भी स्मार्ट और सुविधाजनक बना रहा है। स्मार्ट लगेज, पहनने योग्य तकनीक और कनेक्टेड होटल रूम जैसे आईओटी डिवाइस समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बना रहे हैं। जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल लॉक से लैस स्मार्ट लगेज यात्रियों की मन की शांति सुनिश्चित करता है, जबकि पहनने योग्य डिवाइस स्वास्थ्य और संरक्षा के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान कर सकते हैं। कनेक्टेड होटल रूम व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर तापमान, प्रकाश व्यवस्था और मनोरंजन वरीयताओं को समायोजित करते हुए मेहमानों को व्यक्तिगत वांछित अनुभव प्रदान करते हैं।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी –

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वास को बढ़ाकर पर्यटन उद्योग में क्रांति ला रही है। ब्लॉकचेन द्वारा संचालित स्मार्ट संविदाएं सुरक्षित और कुशल लेनदेन को सक्षम करते हैं, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यात्री तत्काल और सुरक्षित भुगतान कर सकते हैं, जबकि आपूर्तिकर्ता लेनदेन का अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ब्लॉकचेन-आधारित पहचान सत्यापन प्रणाली चेक-इन प्रक्रिया को सरल बना रही है और पहचान की चोरी के जोखिम को कम कर रही है।

संधारणीय पर्यटन समाधान –

जैसे-जैसे संधारणीयता यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बनती जा रही है, प्रौद्योगिकी जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मोबाइल एप्लिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म पर्यावरण हितैषी आवास, संधारणीय गतिविधियों और कार्बन ऑफसेट विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ए.आई.-संचालित एल्गोरिदम यात्रा मार्गों को अनुकूल बना रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं और परिवहन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर रहे हैं।

पर्यटन उद्योग की सहायता के लिए सरकारी पहल और योजनाएं

पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष 24 के लिए **'राष्ट्रीय पर्यटन नीति'** का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, ठहरने की अवधि में वृद्धि और व्यय में वृद्धि करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य भारत को साल भर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाना है।

वोकल फॉर लोकल पहल को ध्यान में रखते हुए, अपडेटेड स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य भारत के पर्यटन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह सिर्फ एक छोटा सा बदलाव नहीं है, बल्कि देश भर में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह नया दृष्टिकोण पर्यटकों और खुद पर्यटन स्थलों दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। **'स्वदेश दर्शन 2.0'** विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मानक स्थापित करेगा और परियोजनाओं की योजना बनाते और उन्हें क्रियान्वित करते समय राज्य इन दिशानिर्देशों का उपयोग करेंगे। यह योजना पर्यटन विकास के लिए कई प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालती है, जिसमें संस्कृति और विरासत, साहसिक कार्य, इको-पर्यटन, वेलनेस, एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां), ग्रामीण, समुद्र तट और समुद्री और अंतर्देशीय दोनों तरह के परिभ्रमण शामिल हैं।

रेल मंत्रालय द्वारा **'आदर्श स्टेशन योजना'** का उद्देश्य पूरे भारत में उपनगरीय रेलवे स्टेशनों की गुणता को बढ़ाना है। इस योजना के लिए स्टेशनों का चयन सुविधाओं में सुधार की उनकी आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। आदर्श स्टेशनों की प्रमुख विशेषताओं में स्टेशन भवन की उपस्थिति में सुधार, यातायात प्रवाह का प्रबंधन, प्लेटफ़ॉर्म की सतह को बेहतर बनाना, प्रतीक्षालय और विश्राम कक्षों को बेहतर बनाना, बेहतर शौचालय सुविधाएं प्रदान करना, फुट ओवरब्रिज का निर्माण करना और लिफ्ट और एस्केलेटर लगाना जैसे सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयास शामिल हैं। भारत सरकार और भारतीय रेल उन्नयन प्रक्रिया की देखरेख करेंगे।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में **राष्ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान'** (प्रसाद) की शुरुआत की थी। इस पहल का उद्देश्य चयनित तीर्थ स्थलों का व्यापक विकास करना था। बाद में, अक्तूबर 2017 में, इस योजना का नाम बदलकर **राष्ट्रीय तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान** (प्रशाद) कर दिया गया। आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना को बंद करने के बाद, प्रसाद योजना ने विरासत स्थलों के विकास को शामिल करने के लिए अपने दायरे का विस्तार किया, जिससे इसका नाम बदलकर प्रशाद कर दिया गया। इस योजना के तहत, भारत भर में विभिन्न धार्मिक शहरों और स्थलों को विकास के लिए पहचाना गया है, जिनमें आंध्र प्रदेश में अमरावती और श्रीशैलम, असम में कामाख्या, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में परशुराम कुंड, बिहार में पटना और गया, जैसे कई अन्य स्थल शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **देखो अपना देश'** पहल शुरू की।

'राष्ट्रीय डिजिटल पर्यटन मिशन' का उद्देश्य डिजिटल हाईवे की मदद से पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न भागीदारों के बीच मौजूदा सूचना अंतर को दूर करना है। इसका उद्देश्य सूचना और सेवाओं के आदान-प्रदान को सक्षम करते हुए पर्यटन क्षेत्र में डिजिटलीकरण की पूरी क्षमता का दोहन करना है।

देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय की कुछ अन्य पहलें इस प्रकार हैं -

1. आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना के अंतर्गत मेलों/त्योहारों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

2. अन्य विशिष्ट विषयों के साथ-साथ स्वास्थ्य पर्यटन, पाक-कला पर्यटन, ग्रामीण, पारिस्थितिकी पर्यटन आदि विषयगत पर्यटन को जोरदार तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, ताकि पर्यटन की परिधि अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाई जा सके।

3. 167 देशों के नागरिकों के लिए 7 उप-श्रेणियों अर्थात ई-पर्यटक वीज़ा, ई-बिजनेस वीज़ा, ई-मेडिकल वीज़ा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा, ई-सम्मेलन वीज़ा, ई-आयुष वीज़ा और ई-आयुष अटेंडेंट वीज़ा के लिए ई-वीज़ा की सुविधा प्रदान करना।

4. ई-वीज़ा को और अधिक उदार बनाया गया है तथा वीज़ा शुल्क में काफी कमी की गई है।

5. पर्यटन स्थल के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 1,001 रु. से 7,500/- रु. प्रति रात तक के होटल कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12% तथा 7,501 रु. से अधिक वाले कमरों पर जीएसटी को घटाकर 18% किया गया।

6. पर्यटन मंत्रालय ने नागरी विमानन मंत्रालय के साथ उनकी आरसीएस-उड़ान योजना के तहत सहयोग किया है। आज की तारीख तक, पर्यटन स्थलों तक हवाई संपर्क में सुधार के लिए 53 पर्यटन मार्गों को चालू किया गया है।

7. पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय स्तर पर अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम चला रहा है जो एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य एक ऐसा ऑनलाइन ज्ञानार्जन मंच तैयार करना है, जिससे देश भर में अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं / गाइडों का एक समूह तैयार किया जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

8. बेहतर सेवा मानक प्रदान करने के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करने और उन्नत करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' (सीबीएसपी) योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करना।

9. राष्ट्रीय आतिथ्य उद्योग एकीकृत डेटाबेस (NIDHI) एक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली है, जिसका उद्देश्य आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र के लिए डिजिटलीकरण को सुगम बनाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है। 1 इस पहल को NIDHI+ के रूप में उन्नत किया गया है ताकि इसमें न केवल आवास यूनिटों, बल्कि ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, खाद्य और पेय यूनिटों, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, कन्वेंशन सेंटर और पर्यटक सुविधाकर्ताओं को भी शामिल किया जा सके।

रेल पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय की पहल

भारत में रेल मंत्रालय देश में रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। ऐसी प्रमुख पहल इस प्रकार हैं -

भारत गौरव ट्रेन यात्राएं – भारतीय रेल ने भारत गौरव' पर्यटक ट्रेनों के बैनर तले थीम-आधारित सर्किट पर पर्यटक ट्रेनों के संचालन की अवधारणा शुरू की। इन थीम-आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। वे अच्छी तरह से बनाए गए कोच और यात्रा कार्यक्रमों के साथ आरामदायक यात्रा प्रदान करते हैं जिसमें दर्शनीय स्थल और निर्देशित पर्यटन शामिल हैं। इस अवधारणा के तहत, थीम-आधारित पर्यटक ट्रेनें भी शामिल हैं, जो बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सिख सर्किट, रामायण सर्किट (राम कथा / राम यात्रा), ज्योतिर्लिंग सर्किट आदि जैसे विशिष्ट सर्किटों पर संचालित होती हैं।

लग्जरी ट्रेन का अनुभव – भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) और राज्य पर्यटन निगमों के सहयोग से, मंत्रालय लग्जरी ट्रेनें चलाता है। ये ट्रेनें शानदार सुविधाएं, स्वादिष्ट भोजन और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए पूरी सावधानी से योजनाबद्ध यात्राएं प्रदान करती हैं। महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट इसके उदाहरण हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी – मंत्रालय रेल पर्यटन के लिए अच्छी कनेक्टिविटी के महत्व को समझता है। मंत्रालय रेल नेटवर्क का विस्तार करने और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए नई ट्रेनें शुरू करने पर लगातार काम कर रहा है। इससे पर्यटकों के लिए आसान पहुँच सुनिश्चित होती है और अन्वेषण के लिए नए रास्ते खुलते हैं।

बेहतर यात्री अनुभव – यह समझते हुए कि सकारात्मक पर्यटन अनुभव के लिए आरामदायक यात्रा महत्वपूर्ण है, मंत्रालय ने यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की पहल की है। इसमें राजधानी और शताब्दी ट्रेनों को बेहतर बनाने के लिए परियोजना स्वर्ण, महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को बेहतर बनाने के लिए परियोजना उत्कृष्ट और बेहतर सुविधाओं के साथ हमसफर ट्रेनें शुरू करना शामिल है। भारत के प्रमुख शहरों में वंदे भारत ट्रेनों की शुरूआत से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे स्टेशनों का विकास – रेलवे स्टेशन अक्सर ट्रेन से आने वाले पर्यटकों के लिए संपर्क का पहला बिंदु होते हैं। मंत्रालय स्टेशनों को और अधिक स्वागतयोग्य और सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए उनका नवीनीकरण कर रहा है। इसमें प्रमुख स्टेशनों पर प्रीमियम सुविधाओं के साथ एक्ज़िक्यूटिव लाउंज बनाने जैसी पहल शामिल हैं।

प्रचार-प्रसार के प्रयास – मंत्रालय आईआरसीटीसी के साथ मिलकर विभिन्न माध्यमों से रेल पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। इसमें ऑनलाइन

विज्ञापन, यात्रा मेलों में भागीदारी और राज्य पर्यटन निकायों के साथ मिलकर अच्छी तरह से पैकेज किए गए रेल यात्रा कार्यक्रम बनाना शामिल है।

इन पहलों को लागू करते हुए, रेल मंत्रालय का लक्ष्य पर्यटकों के लिए ट्रेन यात्रा को और अधिक आनंददायक और सुविधाजनक विकल्प बनाना है। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यात्रियों को ट्रेन में आराम से भारत के अनूठे आकर्षण और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का अवसर भी मिलेगा।

कंपनी की सामान्य जानकारी

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी। इसके पास भारतीय रेल से रेलवे स्टेशनों और भारत भर की ट्रेनों में खानपान सेवाएं, ऑनलाइन रेलवे टिकटिंग और पैकेज्ड पेयजल उपलब्ध कराने का अनन्य अधिकार है। इसे स्थापित करने का का प्राथमिक उद्देश्य रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान और आतिथ्य सेवाओं का आधुनिकीकरण और व्यवसायीकरण करना था।

1,999

स्थापना का वष

इसके अतिरिक्त, आईआरसीटीसी का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। 1 मई, 2008 को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न (श्रेणी-। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) के रूप में मान्यता प्राप्त, आईआरसीटीसी ने अपने परिचालन को विभिन्न अन्य व्यवसायों में विस्तारित किया है, जिसमें ई-कैटरिंग, एक्ज़िक्यूटिव लाउंज और बजट होटल जैसी गैर-रेलवे खानपान सेवाएं शामिल हैं। यह विविधीकरण ग्राहकों के लिए एक व्यापक 'वन-स्टॉप समाधान' प्रदान करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप है। वर्तमान में, कंपनी चार प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में काम करती है - इंटरनेट टिकटिंग, खानपान, 'रेल नीर' ब्रांड के तहत पैकेज्ड पेयजल, और यात्रा व पर्यटन। भारतीय रेल द्वारा प्राधिकृत एकमात्र संगठन के रूप में, आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन रेल टिकट प्रदान करता है।

कंपनी अपने मोबाइल एप्लीकेशन 'फूड ऑन ट्रैक' और ई-कैटरिंग वेबसाइट के माध्यम से यात्रियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें ई-कैटरिंग विकल्प उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय रेल यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक्ज़िक्यूटिव लाउंज, बजट होटल और रिटायरिंग रूम का प्रबंधन करती है। रेल मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत एकमात्र संगठन के रूप में, कंपनी 'रेल नीर' ब्रांड के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर बनाती और वितरित करती है, जो क्रिसिल द्वारा की गई पुष्टि के अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में उपलब्ध है।

कंपनी की होटल बुकिंग, रेल, भूमि, क्रूज और हवाई यात्रा पैकेज के साथ-साथ हवाई टिकट बुकिंग सहित विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जो इसे विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों की सेवा करने वाली एक अग्रणी यात्रा और पर्यटन प्रदाता के रूप में स्थापित करती है। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई के रूप में अपने दर्जे का लाभ उठाते हुए, कंपनी रेल पर्यटन में विशेषज्ञता रखती है। शेयरधारकों को मजबूत वार्षिक प्रतिफल प्रदान करने के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, यह विश्वसनीयता और उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठा बनाए रखे है।

ई-टिकटिंग सेवाएं

आईआरसीटीसी ने भारतीय रेल का उपयोग करने वाले आम लोगों के लिए यात्रा के अनुभव को काफी हद तक बदल दिया है। इसकी ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली आम नागरिकों के लिए एक तकनीकी वरदान बन गई है, जो उन्हें सुविधा और पहुंच के साथ सशक्त बनाती है। यह अब न केवल भारत में बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक के रूप में उभरी है।

वित्तीय वर्ष 2015 से नेक्स्ट जनरेशन ई-टिकटिंग (NGeT) सिस्टम की शुरुआत ने प्रति मिनट टिकट बुकिंग की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि की है। उच्च क्षमता वाले सर्वरों द्वारा समर्थित, NGeT सिस्टम प्रति मिनट 28,000 लाख टिकट बुकिंग करने में सक्षम होगा। आईआरसीटीसी अपनी वेबसाइट www.irctc.co.in और ndroid और iOS दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के माध्यम से इंटरनेट-आधारित रेल टिकट बुकिंग में सबसे आगे है। वित्तीय वर्ष 2024 के दौरान भारतीय रेल पर बुक की गई कुल आरक्षित टिकटों का 82.68% हिस्सा इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त हुआ। औसतन, आईआरसीटीसी की वेबसाइट और मोबाइल ऐप ने वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन लगभग 12.38 टिकटों की बिक्री की सुविधा प्रदान की।

आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप

आईआरसीटीसी के रेल कनेक्ट ऐप को यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पेश किया गया था, ताकि अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और कुशल टिकटिंग अनुभव प्राप्त किया जा सके। यह ऐप अगली पीढ़ी के ई-टिकटिंग सिस्टम पर बनाया गया है और इसमें टिकटिंग वेबसाइट के साथ तुल्यकालन की सुविधा होगी, जो कि मौजूदा सिस्टम में अभी तक मौजूद नहीं है। इस ऐप का उपयोग करने वाले यात्री ट्रेन टिकट को आसानी से खोज और बुक कर सकेंगे, मौजूदा आरक्षणों को प्रबंधित कर सकेंगे, जिसमें रद्दीकरण भी शामिल है, और आगामी यात्राओं के लिए अलर्ट प्राप्त कर सकेंगे।

आईआरसीटीसी भुगतान प्रणाली

अपनी वेबसाइट और ऐप के ज़रिए आईआरसीटीसी कई तरह के ऑनलाइन भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिसमें नेट बैंकिंग, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, वॉलेट, भीम/यूपीआई, मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर, पे-लेटर, ईएमआई आदि शामिल हैं। ऐसे कई विकल्पों के अलावा, अंतरराष्ट्रीय उपयोगकर्ता एटम टेक्नोलॉजीज, पेयू-एमपीपी, रेजरपे-एमपीपी और पाइन लैब (प्लुरल द्वारा संचालित) द्वारा प्रदान किए गए समर्पित गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी कर सकते हैं।

भुगतान गेटवे के रूप में आईआरसीटीसी i-Pay

आईआरसीटीसी ने iPay नाम से अपना खुद का पेमेंट गेटवे शुरू किया है, जो यात्रियों को भुगतान करने के लिए तृतीय पक्षकार के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत को खत्म करता है। iPay के साथ, यात्री क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग और ऑटोपे सहित विभिन्न भुगतान विकल्पों का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। आईआरसीटीसी का प्रौद्योगिकी भागीदार एमएमएडी कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इस पहल के लिए बैक एंड सहायता प्रदान कर रहा है। आईआरसीटीसी iPay का उपयोग करने के लाभों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई और ऑटोपे जैसे कई भुगतान विधियों की उपलब्धता शामिल है, जो भुगतान विफलता दरों को कम करता है और बिना देरी के रिफंड की तेज़ प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।

आरक्षित टिकटों के लिए तत्काल योजना

भारतीय रेल द्वारा शुरु की गई तत्काल योजना, कम समय में यात्रा के लिए टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान करती है। यह भारत में लगभग सभी ट्रेनों में सभी आरक्षित श्रेणियों में उपलब्ध है, जिसमें कोई विशेष ट्रेन तत्काल ट्रेन के रूप में नामित नहीं है। बिना बिके तत्काल टिकट बाद में प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को जारी कर दिए जाते हैं। जहां कन्फर्म तत्काल टिकट रद्द किए जा सकते हैं, लेकिन रिफंड नहीं दिया जाता है। हालांकि, प्रतीक्षा सूची में मौजूद तत्काल टिकट रद्द किए जा सकते हैं और उनका रिफंड किया जा सकता है।

तत्काल टिकट बुकिंग, स्रोत स्टेशन से निर्धारित प्रस्थान से एक दिन पहले, उस दिन को छोड़कर, एसी क्लास के लिए सुबह 10 बजे और गैर-एसी क्लास के लिए सुबह 11 बजे शुरू होती है। यह योजना आईआरसीटीसी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप दोनों पर उपलब्ध है, जिससे उपयोगकर्ता तत्काल योजना के तहत आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं।

विकल्प योजना

आल्टर्नेट ट्रेन अकामोडेशन स्कीम (एटीएएस), जिसे 'विकल्प' के नाम से भी जाना जाता है, को प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों की अधिवास आवश्यकताओं को पूरा करने और ट्रेनों में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए लागू किया गया है। आईआरसीटीसी के माध्यम से टिकट बुकिंग के दौरान विकल्प का चयन करने से वैकल्पिक ट्रेनों में बर्थ की गारंटी नहीं मिलती है बल्कि आवंटन ट्रेनों और बर्थ की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि किसी वैकल्पिक ट्रेन में पुष्टि की जाती है, तो उस ट्रेन में बर्थ/ट्रेन की स्थिति के आधार पर रद्दीकरण शुल्क निर्धारित किया जाता है। यात्रियों को उनके द्वारा बुक की गई मूल ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 30 मिनट से 72 घंटे के बीच प्रस्थान करने वाली किसी भी वैकल्पिक ट्रेन में स्थानांतरित किया जा सकता है। चार्ट तैयार करने से पहले विकल्प योजना का लाभ उठाने का विकल्प भी उपलब्ध है, जिसे बुक किए गए टिकट इतिहास लिंक के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।

आईआरसीटीसी – एसबीआई, बॉब, एचडीएफसी के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड-सुविधा

वर्ष 2020 में आईआरसीटीसी और एसबीआई ने एनपीसीआई के RuPay प्लैटफ़ॉर्म पर एक नया को-ब्रांडेड संपर्क-रहित क्रेडिट कार्ड पेश किया। उसके बाद, वित्तीय वर्ष 23 में, कंपनी ने RuPay प्लैटफ़ॉर्म पर बॉब लॉयल्टी को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ सहयोग किया। अपने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड कम लॉयल्टी प्रोग्राम को बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए, कंपनी ने स्वदेशी RuPay प्लैटफ़ॉर्म पर एक नया को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वित्तीय वर्ष 24 में एचडीएफसी बैंक के साथ भागीदारी की। ये को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अक्सर रेल यात्रियों को उनकी यात्राओं पर महत्वपूर्ण बचत और खुदरा, भोजन और मनोरंजन पर विशेष लाभ के साथ-साथ लेनदेन शुल्क छूट प्रदान करते हैं। इसके अलावा, इन सहयोगों ने उनकी वेबसाइट और ऐप पर ट्रैफ़िक बढ़ाने में मदद की है, जिससे बदले में 39.54 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है।

भीम/यूपीआई भुगतान माध्यम

आईआरसीटीसी पर सबसे तेज़ भुगतान विधि यूपीआई है, क्योंकि यह धनराशि को तुरंत स्थानांतरित कर देता है और इसके लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण चरणों की आवश्यकता नहीं होती है। भुगतान के लिए यूपीआई का उपयोग करना एक सहज और त्वरित बुकिंग अनुभव सुनिश्चित करता है। आईआरसीटीसी वेबसाइट/मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-टिकटिंग के लिए इस तरह के भुगतान एकीकरण के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं-

1. भुगतान का यह माध्यम ग्राहक को परेशानी मुक्त लेनदेन करने में सक्षम बनाता है।
2. रेल ई-टिकट बुक करने के लिए ग्राहकों को एकल यूजर आईडी का उपयोग करते हुए किसी भी बैंक के माध्यम से भुगतान के विभिन्न तरीके उपलब्ध होंगे।
3. उपयोगकर्ता एक ही मंच पर अपने किसी भी बैंक खाते से भुगतान करते हुए रेल टिकट बुक कर सकते हैं।

यात्रा बीमा

कंपनी अपनी वेबसाइट या ऐप के ज़रिए ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना प्रदान करती है। यह एक बहुत ही किफ़ायती विकल्प है, जिसकी लागत प्रति यात्री सिर्फ़ 45 पैसे है और इसमें कई तरह की स्थितियों को शामिल किया गया है। यह बीमा ट्रेन दुर्घटना जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु या स्थायी विकलांगता होती है। दावा प्रक्रिया सीधे आईआरसीटीसी नहीं बल्कि पॉलिसी प्रदान करने वाली कंपनी द्वारा संभाली जाती है। बीमा खरीदने के बाद पॉलिसी का विवरण आमतौर पर एसएमएस और ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है।

46.55 करोड़

वित्तीय वर्ष 2024 में यात्रा बीमा का विकल्प चुनने वाले कुल यात्री।

₹ 17.26 करोड़

वित्तीय वर्ष 2024 में इस सेवा के लिए धनराशि एकत्र की गई।

रियायती बुकिंग

कंपनी रेल नीति के अनुसार यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए ट्रेन टिकटों पर रियायती किराया प्रदान करती है। इसका मतलब है कि ये यात्री सामान्य टिकट मूल्य की तुलना में रियायती दरों का लाभ उठा सकते हैं। कुछ मामलों में इन रियायतों का लाभ दिव्यांग यात्रियों और छात्रों द्वारा उठाया जा सकता है।

ऑनलाइन पास धारकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग

रेल कर्मचारी अपने रेलवे पास का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आरक्षित रेल टिकट खरीद सकते हैं। इन आरक्षणों पर सुविधा शुल्क नहीं लगता है और न ही यात्रा बीमा की आवश्यकता होती है।

रेल खानपान

आईआरसीटीसी रेल कैटरिंग के लिए दो मुख्य विकल्प प्रदान करता है, यानी पेंट्री कार/टीएसवी और ई-कैटरिंग। पेंट्री कार भोजन पारंपरिक ऑन-बोर्ड कैटरिंग सिस्टम है, जहां भोजन को प्रारंभिक/मार्गस्थ स्टेशन पर पूर्व-नामित रसोई यूनिट से उठाया जाता है और ट्रेन की पेंट्री में फिर से गर्म किया जाता है। जबकि ई-कैटरिंग सिस्टम आधुनिक ऑनलाइन भोजन ऑर्डरिंग सिस्टम है, जिसमें यात्री अपने यात्रा स्टॉप के पास विभिन्न प्रकार के रेस्तरां से भोजन पहले से बुक कर सकते हैं।

विस्टाडोम ट्रेन

भारतीय रेल ने चुनिंदा ट्रेनों में विस्टाडोम कोच शुरू किए हैं, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा को अधिकतम करने का अवसर मिलेगा। कांच की छत और विशाल खिड़कियों की विशेषता वाले ये कोच आसपास के 360 डिग्री के मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। विस्टाडोम कोच घूमने वाली सीटों और एक अवलोकन लाउंज से सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, इन कोचों में डिजिटल मनोरंजन प्रणाली और वाई-फाई सुविधाएं भी हैं।

ट्रेन संख्या 52459/60 कालका-शिमला हिम दर्शन

ट्रेन संख्या 52453/54 कालका-शिमला एनजी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12051/52 मुंबई सीएसएमटी - मडगांव जन शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 22119/20 मुंबई सीएसएमटी - मडगांव तेजस एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20947/48 अहमदाबाद - केवड़िया एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20949/अहमदाबाद - एकता नगर (केवड़िया) जन शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18551/52 विशाखापत्तनम - किरंदुल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 08551/विशाखापत्तनम - किरंदुल स्पेशल

ट्रेन संख्या 15777/78 अलीपुरद्वार - न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 11007/08 मुंबई - पुणे एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12123/24 डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12125/26 प्रगति एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16539/40 यशवंतपुर - मंगलुरु जंक्शन साप्ताहिक एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16575/76 गोमटेश्वर एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 16515/16 यशवंतपुर-कारवार एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 05888 गुवाहाटी-न्यू हाफलोंग पर्यटक विशेष ट्रेन

ट्रेन संख्या 15887/88 गुवाहाटी-बदरपुर एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 52539/न्यू जलपाईगुड़ी - दार्जिलिंग एसी पैसेंजर

ट्रेन संख्या 18618/न्यू गिरिडीह - रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 04688/बडगाम - बनिहाल विस्टाडोम स्पेशल

ट्रेन संख्या 12042/न्यू जलपाईगुड़ी - हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 13054/कुलिक एक्सप्रेस

(कंपनी से विवरण प्राप्त होने के बाद ट्रेनों की सूची अपडेट की जाती है)

एक्ज़िक्यूटिव लाउंज

रेलवे स्टेशनों पर एक्ज़िक्यूटिव लाउंज में यात्रियों को वॉश और चेंज रूम, वायरलेस इंटरनेट, लाइव टीवी, चैनल म्यूजिक, समाचार पत्र और बुक स्टैंड, बुफे सेवाएं और प्रस्थान से पहले और आगमन के बाद सहायता के लिए कंसीयज सेवाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2024 तक, आईआरसीटीसी ने 9 स्टेशनों पर एक्ज़िक्यूटिव लाउंज का प्रबंधन किया है। ये स्टेशन हैं- नई दिल्ली (पहाड़गंज साइड और अजमेरी गेट साइड), आगरा कैंट, जयपुर, अहमदाबाद, मदुरै, सियालदह, द्वारका और वाराणसी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी एक्ज़िक्यूटिव लाउंज का निर्माण कार्य चल रहा है।

मूल दक्षताएं

- **टिकटिंग और आरक्षण –** आईआरसीटीसी भारतीय रेल के लिए संपूर्ण केंद्रीय टिकटिंग प्रणाली का प्रबंध करता है। आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से, लोग अपने घरों, कार्यालयों आदि से आराम से टिकट बुक कर सकते हैं, जिसके कारण पीआरएस काउंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, समय की बचत होती है और परेशानी कम होती है।

- **खानपान और खाद्य सेवाएं –** कंपनी खानपान और खाद्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र संस्था है। यह एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत साबित हुआ है। इसके अलावा, कंपनी अपने खानपान नेटवर्क में सख्त गुणता मानकों को स्थापित और लागू करती है, जो स्थिरता, स्वच्छता सुनिश्चित करती है और व्यापक आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है, इस प्रकार यात्रियों के बीच विश्वास का निर्माण और ब्रांड निष्ठा को बढ़ावा मिलता है।

- **पैकेज्ड टूर और अवकाश सेवाएं –** कंपनी पैकेज्ड टूर और यात्रा सेवाएं प्रदान करते हुए रेल के अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाती है। इससे हमें सिर्फ़ टिकट बुक करने से कहीं बढ़कर एक समग्र यात्रा अनुभव प्रदान करने में मदद मिलती है। कंपनी अलग-अलग रुचियों और बजटों को ध्यान में रखते हुए, अद्वितीय यात्रा पैकेज डिज़ाइन करने के लिए विभिन्न राज्य पर्यटन विभागों और निजी संगठनों के साथ भी सहयोग करती है।

- **ई-कैटरिंग एकीकरण –** कंपनी ने अपने टिकटिंग प्लेटफॉर्म के साथ ई-कैटरिंग सेवाओं को एकीकृत किया है। यात्री अपनी ट्रेन टिकट की पुष्टि करते समय विभिन्न अधिकृत विक्रेताओं से भोजन बुक कर सकते हैं, जिससे उन्हें सुविधाजनक और परेशानी मुक्त अनुभव प्राप्त होता है।

- **प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार –** कंपनी निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल टिकटिंग प्रणाली बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है, जिसमें यात्रियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एआई चैटबॉट, गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल शामिल हैं जो मांग और मौसम के आधार पर किराए को समायोजित कर सकते हैं, जिससे उन्हें किफायती मूल्य निर्धारण की पेशकश करते हुए राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।

- **ग्राहक संबंध प्रबंधन –** कंपनी यात्रियों के साथ संचार को निजीकृत करने के लिए सीआरएम उपकरणों का लाभ उठा सकती है। आईआरसीटीसी संबंधित यात्रा सौदों, ट्रेन शेड्यूल में बदलाव या लॉयल्टी प्रोग्राम अपडेट के बारे में लक्षित ईमेल या एसएमएस सूचनाएं भेजता है। यह पीएनआर की स्थिति, ट्रेन की देरी और प्लेटफ़ॉर्म की जानकारी पर वास्तविक समय अपडेट भी प्रदान करता है, जो कई चुनौतियों के माध्यम से ग्राहकों की शिकायतों को तुरंत और कुशलतापूर्वक दूर करता है।

- **मजबूत ब्रांड पहचान –** मजबूत ब्रांड की छवि कंपनी की स्थिति को भरोसेमंद और विश्वसनीय यात्रा भागीदार के रूप में मजबूत कर सकती है। इससे कंपनी को ट्रेन टिकटिंग और खानपान सेवाओं में बाजार का अग्रणी बनने में मदद मिलती है। आईआरसीटीसी ब्रांड रिकॉल को मजबूत करने और खुद को पसंदीदा यात्रा विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए लक्षित मार्केटिंग अभियानों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें अद्वितीय यात्रा विकल्पों के बारे में बताना, ग्राहक प्रशंसापत्र दिखाना या ब्रांड जुड़ाव के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठाना जैसे कार्य शामिल होते हैं।

- **साझेदारी और सहयोग –** यह कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव हो सकता है क्योंकि इससे कंपनी को अपनी पहुँच बढ़ाने, सेवाओं को बेहतर बनाने और नए राजस्व स्रोतों को खोलने का मौका मिलता है। इसके अलावा, कंपनी खानपान के विकल्पों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करने और व्यापक नेटवर्क में एक समान गुणता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एग्रीगेटर्स या क्षेत्रीय खाद्य श्रृंखलाओं के साथ साझेदारी करती है। आईआरसीटीसी यात्रा एजेंसियों के साथ मिलकर आवश्यकता-अनुकूल ट्रैवल पैकेज तैयार करती है जिसमें टूर, होटल बुकिंग और स्थानीय गतिविधि अनुशंसाएं शामिल होती हैं। आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग और अन्य सेवाओं के लिए भुगतान के अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके प्रदान करने के लिए भुगतान गेटवे के साथ सहयोग करता है।

- **संरक्षा और सुरक्षा उपाय –** कंपनी अपने परिचालन में मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करती है, ट्रेनों और रेल के बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव करती है, खानपान सेवाओं में भोजन की गुणता और स्वच्छता मानकों की सख्त जांच करती है, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देती है। कंपनी उपरोक्त के बारे में यात्रियों के साथ स्पष्ट संप्रेषण को भी प्राथमिकता देती है और उनकी संरक्षा सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी में भी निवेश करती है।

- **वित्तीय प्रबंधन और राजस्व सृजन –** कंपनी अपने राजस्व का उचित प्रबंधन करती है और टिकट बिक्री और खानपान सेवा के अलावा राजस्व के कई स्रोत प्रस्तुत करती है। हम प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए और संसाधन आवंटन को अनुकूलित करते हुए और कार्यों को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर परिचालन दक्षता में सुधार करने की भी योजना बना रहे हैं।

चुनौतियां

- **प्रौद्योगिकीय अवसंरचना –** कंपनी की टिकटिंग और आरक्षण प्रणाली, हालांकि व्यापक है, लेकिन व्यस्त बुकिंग अवधि के दौरान कभी-कभी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जिससे क्रैश और प्रतिक्रिया समय धीमी हो सकती है। आईआरसीटीसी आईटी अवसंरचना को अपग्रेड करने और मजबूत मापनीय उपायों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

- **भोजन और खानपान सेवाएं –** ट्रेनों और स्टेशनों के विशाल नेटवर्क में भोजन की गुणता और स्वच्छता को निरंतर सुनिश्चित करना चुनौती बनी हुई है। कंपनी ने सख्त गुणता नियंत्रण उपायों और मजबूत विक्रेता प्रबंधन प्रथाओं को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। कंपनी लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में प्री-बुकिंग भोजन की पेशकश की संभावना तलाश रही है।

- **प्रतिस्पर्धा –** यात्रा क्षेत्र में नए प्रवेशकर्ता, विशेष रूप से राइड-हेलिंग ऐप्स और ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स, विशेष रूप से छोटी दूरी की यात्रा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक खतरा पैदा करते हैं।

- **ग्राहक सेवा –** कंपनी की ग्राहक सेवा हेल्पलाइनों पर प्रतीक्षा समय काफी लंबा हो सकता है। इस समस्या को कम करने के लिए, आईटी उपकरणों को अपनाया जा रहा है।

अवसर

- **डिजिटल परिवर्तन –** कंपनी अपने संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकती है। यह चैटबॉट के लिए एआई का उपयोग कर सकती है जो यात्रियों के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है और उन्हें बुकिंग के दौरान मार्गदर्शन कर सकती है, गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल सक्षम कर सकती है और मार्गों और यात्रा पैकेजों पर व्यक्तिगत सिफारिशें कर सकती है। यह ट्रेन ट्रैकिंग, पीएनआर अपडेट आदि जैसी वास्तविक समय सुविधाओं के साथ अपने रेन कनेक्ट ऐप को भी बेहतर बना सकती है। यह ट्रेन शेड्यूल को अनुकूलित करने और संसाधनों को ठीक से आवंटित करने के लिए वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण भी कर सकती है।

- **पर्यटन को बढ़ावा देना –** कंपनी अपने नेटवर्क और मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर राज्य पर्यटन विभागों या निजी ट्रैवल एजेंसियों के साथ मिलकर विशेष आकर्षक यात्रा पैकेज तैयार कर सकती है। इन पैकेजों में ट्रेन यात्रा के साथ-साथ दर्शनीय स्थलों की सैर, होटल बुकिंग और स्थानीय गतिविधियों की संस्तुतियां शामिल की जा सकती हैं। इससे कंपनी को अधिक समावेशी यात्रा अनुभव प्रदान करने में मदद मिलेगी।

- **सहायक सेवाएं –** टिकटिंग और खानपान के अलावा, कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायक सेवाओं को विविधतापूर्ण बनाया जा सकता है, ताकि अधिक राजस्व उत्पन्न किया जा सके और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। कंपनी विभिन्न भागीदारों जैसे खाद्य श्रृंखलाओं, ट्रैवल एजेंसियों और स्थानीय विक्रेताओं के साथ सहयोग कर सकती है, ताकि क्षेत्रीय भोजन की प्री-बुकिंग, यात्रियों की सीट पर आवश्यक सामान पहुंचाने आदि की सुविधा प्रदान की जा सके।

- **बुनियादी ढांचे का विकास –** इससे कंपनी को अपनी पहुंच बढ़ाने, प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार करने और नए राजस्व स्रोतों को शुरु करने में मदद मिलेगी। बेहतर सुविधाओं के साथ आधुनिकीकृत स्टेशन, स्टेशनों और हवाई अड्डों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और बढ़े हुए हाई स्पीड रेल रूट नए यात्रियों को आकर्षित कर सकते हैं और लंबी यात्राओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप खानपान सेवाओं और सहायक सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी।

- **प्रौद्योगिकीय नवाचार –** प्रौद्योगिकीय प्रगति यात्रा के अनुभव को क्रांतिकारी बनाने में मदद कर सकती है। टिकट बुकिंग और गतिशील मूल्य निर्धारण और वास्तविक समय ट्रेन ट्रैकिंग और आहार संबंधी प्राथमिकताओं के साथ पहले से ऑर्डर किए गए भोजन में सहायता करने वाले ए.आई. चैटबॉट जैसे नवाचार और उन्नयन किए जा सकते हैं। कंपनी प्रतीक्षा सूची प्रबंधन जैसे कार्यों के लिए स्वचालन का लाभ उठा सकती है और सुगम यात्रा के लिए संपर्क-रहित टिकटिंग प्रणाली लागू कर सकती है।
- **स्थिरता संबंधी पहल –** ऐसी पहल कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, इससे इसकी ब्रांड छवि को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण-सजग ग्राहक भी आकर्षित होंगे। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरण को फ़ायदा होगा, बल्कि पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार यात्रियों के बढ़ते वर्ग को भी इससे फ़ायदा होगा। इससे कंपनी को अपनी ब्रांड स्थिति को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।
- **अनुकूलन और वैयक्तिकरण –** यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि यह कंपनी को ग्राहकों द्वारा अक्सर जाने वाले मार्गों पर लक्षित सौदे प्रदान करने, आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पहले से बुक किए गए भोजन को वितरित करने या ग्राहक की प्राथमिकताओं को याद रखने वाले मोबाइल ऐप तक पहुंच प्रदान करना सुगम बनाएगा। अनुकूलन का यह स्तर व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, सुविधा को बढ़ाता है और यात्रियों के लिए मूल्य-महत्ता की भावना विकसित करता है।

आईआरसीटीसी की पहल

व्यापार जगत के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, नवीनतम रुझानों और नवाचारों के साथ बने रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जल्दी ही अप्रचलित हो सकते हैं। नई पहलों को अपनाने से कंपनियों को न केवल प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि वे लगातार पीछे रहने के बजाय खुद ही उद्योग के रुझान भी निर्धारित कर पाती हैं। निम्नलिखित पहलों के कार्यान्वयन ने प्रक्रियाओं को अनुकूलित करते हुए, कार्यों को स्वचालित करते हुए और अत्याधुनिक तकनीकों को एकीकृत करते हुए कंपनी की दक्षता और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

इंटरनेट टिकटिंग

आईआरसीटीसी ने इस खंड में अपने कारोबार और सेवाओं को बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक पहल की हैं। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप के ज़रिए पेश किए गए प्रमुख संवर्द्धन में शामिल हैं –

i. iOS ऐप में प्रत्येक लागू स्थान पर बुकिंग स्थिति और वर्तमान स्थिति का समन्वयन 07 अप्रैल, 2023 को लागू किया गया।

ii. 07 अप्रैल 2023 से iOS मोबाइल ऐप में पिन रहित बायोमेट्रिक या पैटर्न लॉक के माध्यम से और कैप्चा के बिना लॉगिन शुरू किया गया है।

iii. एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में आरडीएस मॉडल पर ईएमआई भुगतान प्रदाता के रूप में मेसर्स बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एकीकरण 05 मई, 2023 को सक्षम किया गया।

iv. एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में एडबल्यूएस पीओसी के लिए अनुकूलन 28 अप्रैल, 2023 को और ळजड मोबाइल ऐप में 10 मई, 2023 को किया गया।

v. एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में 7 जुलाई, 23 को ई-वॉलेट ऐड/डिपॉजिट मनी विकल्प शामिल किया गया।

vi. 20 जुलाई, 23 को एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के रद्दीकरण पृष्ठ पर रिफंड राशि पूछताछ बटन प्रदान किया गया।

vii. 20 जुलाई, 23 को एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में शहर के नाम के आधार पर सभी स्टेशन खोज आवश्यकताएं जोड़ी गईं।

viii. 1 अगस्त 23 को iOS मोबाइल ऐप में स्टेशन खोज सूची में शहर के नाम के साथ राज्य का नाम प्रदर्शित करना शुरू किया गया।

ix. 26 जुलाई 2023 को एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर और 8 अगस्त 2023 को iOS मोबाइल ऐप पर बुकिंग प्रक्रिया के दौरान ट्रेनों में खानपान सेवा के रूप में चाय/कॉफी का विकल्प जोड़ा गया।

x. आईआरसीटीसी रेल ई-टिकटिंग iOS मोबाइल एप्स पर यूपीआई (अनन्य) भुगतान विकल्प में एमपीपी के रूप में ईज़बज़ और रेजरपे यूपीआई का एकीकरण 8 अगस्त, 23 को सक्षम किया गया।

xi. डील्स, ऑफर्स और शॉपिंग अनुभव के लिए विज्ञापन भागीदारों के रूप में और बिल भुगतान और रिचार्ज भागीदारों के रूप में अमेज़न एसोसिएट्स का एकीकरण सक्षम किया गया है और उत्पाद को 14 सितंबर, 23 को एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर लाइव किया गया है।

xii. 19 अक्तूबर 2023 से एंड्रॉइड मोबाइल ऐप पर ड्यूटी पास कोटा उपलब्धता लागू किया गया।

xiii. 16 नवंबर 2023 से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप्स पर (व्यापक भुगतान समाधान) के एकीकरण से भुगतान और रिफंड प्रवाह में वृद्धि हुई है, जिसके कारण टिकट बुकिंग की सफलता दर और समय पर रिफंड दर में सुधार हुआ है।

xiv. 22 नवंबर 2023 से आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट आईओएस मोबाइल ऐप पर शिशु बर्थ बुकिंग विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा।

xv. वंदे भारत ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों को 20 दिसंबर 2023 से मोबाइल ऐप्स (iOS और एंड्रॉइड) पर बुकिंग के समय चयनित सेक्टरों के लिए चाय के साथ स्नैक्स (केवल शाकाहारी) चुनने का विकल्प प्रदान किया जा रहा है।

xvi. वंदे भारत ट्रेनों में यात्री 11 जनवरी 2024 से मोबाइल एंड्राइड ऐप पर और 22 फरवरी 2024 से मोबाइल ळजड ऐप पर बुकिंग के बाद भोजन की बुकिंग कर सकते हैं।

xvii. 11 जनवरी 2024 से मोबाइल एंड्रॉयड ऐप और 22 फरवरी 2024 से मोबाइल iOS ऐप पर टिकट बुकिंग के लिए बर्थ वरीयता जांच लागू की गई है। सिस्टम बुकिंग के दौरान स्लीपर/एसी कोच में केबिन की निर्धारित क्षमता के अनुसार बर्थ के अधिकतम विकल्प की वैधता लागू करेगा, यानी अधिकतम 2 एलबी, 2 एमबी, 2 यूबी, 1 एसएल और 1 एसयू।

xviii. मोबाइल एंड्रॉइड ऐप पर, एसबीआई ईपे मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर को 11 जनवरी 2024 को लाइव किया गया और भारतीपे मल्टीपल पेमेंट प्रोवाइडर को 14 फरवरी 2024 को लाइव किया गया।

xix. मोबाइल आईओएस ऐप्स की मास्टर सूची में आधार सत्यापित यात्रियों के लिए आधार नंबर को छिपाना 22 फरवरी 2024 से लागू किया गया।

xx. मोबाइल iOS ऐप्स में ई-कैटरिंग सेवाओं का उपयोग करते हुए भोजन का ऑर्डर देना 22 फरवरी 2024 से शुरू किया गया।

xxi. ई-टिकटिंग ग्राहक सेवा नंबर 14646 को मोबाइल एंड्रॉइड ऐप्स के हमसे संपर्क करें खंड के अंतर्गत 16 फरवरी 2024 को और मोबाइल ळजड ऐप्स के अंतर्गत 22 फरवरी 2024 को अपडेट किया गया है।

यात्रा और पर्यटन

भारत गौरव ट्रेन यात्राएँ – भारतीय रेलवे ने 'भारत गौरव' पर्यटक ट्रेनों के बैनर तले थीम-आधारित सर्किट पर पर्यटक ट्रेनों के संचालन की अवधारणा शुरू की। इन थीम-आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों का उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थानों को प्रदर्शित करना है। वे सुव्यवस्थित कोचों और यात्रा कार्यक्रमों के साथ आरामदायक यात्रा प्रदान करते हैं जिसमें दर्शनीय स्थल और निर्देशित पर्यटन शामिल हैं। इस अवधारणा के तहत, थीम-आधारित पर्यटक ट्रेनें भी शामिल हैं, जो बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सिख सर्किट, रामायण सर्किट (राम कथा / राम यात्रा), ज्योतिर्लिंग सर्किट आदि जैसे विशिष्ट सर्किटों पर संचालित होती हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, भारत गौरव ट्रेनों (राज्य सरकारों के साथ संचालित राज्य विशेष ट्रेनों सहित) की कुल 182 यात्राएं आयोजित की गईं, जिनमें 1,14,796 पर्यटकों को समायोजित किया गया और 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली, पर्यटन स्थलों की विस्तृत शृंखला को कवर किया गया। कवर किए गए उल्लेखनीय सर्किटों में अयोध्या से जनकपुर तक श्री राम-जानकी यात्रा, श्री जगन्नाथ यात्रा, **गरवी गुजरात** टूर, अंबेडकर सर्किट और उत्तर पूर्व टूर शामिल हैं। ये यात्राएं व्यापक टूर पैकेज के रूप में पेश की जाती हैं, जो बसों द्वारा ऑफ-बोर्ड यात्रा और भ्रमण, होटलों में आवास, निर्देशित पर्यटन, भोजन, यात्रा बीमा के साथ-साथ आरामदायक ट्रेन यात्रा और ऑनबोर्ड सुविधाओं जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं। रेल मंत्रालय ने भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत उच्च गुणता वाले कोचों के प्रावधान के माध्यम से घरेलू पर्यटन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है जिनका इन सरकारी पहलों के साथ सामंजस्य बिठाया गया हैः

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' और **'देखो अपना देश' का** उद्देश्य घरेलू यात्रा और खोजयात्रा को प्रोत्साहित करना है।

हवाई मार्ग से राज्य विशेष यात्राएँ – कंपनी हवाई मार्ग से विशेष टूर पैकेज प्रदान करती है जिसमें फ्लाइट टिकट, आवास, भोजन, दर्शनीय स्थल और लाना-ले जाना शामिल हैं। ये पैकेज भारत भर के विभिन्न गंतव्यों को कवर करते हैं।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर्यटन – ये पर्यटन विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं जो यात्रियों को विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और परंपराओं की समृद्ध संस्कृतियों का अनुभव करने का अवसर देते हैं जो देश को अद्वितीय बनाते हैं। इसमें ऐतिहासिक स्थानों, धार्मिक स्मारकों, स्थानीय बाजारों और गांवों की यात्राएं भी शामिल हैं, जो यात्रियों को देश को अद्वितीय बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। यात्रियों को स्थानीय लोगों से मेलजोल करने और उनकी जीवन शैली का अनुभव करने का अवसर मिलता है।

श्री केदारनाथ हेलीयात्रा टिकटिंग सिस्टम – श्री केदारनाथ हेलीयात्रा टिकटिंग सिस्टम तीर्थयात्रियों को केदारनाथ धाम की तीर्थयात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी बुक करने देता है। यह आईआरसीटीसी हेली दर्शन की वेबसाइट के माध्यम से संचालित होता है। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करने के बाद ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। समूह के आकार और बुकिंग विंडो पर कुछ सीमाएँ हैं।

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम) के लिए ऑनलाइन टिकटिंग – नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय (एनआरएम) अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा प्रदान करता है। इससे आप अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकते हैं और आगमन पर कतारों से बच सकते हैं। वयस्क, बच्चे (3-12 वर्ष) और यहां तक कि स्कूलों के लिए रियायती समूह टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं। याद रखें, 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

लॉजिस्टिक्स व्यवसाय – आईआरसीटीसी खुद भारत भर में माल परिवहन के लॉजिस्टिक्स व्यवसाय में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। हालाँकि, वे एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाते हैं। आईआरसीटीसी फ्रेट फ़ॉरवर्डर्स को अपनी वेबसाइट पर पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करता है। ये पूर्व-अनुमोदित फ्रेट फ़ॉरवर्डर्स फिर कार्गो मूवमेंट के लिए बुकिंग, परिवहन और अन्य लॉजिस्टिक्स ज़रूरतों को संभालते हैं। आईआरसीटीसी की भूमिका व्यवसायों को विश्वसनीय फ्रेट फ़ॉरवर्डर्स से जोड़ने और विशाल भारतीय रेलवे नेटवर्क के माध्यम से माल की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने में निहित है।

महाराजा एक्सप्रेस – 2010 में शुरू की गई, इसे भारत की सबसे नई लग्जरी ट्रेन माना जाता है और यह उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में फैली चार अलग-अलग यात्रा कार्यक्रम प्रदान करती है, जिसमें राजस्थान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अक्टूबर से अप्रैल के बीच चलने वाली महाराजा एक्सप्रेस अपनी भव्य बोगियों के नाम बहुमूल्य रत्नों के नाम पर रखे जाने के कारण यात्रियों को महाराजाओं के पुराने युग में वापस ले जाती है। सभी केबिनों में आराम के लिए संलग्न शौचालय हैं। प्रत्येक यात्रा कार्यक्रम को भारत की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक ताने-बाने को प्रदर्शित करने के लिए ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है। यात्री किलों, महलों और विश्व धरोहर स्थलों के निर्देशित पर्यटन, स्थानीय अनुभवों के माध्यम से सांस्कृतिक विसर्जन और यहां तक कि चुनिंदा यात्राओं में वन्यजीव सफारी पर जाते हैं।

गोल्डन चैरियट – आईआरसीटीसी की गोल्डन चैरियट, एक पुरस्कार विजेता लक्जरी ट्रेन में सवार होकर यात्री पूरे दक्षिण भारत में शानदार यात्रा कर सकते हैं। परिवहन का यह भव्य साधन आपको कर्नाटक, केरल, गोवा और पांडिचेरी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रत्नों को प्रदर्शित करते हुए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध यात्रा कार्यक्रमों पर ले जाता है। यात्रियों को तीन चुनिंदा यात्राओं में से चुनने का मौका मिलता है: **गोवा के साथ कर्नाटक का गौरव, दक्षिण के रत्न,** या **कर्नाटक की झलकियां,** जिनमें से प्रत्येक उस क्षेत्र की समृद्ध टेपेस्ट्री की एक अनूठी झलक पेश करता है।

गोल्डन चैरियट में 18 आलीशान गाड़ियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम एक राजवंश के नाम पर रखा गया है और जो द्रविड़ वास्तुकला का सार प्रस्तुत करती हैं। इसके अंदर, आलीशान अंदरूनी भाग, 44 अच्छी तरह से सुसज्जित अतिथि कमरे, स्वादिष्ट भोजन परोसने वाले दो बढ़िया भोजनालय, एक बार, एक व्यापार केंद्र, एक मिनी-जिम और यहां तक कि चरम विश्राम के लिए एक आयुर्वेदिक स्पा भी उपलब्ध है।

बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन – आईआरसीटीसी द्वारा संचालित बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन के साथ यात्री बौद्ध तीर्थ स्थलों के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं। यह विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ट्रेन उन लोगों के लिए एक अनूठा यात्रा अनुभव प्रदान करती है जो बौद्ध धर्म को आकार देने वाले स्थलों पर जाना चाहते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र के नाम पर, जिसमें बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं का विवरण है, यह ट्रेन यात्रियों को एक व्यापक यात्रा पर ले जाती है।

यात्रा कार्यक्रम में आमतौर पर लुम्बिनी (बुद्ध का जन्म स्थान), बोधगया (जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई), वाराणसी (जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया) और कुशीनगर (जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया) सहित प्रमुख बौद्ध स्थल शामिल हैं। यात्रियों के लिए आरामदायक वातानुकूलित कोच, बहु-व्यंजन रेस्तरां और यहाँ तक कि ट्रेन में एक मिनी-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। प्रत्येक गंतव्य पर तरोताजा होने और गहन खोजयात्रा के लिए होटलों में ठहरने की सुविधा शामिल की गई है।

डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन – भारत में कई डीलक्स टूरिस्ट ट्रेनें हैं जो यात्रियों को देश की जीवंत संस्कृति, ऐतिहासिक स्थलों और सुंदर परिदृश्यों के माध्यम से शानदार यात्रा कराती हैं। ये शानदार ट्रेनें न केवल परिवहन का एक साधन हैं, बल्कि अपने आप में एक यात्रा का अनुभव हैं, जो पहियों पर एक उच्च श्रेणी के होटल की सभी सुख-सुविधाएँ प्रदान करती हैं।

रेल टूर पैकेज – आईआरसीटीसी द्वारा पेश किए जाने वाले रेल टूर पैकेज में ट्रेन यात्रा के साथ-साथ दर्शनीय स्थलों की यात्रा और आवास का संयोजन किया जाता है, जो भारत की खोज के लिए एक सुविधाजनक और व्यापक यात्रा समाधान प्रदान करता है। इन पैकेजों में विभिन्न गंतव्य, थीम और अवधि शामिल हैं। इसमें तीर्थ यात्रा सर्किट, सुविधायुक्त यात्राएं और बजट यात्राएं शामिल हैं।

खानपान (कैटरिंग)

मोबाइल कैटरिंग

1. रेलवे बोर्ड द्वारा क्लस्टर सिस्टम के तहत ऑन-बोर्ड ट्रेन कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए जारी निर्देशों के अनुपालन में, आईआरसीटीसी ने 196 क्लस्टर बनाए हैं। 129 क्लस्टर दिए जा चुके हैं और शेष को भी चालू वित्त वर्ष में अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे निम्नलिखित भी शामिल होंगे:

   ए. बुनियादी ढांचे में निवेश और आधुनिक रसोईघर की स्थापना करना;

   बी. पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की व्यवहार्यता के साथ लाइसेंसधारियों और आईआरसीटीसी के लिए अधिक वाणिज्यिक मूल्य को खोलता है;

   सी. बेहतर कार्य स्थितियों के साथ पूरे भारत में आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार का सृजन;

   डी. आईआरसीटीसी द्वारा बेहतर एवं अधिक केंद्रित संविदा प्रबंधन;

   ई. रसोईघर का बेहतर और केन्द्रित पर्यवेक्षण संभव बनाना;

   एफ. भोजन तैयार करने में सफाई, स्वच्छता और मानक कच्चे माल का आश्वासन;

   जी. जहां भोजन तैयार किया जा रहा है वहां के रसोईघरों की सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी;

   एच. कड़ी अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, जिससे यात्रियों को सेवा में कमियों को पहचानने में मदद मिलेगी।

2. भारत के विभिन्न भागों से अयोध्या धाम के लिए 337 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, जिनमें आस्था ट्रेनों के यात्रियों को 37.71 लाख भोजन परोसे गये।

3. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के सभी कर्मियों को ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें सीआरपीएफ, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) शामिल हैं। 1 मार्च, 2024 को हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य चुनाव और उपचुनाव सहित विभिन्न कानून और व्यवस्था कर्तव्यों के लिए अपने आवागमन के दौरान सीएपीएफ कर्मियों को सुविधा प्रदान करना है।

यह सहयोग भारत के अर्धसैनिक बलों के यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें यात्रा के दौरान गुणतापूर्ण खानपान सेवाएं प्राप्त हों।

4. मोबाइल कैटरिंग सेवाओं के राजस्व में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 34.86% की वृद्धि हुई।

5. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना राज्यों में आयोजित विधानसभा चुनावों और पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के दौरान चुनाव विशेष ट्रेनों/स्प्लिंटर कोचों को 22.71 लाख भोजन उपलब्ध कराए गए।

ई-कैटरिंग

आईआरसीटीसी ई- कैटरिंग नामक एक मोबाइल कैटरिंग सेवा प्रदान करता है, जो आरक्षित ट्रेनों में यात्रियों को सीधे अपने फोन या टैबलेट से भोजन ऑर्डर करने की सुविधा देता है। इससे केवल पेंट्री कार विकल्पों या प्लेटफ़ॉर्म पर विक्रेताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यात्री दो मुख्य चैनलों के माध्यम से ई-कैटरिंग का उपयोग कर सकते हैं:

आईआरसीटीसी ई- कैटरिंग ऐप (फूड ऑन ट्रैक): यह उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप यात्री को ट्रेन या स्टेशन खोजने, साझेदार रेस्तरां से मेनू ब्राउज़ करने और सीधे ऑर्डर देने की सुविधा देता है। यात्रा विवरण लिंक करने के लिए यात्री को अपना पीएनआर नंबर दर्ज करना चाहिए।

आईआरसीटीसी वेबसाइट: ई-कैटरिंग सेवा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह प्रक्रिया ऐप जैसी ही है, जिससे यात्री ट्रेन या स्टेशन खोज सकते हैं और ऑर्डर दे सकते हैं।

उपलब्धता और साझेदार: ई-कैटरिंग वर्तमान में भारत भर में 400 से अधिक प्रमुख और छोटे रेलवे स्टेशनों पर चालू है। आईआरसीटीसी द्वारा नए रेस्तराओं के साथ साझेदारी करने के कारण इस सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। डोमिनोज़, फासोस और हल्दीराम जैसी लोकप्रिय चेन कुछ प्रसिद्ध ई-कैटरिंग साझेदार हैं।

भोजन के विकल्प: उपलब्ध भोजन विकल्पों की विविधता ट्रेन के स्थान के पास स्थित साझेदार रेस्तराँ पर निर्भर करती है। आम तौर पर आपको थाली, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, पिज्जा, बर्गर, चीनी व्यंजन, स्नैक्स, कॉम्बो, दक्षिण भारतीय व्यंजन, बिरयानी और यहाँ तक कि क्षेत्र के आधार पर स्थानीय विशिष्टताओं सहित कई विकल्प मिल सकते हैं।

डिलीवरी और भुगतान: ऑर्डर देने के बाद, पार्टनर रेस्टोरेंट खाना तैयार करता है और उसे सीधे ट्रेन में यात्रियों की सीट या बर्थ पर पहुंचाता है। भुगतान विभिन्न तरीकों से आसानी से किया जा सकता है।

स्टेटिक कैटरिंग

आईआरसीटीसी की स्टैटिक कैटरिंग का मतलब है रेलवे स्टेशनों के भीतर निर्दिष्ट स्टॉल या कैंटीन में पहले से तैयार भोजन और जलपान। हालाँकि ई-कैटरिंग सेवा जितनी व्यापक नहीं है, लेकिन स्टैटिक कैटरिंग यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक परिचित और बजट-अनुकूल विकल्प प्रदान करती है। इसकी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं:

खाद्य एवं पेय पदार्थ विकल्प: स्टैटिक कैटरिंग में बुनियादी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, स्नैक्स, पेय पदार्थ और बिस्कुट और चिप्स जैसे पहले से पैक किए गए आइटम के साथ एक मानक मेनू उपलब्ध है। स्टेशन के आकार और स्थान के आधार पर विशिष्ट विकल्प भिन्न हो सकते हैं।

मूल्य निर्धारण और कीमत: स्टैटिक कैटरिंग आम तौर पर अपनी किफ़ायती कीमतों के लिए जानी जाती है। आप चाय, कॉफी, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, बेसिक ब्रेकफास्ट आइटम और पहले से तैयार शाकाहारी और मांसाहारी भोजन जैसे बजट-अनुकूल विकल्प पा सकते हैं।

सुविधा और उपलब्धता: स्टैटिक कैटरिंग आपके ट्रेन में चढ़ने से पहले कुछ खाने या आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक आसानी से उपलब्ध समाधान प्रदान करती है, विशेष रूप से छोटे स्टेशनों पर जहां ई-कैटरिंग विकल्प सीमित हो सकते हैं।

- केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली के लिए पीओएस की स्थापना को पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। परियोजना के हिस्से के रूप में, आईआरसीटीसी ने 15 फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट में केंद्रीकृत बिलिंग प्रणाली को लागू किया है।

- अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन के मद्देनजर, रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर 2 फूड प्लाजा और 01 रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री सहित हॉस्पिटैलिटी हब की स्थापना, संचालन और प्रबंधन का अधिकार दिया गया था। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने सफलतापूर्वक समग्र निविदा जारी की और आईआरसीटीसी हॉस्पिटैलिटी हब के लिए लाइसेंस प्रदान किया और यूनिट को 23.01.2024 से चालू कर दिया गया। दोनों फूड प्लाज़ा में केवल शाकाहारी भोजन का प्रावधान इसे अद्वितीय यूनिट बनाता है।

उपरोक्त के अलावा, आईआरसीटीसी ने कटक रेलवे स्टेशन पर फूड कोर्ट का ठेका जारी और प्रदान किया है। लाइसेंसधारी द्वारा फूड कोर्ट की अवधारणा पर यूनिट स्थापित की जानी है, जिसमें विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थ आउटलेट मौजूद होंगे जो विभिन्न व्यंजनों और लोकप्रिय खाद्य पदार्थों के खाद्य और पेय पदार्थों की शृंखला पेश करेंगे, जिसमें आम भोजन की सुविधा होगी। यात्रियों की भोजन सुविधा के लिए, एक सामान्य क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। फूड कोर्ट के विभिन्न आउटलेट में एक ही छत के नीचे यात्रा करने वाले यात्रियों की सेवा के लिए प्रतिष्ठित ब्रांड होंगे। फूड कोर्ट में प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए एक समर्पित काउंटर होगा, जो ग्राहक को जारी किया जाएगा। ग्राहक तब विभिन्न आउटलेट से खाद्य पदार्थ खरीद सकते हैं, जहां ग्राहकों को बिल जारी किए जाएंगे। आउटलेट विभिन्न व्यंजनों के शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न प्रकार के लोकप्रिय खाद्य और पेय पदार्थ पेश करेंगे।

रेल नीर

- कोटा (राजस्थान), भुवनेश्वर (उड़ीसा) और सिम्हाद्री (आंध्र प्रदेश) में प्रतिदिन 72,000 बोतलों की उत्पादन क्षमता वाले नए रेल नीर संयंत्रों को चालू किया गया और उनमें वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया।
- संयंत्रों में रेल नीर वितरण कार्यों की बिलिंग और निगरानी के लिए रेल नीर ऐप विकसित किया गया।

व्यवसाय खंड अवलोकन

इंटरनेट टिकटिंग

आईआरसीटीसी ने अपनी इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली के साथ भारत में ट्रेन टिकट बुकिंग को बदल दिया है। आईआरसीटीसी दो मुख्य चैनलों के माध्यम से इंटरनेट टिकटिंग प्रदान करता है:

₹ 1,295.31 करोड़

Total revenue generated from Internet Ticketing

आईआरसीटीसी वेबसाइट: आधिकारिक वेबसाइट (https://www.irctc.co.in/) ट्रेन टिकट बुक करने के लिए एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें स्पष्ट नेविगेशन, ट्रेनों और स्टेशनों के लिए खोज विकल्प और एक सुव्यवस्थित बुकिंग प्रक्रिया है।

आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप (मोबाइल ऐप): आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप (एंड्रॉइड और iOS के लिए उपलब्ध) ट्रेन टिकट बुक करने के लिए एक सुविधाजनक ऑन-द-गो समाधान प्रदान करता है। ऐप वेबसाइट जैसी ही कार्यक्षमता प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति ट्रेनों की खोज कर सकता है, पीएनआर स्थिति की जांच कर सकता है और स्मार्टफोन से बुकिंग का प्रबंधन कर सकता है।

आईआरसीटीसी यूजर इंटरफेस रिफ्रेश: आईआरसीटीसी वेबसाइट पर हाल ही में यूजर इंटरफेस रिफ्रेश किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल और आधुनिक अनुभव प्रदान करना है।

मोबाइल ऐप पर फोकस: आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप पर जोर दे रहा है, जिसमें पीएनआर अपडेट के लिए पुश नोटिफिकेशन और यात्रा इतिहास तक आसान पहुंच जैसी सुविधाएं होंगी।

आधार से जोड़ना: आईआरसीटीसी तेज और अधिक सुरक्षित बुकिंग प्रक्रिया के लिए आधार आईडी को आईआरसीटीसी खाते से जोड़ने को प्रोत्साहित करता है।

एनजीईटी प्रणाली

आईआरसीटीसी की अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग प्रणाली (एनजीईटी) एक महत्वपूर्ण अपग्रेड है जिसने भारत में ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग में क्रांति ला दी है। उपलब्ध सुविधाओं में शामिल हैं:

बढ़ी हुई क्षमता और गति: एनजीईटी ने पुरानी टिकटिंग प्रणाली को बदल दिया है। इसने क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिसमें मार्च, 24 तक प्रति मिनट 28,434 टिकट जारी किए है। इसका मतलब है कि बुकिंग का अनुभव आसान है और पीक बुकिंग समय के दौरान कम क्रैश या कम देरी होती है।

उच्च उपयोगकर्ता क्षमता: एनजीईटी 120,000 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि त्योहारी सीजन या विशेष ट्रेन लॉन्च जैसी भारी ट्रैफ़िक अवधि के दौरान भी सिस्टम सुलभ बना रहे। पिछली प्रणाली की सीमाओं की तुलना में यह एक बड़ा सुधार है।

बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव: एनजीईटी का लक्ष्य ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करना है। जबकि मुख्य कार्यक्षमताएँ पुरानी प्रणाली के समान ही हैं, उपयोगकर्ताओं को तेज़ लोडिंग समय, सहज नेविगेशन और संभवतः सिस्टम के विकसित होने पर अतिरिक्त सुविधाएँ भी मिल सकती हैं।

सुरक्षा पर ध्यान: आईआरसीटीसी सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन को प्राथमिकता देता है। एनजीईटी को बुकिंग प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ता डेटा और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ बनाया गया है।

वित्त वर्ष 24 के दौरान विभिन्न चैनलों के माध्यम से बुक की गई इंटरनेट टिकटें निम्नानुसार हैं:

ववरण	वित्त वर्ष 24 में बुक किए गए टिकट (लाखों में)	वित्त वर्ष 23 में बुक किए गए टिकट (लाखों में)	वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)
मोबाइल फोन पर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा बुक किए गए ई-टिकट (रेल कनेक्ट एंड्रॉइड, आईओएस और रेल सारथी)	2322.32	2042.47	13.70
वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा बुक किए गए टिकट	873.43	860.44	1.51
व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं द्वारा बुक किए गए टिकट (बी2सी)	844.22	863.05	-2.18
रिटेलर (बी2बी,आईसीएस,आरटीएसए,आईएटीए,ई-गवर्नेंस) द्वारा बुक किए गए टिकट	389.74	456.36	-14.60
रक्षा (सीजीडीए)/सीआरपीएफ/एनडीआरएफ/एनएसजी/एआर/बीएसएफ/सीआईएसएफ/आईटीबीपी द्वारा बुक किए गए ई-टिकट	86.07	86.95	-1.02
रक्षा (सीजीडीए)/सीआरपीएफ/एनडीआरएफ/एनएसजी/एआर/बीएसएफ/सीआईएसएफ/आईटीबीपी द्वारा बुक किए गए आई-टिकट	14.04	3.72	277.58
कुल बुक की गई टिकटें	4529.83	4313.00	5.03

पैकेज्ड (बोतलबंद) पेयजल

रेल नीर, आईआरसीटीसी द्वारा बोतलबंद और वितरित किया जाने वाला बोतलबंद पेयजल ब्रांड है, जिसे भारत में विशेष रूप से ट्रेन यात्रियों के लिए बनाया जाता है। 2003 में लॉन्च किया गया यह ब्रांड लाखों यात्रियों के लिए हाइड्रेशन का एक जाना-पहचाना और भरोसेमंद स्रोत बन गया है।

रेल नीर को भारत भर में स्थित अत्याधुनिक आईआरसीटीसी संयंत्रों में संसाधित, शुद्ध और बोतलबंद किया जाता है। पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस, पराबैंगनी उपचार और ओजोनेशन सहित सख्त बहु-चरणीय शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह भारतीय मानक ब्यूरो (इखड) द्वारा निर्धारित कड़े गुणता मानकों को पूरा करता है। इसे मुख्य रूप से ट्रेनों में पेंट्री कार विक्रेताओं और रेलवे स्टेशनों पर बेचा जाता है। यह प्रमुख स्टेशनों और अधिकांश एक्सप्रेस और मेल ट्रेनों में व्यापक रूप से उपलब्ध है।

₹ 326.66 करोड़

रेल नीर से प्राप्त कुल राजस्व

रेल नीर दो आकारों में उपलब्ध है, जिसमें 500 मिली लीटर और 1 लीटर की बोतलें शामिल हैं। रेल नीर बोतलबंद पेयजल का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) आम तौर पर यात्रियों के लिए एक किफायती विकल्प माना जाता है।

आईआरसीटीसी प्लास्टिक की बोतलों के पर्यावरणीय प्रभाव को स्वीकार करता है और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार ईपीआर (विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी) अनुपालन सुनिश्चित करके टिकाऊपन को बढ़ावा देने की पहल की है।

यात्रा और पर्यटन

आईआरसीटीसी ने रेलवे खानपान से आगे बढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका यात्रा और पर्यटन खंड भारत की खोजयात्रा के लिए सेवाओं का एक व्यापक समूह प्रदान करता है, जो विभिन्न यात्रा शैलियों और बजटों के लिए है। आईआरसीटीसी के यात्रा और पर्यटन खंड में कई तरह की पेशकश शामिल हैं:

₹ 701.02 करोड़

यात्रा एवं पर्टन से उत्पन्न कुल राजस्व

घरेलू टूर पैकेज: यात्री ऐतिहासिक स्थलों, सांस्कृतिक अनुभवों और दर्शनीय स्थलों को कवर करने वाले क्यूरेटेड यात्रा कार्यक्रमों के साथ भारत की समृद्ध विरासत के बारे में जान सकते हैं। आईआरसीटीसी धार्मिक तीर्थयात्राओं, वन्यजीव रोमांच या अवकाश स्थलों के लिए विभिन्न अवधि और थीम के लिए पैकेज प्रदान करता है। कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई पैकेज भी संचालित करती है। कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए सुविधाजनक हवाई टिकट बुकिंग की सुविधा भी देती है, साथ ही व्यवसायों के लिए व्यापक कॉर्पोरेट यात्रा समाधान भी देती है।

यात्री महाराजा एक्सप्रेस और गोल्डन चैरियट सहित पर्यटक ट्रेनों के बेड़े में भारत का अनुभव कर सकते हैं। ये ट्रेनें बेजोड़ आराम, बेमिसाल सेवा और भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रत्नों को प्रदर्शित करने वाली सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध यात्रा कार्यक्रम प्रदान करती हैं। आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेनों जैसी विशेष ट्रेनों के साथ बजट के प्रति सजग यात्रियों की सेवा करता है।

कैटरिंग (खानपान)

मोबाइल कैटरिंग

आईआरसीटीसी में, भारतीय रेलवे के लिए ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं का हमारा व्यापक प्रबंधन, 1200 से अधिक यात्री ट्रेनों के संचालन की देखरेख करता है। इस व्यापक पोर्टफोलियो में वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, गतिमान और तेजस एक्सप्रेस जैसी प्रतिष्ठित ट्रेनों पर प्रतिष्ठित सेवाएँ शामिल हैं। इस विविध स्पेक्ट्रम में, हम पैंट्री कारों के माध्यम से निर्बाध ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएँ सुनिश्चित करते हैं, जो यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान गुणतापूर्ण भोजन का अनुभव प्रदान करने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है। पैंट्री कारें मोबाइल रसोई के रूप में काम करती हैं, भोजन को गर्म करने और सीधे ट्रेन में स्वादिष्ट भोजन परोसने की सुविधा प्रदान करती हैं, जिससे समग्र यात्रा का अनुभव बढ़ जाता है।

₹ 1,947.19 करोड़

खानपान से उत्पन्न कुल राजस्व

ट्रेन साइड वेंडिंग

हमारा उद्देश्य मेल/एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों पर ट्रेन साइड वेंडिंग संविदाओं का प्रबंधन करके यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है, जो बिना पेंट्री कार के संचालित होती हैं। इस विशिष्ट सेवा में, हमने खानपान प्रक्रिया को अभिनव रूप से सुव्यवस्थित किया है। ट्रेन साइड वेंडिंग के माध्यम से, हमारे ऑन-बोर्ड विक्रेता विस्तृत मेनू चार्ट से ऑर्डर स्वीकार करके खाद्य सेवाओं का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं, जिससे यात्रियों को विविध प्रकार के व्यंजन उपलब्ध होते हैं। इस प्रक्रिया में विक्रेता पहले से ऑर्डर किए गए भोजन को व्यवस्थित क्रम में निर्दिष्ट 'भोजन पिक-अप स्पॉट' पर एकत्र करते हैं, जिससे यात्रियों को समय पर और व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित होता है।

ई–कैटरिंग

आईआरसीटीसी की मोबाइल कैटरिंग सेवा, ई-कैटरिंग, भारत में ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के अनुसार भोजन के विकल्प उपलब्ध कराती है। आईआरसीटीसी ई–कैटरिंग ऐप या आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से सुलभ, यात्री ट्रेन के स्टेशन के पास साझेदार रेस्तराँ से मेनू ब्राउज़ कर सकते हैं, अपने फ़ोन से सीधे भोजन का ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें अपनी संबंधित ट्रेन सीटों पर मंगवा सकते हैं। इससे पेंट्री कार या प्लेटफ़ॉर्म विक्रेताओं पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। ई–कैटरिंग में थाली, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, पिज़्ज़ा, स्नैक्स और क्षेत्रीय विशेषताएँ सहित कई तरह के व्यंजन मिलते हैं। भुगतान सुविधाजनक है क्योंकि इसमें डिलीवरी पर भुगतान (सीओडी) या ऑनलाइन प्रीपेड विकल्प उपलब्ध हैं। अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप, विविध खाद्य विकल्पों और कई भुगतान विधियों के साथ, आईआरसीटीसी की मोबाइल कैटरिंग ट्रेन के रोमांच के दौरान भोजन का आनंद लेने का एक स्वादिष्ट और सुविधाजनक तरीका है।

ज़ोमैटो और स्विगी के माध्यम से ई–कैटरिंग ऑर्डर की बुकिंग

हाल ही में आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग सेवाओं ने अपने यात्रियों के लिए सुविधाजनक भोजन विकल्प लाने के साझा दृष्टिकोण के साथ मेसर्स ज़ोमैटो लिमिटेड और मेसर्स स्विगी के साथ समझौता किया है, ताकि उनकी ट्रेन यात्रा को सुखद बनाया जा सके। हमें यकीन है कि हमारा सहयोग हमारे ग्राहकों को बहुत खुशी देगा। हम अपने यात्रियों के लिए ट्रेन यात्रा को और अधिक आरामदायक और यादगार बनाने के लिए अनोखे तरीके खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

'ज़ोमैटो और स्विगी – ट्रेनों में भोजन की डिलीवरी' के ज़रिए ग्राहक आसानी से स्वादिष्ट भोजन का ऑर्डर दे सकते हैं, चाहे वे स्टेशन पर हों या अपने ट्रेन के डिब्बे में आराम से बैठे हों। यह सुविधा हर यात्री तक पहुँचती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऐसे यात्री चलते-फिरते भी शानदार भोजन का आनंद ले सकें।

स्टेटिक कैटरिंग

स्टेटिक कैटरिंग रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट, जन आहार, रिफ्रेशमेंट रूम (ए1 और ए श्रेणी के रेलवे स्टेशन पर) के माध्यम से खानपान सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी स्टेशन परिसर में अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव लाउंज, रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री, बीएनआर होटल और रेल यात्री निवास शामिल हैं। 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी ने 40 जन आहार, 141 रिफ्रेशमेंट रूम, 9 बेस किचन, 305 फूड प्लाजा/फास्ट फूड यूनिट, 36 रिटायरिंग रूम और 9 एग्जीक्यूटिव लाउंज का प्रबंधन किया। आईआरसीटीसी रांची और पुरी में बीएनआर होटल और हावड़ा स्टेशन पर रेल यात्री निवास का भी प्रबंधन कर रहा है।

आईआरसीटीसी की खानपान सेवाएं खानपान नीति 2017 के अनुसार प्रदान की जाती हैं। इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रियों को ट्रेनों और स्टेशनों पर उच्च गुणता वाले, स्वच्छ और किफायती भोजन और पेय पदार्थ मिलें।

जोखिम और चिंताएँ

जोखिम का प्रकार	जोखिम परिभाषा	शमन रणनीतियां
विनियामक जोखिम	रेल मंत्रालय की नीतियों और भारतीय रेलवे के संचालन का कंपनी के संचालन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी भी नीति संशोधन या रेल मंत्रालय के प्रतिकूल निर्णय का आईआरसीटीसी की आय पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, कंपनी को सरकार द्वारा जनता को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने में भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति है। इसे कभी–कभी रेल मंत्रालय से परिचालन सहायता भी मिलती है। आईआरसीटीसी को अपनी गतिविधियों के दायरे और आकार के कारण रेलवे से संबंधित किसी भी कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाती है। नतीजतन, कंपनी को भारत सरकार से ऑर्डर और संविदाओं के निरंतर प्रवाह से लाभ होता है, और इसकी सेवा पेशकश की व्यापकता के परिणामस्वरूप इसके राजस्व स्रोत विविध बने रहते हैं।
प्रतिस्पर्धा जोखिम	अगर भारत सरकार या रेल मंत्रालय निजी कंपनियों के लिए बाज़ार खोलता है तो कंपनी अपनी बाज़ार अनन्यता खो सकती है। कड़ी प्रतिस्पर्धा से कंपनी के संचालन और लाभ मार्जिन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।	आईआरसीटीसी का अनुभवी प्रबंधन सकारात्मक रणनीतिक विकल्प बनाने और संगठन को निजी प्रतिस्पर्धियों से प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना करने की दिशा में आगे बढ़ाने में अत्यधिक सक्षम है।

जोखिम का प्रकार	जोखिम परिभाषा	शमन रणनीतियां
श्रम जोखिम	कंपनी श्रम-प्रधान क्षेत्र में काम करती है और कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों का उपयोग करती है। कर्मचारियों द्वारा हड़ताल या अधिक वेतन और लाभ की मांग से कंपनी की लाभप्रदता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, आईटी (इंटरनेट टिकटिंग और एयर-टिकटिंग बिजनेस) क्षेत्र में कर्मियों की कमी है, और इनमें से अधिकांश कंपनियां आउटसोर्सिंग मॉडल का उपयोग करती हैं, जो समस्याग्रस्त है और इसका मूल्यांकन आवश्यक है।	कंपनी अपने कर्मचारियों को महत्व देती है और उन्हें एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति मानती है। नियमित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के माध्यम से प्रतिभाशाली कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए इसके पास विभिन्न नीतियां हैं। यह पारिश्रमिक पैकेज और पेशेवर विकास के अवसर भी प्रदान करता है। अपर्याप्त जनशक्ति के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी ने आवश्यकतानुसार मानव संसाधन प्रदान करने के लिए तीसरे पक्ष के ठेकेदारों के साथ भी साझेदारी की है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, कंपनी को पदोन्नति कैलेंडर के अनुसार सभी स्तरों पर नियमित पदोन्नति लागू करना होता है। इसके अलावा, मौजूदा नीति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर नई भर्तियां करने की भी आवश्यकता है, जिसमें उद्योग से नई प्रतिभाओं को शामिल किया जाए। इससे उसे बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी।
आईटी जोखिम	सुरक्षा उल्लंघनों से कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करना कंपनी के व्यावसायिक संचालन के लिए आवश्यक है। ग्राहक डेटा की हैकिंग या साइबर खतरों के परिणामस्वरूप राजस्व का भारी नुकसान हो सकता है और कंपनी की ब्रांड छवि को काफी नुकसान हो सकता है।	कंपनी अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर निर्भर करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसका डेटा वर्तमान साइबर सुरक्षा खतरों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित है। कंपनी अपने डेटा की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों का उपयोग करके सिस्टम को साइबर खतरों से सफलतापूर्वक बचाती है। एनजीईटी सिस्टम की नियमित सूचना सुरक्षा ऑडिट CERT-In सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा ऑडिट एजेंसियों के माध्यम से की जाती है।
प्रौद्योगिकी जोखिम	चूंकि इसकी वेबसाइट के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 12.38 लाख टिकट बुक किए जा रहे हैं, इसलिए किसी भी तकनीकी समस्या, व्यवधान या सिस्टम विफलता के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी आ सकती है। इससे कंपनी की ब्रांड प्रतिष्ठा पर असर पड़ने की संभावना है और राजस्व में कमी आ सकती है।	कंपनी अपने सिस्टम को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर करती है और इसकी अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग वेबसाइट अपनी बेहतर क्षमता के कारण भारी ट्रैफ़िक को संभाल सकती है। कंपनी के पास अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में निर्बाध संचालन और सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए बैकअप सिस्टम भी हैं।
उत्पाद गुणता जोखिम	खानपान और खाद्य सेवा को सरकार द्वारा अनिवार्य गुणता आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। भोजन और सेवाओं की गुणता पर कोई भी प्रतिकूल आरोप, मीडिया अफ़वाहें या अन्य सार्वजनिक बयान कंपनी की प्रतिष्ठा और ब्रांड के साथ-साथ व्यवसाय संचालन को प्रभावी ढंग से चलाने की उसकी क्षमता को महत्वपूर्ण और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।	कंपनी ने स्वच्छ और गुणतापूर्ण भोजन की सेवा सुनिश्चित करने के लिए गुणता नियंत्रण जांच की व्यवस्था की है। कंपनी के पास प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पेशेवरों की एक टीम भी है जो भोजन की तैयारी और सेवा प्रक्रिया की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खाद्य सुरक्षा और गुणता मानकों का पालन किया जाए। परिणामस्वरूप, मंत्रालय ने तैयार भोजन परोसने को मंजूरी दे दी है।

जोखिम का प्रकार	जोखिम परिभाषा	शमन रणनीतियां
स्वच्छता जोखिम	समय के साथ, अनधिकृत विक्रय के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि ये यूनिटें प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं और रेलगाड़ियां देश भर में यात्रा करती हैं, इसलिए खानपान यूनिटों, विशेषकर पेंट्री डिब्बों में स्वच्छता एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।	1. अवैध विक्रय को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास और निरंतर निगरानी की जाती है। 2. स्वच्छता प्रशिक्षण के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा के लिए नियमित ऑडिट आयोजित किए जाते हैं। रसोईघरों में भी सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। रेलवे से भी ट्रेनों और प्लेटफार्मों पर साफ-सफाई और स्वास्थ्यकर स्थिति बनाए रखने में मदद करने का आग्रह किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में आईआरसीटीसी के प्रयासों को समर्थन मिलेगा।
रणनीतिक और व्यावसायिक जोखिम	कंपनी का व्यवसाय और उसका राजस्व मुख्य रूप से रेल मंत्रालय की नीतियों और भारतीय रेलवे के संचालन पर निर्भर है। कोई भी एकतरफा नीति परिवर्तन या कोई प्रतिकूल निर्णय कंपनी के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाकर कंपनी के राजस्व को प्रभावित कर सकता है।	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के रूप में, कंपनी को भारतीय रेलवे की ओर से जनता को विभिन्न उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, साथ ही समय-समय पर रेल मंत्रालय से परिचालन सहायता भी प्राप्त होती है। रेलवे से संबंधित कोई भी कार्य आईआरसीटीसी को इसकी पहुँच और संचालन के पैमाने के कारण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है। इसलिए, भारत सरकार से ऑर्डर और संविदाओं की नियमित आपूर्ति का कंपनी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसके व्यापक सेवा पोर्टफोलियो के कारण इसकी राजस्व धाराएँ विविध बनी रहती हैं।
प्रतिष्ठा जोखिम	जनसंपर्क संकट / मीडिया संकट के दौरान या निवेश परिणामों या कंपनी विकास रणनीतियों आदि से संबंधित नकारात्मक प्रेस प्रचार के दौरान प्रतिसाद।	आईआरसीटीसी के पास एक मजबूत और कुशल जनसंपर्क विभाग है, जो सभी मीडिया/जनसंपर्क संकटों को संभालने में सक्षम है। सोशल मीडिया सेल में किसी भी तरह की संकट की स्थिति से निपटने के लिए सुप्रशिक्षित और कुशल कर्मचारी हैं। जनसंपर्क विभाग किसी भी गलत सूचना का मुकाबला करने या संगठन की व्यावसायिक रणनीति से संबंधित किसी भी नई प्रगति का प्रचार करने के लिए नियमित रूप से प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। आईआरसीटीसी आम जनता के साथ सीधे तौर पर जुड़ा रहता है।
व्यवसाय निरंतरता जोखिम	आईआरसीटीसी की ई-टिकटिंग प्रणाली वर्तमान में नई दिल्ली में सीआरआईएस (प्राइमरी डीसी) में एक ही डेटा सेंटर में होस्ट की गई है। वर्तमान में, सिस्टम के लिए कोई व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा रिकवरी (डीआर) साइट नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लगभग 80% ट्रेन आरक्षण सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन किए जाते हैं, प्राथमिक डेटा सेंटर में बड़ी विफलता या आपदा और व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) की अनुपलब्धता के मामले में, न केवल आईआरसीटीसी बल्कि भारतीय रेलवे के लिए भी बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि अधिकांश यात्री अपने टिकट बुक/रद्द नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन टीडीआर दर्ज नहीं कर पाएंगे।	एनजीईटी प्रणाली के लिए आपदा रिकवरी (डीआर) समाधान की योजना बनाई जा रही है। एनजीईटी प्रणाली के लिए आपदा रिकवरी (डीआर) साइट के कार्यान्वयन के लिए 187.23 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया जा चुका है।

जोखिम का प्रकार	जोखिम परिभाषा	शमन रणनीतियां
खानपान परिचालन जोखिम	1. रेल मंत्रालय द्वारा खानपान नीति में लगातार परिवर्तन। 2. पिछले कुछ समय से अनाधिकृत विक्रय के संबंध में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। 3. इसके अलावा, पेंट्रीकार सहित खानपान यूनिटों में स्वच्छता एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये यूनिटें प्लेटफार्मों पर स्थित हैं और रेलगाड़ियां देश भर में चलती हैं। 4. पेंट्री कार उपकरणों के साथ-साथ मिनी पेंट्री कार उपकरणों का काम न करना (खाद्य संदूषण का खतरा)। 5. एबीएसएस के अंतर्गत जोनल रेलवे द्वारा स्टेशनों का अधिग्रहण किया जा रहा है।	1. मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उचित समय दिया जाए। 2. अनधिकृत वेंडिंग की समस्या को रोकने के लिए सोशल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से दरों और मेनू आइटम के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और नियमित निगरानी की जा रही है। रेलवे से कानून लागू करने वाली एजेंसियों से भी सहायता मांगी गई है। 3. मोबाइल यूनिटों की निगरानी के लिए हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर नियुक्त किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के लिए नियमित ऑडिट के साथ-साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। रसोई में सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। इन यूनिट की स्वच्छता और मानक का पता लगाने के लिए तृतीय पक्ष ऑडिट किया जा रहा है। 4. सभी मिनी पेंट्री कारों/पेंट्री कारों में आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी उपकरणों का समय पर रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए रेलवे को गैर-कार्यशील उपकरणों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से सलाह दी जा रही है। 5. रेलवे बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे से स्टेशन पुनर्विकास का कार्य पूरा करने के लिए समय-सीमा बताने के लिए संपर्क किया गया है, ताकि प्रमुख खानपान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की योजना बनाई जा सके।
रेल नीर परिचालन जोखिम	कच्चे (अनुपचारित) पानी की अनुपलब्धता के कारण रेलनीर प्लांट का संचालन बंद हो सकता है। इसके अलावा, अतिरिक्त उत्पादन या कम आपूर्ति के समय अतिरिक्त भंडारण स्थान उपलब्ध नहीं होता है और इससे उत्पादन में कमी आ सकती है।	1. जल के वैकल्पिक स्रोत की पहचान की जा रही है तथा आवश्यकता के आधार पर समस्या का समाधान किया जा रहा है। 2. अधिकतम और सामान्य बिक्री अवधि के आधार पर भंडारण स्थान का अनुकूलन किया जा रहा है। 3. संयंत्र रखरखाव की योजना भंडारण स्थान की स्थिति और माल की उपलब्धता को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, जिससे उत्पादन हानि से बचा जा सके।
वदेशी मुद्रा जोखिम	चार मुख्य व्यवसाय खंडों में से केवल इंटरनेट टिकटिंग और पर्यटन में विदेशी मुद्रा जोखिम और प्रतिकूल विनिमय दर परिवर्तन का जोखिम है, जिसके कारण टैरिफ को अमेरिकी डॉलर से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित करने पर लागत या राजस्व में भिन्नता हो सकती है।	1. टैरिफ गणना के लिए इक्विटी पर कम रिटर्न (आरओई) को ध्यान में रखना सुनिश्चित करता है कि यूएसडी में प्रकाशित टैरिफ स्थिर रहें और उन्हें बार-बार समायोजन की आवश्यकता न हो। 2. सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन बैंकों द्वारा भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिए जाते हैं और बैंक की प्रचलित विनिमय दर पर धन प्रेषण तिथि को आईआरसीटीसी के बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं। 3. यूएसडी में पैकेज बुक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विनिमय दर आरबीआई के मासिक औसत आरओई से ऊपर निर्धारित की जाती है। लगातार उतार-चढ़ाव के मामलों में, विनिमय दर के लिए ऊपरी सीमा लागू की जाती है। 4. संभावित विदेशी मुद्रा घाटे को कम करने के लिए आरओई को आरबीआई के औसत आरओई से ऊपर बनाए रखा जाता है। यह अभ्यास विदेशी ग्राहकों या एजेंटों के लिए पैकेज बुक करने के लिए भी लागू किया जाता है।

अवलोकन

कंपनी का विजन (दृष्टि) और मिशन (उद्देश्य) इस प्रकार है

दृष्टि

विभिन्न ग्राहक श्रेणियों के लिए उच्च गुणता वाली यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य-संबंधी सेवाओं का अग्रणी प्रदाता बनना, जिसमें ग्राहक संतुष्टि का स्तर निरंतर उच्च बना रहे।

उद्देश्य

आईआरसीटीसी यात्रियों, पर्यटकों और अन्य ग्राहकों के लिए मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करके आतिथ्य सेवाओं, यात्रा और पर्यटन, बोतलबंद पेयजल और इंटरनेट टिकटिंग के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में खुद को स्थापित करेगा, आईआर और गैर-आईआर संबंधित सेवाओं को समान रूप से लक्षित करेगा, एक लचीला व्यवसाय पोर्टफोलियो तैयार करेगा जो स्केलेबल और मूल दक्षताओं पर आधारित है।

भारतीय रेलवे क्षेत्र निकट भविष्य में मजबूत विस्तार की स्थिति में है। यह वृद्धि रेलवे के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से किए गए बड़े सरकारी निवेशों और भारत में बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण संभव हो पाई है। इन कारकों से रेलवे सेवाओं की मांग में वृद्धि और यात्रा एवं पर्यटन उद्योगों में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे उद्योग में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। रेलवे कैटरिंग और इंटरनेट टिकटिंग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में, कंपनी इन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी को अपने यात्रा और पर्यटन के साथ-साथ बोतलबंद पैयजल प्रभागों से पर्याप्त योगदान की उम्मीद है, जिससे आगे चलकर इसके विकास की गति को बल मिलेगा।

ग्राहक-केंद्रितता पर जोर देते हुए, आईआरसीटीसी मूल्य-वर्धित उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्पित है। कंपनी निरंतर नवाचार को प्राथमिकता देती है, समग्र ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों का लाभ उठाती है। यह सक्रिय दृष्टिकोण आईआरसीटीसी की अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने और गतिशील रेलवे और आतिथ्य क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की बदलती मांगों को पूरा करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

चुनौतियों का सामना करने के लिए भावी रणनीतियां

अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के गतिशील परिदृश्य में, आईआरसीटीसी को भविष्य में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की आशंका है। फिर भी, संगठन ने इन चुनौतियों का समाधान करने और सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को यत्नपूर्वक विकसित और कार्यान्वित किया है। नवाचार को प्राथमिकता देकर और बाजार के रुझानों से आगे रहकर, आईआरसीटीसी संभावित बाधाओं को पार करने और अपने विविध परिचालनों में निरंतर विकास और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। नवाचार, ग्राहक संतुष्टि और परिचालन उत्कृष्टता पर ज़ोर देने के साथ, आईआरसीटीसी चुनौतियों को पार करने और उद्योग में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के लिए तैयार है।

आईआरसीटीसी ने अपने आशावादी दृष्टिकोण के साथ अपने सिस्टम में कुछ नई परियोजनाएँ लाने की योजना बनाई है, जो न केवल आईआरसीटीसी ब्रांड नाम को बढ़ावा देने का वादा करती हैं, बल्कि बाजार में प्रचलित नवीनतम नवीन तकनीकों के लिए कंपनी की विशेषज्ञता और अनुकूलनशीलता को भी साबित करती हैं। साथ ही, यह भी अनुमान है कि इससे नए व्यवसाय भी बनेंगे और इस तरह कंपनी के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा। आईआरसीटीसी, आईटीसी न केवल अपने व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार करेगा, बल्कि सिस्टम सुधार के लिए प्रचलित नवीन तकनीकों का उपयोग करेगा।

भविष्य की ओर आशावादी नज़रिए से देखते हुए, आईआरसीटीसी ऐसी नई परियोजनाएँ शुरू करने की योजना बना रहा है जो न केवल आईआरसीटीसी ब्रांड को बढ़ाएँगी बल्कि बाज़ार में प्रचलित नवीनतम नवीन तकनीकों के लिए कंपनी की दक्षता और अनुकूलनशीलता को भी प्रदर्शित करेंगी। इन पहलों से न केवल आईआरसीटीसी के व्यवसाय का विस्तार होने की उम्मीद है बल्कि नए राजस्व स्रोत भी बनने की उम्मीद है। सिस्टम संवर्द्धन के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाकर, आईआरसीटीसी का लक्ष्य अपने संचालन को और मज़बूत करना और बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना है।

निदेशकों की रिपोर्ट के परिचालन निष्पादन के अंतर्गत सभी व्यावसायिक खंडों के लिए भावी रणनीतियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां – प्रक्रिया उत्कृष्टता

आपकी कंपनी जोखिमों को कम करने के लिए सख्त आंतरिक नियंत्रण रखती है, विशेष रूप से वित्तीय लेखांकन, रिपोर्टिंग और परिचालन प्रक्रियाओं में, कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के साथ सख्त अनुपालन सुनिश्चित करती है। गहन समीक्षा, अनुमोदन, भौतिक गणना और कर्तव्यों के पृथक्करण सहित इन आंतरिक नियंत्रण (आईसी) उपायों का उद्देश्य हमारी प्रणालियों को मजबूत करना, त्रुटियों को रोकना और अनियमितताओं का पता लगाना है।

इन मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने एक स्वतंत्र बाहरी फर्म को नियुक्त किया है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हैं, जो आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में काम करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा का काम अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा टीम पूरे वर्ष व्यापक लेखापरीक्षा करती रहती है, जिसमें व्यवसाय के हर पहलू को शामिल किया जाता है।

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अनुसार कंपनी के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक अन्य फर्म को भी काम पर रखा है।

इसके बाद जारी की गई रिपोर्ट वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न की गई है। वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखने से पहले लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करती है।

परिचालन निष्पादन वित्तीय मुख्य बातों के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

कुल आय वित्त वर्ष 23 रें 3661.90 करोड़ रु. से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 4434.66 करोड़ रु. हो गई। कर पूर्व लाभ

वित्त वर्ष 23 में 1354.01 करोड़ रु. से 10.51% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 1496.28 करोड़ रु. हो गया। कर पश्चात लाभ वित्त वर्ष 23 में 1005.88 करोड़ रु. से 10.48% बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 1111.26 करोड़ रु. हो गया। वित्त वर्ष 23 और वित्त वर्ष 24 के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडों का निष्पादन नीचे दिया गया है:

खंडवार निष्पादन

राशि (करोड़ रु. में)

खंडीय परिचालन राजस्व	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	% परिवर्तन
खानपान	1,947.19	1,476.49	31.88
रेल नीर	326.66	300.97	8.54
इंटरनेट टिकटिंग	1,295.31	1,198.03	8.12
पर्यटन	549.22	412.21	33.24
राज्य तीर्थ	151.80	153.78	-1.29
खंडीय लाभ			
खानपान	268.80	168.01	59.99
रेल नीर	29.22	36.44	-19.81
इंटरनेट टिकटिंग	1,067.59	1,020.93	4.57
पर्यटन	-19.14	16.45	-216.35
राज्य तीर्थ	29.43	28.79	2.22

खंडीय राजस्व (करोड़ रु. में)

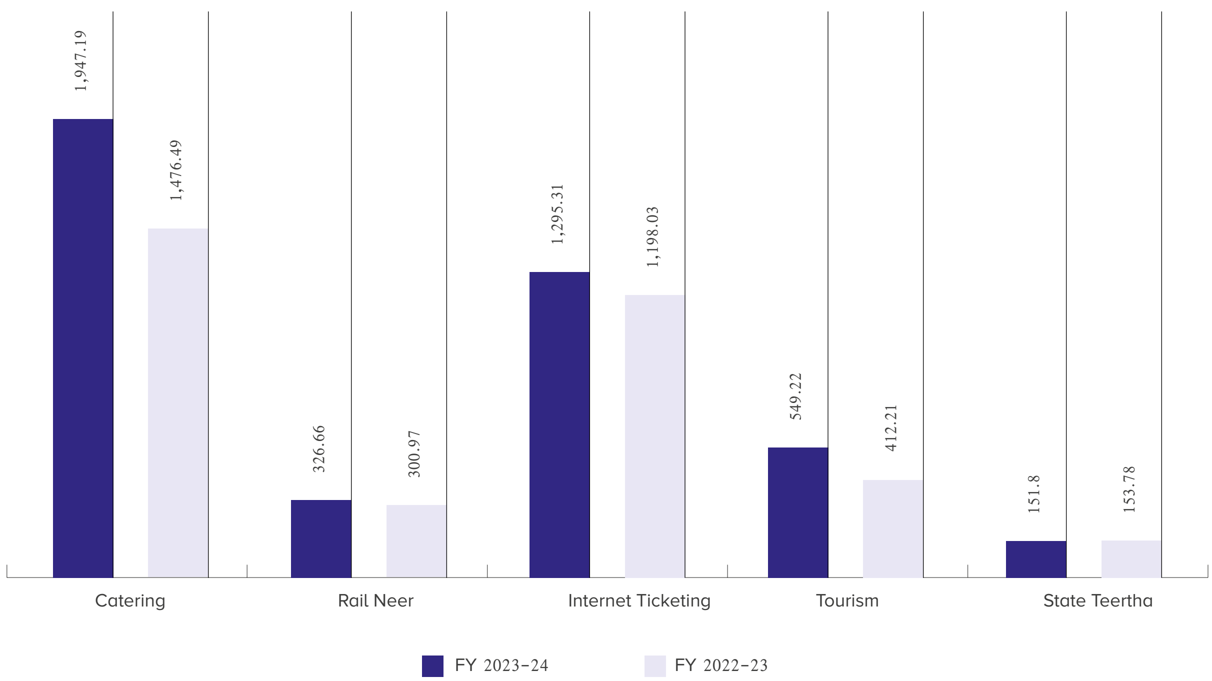

वित्तीय अनुपातों का विश्लेषण

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में 25% या उससे अधिक का परिवर्तन) का विवरण, साथ ही विस्तृत स्पष्टीकरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 23	% परिवर्तन	टिप्पणी
देनदारों का कारोबार (दिनों की संख्या)	107.67	88.38	21.83	
इन्वेंटरी कारोबार (दिनों की संख्या)	5.05	4.46	13.23	
ब्याज कवरेज अनुपात	37.48	38.54	-2.75	
वर्तमान अनुपात	1.95	1.82	7.14	
शेयरपूंजी-ऋण अनुपात	0.02	0.03	-33.33	शेयरधारकों की इक्विटी में वृद्धि और ऋण में कमी के कारण ऋण इक्विटी अनुपात में कमी आई है।
ईबीआईटीडीए लाभ (%)	36.77	38.14	-3.59	
निवल लाभ सीमा (%)	26.02	28.4	-8.38	
निवल मालियत पर लाभ	0.39	0.46	-15.22	

मानव संसाधन में महत्वपूर्ण विकास- एसेट वॉच

कंपनी के असाधारण कार्य-निष्पादन और स्थायी सफलता का श्रेय इसके समर्पित कर्मचारियों को दिया जा सकता है, जो इसकी उपलब्धियों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में काम करते हैं। कंपनी के मूल मूल्यों के अनुरूप, प्रबंधन प्रक्रिया में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जिससे आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोगात्मक विकास का माहौल बनता है।

पूरे वर्ष के दौरान, ज़ोन, क्षेत्र और कॉर्पोरेट कार्यालय सहित विभिन्न स्तरों पर संवाद बैठकें और कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिससे विचारों और ज्ञान का उपयोगी आदान-प्रदान हुआ। कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच तालमेल स्पष्ट है क्योंकि उन्होंने कंपनी और उसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम किया, जिससे कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण और सहायक संबंध विकसित हुए।

प्रतिभा प्रतिधारण के मूल्य को पहचानते हुए, कंपनी का मानव संसाधन विभाग अपने कार्यबल के ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता, योग्यता और समग्र प्रतिभा को पोषित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों को यत्नपूर्वक डिजाइन और कार्यान्वित करता है।

अपने कर्मचारियों के बीच कौशल निर्माण और क्षमता विकास के लिए, व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। कंपनी का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को चुनौतियों से पार पाने और नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुकूल होने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। इसके अलावा, कंपनी निरंतर व्यावसायिक विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मध्य-स्तर और वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है।

पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में कुछ महत्वपूर्ण मानव संसाधन पहल:-

- आईआरसीटीसी का अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) विकसित करना जिसे आई-प्रिपेयर के नाम से जाना जाता है।
- इन-हाउस एचआरएमएस का विकास और कर्मचारी के विभिन्न विवरणों जैसे वेतन पर्ची, मासिक आईटीआर, फॉर्म 16, एपीएआर विवरण, एपीएआर रिपोर्ट, पात्रता, नीति दिशानिर्देश, टीए/डीए, छुट्टी प्रबंधन आदि तक पहुंचने के लिए प्रणाली का आगे एकीकरण।
- मानव संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिए एचआरएमएस का एकीकरण, जिससे वे कर्मचारियों के विवरण जैसे कि उनके सेवा रिकॉर्ड, ऑनलाइन अवकाश नकदीकरण, यात्रा बिलों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, यात्रा कार्यक्रमों का ऑनलाइन अनुमोदन, स्टाफ की पुस्तक आदि ऑनलाइन प्राप्त कर सकें।
- ई7 और ई8 स्तर सहित आईआरसीटीसी के सभी कर्मचारियों के लिए इन-हाउस पीएमएस प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन।

- वर्ष के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों की एक झलक –

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 39	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान
प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या 1767	
9924 मानव दिवस	

31 मार्च 2024 तक अपने सभी व्यावसायिक खंडों में

नियमित कर्मचारियों की संख्या 1348

2023-24 के दौरान अनुकंपा के आधार पर

02 नये कर्मचारी की भर्ती।

अस्वीकरण

संभावित भावी विकास के बारे में एमडीए खंड में कुछ दूरंदेशी कथन हो सकते हैं। इन कथनों में ज्ञात और अज्ञात जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं जो अंतिम परिणामों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। वृहद-पर्यावरणीय परिवर्तन कंपनी और उस वातावरण के लिए अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अज्ञात और लगातार विकसित होने वाले जोखिम पैदा कर सकते हैं जिसमें यह काम करती है। इन मान्यताओं के निष्कर्ष, जो आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं, अध्ययन में कुछ तथ्यों और संख्याओं का आधार बनते हैं। जिन अनुमानों पर ये धारणाएँ आधारित हैं, वे भी निदेशक मंडल की ओर से हैं।

निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09629741

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई, 2024

कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोट

1.0 कार्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का सिद्धांत

निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए लंबे समय में हितधारकों के मूल्य को बढ़ाना जो न केवल वैधानिक नियमों का पालन करता है बल्कि पूरे संगठन में नैतिक आचरण को भी बढ़ावा देता है।

निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए लंबे समय में हितधारकों के मूल्य को बढ़ाना जो न केवल वैधानिक नियमों का पालन करता है बल्कि पूरे संगठन में नैतिक आचरण को भी बढ़ावा देता है।

आईआरसीटीसी में, हम अपने व्यवसाय के संचालन में गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कार्पोरेट गवर्नेंस के बुनियादी सिद्धांतों यानी जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी का पालन करते हुए अपने सभी हितधारकों जैसे ग्राहकों, कर्मचारियों, विक्रेताओं, ठेकेदारों, शेयरधारकों, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए स्थायी मूल्य सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हम अपने व्यवसाय को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों का व्यापक रूप से अनुपालन करने और आईआरसीटीसी में जवाबदेही, पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

आईआरसीटीसी में, कार्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत आंतरिक नियंत्रण, बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और पूर्ण रूप से कार्यान्वित और निगरानी की जाने वाली नीतियों के माध्यम से सुदृ किया गया है। कार्पोरेट गवर्नेंस के प्रति यह प्रतिबद्धता न केवल विश्वसनीयता बढ़ाती है, बल्कि कंपनी के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और विकास को भी बढ़ावा देती है।

आईआरसीटीसी कार्पोरेट गवर्नेंस के चार स्तंभों अर्थात जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जिम्मेदारी का सख्ती से पालन करता है और इसलिए, कार्पोरेट गवर्नेंस स्तंभों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, कंपनी के पास स्पष्ट रूप से परिभाषित नीतियां और प्रथाएं हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं–

जवाबदेही:

- बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता।
- नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम रिश्तेदारों द्वारा व्यवसाय को विनियमित करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता।
- आचरण अनुशासन और अपील (सीडीए) नियम।
- सतर्कता तंत्र और सचेतक नीति।
- निष्ठा संधि।
- रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी नीति।
- जोखिम प्रबंधन नीति।
- मानव संसाधन नीतियां।
- महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति।

पारदर्शिता –

- समर्पित ईमेल आईडी: investorsirctc.com और ciroirctc.com.
- लाभांश वितरण नीति।
- आम बैठकों के लिए समय पर नोटिस प्रेषण और संचलन।
- कंपनी की वेबसाइट को शीघ्र अद्यतन करना।
- प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना।
- नियमित रूप से निवेशक/विश्लेषकों की बैठकों का आयोजन।
- कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार जब भी आवश्यक हो शेयरधारकों की मंजूरी लेना।

निष्पक्षता –

- शिकायत निवारण नीति (आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए)।
- एक्सचेंजों पर विभिन्न घोषणाओं का समय पर प्रसार।
- ई–टेंडरिंग साइट के माध्यम से निविदाएं।
- जीईएम पोर्टल और एमएसई के माध्यम से खरीद।
- ई–बिल ट्रैकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन।
- ई–ऑफिस का कार्यान्वयन।
- हितधारकों की भागीदारी नीति।
- सतत खरीद नीति।

ज़िम्मेदारी

- विभिन्न स्तरों पर कार्यपालकों को सौंपे गए वित्तीय प्राधिकरण को रेखांकित करने वाली शक्तियों की अनुसूची (एसओपी)।
- संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति।
- बोर्ड के सदस्यों द्वारा सभी संविदाओं और उनकी शेयरधारिता आदि में रुचि की घोषणा।
- बोर्ड/संबंधित समितियों द्वारा उनके निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की नियमित निगरानी।
- बोर्ड की समिति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित और अनुमोदित विचारार्थ विषय, कोरम, बैठक की आवधिकता।
- निदेशक मंडल के लिए प्रशिक्षण नीति, जिसका उद्देश्य कार्पोरेट गवर्नेंस और अन्य उद्योग-संबंधी मुद्दों के बारे में उनका ज्ञान बढ़ाना है।
- बोर्ड की विविधता नीति।
- घटनाओं या प्रकटणों की महत्वपूर्णता के निर्धारण पर आईआरसीटीसी नीति।
- कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति।

2.0 निदेशक मंडल

2.1 संघटन

आईआरसीटीसी, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकारी कंपनी है, जिसमें कंपनी की कुल चुकता शेयर पूंजी का 62.40% भारत के राष्ट्रपति (रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से) द्वारा धारित की जाती है। संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त/नामित करने की शक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास निहित है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्रयोग करते हैं।

संस्था के अंतर्नियम के संदर्भ में, हमारे बोर्ड की संख्या तीन निदेशकों से कम या पंद्रह निदेशकों से अधिक नहीं होगी। ये निदेशक या तो पूर्णकालिक निदेशक या अंशकालिक (सरकारी/गैर-सरकारी) निदेशक हो सकते हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और तीन पूर्णकालिक निदेशक यानी निदेशक (वित्त) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) पूर्णकालिक निदेशक हैं जो कंपनी के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। कार्यनीतिक निर्णय कंपनी के निदेशक मंडल के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन के तहत होते हैं, जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल होते हैं।

31 मार्च 2024 तक, कंपनी के बोर्ड में नौ (9) निदेशक शामिल थे, जिनमें चार (4) कार्यपालक (पूर्णकालिक) निदेशक, दो (2) सरकार द्वारा नामित निदेशक (रेल मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए) और तीन (3) स्वतंत्र निदेशक शामिल थे। हालांकि, इसके बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या न होने के कारण, निदेशक मंडल के संघटन कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

कंपनी अपने बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ नियमित रूप से इस मुद्दे को उठा रही है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा-निर्देशों के लागू सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके।

ए) वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और अंतिम एजीएम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, 31 मार्च, 2024 तक अन्य कंपनियों में निदेशक पद और समिति की सदस्यता/अध्यक्ष पद का विवरण ङ्ख

क्र. सं.	निदेशकों का नाम, पदनाम और डीआईएन	बोर्ड बैठकों की संख्या			अंतिम एजीएम में उपस्थिति (25 अगस्त, 2023 को आयोजित)	31.03.2024 तक अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या (अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं सहित)*	अन्य कंपनियों में, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में समिति की सदस्यता	
		निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें (ए)	कितनी बैठकों में भाग लिया (बी)	% (बी/ए)			अध्यक्ष के रूप में**	सदस्य के रूप म**
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यात्मक) (कार्यपालक)								
1.	श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएन - 08083674) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (31.05.2023 तक)	1	1	100%	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

क्र. सं.	निदेशकों का नाम, पदनाम और डीआईएन	बोर्ड बैठकों की संख्या			अंतिम एजीएम में उपस्थिति (25 अगस्त, 2023 को आयोजित)	31.03.2024 तक अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या (अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं सहित)*	अन्य कंपनियों में, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में समिति की सदस्यता	
		निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें (ए)	कितनी बैठकों में भाग लिया (बी)	% (बी/ए)			अध्यक्ष के रूप में**	सदस्य के रूप मा**
2.	श्रीमती सीमा कुमार (डीआईएन – 10064353) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) (01.06.2023 से 09.01.2024 तक)	3	3	100%	उपस्थित	शून्य	लागू नहीं।	लागू नहीं।
3.	श्री संजय कुमार जैन (डीआईएन – 09629741) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 14.02.2024 से नियमित प्रभार और 10.01.2024 से 13.02.2024 तक अतिरिक्त प्रभार	3	3	100%	लागू नहीं।	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री अजीत कुमार (डीआईएन – 07247362) निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	7	7	100%	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
5.	डॉ लोकैया रविकुमार (डीआईएन– 10045466) निदेशक (खानपान सेवाएं)	7	6	85.71%	उपस्थित	शून्य	शून्य	1 (हितधारक संबंध/ शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
6.	श्री के. के. मिश्रा (डीआईएन– 10186377) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (अतिरिक्त प्रभार) (01.06.2023 से 16.02.2024 तक)	5	5	100%	उपस्थित	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
7.	श्री राहुल हिमालियन (डीआईएन– 10393348) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (16.02.2024 से प्रभावी)	1	1	100%	लागू नहीं।	शून्य	शून्य	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/ शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
सरकार द्वारा नामित निदेशक (गैर–कार्यपालक)								
8.	श्री नीरज शर्मा (डीआईएन– 08177824) कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन), रेल मंत्रालय, भारत सरकार	7	7	100%	उपस्थित	शून्य	शून्य	1 (हितधारक संबंध/ शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
9.	श्री मनोज कुमार गांगेय (डीआईएन– 09744752) कार्यकारी निदेशक (योजना), रेल मंत्रालय, भारत सरकार	7	6	85.71%	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	निदेशकों का नाम, पदनाम और डीआईएन	बोर्ड बैठकों की संख्या			अंतिम एजीएम में उपस्थिति (25 अगस्त, 2023 को आयोजित)	31.03.2024 तक अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पदों की संख्या (अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं सहित)*	अन्य कंपनियों में, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में समिति की सदस्यता	
		निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें (ए)	कितनी बैठकों में भाग लिया (बी)	% (बी/ए)			अध्यक्ष के रूप में**	सदस्य के रूप म**
स्वतंत्र निदेशक (गैर-कार्यपालक)								
10.	श्री विनय कुमार शर्मा (डीआईएन- 03604125)	7	7	100%	उपस्थित	शून्य	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/ शिकायत समिति) आईआरसीटीसी	2 (लेखापरीक्षा समिति) और (हितधारक संबंध/ शिकायत समिति) आईआरसीटीसी
11.	श्री नामग्याल वांगचुक (डीआईएन- 09397676)	7	7	100%	उपस्थित	शून्य	शून्य	1 (लेखापरीक्षा समिति) आईआरसीटीसी
12.	श्री देवेन्द्र पाल भारती (डीआईएन- 10198557) (09.06.2023 से)	6	6	100%	उपस्थित	शून्य	शून्य	1 (लेखापरीक्षा समिति) आईआरसीटीसी

* धारा 8 में कंपनियों और विदेशी कंपनियों में निदेशक पद शामिल नहीं है।

** सीमा की गणना के प्रयोजन के लिए केवल लेखापरीक्षा समिति और हितधारक संबंध/शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है।

***बोर्ड से निदेशक का पद समाप्त होने पर निदेशक समिति का सदस्य/अध्यक्ष नहीं रहेगा।

टिप्पणियां -

1. श्रीमती रजनी हसीजा (डीआईएनः 08083674) पूर्व निदेशक (पर्यटन और विपणन) और सीएमडी/आईआरसीटीसी (अतिरिक्त प्रभार) ने सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 31 मई, 2023 को अपना कार्यकाल पूरा किया।

2. श्रीमती सीमा कुमार (डीआईएन- 10064353), पूर्व सदस्य (परिचालन और व्यवसाय विकास)/रेल बोर्ड, को 01 जून, 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने श्री संजय कुमार जैन (डीआईएन-09629741), पीसीसीएम/उत्तर रेलवे को सीएमडी/ आईआरसीटीसी (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण 09 जनवरी, 2024 को सीएमडी/आईआरसीटीसी के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया।

3. रेल बोर्ड के कार्यपालक निदेशक (व्यवसाय विकास) श्री कमलेश कुमार मिश्रा (डीआईएन- 10186377), जिन्हें 01 जून, 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में निदेशक (पर्यटन और विपणन) (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने आईआरसीटीसी के बोर्ड में निदेशक (पर्यटन और विपणन) के रूप में श्री राहुल हिमालियन (डीआईएन- 10393348) की नियुक्ति के कारण 16 फरवरी, 2024 को निदेशक (पर्यटन और विपणन)/आईआरसीटीसी के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया।

4. श्री देवेन्द्र पाल भारती (डीआईएन- 10198557) को 09 जून, 2023 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया।

5. श्री संजय कुमार जैन (डीआईएन- 09629741), पूर्व पीसीसीएम/ उत्तर रेलवे, जिन्हें आईआरसीटीसी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, उन्होंने 10 जनवरी, 2024 से अतिरिक्त कार्यभार और 14 फरवरी, 2024 से नियमित कार्यभार ग्रहण किया।

6. श्री राहुल हिमालियन (डीआईएन- 10393348) को 16 फरवरी, 2024 से आईआरसीटीसी के बोर्ड में निदेशक (पर्यटन और विपणन) के रूप में नियुक्त किया गया।

7. सीपीएसई कंपनी होने के नाते, सभी निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नियुक्त/ नामित किया जाता है।

8. निदेशकों/केएमपी का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं होता (पारिश्रमिक को छोड़कर, जिसमें बैठक शुल्क भी शामिल है, जिसके वे हकदार हैं)

9. कंपनी के किसी भी निदेशक के पास सात (7) सूचीबद्ध कंपनियों सहित दस (10) से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में किसी भी समय निदेशक का पद नहीं है।

10. कंपनी का कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य या पाँच (5) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वह निदेशक है, जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया है।

11. कंपनी का कोई भी पूर्णकालिक निदेशक किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं है।

12. कंपनी का कोई भी निदेशक आपस में संबंधित नहीं है।

13. जैसा कि उनके द्वारा प्रकटण किया गया है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास आईआरसीटीसी का कोई शेयर नहीं था।

बी) तारीखों सहित बोर्ड की बैठकों की संख्या –

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की सात बार बैठक हुई। कंपनी अधिनियम, कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, वर्ष के दौरान दो लगातार बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से कम था। वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है –

क्र. सं.	बोर्ड बैठकों की संख्या	तिमाही में आयोजित बैठकें	बैठकों की तारीख़	बोर्ड में सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या	
					व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
1.	129वीं	01 (एक), 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए (ति.1)	29 मई, 2023	7	6	–
2.	130वीं	02 (दो), 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए (ति.2)	04 जुलाई, 2023	9	9	–
3.	131वीं		09 अगस्त, 2023	9	9	–
4.	132वीं	01 (एक), 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए (ति.3)	07 नवंबर, 2023	9	8	1
5.	133वीं	03 (तीन), 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए (ति.4)	17 जनवरी, 2024	9	7	2
6.	134वीं		13 फरवरी, 2024	9	8	1
7.	135वीं*		18 मार्च, 2024	9	7	1

*यह बैठक लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(17)/2005-जीएम दिनांक 18 जुलाई 2018 के अनुसार गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई।

सी) नियुक्ति/पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त परिचय–

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 के अनुसार, क्रमावर्ती द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले और नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण कंपनी की 25वीं वार्षिक आम बैठक बुलाने वाले नोटिस के साथ संलग्न हैं जिसमें विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनके अनुभव की प्रकृति, उन कंपनियों के नाम जिनमें शामिल है, निदेशक हैं और बोर्डों/समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता दर्शाई गई है। इसके अलावा, कंपनी के निदेशकों के संक्षिप्त परिचय कंपनी की वेबसाइट पर वेब लिंक https://www.irctc.com/board-of-directors.html पर उपलब्ध है और इस रिपोर्ट में अन्यत्र भी इसका उल्लेख किया गया है।

डी) व्यवसाय के संदर्भ में निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता –

आपकी कंपनी के बोर्ड में उच्च योग्यता प्राप्त सदस्य होते हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार-विमर्श में कुशलतापूर्वक और प्रभावी योगदान देते हैं।

कंपनी के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित बोर्ड चार्टर है, जिसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित बोर्ड स्तर के पदों के लिए नौकरी का विवरण, योग्यता और अनुभव निर्धारित किया गया है। पदधारियों की वांछनीय योग्यता और अनुभव उनके संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों यानी वित्त, खानपान, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, विपणन आदि की आवश्यकताओं के अनुसार है।

कार्यात्मक निदेशकों की रिक्ति के लिए कार्य विवरण, वांछनीय योग्यता और आवश्यक अनुभव, रिक्ति के प्रसार और उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम चयन बोर्ड को भेजा जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय, भारत सरकार और/या लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा निर्धारित आईआरसीटीसी के निदेशकों की प्रमुख योग्यताएं, कौशल, विशेषज्ञताओं का सारांश देने वाली तालिका नीचे दी गई है -

क्र. सं.	निदेशक का प्रकार	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
1.	पूर्णकालिक निदेशक	
	i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**अनिवार्य–** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। **वांछित–** तकनीकी/एमबीए योग्यता वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। **अनुभव–** आवेदक के पास किसी बड़े प्रतिष्ठित संगठन में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। आतिथ्य/पर्यटन/आईटी/वित्त/विपणन में अनुभव रखने वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उपरोक्त क्षेत्रों में रेलवे से संबंधी अनुभव का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
	ii) निदेशक (वित्त)	**अनिवार्य–** (i) आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ सनदी लेखाकार या लागत लेखाकार या पूर्णकालिक एमबीए/पीजीडीएम होना चाहिए। (ii) संगठित ग्रुप एफ लेखा सेवाओं के अधिकारी (यानी भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय नागरिक लेखा सेवा, भारतीय पी एंड टी लेखा एवं वित्त सेवा और भारतीय लागत लेखा सेवाओं में उपयुक्त स्तर पर कार्यरत अधिकारियों को इन शैक्षणिक योग्यताओं से छूट दी गई है।
		(iii) इसके अलावा, केन्द्र सरकार/संघ/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों को भी उपरोक्त (i) के अनुसार शैक्षिक योग्यता से छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदकों के पास नीचे उल्लिखित संबंधित अनुभव हो। संगठित ग्रुप एफ लेखा सेवा/केन्द्र सरकार/संघ के सशस्त्र बल/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के संबंध में, सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार /एमबीए/पीजीडीएम वांछनीय शैक्षणिक योग्यता होगी।
		अनुभव– (i) आवेदक के पास किसी प्रतिष्ठित संगठन में कार्पोरेट वित्तीय प्रबंधन और लेखा के विभिन्न पहलुओं में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए। (ii) संगठित समूह एफ लेखा सेवाओं के आवेदकों के पास कार्पोरेट वित्तीय प्रबंधन/लेखा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए। (iii) केन्द्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के संबंध में संबंधित अनुभवफ में कार्पोरेट वित्तीय प्रबंधन/लेखा के क्षेत्र में पिछले दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम सात वर्ष का संचयी अनुभव शामिल होगा।
	iii) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	**अनिवार्य–** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। **वांछित–** पर्यटन/यात्रा/एमबीए योग्यता वाले आवेदकों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। **अनुभव–** आवेदक के पास पर्यटन/यात्रा/आतिथ्य क्षेत्र में विपणन/व्यवसाय विकास में पिछले दस वर्षों के दौरान किसी प्रतिष्ठित संगठन में कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए। रेलवे क्षेत्र में अनुभव का अतिरिक्त लाभ होगा।

क्र. सं.	निदेशक का प्रकार	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
	iv) निदेशक (खानपान सेवाएं)	**अनिवार्य–** आवेदक को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक होना चाहिए। **वांछित–** होटल प्रबंधन/आतिथ्य उद्योग में डिग्री वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। **अनुभव–** आवेदक के पास सेवा और आतिथ्य उद्योग में कम से कम 05 वर्ष का संचयी अनुभव/एक्सपोजर होना चाहिए, जिसमें किसी प्रतिष्ठित संगठन में पिछले 10 वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर रेल खानपान सेवाओं के प्रबंधन/परिवहन और यात्रा-संबंधी व्यवसाय/ऑन बोर्ड सेवाओं/एफ एंड बी के प्रबंधन में बहु-विभागीय टीमों/ मानव संसाधन विकास और अनुबंध संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन में सिद्ध क्षमता का अनुभव होना चाहिए।
2.	सरकार द्वारा नामित निदेशक (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक	भारत सरकार (रेल मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा तय किए अनुसार।
3.	स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर-सरकारी) निदेशक	भारत सरकार (रेल मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा तय किए अनुसार।

ई) बोर्ड के पास वास्तव में उपलब्ध मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची –

कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों के पास कंपनी के प्रभावी और कुशल कामकाज में सहायता करने के लिए आवश्यक कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताएं होती हैं। निदेशक सामूहिक रूप से कंपनी के कार्पोरेट योजना और रणनीति उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक रणनीतिक दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

बोर्ड ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की सिफारिश पर बोर्ड विविधता पर एक नीति अपनाई है, जो https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Board%20Diversity%20Policyš12š6š23.pdf पर उपलब्ध है।

नीचे दी गई तालिका में, 31 मार्च, 2024 तक व्यक्तिगत बोर्ड सदस्यों के फोकस या विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों को दर्शाया गया है–

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख योग्यताएं								
	विशेषज्ञता का क्षेत्र								
	वित्तीय प्रबंधन	यात्रा एवं पर्यटन	खानपान एवं आतिथ्य	आईटी क्षेत्र की विशेषज्ञता	कार्पोरेट योजना एवं रणनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड की कार्यप्रणाली और गवर्नेंस	व्यवसाय विकास
श्री संजय कुमार जैन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नियमित प्रभार 14.02.2024 से प्रभावी और अतिरिक्त प्रभार 10.01.2024 से 13.02.2024 तक	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री अजीत कुमार निदेशक (वित्त)	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
डॉ. लोकैया रविकुमार निदेशक (खानपान सेवाएं)	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

निदेशक का नाम	बोर्ड की प्रमुख योग्यताएं विशेषज्ञता का क्षेत्र								
	वित्तीय प्रबंधन	यात्रा एवं पर्यटन	खानपान एवं आतिथ्य	आईटी क्षेत्र की विशेषज्ञता	कार्पोरेट योजना एवं रणनीति	जोखिम प्रबंधन	नेतृत्व	बोर्ड की कार्यप्रणाली और गवर्नेंस	व्यवसाय विकास
श्री राहुल हिमालियन निदेशक (पर्यटन एवं विपणन (16.02.2024 से नियुक्त)	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री नीरज शर्मा सरकार द्वारा नामित निदेशक	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
श्री मनोज कुमार गांगेय सरकार द्वारा नामित निदेशक	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री नामग्याल वांगचुक स्वतंत्र निदेशक	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
श्री देवेन्द्र पाल भारती स्वतंत्र निदेशक (09.06.2023 से नियुक्त)	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓

एफ) निदेशकों की आयु सीमा और कार्यकाल –

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है, जिन्हें आम तौर पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर पदधारी की सेवानिवृत्ति की तिथि तक पांच साल की अवधि के लिए या भारत सरकार के अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

भारत सरकार के रेल मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकार द्वारा नामित निदेशक, नामांकन प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर या रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारी नहीं रहने पर कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं रहेंगे।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन (3) वर्षों के कार्यकाल के लिए की जाती है। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 (2) (बी) के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक https://www.irctc.com/assets/images/TC%20for%20ppointment%20of%20Independent%20%20Directors-29-02-2024.pdf में उपलब्ध है।

जी) बोर्ड बैठकों/समिति बैठकों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया–

कंपनी के अध्यक्ष और संबंधित बोर्ड समितियों के अध्यक्ष के परामर्श से कंपनी के सचिव क्रमशः प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठक में चर्चा के लिए कार्यसूची और सहायक दस्तावेज तैयार करते है।

बोर्ड या समितियों के सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से बैठक में चर्चा के लिए मामलों को लाने के अपने अधिकार के अलावा, कार्यसूची में शामिल किए जाने वाले किसी भी मद का सुझाव देने के लिए स्वतंत्र हैं। आमतौर पर कंपनी के व्यवसाय तथा संबंधित मामलों को समझने हेतु बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण सूचना और डेटा को बैठक में चर्चा के लिए रखा जाता है। बैठक से पूर्व, बोर्ड के सभी सदस्यों को कार्यसूची की प्रति परिचालित की जाती है।

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामलें में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रावधान के अनुसार, परिचालित संकल्प पारित किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड या समिति की अगली बैठक में नोट किया जाता है।

कानूनी प्रावधानों के अनुसार, कंपनी निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करती है ताकि वे व्यक्तिगत रूप से भाग न ले पाने की स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले सकें। परिचालन क्षेत्रों, नए व्यवसाय क्षेत्रों/नए उत्पादों की शुरूआत के बारे में बोर्ड/समितियों को समय-समय पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं।

निदेशक मंडल की बैठकें आमतौर पर नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठक में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चा के लिए विस्तृत कार्यसूची, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण सामान्यतः बोर्ड बैठक से कम से कम सात दिन पहले निर्धारित प्रारूप में बोर्ड सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। तथापि, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना वाले कार्यसूची मदों को अध्यक्ष तथा बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से बोर्ड/समिति की संबंधित बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड की बैठक हेतु कार्यसूची को पासवर्ड सुरक्षा के साथ मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिचालित किए जाते हैं, जिससे मुद्रण और कागज की लागत और कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आई है। कंपनी ने हाल ही में, निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों के आयोजन के लिए डिजिटल बैठक सॉफ्टवेयर को अपनाया है और निदेशकों को सॉफ्टवेयर के कुशल उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रभावी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी के पास विविध बोर्ड और बोर्ड की सुव्यवस्थित समितियां हैं। बोर्ड और संबंधित समितियां नियमित रूप से अपने निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा करती हैं। इसके अलावा, बोर्ड की प्रत्येक समिति के लिए विचारार्थ विषय, गणपूर्ति, बैठक की आवधिकता आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं। कंपनी सर्वोत्तम कार्पोरेट गवर्नेंस प्रथाओं को प्राथमिकता देती है, तथा कंपनी पर लागू सभी विनियामक प्रावधानों जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, तथा भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशानिर्देश, तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है इसके अतिरिक्त, कंपनी निदेशक मंडल को लागू कानूनों के अनुपालन पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

कंपनी सचिव बोर्ड और समितियों की सभी बैठकों में भाग लेते हैं और ऐसी बैठकों के मसौदा कार्यवृत्त तैयार करते हैं, जिन्हें बैठक के समापन के पंद्रह दिनों के भीतर सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए विधिवत परिचालित किया जाता है। निदेशकगण मसौदा कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियां परिचालित होने की तिथि से सात दिनों के भीतर संप्रेषित करते हैं। इसके बाद निदेशकगणों से प्राप्त टिप्पणियों का विवरण संबंधित समिति के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के समक्ष विचार एवं अनुमोदन हेतु रखा जाता है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के अनुमोदित कार्यवृत्त को बैठक के समापन के तीस दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत दर्ज किया जाता है।

हमारी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, बोर्ड/समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संबंधित बोर्ड/समिति की आगामी बैठकों में रखी जाती है, जिससे लिए गए निर्णयों की प्रभावी समीक्षा करने में सुविधा होती है।

एच) निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई जानकारी–

बोर्ड के पास कंपनी से संबंधित सभी जानकारी तक पूरी पहुंच है। यदि आवश्यक हो, तो बोर्ड/समिति द्वारा चर्चा किए जा रहे मामलों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए बैठक के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। बोर्ड को उसके विचारार्थ प्रदान की गई जानकारी में आमतौर पर निम्नलिखित को शामिल किया जाता हैं–

i. वार्षिक परिचालन योजनाएं और बजट तथा अन्य कोई भी अद्यतन सूचना।

ii. पूंजीगत बजट और कोई भी अद्यतन सूचना।

iii. तिमाही परिणाम और इसके परिचालन प्रभाग या व्यावसायिक खंड।

iv. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

v. मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या निष्कासन सहित निदेशक मंडल के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक की सूचना।

vi. कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

vii. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी भौतिक अपशिष्ट या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।

viii. सूचीबद्ध संस्था के लिए और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध संस्था द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त गैर-भुगतान।

ix. ऐसे लेनदेन जिनमें साख, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल हो।

x. कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।

xi. बोर्ड द्वारा वांछित मामलों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

xii. निदेशकों द्वारा कंपनी को दिए गए हितों का प्रकटण।

xiii. स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल की गई कार्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही रिपोर्ट।

xiv. स्टॉक एक्सचेंजों में निवेशकों की शिकायत निवारण पर दाखिल की गई तिमाही रिपोर्ट्। किसी भी विनियामक, सांविधिक या सूचीबद्धता आवश्यकताओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।

xv. सूचना या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली अन्य सभी आवश्यक जानकारी।

आई) निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वेब-लिंक -

नियुक्ति पर, नव नियुक्त निदेशकों को कंपनी के भीतर उनकी भूमिकाओं की जिम्मेदारियों और कानूनी दायित्वों का विवरण देते हुए एक स्वागत किट प्रदान की जाती है। आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशर, रिपोर्टों और आंतरिक नीतियों सहित वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम, तथा आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के बीच सहमति ज्ञापन के साथ अभिविन्यास कार्यक्रम उन्हें हमारी कंपनी की परिदृष्टि, ध्येय, रणनीतिक दिशा, स्थायी मूल्यों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, जोखिम प्रोफ़ाइल वित्तीय मामलों और व्यावसायिक संचालन से परिचित कराने में मदद करते हैं। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/assets/images/DETILS%20OF%20FMILIRIZTION%20PROGRMMES%2019032024.pdf पर दिया गया है।

इसके अलावा, कंपनी ने बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति भी बनाई है, जो वेब लिंक https://www.irctc.com/assets/images/trainingšpolicyšforšdirectorsširctc-new.pdf पर उपलब्ध है। कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर कार्पोरेट गवर्नेंस, निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों तथा अन्य उद्योग-संबंधी मामलों पर डीपीई, स्कोप, आईआईसीए और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सम्मेलनों/कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है।

जे) बोर्ड की स्वतंत्रता-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईआरसीटीसी बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7), अनुसूची IV और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के बोर्ड में सभी स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक में पंजीकृत किया गया था।

बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित सत्यनिष्ठा, विशेषज्ञता, विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और दक्षता है।

इसके अलावा, जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है, किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी आदेश के आधार पर निदेशक के रूप में पद धारण करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

के) स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के विस्तृत कारण-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले कंपनी से इस्तीफा नहीं दिया है।

एल) उत्तराधिकार की योजना-

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार के पास निहित है।

बोर्ड स्तर से नीचे के लिए, कंपनी में बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्तराधिकार योजना है, जिसकी आवश्यकता के आधार पर समय-समय पर बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है।

3.0 बोर्ड की समितियां

कंपनी के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए बोर्ड ने कुछ मामलों को उस उद्देश्य के लिए स्थापित समितियों को सौंपा है। बोर्ड समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. लेखापरीक्षा समिति;
2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति;
3. हितधारक संबंध/शिकायत समिति;
4. सीएसआर और एसडी समिति;
5. जोखिम प्रबंधन समिति;
6. कार्यनीतिक (सामरिक) समिति;
7. निवेश समिति;
8. कार्यपालक बोर्ड समिति;
9. प्रशासनिक समिति;
10. शेयर हस्तांतरण समिति।

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के संघटन में बदलाव के कारण ऊपर उल्लिखित निदेशक मंडल की समितियों का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था, जहां बोर्ड ने बोर्ड की समितियों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया हो, जिसे निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समितियों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुशंसित किया जाना आवश्यक है।

4.0 लेखापरीक्षा समिति

विनय कुमार शर्मा
अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति

ए. लेखापरीक्षा समिति का संघटन–

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों में परिवर्तन होने पर लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति का पिछली बार 17 फरवरी 2024 को पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च 2024 तक, लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल रहे–

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री नामग्याल वांगचुक,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्री देवेन्द्र पाल भारती,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
4.	**श्री राहुल हिमालियन,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

बैठकों में जीजीएम (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखापरीक्षकों/लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भी विशेष आमंत्रितगण सदस्य के रूप में यथा आवश्यकता होने पर भाग लेते हैं। वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों और व्यवसाय खंड प्रमुखों को भी उनकी आवश्यकतानुसार समिति को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सभी अपेक्षित सिफारिशों को अनिवार्य रूप से निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

बी. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय–

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ पठित विनियम 18 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची 2 के भाग सी के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं–

(i) कंपनी (सूचीबद्ध संस्था) वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का अनवेक्षण और वित्तीय सूचना का प्रकटण ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।;

(ii) सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए बोर्ड को सिफारिश;

(iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान की मंजूरी;

(iv) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व, प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में समीक्षा करना–

ए. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड सीफ के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले मामले;

बी. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं और उनके कारणों में परिवर्तन, यदि कोई हो;

सी. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;

डी. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;

ई. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

एफ. किसी भी संबंधित पक्ष के लेन–देन का प्रकटण;

जी. लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में संशोधित राय;

(v) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

(vi) प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधि के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधि का विवरण तथा सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग का अनुवीक्षण करने वाली एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना;

(vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और अनुवीक्षण करना;

(viii) संबंधित पक्षों के साथ सूचीबद्ध संस्था के लेन-देन का अनुमोदन या बाद में कोई संशोधन;

(ix) अंतर-कार्पोरेट ऋण और निवेश की जांच

(x) सूचीबद्ध संस्था के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(xii) प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारीगण और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है;

(xiv) किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(xv) उन मामलों में आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां धोखाधड़ी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता का संदेह है और बोर्ड को मामले की रिपोर्ट करना;

(xvi) लेखापरीक्षा के आरंभ होने से पूर्व सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में चर्चा के साथ-साथ किसी भी चिंता के क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा तदोपरांत चर्चा;

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना;

(xviii) सचेतक नीति तंत्र के कार्यप्रणाली की समीक्षा करना;

(xix) अभ्यर्थी की योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी देना;

(xx) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में उल्लिखित कोई अन्य कार्य करना;

(xxi) सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रु. या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति आकार के 10% से अधिक ऋणों और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करना, जो भी कम हो, जिसमें मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं;

(xxii) सूचीबद्ध संस्था और उसके शेयरधारकों पर विलय, अविलयन, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करती है-

1. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों का विश्लेषण;
2. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र;
3. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;
4. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी;
5. विचलन का विवरण-

   ए) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32(1) के संदर्भ में स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया जाने वाला विचलन(ओं) का तिमाही विवरण, जिसमें अनुवीक्षण एजेंसी की रिपोर्ट भी शामिल है, यदि लागू हो।

   बी) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32 (7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण पत्रिका/सूचना में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

सी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति-

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की पांच बार बैठक हुई। कंपनी अधिनियम, कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देश और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, वर्ष के दौरान दो लगातार बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	71वीं	29 मई, 2023	3	3
2.	72वीं	03 जुलाई, 2023	3	3
3.	73वीं	09 अगस्त, 2023	4	4
4.	74वीं	07 नवंबर, 2023	4	4
5.	75वीं	13 फरवरी, 2024	4	4

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है-

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	5	5	0	100%
2.	श्री नामग्याल वांगचुक स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5	5	0	100%
3.	श्रीमती रजनी हसीजा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (31 मई, 2023 तक)	1	1	0	100%
4.	श्री कमलेश कुमार मिश्रा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (1 जून 2023 से 16 फरवरी 2024 तक)	4	4	0	100%
5.	श्री देवेन्द्र पाल भारती स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (4 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	3	3	0	100%
6.	श्री राहुल हिमालियन निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (17 फरवरी, 2024 से प्रभावी)	0	0	0	-

हस्त/-

(विनय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष

डीआईएन: 03604125

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक - 19 जुलाई, 2024

5.0 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामग्याल वांगचुक
अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

ए. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संघटन–

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों में बदलाव होने पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति का पिछली बार 4 जुलाई 2023 को पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च 2024 तक, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे-

क्र.सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	**श्री नीरज शर्मा सरकार** द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4.	**श्री देवेन्द्र पाल भारती** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी इस समिति की सचिव हैं।

निदेशक (खानपान सेवाएं) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

बी. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय–

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की भूमिका संक्षेप में इस प्रकार है-

(i) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिन्हें वरिष्ठ प्रबंधन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;

(ii) वरिष्ठ प्रबंधन को देय समस्त पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो, बोर्ड को अनुशंसित करना;

(iii) निर्धारित सीमा के भीतर और भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन और इसके वितरण के लिए अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए नीति तय करना;

(iv) कार्यपालकों के लिए सुविधाएं और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाना और संशोधन करना;

(v) कार्यपालकों और गैर-कार्यपालकों के लिए मुआवजे की कोई नई योजना, जैसा भी मामला हो;

(vi) मानव संसाधन योजना एवं प्रबंधन, मानव संसाधन नीतियों एवं पहलों से संबंधित सभी मुद्दों/क्षेत्रों पर विचार करना;

(vii) ऐसी अन्य गतिविधियों को निष्पादित करना जो बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जा सकती हैं और/या कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमों और डीपीई दिशा-निर्देशों या किसी अन्य लागू कानून के तहत सांविधिक रूप से निर्धारित हैं।

#केवल वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के संबंध में लागू। वरिष्ठ प्रबंधन का अर्थ कंपनी के ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों से होगा जो निदेशक मंडल को छोड़कर इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक (सीईओ/प्रबंधक सहित, यदि वे बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं) से एक स्तर नीचे के सभी सदस्य शामिल होंगे और इसमें विशेष रूप से प्रकार्यात्मक प्रमुख, चाहे पदनाम कुछ भी हो और कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (बोर्ड स्तर से नीचे) और प्रकार्यात्मक प्रमुख शामिल होंगे।

सी. वर्ष के दौरान बैठक एवं उपस्थिति–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की चार बैठकें हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	28वीं	26 मई, 2023	3	3
2.	29वीं	07 नवंबर, 2023	4	3
3.	30वीं	12 फरवरी, 2024	4	3
4.	31वीं	18 मार्च, 2024	4	4

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है–

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	श्री नामग्याल वांगचुक स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	4	4	0	100%
2.	श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	4	4	0	100%
3.	श्री नीरज शर्मा सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	4	0	2	50%
4.	श्री देवेन्द्र पाल भारती स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (4 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	3	3	0	100%

डी. बोर्ड सदस्यों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन–

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) (3) और (4) के प्रावधानों से छूट दी थी, जिसके अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रत्येक निदेशक के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। यह परिपत्र सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों से छूट प्रदान करता है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड और उसकी समितियों तथा निदेशक जो कंपनी के प्रशासनिक प्रभारी है, द्वारा अपने स्वयं के कार्य–निष्पादन औपचारिक मूल्यांकन के तरीके के बारे में प्रावधान है, यदि निदेशकों का मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा, एमसीए ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से यह भी निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कार्य–निष्पादन की समीक्षा और मूल्यांकन तंत्र से संबंधित प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। विनियम 19 की प्रयोज्यता के लिए सेबी से इसी तरह की छूट अभी प्रतीक्षित है।

ई. पूर्णकालिक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक–

पूर्णकालिक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण इस रिपोर्ट के **पैरा 10** में दिया गया है।

हस्त/–
(नामग्याल वांगचुक)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09397676

स्थान– नई दिल्ली
दिनांक– 19 जुलाई, 2024

6.0 हितधारक संबंध समिति

विनय कुमार शर्मा
अध्यक्ष, हितधारक संबंध समिति

ए. हितधारक संबंध समिति का संघटन–

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति का पिछली बार 17 फरवरी, 2024 को पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक, हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे–

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री विनय कुमार शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री नीरज शर्मा,** सरकार द्वारा नामित निदेशक	अध्यक्ष
3.	**डॉ. लोकैया रविकुमार,** निदेशक (खानपान सेवाएं)	अध्यक्ष
4.	**श्री राहुल हिमालियन,** निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	अध्यक्ष

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

बी. हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय–

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची II के भाग डी में निर्दिष्ट हितधारक संबंध समिति की भूमिका इस प्रकार है–

(i) आईआरसीटीसी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के अंतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट और घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में आईआरसीटीसी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा;

(iv) दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

सी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति–

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की कुल एक बैठक हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	हितधारक संबंध समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	5वीं	12 फरवरी, 2024	4	4

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है-

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1	0	100%
2.	श्री के. के. मिश्रा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (1 जून, 2023 से 16 फरवरी, 2024 तक)	1	1	0	100%
3.	श्री नीरज शर्मा सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	1	0	1	100%
4.	डॉ. लोकैया रविकुमार निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य	1	1	0	100%
5.	श्री राहुल हिमालियन निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)	सदस्य (17 फरवरी, 2024 से प्रभावी)	0	0	0	लागू नहीं।

डी. निवेशकों की शिकायत का निवारण-

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों, सुझावों और शिकायतों का शीघ्रता से समाधान करती है और उन्हें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हल करती है।

शेयर अंतरण का कोई भी अनुरोध 30 दिनों से अधिक लंबित नहीं रहता है। अमूर्त शेयरों के सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की जाती है और आरटीए द्वारा आमतौर पर 10-12 कार्य दिवसों के भीतर निवेशकों और निक्षेपागार सहभागियों को पुष्टि की सूचना दी जाती है।

वर्ष के दौरान, लाभांश/आईपीओ/ओएफएस आदि की प्राप्ति नहीं होने सहित 56 शिकायतें प्राप्त हुईं और समय पर उनका निपटान किया गया।

ई. शिकायतों का निपटान-

निवेशक अपनी शिकायतें नीचे बताए गए तरीके से दर्ज कर सकते हैं-

क्र.सं.	शिकायत की प्रकृति	संपर्क विवरण	की जाने वाली कार्रवाई
1.	लाभांश (अंतरिम लाभांश) और आईपीओ/ओएफएस से संबंधित मामले; **मूर्त शेयरों के लिए -**पता, स्थिति, बैंक खाता, अधिदेश, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन।	अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, पता: 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 फ़ोन नंबर: 011- 42541234/ 011-42541954 फैक्स नं.: 011- 42541201 वेबसाइट: www.alankit.com ईमेल आईडी: : virendersalankit.com rtaalankit.com रपव abhinavkaalankit.com	सादे कागज पर शिकायत की प्रकृति बताते हुए,जैसा भी मामला हो, फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर मूल शेयरों और अन्य दस्तावेजों/कागजातों का पत्र में उल्लेख करना चाहिए।
2.	**डीमैट में रखे गए शेयरों के लिए-** पता, स्थिति, बैंक खाता, अधिदेश, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन।	शेयरधारक के साथ निक्षेपागार सहभागी (डीपी) अपना खाता बनाए रखता है।	संबंधित डीपी के निर्देशानुसार।
3.	किसी अन्य श्रेणी की शिकायतें	**कंपनी सचिव इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** फ़ोन नंबर: 011-23327746 investorsirctc.com	सादे कागज पर शिकायत की प्रकृति, फोलियो/डीपीआईडी/क्लाइंट आईडी नंबर, नाम और पता, ईमेल आईडी और संपर्क विवरण बताएं।

लाभांश के निर्बाध भुगतान के लिए, सभी निवेशकों से अनुरोध है कि वे अपने क्लाइंट मास्टर (डीपी के पास अनुरक्षित) को सही बैंक विवरण और आईएफएससी तथा ईमेल पते के साथ अपडेट करें। मूर्त रूप से शेयर रखने वाले धारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित बैंक खातों में सीधे लाभांश के अंतरण के लिए बैंक अधिदेश दें।

एफ. अघोषित लाभांश और वार्षिक रिपोर्ट-

कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट, वार्षिक रिपोर्ट और सांविधिक सूचनाएं समय पर भेजी जाएं। अदत्त/अदावी लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/iepf.html, लिंक पर उपलब्ध है, और इस रिपोर्ट में भी इसका प्रकटण किया गया है।

हस्त/-

(विनय कुमार शर्मा)

अध्यक्ष

डीआईएन: 03604125

स्थान- नई दिल्ली

दिनांक- 19 जुलाई, 2024

7.0 सीएसआर और एसडी समिति

संजय कुमार जैन
अध्यक्ष, सीएसआर एवं एसडी समिति

ए. सीएसआर एवं एसडी समिति की संघटन–

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों में बदलाव होने पर सीएसआर और एसडी समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति का पिछली बार 10 जनवरी 2024 को पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च 2024 तक, सीएसआर और एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे–

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री संजय कुमार जैन,** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री अजीत कुमार,** नदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	सदस्य
3.	**श्री नीरज शर्मा,** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4.	**श्री नामग्याल वांगचुक,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

श्री संदीप त्रिवेदी, जीजीएम (एचआरडी) सीएसआर एवं एसडी समिति के नोडल अधिकारी होने के नाते समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

बी. सीएसआर एवं एसडी समिति के विचारार्थ विषय–

सीएसआर एवं एसडी समिति के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं–

(i) बोर्ड के लिए सीएसआर नीति तैयार करना और उसकी सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी;

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की समीक्षा और अनुशंसा करना;

(iii) समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की अनुवीक्षण करना;

(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

(v) कंपनी की सीएसआर पहलों पर रणनीति तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

(vi) निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद या निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाने वाला कोई अन्य मामला जो सीएसआर समिति उचित समझे।

सी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की पाँच बैठकें हुईं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	42वीं	6 मई, 2023	4	4
2.	43वीं	04 जुलाई, 2023	4	4
3.	44वीं	06 नवंबर, 2023	4	4
4.	45वीं	10 फरवरी, 2024	4	4
5.	46वीं	18 मार्च, 2024	4	4

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित सीएसआर और एसडी समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है–

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	श्रीमती रजनी हसीजा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (31 मई, 2023 तक)	1	1	0	100%
2.	श्रीमती सीमा कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (01 जून, 2023 से 09 जनवरी, 2024 तक)	2	2	0	100%
3.	श्री संजय कुमार जैन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (10 जनवरी, 2024 से प्रभावी)	2	2	0	100%
4.	श्री अजीत कुमार निदेशक (वित्त)	सदस्य	5	5	0	100%
5.	श्री नीरज शर्मा सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	5	0	5	100%
6.	श्री नामग्याल वांगचुक स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	5	5	0	100%

डी. वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियां–

कंपनी के सीएसआर परिदृष्टि, गतिविधियों और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किए गए बजट के साथ–साथ वर्ष के लिए सीएसआर की मुख्य मुख्य बातों का विवरण सीएसआर रिपोर्ट **निदेशक की रिपोर्ट के अनुलग्नक–सी** के तहत प्रदान किया गया है।

हस्त/–
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09629741

स्थान– नई दिल्ली
दिनांक– 19 जुलाई, 2024

8.0 जोखिम प्रबंधन समिति

संजय कुमार जैन
अध्यक्ष, जोखिम प्रबंधन समिति

ए. जोखिम प्रबंधन समिति का संघटन–

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों में बदलाव होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान, समिति का पिछली बार 10 जनवरी 2024 को पुनर्गठन किया गया था। 31 मार्च, 2024 तक जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे–

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री संजय कुमार जैन,**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री अजीत कुमार,**निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	सदस्य
3.	**डॉ. लोकैया रविकुमार,** निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य
4.	**श्री विनय कुमार शर्मा,** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) और प्रमुख/विधिक समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

बी. जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय–

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय संक्षेप में नीचे उल्लिखित किए गए हैं–

(1) विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करें जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे–

(ए) सूचीबद्ध संस्था द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी-संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या कोई अन्य जोखिम जो समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।;

(बी) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय;

(सी) व्यवसाय निरंतरता योजना।

(2) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों के अनुवीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हों;

(3) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की अनुवीक्षण और देखरेख करना;

(4) जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक समीक्षा करना, कम से कम दो वर्षों में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है;

(5) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना;

(6) मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा (यदि कोई हो)। निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, आरएमसी अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी, ऐसे मामलों में जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप है;

(7) यदि आवश्यक समझा जाए तो आरएमसी के पास किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने और संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की शक्तियां होंगी;

(8) कार्य-वार जोखिम रजिस्टरों की तिमाही समीक्षा;

(9) जोखिम-न्यूनीकरण योजना और इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर जोखिम प्रोफ़ाइल दस्तावेज़ की समीक्षा करना;

(10) जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन जानकारी प्रदान करना तथा आरएमसी से अनुमोदन प्राप्त करना;

(11) कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशा-निर्देशों में परिवर्तन/संशोधन के कारण समिति को सौंपी गई कोई अन्य भूमिका।

सी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति–

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की तीन बार बैठक हुई है, जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	16वीं	03 अगस्त, 2023	4	4
2.	17वीं	06 नवंबर, 2023	4	4
3.	18वीं	10 फरवरी, 2024	4	4

अींशपवरपलश`ष शरलह ाशालशी रीं ंहश ठळीज्ञ चरपरसशाशपीं ेाळींशश ाशशींळपसी हशश्रव वीीळपस 2023-24 ळी री ंपिवशी:

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	श्रीमती रजनी हसीजा निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष (31 मई, 2023 तक)	0	0	0	लागू नहीं।
2.	श्रीमती सीमा कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष (01 जून, 2023 से 09 जनवरी, 2024 तक)	2	2	0	100%
3.	श्री संजय कुमार जैन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (10 जनवरी, 2024 से प्रभावी)	1	1	0	100%
4.	श्री अजीत कुमार निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3	0	100%
5.	डॉ. एल. रविकुमार निदेशक (खानपान सेवाएं)	सदस्य	3	3	0	100%
6.	श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	2	1	100%

डी. जोखिम की पहचान, समीक्षा और शमन योजना–

पहचाने गए जोखिमों, समीक्षा और उनकी शमन रणनीतियों पर विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट यानी, **निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक- ए** में शामिल हैं।

हस्त/-
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष
डीआईएन: 09629741

स्थान- नई दिल्ली
दिनांक- 19 जुलाई, 2024

9.0 निदेशकों का पारिश्रमिक

i. पूर्णकालिक (कार्यपालक) निदेशकों का पारिश्रमिक

केंद्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम और सरकारी कंपनी होने के नाते, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और वे सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान और सरकार द्वारा जारी उनकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है-

(रु. में)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	वेतन	अनुलब्धियां	अन्य लाभ	कार्य निष्पादन पुरस्कार	पीएफ में अंशदान	एनपीएस/ एफएससी में अंशदान	कुल
1.	श्रीमती रजनी हसीजा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई, 2023 तक)	31,08,706	1,50,582	70,322	19,87,392	78,978	63,060	54,59,040
2.	श्री संजय कुमार जैन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 14.02.2024 से नियमित प्रभार और 10.01.2024 से 13.02.2024 तक अतिरिक्त प्रभार	6,48,674	564	-	-	65,358	52,163	7,66,759
3.	श्री अजीत कुमार निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	48,16,945	1,29,822	4,71,969	25,78,040	4,83,377	3,85,963	88,66,116
4.	डॉ. लोकैया रविकुमार निदेशक (खानपान सेवाएं)	41,96,039	-	2,48,556	11,58,474	3,41,288	2,72,292	62,16,649
5.	श्री राहुल हिमालियन निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (16 फरवरी, 2024 से प्रभावी)	4,79,261	230	-	-	48,328	38,540	5,66,359
	कुल	**132,49,625**	**2,81,198**	**7,90,847**	**57,23,906**	**10,17,329**	**8,12,018**	**218,74,923**

ii. सरकार द्वारा नामित निदेशकों को पारिश्रमिक-

रेल मंत्रालय द्वारा बोर्ड में नामांकित सरकार द्वारा नामित निदेशक, निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं, लेकिन सरकारी अधिकारियों के रूप में भारत सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के तहत अपना पारिश्रमिक लेते हैं।

iii. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कंपनी सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी-

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची (II) के भाग ए (ई) में निर्दिष्ट निदेशक मंडल, सीएफओ और कंपनी सचिव के स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों का पारिश्रमिक, समय-समय पर बोर्ड को अनुमोदित/सूचित किया जाता है।

iv. वरिष्ठ प्रबंधन–

पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए बदलावों सहित वरिष्ठ प्रबंधन के विवरण इस प्रकार हैं–

नाम	पदनाम	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान हुए बदलाव
श्री पराग अग्रवाल	पूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी	आईआरसीटीसी में प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के कारण 29 सितंबर, 2023 से सीवीओ का पद संभालना बंद कर दिया गया।
श्री प्रदीप कुमार	मुख्य सतर्कता अधिकारी	28 दिसंबर 2023 से नियुक्त
श्री जफर आजम	जीजीएम (पूर्वी क्षेत्र)	–
श्री राहुल हिमालियन	पूर्व जीजीएम (पश्चिम क्षेत्र)	निदेशक (टी एंड एम)/आईआरसीटीसी के रूप में नियुक्ति के कारण 16 फरवरी, 2024 से प्रभावी जीजीएम (पश्चिम क्षेत्र) का पद संभालना बंद कर दिया गया।
श्री करण सिंह	पूर्व जीजीएम (उत्तर क्षेत्र)	श्री करण सिंह, जिन्हें 29 सितंबर, 2023 को जीजीएम (उत्तर क्षेत्र) के रूप में नियुक्त किया गया था, ने एम्स, नई दिल्ली में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद पर चयन के कारण 08 दिसंबर, 2023 से प्रभावी जीजीएम (उत्तर क्षेत्र) का पद संभालना बंद कर दिया।
श्री पी. राजलिंगम बसु	जीजीएम (दक्षिण क्षेत्र)	–
श्री पी. राज कुमार	जीजीएम (दक्षिण मध्य क्षेत्र)	–
श्री सुदीश वी.सी.	जीजीएम (आईटी–1)	
श्री सुनील कुमार	जीजीएम (आईटी–2)	–
श्री संदीप त्रिवेदी	जीजीएम (एचआरडी एवं राजभाषा)	–
श्री संजय प्रियदर्शनम	जीजीएम (रेलनीर परियोजनाएं)	–
श्री गैसिंगम काबुई	जीजीएम (वित्त)	–
श्रीमती रश्मि गौतम	जीजीएम (एससीएस और विधिक/सीओ)	–
श्री तनवीर हसन	पूर्व जीजीएम (पर्यटन)	भारत सरकार के रेल मंत्रालय की सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण 05 सितंबर, 2023 से जीजीएम (पर्यटन) का पद संभालना बंद कर दिया गया।
श्रीमती प्रोमिला गुप्ता	जीजीएम (पर्यटन)	12 जनवरी 2024 से नियुक्त किया गया है।
श्री अवधेश कुमार	जीजीएम (सेवाएं)	प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के कारण 11 नवंबर, 2023 से प्रभावी जीजीएम (सेवाओं) का पद संभालना बंद कर दिया गया।
श्री सुरेश कुमार शर्मा	जीजीएम (सेवाएं)	08 फरवरी 2024 से नियुक्त किया गया है।
श्री विनय कुमार पाठक	जीजीएम (खरीद और निविदा)	–

v. स्वतंत्र निदेशकों का पारिश्रमिक–

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 25,000 रु. (मात्र पच्चीस हजार रु.) और बोर्ड द्वारा निर्धारित बोर्ड स्तरीय समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 20,000 रु. (मात्र बीस हजार रु.) के अलावा अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है। वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान किए गए बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क*		कुल
		बोर्ड की बैठकें	समिति की बैठकें	
1.	श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 03604125)	1,75,000.00	3,20,000.00	4,95,000.00
2.	श्री नामग्याल वांगचुक स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 09397676)	1,75,000.00	300000.00	4,75,000.00
3.	श्री देवेन्द्र पाल भारती स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 10198557) (09.06.2023 से प्रभावी)	1,50,000.00	1,40,000.00	2,90,000.00
	कुल	**500000.00**	**760000.00**	**1260000.00**

*बैठक शुल्क के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन/आवास/परिवहन व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

10.0 अन्य कार्यात्मक समितियां

10.1 रणनीतिक समिति

ए. रणनीतिक समिति की संघटन–

31 मार्च 2024 तक, सामरिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे–

क्र. सं.	सदस्यों के नाम	पद
1.	**श्री संजय कुमार जैन** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	**श्री अजीत कुमार** निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	सदस्य
3.	**श्री मनोज कुमार गांगेय** सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4.	**श्री विनय कुमार शर्मा** स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

बी. रणनीतिक समिति के विचारार्थ विषय–

रणनीतिक समिति के विचारार्थ विषय संक्षेप में नीचे दिए गए हैं–

(i) कंपनी की दीर्घकालिक व्यावसायिक रणनीति की समीक्षा और उसका समर्थन करना;

(ii) नए भौगोलिक क्षेत्रों, व्यवसायों या प्रौद्योगिकियों में विकास रणनीतियों और कार्यनीतिक दिशा में किसी भी बदलाव की समीक्षा और समर्थन करना;

(iii) 5-वर्षीय व्यवसाय योजना और वार्षिक व्यवसाय योजना की समीक्षा और उसका समर्थन करना;

(iv) किसी भी कंपनी में नए निवेश या परिसंपत्तियों या नई कंपनियों के अधिग्रहण के संबंध में, निवेश के लिए रणनीतिक औचित्य, उचित परिश्रम रिपोर्ट के निष्कर्षों और निवेश शर्तों की बातचीत की समीक्षा और समर्थन करना।

सी. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति–

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति की दो बार बैठक हुई है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	कार्यनीतिक समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तिथि	समिति की संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1.	तीसरी	10 फरवरी, 2024	4	4
2.	चौथी	18 मार्च, 2024	4	3

वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित कार्यनीतिक समिति की बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है–

क्र. सं..	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
1.	श्रीमती रजनी हसीजा निदेशक (पर्यटन एव विपणन) एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष (31 मई, 2023 तक)	0	0	0	लागू नहीं।
2.	श्रीमती सीमा कुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	अध्यक्ष (01 जून, 2023 से 09 जनवरी, 2024 तक)	0	0	0	लागू नहीं।
3.	श्री संजय कुमार जैन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (10 जनवरी, 2024 से प्रभावी)	2	2	0	100%
4.	श्री अजीत कुमार निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	सदस्य	2	2	0	100%

क्र. सं..	सदस्यों के नाम	पद	बैठकों की संख्या			
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		उपस्थिति का %
				व्यक्तिगत रूप से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए	
5.	श्री मनोज कुमार गांगेय सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य	2	1	0	50%
6.	श्री विनय कुमार शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2	0	100%

*बैठक शुल्क के अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भोजन/आवास/परिवहन व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाती है।

10.2 निवेश समिति

डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अधिशेष धन के अल्पकालिक परिनियोजन हेतु निवेश निर्णय लेने के लिए आईआरसीटीसी की निवेश समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को सूचना हेतु निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (खानपान सेवाएं) शामिल हैं। आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं और इसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं।

10.3 कार्यकारी बोर्ड समिति

आईआरसीटीसी में ई-6 तक के कर्मचारियों के लिए भर्ती, समावेशन और पदोन्नति के चैनलों की नीति(यों) और मसौदा तैयार करने तथा आंतरिक विश्लेषण आदि के उद्देश्य से कंपनी के नए उद्यमों, व्यावसायिक क्षेत्रों का विकास, परिचालन निष्पादन सहित अन्य मुद्दों के लिए कार्यकारी बोर्ड की समिति का गठन किया गया है।

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) शामिल हैं।

कार्यकारी बोर्ड की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 22 जून, 2023, 04 अगस्त, 2023, 12 अक्तूबर, 2023, 13 जनवरी, 2024 और 16 जनवरी, 2024 को 5 (पांच) बार बैठक हुई। इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

आवश्यकता होने पर वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों को भी कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

10.4 प्रशासनिक समिति

बैंक खाते खोलने और बंद करने की मंजूरी; कंपनी की परियोजनाओं के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं की मांग के लिए वित्तीय संस्थानों से संपर्क करना; आबकारी, आयकर और अन्य लागू प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण के लिए अधिकारियों को अधिकृत करना तथा कंपनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें निष्पादित करने सहित संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया गया है।

प्रशासनिक समिति का पिछली बार 18 मार्च, 2024 को पुनर्गठन किया गया था। इस समिति में निदेशक (वित्त) निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और निदेशक (खानपान सेवाएं) शामिल हैं।

प्रशासनिक समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 14 मार्च, 2024 को एक बार बैठक हुई। इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

10.5 शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति शेयरों के अंतरण/प्रेषण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने, शेयरों का पुन:मूर्तीकृत, विभाजन, समेकन, नवीकरण और डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने आदि के अनुरोधों पर विचार करती है।

इस समिति में निदेशक (वित्त), निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) और कंपनी सचिव शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 20 फरवरी, 2024 को शेयर अंतरण समिति की एक बार बैठक हुई। इस बैठक में समिति के सभी सदस्यों ने भाग लिया।

श्रीमती सुमन कालरा, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी समिति की सचिव हैं।

11.0 स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, धारा 149 और कंपनी अधिनियम, 2013 के स्वतंत्र निदेशकों की संहिता और डीपीई दिशा-निर्देशों के तहत उल्लिखित प्रावधानों के संदर्भ में, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, 18 मार्च, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई।

तीनों स्वतंत्र निदेशकों ने उक्त बैठक में भाग लिया और बैठक का विवरण निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

12.0 सामान्य निकाय की बैठक

ए. वार्षिक आम बैठक (एजीएम)

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण इस प्रकार है–

एजीएम	वित्तीय वर्ष	दिनांक	दिन	समय	आयोजन स्थल	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
24वीं	वर्ष 2022-23	25 अगस्त, 2023	शुक्रवार	1230 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड कक्ष)	जी हाँ। श्री देवेन्द्र पाल भारती (डीआईएन-10198557) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी देने हेतु।
23वीं	वर्ष 2021-22	26 अगस्त, 2022	शुक्रवार	1230 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड कक्ष)	जी हाँ। एमओए के मुख्य उद्देश्य खंड में परिवर्तन हेतु।
22वीं	वर्ष 2020-21	29 सितंबर, 2021	बुधवार	1230 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से (आईआरसीटीसी बोर्ड कक्ष)	जी नहीं।

बी. असाधारण आम बैठक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सदस्यों की कोई असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गई।

सी. डाक मतपत्र

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया तथा तत्काल आधार पर डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

13.0 संप्रेषण के साधन

कंपनी अपने हितधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट, तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम, समाचार/प्रेस/मीडिया विज्ञप्ति, प्रस्तुतीकरण आदि तथा समय-समय पर कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com पर किए गए प्रकटण के माध्यम से संवाद स्थापित करती है।

- **वार्षिक रिपोर्ट –** वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल होती है, जो सदस्यों, हितधारकों और अन्य संबंधित सदस्यों को परिचालित की जाती है। कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com पर वार्षिक रिपोर्ट को डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में भी उपलब्ध कराया गया है।
- **समाचार/प्रेस/मीडिया विज्ञप्ति, प्रस्तुतीकरण –** महत्वपूर्ण कार्पोरेट निर्णयों और गतिविधियों पर आधिकारिक समाचार/प्रेस/मीडिया विज्ञप्ति आम तौर पर स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती हैं और कंपनी की वेबसाइट और उसके सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से हितधारकों के लिए भी सुलभ बनाई जाती हैं।
- **तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम–** कंपनी नियमित रूप से सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार बोर्ड की मंजूरी के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को गैर-लेखापरीक्षित और साथ ही लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सूचना देती है। परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com पर भी उपलब्ध हैं और व्यापक प्रसार के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं।
- **समाचार पत्र प्रकाशन:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राष्ट्रीय और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में तिमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रकाशित किए गए हैं –

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र का संस्करण
30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही	10 अगस्त, 2023	बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी संस्करण) और अमर उजाला, बिजनेस स्टैंडर्ड और दैनिक सेवरा टाइम्स (हिंदी संस्करण में)
30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही	08 नवंबर, 2023	फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, और फ्री प्रेस जर्नल मुंबई (अंग्रेजी संस्करण) और जनसता और दैनिक सवेरा टाइम्स (हिंदी संस्करण)
31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौमाही	14 फरवरी, 2023	इकोनॉमिक टाइम्स और स्टेट्समैन (अंग्रेजी संस्करण) और नवभारत टाइम्स (हिंदी संस्करण)
तिमाही और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष	29 मई, 2024	हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट (अंग्रेजी संस्करण), मेट्रो वार्ता (मलयालम संस्करण में) और हिंदुस्तान हिंदी (हिंदी संस्करण)।

- **वार्षिक आम बैठक का वेबकास्ट –** कंपनी ने 25 अगस्त, 2023 को आयोजित 24वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही का लाइव वेबकास्ट किया है।

- **वेबसाइट –** कंपनी की वेबसाइट www.irctc.com में अलग विशेष खंड निवेशक संबंध' शामिल है जहां शेयरधारकों के लिए जानकारी उपलब्ध है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, शेयरधारिता पैटर्न, नीतियों, सहमति ज्ञापनों और कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट आदि वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी के बारे में जानकारी, नवीनतम अद्यतन सूचनाएं और घोषणाओं को कंपनी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जैसा कि नीचे बताया गया है–

  - तिमाही/ छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम
  - तिमाही शेयरधारिता पैटन
  - तिमाही कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोट
  - विश्लेषकों के साथ सम्मेलनों का प्रतिलेख
  - समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाए
  - निवेशकों/विश्लेषकों की बैठक का कार्यक्रम
  - संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतिकरण
  - कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) और अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड (आरटीए) की ई–मेल आईडी विशेष रूप से निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से वेबसाइट पर निवेशक कॉर्नर के तहत निवेशक संपर्क शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है।

- **एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस):** एनईएपीएस, कार्पोरेट के लिए एनएसई द्वारा डिजाइन की गई वेब–आधारित एप्लीकेशन है। सभी आवधिक/ घटना–आधारित अनुपालन फाइलिंग जैसे शेयरहोल्डिंग पैटर्न, कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, मीडिया विज्ञप्ति, निवेशक शिकायतों का बयान, एनईएपीएस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं।

- **बीएसई कार्पोरेट कम्प्लायंस एंड लिस्टिंग सेंटर (लिस्टिंग सेंटर) –** बीएसई का लिस्टिंग सेंटर कार्पोरेट के लिए डिज़ाइन की गई वेब–आधारित एप्लिकेशन है। सभी आवधिक/घटना–आधारित अनुपालन फाइलिंग जैसे शेयरहोल्डिंग पैटर्न, कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, मीडिया विज्ञप्ति, निवेशक शिकायतों का बयान, अन्य के बीच सूचीबद्धता केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर किए जाते हैं।

- **सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर) निवेशक शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब–**आधारित शिकायत निवारण प्रणाली में दर्ज किया जाता है। इस प्रणाली की मुख्य विशेषताओं में सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस, संबंधित कंपनियों द्वारा कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) का ऑनलाइन अपलोड और शिकायत पर की गई कार्रवाई और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में निवेशकों द्वारा ऑनलाइन अवलोकन शामिल हैं।

- **विशेष रूप से समर्पित ईमेल–आईडी –** कंपनी ने निवेशक सेवाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित ईमेल आईडी investorsirctc.com और ciroirctc.com को नामित किया है।

14.0 शेयरधारकों के लिए सामान्य सूचना

i. चालू वर्ष की वार्षिक आम बैठक –

दिन – शुक्रवार
दिनांक – 30 अगस्त, 2024
समय – 1230 बजे
आयोजन स्थल – 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 को जारी सामान्य परिपत्र के अनुसार 5 मई, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से बैठक आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस एजीएम की सूचना देखें।

ii. वित्तीय वर्ष –

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

iii. समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वित्तीय कैलेंडर (अस्थायी) परिणाम –

30 जून, 2024 - अगस्त, 2024 का दूसरा सप्ताह

30 सितंबर, 2024- नवंबर, 2024 का दूसरे सप्ताह

31 दिसंबर, 2024–फरवरी, 2025 का दूसरा सप्ताह

31 मार्च, 2025- मई 2025 का चौथा सप्ताह

वार्षिक आम बैठक - अगस्त, 2025

आईआरसीटीसी की प्रतिभूतियों में लेन–देन के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोजर अवधि को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाता है और कंपनी के नामित कर्मचारियों को परिचालित करने के अलावा कंपनी की वेबसाइट पर भी होस्ट किया जाता है। ट्रेडिंग विंडो आम तौर पर कंपनी के 'अंदरूनी सूत्रों' के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से लेकर तिमाही के वित्तीय परिणाम शेयर बाजारों में दाखिल किए जाने के 48 घंटे बाद तक बंद रहती है और आम तौर पर उपलब्ध हो जाती है, जब तक कि कंपनी सचिव द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है।

iv. पुस्त बंदी –

कंपनी के सदस्यों और शेयर हस्तांतरण पुस्तकों का रजिस्टर **शनिवार, 24 अगस्त, 2024 से शुक्रवार, 30 अगस्त, 2024 तक बंद रहेगा (दोनों दिन शामिल)।**

v. लाभांश वितरण नीति –

कंपनी के पास एक लाभांश वितरण नीति है जो अपने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। इस नीति के पीछे का उद्देश्य व्यापक रूप से उन मापदंडों को निर्दिष्ट करना है जिन पर लाभांश की घोषणा करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियां जिनके तहत

कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश की उम्मीद नहीं की जा सकती हैं और उनके द्वारा प्राप्त आय का उपयोग कैसे किया जाएगा। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43ए की आवश्यकता के अनुसार, यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर दिए लिंक https://irctc.com/assets/images/IRCTCšDIVIDEND%20DISTRIBUTION%20POLICY-š31.07.2019šCB%20Comments%2005.08.2019.pdf में अपलोड की गई है।

vi. लाभांश का भुगतान –

कंपनी ने दिसंबर, 2023 के महीने में 200 करोड़ रु. के प्रति इक्विटी शेयर पर 2.50 रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। कंपनी ने दिसंबर, 2023 के महीने में 200 करोड़ रु. के प्रति इक्विटी शेयर पर 2.50 रु. के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश 6.50 रु. प्रति इक्विटी शेयर है, जो 520 करोड़ रु. है।

vii. लाभांश का इतिहास –

वित्तीय वर्ष	कुल चुकता पूंजी (करोड़ रु. में)	प्रदत लाभांश की कुल राशि (करोड़ रु. में)	बोर्ड बैठक/एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	अंतरिम / अंतिम
2010-11	20.00	12.16 (6.08 रु. प्रति शेयर)	22 सितम्बर, 2011	अंतिम
2011-12	20.00	4.00 (2.00 रु. प्रति शेयर)	29 मार्च, 2012	अंतरिम
		5.71 (2.855 रु. प्रति शेयर)	27 सितम्बर, 2012	अंतरिम
2012-13	20.00	11.77 (5.885 रु. प्रति शेयर)	27 सितम्बर, 2013	अंतिम
2013-14	20.00	14.40 (7.20 रु. प्रति शेयर)	11 सितम्बर, 2014	अंतिम
2014-15	20.00	26.13 (13.065 रु.प्रति शेयर)	18 सितंबर, 2015	अंतिम
2015-16	20.00	75.45 (37.725 रु.प्रति शेयर)	27 सितंबर, 2016	अंतिम
2016-17	40.00	37.50 (9.375 रु. प्रति शेयर)	10 मार्च, 2017	अंतरिम
		47.18 (11.795 रु. प्रति शेयर)	20 सितंबर, 2017	अंतिम
2017-18	40.00	88.81 (22.202 रु.प्रति शेयर)	27 सितंबर, 2018	अंतिम
2018-19	160.00	60.00 (3.75 रु. प्रति शेयर)	20 दिसंबर, 2018	अंतरिम
		62.37 (3.898 रु. प्रति शेयर)	28 अगस्त, 2019	अंतिम
2019-20	160.00	160.00 (10 रु. प्रति शेयर)	12 फरवरी, 2020	अंतरिम
		40 (2.5 रु. प्रति शेयर)	27 अक्तूबर, 2020	अंतिम
2020-21	160.00	80 (5.00 रु. प्रति शेयर)	29 सितंबर, 2021	अंतिम
2021-22	160.00	160.00 (2.00 रु. प्रति शेयर)	8 फरवरी, 2022	अंतरिम
	160.00	120.00 (1.5 रु. प्रति शेयर)	26 अगस्त, 2022	अंतिम
2022-23	160.00	280.00 (3.50 रु. प्रति शेयर)	9 फरवरी, 2023	अंतरिम
	160.00	160.00 (2.00 रु. प्रति शेयर)	25 अगस्त, 2023	अंतिम
2023-24	160.00	200.00 (2.50 रु. प्रति शेयर)	7 नवंबर, 2023	अंतरिम

viii. आईईपीएफ के प्रावधानों के तहत कंपनी के नोडल और उप नोडल अधिकारी का विवरण नीचे दिया गया है–

नोडल अधिकारी– श्रीमती सुमन कालरा
कंपनी सचिव
फ़ोन नंबर +91 11 23327746
ईमेल आईडी companysecretary@irctc.com
उप नोडल अधिकारी – श्री प्रशांत सिंह
सहायक प्रबंधक/सचिवीय
फ़ोन नंबर +91 11 23311263
ईमेल आईडी prashant.singh@irctc.com

कंपनी के नोडल अधिकारी और उप नोडल अधिकारी का विवरण तथा अदत्त/अदावी लाभांश राशि और आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों से संबंधित अन्य विवरण वेबसाइट पर वेब लिंक https://www.irctc.com/iepf.html पर उपलब्ध है।

ix. स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्धता (लिस्टिंग) –

आईआरसीटीसी की प्रतिभूतियां निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)
आईएसआईएन– INE335Y01020 (इक्विटी शेयर)	
पता: फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 स्क्रिप कोड: 542830	**पता:** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 सिम्बल: आईआरसीटीसी

x. सूचीबद्धता शुल्क–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को किया गया है।

xi. निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के लिए अभिरक्षक शुल्क–

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक अभिरक्षक शुल्क का भुगतान किया गया है।

xii. सूचकांकों की तुलना में आईआरसीटीसी का बाजार मूल्य डेटा और निष्पादन–

बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी के साथ आईआरसीटीसी शेयर की कीमत (01.04.2023 से 31.03.2024 तक) की तुलना नीचे दी गई है–

i. **बीएसई सेंसेक्स और आईआरसीटीसी शेयर की कीमत**

महीना	बीएसई सेंसेक्स			बीएसई पर आईआरसीटीसी शेयर मूल्य		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)
अप्रैल–23	61,209.46	58,793.08	61,112.44	619.40	564.65	617.50
मई–23	63,036.12	61,002.17	62,622.24	653.70	604.00	649.45
जून–23	64,768.58	62,359.14	64,718.56	675.15	621.85	635.25
जुलाई–23	67,619.17	64,836.16	66,527.67	642.50	614.45	640.55
अगस्त–23	66,658.12	64,723.63	64,831.41	686.00	630.45	672.15
सितंबर–23	67,927.23	64,818.37	65,828.41	758.10	661.05	680.70
अक्तूबर–23	66,592.16	63,092.98	63,874.93	726.50	636.10	665.70
नवंबर–23	67,069.89	63,550.46	66,988.44	720.30	650.05	705.25
दिसंबर–23	72,484.34	67,149.07	72,240.26	916.35	700.00	886.65
जनवरी–24	73,427.59	70,001.60	71,752.11	1,049.75	866.80	978.35
फरवरी–24	73,413.93	70,809.84	72,500.30	993.20	876.75	926.90
मार्च–24	74,245.17	71,674.42	73,651.35	960.90	863.00	929.95

ii. **बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आईआरसीटीसी शेयर की कीमत का निष्पादन–**

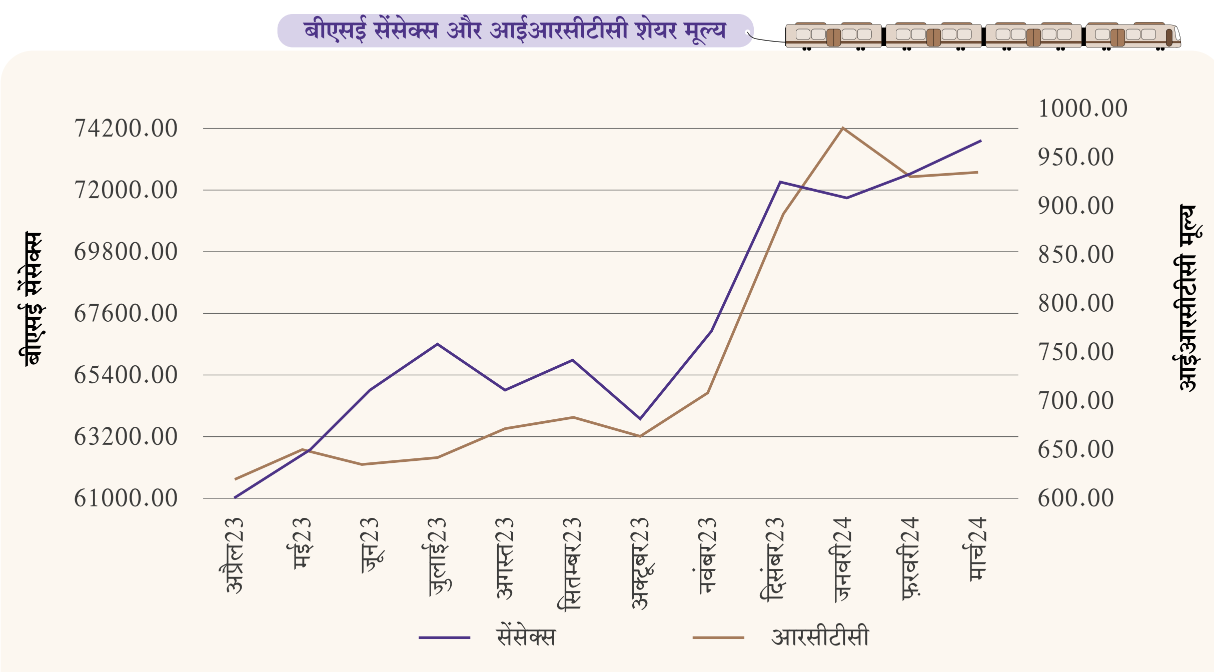

iii. एनएसई निफ्टी और आईआरसीटीसी शेयर की कीमत

महीना	एनएसई निफ्टी			एनएसई पर आईआरसीटीसी शेयर की कीमत		
	उच्च	निम्न	बंद	उच्च (₹)	निम्न (₹)	बंद (₹)
अप्रैल-23	18089.15	17312.75	18065.00	619.65	564.55	617.80
मई-23	18662.45	18042.4	18534.40	653.70	604.10	649.50
जून-23	19201.70	18464.55	19189.05	675.00	621.65	635.10
जुलाई-23	19999.85	19234.4	19753.80	642.65	614.35	640.65
अगस्त-23	19795.60	19223.65	19253.80	686.00	630.60	672.00
सितंबर-23	20222.45	19255.70	19638.30	758.00	661.00	680.85
अक्तूबर-23	19849.75	18837.85	19079.60	726.50	635.55	665.35
नवंबर-23	20158.70	18973.70	20133.15	719.90	649.70	705.75
दिसंबर-23	21801.45	20183.70	21731.40	916.50	700.00	887.50
जनवरी-24	22124.15	21137.20	21725.70	1049.00	866.80	977.20
फरवरी-24	22297.50	21530.20	21982.80	933.50	877.00	927.40
मार्च-24	22526.60	21710.2	22326.90	961.00	862.75	929.70

ii. एनएसई निफ्टी की तुलना में आईआरसीटीसी शेयर की कीमत का निष्पादन-

एनएसई निफ्टी और आईआरसीटीसी शेयर मूल्य

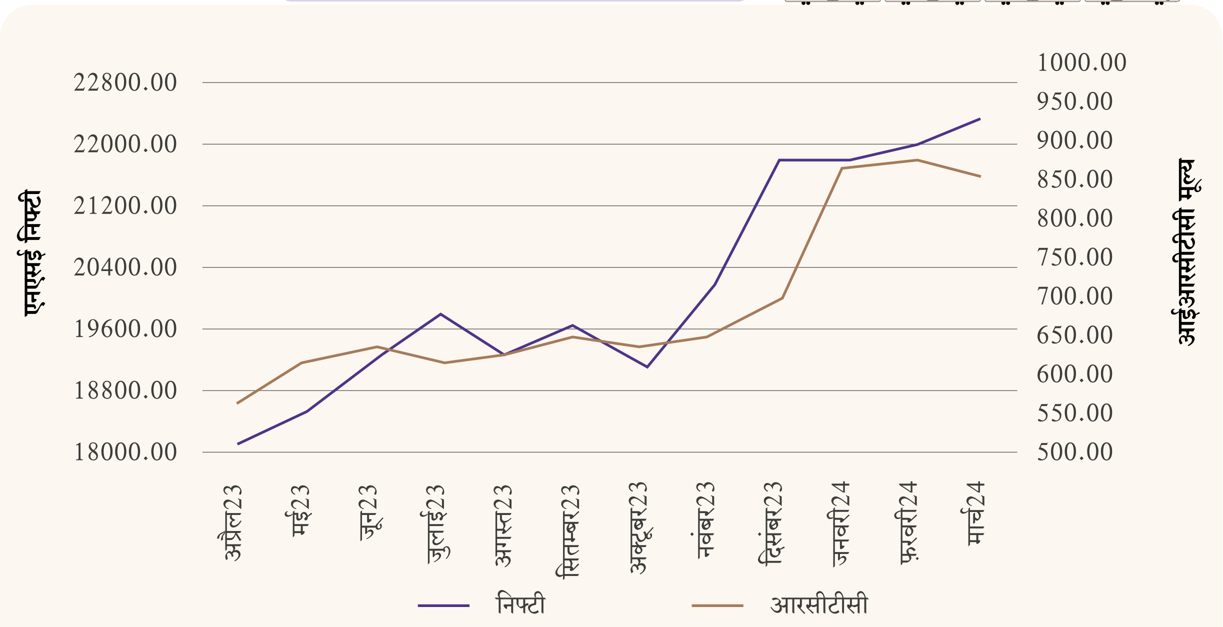

xiii. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों को व्यापार से निलंबित नहीं किया गया है।

xiv. शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट-

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड,
पता: 4ई/2, अलंकित हाउस,
झंडेवालान एक्सटेंशन,
झंडेवालान मेट्रो स्टेशन के पास,
नई दिल्ली-110055
ईमेल आईडी: rta@alankit.com
फ़ोन नंबर: 011-42541234

xv. शेयर अंतरण प्रणाली-

सेबी ने यह निर्धारित किया है कि 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिभूतियों के प्रभावी अंतरण (संचरण या ट्रांसपोजीशन मामलों को छोड़कर) के अनुरोधों को तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि प्रतिभूतियों को निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) के साथ अमूर्त रूप में नहीं रखा जाता है।

अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड मूर्त और डीमैट शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का निक्षेपागार इंटरफेस भी है।

मूर्त, समेकन और डुप्लिकेट शेयरों के निर्गम के लिए प्राप्त अनुरोध की देखरेख शेयर प्रमाण पत्र निर्गम हेतु शेयर अंतरण समिति द्वारा की जाती है।

इस रिपोर्ट वर्ष के दौरान, आरटीए द्वारा मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के अंतरण के लिए किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की गई।

अमूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते, बैंक खाते का विवरण और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। मूर्त रूप में शेयर रखने वालों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संबंधित फोलियो के लिए पैन, नामांकन, संपर्क विवरण, बैंक खाते का विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करें। शेयरधारक आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 40 (9) और (10) के अनुसार, कार्यरत कंपनी सचिव की ओर से प्रमाण पत्र, जो यह पुष्टि करता है कि सभी प्रमाण पत्र अंतरण, उप-विभाजन, समेकन, नवीकरण, कॉल/आबंटन धन के पृष्ठांकन के लिए आवेदन की तारीख के तीस दिनों के भीतर जारी किए गए थे और निर्धारित समय के भीतर वार्षिक आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों में जमा कर दिए गए थे।

xvi. 31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता पैटर्न–

i) 31 मार्च 2024 तक विभिन्न श्रेणियों की शेयरधारिता–

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की कुल संख्या	% में धारित राशि
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	1	499172170	62.40
कंपनियों या निगमित निकायों द्वारा शेयरधारिता जहां केन्द्र/राज्य सरकार प्रोत्साहक है	1	576	0.00
म्यूचुअल फंड	26	23782092	2.97
वैकल्पिक निवेश फंड	1	875	0.00
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	481	64638254	8.08
बैंक	6	27689	0.00
बीमा कंपनियां	15	76839811	9.60
भविष्य निधि/पेंशन निधि	1	1176511	0.15
निवासी व्यक्ति	1879974	125561958	15.70
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी	4	25931	0.00
कॉर्पोरेट निकाय	1679	2503508	0.31
समाशोधन सदस्य	67	121812	0.02
कर्मचारी	228	179102	0.02
अनिवासी भारतीय (एनआरआई)	15561	3553997	0.45
विदेशी नागरिक	2	292	0.00
एचयूएफ	12240	2373002	0.30
न्यास	17	34220	0.00
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (श्रेणी-III)	1	4800	0.00
निदेशक और उनके रिश्तेदार	2	3400	0.00
कुल	**1910307**	**800000000**	**100.00**

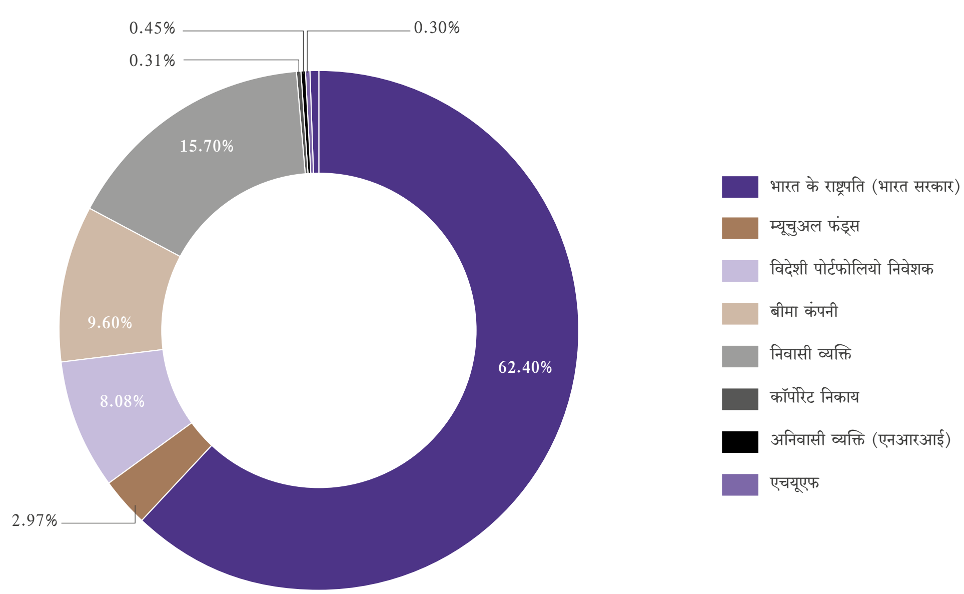

ii) 31 मार्च 2024 तक धारित राशि के आकार के अनुसार IRCTC के शेयरों का वितरण–

विवरण	शेयरधारकों की संख्या			धारक का %	शेयरों की संख्या			शेयरधारिता का %
	मूर्तीकृत धारक	डीमैट धारक	कुल धारक		मूर्तीकृत धारक	डीमैट शेयर	कुल धारित राशि	
1 से 500	3	1876042	1876045	98.21	225	88894249	88894474	11.11
501 से 1000	0	22276	22276	1.17	0	16219205	16219205	2.03
1001 से 2000	0	7659	7659	0.40	0	10803321	10803321	1.35
2001 से 3000	0	1926	1926	0.10	0	4802509	4802509	0.60
3001 से 4000	0	711	711	0.04	0	2500249	2500249	0.31
4001 से 5000	0	475	475	0.02	0	2218972	2218972	0.28
5001 से 10000	0	610	610	0.03	0	4265272	4265272	0.53
10001 से अधिक*	0	605	605	0.03	0	670295998	670295998	83.79
कुल	**3**	**1910304**	**1910307**	**100.00**	**225**	**799999775**	**800000000**	**100.00**

*इसमें भारत के राष्ट्रपति की 499172170 इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी शामिल है।

iii) 31 मार्च 2024 तक शीर्ष 10 शेयरधारक–

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	% में धारित राशि
भारत के राष्ट्रपति	499172170	62.3965
भारतीय जीवन बीमा निगम	73618832	9.2024
वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड	4119414	0.5149
वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स फंड, वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड्स की श्रृंखला	4041827	0.5052
एसबीआई एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 50 ईटीएफ	3343817	0.4180
सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल	3117100	0.3896
क्वांट म्यूचुअल फंड - क्वांट टेक फंड	2780000	0.3475
सिंगापुर सरकार	2471331	0.3089
आईशेयर्स कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ	2456350	0.3070
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड एकाउंट केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज	2376276	0.2970
कुल	**597497117**	**74.6871**

iv.) 31 मार्च 2024 तक शेयरधारकों का भौगोलिक वितरण

शहर का नाम	फ़ोलियो/धारकों की संख्या	प्रतिशत	धारित राशि	प्रतिशत
नई दिल्ली*	99968	5.11	508403790	63.55
मुंबई	206417	10.55	185201056	23.14
बेंगलूरु	66021	3.37	6141928	0.77
पुणे	63504	3.24	4933041	0.62
कोलकाता	49666	2.54	4752589	0.59
हैदराबाद	39890	2.04	3548028	0.44
अहमदाबाद	36842	1.88	3476236	0.43
चेन्नई	37588	1.92	3590405	0.45
सूरत	34604	1.77	2137582	0.27
अन्य शहर	1275807	67.58	77815345	9.74
कुल	**1910307**	**100**	**800000000**	**100**

*इसमें राष्ट्रपति के पास 499172170 इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी शामिल है।

xvii. शेयरों और नकदी का अमूर्त करना–

कंपनी के शेयर अमूर्त रूप में हैं और दोनों निक्षेपागार यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की प्रणालियों के तहत व्यापार के लिए उपलब्ध हैं।

शेयर पूंजी लेखापरीक्षा का मिलान यह पुष्टि करता है कि कंपनी की कुल जारी पूंजी मूर्तीकृत रूप में शेयरों की कुल संख्या और एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रखे गए अमूर्त रूप में शेयरों की कुल संख्या के साथ मेल खाती है, इसे तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत किया जाता है। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के 99.99% से अधिक इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में हैं।

31 मार्च 2024 तक अमूर्त और मूर्तीकृत रूप में रखे गए शेयरों की संख्या

विवरण	कुल शेयर	इक्विटी का %*
मूर्त रूप में रखे गए शेयर	225	नगण्य
एनएसडीएल के पास अमूर्त रूप में रखे गए शेयर	72,10,58,080	90.13%
सीडीएसएल के पास अमूर्त रूप में रखे गए शेयर	7,89,41,695	9.87%
कुल	**80,00,00,000**	**100**

*दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित किया गया है।

निक्षेपागारों के पत्राचार विवरण इस प्रकार हैं–

विवरण	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड	सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
पता	ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई - 400 013	मैराथन फ्यूचरएक्स, ए-विंग, 25वीं मंजिल, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013
टेलीफोन	+91-22-2499 4200 1-800-222-990	+91-22-2305 8640/24/39/42/63 1-800-22-5533
ईमेल	relations@nsdl.co.in info@nsdl.co.in	helpdesk@cdslindia.com complaints@cdslindia.com
वेबसाइट	https://nsdl.co.in/	www.cdslindia.com

xviii. चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का इतिहास

वित्तीय वर्ष	आबंटन की तिथि	इक्विटी शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	इक्विटी शेयरों की संचयी संख्या	संचयी चुकता इक्विटी शेयर पूंजी	लेन-देन की प्रकृति और आवंटितियों का नाम
1999-00	27 सितंबर, 1999	7	10	7	70	एमओए को अंशदान
2000-01	30 जून, 2000	4,999,993	10	5,000,000	50,000,000	आगे जारी
2001-02	3 अगस्त, 2001	15,000,000	10	20,000,000	200,000,000	आगे जारी
2016-17	30 मार्च, 2017	20,000,000	10	40,000,000	400,000,000	1:1 के अनुपात में बोनस जारी
2018-19	29 मार्च, 2019	120,000,000	10	160,000,000	1,600,000,000	3:1 के अनुपात में बोनस जारी
2021-22	29 अक्तूबर, 2021 (रिकॉर्ड तिथि)	-	2	800,000,000	1,600,000,000	1:5 के अनुपात में विभाजित

ixx. पण्य कीमत जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और बचाव व्यवस्था (हेजिंग) गतिविधियां–

कंपनी एक्सचेंज का कारोबार नहीं करती है, इसलिए 15 नवंबर 2018 के सेबी परिपत्र के अनुसार प्रकटण उपलब्ध नहीं है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा से संबंधित जोखिम के विवरण के लिए कृपया **जोखिम और चिंताएं** के अंतर्गत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट देखें।

xx. बकाया वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर)/अमेरिकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर)/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत–

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है जिसका इक्विटी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए, 31 मार्च, 2024 तक कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट/परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं हैं।

xxi. संयंत्र स्थान/ परिचालन इकाइयां–

कंपनी का पंजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा, कंपनी अपने रेल नीर संयंत्रों के साथ-साथ भारत भर में विभिन्न आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करती है। विभिन्न राज्यों में रेल नीर संयंत्रों और आंचलिक कार्यालयों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

xxii. पंजीकृत कार्यालय के साथ पत्राचार का पता (इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल कार्पोरेट गवर्नेंस मामलों के संबंध में)–

श्रीमती सुमन कालरा,

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,

बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001

टेलीफोन: 91-11-23327746

ई-मेल आईडी: companysecretaryirctc.com

वेबसाइट: www.irctc.com

xxiii. मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) का संपर्क विवरण–

सीआईआरओ की अध्यक्षता वाला विभाग भारत और विदेशों में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और निवेश बैंकरों, अनुसंधान विश्लेषकों और संस्थागत निवेशकों के साथ नियमित बातचीत सहित आवधिक बैठकों के माध्यम से घनिष्ठ संपर्क बनाए रखने और जानकारी साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कंपनी द्वारा सीआईआरओ के रूप में नियुक्त एजीएम/वित्त/लेखा श्री अनिल कुमार शर्मा को उचित और निष्पक्ष तरीके से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के प्रसार और प्रकटण से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीआईआरओ का संपर्क विवरण कंपनी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इसे यहां भी दिया गया है-:

श्री अनिल कुमार शर्मा,
एजीएम/वित्त
11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 110001
टेलीफोन: 91-11-23701230
ई-मेल आईडी: ciro@irctc.com
वेबसाइट: www.irctc.com

xxiv. कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची-

कंपनी ने 2023-24 के दौरान किसी भी एजेंसी से कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं ली है।

xxv. कार्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल-

हरित पहल के अनुसरण में, कंपनी केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वार्षिक आम बैठक बुलाने के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति भेजती है, जिनकी ई-मेल आईडी एमसीए और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत की गई है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.irctc.com पर भी उपलब्ध करायी जाती है।

xxvi. निदेशक और अधिकारी बीमा-

आईआरसीटीसी के पास निदेशक और अधिकारी बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी) है। वर्तमान डी एंड ओ नीति में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25 (10) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं।

xxvii. स्टॉक एक्सचेंज में विवाद समाधान तंत्र-

सेबी ने 31 जुलाई 2023 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/131 के साथ 04 अगस्त 2023 के सेबी परिपत्र के माध्यम से कंपनियों को सलाह दी है कि वे उक्त परिपत्र के प्रावधानों को निवेशकों/ग्राहकों के ध्यान में लाएं और साथ ही इसे अपनी वेबसाइट पर प्रसारित करें तथा अपनी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप के होम पेज पर ओडीआर पोर्टल का लिंक प्रदर्शित करें।

इन निर्देशों के अनुपालन में और स्टॉक एक्सचेंजों में विवाद समाधान तंत्र के संबंध में निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए, उपर्युक्त सेबी परिपत्र कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसे https://www.irctc.com/assets/images/Combined-ODR.pdf लिंक पर क्लिक करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा, स्मार्ट ओडीआर पोर्टल (ओडीआर पोर्टल के माध्यम से समाधान के लिए प्रतिभूति बाजार दृष्टिकोण) का लिंक भी वेब लिंक https://www.irctc.com/investor-contact.html पर उपलब्ध है।

xxviii. सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले समझौते-

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची III, पैरा ए, खंड 5 ए के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करने या कंपनी पर कोई प्रतिबंध लगाने या कोई देयता बनाने वाले कोई समझौते वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नहीं किए गए।

xxix. सहायक कंपनी-

आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड को 10 फरवरी, 2024 को भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय के लिए आईआरसीटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त आईआरसीटीसी के बोर्ड के समक्ष जानकारी हेतु रखे जाते हैं। वित्तीय विवरण, विशेष रूप से आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा आईआरसीटीसी की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई। निदेशकों, सीईओ, सीएफओ और कंपनी सचिव का विवरण कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/Subsidairy.html पर अपलोड किया गया है।

15.0 अन्य प्रकटण

(i) आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटण, जिसका बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है- वर्ष 2023-24 के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर व्यवसाय के सामान्य क्रम में हैं। कंपनी ने एओसी-2 में रिपोर्ट किए जाने योग्य कोई भी संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं किया है और तदनुसार उक्त सूचना शून्य है।

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और संबंधित पक्ष प्रकटण पर लेखांकन मानक-24 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 44 में प्रकट किया गया है। कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए भौतिकता सीमा निर्धारित करने और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के आधार पर कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन से निपटने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है। इसमें कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेन-देन नहीं था, जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

इसके अलावा, कंपनी ने निदेशक(कों) या प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ कोई महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन नहीं किया है, जिसमें वे सीधे या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में रुचि रखते हैं।

(ii) वेब लिंक जहां संबंधित पक्ष लेन–देन से निपटने की नीति है– संबंधित पक्ष लेन–देन से निपटने की नीति के लिए वेब–लिंक https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20RPTš07112022.pdf पर अपलोड किया गया है।

(iii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रकटण आवश्यकताएं– कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013, लागू सचिवीय मानकों और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित सभी आवश्यकताओं का पालन किया है, जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया गया है, समीक्षाधीन वर्ष के लिए एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, जिसके कारण कंपनी 31 मार्च, 2024 को निदेशक मंडल के संघटन के संबंध में गैर–अनुपालक रही थी। गैर–अनुपालन बोर्ड और कंपनी के नियंत्रण से परे थे।

कंपनी ने पहले ही रेल मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह कंपनी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में तेजी लाए, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों के लागू वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(iv) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर–अनुपालन का विवरण, स्टॉक एक्सचेंज या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए दंड की संरचना, या पूंजी बाजार से संबंधित कोई मामला–

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार या सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था और/या कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया था, सिवाय इसके कि जैसा कि इसमें बताया गया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल थी, जैसा कि निदेशक मंडल के संघटन के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है।

कंपनी के पास सांविधिक और प्रक्रियात्मक अनुपालन के अनुवीक्षण के लिए प्रणालियां मौजूद हैं। बोर्ड को तिमाही आधार पर इसकी स्थिति बताई जाती है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(v) सतर्कता तंत्र – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 22, और सेबी (भेदिया व्यापार की रोकथाम) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी ने सचेतक नीति और सतर्कता तंत्र को लागू किया है ताकि कर्मचारी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता पर कंपनी के सामान्य दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट कर सकें और निदेशकों और कर्मचारियों को तंत्र का लाभ उठाने के लिए उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षा प्रदान कर सकें तथा प्रबंधकीय कर्मियों को उन कर्मचारियों के प्रति कोई भी प्रतिकूल व्यक्तिगत कार्रवाई करने से रोक सकें। आईआरसीटीसी की सचेतक नीति और सतर्कता तंत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता या सचेतककर्ता को उचित या असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच होगी, जहां उसकी राय है कि शिकायत सीएमडी से नहीं की जा सकती है, बशर्ते कि इसके लिए वैध औचित्य प्रस्तुत किया जाए। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया और सचेतक नीति के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। मुख्य सतर्कता आयोग द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा सतर्कता विभाग के कार्य–निष्पादन की भी समीक्षा की गई।

सचेतक नीति और सतर्कता तंत्र कंपनी की वेबसाइट पर वेब–लिंक https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20whistleblower%20policy%202024%20recived%20from%20CVO%20IRCTC%20090224%20(1)-14-02-2024.pdf पर उपलब्ध है।

(vi) सूचीबद्ध संस्था की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें निगमन की तिथि और स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तिथि शामिल है–

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी का नाम	निगमन की तिथि और स्थान	सांविधिक लेखापरीक्षक का नाम एवं नियुक्ति तिथि
कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका नाम आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड है।	10 फरवरी, 2024	नाम– गुप्ता गोयल एवं खन्ना
वर्तमान में, आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के दायरे में नहीं आती है।	पंजीकृत कार्यालय– बी–148, 11वीं मंजिल, ए विंग स्टेट्समैन हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001	नियुक्ति की तिथि– 20 जून, 2024

(vii) वेब लिंक जहां ममहत्वपूर्णफसहायक कंपनियों के निर्धारण नीति का प्रकटण किया गया है– कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1) (सी) के अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए एक नीति तैयार की है। महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति को वेब–लिंक https://irctc.com/assets/images/Policy%20for%20determining%20Material%20Subsidiaryš08-07-24.pdf पर अपलोड किया गया है।

(viii) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण– वर्ष के दौरान, अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थानों के नियोजन के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

(ix) निदेशकों की अयोग्यता के लिए प्रमाण पत्र– सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची 5 पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार, मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि कंपनी के बोर्ड में किसी भी निदेशक को, बोर्ड/कार्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी भी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है,को **परिशिष्ट– बी–4** के रूप में रखा गया है।

(x) बोर्ड की समितियों की सिफारिशें– वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने बोर्ड की समितियों की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिन्हें समितियों द्वारा अनुमोदन के लिए अनिवार्य रूप से अनुशंसित किया जाना आवश्यक है।

(xi) सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क संस्था की सभी संस्थाओं को दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है– समेकित आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षक को अदा किए गए शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है–

(रु. करोड़ में)

लेखापरीक्षकों को भुगतान	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	0.18	0.16
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.05	0.04
प्रमाणन और अन्य सेवाएं	0.11	0.11
यात्रा और जेब से होने वाले व्यय	0.09	0.12

(xii) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन– कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना की रिपोर्ट होने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाती है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए नीति का वेब-लिंक https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Policy%20for%20Prevention%20OF%20Sexual%20Harassment%20Of%20Women%20t%20Workplaceš12š6š23.pdf पर अपलोड किया गया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त, निपटाई गई और लंबित शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है–

1 अप्रैल 2023 तक की स्थिति	1 (एक)
वर्ष के दौरान प्राप्त	2 (दो)
वर्ष के दौरान निपटारा	2 (दो)
31 मार्च 2024 तक लंबित	1 (एक)

(xiii) बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता–

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार और आचार संहिताफ (संहिता) को अपनाया है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/assets/images/CODE%20OF%20CONDUCT%20FOR%20IRCTC%20030223(1)3mar.pdf पर उपलब्ध है।

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय और आचार संहिताफ (संहिताफ्र) को अपनाया है। यह कोड कंपनी की वेबसाइट पर सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों से आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति की पुष्टि करने वाले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा को **परिशिष्ट– बी–1** के रूप में रखा गया है।

(xiv) आईआरसीटीसी लिमिटेड की प्रतिभूतियों में भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए कोड–

समय-समय पर संशोधित सेबी (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसरण में, कंपनी ने अंदरूनी लोगों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिताफ और भेदिया व्यापार की रोकथाम के लिए निष्पक्ष प्रकटीकरण प्रथाओंके कोड को तैयार कर कार्यान्वित किया गया है।

संहिता का उद्देश्य किसी अंदरूनी सूत्र द्वारा अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर कंपनी के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकना है। इस संहिता के अंतर्गत, नामित कर्मचारी/अंदरूनी सूत्र (सभी निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, सभी समूह महाप्रबंधक, सभी महाप्रबंधक, इकाइयों/प्रभागों/क्षेत्रों के सभी वित्त प्रमुख, सभी अंचलों/क्षेत्रों/संयंत्रों के प्रमुख (पदनामचाहे जो भी हो), डीजीएम और उससे ऊपर के स्तर के सभी कर्मचारी, कार्पोरेट वित्त के बहीखाता, बजट, वित्तीय सेवा और प्रत्यक्ष कराधान अनुभागों में कार्यरत सभी कर्मचारी, कंपनी सचिवालय और विधिक विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी, सीएमडी/प्रकार्यात्मक निदेशकों के सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारी, आईटी स्टाफ जैसे कोई भी सहायक स्टाफ जिनकी यूपीएसआई तक पहुंच है और कोई भी अन्य प्रमुख व्यक्ति, जो अनुपालन अधिकारी की राय में नामित कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं।

निर्धारित कोड के अनुसार, आईआरसीटीसी की प्रतिभूतियों में निर्दिष्ट सीमा से परे लेनदेन करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होती है। सभी नामित कर्मचारियों को भी संहिता में परिभाषित अनुसार समय-समय पर संबंधित जानकारी का प्रकटण करना भी आवश्यक है।

कंपनी सचिव श्रीमती सुमन कालरा को संहिता के तहत अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। भेदिया व्यापार संहिता की प्रति कंपनी की वेबसाइट में दी गए लिंक https://www.irctc.com/assets/images/Final%20mended%20Code%2008.02.2022%20(1).pdf पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी ने अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के प्रवाह को पकड़ने के लिए एक वेब-आधारित संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) स्थापित किया है। डेटाबेस एसडीडी में दर्ज प्रविष्टियों, लेखापरीक्षा लॉग रिपोर्ट, यूपीएसआई में प्रवेश करने का समय और तारीख आदि का ऑडिट ट्रेल बनाए रखता है। कंपनी सेबी (भेदिया व्यापार निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन की पुष्टि करते हुए, एक कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त तिमाही प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल कर रही है।

(xv) कंपनी ने बोर्ड, समितियों और कार्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, समय-समय पर संशोधित की गई आवश्यकताओं; और सेबी (एलओडीआर) विनियम के विनियम 46 के तहत आवश्यक रूप से कंपनी की वेबसाइट को बनाए रखना और अद्यतन करने का अनुपालन किया है सिवाय इसके कि वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति न होने के कारण गैर-अनुपालक रही। इसके अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 46 के अनुपालन में, कंपनी ने अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय का विवरण, निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों के संघटन, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन आदि के लिए व्यावसायिक आचार संहिता जैसी संबंधित जानकारी का प्रकटण अपनी वेबसाइट https://irctc.com/DisclosurešunderšRegulationš46šofšSEBIš(LODR)šRegulations.html पर किया है।

(xvi) डीमैट उचंत खाते/दावा नहीं की गए उचंत खाते के संबंध में प्रकटण– वर्ष 2023-24 के दौरान, डीमैट उचंत खाते या दावा नहीं की गए उचंत खाते में कोई शेयर नहीं थे।

(xvii) ऋण की प्रकृति में फर्मों/कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम जिनमें निदेशक, नाम और राशि से रुचि रखते है– जिन फर्मों/कंपनियों में निदेशक रुचि रखते है, उनके लिए ऋण की प्रकृति में किसी भी तरह का अग्रिम नहीं दिया गया।

(xviii) अदत्त/अदावी लाभांश – कंपनी के अदत्त लाभांश खाते में स्थानांतरित होने की तिथि से सात वर्षों तक अदत्त/अदावी लाभांश की राशि को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। अभी तक, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में कोई राशि स्थानांतरित नहीं की जानी है।

हालांकि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतरिम लाभांश के लिए 31 मार्च, 2024 तक अदत्त/लावारिस लाभांश की राशि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतरिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतरिम लाभांश, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतरिम लाभांश को कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक के साथ अपलोड किया गया है- https://www.irctc.com/iepf.html

(xix) वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण–

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
अन्य व्यय	174.42	162.70
वित्त लागत	18.64	16.11
कुल व्यय	2879.84	2335.09
अन्य व्यय/कुल व्यय (%)	6.06	6.97
वित्त लागत/कुल व्यय (%)	0.64	0.68

(xx) लेखापरीक्षा योग्यताएं – कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। लेखापरीक्षा अवलोकनों/टिप्पणियों के लिए, मेसर्स एन.के. भार्गव एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय विवरणों असंशोधित है।

(xxi) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग – आंतरिक लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा समिति तक सीधी पहुंच होती है।

(xxii) वर्ष 2023-24 के दौरान व्यवसाय के अलावा अन्य किसी भी व्यय मद को लेखा पुस्तकों में नामे नहीं किया गया।

(xxiii) व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति के होते हैं और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए जाते हैं- वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो, सिवाय भारत सरकार के वेतनमानों के अनुसार उन्हें दिए गए पारिश्रमिक के, जैसा कि इस रिपोर्ट में और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट संख्या 30 में बताया गया है।

(xxiv) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस), यथासंशोधित, और भारत में आमतौर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

(xxv) लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए गए हैं।

(xxvi) पिछले 3 वर्षों के दौरान, आपकी कंपनी को कोई भी राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

(xxvii) कंपनी समय-समय पर बोर्ड को जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में अपनी परियोजनाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में सूचित करती है। जोखिम प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में **जोखिम और चिंताएं** शीर्षक के तहत दिए गए हैं।

16.0 विवेकाधीन आवश्यकताएं

ए) **बोर्ड –** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की समापन और/या नियुक्ति का उल्लेख निदेशकों की रिपोर्ट में अन्यत्र किया गया है।

बी) **शेयरधारकों के अधिकार –** कंपनी के तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं और कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/financial-result.html पर भी डाले जाते हैं। निवेशकों/विश्लेषकों की बैठकों की सूचना, कॉल ट्रांसक्रिप्ट कंपनी की वेबसाइट https://www.irctc.com/Schedule%20of%20Investors%20meet.html पर डाले जाते हैं और महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित सूचनाएं स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाती है और साथ ही शेयरधारकों और आम जनता को ऐसे आयोजनों के बारे में जागरूक करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

17.0 सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (8) के अनुसार, श्री संजय कुमार जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, और श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को 28 मई 2024 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा गया और बाद में उसी दिन आयोजित निदेशक मंडल की बैठक के समक्ष रखा गया। लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रस्तुत विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र **परिशिष्ट- बी-2 के** रूप में रखा गया है।

18.0 लोक उद्यम विभाग द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता

आपकी कंपनी ने सीपीएसई के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस, 2010 पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश के तहत निर्धारित समय के भीतर रेल मंत्रालय और डीपीई को निर्दिष्ट प्रारूप में कार्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

19.0 सचिवीय लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और डीपीई दिशा-निर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में, मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा की गई है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा होगी।

सेबी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 08.02.2019 की आवश्यकताओं के संदर्भ में, मेसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स ने लागू सेबी दिशा-निर्देशों के संबंध में अनुपालन की जांच की है और वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट जारी की है, जिसे 22 मई, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों को भी प्रस्तुत किया गया।

20.0 कार्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन

कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (i) में निर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमों के गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, उसका रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और स्टॉक एक्सचेंज को उचित रूप से उत्तर दिया गया है। इसके अलावा, अनुसूची-V भाग-सी के पैरा 2-10 में निर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

यह रिपोर्ट डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन करती है जिसका प्रकटण वर्ष 2023-24 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया जाना चाहिए। लोक उद्यम विभाग और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण पत्र को इस रिपोर्ट में **परिशिष्ट- बी-3** के रूप में शामिल किया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से
एसडी/-
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09629741

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई, 2024

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट– बी–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, संजय कुमार जैन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी की आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के साथ अपने अनुपालन की पुष्टि की है।

एसडी/–
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09629741

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई, 2024

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट- बी-2

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
नई दिल्ली

(ए) हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार-

i. इन विवरणों में कोई भी तथ्यात्मक रूप से असत्य विवरण शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छोड़ा गया है या ऐसे विवरण शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

ii. ये विवरण मिलकर कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

(b) जहां तक जानकारी और विश्वास है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

(सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इसका प्रकटण किया है कि जहां तक जानकारी और विश्वास है, ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कोई कमी नहीं है।

(डी) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को इंगित किया है कि-

i. वर्ष के दौरान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

ii. लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए हैं।

iii. ऐसी कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटना नहीं हुई है जिसके बारे में हमें जानकारी हो।

	एसडी/-	**एसडी/-**
	(श्री संजय कुमार जैन)	**(अजीत कुमार)**
दिनांक- 28.05.2024	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
स्थान- नई दिल्ली	डीआईएन: 09629741	डीआईएन: 07247362

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट– बी–3

कार्पोरेट गवर्नेंस अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

1. हमने **31 मार्च, 2024** को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीआईएनः एल 74899डीएल1999जीओआई101707** (कंपनी) द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों, जैसा कि विनियम 17 से 27 और धारा 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) की अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित है तथा जैसा कि मई 2010 में जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देशों में निर्धारित अनुसार, अनुपालन की जांच की है।

2. कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में कार्पोरेट गवर्नेंस पर सूचीबद्धता विनियमों और डीपीई दिशा–निर्देशों में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

3. हमारी जिम्मेदारी कार्पोरेट गवर्नेंस पर सूचीबद्धता विनियमों और डीपीई दिशा–निर्देशों में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

4. संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने **31 मार्च, 2024** को समाप्त वर्ष के दौरान विनियम 17 से 27 और धारा 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और सेबी सूचीबद्धता विनियमों की अनुसूची V के पैरा सी और डी तथा कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित के अधीन है–

   निदेशक मंडल के संघटन के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल थी, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशा–निर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है।

5. इसके अलावा, हम सूचित करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते, कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(स्वत्वधारी)
एफसीएस– 1807; सी.पी.नं.– 14984
पीआर– 610/2019
एफआरएन– S2015UP440500
यूडीआईएन– F001807F000646176

स्थान– नोएडा
दिनांक– 01 जुलाई, 2024

निदेशक की रिपोर्ट का परिशिष्ट- बी-4

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण-पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम,
2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)

हमने **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका सीआईएन L74899DL1999GOI101707** है और कार्यालय **11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001** (जिसे इसके बाद मकंपनीफ कहा गया है) में है, के निदेशकों से प्राप्त और इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणी और प्रकटणों की जांच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची v पैरा-सी उप खण्ड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार की है।

हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और सत्यापन के अनुसार पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित) की स्थिति के रूप में आवश्यक माना जाता है और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि **31 मार्च 2024** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, जैसा कि नीचे बताया गया है-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्रीमती रजनी हसीजा	08083674	18/05/2018	31/05/2023
2.	श्रीमती सीमा कुमार	10064353	01/06/2023	09/01/2024
3.	श्री कमलेश कुमार मिश्रा	10186377	01/06/2023	16/02/2024
4.	श्री नीरज शर्मा	08177824	12/07/2018	निरंतरता जारी है।
5.	श्री अजित कुमार	07247362	29/05/2020	निरंतरता जारी है।
6.	श्री विनय कुमार शर्मा	03604125	09/11/2021	निरंतरता जारी है।
7.	श्री नामग्याल वांगचुक	09397676	12/11/2021	निरंतरता जारी है।
8.	श्री मनोज कुमार गांगेय	09744752	21/09/2022	निरंतरता जारी है।
9.	डॉ. लोकैया रविकुमार	10045466	11/02/2023	निरंतरता जारी है।
10.	श्री. देवेन्द्र पाल भारती श्री राहुल हिमालयन	10198557	09/06/2023	निरंतरता जारी है।
11.	श्री संजय कुमार जैन	09629741	10/01/2024	निरंतरता जारी है।
12.	श्री राहुल हिमालियन	10393348	16/02/2024	निरंतरता जारी है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करें। यह प्रमाण-पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते, कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(स्वत्वधारी)
एफसीएस- 1807; सी.पी.नं.- 14984
पीआर- 610/2019
एफआरएन- S2015UP440500
यूडीआईएन-F001807F000646165

स्थान- नोएडा
दिनांक- 01 जुलाई, 2024

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा–

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व और स्थिरता नीति आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर रूप से काम करने की हमारी प्रतिबद्धता है, जो पारदर्शी और नैतिक है। कंपनी के मिशन के साथ सरेखित, हमारी सीएसआर पहल को हमारी सीएसआर नीति में व्यक्त किए गए निम्नलिखित प्रमुख मूल्यों को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

रेल यात्रियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक एक जिम्मेदार कॉर्पो रेट संस्था बने रहना।

आईआरसीटीसी में सीएसआर समिति की सिफारिशों के बाद, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित नीति के साथ मजबूत सीएसआर ढांचा है। यह ढांचा दो–स्तरीय प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है– स्तर–I में बोर्ड–स्तरीय समिति शामिल होती है, जबकि स्तर–II में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों (जीजीएम) की बोर्ड स्तर से नीचे की समिति शामिल होती है, जो सीएसआर कार्यों के निष्पादन में स्तर–ख को सहायता प्रदान करती है। आईआरसीटीसी व्यावसायिक नैतिकता और पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि इसका संचालन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से किफायती हो। सीएसआर पहलों के माध्यम से, कंपनी का उद्देश्य समुदाय की सद्भावना को बढ़ावा देना और निवेशकों, शेयरधारकों, ग्राहकों, व्यापार भागीदारों, नागरिक समाज समूहों और सरकारी संस्थाओं सहित हितधारकों के बीच एक सकारात्मक, सामाजिक रूप से जिम्मेदार कार्पोरेट छवि विकसित करना है। परियोजनाएं मुख्य रूप से समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हैं। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, सीएसआर व्यय मुख्य रूप से आईआरसीटीसी परिचालन के आसपास के स्थानीय क्षेत्रों में आवंटित किया जाता है, विशेष रूप से सरकार द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों के उन राज्यों में जहां कंपनी अपने कारोबार का विस्तार कर रही है औ। यह कार्यनीतिक दृष्टिकोण उन समुदायों में सार्थक प्रभाव डालने, सतत विकास और सामाजिक कल्याण में योगदान देने के प्रति हमारे समर्पण को रेखांकित करता है जहां हम काम करते हैं।

आईआरसीटीसी की सीएसआर पहल का उद्देश्य सकारात्मक और स्थायी परिणाम प्राप्त करना है जो समय के साथ स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणता और आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुरूप, हमारी सीएसआर नीति कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा और साक्षरता वृद्धि, सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित है। आईआरसीटीसी अपने व्यावसायिक परिचालनों और कार्यक्रमों में सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक विचारों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे प्रयासों का उद्देश्य सीमांत समूहों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के उत्थान पर विशेष जोर देने के साथ हमारे परिचालन क्षेत्रों में और उसके आसपास समुदायों को लाभ पहुंचाना है। समाज के कमजोर वर्गों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमारा लक्ष्य उनके जीवन की गुणवत्ता और समग्र कल्याण में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

सरकारी कंपनी होने के नाते, आईआरसीटीसी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा सीपीएसई के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन करती है। आपकी कंपनी डीपीई द्वारा निर्धारित वार्षिक विषय के अनुसार सीएसआर गतिविधियां करती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, कंपनी के ध्यान–केंद्रित क्षेत्र स्वास्थ्य और पोषण थे जिसमें सरकार द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों पर विशेष जोर दिया गया। कंपनी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार कार्य करती है। यह योजना हमारे प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, वर्ष के लिए हमारी सीएसआर पहलों और कार्यनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है। आईआरसीटीसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना और सीएसआर गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी वेब लिंक https://www.irctc.com/csršannualšactionšplan.html और https://www.irctc.com/csr-activities.html के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

2. सीएसआर समिति का संघटन–

31 मार्च, 2024 तक, सीएसआर एवं एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे–

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	श्री संजय कुमार जैन	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 14 फरवरी, 2024 से नियमित प्रभार और 10 जनवरी, 2024 से 13 फरवरी, 2024 तक अतिरिक्त प्रभार	2	2

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
2.	श्री अजीत कुमार	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	5	5
3.	श्री नीरज शर्मा	सरकार द्वारा नामित निदेशक	5	5
4.	श्री नामग्याल वांगचुक	स्वतंत्र निदेशक	5	5

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर प्रकटण किया गया है-

- https://www.irctc.com/board-committees.html
- https://www.irctc.com/vision.html
- https://www.irctc.com/csr-activities.html

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें।

चूंकि पिछले तीन वित्त वर्षों में आईआरसीटीसी का औसत सीएसआर दायित्व दस करोड़ रु. या उससे अधिक तक नहीं पहुंचा है, इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार, सीएसआर परियोजनाओं के स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता लागू नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने कम से कम एक वर्ष के लिए एक करोड़ रु. से अधिक के बजट वाली किसी भी सीएसआर परियोजना को पूरा नहीं किया है। हालांकि, आईआरसीटीसी सभी सहयोगी एनजीओ और संगठनों को हमारी सीएसआर परियोजनाओं के लिए आवंटित धन के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य करते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए, प्रत्येक क्षेत्र एक आंतरिक कार्यान्वयन निगरानी समूह (आईएसजी) संचालित करता है।

5. ए) **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का निवल शुद्ध लाभ-** 832.40 करोड़ रु.।

बी) **धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत-** 16.64 करोड़ रु.।

सी) **पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष-** शून्य

डी) **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो-** शून्य

ई) **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी-7सी)-** 16.64 करोड़ रु.।

6. ए) **सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (चल रही परियोजनाएं और उसके अलावा अन्य)-** 16.64 करोड़ रु.।

बी) **प्रशासनिक ऊपरीव्यय में व्यय की गई राशि-** 1.77 लाख रु.।

सी) **प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो-** लागू नहीं।

डी) **वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (ए+बी+सी)-** 16.64 करोड़ रु.।

ई) **वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि-**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कुल व्यय राशि (रु. में)	अव्ययित राशि (रु. में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तिथि
16,64,80,000/-	2,80,36,193/-	29.04.2024	पीएम केयर्स फंड	1,71,11,022/-	27.03.2024

एफ) **समंजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो-**

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु. में)
i	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	16.64 करोड़
ii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	16.64 करोड़
iii	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
iv	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
v	आगामी वित्तीय वर्षों में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण–

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (रु. में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो।		आगामी वित्त वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रु. में)	आगामी वित्त वर्षों में कमी, यदि कोई हो (रु. में)
					राशि (रु. में)	हस्तांतरण की तिथि		
1.	2020-21	8,72,000/-	8,72,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	8,72,000/-	शून्य
2.	2021-22	1,24,39,696/-	1,33,11,696/-	6,72,000/-	शून्य	शून्य	1,26,39,696/-	शून्य
3.	2022-23	1,51,26,619.80/-	2,77,66,316/-	72,91,060/-	शून्य	शून्य	2,04,75,256/-	शून्य
4.	2023-24	2,80,36,193/-	4,85,11,449/-	1,29,03,588/-	शून्य	शून्य	3,56,25,594/-	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई या अर्जित की गई है– नहीं।

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें– लागू नहीं।

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कार्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें– लागू नहीं।

9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण बताएं–

लागू नहीं।

हस्त/–
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीएसआर एवं एसडी समिति के अध्यक्ष
डीआईएन: 09629741

हस्त/–
(अजीत कुमार)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 07247362

हस्त/–
(संदीप त्रिवेदी)
सीएसआर नोडल अधिकारी

दिनांक– 19 जुलाई, 2024
स्थान– नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- डी

व्यवसाय दायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

खंड ए सामान्य प्रकटण

I. सूचीबद्ध संस्था का विवरण

1.	**सूचीबद्ध संस्था की कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	L74899DL1999GOI101707
2.	**सूचीबद्ध संस्था का नाम**	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
3.	**निगमन वर्ष**	1999
4.	**पंजीकृत कार्यालय पता**	11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
5.	**कार्पोरेट पता**	11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
6.	**ई-मेल**	investorsirctc.com
7.	**टेलीफ़ोन**	011- 22311263-64
8.	**वेबसाइट**	www.irctc.com
9.	**वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है**	2023-24
10.	**स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं**	बीएसई और एनएसई
11.	**चुकता पूंजी**	₹ 1,60,00,00,000
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे संपर्क किया जा सकता है, यदि आपके पास बीआरएसआर रिपोर्ट के बारे में कोई प्रश्न हैं।**	**श्री अनिल गुप्ता, जीएम कार्पोरेट समन्वय** 011 23311263 anilguptairctc.com
13.	**रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटण स्टैंडअलोन आधार पर किया गया है (अर्थात केवल संस्था के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात संस्था और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ)**	रिपोर्ट में कंपनी के सामाजिक और गवर्नेंस कार्य-निष्पादन को स्टैंडअलोन आधार पर प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरणीय प्रकटण इसकी संगठनात्मक सीमाओं के भीतर अपने व्यवसायों के कार्य-निष्पादन पर आधारित हैं जहां इसका परिचालन नियंत्रण है। जीएचजी उत्सर्जन से बहिष्करण: क्षेत्रीय कार्यालय, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले उत्सर्जन, तथा वाहनों से निकलने वाले प्रशीतक उत्सर्जन।
14.	**आश्वासन प्रदाता का नाम**	टीयूवी इंडिया
15.	**प्राप्त आश्वासन का प्रकार**	उचित आश्वासन

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90% परिकलित) –

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण	कुल कारोबार का % योगदान
1.	खानपान	खानपान सेवाओं में विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान किए जाते हैं, जिनमें मोबाइल खानपान, ई-खानपान और अन्य खानपान सेवाएं भी शामिल हैं, आईआरसीटीसी कार्यकारी लाउंज का प्रबंधन भी करता है।	45.60 %
2.	इंटरनेट टिकटिंग	इंटरनेट टिकटिंग सेवा में निर्बाध यात्रा योजना और बुकिंग के लिए सर्व-समाधान प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है जिससे उपयोगकर्ता ट्रेन, बस, उड़ान और होटल आरक्षण के लिए आसानी से ई-टिकट बुक कर सकते हैं।	30.33 %

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण	कुल कारोबार का % योगदान
3.	रेल नीर	रेलनीर सेवा ने पैकेज्ड पेयजल की आपूर्ति की है और यह सुनिश्चित किया है कि यात्रियों को अपनी रेल यात्रा के दौरान उच्च गुणता और सुरक्षित पेयजल की सुविधा मिले।	7.65 %
4.	पर्यटन	पर्यटन सेवा पर्यटन गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें कार्पोरेट यात्रा योजना, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज, और हवाई टिकटिंग सेवाएं शामिल है और सभी पर्यटन सेवा द्वारा प्रदान की जाती हैं।	12.86 %
5.	राज्य तीर्थ	राज्य तीर्थ पूरे देश में आध्यात्मिक यात्रा के लिए तीर्थयात्रा और धार्मिक यात्रा पैकेज प्रदान करता है।	3.56 %

17. **संस्था द्वारा बिक्री किए गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कुल कारोबार का 90% परिकलित) –**

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	खानपान	561, 562	45.60 %
2.	इंटरनेट टिकटिंग सेवाएं	631, 799	30.33 %
3.	रेल नीर	110	7.65 %
4.	पर्यटन	791	12.86 %
5.	राज्य तीर्थ		3.56 %

III. परिचालन

18. **उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं**

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	30 (19 रेल नीर संयंत्र और 11 बेस किचन)	18 (5 आंचलिक कार्यालय, 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 1 कार्पोरेट कार्यालय, 1 इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय और 1 पर्यटन कार्यालय)	48
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	शून्य	0

19. **संस्था द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले बाजार –**

ए. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	17 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

बी. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

आईआरसीटीसी के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान नहीं है, क्योंकि कंपनी प्रत्यक्ष निर्यात गतिविधियों में शामिल नहीं है। इसके बजाय, इसका प्राथमिक ध्यान कंपनी के टूर एजेंटों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पर्यटन से संबंधित सेवाओं को सुविधाजनक बनाने पर है। कंपनी की प्राथमिक गतिविधियों में घरेलू रेलवे सेवाएं, खानपान, पर्यटन और संबंधित परिचालन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत के भीतर यात्रियों की सेवा करना है।

सी. ग्राहकों के प्रकार पर संक्षिप्त विवरण

आईआरसीटीसी विभिन्न खंडों में विविध ग्राहक आधार प्रदान करता है। खानपान में यह नियमित यात्रियों, व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, छात्रों एवं अन्य सेवाएं प्रदान करता है। यात्रियों, व्यावसायिक यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों को बसों की बुकिंग, रेल टिकट, होटलों, हवाई टिकट आदि के लिए इंटरनेट टिकटिंग सेवाएं भी प्रदान करता हैं। रेल नीर सभी यात्रियों के लिए पैकेज्ड पेयजल मुहैया कराती है। पर्यटन में, आईआरसीटीसी छुट्टियां मनाने वाले, सांस्कृतिक उत्साही, चिकित्सा पर्यटक, छात्र, सरकारी अधिकारी और विदेशी राजनयिकों को सेवाएं प्रदान करता है। आईआरसीटीसी का लक्ष्य प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना तथा उनके अनुरूप सेवाएं और अनुभव प्रदान करना है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत तक का विवरण

ए. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित)

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)
	कर्मचारी					
1.	स्थायी (डी)	1,396	1,280	91.69%	116	8.30%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	1,330	1,096	82.41%	234	17.59%
3.	**कुल कर्मचारी (डी+ई)**	**2726**	**2,376**	**87.16%**	**350**	**12.83%**
	श्रमिक					
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं।				
5.	स्थायी के अलावा (जी)					
6.	**कुल श्रमिक (एफ+जी)**					

बी. दिव्यांग कर्मचारी एवं श्रमिक

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1.	स्थायी (डी)	8	8	100%	0	0.00%
2.	स्थायी के अलावा (ई)	6	6	100%	0	0.00%
3.	**कुल दिव्यांग कर्मचारी (डी+ई)**	**14**	**14**	**100%**	**0**	**0.00%**
	दिव्यांग श्रमिक					
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं।				
5.	स्थायी के अलावा (जी)					
6.	**कुल दिव्यांग श्रमिक (एफ+जी)**					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेशिता/प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		सं. (बी)	% (बी/ए)
निदेशक मंडल	9	0	00.00
प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक (केएमपी)*	5	1	20.00

* केएमपी में पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव शामिल हैं।

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए कुल कारोबार दर

विवरण	वर्ष 2023-24 में कुल कारोबार दर			वर्ष 2022-23 में कुल कारोबार दर			वर्ष 2021-22 में कुल कारोबार दर		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	0.90%	1.70%	1.00%	0.16%	1.75%	0.29%	1.54%	0.87%	1.49%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं।								

त. धारक, सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. ए. धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यम के नाम

धारक/सहायक/सहयोगी/ कंपनियां/संयुक्त उद्यम (ए) का नाम	इंगित करें कि क्या धारक / सहायक / एसोसिएशन / संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में दर्शाई गई संस्था सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक दायित्व पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
रॉयल इंडिया रेल टूर्स लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50%	रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) का गठन 27 नवंबर 2008 को आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया था, ताकि लक्जरी ट्रेनों और बाजार अवकाश पैकेजों का संचालन किया जा सके। 31 मार्च 2024 तक प्रत्येक भागीदार की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। कंपनी ने लक्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस का शुभारंभ किया और इसे 15 साल के लिए आरआईआरटीएल को पट्टे पर दिया। भागीदारों के बीच विवादों के कारण पट्टा वापस ले लिया गया और संयुक्त उद्यम समझौता 10 दिसंबर, 2008 को समाप्त कर दिया गया। कॉक्स एंड किंग्स ने समझौते को बहाल करने के लिए मध्यस्थता की मांग की, लेकिन न्यायाधिकरण ने कॉक्स एंड किंग्स के दावों को खारिज करते हुए 31 जुलाई, 2023 को आईआरसीटीसी के पक्ष में फैसला सुनाया। आईआरसीटीसी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत आरआईआरटीएल और कॉक्स एंड किंग्स के विरुद्ध राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर की, जो अभी भी लंबित है। एनसीएलटी ने आरआईआरटीएल के भीतर प्रबंधकीय विवादों को निर्धारण दिया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के वित्तीय विवरणों में विस्तृत जानकारी के अनुसार, जुलाई 2013 में एनसीएलटी से अनुमोदन के बिना आरआईआरटीएल की बोर्ड और आम बैठकों को निलंबित करने की अनुमति मांगी गई थी। आरआईआरटीएल को बंद करने की प्रक्रियाधीन है, अगले चरण को निर्धारित करने के लिए एनसीएलटी से स्पष्ट आदेश का इंतजार है।
आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	सहायक	100%	नहीं, चूंकि आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड को दिनांक 10.02.2024 को निगमित किया गया था।

VI. सीएसआर के विवरण

24. (i) **क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है (हां / नहीं)**

जी हां, सीएसआर आईआरसीटीसी पर लागू है।

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24
(ii)	कुल कारोबार (रु. में)	4,27,01,70,000
(iii)	निवल मूल्य (रु. में)	3,22,99,60,000

VII. पारदर्शिता और प्रकटण अनुपालन

25. दायित्व व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें –

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	जी हां, https://www.irctc.com/assets images/CSR-Vision-Document.pdf ; शिकायत निवारण नीति (बाह्य) https://www.irctc.com/assets/images IRCTCšGrievance šredressalšexternalš 20š06š24.pdf	शून्य	-	-	शून्य	-	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा))	मुख्य निवेशक संबंध अधिकारी (सीआईआरओ) अनुपालन अधिकारी, और रजिस्ट्रार (अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड) सूचना और सहायता प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए एक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करते हैं, और उनकी संपर्क जानकारी आईआरसीटीसी की वेबसाइट https://www.irctc.com/investor-conact.html पर उपलब्ध है।	शून्य	-	-	शून्य	-	-
शेयरधारक	हितधारक संबंध समिति https://www.irctc.com/board-committees.html, https://scores.sebi.gov.in/ शिकायत निवारण नीति (बाह्य) https://www.irctccom/assets/images/IRCTCšGrievance šredre ssalšexternalš 20š06š24.pdf	56	शून्य	स्थापित तंत्र के अनुसार शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाता है।	44	शून्य	-

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब-लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
कर्मचारी एवं श्रमिक	शिकायत निवारण नीति (बाह्य) https://www.irctc.com/assets/images/IRCTCšGrievance%20Redressalšinternalš20š06š24.pdf, कर्मचारी पोर्टल, कर्मचारी शिकायत रजिस्टर, सचेतक नीति https://irctc.com/assets/images/IRCTC%20whistleblower%20policy%202024%20recived%20from%20CVO%20IRCTC%20090224%20(1)-14-02-2024.विष पीओएसएच तंत्र https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Policy%20for%20Prevention%20OF%20Sexual%20Harassment%20Of%20Women%20t%20Workplaceš12š6š23.pdf	1	शून्य	पीओएसएच शिकायत का प्रभावी समाधान	-	शून्य	-
ग्राहक	सीपीजीआरएएम, रेल मदद, एमओआरएलवाई, सोशल मीडिया प्लेटफार्म https://railmadad.indianrailways.gov.in https://pgportal.gov.in	2,70,081	शून्य	-	2,51,703	शून्य	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	शिकायत निवारण नीति (बाह्य) https://www.irctc.com/assets/images/IRCTCšGrievancešredressalšexternalš20š06š24.pdf , सीपीजीआरएएम, एमओआरएलवाई https://pgportal.gov.in/	शून्य	-	-	2	शून्य	.
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

नोट- रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में लेन-देन संबंधी गड़बड़ियों के बारे में दैनिक आधार पर रिपोर्ट किए गए रेलवे ग्राहक के सामान्य प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है, और अधिकांश शिकायतें आईआरसीटीसी की सेवा वितरण का हिस्सा नहीं हैं।

26. संस्था के महत्वपूर्ण व्यावसायिक दायित्व आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उसकी पहचान करने के लिए औचित्य और निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार जोखिम को अनुकूलित या कम करने के लिए दृष्टिकोण

महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
आर्थिक कार्य-निष्पादन	अवसर	वित्तीय सफलता और स्थिरता प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य-निष्पादन में सुधार करना महत्वपूर्ण है। यह व्यवसाय विकास को सक्षम बनाता है, निवेश को आकर्षित करता है, और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है।	• लागत प्रबंधन और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना। • बाजार के अवसरों को पहचानें और उनका लाभ उठाना। • मजबूत ग्राहक संबंध बनाना और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाना। • नवाचार और उत्पाद सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना।	सकारात्मक प्रभावों में राजस्व में वृद्धि, बेहतर लाभप्रदता और बाजार में बेहतर स्थिति शामिल है।
कार्पोरेट गवर्नेंस	अवसर	प्रभावी कार्पोरेट गवर्नेंस प्रथाएँ पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक व्यवहार में योगदान देती हैं।	• स्पष्ट गवर्नेंस नीतियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करना। • बोर्ड की स्वतंत्रता और विविधता सुनिश्चित करना। • वित्तीय/गैर वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना। • जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।	नकारात्मक - शासन ढांचे और अनुपालन उपायों में प्रारंभिक निवेश करना। सकारात्मक प्रभावों में निवेशकों का विश्वास बढ़ाना, पूंजी तक पहुंच और दीर्घकालिक स्थिरता शामिल हैं।
व्यावसायिक नैतिकता और अखंडता	जोखिम	विश्वास, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिमों में कानूनी उल्लंघन, दंड, प्रतिष्ठा को नुकसान और विश्वास की हानि शामिल हैं।	• आचार संहिता स्थापित करना। • नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना। • प्रशिक्षण प्रदान करना। • आंतरिक नियंत्रण मजबूत करना। • अखंडता को बढ़ावा देना। • पारदर्शी और जिम्मेदार प्रथाओं में शामिल होना। • मानक अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुसार प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए एक तंत्र के रूप में आईएसओ 37001 का कार्यान्वयन।	सकारात्मक - विधिक दंड में कमी, प्रतिष्ठा में वृद्धि, हितधारक विश्वास में वृद्धि और दीर्घकालिक व्यापार स्थिरता। नकारात्मक - प्रशिक्षण और नीति प्रवर्तन से जुड़ी लागतें।

महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
अपशिष्ट प्रबंधन	जोखिम	स्थिरता और अनुपालन के लिए आवश्यक है। जोखिम में प्रदूषण, दंड और परिणामी प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल हैं।	• अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना। • पुनर्चक्रण और जिम्मेदार निपटान • रेलनीर बोतलों के लिए ईपीआर लक्ष्य निर्धारित करना। • अपशिष्ट लेखापरीक्षा आयोजित करना। • जागरूकता को बढ़ावा देना, अपशिष्ट प्रबंधन भागीदारों के साथ सहयोग करना। • स्थायी पैकेजिंग विकल्पों का पता लगाना।	नकारात्मक - आर एंड डी के लिए प्रारंभिक कार्यान्वयन लागत।
जल प्रबंधन	जोखिम और अवसरू	सतत परिचालनों और उत्तरदायी संसाधन उपयोग के लिए प्रभावी जल प्रबंधन आवश्यक है। जोखिमों में जल की कमी, विनियामक अनुपालन और प्रतिष्ठा पर प्रभाव शामिल हैं। संरक्षण और पर्यावरण प्रभावों को कम करने से अवसर उत्पन्न होते हैं।	• जल लेखापरीक्षा आयोजित करना, जल संरक्षण उपायों को लागू करना। • वर्षा जल संचयन जैसे वैकल्पिक जल स्रोतों का पता लगाना। • जल-कुशल प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं में निवेश करना। ज ल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करना।	सकारात्मक - कम जल खपत से लागत बचत, विनियामक अनुपालन, बढ़ी हुई स्थिरता और बेहतर प्रतिष्ठा। नकारात्मक - जल बचत प्रौद्योगिकियों में प्रारंभिक निवेश लागत।
जलवायु परिवर्तन	जोखिम	जोखिम में चरम मौसम की घटनाएं, बढ़ती ऊर्जा लागत, नियामक परिवर्तन और प्रतिष्ठा संबंधी क्षति शामिल हैं। अवसरों में ऊर्जा दक्षता में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को अपनाना शामिल हैं।	• ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करना। • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना। • रेलों के परिचालन को अनुकूलित करना, उत्सर्जन की निगरानी करना। • डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों का कार्यान्वयन	सकारात्मक- ऊर्जा लागत में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा से संभावित बचत, ब्रांड की प्रतिष्ठा में वृद्धि और परिचालन संबंधी व्यवधानों में कमी होना। नकारात्मक: प्रारंभिक निवेश लागत।
आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	जोखिम और अवसर	प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समय पर वितरण, गुणता नियंत्रण और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है। जोखिमों में व्यवधान, गुणता संबंधी मुद्दे और आपूर्तिकर्ता का गैर-अनुपालन शामिल हैं। अनुकूलित प्रक्रियाओं, लागत बचत, बेहतर मूल्य श्रृंखला भागीदारी और स्थायी सोर्सिंग से अवसर शामिल हैं।	• आपूर्ति श्रृंखला परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए लाइसेंसधारियों के साथ सहयोग करना। • आईएसओ 20400 का कार्यान्वयन • सुदृढ़ आपूर्तिकर्ता चयन मानदंड स्थापित करना। • नियमित लेखापरीक्षा • अनुबंध का अनुपालन सुनिश्चित करना। • इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणालियों को लागू करना। स्थिर सोर्सिंग पद्धति।	नकारात्मक- आपूर्तिकर्ता आकलन, लेखा परीक्षा, प्रणाली कार्यान्वयन और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं में संभावित निवेश से जुड़ी लागत। सकारात्मक प्रभावों में बेहतर परिचालन दक्षता, लागत बचत, उत्पाद गुणता और ग्राहक संतुष्टि शामिल हैं।

महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
उत्पाद डिजाइन और जीवनचक्र प्रबंधन	अवसर	कुशल उत्पाद डिजाइन और जीवनचक्र प्रबंधन संसाधनों को अनुकूलित कर सकते हैं, अपशिष्ट उत्पादन को कम कर सकते हैं, और ईपीआर नियमों का पालन कर सकते हैं। पैकेजिंग परिवर्तन पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और स्थिरता को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है।	• जीवन-चक्र का मूल्यांकन करना • उत्पाद के कार्बन ग्लिहर्रीं को कम करना। • कम सामग्री उपयोग के लिए पैकेजिंग डिजाइन को अनुकूलित करना। • पुनर्चक्रणीय या कम्पोस्ट योग्य पैकेजिंग विकल्पों का अन्वेषण करना। • आपूर्तिकर्ताओं के साथ सहयोग करना।	नकारात्मक -अनुसंधान, डिजाइन और पैकेजिंग में परिवर्तन के लिए प्रारंभिक निवेश। सकारात्मक प्रभावों में सामग्री लागत में कमी, बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन और नियामक आवश्यकताओं के साथ सरेखण शामिल हैं।
सुरक्षा और गुणता (रेल नीर उत्पाद और खानपान सेवा)	जोखिम और अवसर	ग्राहकों की संतुष्टि, प्रतिष्ठा और नियामक अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिमों में खाद्य जनित बीमारियां, संदूषण और असंतोष शामिल हैं। अवसर ग्राहकों की अपेक्षाओं और विनियमों को पूरा करने और विश्वास बनाने से उत्पन्न होते हैं।	• कड़े गुणता नियंत्रण • खाद्य सुरक्षा अनुपालन, लेखापरीक्षा • ग्राहकों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। • कर्मचारी प्रशिक्षण	सकारात्मक - ग्राहक वफादारी, बिक्री में वृद्धि, और प्रतिष्ठा। नकारात्मक: दंड, कानूनी मुद्दे और प्रतिष्ठा क्षति।
डेटा सुरक्षा और गोपनीयता	जोखिम और अवसर	विश्वास बनाए रखने, विनियामक अनुपालन और डेटा उल्लंघनों से बचने के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों में उल्लंघन, अनधिकृत पहुँच, कानूनी देनदारियां और प्रतिष्ठा का जोखिम शामिल हैं। अवसरों में वर्धित विश्वास, अनुपालन और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ शामिल हैं।	• मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों को लागू करना। • एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल • एक्सेस नियंत्रण • नियमित लेखापरीक्षा। • ग्राहकों की सहमति प्राप्त करना • विनियमों का अनुपालन करना।	नकारात्मक - डेटा सुरक्षा प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और अनुपालन में निवेश। सकारात्मक प्रभाव - बेहतर विश्वास, जोखिम में कमी, अनुपालन और संभावित प्रतिस्पर्धी लाभ।
हितधारकों की भागीदारी	अवसर	प्रभावी हितधारक भागीदारी पारदर्शिता, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और दीर्घकालिक कारोबारी स्थिरता प्राप्त होती है। हितधारकों के साथ जुड़ने से उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं और चिंताओं को समझने में मदद मिलती है।	• प्रमुख हितधारकों की पहचान करना। • संचार चैनल स्थापित करना। • नियमित संवाद और विचार-विमर्श का आयोजन करना। • प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। • समाधान संबंधी चिंताएं। • निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करना।	नकारात्मक - हितधारक भागीदारी गतिविधियों और संसाधनों में निवेश। सकारात्मक प्रभावों में बेहतर हितधारक संबंध, बढ़ी हुई प्रतिष्ठा, कम संघर्ष और हितधारक समर्थन में वृद्धि शामिल है।

महत्वपूर्ण मुद्दे की पहचान	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
सामाजिक विकास और सामुदायिक भागीदारी	अवसर	सामाजिक विकास पहलों और सामुदायिक भागीदारी में शामिल होने से सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा होता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है और सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा मिल सकता है। यह कार्पोरेट दायित्व को प्रदर्शित करता है, परिचालन के लिए सामाजिक लाइसेंस प्रदान करता है और सतत विकास में योगदान देता है।	• सामुदायिक आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पहचान करना। • स्थानीय संगठनों के साथ साझेदारी विकसित करना। • शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों का समर्थन करना। • समावेशी रोजगार प्रथाओं को बढ़ावा देना। • सामुदायिक अवसंरचना और कल्याणकारी परियोजनाओं में निवेश करना।	सामुदायिक कार्यक्रमों और साझेदारी में निवेश करना। सकारात्मक प्रभावों में बेहतर ब्रांड प्रतिष्ठा, ग्राहक निष्ठा, बढ़े हुए सामुदायिक संबंध और संभावित दीर्घकालिक आर्थिक लाभ शामिल हैं।
सीखना, विकास और कर्मचारी की भागीदारी	अवसर	प्रशिक्षण और कौशल विकास में निवेश करने से कर्मचारी क्षमता, रोजगार संतुष्टि और संगठनात्मक कार्य-निष्पादन में वृद्धि होती है।	• प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान करना। • प्रासंगिक कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना। • करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करना।	सकारात्मक- उत्पादकता में वृद्धि, उच्च कर्मचारी प्रतिधारण, बेहतर रोजगार संतुष्टि, दीर्घकालिक व्यापार वृद्धि और नवाचार। नकारात्मक: प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों से जुड़ी लागत।
मानव अधिकार और विविधता, समानता और समावेशन।	जोखिम और अवसर	उचित कार्यस्थलों, सकारात्मक कर्मचारी अनुभवों और हितधारक विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिमों में भेदभाव, विधिक मुद्दे, प्रतिष्ठा जोखिम और आपूर्ति श्रृंखला विस्तार में चुनौतियां शामिल हैं। अवसरों में प्रतिभाशाली कार्यबल को आकर्षित करना, विविधता को बढ़ावा देना और कर्मचारी कल्याण को बढ़ाना शामिल है।	• समान अवसरों को बढ़ावा देना। • डीईआई प्रशिक्षण प्रदान करना। • सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना। • मानव अधिकारों का समर्थन करने वाली सामुदायिक पहलों में शामिल होना।	सकारात्मक: बेहतर कर्मचारी संतुष्टि और प्रतिधारण में सुधार, प्रतिष्ठा में वृद्धि, बेहतर नवाचार और निर्णय लेने की क्षमता। नकारात्मक प्रभाव - कानूनी शुल्क, दंड, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन लागत।
कर्मचारी स्वास्थ्य और संरक्षा	जोखिम और अवसर	उत्पादक और जिम्मेदार कार्यस्थल के लिए कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है जोखिमों में दुर्घटनाएं, चोटें, कानूनी दायित्व और प्रतिष्ठा संबंधी क्षति शामिल हैं। अवसरों में कर्मचारी कल्याण में वृद्धि, अनुपस्थिति में कमी और उत्पादकता में सुधार शामिल हैं।	• व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का पालन करना। • कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। • स्वास्थ्य सेवा लाभ प्रदान करना। • सुदृ सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना। • सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना। • नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण आयोजित करना। • सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखना। • मानसिक स्वास्थ्य सहायता को प्राथमिकता देना।	सकारात्मक - दुर्घटना से संबंधित लागत में कमी, कर्मचारी मनोबल में सुधार और उत्पादकता में वृद्धि होना। नकारात्मक - सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और निरीक्षण से संबंधित लागत।

खंड बी प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और प्रमुख तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटण प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ										
1.	ए. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और इसके मूल तत्वों को शामिल करती हैं। (हां/नहीं)	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
	बी. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं
	सी. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो। **पी 1**	https://www.irctc.com/assets/images/Anti%20Bribery%20and%20Corruption%20Policy_IRCTC_V1.0%20(8)%2027.06.24.pdf								
	पी 2	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Sustainable%20Procurement%20Policy_20_06_24.pdf								
	पी 3	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Health_&_Safety_Policy_20_06_24.pdf https://www.irctc.com/assets/images/Equal%20opportunity%20Policy%20for%20Person%20with%20Disabilities.pdf								
	पी 4	https://www.irctc.com/assets/images/Stakeholder_Engagement_Policy_20_06_24.pdf								
	पी 5	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Human%20Rights%20Policy_20_06_24.pdf https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC%20Policy%20for%20Prevention%20OF%20Sexual%20Harassment%20Of%20Women%20At%20Workplace_12_6_23.pdf								
	पी 6	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Environmental_Policy_20_06_24.pdf								
	पी 7	https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Public_Policy_Advocacy_Policy_v1.0.pdf								
	पी 8	https://www.irctc.com/assets/images/CSR%20vision%20document_12_06_24.pdf https://www.irctc.com/assets/images/IRCTC_Grievance_redressal_external_20_06_24.pdf								
	पी 9	|| IRCTC Corporate Portal ||								
2.	क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हां/नहीं)	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं	जी नहीं	जी हां	जी हां
3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित होती हैं? (हां/नहीं)	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं	जी नहीं	जी हां	जी नहीं
4.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/ लेबल/ मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, न्यासी) मानक (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) ने आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है।	**आईएसओ 9000: 2015 गुणता प्रबंधन प्रणाली:** नांगलोई, दानापुर, पलुर और बिलासपुर में रेल नीर संयंत्र **आईएसओ 22000:2015 खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रणाली:** रेल नीर प्लांट, अंबरनाथ **आईएसओ 22000:2018 / 22001:2018 खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रणाली:** नई दिल्ली, राजेंद्र नगर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, नागपुर, बल्हारशाह में बेस किचन **आईएसओ 22000:2018/आईएसओ 9001:2015 खाद्य सुरक्षा एवं प्रबंधन प्रणाली:** 117 फूड प्लाज़ा **बीआईएस मानक 14543: 2004 है:** रेल नीर संयंत्र प्रौद्योगिकी में शुद्धिकरण प्रक्रियाओं के आठ चरणों को नियोजित किया गया है जो मानक मानक के अनुरूप जल गुणता प्रदान करने में सक्षम हैं।								

प्रकटण प्रश्न		पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9
5.	निर्धारित समयसीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और प्रयोजन, यदि कोई हो	वित्तीय वर्ष 2023-24 तक भ्रष्टाचार रोधी उपायों को लागू करना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर्मचारी कारोबार दर को कम करना। यह सुनिश्चित करें कि 2030 तक प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से 100% स्थिरता मानदंडों का पालन करें। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कर्मचारियों के लिए कौशल उन्नयन और प्रशिक्षण मंच वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पर्यावरणीय कार्य-निष्पादन और स्कोप 3 प्रकटण में सुर्धा।
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और प्रयोजन के साथ-साथ कारणों के लिए संस्था का कार्य-निष्पादन, यदि उसे पूरा नहीं किया जाता है।	**बिन्दु संख्या 5 में दी गई प्रतिबद्धताओं के प्रति संस्था का कार्य-निष्पादन नीचे दिया गया है –** आईएसओ कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी हो गई है, आश्वासन प्रमाणपत्र प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है। प्राप्त किया गया। कंपनी की प्रणाली में सतत खरीद के लिए आईएसओ 20400 लागू किया गया। ऑनलाइन प्रशिक्षण ऐप विकास परियोजना पूरी हो चुकी है और अब इसका उपयोग आईआरसीटीसी के कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आईएसओ 26000 कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी होने के साथ सुधार की रणनीति योजना शुरू की गई है।
गवर्नेंस, नेतृत्व और पर्यवेक्षण		
7.	व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)	आईआरसीटीसी में, हम अपने परिचालन के सभी पहलुओं में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हम गवर्नेंस की महत्वपूर्ण भूमिका तथा सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जागरूक होने के महत्व को समझते हैं। रेल नीर, इंटरनेट टिकटिंग, खान-पान और पर्यटन जैसे व्यापक परिचालन क्षेत्रों के साथ एक जटिल माहौल में परिचालन करते हुए हमने अपने परिचालन, उत्पादों और सेवाओं के नकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए पूरे वर्ष महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसमें अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल कार्यप्रणाली अपनाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ-साथ संसाधनों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना भी शामिल है। स्थिरता सुनिश्चित करते हुए इन विविध कार्यों का प्रबंधन करना विशेष रूप से अपशिष्ट और ऊर्जा प्रबंधन में कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हम लगातार अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष, हमने तीन महत्वपूर्ण आईएसओ मानकों को लागू किया है-सामाजिक दायित्व के लिए आईएसओ 26000, सतत खरीद के लिए आईएसओ 20400 और रिश्वत-रोधी प्रबंधन के लिए आईएसओ 37001। ये मानक हमारी स्थिरता प्रथाओं और गवर्नेंस ढांचे को बढ़ाने में सहायक हैं। निकट भविष्य में, हम अपनी प्रक्रियाओं को और सुव्यवस्थित करने और अपने संचालन में स्थिरता को अधिक गहराई से एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमारे सतत एकीकरण प्रयासों में हमारे कर्मचारियों और हितधारकों के बीच पर्यावरणीय प्रबंधन और सामाजिक जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना भी शामिल होगा। **(राहुल हिमालियन)** **निदेशक (पर्यटन एवं विपणन)**

प्रकटण प्रश्न		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
8.	व्यावसायिक दायित्व नीति या नीतियों के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार शीर्ष प्राधिकारी का विवरण	निदेशक मंडल कंपनी की ईएसजी महत्वाकांक्षाओं पर व्यावसायिक दायित्व नीतियों और प्रगति की देखरेख करता है।								
9.	क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं) यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।	31 मार्च, 2024 तक सीएसआर और एसडी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:								
		निदेशकों के नाम						**पद**		
		1. **श्री संजय कुमार जैन** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक						अध्यक्ष		
		2. **श्री अजीत कुमार** निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ - सदस्य						सदस्य		
		3. **श्री नीरज शर्मा** सरकारी नामित निदेशक-सदस्य						सदस्य		
		4. **नामग्याल वांगचुक** स्वतंत्र निदेशक - सदस्य						सदस्य		

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण -

समीक्षा के लिए विषय	बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/छमाही/तिमाही/कोई अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 10	पी 11	पी 12	पी 13	पी 14	पी 15	पी 16	पी 17	पी 18
उपरोक्त नीतियों के अनुरूप कार्य-निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई का पालन	एक प्रथा के रूप में, कंपनी की बीआर नीतियों की समीक्षा आवधिक रूप से या आवश्यकता के आधार पर विभागीय और खंडीय प्रमुखों द्वारा की जाती है। इस मूल्यांकन के दौरान, नीति की प्रभावकारिता की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रियाओं में आवश्यक परिवर्तन लागू किए जाते हैं।									कंपनी की नीतियों की विभागीय और खंडीय प्रमुखों द्वारा आवधिक या आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाती है।								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	सभी विभाग प्रमुखों द्वारा अनुपालन नोट पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन की रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।									तिमाही								

		पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
11	क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	जी हां, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बॉम्बे और विज़न 360								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है, अर्थात सभी सिद्धांत नीति द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं -

	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	लागू नहीं।								
संस्था अभी उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार करने और लागू करने की स्थिति में हो।(हां/नहीं)									
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेखित करें)									

खंड सी सिद्धांत वार कार्य-निष्पादन का प्रकटण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और प्रमुख तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

सिद्धांत 1– व्यवसायों को निष्ठा, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपना संचालन और नियंत्रण करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष में किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी में व्यक्तियों की प्रतिशत आयु
निदेशक मंडल	3	• स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम। • स्वतंत्र निदेशक (स्व.नि.) अभिविन्यास कार्यक्रम। • डीपीई द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सहमति ज्ञापन कार्यशाला।	44.4%
प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक*	3	• ईएसजी प्रैक्टिशनर कोर्स • कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम • डीपीई द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सहमति ज्ञापन कार्यशाला।	100%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	39	• नैतिकता और गवर्नेंस • जीईएम कार्यशाला • पुनः इंजीनियरिंग एचआर • साइबर स्वच्छता और सुरक्षा • कार्य-जीवन संतुलन के लिए कार्यस्थल पर योग। • स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए ध्यान. • व्यावसायिक परिचालन में ईएसजी और स्थिरता। • श्रम कानून, औद्योगिक संबंध और पीओएसएच अनुपालन। • आईएसओ 26000 और आईएसओ 20400 पर प्रशिक्षण श्रृंखला।	100%
श्रमिक	लागू नहीं।		

* यहां प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति (केएमपी) केवल कंपनी सचिव को दर्शाता है।

2. **वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान (संस्था/निदेशकों/केएमपी द्वारा) किए गए जुर्माने/दंड/सजा/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण**

(नोट – संस्था सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए अनुसार महत्वपूर्णता के आधार पर प्रकटण करेगी)–

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (रु. में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
जुर्माना/दंड	सिद्धांत 9	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तिरुमेलवेली (तमिलनाडु)	रु.28,000/-	आयोग ने ई-केटरिंग के तहत एर्नाकुलम जंक्शन पर भोजन प्रदान करने में असमर्थता के कारण 28,000 रु. का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया।	जी नहीं।
	सिद्धांत 9	शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बेंगलुरु	रु.40,000/-	एक यात्री जिसने कन्फर्म टिकट बुक किया था लेकिन बाद में उसे बताया गया कि कमरा उपलब्ध नहीं है, आयोग द्वारा जुर्माना के रूप में, उस यात्री के पक्ष में 40,000 रु. अदा करने के निर्देश दिए गए।	जी नहीं।
समझौता	-	-	-	-	-
यौगिक शुल्क	-	-	-	-	-

गैर-मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/नहीं)
कारावास	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जहां गैर-मौद्रिक कार्रवाई की गई हो।			
सजा				

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन के विवरण को प्राथमिकता दी गई है जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।**

मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
लागू नहीं।	

4. **क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।**

जी हां, आईआरसीटीसी की एक सुव्यवस्थित और विस्तृत भ्रष्टाचार रोधी नीति है। यह नीति भ्रष्टाचार के प्रति कदापि-सह्य नहीं (जीरो टॉलरेंस) की दिशा में बोर्ड की मजबूत प्रतिबद्धता दर्शाती है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसीए), कंपनी अधिनियम, 2013, दंड संहिता, 1860 (आईपीसी), धन शोधन निवारण, 2002 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के अनुपालन में, यह नीति नैतिक आचरण, अनुपालन, रिपोर्टिंग और गैर-प्रतिशोध के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए कंपनी की प्रतिज्ञा को बनाए रखने में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है। आईआरसीटीसी के पास धोखाधड़ी रोकथाम और पहचान नीति भी है जिसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक या अस्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या आईआरसीटीसी के साथ व्यवसाय करने वाली किसी भी अन्य बाहरी संस्था के प्रतिनिधियों सहित कर्मचारियों से जुड़ी किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी का प्रकटण करने के प्रावधान शामिल हैं। यह नीति नैतिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने और भ्रष्ट प्रथाओं को रोकने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में धोखाधड़ी के उदाहरणों की रिपोर्टिंग और जांच के लिए मजबूत प्रणाली प्रदान करती है।

इन नीतियों के अलावा आईआरसीटीसी ने बोर्ड के सदस्यों और प्रबंधन के वरिष्ठ कर्मियों के लिए व्यवसाय नैतिकता और आचरण संहिता के साथ-साथ सभी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता भी लागू की है। ये संहिताएं कंपनी के परिदृष्टि और ध्येय के अनुरूप हैं तथा संगठन के सभी स्तरों पर नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार-विरोधी और रिश्वत-रोधी नीति का समर्थन करने के लिए तैयार की गई हैं। नीति का लिंक: https://www.irctc.com/assets/images/nti%20Bribery%20and%20Corruption%20PolicyšIRCTCšV1.0%20(8)%2027.06.24.pdf

5. **निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी।**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	33
श्रमिक	लागू नहीं।	लागू नहीं।

6. **हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हितों के टकराव के संबंध में निदेशकों या केएमपी के विरुद्ध किए गए अनुशासनात्मक उपायों की घटनाओं के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई है।	
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या		

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा किए गए जुर्माने/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं।

8. **निम्नलिखित प्रारूप में देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते * 365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत)-**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	144	152

9. **व्यवसाय का खुलापन**

व्यापारिक घरानों, विक्रेताओं और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण के साथ-साथ संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें -

पैरामीटर	मीट्रिक	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
खरीद का संकेन्द्रण	ए. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	-	-
	बी. ऐसे व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीद की जाती है	-	-
	सी. व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद	-	-
विक्रय का संकेन्द्रण	ए. कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में विक्रेताओं/वितरकों को बिक्री	6.17%	7.56%
	बी. विक्रेताओं/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	33	32
	सी. विक्रेताओं/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 विक्रेताओं/वितरकों को बिक्री	14.16%	15.47%
आरपीटी में हिस्सेदारी	ए. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	11.24%	9.04%
	बी. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	23.14%	22.59%
	सी. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	-	-
	डी. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/किए गए कुल निवेश)	-	-

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत शामिल किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार)
कंपनी समय-समय पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों को विभिन्न सिद्धांतों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के बारे में बताती है। हालांकि, आईआरसीटीसी ने हाल ही में सभी संगठनात्मक गतिविधियों में एक स्थायी खरीद प्रणाली-आईएसओ 20400:2017 को लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एनजीआरबीसी सिद्धांतों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आगामी रिपोर्टिंग अवधि के लिए संगठन से जुड़े सभी मूल्य श्रृंखला भागीदारों को शामिल करते हुए आयोजित किए जाएंगे।		

2. **क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/ प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसी का विवरण प्रदान करें।**

कंपनी के पास हितों के टकराव की नीति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन किसी भी तरह की अनुचितता से बचें और संगठन के सर्वोत्तम हित में कार्य करें। इस नीति द्वारा संगठन, वरिष्ठ प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच संभावित हितों के टकराव को पहचानने, घोषित करने और उससे निपटने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। आईआरसीटीसी सख्त दिशानिर्देशों का पालन करके हितों के टकराव को रोकता है। नीति में विवाद समाधान प्रक्रियाओं और संघर्ष समाधान प्रक्रियाओं की रूपरेखा भी दी गई है। इस नीति के उल्लंघन के लिए उपयुक्त अनुशासन लागू किया जा सकता है।

सिद्धांत 2: व्यवसायों को सुरक्षित रूप से वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **उत्पादों और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आर एंड डी और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः कुल आर एंड डी और संस्था द्वारा किए गए पूंजीगत निवेश में सुधा।**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	शून्य	शून्य	वर्तमान में आईआरसीटीसी ई-एसजी लक्ष्यों पर आर एंड डी और पूंजीगत व्यय पर अलग से ट्रैक नहीं करता है।
कैपेक्स	शून्य	शून्य	

2. ए. **क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)**

आईआरसीटीसी ने अपनी सतत खरीद नीति और आपूर्तिकर्ता आचार संहिता के माध्यम से सतत सोर्सिंग प्रथाओं को अपनाया है। ये पहल अपनी आपूर्ति श्रृंखला निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ईएसजी विचारों को एकीकृत करते हुए, विधिपूर्ण और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सतत खरीद नीति मानवाधिकारों का सम्मान करने, व्यावसायिक नैतिकता का पालन करने और वस्तुओं और सेवाओं की खरीद में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आईआरसीटीसी ने ईएसजी मानदंडों के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। ये प्रयास सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण प्रबंधन के सिद्धांतों के साथ अपनी खरीद रणनीतियों को संरेखित करते हुए, स्थायी सोर्सिंग प्रथाओं के प्रति आईआरसीटीसी के समर्पण को रेखांकित करते हैं अपनी खरीद प्रथाओं में स्थिरता को एकीकृत करके, आईआरसीटीसी न केवल नियामक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है बल्कि अधिक स्थायी भविष्य में भी योगदान दे रहा है।

बी. **यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट निरंतर रूप से प्राप्त किए गए थे?**

जी हां। आईआरसीटीसी ने ई-खरीद/गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) को एक स्थायी व्यावसायिक अभ्यास के रूप में लागू किया है। कंपनी ने पर्यावरण नीति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति, तथा सतत खरीद नीति जैसी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों की व्यापक श्रेणी को अपनाने का भी कार्य किया है। इसके अलावा, कंपनी मध्यम लघु उद्यमों (एमएसई) विक्रेताओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान, कंपनी ने कुल खरीद में से जीईएम से 57.25% की खरीद की।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अनुरूप 25% की तुलना में एमएसई से कुल खरीद 63.02% थी।

3. **जीवन चक्र के अंत में निपटान के लिए और अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने हेतु (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट, और (डी) अन्य अपशिष्ट का पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

ए) प्लास्टिक अपशिष्ट	आईआरसीटीसी का प्रमुख उत्पाद, रेल नीर, प्लास्टिक और पैकेजिंग के लिए ईपीआर विनियमों का पालन करता है। कंपनी ने रेल नीर उत्पादों को उनके जीवन चक्र के अंत में एकत्र करने, पुनर्चक्रण और निपटान करने की प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। अपशिष्ट को निर्दिष्ट स्थानों पर एकत्र किया जाता है तथा जिम्मेदार प्रबंधन के लिए अधिकृत विक्रेताओं के पास भेजा जाता है। यह ईपीआर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और रेल नीर से जुड़े प्लास्टिक कचरे को जिम्मेदारी से निपटान को बढ़ावा देता है।
बी) ई- अपशिष्ट	लागू नहीं।
सी) खतरनाक अपशिष्ट	लागू नहीं।
डी) अन्य अपशिष्ट	लागू नहीं।

4 **क्या विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपी गई विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इससे निपटने के लिए उठाए गए कदम बताएँ।**

आईआरसीटीसी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और रेल नीर पैकेज्ड पेयजल के निर्माता के रूप में इसके बाद के संशोधनों का अनुपालन करता है। पीडब्लूएम नियमों के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखने के लिए संस्था द्वारा उत्पादक दायित्व (ईपीआर) योजना को लागू किया जा रहा है।

ईपीआर कर्तव्यों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए आईआरसीटीसी ने औपचारिक रूप से एक विशेषज्ञ संगठन के साथ भागीदारी की है। कुचल सामग्री के संग्रह का समन्वय करने, अधिक क्रशिंग वाली मशीनें स्थापित करने, टेक-बैक क्रेडिट जारी करने की सुविधा प्रदान करने और पीईटी बोतलों और सिकुड़ने वाली सामग्री एकत्र करने के अलावा, एजेंसी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ पंजीकरण करने और समय पर तिमाही ईपीआर अनुपालन प्रस्तुत करने की भी प्रभारी है। यह आधिकारिक समझौता आईआरसीटीसी की अपनी ईपीआर जिम्मेदारियों को जवाबदेह और जिम्मेदार तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखलाओं सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. ए. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		देखभाल केंद्र सुविधाएं	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)	सं. (डी)	% (ऊ/अ)	सं. (ई)	% (ई/ए)	सं. (एफ)	% (एफ /ए)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	1,280	1,280	100%	1,280	100%	लागू नहीं।	लागू नहीं।	1,277	100%	लागू नहीं।	लागू नहीं।
महिला	116	116	100%	116	100%	116	100%	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
कुल	**1,396**	**1,396**	**100%**	**1,396**	**100%**	**116**	**8.3%**	**1,277**	**91.4%**	**लागू नहीं।**	**लागू नहीं।**
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	1,096	1,096	100%	47	4.2%	0	0	42	4.2%	लागू नहीं।	लागू नहीं।
महिला	234	234	100%	2	0.8%	234	100%	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
कुल	**1,330**	**1,330**	**100%**	**49**	**3.6%**	**234**	**17.5%**	**42**	**3.5%**	**लागू नहीं।**	**लागू नहीं।**

बी. श्रमिकों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का प्रतिशत										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		देखभाल केंद्र सुविधाएं	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)	सं. (डी)	% (ऊ/अ)	सं. (डी)	% (डी/ए)	सं. (डी)	% (डी/ए)
स्थाई श्रमिक											
पुरुष	लागू नहीं।										
महिला											
कुल											
स्थायी श्रमिकों के अलावा											
पुरुष	लागू नहीं।										
महिला											
कुल											

सी. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी के अलावा अन्य सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय –

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याण उपायों पर उपगत लागत	0.14%	0.19%

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति अनुलाभों का विवरण

लाभ	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हां/नहीं/ लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (हां/नहीं/ लागू नहीं)
पीएफ	100%	लागू नहीं।	जी हां।	100%	लागू नहीं।	जी हां।
उपदान	100%	लागू नहीं।	जी हां।	100%	लागू नहीं।	जी हां।
ईएसआई	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
एनपीएस	100%	लागू नहीं।	जी हां।	100%	लागू नहीं।	जी हां।

3. **कार्यस्थलों में सुगम्यता**

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुगम्य हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था इस संबंध में कोई कदम उठा रही है?

जी हां, संस्था के कार्यालय परिसर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से सुगम्य है तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। संस्था की सुविधाओं में, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगम्यता बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के लिए व्यापक उपाय लागू किए गए हैं। सभी कर्मचारियों के हित के लिए इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें शामिल हैं:

1. **रैंप:** कार्यालय परिसर अच्छी तरह से निर्मित रैंप से सुसज्जित है, जो व्हीलचेयर या अन्य गतिशील उपकरणों पर निर्भर रहने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुचारू और निर्बाध आवागमन को सक्षम बनाता है।

2. **लिफ्ट सुविधाएं:** हमने ऐसी लिफ्टें स्थापित की हैं जो अभिगम्यता मानकों का सख्ती से पालन करती हैं, जिससे कार्यालय भवन की विभिन्न मंजिलों पर गतिशीलता की सीमाओं वाले व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक ऊर्ध्वाधर पहुंच की सुविधा होती है।

3. **व्हीलचेयर सुविधाएं:** गतिशीलता बाधित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, व्हीलचेयर के भंडारण और उपयोग के लिए हम अपने कार्यालय परिसर के भीतर समर्पित क्षेत्र प्रदान करते हैं।

4. **पार्किंग:** हमने प्रवेश द्वार के पास स्थित निर्दिष्ट पार्किंग स्थान आवंटित किए हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करते हैं।

5. **सुगम्य शौचालय:** हमारे कार्यालय परिसर में विचार-विमर्श के साथ सुगम्य शौचालय तैयार किए गए हैं, जो दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

4. **क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।**

संस्था ने 2016 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत एक व्यापक समान अवसर नीति लागू की है। यह नीति सुनिश्चित करती है कि दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम में उल्लिखित उनके अधिकारों और हकदारियों को वहन किया जाए। इसमें अध्याय 6 की धारा 34 के अनुसार आरक्षण के प्रावधान सहित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि जहां आवश्यक हो वहां आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हों। इसके अलावा, नीति भौतिक और डिजिटल क्षेत्र में सुगमता पर जोर देती है, जिससे सुविधाएं और सूचना सभी के लिए समान रूप से सुलभ हो सकें। इस नीति में संगठन के भीतर दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के किसी भी मामले को संबोधित करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल किया गया है। लिंक: https://www.irctc.com/assets/images/Equal%20opportunity%20Policy%20for%20Person%20with%20Disabilities.pdf

5. **स्थायी कर्मचारियों और पैतृक अवकाश लेने वाले श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण।**

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर	कार्य दर पर वापसी	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं।	
महिला	100%	100%		
कुल	100%	100%		

6. **क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।**

	हां/नहीं (यदि हां, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।)
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं।
स्थायी श्रमिक के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	आईआरसीटीसी कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने और उनका समाधान करने के लिए कई तंत्र प्रदान करता है। इनमें शिकायतें दर्ज करने और उनको ट्रैक करने के लिए कर्मचारी पोर्टल के साथ-साथ कार्य की स्थितियों, भुगतान और कार्य से संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में संबंधित के लिए कर्मचारी शिकायत रजिस्टर भी शामिल है। संगठन ने यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम (पीओएसएच) के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक समिति का भी गठन किया है और प्रबंधन से बात करें नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे कर्मचारी सीधे प्रबंधन के साथ अपने संबंधित मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। आईआरसीटीसी में कर्मचारियों के लिए मजबूत आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की है। यह प्रणाली विभिन्न प्रकार की शिकायतों को शामिल करती है, जिनमें संगठनात्मक नीतियों, कार्य स्थितियों, पारस्परिक कारकों और संगठन की सत्यनिष्ठा से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	आईआरसीटीसी ने शिकायतों को दूर करने और अपने अस्थायी और संविदात्मक कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों को लागू किया है। इनमें स्टाफ शिकायत रजिस्टर बनाए रखना और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति गठित करना शामिल है। कंपनी की आंतरिक शिकायत निवारण प्रक्रिया सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें अंशकालिक (प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सहित), अस्थायी और अनुबंध कर्मचारी शामिल हैं।

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं या संघों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / श्रमिक (ए)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संस्था या संघों का हिस्सा हैं (बी)	% (बी / ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / श्रमिक (सी)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या, जो संस्था या संघों का हिस्सा हैं (डी)	% (डी/ सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं।					
पुरुष						
महिला						
कुल स्थायी श्रमिक						
पुरुष						
महिला						

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (डी)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं. (सी)	% (सी/ए)		सं. (ई)	% (ई/डी)	सं. (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
पुरुष	1,280	680	53.1%	1,049	81.9%	1,242	272	21.9%	1,010	81.0%
महिला	116	100	86.2%	102	87.9%	114	72	62.0%	99	85.3%
कुल	1,396	780	55.8%	1,151	82.4%	**1,356**	**345**	**27.7%**	**1,109**	**81.7%**
श्रमिक										
पुरुष	लागू नहीं।									
महिला										
कुल										

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के कार्यनिष्पादन और वृत्तिक विकास समीक्षाओं का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (ए)	सं. (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	सं. (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
पुरुष	1289	1289	100%	1,284	1284	100%
महिला	118	118	100%	116	116	100%
कुल	1407	1407	100%	**1,400**	**1400**	**100%**
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं।					
महिला						
कुल						

नोट - कार्य-निष्पादन और वृत्तिक विकास की समीक्षा केवल स्थायी कर्मचारियों और प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के लिए की जाती है।

10. स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

ए. क्या संस्था द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की समाविष्टि क्या है?

कंपनी की स्वास्थ्य और संरक्षा पर एक नीति है और इसे समय-समय पर विभिन्न संबंधित विभागों और आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों को भी दोहराया जाता है। इसके अलावा, कंपनी ने इसके लिए विस्तृत मानक परिचालन प्रक्रिया भी तैयार की है।

हालांकि, कंपनी कर्मचारी स्वास्थ्य और संरक्षा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में आईएसओ 45001 को लागू करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

बी. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित एवं गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

आईआरसीटीसी ने अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बहुत बल दिया है। संगठन ने व्यावसायिक दुर्घटनाओं, चोटों और बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से कई उपायों और प्रक्रियाओं को लागू किया है। आईआरसीटीसी अपने सभी कर्मचारियों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा जागरूकता तथा योग्यता का विकास करने में विश्वास रखता है और योग सत्र, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर प्रशिक्षण और खाद्य संरक्षा और व्यक्तिगत स्वच्छता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण जैसे उचित प्रशिक्षण का आयोजन भी किया है।

कर्मचारी संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, आईआरसीटीसी अपने आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा मिशन में शामिल करता है, अपेक्षाओं को साझा करता है तथा सुरक्षित और स्थायी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ जुड़ता है। संगठन ने अपने कार्यालय में एक वरिष्ठ चिकित्सक की सेवाएं ली हैं, जिनकी सेवाएं सभी कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर प्राप्त की जाती हैं, जिनमें स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं। आईआरसीटीसी कार्यालयों, रेल नीर संयंत्रों और रेल में ऑन-बोर्ड कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश भी जारी करता है। इसके अलावा, संगठन कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

सी. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से स्वयं को दूर रखने की प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

लागू नहीं।

डी. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों की व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

जी हां, आईआरसीटीसी गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके अपने कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। कंपनी द्वारा वित्त पोषित चिकित्सा बीमा के माध्यम से, कर्मचारियों और उनके आश्रितों को व्यापक चिकित्सा कवरेज प्राप्त होता है। इसमें इनडोर उपचार के लिए कैशलेस सुविधाएं और बाह्य रोगी देखभाल के लिए मूल वेतन के 7% के बराबर मासिक चिकित्सा भत्ता शामिल है। आईआरसीटीसी चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हुए बिना किसी निर्दिष्ट मौद्रिक सीमा के इनडोर उपचार के लिए कवरेज सुनिश्चित करती है। कंपनी सक्रिय रूप से योग कार्यक्रमों, मैराथन सत्रों और स्वास्थ्य जागरूकता सत्रों का आयोजन करके शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देती है, जिससे कर्मचारी कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है।

11. संरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण

संरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
खोया समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति-घंटे कार्य)	कर्मचारी	1.07	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं।	लागू नहीं।
कुल रिकॉर्ड किए जाने वाले कार्य संबंधी चोटें	कर्मचारी	3	लागू नहीं।
	श्रमिक	लागू नहीं।	लागू नहीं।
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं।	लागू नहीं।
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधित चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	लागू नहीं।	लागू नहीं।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

1. आईआरसीटीसी के पास सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीतियां और प्रक्रियाएं हैं।
2. सभी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं सुलभ हैं, जिससे उनके कल्याण को बढ़ावा मिलता है।
3. अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, मशीनरी और उपकरण सुरक्षा के लिए नियमित रूप से आकलन किए जाते हैं।
4. मानव संसाधन विभाग कार्यालय परिसर के लिए आपातकालीन निकास मानचित्र और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना बनाए रखता है।
5. पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं।
6. नियमित मूल्यांकन और प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा, आपातकालीन प्रक्रियाओं और उचित उपकरण संचालन के बारे में शिक्षित करते हैं।
7. चोटों के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए श्रमदक्ष कार्यस्थान और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
8. कल्याण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच और जागरूकता अभियान कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देते हैं।
9. अग्नि का पता लगाने, चेतावनी देने और उसके शमन के लिए प्रणालियां कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और उनका रखरखाव भी किया जाता है।

13. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या**

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्यगत स्थितियां	वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 दोनों में कार्यगत स्थिति और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।					
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा						

14. **वर्ष के लिए निर्धारण**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था, सांविधिक प्राधिकरणों, या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और संरक्षा प्रथाएँ	0%
कार्यगत स्थितियां	0%

15. **संरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) के समाधान के लिए की गई किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई या चल रही किसी भी कार्रवाई का विवरण और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न महत्वपूर्ण जोखिमों/स्थिति का विवरण प्रदान करें।**

शून्य

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

आईआरसीटीसी मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझने और स्थायी रणनीतियों को विकसित करने के लिए विविध श्रृंखला में हितधारकों की भागीदारी के महत्व को पहचानता है। कंपनी ने हितधारकों के प्रभावी भागीदारी मार्गदर्शन और सुविधा प्रदान करने के लिए एक विस्तृत मानक प्रक्रिया स्थापित की है। गहन मूल्यांकन के माध्यम से, आंतरिक और बाह्य दोनों हितधारकों पर विचार किया जाएगा। हितधारकों को उनके महत्व और प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिससे प्रभावी भागीदारी और उनकी आवश्यकताओं को समझने में सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया प्रतिपुष्टियों को रणनीतियों और निर्णय लेने में शामिल करने की अनुमति देती है। आईआरसीटीसी अपने दृष्टिकोण, पर्यावरणीय प्रथाओं, सामाजिक जिम्मेदारियों और गवर्नेंस ढांचे पर अंतर्दृष्टि एकत्र करने के लिए हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श करती है। कंपनी की हितधारक भागीदारी प्रक्रिया हितधारकों की अपेक्षाओं के साथ सरेखण सुनिश्चित करती है और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को बढ़ावा देती है।

2. **अपनी संस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ भागीदारी की आवृत्ति को सूचीबद्ध करें।**

हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमजोर और सीमांत समूह के रूप में की गई है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, सूचना बोर्ड, वेबसाइट) अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	भागीदारी का उद्देश्य और दायरा, जिसमें भागीदारी के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और मामले शामिल हैं।
शेयरधारक और निवेशक समूह	जी नहीं।	• प्रेस विज्ञप्ति • निवेशक सम्मेलन • व्यक्तिगत बैठकें • ईमेल • वार्षिक आम बैठक • वार्षिक रिपोर्ट और स्टॉक एक्सचेंज की घोषणा • बैठकें और कॉल	निरंतर	• वित्तीय कार्य-निष्पादन, • व्यवसाय रणनीति और निष्पादन योजना • व्यावसायिक कार्य-निष्पादन • कार्पोरेट गवर्नेंस

हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमजोर और सीमांत समूह के रूप में की गई है (हां/नहीं)	संचार चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठक, सूचना बोर्ड, वेबसाइट) अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	भागीदारी का उद्देश्य और दायरा, जिसमें भागीदारी के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और मामले शामिल हैं।
ग्राहक	जी नहीं।	• सर्वेक्षण • कार्य गतिविधियां • वेबसाइट • डिजिटल प्लेटफॉर्म- सोशल मीडिया • विज्ञापन	निरंतर	• सेवाओं का लाभ उठाना • सूचना • स्थिरता साख • प्रतिपुष्टि
	जी नहीं।	• सूचना पट्ट • ईमेल और कॉल • कार्यालय आदेश • कार्पोरेट पोर्टल • कर्मचारी भागीदारी सर्वेक्षण • व्यक्तिगत बैठकें	निरंतर	• सूचना • प्रशिक्षण एवं अधिगम के अवसर • विविधता • व्यावसायिक गतिविधियां • परामर्शी सत्र
सरकार और विनियामक	जी नहीं।	• नोटिस • ई-मेल • कार्यालय ज्ञापन • प्रेस विज्ञप्तियां	निरंतर	• कार्पोरेट व्यवहार • सूचना • विनियामक मुद्दे
आपूर्तिकर्ता एवं विक्रेता	जी नहीं।	• ईमेल और कॉल • वेबसाइट • क्रय आदेश • आपूर्तिकर्ता समीक्षाएँ • व्यक्तिगत दौरे	निरंतर	• व्यावसायिक गतिविधियां • गुणता जांच • सूचना
गैर सरकारी संगठन/समुदाय	जी नहीं।	• ईमेल और कॉल • बैठकें • पत्राचार	निरंतर	• लेखापरीक्षा • प्रतिपुष्टि • रिपोर्ट

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और संस्था की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (ए)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (डी)	% (डी/सी)
कर्मचारी						
स्थायी	1,396	360	25.7%	1,356	543	40.0%
स्थायी के अलावा	1,330	108	8.1%	873	17	2.0%
कुल कर्मचारी	**2,726**	**468**	**17.1%**	**2,229**	**560**	**25.1%**
श्रमिक						
स्थायी	लागू नहीं।					
स्थायी के अलावा						
कुल श्रमिक						

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (बी)	% (बी/ए)	सं.(सी)	% (सी/ए)		सं.(ई)	% (ई/डी)	सं.(एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी										
स्थायी	1,396	शून्य	शून्य	1,396	100.0%	1,356	शून्य	शून्य	1,356	100.0%
पुरुष	1,280	शून्य	शून्य	1280	100.0%	1,242	शून्य	शून्य	1,242	100.0%
महिला	116	शून्य	शून्य	116	100.0%	114	शून्य	शून्य	114	100.0%
स्थायी के अलावा	1,096	226	16.9%	1104	83.0%	873	190	21.7%	683	78.2%
पुरुष	1,096	95	8.6%	1001	91.4%	662	132	20.0%	530	78.0%
महिला	234	131	55.9%	103	44.0%	211	58	27.0%	153	80.0%
श्रमिक										
स्थायी	लागू नहीं।									
पुरुष										
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष										
महिला										

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

ए. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी –

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)*	4	₹ 63,06,378	0***	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक **	4	₹ 63,06,378	1	₹ 37,30,601
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	1,276	₹ 10,44,233	115	₹ 12,20,526
श्रमिक	लागू नहीं।			

नोट :

* यह केवल पूर्णकालिक निदेशकों को ही दर्शाता है।

** यह पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को दर्शाता है।

*** हालांकि, 31 मार्च, 2024 तक, कंपनी में कोई महिला पूर्णकालिक निदेशक नहीं थी; यह दर्शाता है कि एक महिला पूर्णकालिक निदेशक को अप्रैल और मई 2023 के लिए नियोजित किया गया था; दो महीने के लिए कुल वेतन रु. 30,46,368/- था।

बी. निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा भुगतान किए गए कुल वेतन के % के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल वेतन:

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
महिलाओं को कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में भुगतान की गई सकल मजदूरी	8.54%	8.69%

4. क्या आपके पास एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो मानवाधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)

जी हां।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।**

आईआरसीटीसी ने अपने कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सीधे संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए मजबूत संचार मैट्रिक्स लागू किया है। संगठन ने मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें कर्मचारी पोर्टल, कर्मचारी शिकायत रजिस्टर और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित एक समिति शामिल है। इसके अतिरिक्त, आईआरसीटीसी ने प्रबंधन से बात करें कार्यक्रम शुरू किया है, जो मानवाधिकारों से संबंधित किसी भी मुद्दे को तुरंत और कुशलता से संबोधित करने के लिए खुली बातचीत को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी की मानवाधिकार नीति के अनुसार, मानव संसाधन विभाग मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक तरीके से समाधान किया जाना शामिल है। आईआरसीटीसी ने मजबूत शिकायत निवारण नीति और मानक संचालन प्रक्रियाओं को भी लागू किया है जिसमें शिकायत निवारण समाधान के दो स्तर शामिल हैं। पहले स्तर में नामित अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक शिकायत निपटान शामिल है, जबकि दूसरे स्तर में अनसुलझे मुद्दों को आगे की समीक्षा के लिए उच्च समिति को भेजा जाता है। प्रतिपुष्टि के लिए उचित तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी शिकायत प्रक्रिया पर अपने इनपुट प्रदान कर सकें, जिससे इसकी प्रभावशीलता और जवाबदेही बढ़ सके। यह नीति सभी कर्मचारियों के मानवाधिकारों का सम्मान, संरक्षा, सहायक और सुरक्षित कामकाजी माहौल तक पहुंच सुनिश्चित करने की आईआरसीटीसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

6. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा यौन उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतों की संख्या**

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	2	1	-*	3	1	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बेगार/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मजदूरी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

* वर्ष के अंत में एक अनसुलझी शिकायत की सुनवाई पूरी होने तक प्रतीक्षा की जा रही थी।

7. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	2	3
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पीओएसएच पर शिकायतें	1.7%	2.6%
पीओएसएच पर शिकायतें बरकरार	1	1

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतों के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

आईआरसीटीसी मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है और मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी भी शिकायत के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। कंपनी का मानव संसाधन विभाग इन शिकायतों के प्राप्तकर्ता के रूप में कार्य करता है और उन्हें तुरंत और संतोषजनक ढंग से संबोधित करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रणाली मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए खुली, न्यायसंगत और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।

भारत में पीओएसएच (यौन उत्पीड़न निवारण) अधिनियम द्वारा, आईआरसीटीसी ने भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र लागू किया है। कंपनी ने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पुनर्गठन के लिए एक सक्षम प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है। आईसीसी में एक पीठासीन अधिकारी, दो कर्मचारी सदस्य और यौन उत्पीड़न के मुद्दों के बारे में जानकार एक बाहरी सदस्य होता है। आईसीसी समिति के पास कार्पोरेट स्तर पर सभी आईआरसीटीसी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों पर अधिकार क्षेत्र है। आईआरसीटीसी की कोई भी महिला कर्मचारी, जिसमें प्रतिनियुक्ति और नामित अनुशासन अधिकारी (डीडीओ) भी शामिल हैं, समिति को यौन उत्पीड़न से संबंधित लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती हैं। यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि पीओएसएच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, शिकायतों के समाधान के लिए एक संरचित प्रक्रिया मौजूद हो, तथा इसमें शामिल व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की भी रक्षा की जाए।

9. **क्या मानवाधिकार संबंधी आवश्यकताएँ आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदाओं का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

जी हां, मानवाधिकार आवश्यकताएं आईआरसीटीसी के व्यावसायिक समझौतों और संविदाओं का एक अभिन्न अंग हैं। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार, मानवाधिकारों को राज्य और केंद्रीय स्तर पर दोनों कानूनों का पालन करें। इन आवश्यकताओं को संविदाओं और समझौतों में शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें शामिल सभी पक्ष मानवाधिकार सिद्धांतों का पालन और सम्मान करें।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या सांविधिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	0%
बेगार/अनैच्छिक श्रम	0%
यौन उत्पीड़न	0%
कार्यस्थल पर भेदभाव	0%
मजदूरी	0%
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0%

11. उपरोक्त प्रश्न 10 के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/मामलों को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

शून्य

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोत से		
कुल विद्युत - सौर **(ए)**	1,630.44गीगाजूल	679.24 गीगाजूल
कुल ईंधन खपत **(बी)**	-	-
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत **(सी)**	-	-
कुल ऊर्जा खपत (ए+बी+सी)	**1,630.44 गीगाजूल**	**679.24 गीगाजूल**
गैर-नवीकरणीय स्रोत से		
कुल विद्युत खपत **(डी)**	1,00,814.77 गीगाजूल	73,662.80 गीगाजूल
कुल ईंधन खपत **(ई)**	7,202.25 गीगाजूल	2,491.26 गीगाजूल
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत **(एफ)**		
गैर-नवीकरणीय स्रोत से खपत की गई कुल ऊर्जा (डी+ई+एफ)	**1,08,017.02 गीगाजूल**	**76,154.06 गीगाजूल**
नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (ए + बी + सी + डी + ई + एफ)	**1,09,647.46 गीगाजूल**	**76,833.30 गीगाजूल**
प्रति रुपया कुल कारोबार पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ परिचालन से राजस्व)	0.26	0.22
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कुल कारोबार के प्रति रुपए में ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत / परिचालन से राजस्व)	4791.87	3357.81
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	आईआरसीटीसी के विविध खंडों के कारण, इसकी सेवाओं और उत्पादों के लिए किसी एक प्रकार का भौतिक उत्पादन नहीं है।	
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक का चयन संस्था द्वारा किया जा सकता है।	-	-

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन का पालन किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

जी हां, कंपनी ने टीयूवी इंडिया द्वारा दिए गए उचित आश्वासन का पालन किया है।

नोट: पीपीपी रूपांतरण दर वर्ष 2022 के नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिए ओईसीडी आंकड़ों से ली गई है, जो भारत के लिए 22.882 है।

https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार की कार्य-निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएँ कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

लागू नहीं।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटण का विवरण प्रदान करें**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	1,58,569.00	1,11,553.00
(ii) भूजल	3,31,337.60	33,85,867.14
(iii) तृतीय पक्ष जल	2,47,611.67	81,541.36
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (I + ii + iii + iv + v)	7,37,518.27	**35,78,961.5**
जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	637646.11	**35,78,961.5**
प्रति रुपया कुल कारोबार पर जल तीव्रता (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व)	1.49	10.11
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कुल कारोबार पर जल तीव्रता (कुल जल खपत / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	27866.71	156409.47
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता	आईआरसीटीसी के विविध खंडों के कारण, इसकी सेवाओं और उत्पादों के लिए किसी एक प्रकार का भौतिक उत्पादन नहीं है।	
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन का पालन किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

जी हां, कंपनी ने टीयूवी इंडिया द्वारा दिए गए उचित आश्वासन का पालन किया है।

नोट: पीपीपी रूपांतरण दर वर्ष 2022 के नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिए ओईसीडी आंकड़ों से ली गई है, जो भारत के लिए 22.882 है।

4. **निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल तक	-	-
- कोई उपचार नहीं।	-	-
- उपचार सहित - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें।		
(ii) भूजल तक		
- कोई उपचार नहीं।	24504.58	-
- उपचार सहित - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें।	-	-
(iii) समुद्री जल तक		
- कोई उपचार नहीं।	-	-
- उपचार सहित - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें।	-	-
(iv) तृतीय पक्षों को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं।	75367.58	-
- उपचार सहित - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें।	-	-
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं।	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
जल निर्वहन की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	99872.16	**-**

नोट - कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन कराया गया है/आश्वासन का पालन किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

जी हां, कंपनी ने टीयूवी इंडिया द्वारा दिए गए उचित आश्वासन का पालन किया है।

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

जी नहीं।

6. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें।

पैरामीटर	कृपया संस्था निर्दिष्ट करें।	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
नाइट्रोजन ऑक्साइड			
सल्फर ऑक्साइड			
पर्टिकुलेट मैटर (पीएम)			
सतत कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)		शून्य	
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)			
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें			

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 एवं स्कोप 2 उत्सर्जन) और उनकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें।

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें।	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 समतुल्य मीट्रिक टन	392.38	169.79
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 समतुल्य मीट्रिक टन	20,022.93	14,630.00
प्रति रुपया कुल कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)		0.05	0.04
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कुल कारोबार के लिए कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)		892.20	646.79
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता		आईआरसीटीसी के विविध खंडों के कारण, इसकी सेवाओं और उत्पादों के लिए किसी एक प्रकार का भौतिक उत्पादन नहीं है।	
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक हो सकता है।		-	-

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन का पालन किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

जी हां, कंपनी ने टीयूवी इंडिया द्वारा दिए गए उचित आश्वासन का पालन किया है।

नोटः पीपीपी रूपांतरण दर वर्ष 2022 के नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिए ओईसीडी आंकड़ों से ली गई है, जो भारत के लिए 22.882 है।
https://data.oecd.org/conversion/purchasing-power-parities-ppp.htm

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

जी नहीं, कंपनी के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।

9. **कृपया संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें।**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट **(ए)**	10229.00*	8,842.00
ई-अपशिष्ट **(बी)**	5.39	13.64
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट **(सी)**	-	-
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट **(डी)**	-	-
बैटरी अपशिष्ट **(ई)**	-	0.49
रेडियोधर्मी अपशिष्ट **(एफ)**	-	-
अन्य खतरनाक अपशिष्ट्। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। **(जी)**	-	-
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट **(एच)** कागज और कार्डबोर्ड अपशिष्ट्।	0.17	5.05
जैव निम्नीकरणीय (वस्त्र आधारित)	0.03	-
गैर-जैवनिम्नीकरणीय (धातु)	0.03	-
कुल (ए+ बी+ सी+ डी+ ई+ एफ+ जी+ एच)	**10234.99**	**8,861.18**
प्रति रुपया कुल कारोबार में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व)	0.02	0.02
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कुल कारोबार के प्रति रुपए में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	447.29	387.25
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	आईआरसीटीसी के विविध खंडों के कारण, इसकी सेवाओं और उत्पादों के लिए किसी एक प्रकार का भौतिक उत्पादन नहीं है।	
अपशिष्ट तीव्रता (वैकल्पिक) - संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है।	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)।		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्नवीनीकृत (प्लास्टिक अपशिष्ट)	6264**	2,177.00
(ii) पुनः उपयोग किए गए	-	-
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य- वापस लेना और अधिकृत विक्रेता को विक्रय करना।	1.29	14.13
कुल	**6265.29**	**2,191.13**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	-	-
(ii) भूमिभरण (गैर-खतरनाक अपशिष्ट)	3969.70	6,670.05
(iii) अन्य निपटान कार्य	-	-
कुल	**3969.70**	**6,670.05**

नोट: कृपया बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन का पालन किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

जी हां, कंपनी ने टीयूवी इंडिया द्वारा दिए गए उचित आश्वासन का पालन किया है।

नोट: * पीडब्लूएम नियमों और सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, पिछले वर्ष की बिक्री के आधार पर संग्रह को देखते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पन्न कचरे का 100% संग्रह वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्ण कर लिया जाएगा।

** वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य पीडब्लूएम नियमों और सीपीसीबी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पिछले वर्ष की कुल बिक्री का 70% निर्धारित किया गया है।

पीपीपी रूपांतरण दर वर्ष 2022 के नवीनतम उपलब्ध वर्ष के लिए ओईसीडी डेटा से ली गई है, जो भारत के लिए 22.882 है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षिप्त विवरण दें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

- आईआरसीटीसी ने विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट का जिम्मेदारीपूर्वक निपटान सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रतिष्ठानों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों को लागू किया गया है।
- प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन ईपीआर नियमों के अनुसार किया जाता है, जिसमें रेल नीर उत्पादों का संग्रह, पुनर्नवीनीकरण और अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से निपटान किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे खतरनाक कचरे का निपटान स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उचित रूप से किया जाता है। दो-डिब्बे वाली प्रणाली का उपयोग करके अपशिष्ट पृथक्करण किया जाता है, तथा पृथक किए गए अपशिष्ट को जिम्मेदार निपटान के लिए नगर निगम को सौंप दिया जाता है।
- अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं सहित ई-अपशिष्ट को अधिकृत विक्रेता के सहयोग से एक तंत्र के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण और निपटान किया जाता है।
- आईआरसीटीसी अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुरक्षित और गैर-विषाक्त सामग्रियों के उपयोग सहित सतत प्रथाओं पर जोर देता है।

11. यदि संस्था का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र, आदि) में/आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है,

परिचालन/कार्यालयों का स्थान	परिचालन के प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो?
	शून्य	

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	पब्लिक डोमेन में परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
			शून्य		

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और इसके तहत नियम (हां/नहीं) यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण दें।

उस कानून / विनियमन / दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी विनियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो,
		शून्य	

सिद्धांत 7: व्यवसायों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय, जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. ए. व्यापार और उद्योग चैंबरों/ संघों के साथ संबद्धताओं की संख्या – 18

   बी. उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिसमें संस्था सदस्य/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चैंबरों/ संघों के नाम	व्यापार और उद्योग चैंबरों/ संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज	राष्ट्रीय
2.	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)	राष्ट्रीय
3.	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
4.	भारतीय वाणिज्य मंडल (आईसीसी)	राष्ट्रीय
5.	इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ)	राष्ट्रीय
6.	ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई)	राष्ट्रीय
7.	एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया (एडीटीओआई)	राष्ट्रीय
8.	पेसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पीएटीए)	राष्ट्रीय
9.	पर्यटन मंत्रालय (आतंरिक)	राष्ट्रीय
10	ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएएफआई)	राष्ट्रीय

2. **विनियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का कोई मामला सामने नहीं आया है।		

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण**

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/ नहीं)	पब्लिक डोमेन में परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/नहीं)	संबंधित वेब लिंक
एसआईए अपने परिचालन और परियोजनाओं की प्रकृति के कारण आईआरसीटीसी पर लागू नहीं होता है। मुख्य रूप से रेलवे क्षेत्र में सेवा प्रदाता के रूप में, आईआरसीटीसी की परियोजनाओं में आम तौर पर बुनियादी ढांचे का विकास, खानपान सेवाएं, पर्यटन पहल और ऑनलाइन टिकटिंग सेवाएं शामिल होती हैं। इन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमि अधिग्रहण, समुदायों का विस्थापन, या कोई बड़ा पर्यावरणीय या सामाजिक प्रभाव शामिल नहीं है, जिसके लिए औपचारिक एसआईए प्रक्रिया की आवश्यकता होगी। इसलिए, एसआईए आईआरसीटीसी के परिचालन और परियोजनाओं पर लागू नहीं होता है।					

2. **उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है।**

परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एंड आर द्वारा शामिल किए गए पीएएफ का %	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रु. में)
लागू नहीं।					

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके निवारण के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

आईआरसीटीसी ने अपनी सीएसआर नीति के अनुसार समुदाय के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। इसमें हितधारकों या कार्यान्वयन एजेंसियों से अपील और शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए टियर 2 समिति भी शामिल है। नोडल अधिकारी के नेतृत्व में टीयर 2 समिति आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता ले सकती है। गंभीर मुद्दों या इस स्तर पर अनसुलझे मुद्दों को टियर 1 समिति के पास भेजा जाता है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या स्वतंत्र निदेशक करते हैं, जिससे संपूर्ण शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। सभी सीएसआर परियोजनाओं में आईआरसीटीसी-सीएसआर-डी-23 और आईआरसीटीसी-सीएसआर-डी-24 के दस्तावेजों पर विस्तृत विवाद निवारण खंड शामिल हैं। आईआरसीटीसी के पास बाहरी हितधारकों के लिए शिकायत निवारण के लिए तंत्र मौजूद है, जिसके माध्यम से समुदाय कंपनी तक पहुंच सकते हैं। इस शिकायत निवारण तंत्र का उद्देश्य समय पर समाधान, निष्पक्षता, पारदर्शिता, निरंतर सुधार और अनुपालन करना है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट)।**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
सीधे तौर पर एमएसएमई/लघु उत्पादकों से प्राप्त	63.02%	36.50%
सीधे तौर पर भारत से	100%	100%

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन-निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को कुल मजदूरी लागत के% के रूप में भुगतान किए गए वेतन का प्रकटन करें।**

स्थान	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
ग्रामीण	0%	0%
अर्ध-शहरी	11.50%	11.00%
शहरी	17.55%	18.30%
महानगर	70.95%	70.50%

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें**

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं।	

2. **सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें-**

राज्य	आकांक्षी जिला	व्यय की गई राशि रु. में
पश्चिम बंगाल	नदिया	42,00,000
	मुर्शिदाबाद	26,24,000
बिहार	बेगुसराय	24,00,000
झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	73,07,840
	खूंटी	45,80,000
	रामगढ	14,80,000
मध्य प्रदेश	विदिशा	19,03,900
उत्तर प्रदेश	फ़तेहपुर	28,40,000
कर्नाटक	यादगीर	16,85,000
	रायचूर	16,85,000

3. ए. **क्या आपकी कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसमें आप सीमांत/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)**

जी हां।

बी. **आप किन सीमांत/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?**

आईआरसीटीसी के पास एमएसई के लिए उप-लक्ष्यों के साथ एक खरीद नीति है, जिसमें सीमांत समुदायों अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाती है।

सी. कुल खरीद का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) क्या है?

आईआरसीटीसी का वार्षिक खरीद लक्ष्य रु.150 करोड़ है। हालांकि कंपनी ने रु.213 करोड़ की खरीद की है। इसमें से रु.134.37 करोड़ या 63.02 प्रतिशत की खरीद एमएसई (एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से की गई थी। इसमें से रु.134.37 करोड़ या 63.02 प्रतिशत की खरीद एमएसई (एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से की गई थी।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या अर्जित बौद्धिक संपदाओं (चालू वित्तीय वर्ष में) से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण प्रदान करें:

पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अर्जित (हां/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हां/नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
शून्य			

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी भी प्रतिकूल क्रम के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं।		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण

सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
बिहार के पूर्वी चंपारण में 50 दोहरी सौर स्ट्रीट लाइटें लगाने के लिए कौशल्या फाउंडेशन को वित्त पोषण	1000	90%
वाराणसी के शिवपुर स्वास्थ्य केंद्र में 5 सीटों वाले सार्वजनिक शौचालय के निर्माण और रखरखाव के लिए सुलभ इंटरनेशनल को वित्त पोषण	1000	60%
ओडिशा के नीलगिरि बालासोर में 50 दोहरी सौर स्ट्रीट लाइटें स्थापित करने के लिए उम्मीद एक आशा की किरण को वित्त पोषण	1000	90%
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 10 बिस्तरों वाले वृद्ध चिकित्सा अस्पताल सपर्या के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने हेतु वीएलसी ट्रस्ट को वित्त पोषण	12000	80%
ग्रामीण महिला मगसवर्गीय बहु-उद्देशिया समाज विकास संस्था, नागपुर, महाराष्ट्र को आईआरसीटीसी द्वारा खरीदे गए 10 लैपटॉप देने का प्रावधान।	500	70%
मारुति सुजुकी इको एम्बुलेंस की खरीद के लिए 'फ्रेंडिकोस-एसईसीए को वित्तीय सहायता।	20	NA
मानव कल्याण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रानाघाट, नादिया, पश्चिम बंगाल में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण एवं रखरखाव।	4000	60%
मुन्सेल सोसाइटी द्वारा लद्दाख में विशेष आवश्यकता वाले स्कूल के लिए छत की मरम्मत और नई फिजियोथेरेपी-कम्प्यूटर लैब का निर्माण	2000	80%
प्रदीप सोशल वेलफेयर ग्रुप ऑफ इंडिया द्वारा फूलपुर, फाफामऊ, सोरांव और प्रयागराज के छोटे गांवों में 10 हैंडपंप स्थापित किए गए।	1000	80%
पूर्वी सिंहभूम, झारखंड और मयूरभंज, ओडिशा के लिए एक चिकित्सा वैन खरीदने के लिए विश्व कल्याण सेवा ट्रस्ट को वित्तीय सहायता।	5000	80%
एसओएस चिल्ड्रन विलेज इंडिया द्वारा बिहार के एसओएस गाँव बेगुसराय में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए वित्त पोषण	225	90%
नेला द्वारा आयोजित मच्छरदानी वितरण शिविर के लिए आईआरसीटीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई।	20000	90%
पूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष।	100	NA
महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी पैड के लिए 50 स्मार्ट वेंडिंग मशीनें और 50 भस्मक स्थापित करने और चारकोल कॉटन-आधारित पैड वितरित करने के लिए तारा ग्रीश माथुर चैरिटेबल ट्रस्ट को सहायता।	10000	80%

सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में महिलाओं के लिए उद्दीपन कौशल विकास संस्थान की पहली मंजिल के निर्माण के लिए उद्दीपन शिक्षा ट्रस्ट को वित्तीय सहायता।	500	90%
नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में 55 दृष्टिबाधित एवं विकलांग छात्रों को टैबलेट और मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के लिए एनएबी बिहार को वित्तीय सहायता।	55	80%
नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण, बैठने और सौर प्रकाश के साथ सेत्सु गांव के सामुदायिक मनोरंजन केंद्र को बढ़ाने के लिए पीपुल्स होप के लिए वित्तीय सहायता।	1000	90%
उत्तर प्रदेश के फूलपुर, फाफामऊ, सोरांव और प्रयागराज के गांवों में 50 हैंडपंप लगाने के लिए प्रदीप सोशल वेलफेयर ग्रुप को वित्तीय सहायता।	5000	80%
कोहिमा, नागालैंड के सरकारी स्कूलों में 10 स्मार्ट कक्षाओं में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए होप फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	2000	80%
असम के मोरीगांव में एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा संस्था उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन हेतु पूर्वोत्तर विकास परिषद को वित्तीय सहायता।	15000	90%
आईआरसीटीसी द्वारा प्रायोजित मच्छरदानी वितरण शिविर (1000 मच्छरदानियां) आयोजित करने के लिए हेल्प फॉर एवरीवन ट्रस्ट को वित्तीय सहायता।	2000	90%
भारती नवदीप समिति को सैनिटरी पैड के लिए स्मार्ट वेंडिंग मशीन और भस्मक स्थापित करने तथा बिहार के सुपौल जिले के स्कूलों और कॉलेजों में 3,06,000 नैपकिन वितरित करने के लिए वित्तीय सहायता।	6000	80%
भारत सेवाश्रम संघ, दिल्ली को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बेकरी इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें मशीनरी की खरीद और स्थापना भी शामिल है।	20	90%
झारखंड के गांवों में 100 सौर स्ट्रीट लाइट और 10 हाई मास्ट सौर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए विश्व कल्याण सेवा ट्रस्ट को वित्तीय सहायता।	2000	90%
छत्तीसगढ़ के 10 क्लस्टर स्कूलों में पारंपरिक भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए मलखंभ योग उपकरण उपलब्ध कराने हेतु नित्यम फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	2000	80%
श्री चंदर सिंह नेगी मेमोरियल ट्रस्ट को पोखरा ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड के लिए एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।	10000	80%
पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, बिहार में 100 सौर लाइटें उपलब्ध कराने के लिए कौशल्या फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	2000	80%
पाटलिपुत्र, बिहार में आईआरसीटीसी द्वारा मच्छरदानी वितरण शिविर आयोजित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान संस्थान को वित्तीय सहायता (1000 मच्छरदानियां)।	2000	90%
ओडिशा के बालासोर में मच्छरदानी वितरण शिविर आयोजित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान संस्थान को वित्तीय सहायता (1000 मच्छरदानियां) आईआरसीटीसी द्वारा दान की गई।	2000	90%
एम्बुलेंस और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए आरके मदर टेरेसा फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	10000	80%
सीआरपीएफ कल्याण कोष से 5 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	3000	NA
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 120 जवानों की क्षमता वाले एक बैरक और 14 अस्थायी बैरकों के लिए भूमिगत वर्षा जल संचयन कुंड के निर्माण के लिए बीएसएफ कल्याण कोष से धनराशि प्रदान की गई।	700	NA
उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों और भारत भर के अन्य स्थानों में कंबल वितरित करने के लिए हरे कृष्ण आंदोलन वृंदावन को वित्तीय सहायता।	5000	90%
सीएसआर विभाग के लिए माइक्रोफोन सहित एक डीएसएलआर कैमरा और एक लैपटॉप की खरीद।	0	NA
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 25 सरकारी स्कूलों में 150 लीटर वोल्टास/ब्लूस्टार वाटर कूलर और केंट यूवी प्यूरीफायर लगाने के लिए राष्ट्रीय युवा फाउंडेशन को वित्तीय सहायता दी गई है, जिसमें परिवहन, सिविल कार्य और अन्य खर्च शामिल हैं।	6250	80%

सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और सीमांत समूहों के लाभार्थियों का %
मध्य प्रदेश के पांच गरीब गांवों में शिक्षा को बढ़ावा देने और स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए, शैक्षणिक संस्थान, पालन पाठशाला के निर्माण हेतु पालन सेवा फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	500	90%
दक्षिण सुंदरवन जनकल्याण संघ द्वारा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में 10 तालाबों का जीर्णोद्धार।	5000	80%
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वरिष्ठ नागरिक दिवस देखभाल केंद्र और वृद्धाश्रम बनाने के लिए एसवीएआर को वित्तीय सहायता।	500	80%
पूर्वोत्तर भारत में सारथी मोबिलिटी उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन (भारत) को वित्तीय सहायता।	2000	90%
मणिपुर के जनजातीय समुदायों के लिए टाटा 407 एम्बुलेंस खरीदने हेतु स्प्रिंग चैरिटेबल ट्रस्ट को धनराशि प्रदान की गई।	10000	80%
कर्नाटक के यादगीर और रायचूर में 10 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए संवेदना डेवलपमेंट सोसाइटी को वित्तीय सहायता।	5000	80%
कर्नाटक के यादगीर और रायचूर में 10 स्मार्ट कक्षाओं के लिए संवेदना विकास सोसाइटी को वित्तीय सहायता।	10000	90%
क्रिएटिक फाउंडेशन के लिए वित्तीय सहायता-नागपुर के स्कूलों को 50 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, भस्मक और 25,000 नैपकिन पैकेट।	10000	80%
अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में वंचितों के लिए मोबाइल क्लिनिक खरीदने हेतु जनजातीय विकास फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	10000	90%
बिहार के नालंदा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने हेतु महिला उद्यमी संघ को वित्तीय सहायता।	5000	80%
बीएएम अस्पताल को आटा बॉल के साथ एक हजार/घंटे की स्वचालित चपाती बनाने वाली मशीन के लिए ₹10,90,910/- दिए गए।	1000	60%
झारखंड के रामगढ़ के गोला ब्लॉक स्थित सीएचसी अस्पताल में एम्बुलेंस खरीद के लिए वित्तीय सहायता।	5000	80%
प्रकाश नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल, बेंगलुरु के लिए 30 जोड़ी बेंच और डेस्क खरीदे और वितरित किए।	60	80%
पूर्वी चंपारण, बिहार में गांधी के स्वच्छता मिशन पर कौशल्या फाउंडेशन की डॉक्यूमेंट्री के लिए वित्तीय सहायता।	10000	60%
लेह में उपकरण और कोचिंग के लिए लद्दाख टेबल टेनिस एसोसिएशन को रु.9,45,000 की वित्तीय सहायता।	5000	80%
अरुणाचल प्रदेश के लेपा राडा जिले में चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तपोषण	10000	80%
श्री राम ग्रामीण क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता: मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश में मोबाइल मेडिकल वैन के लिए रु.38,00,000 लाख।	10000	80%
महावीर इंटरनेशनल के लिए वित्तीय सहायता: मध्य दिल्ली में पूर्णतः सुसज्जित मेडिकेयर वैन और चिकित्सा शिविर उपकरण के लिए रु.43,00,000 लाख।	10000	60%
झारखंड के खूंटी जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरण खरीदने हेतु राष्ट्र ऋषि नानाई को वित्तीय सहायता।	10000	80%
बिहार के नालंदा के धरहरा गांव में डिजिकुल कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने हेतु सरल एनजीओ को वित्तीय सहायता।	5000	80%
बिहार के पूर्वी चंपारण के गांधी मैदान में आउटडोर जिम के लिए कौशल्या फाउंडेशन को वित्तीय सहायता।	3000	80%
बिहार के धरहरा गांव में डिजिकुल प्रशिक्षण केंद्र के लिए कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने हेतु सरल एनजीओ को वित्तीय सहायता।	5000	80%
पीएम केयर्स फंड	100000	90%

सिद्धांत 9: व्यवसायों को जिम्मेदारीपूर्वक अपने उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

अनिवार्य संकेतक

1. उपभोक्ता की शिकायतों और प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

आईआरसीटीसी बहु-चैनल प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिपुष्टि का प्रबंधन करता है। आईआरसीटीसी ग्राहक सेवा कॉल केंद्र, 120 सक्रिय पीआरआई लाइनों के साथ प्रतिदिन लगभग 20,325 कॉल और 8,471 ई-मेल का संचालन करता है, जिसमें 4% कॉल छोड़ने की दर और लगभग शून्य मेल लंबित है।

विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी शिकायतों का समाधान किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से टिकट रिफंड और बुकिंग मुद्दों के लिए सीपीग्राम, रेल मंत्रालय से मोरली, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, रेल मद, उपभोक्ता मामले मंत्रालय से इनग्राम और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सुगम्य भारत ऐप शामिल हैं। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और समग्र सेवा गुणता को बढ़ाने के लिए इन बातचीत से प्राप्त प्रतिपुष्टियों का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण किया जाता है। डीपीजी/पीएमओ की शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर तथा मोरली की शिकायतों का समाधान 45 दिनों के भीतर किया जाता है, जिनमें से 95% से अधिक शिकायतों का समाधान समय पर किया जाता है, तथा इसमें सख्त गुणता जांच, एसएलए प्रवर्तन और नियमित प्रशिक्षण का भी सहयोग मिलता है।

2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं से कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का कुल कारोबार जिनके बारे में जानकारी होती है:

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में	
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक पैरामीटर	शून्य	शून्य
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	7.65%	शून्य
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	शून्य	शून्य

3. उपभोक्ता शिकायतों की संख्या

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
डेटा गोपनीयता	शून्य	-	लंबित शिकायतें नियमित रिपोर्टिंग समय चक्र के अनुरूप होती हैं और निर्धारित अवधि के भीतर उनका समाधान कर दिया जाता है।	शून्य	-	
विज्ञापन	शून्य	-		शून्य	-	
साइबर सुरक्षा	शून्य	-		शून्य	-	
आवश्यक सेवाओं का वितरण	2,70,081	35		2,51,703	शून्य	
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ	शून्य	-		शून्य	-	
अनुचित व्यापार व्यवहार	शून्य	-		शून्य	-	
अन्य-	-	-		-	-	

नोट: रिपोर्ट किए गए आंकड़ों में लेन-देन संबंधी गड़बड़ियों के बारे में दैनिक रिपोर्ट किए गए रेलवे ग्राहकों के सामान्य प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है, और अधिकांश शिकायतें आईआरसीटीसी की सेवा वितरण का हिस्सा नहीं हैं।

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण

	संख्या	वापस मंगाए जाने के कारण
स्वैच्छिक रूप से मंगाए जाने के कारण	शून्य	लागू नहीं।
जबरन मंगाए जाने के कारण	शून्य	लागू नहीं।

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब लिंक प्रदान करें।

आईआरसीटीसी अपनी ऑनलाइन सेवाओं और डेटा को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। इसकी ई-टिकटिंग प्रणाली उद्योग-मानक सुरक्षा उपायों जैसे फायरवॉल, घुसपैठ रोकथाम प्रणाली और वेब अनुप्रयोग फायरवॉल द्वारा संरक्षित है। वेबसाइट एंड-टू-एंड डेटा एन्क्रिप्शन के लिए विस्तारित सत्यापन एसएसअल/टीएलएस प्रमाणपत्र का उपयोग करती है, और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी डेटाबेस में एन्क्रिप्टेड रूप में संग्रहीत की जाती है। भुगतान प्रक्रिया यूआरएल पुनर्निर्देशन मॉडल के माध्यम से की जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि क्रेडिट/डेबिट कार्ड का डेटा आईआरसीटीसी की ओर से लीक न हो। गोपनीयता नीति सहित सुरक्षा नीतियां केवल कर्मचारियों के लिए आईआरसीटीसी कॉर्पोरेट पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

6. विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस लेने की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई/जुर्माना।

आईआरसीटीसी इंटरनेट टिकटिंग, पर्यटन और खानपान जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ग्राहकों की शिकायतों का मामला-दर-मामला आधार पर समाधान करता है, तथा समस्याओं के समाधान के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है। कंपनी द्वारा की गई कुछ कार्रवाइयों में संदिग्ध गतिविधि के लिए बुकिंग और उपयोगकर्ता आईडी का विश्लेषण करना, धोखाधड़ी में प्रयुक्त फर्जी मोबाइल नंबरों की रिपोर्ट करना, आईआरसीटीसी जैसे डोमेन के दुरुपयोग की पहचान करना और उन्हें हटाना, तथा जांच और निष्क्रियण के लिए अवैध मोबाइल नंबरों की रिपोर्ट करना शामिल है। हालांकि, विनियामक प्राधिकरणों ने इन मामलों में कोई जुर्माना नहीं लगाया है और न ही कार्रवाई की गई है।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

ए. डेटा उल्लंघन के मामलों की संख्या।

शून्य

बी. ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत।

0%

सी. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो।

लागू नहीं।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

एसडी/-
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09629741

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19 जुलाई, 2024

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – दी 1

TÜVINDIA

स्वतंत्र आश्वासन वक्तव्य

सेवा में,
निदेशक मंडल
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
11 वां तल, स्टेट्समैन हाउस, बी-148, बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली-110001,

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (अबसे 'आईआरसीटीसी') ने सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122, दिनांक 12/07/2023) में निर्धारित (बीआरएसआर कोर - मूल्य शृंखला के लिए आश्वासन और ईएसजी प्रकटन के लिए रूपरेखा) का पालन करते हुए बीआरएसआर कोर प्रकटन (बीआरएसआर कोर के प्रारूप के अनुसार 09 गुण) के स्वतंत्र बाह्य आश्वासन का संचालन करने के लिए टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (टीयूवीआई) को नियुक्त किया है। आईआरसीटीसी ने 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और चिरंतनता रिपोर्ट (अबसे 'बीआरएसआर') तैयार की है। बीआरएसआर जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी), सेबी परिपत्र: सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी-2/पी/सीआईआर/2021/562, दिनांक 10/05/2021 और व्यवसाय उत्तरदायित्व और चिरंतनता रिपोर्ट (बीआरएसआर) आवश्यकता से संबंधित अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/131, दिनांक 14/06/2023 पर आधारित है। यह आश्वासन कार्य बीआरएसआर, हमारे अनुबंध की शर्तों और आईएसएई 3000 (संशोधित) आवश्यकता के संदर्भ में किया गया था।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

आईआरसीटीसी ने बीआरएसआर तैयार किया है और बीआरएसआर (वेब-आधारित और प्रिंट) में प्रस्तुत जानकारी के संग्रह, विश्लेषण, डेटा की प्रामाणिकता और प्रकटन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें वेबसाइट रखरखाव, अखंडता और बीआरएसआर में बताए गए मानदंडों के संदर्भ में इसकी गुणता और सटीकता सुनिश्चित करना शामिल है, ताकि यह गलत बयानों (जाने या अनजाने में, गुणात्मक या मात्रात्मक, चूक सहित) से मुक्त हो। आईआरसीटीसी पूरी और सच्ची जानकारी और डेटा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा, आईआरसीटीसी अनुरोध पर हितधारकों और नियामकों को प्रकट किए गए डेटा को संग्रहीत करने और पुन: प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।

दायरा और सीमा

इस कार्य के दायरे में बीआरएसआर रिपोर्ट में वर्णित अनुलग्नक I - बीआरएसआर कोर प्रारूप के अनुसार 09 गुणों के आश्वासन का पालन करना शामिल है। बीआरएसआर की मुख्य आवश्यकताओं में संगठन के पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) से संबंधित आवश्यक प्रकटन शामिल हैं। विशेष रूप से, आश्वासन कार्य में निम्नलिखित शामिल थे:

i. आईआरसीटीसी द्वारा प्रस्तुत अनुलग्नक I - बीआरएसआर कोर प्रारूप के अनुसार 09 गुणों की समीक्षा
ii. सूचना की गुणता की समीक्षा
iii. सभी 9 गुणों और उसके केपीआई के लिए साक्ष्य की समीक्षा (यादृच्छिक नमूनों पर)

टीयूवीआई ने बीआरएसआर में वर्णितअनुलग्नक I - बीआरएसआर कोर प्रारूप के अनुसार नीचे दिए गए 09 गुणों को सत्यापित किया है -

गुण (लक्षण)	केपीआई
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) पदचिह्न (फुटप्रिंट) सीमा: दायरा 1 सीमा - सभी रेल नीर खंड संयंत्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय, पर्यटन कार्यालयों और बेस किचन (खानपान) से खपत। दायरा 2 सीमा - सभी रेल नीर खंड संयंत्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय, पर्यटन कार्यालयों और बेस किचन (खानपान) से खपत।	कुल दायरा 1 उत्सर्जन (प्रकार के अनुसार विभाजन सहित) - जीएचजी (2) उत्सर्जन मीट्रिक टन में - संगठन के स्वामित्व वाले या नियंत्रित स्रोतों से प्रत्यक्ष उत्सर्जन (रिपोर्ट किया गया)
	एमटी में कुल दायरा 2 उत्सर्जन - उपयोगिता प्रदाता से खरीदी गई ऊर्जा के उत्पादन से अप्रत्यक्ष उत्सर्जन (रिपोर्ट किया गया)
	जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता (दायरा 1+2), कुल दायरा 1 और दायरा 2 उत्सर्जन (एमटी) / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल राजस्व
जल पदचिह्न सीमा: सभी रेल नीर खंड संयंत्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय, पर्यटन कार्यालयों और बेस किचन (खानपान) से खपत।	कुल जल खपत (किलोमीटर में) (अनुमानित केपीआई)
	जल उपभोग तीव्रता - kL / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से कुल राजस्व
	गंतव्य के अनुसार जल निर्वहन और उपचार के स्तर (kL) (अनुमानित केपीआई)
ऊर्जा पदचिह्न सीमा: विशेषता ''ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) पदचिह्न'' देखें	कुल ऊर्जा खपत गीगाजूल (रिपोर्ट किया गया)
	नवीकरणीय स्रोतों से खपत ऊर्जा का % - % के संदर्भ में (रिपोर्ट की गई)
	ऊर्जा तीव्रता - जीजे/ रुपया पीपीपी के लिए समायोजित
सर्कुलरिटी को अपनाना - यूनिट द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण **सीमा:** सभी रेल नीर खंड संयंत्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय, पर्यटन कार्यालयों और बेस किचन (खानपान) से खपत।	प्लास्टिक अपशिष्ट (ए) (एमटी) (केवल रेल नीर खंड संयंत्रों के लिए रिपोर्ट किया गया)
	ई-अपशिष्ट (बी) (एमटी) (शून्य के रूप में रिपोर्ट किया गया)
	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (सी) (किलोग्राम/मीट्रिक टन) (लागू नहीं)
	बैटरी अपशिष्ट (डी) (एमटी) (शून्य के रूप में रिपोर्ट किया गया)
	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (डी) (किलोग्राम/मीट्रिक टन) (लागू नहीं बताया गया)

TÜVINDIA

गुण (लक्षण)	केपीआई	
	रेडियोधर्मी अपशिष्ट (एफ) (किलोग्राम/मीट्रिक टन) (लागू नहीं बताया गया)	
	अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (जी) (किलोग्राम/मीट्रिक टन) (लागू नहीं होने की सूचना दी गई)	
	उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (एच)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार) (किलोग्राम/मीट्रिक टन) (रिपोर्ट किया गया)	
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (ए + बी + डी + ई + एफ + जी + एच) (एमटी) (रिपोर्ट)	
	अपशिष्ट तीव्रता: मीट्रिक टन/पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के लिए समायोजित रुपया	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (एमटी) (ईपीआर संग्रह लक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट किया गया है)	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (तीव्रता) (उत्पन्न अपशिष्ट आंशिक रूप से रिपोर्ट किया गया है)	
	✓ पुनर्चक्रित पुनर्प्राप्त अपशिष्ट / कुल उत्पन्न अपशिष्ट	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति (एमटी) के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (ईपीआर संग्रहण के अलावा अन्य अपशिष्ट को लैंडफिल माना जाता है)	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (तीव्रता) (उत्पन्न अपशिष्ट आंशिक रूप से रिपोर्ट किया जाता है)	
	✓ पुनर्चक्रित पुनर्प्राप्त अपशिष्ट / कुल उत्पन्न अपशिष्ट	
कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा को बढ़ाना	कर्मचारियों और श्रमिकों के कल्याण के उपायों पर व्यय - कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यय - % के संदर्भ में (रिपोर्ट किया गया)	
	कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण (संविदा-कार्यदल सहित, जैसे कि कंपनी के निर्माण स्थलों पर काम करने वाले श्रमिक) 1) स्थायी विकलांगताओं की संख्या (रिपोर्ट की गई) 2) खोया समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया) (रिपोर्ट की गई) 3) मृतकों की संख्या (रिपोर्ट शून्य)	
व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना	महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी, भुगतान की गई मजदूरी के % के रूप में - % के संदर्भ में (रिपोर्ट की गई)	
	पीओएसएच पर शिकायतें	1) यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) पर कुल शिकायतें दर्ज की गईं (वित्त वर्ष में 2 शिकायतें प्राप्त हुईं और 31 मार्च 2024 को 1 शिकायत सही पाई गई)
		2) पीओएसएच पर महिला कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिशत
		3) पीओएसएच पर शिकायतें बरकरार रखी गईं
समावेशी विकास को सक्षम बनाना	कुल खरीद के % के रूप में निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त इनपुट सामग्री - सीधे एमएसएमई/लघु उत्पादकों से और भारत के भीतर से प्राप्त - % के संदर्भ में - मूल्य के अनुसार कुल खरीद के % के रूप में (रिपोर्ट की गई)	
	छोटे शहरों में रोजगार सृजन - छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या अस्थायी / संविदा पर) को कुल मजदूरी लागत के % के रूप में भुगतान की गई मजदूरी - % के संदर्भ में - कुल मजदूरी लागत के % के रूप में (रिपोर्ट की गई)	
ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता	कुल डेटा उल्लंघनों या साइबर सुरक्षा घटनाओं के प्रतिशत के रूप में ग्राहकों के डेटा की हानि/उल्लंघन से संबंधित घटनाएं - % के संदर्भ में (शून्य रिपोर्ट की गई)	
	देय खातों के दिनों की संख्या - (देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत (रिपोर्ट की गई)	
व्यापार का खुलापन	व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ की गई खरीद और बिक्री का संकेन्द्रण संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम राशि और निवेश	1) कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद (लागू नहीं रिपोर्ट किया गया)
		2) व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है (लागू नहीं रिपोर्ट किया गया)
		3) शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से की गई खरीदारी, व्यापारिक घरानों से की गई कुल खरीदारी का %
		1) डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में बिक्री (रिपोर्ट किया गया)
		2) डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है (रिपोर्ट किया गया)
		3) डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री
		आरपीटी का हिस्सा (संबंधित प्रतिशत के रूप में) (रिपोर्ट किया गया)
		• खरीदारी
		• बिक्री
		• ऋण एवं अग्रिम
		• निवेश

नोट:

ऊर्जा: सिस्टम में उपलब्ध डेटा से बिजली की खपत का पता लगाया जाता है। कुछ रेल नीर संयंत्रों और कार्यालयों के लिए, जहाँ कुछ महीनों के डेटा उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध साइट डेटा से औसत खपत पर विचार किया जाता है।

जल: आईआरसीटीसी ने कुछ रेल नीर संयंत्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय, पर्यटन कार्यालयों और बेस किचन (कैटरिंग) के लिए जल निकासी का अनुमान प्रदान किया है जो रेलवे परिसर में स्थित हैं। जल निकासी का परिमाणीकरण एनबीसी मानक द्वारा किया जाता है।

TÜVINDIA

अपशिष्ट: कार्यालय भवनों से उत्पन्न गैर-खतरनाक अपशिष्ट, जैसे प्लास्टिक और कागज, की रिपोर्टिंग को परियोजना सीमा से बाहर रखा गया है।

रेफ्रिजरेंट (प्रशीतक): ओडीएस की मात्रा का अनुमान आईआरसीटीसी द्वारा उत्पाद मॉडल और अस्थायी क्षमताओं का उपयोग करके लगाया जाता है, जो कि ईपीए की पलायक उत्सर्जन गणना पद्धति का अनुसरण करता है।

उपरोक्त विशेषताओं के लिए रिपोर्टिंग सीमाओं में सभी रेल नीर खंड संयंत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय, पर्यटन कार्यालय और बेस किचन (कैटरिंग) शामिल हैं। 7 जून 2024 से 14 जून 2024 के बीच कॉर्पोरेट कार्यालय, बेस किचन और इंटरनेट टिकटिंग कार्यालय में ऑन-साइट सत्यापन किया गया।

ऑनसाइट सत्यापन

1. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 - 6 जून 2024 और 11 जून 2024
2. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, बेस किचन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन - 14 जून 2024
3. भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, इंटरनेट टिकटिंग केंद्र (आईटीसी), नई दिल्ली रेलवे स्टेशन - 14 जून 2024

रिपोर्टिंग सीमा के अनुसार डेस्क समीक्षा के साथ-साथ आश्वासन गतिविधियां भी संचालित की गईं।

सीमाएँ

टीयूवीआई ने रिपोर्ट में प्रकट की गई संभावित जानकारी, जिसमें लक्ष्य, अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं, पर कोई आश्वासन प्रक्रिया नहीं की है। परिणामस्वरूप, टीयूवीआई संभावित जानकारी पर कोई निष्कर्ष नहीं निकालता है। आश्वासन प्रक्रिया के दौरान, टीयूवीआई को आश्वासन कार्य के सहमत दायरे में कोई सीमा नहीं मिली। टीयूवीआई ने इस असाइनमेंट के माध्यम से किसी भी ईएसजी लक्ष्य और दावे को सत्यापित नहीं किया है। टीयूवीआई 1) किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इस आश्वासन वक्तव्य के आधार पर लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए और 2) गलत डेटा की रिपोर्ट किए जाने की स्थिति में किसी भी नुकसान के लिए किसी भी दायित्व या सह-जिम्मेदारी को अस्वीकार करता है। जबकि टीयूवीआई ने उचित स्तर के आश्वासन के लिए वांछित अधिकतम नमूने के साथ डेटा को सत्यापित किया; लेकिन प्रस्तुत डेटा की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी पूरी तरह से आईआरसीटीसी की है। बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी व्यक्ति या तीसरे पक्ष की निर्भरता पूरी तरह से उसके अपने जोखिम पर है। टीयूवीआई ने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों से वित्तीय आंकड़ों का संदर्भ लिया है। आईआरसीटीसी वित्तीय आंकड़ों के उपयुक्त अनुप्रयोग के लिए जिम्मेदार होगा। इस आश्वासन वक्तव्य का अनुप्रयोग सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122, दिनांक 12/07/2023 तक सीमित है। यह आश्वासन वक्तव्य केवल आईआरसीटीसी की जानकारी और उपयोग के लिए है तथा इसका उपयोग आईआरसीटीसी के अलावा किसी अन्य द्वारा नहीं किया जा सकता है।

हमारी जिम्मेदारी

इस कार्य के संबंध में टीयूवीआई की जिम्मेदारी एक उचित स्तर का आश्वासन प्रदान करना और किए गए कार्य के आधार पर निष्कर्ष व्यक्त करना है। हमारे कार्य में आईआरसीटीसी की रणनीति की पर्याप्तता या प्रभावशीलता, ईएसजी से संबंधित मुद्दों के प्रबंधन या बीआरएसआर रिपोर्टिंग सिद्धांतों के खिलाफ, आश्वासन के दायरे में उल्लिखित के अलावा रिपोर्ट की पर्याप्तता का आकलन शामिल नहीं था। इस सत्यापन के संबंध में टीयूवीआई की जिम्मेदारी काम के सहमत दायरे के संदर्भ में है, जिसमें आईआरसीटीसी द्वारा प्रकट की गई गैर-वित्तीय मात्रात्मक और गुणात्मक जानकारी अनुलग्नक I - बीआरएसआर कोर प्रारूप के अनुसार 09 गुणों का आश्वासन शामिल है। रिपोर्टिंग संगठन संबंधित डेटा को उचित समय अवधि के लिए संग्रहीत करने के लिए जिम्मेदार है। टीयूवीआई इसके लिए जिम्मेदार है

i. बीआरएसआर गुणों के लिए उचित आश्वासन प्राप्त करने की योजना बनाना ताकि यह तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हो,
ii. नमूना साक्ष्य के आधार पर एक स्वतंत्र राय बनाना,
iii. आईआरसीटीसी के निदेशक मंडल को अपनी राय प्रस्तुत करना।

यह आश्वासन वक्तव्य इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि आईआरसीटीसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और जानकारी किसी भी प्रकार की तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं।

सत्यापन पद्धति

आश्वासन कार्य के दौरान, टीयूवीआई ने जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें प्रकटनों के संबंध में सत्यापन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया गया। टीयूवीआई ने प्रकटनों का सत्यापन किया है और अंतर्निहित डेटा प्रबंधन प्रणाली, सूचना प्रवाह और नियंत्रणों की मजबूती का आकलन किया है। ऐसा करने में:

ए) टीयूवीआई ने गैर-वित्तीय अनुलग्नक I - बीआरएसआर कोर प्रारूप के अनुसार 09 गुणों (गैर-वित्तीय प्रकटन) के लिए आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, डेटा और अन्य सूचनाओं की जांच और समीक्षा की है।

बी) टीयूवीआई ने आईआरसीटीसी के विभिन्न कार्यों से जुड़े डेटा मालिकों और निर्णयकर्ताओं सहित प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ साक्षात्कार किए हैं।

सी) टीयूवीआई ने चिरंतनता से संबंधित नीतियों और डेटा प्रबंधन (गुणात्मक और मात्रात्मक) को लागू करने के लिए तंत्र की नमूना-आधारित समीक्षा की।

डी) टीयूवीआई ने "बीआरएसआर" की रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के पालन की समीक्षा की।

सुधार के अवसर

आईआरसीटीसी को सुधार के लिए निम्नलिखित अवसर बताए गए हैं। हालाँकि, वे आम तौर पर आईआरसीटीसी प्रबंधन के उद्देश्यों और कार्यक्रमों के अनुरूप हैं। आईआरसीटीसी ने पहले ही नीचे दिए गए विषयों की पहचान कर ली है और आश्वासन टीम संगठन के चिरंतन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसका समर्थन करती है।

i. आईआरसीटीसी आईएसओ 14064 मानक के अनुसार दायरा-3 सहित सभी अप्रत्यक्ष उत्सर्जन स्रोतों का जीएचजी सत्यापन कर सकता है।
ii. आईआरसीटीसी एक स्मार्ट क्लाउड-आधारित डेटा प्रबंधन प्रणाली का चयन करके अपनी आंतरिक रिपोर्टिंग को मजबूत कर सकता है और समय-समय पर आंतरिक डेटा और कार्य-निष्पादन समीक्षा के साथ इसे पूरक बना सकता है;

TÜVINDIA

iii. आईआरसीटीसी शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य रख सकता है तथा लक्ष्य और समयसीमा के साथ जीएचजी और ऊर्जा कटौती पर ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां तैयार कर सकता है।

हितों का टकराव

सेबी द्वारा निर्धारित बीआरएसआर आवश्यकताओं के संदर्भ में, आश्वासन कार्यों की उच्च अखंडता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हितों के टकराव का समाधान करना महत्वपूर्ण है। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, आश्वासन प्रदाताओं को किसी भी संभावित हितों के टकराव का प्रकटन करने की आवश्यकता है जो उनके आकलन की स्वतंत्रता या तटस्थता से समझौता कर सकता है। टीयूवीआई किसी भी रिश्ते, जुड़ाव या वित्तीय हितों की सावधानीपूर्वक पहचान करता है जो संभावित रूप से हितों के टकराव का कारण बन सकते हैं। हम अपने आश्वासन कार्यों में स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए इन टकरावों को कम करने या प्रबंधित करने के उपायों को सक्रिय रूप से लागू करते हैं। हम अपने आश्वासन वक्तव्य में किसी भी निर्धारित हितों के टकराव के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी प्रकटन प्रदान करते हैं। हम मानते हैं कि हितों के टकराव को पर्याप्त रूप से समाधान करने में विफलता आश्वासन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और रिपोर्ट की गई जानकारी की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है। इसलिए, हम सेबी के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं और हितों के टकरावों से बचने, उन्हें प्रकट करने या उन्हें प्रभावी ढंग से कम करने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं।

हमारा निष्कर्ष

हमारी राय में, इस आश्वासन कार्य के दायरे के आधार पर, बीआरएसआर रिपोर्ट में वर्णित बीआरएसआर कोर केपीआई पर प्रकटन और संदर्भित जानकारी 9 गुणों का उचित निरूपण प्रदान करती है, और बीआरएसआर की सामान्य सामग्री और गुणता आवश्यकताओं को पूरा करती है। टीयूवीआई सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार बीआरएसआर के लिए आश्वासन कार्य संचालन करने की अपनी योग्यता की पुष्टि करता है। हमारी टीम के पास ईएसजी सत्यापन, आश्वासन पद्धतियों और विनियामक ढाँचों में विशेषज्ञता है। हम स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, मजबूत पद्धतियों को अपनाते हैं, और विश्वसनीय आकलन देने के लिए निरंतर सुधार करते रहते हैं।

प्रकटन: टीयूवीआई का मानना है कि रिपोर्ट किए गए प्रकटन आम तौर पर बीआरएसआर आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आईआरसीटीसी के बारे में आईआरसीटीसी प्रासंगिक जानकारी रिपोर्ट करने के लिए सामान्य प्रकटन को संदर्भित करता है, जबकि प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटन प्रत्येक संकेतक के लिए प्रबंधन दृष्टिकोण (अनुलग्नक I - बीआरएसआर कोर प्रारूप के अनुसार 09 गुणों) को दर्शाता है।

उचित आश्वासन: सेबी की उचित आश्वासन आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें आश्वासन का दायरा, आश्वासन पद्धतियां (जोखिम आधारित दृष्टिकोण और डेटा सत्यापन तकनीक), हितों के टकराव को कम करना, साक्ष्य पर दस्तावेजीकरण और निष्कर्षों पर संचार शामिल हैं, टीयूवीआई बीआरएसआर में प्रस्तुत जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता को प्रभावी ढंग से मान्य कर सकता है, हितधारकों में विश्वास पैदा कर सकता है और ईएसजी रिपोर्टिंग प्रथाओं में पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा दे सकता है।

बीआरएसआर नीचे दी गई आवश्यकताओं का अनुपालन करता है

ए) गवर्नेंस, नेतृत्व और निरीक्षण: शीर्ष प्रबंधन के संदेश, समावेशी विकास और साम्यिक विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यवसाय मॉडल, कार्रवाई और रणनीति, सेवाओं पर ध्यान, जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा और बहाली, और प्राथमिकताओं का उचित रूप से प्रकट किया जाता है।

बी) सूचना की संबद्धता: आईआरसीटीसी ने अनुलग्नक I - बीआरएसआर कोर प्रारूप के अनुसार 09 गुणों का प्रकटन किया है और उनका अंतर-संबंध और उन कारकों पर निर्भरता जो समय के साथ संगठन की मूल्य सृजन क्षमता को प्रभावित करते हैं।

सी) हितधारकों की जवाबदेही: रिपोर्ट में प्रमुख हितधारकों के साथ संचार के तंत्रों को शामिल किया गया है ताकि प्रमुख चिंताओं की पहचान की जा सके और अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक रणनीतियों को प्राथमिकता दी जा सके। रिपोर्ट संगठन के अपने प्रमुख हितधारकों के साथ संबंधों (प्रकृति और गुणता) के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसके अलावा, रिपोर्ट इस बात का उचित प्रतिनिधित्व करती है कि संगठन किस हद तक प्रमुख हितधारकों की वैध जरूरतों और हितों को समझता है, ध्यान में रखता है और उनका प्रतिभाव देता है।

डी) तथ्यात्मकता: बीआरएसआर आवश्यकता के अनुसार 9 गुणों और संबंधित केपीआई के अंतर्गत तथ्यात्मकता मुद्दों की उचित रूप से रिपोर्ट की जाती है।

ई) संक्षिप्तता: रिपोर्ट में अपेक्षित जानकारी को पुन: प्रस्तुत किया गया है और यथासंभव कम शब्दों में स्पष्ट जानकारी दी गई है। प्रकटन संक्षिप्त रूप से व्यक्त किए गए हैं और सटीक वाक्य, ग्राफ, चित्रमय, सारणीबद्ध निरूपण का उपयोग किया गया है। साथ ही, बीआरएसआर में सूचना प्रवाह की निरंतरता बनाए रखने के लिए उचित सावधानी बरती गई है।

एफ) विश्वसनीयता और पूर्णता: आईआरसीटीसी ने कार्य-निष्पादन का पता लगाने के लिए आंतरिक डेटा एकत्रीकरण और आकलन प्रणाली स्थापित की है। आईआरसीटीसी पुष्टि करता है कि टीयूवीआई को प्रदान किया गया सारा डेटा / फ़ंक्शन से होकर गुज़रा है। बीआरएसआर सत्यापन के दौरान टीयूवीआई की आश्वासन टीम (नमूना आधार पर) द्वारा अधिकांश डेटा और जानकारी सत्यापित की गई और उसे काफी सटीक पाया गया। सारा डेटा पारदर्शी तरीके से, तटस्थ लहजे में और बिना किसी तथ्यात्मक त्रुटि के रिपोर्ट किया जाता है।

जी) सुसंगतता और तुलनात्मकता: बीआरएसआर में प्रस्तुत जानकारी वार्षिक आधार पर है और विश्वसनीय और पूर्ण तरीके से पाई जाती है। इस प्रकार, सुसंगतता और तुलनात्मकता का सिद्धांत स्थापित होता है।

स्वतंत्रता और आचार संहिता: टीयूवीआई आईईएसबीए (लेखाकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय नैतिकता मानक बोर्ड) संहिता का पालन करता है, जो स्वतंत्रता के लिए खतरों और सुरक्षा उपायों के दृष्टिकोण को अपनाता है। हम अपने कामों में स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को पहचानते हैं और स्व-हित, आत्म-समीक्षा, पैरवी और परिचितता जैसे खतरों का सक्रिय रूप से प्रबंधन करते हैं। आकलन टीम को किसी भी प्रकार की धमकी से सुरक्षित रखा गया था। इन सिद्धांतों का पालन करके, हम अपने ग्राहकों और हितधारकों के भरोसे और विश्वास को बनाए रखते हैं। सेबी के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122, दिनांक 12/07/2023 की आवश्यकताओं के अनुरूप टीयूवीआई पुष्टि करता है कि आईआरसीटीसी के साथ कोई हितों का टकराव नहीं है।

TÜVINDIA

टीयूवीआई केवल सत्यापन और आश्वासन सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है और परामर्श सहित किसी भी गैर-लेखा परीक्षा/गैर-आश्वासन सेवाओं की बिक्री या प्रावधान में संलग्न नहीं है।

गुणता नियंत्रण: आश्वासन टीम गुणता नियंत्रण मानकों का अनुपालन करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि संलग्न साझेदार के पास अपेक्षित विशेषज्ञता है और सौंपी गई टीम के पास सामूहिक रूप से मानकों और विनियमों के संदर्भ में संलग्नताएं निष्पादित करने के लिए आवश्यक क्षमता है। आश्वासन टीम सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पेशेवर क्षमता, उचित देखभाल, गोपनीयता और पेशेवर व्यवहार के मूल सिद्धांतों का पालन करती है। गुणता नियंत्रण पर अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार, टीयूवीआई नैतिक आवश्यकताओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणता नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली बनाए रखता है।

हमारी आश्वासन टीम और स्वतंत्रता

टीयूवीआई एक स्वतंत्र, तटस्थ तृतीय-पक्ष है जो योग्य पर्यावरण और सामाजिक विशेषज्ञों के साथ ईएसजी आश्वासन सेवाएँ प्रदान करता है। टीयूवीआई अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बताता है और पुष्टि करता है कि इस आश्वासन कार्य के संबंध में ''हितों का कोई टकराव'' नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ष में, टीयूवीआई ने आईआरसीटीसी के साथ किसी भी ऐसे अनुबंध पर काम नहीं किया जो हमारे निष्कर्षों, नतीज़ों और टिप्पणियों की स्वतंत्रता या निष्पक्षता से समझौता कर सकता हो। इस आश्वासन कथन के अपवाद के साथ, बीआरएसआर में शामिल किसी भी सामग्री या डेटा की तैयारी में टीयूवीआई शामिल नहीं था। टीयूवीआई आश्वासन कार्य के दौरान साक्षात्कार किए गए किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्ण निष्पक्षता बनाए रखता है।

टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

मनोजकुमार बोरेकर
उत्पाद प्रमुख - स्थिरता आश्वासन सेवा
टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

Technical Inspection Services TÜV TÜV India

दिनांक: 19/07/2024
स्थान: मुंबई, भारत
परियोजना संदर्भ संख्या: 8122779362

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – ई

फॉर्म सं. एमआर-3
लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 9 के अनुसार (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
सीआईएनः L74899DL1999GOI101707
11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली - 110001

हमने **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** (जिसे यहां इसके बाद कंपनी कहा गया है) जिसका पंजीकृत कार्यालय **11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001** में स्थित है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कार्पोरेट प्रथाओं के पालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई है जिससे हमें कार्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बही-खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म और दाखिल विवरणी और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित करने के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने **31 मार्च 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहां इसके बाद की गई रिपोर्टिंग की विधि और उसके अधीन कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च, 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए बही-खातों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिका, फॉर्म और दाखिल विवरणी तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरएफ) और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018;

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ और स्वेद इक्विटी) विनियम, 2021; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

एफ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993;

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021; (**लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**; और

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।**

(vi) कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित और प्रमाणित अन्य कानून, जो विशेष रूप से कंपनी पर उनके क्षेत्र/उद्योग के आधार पर उस पर लागू होते हैं-

- कारखाना अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम 1975 के साथ पठित।
- श्रम और सामाजिक सुरक्षा कानून यथालागू।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के साथ पठित।
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2011
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
- दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2016
- विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वे सांविधिक लेखापरीक्षक(ओं) और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है-

i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii. कंपनी द्वारा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता समझौते जिन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित हैं।

iii. लोक उद्यम विभाग द्वारा अपने का.ज्ञा.सं.18 (8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर जारी किए गए दिशानिर्देश।

iv. निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी का.ज्ञा.फ.सं. 5/2/2016-नीति दिनांक 27 मई, 2016 निर्दिष्ट किए गए अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देश, मानक आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत निदेशक मंडल के संघटन के बारे में बताई गई आवश्यकता के अनुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित कंपनी के निदेशक मंडल के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

इसके अलावा, हम रिपोर्ट करते हैं कि–

1. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कार्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत निदेशक मंडल के संघटन के बारे में बताई गई आवश्यकता के अनुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित कंपनी के निदेशक मंडल के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संघटन में किए गए बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

2. कंपनी को बीएसई और एनएसई से जून, सितंबर, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 को समाप्त तिमाहियों के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन न पर, जुर्माना लगाने के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं।

3. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की 62.40% शेयर पूंजी है। तदनुसार, कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद संख्या 58 (ई) के अनुसार, इसके बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आईआरसीटीसी ने बोर्ड में स्वतंत्र महिला निदेशकों की नियुक्ति के लिए समय-समय पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार, यानी नियुक्ति प्राधिकारी को सक्रिय रूप से सूचित किया है।

बोर्ड बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए थे। कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजे गए, लघु सूचना देते हुए आयोजित बैठकों के सिवाय, बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है।

निर्णय आवश्यक बहुमत के साथ लिए जाते हैं और असहमत सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, तो कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा और विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठकों में दर्ज किया गया, के आधार पर कंपनी में समुचित प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, कंपनी की निम्नलिखित घटनाएं/कार्रवाइयां हैं जो उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालते हैं। कंपनी ने भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय हेतु 10 फरवरी 2024 को कंपनी रजिस्ट्रार, रा.रा.क्षे. दिल्ली और हरियाणा के साथ **आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड** के नाम से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को शामिल किया है।

कृते, कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/-
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(स्वत्वधारी)
एफसीएस: 1807; सीपी सं.: 14984
पीआर: 610/2019
एफआरएन: S2015UP440500
यूडीआईएन- F001807F000646132

स्थान - नोएडा
दिनांक - 01 जुलाई, 2024

नोट – इस रिपोर्ट को हमारे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **अनुलग्नक-ए** में दी गई है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

फॉर्म संख्या एमआर–3 का अनुलग्नक–ए

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी)
सीआईएन: L74899DL1999GOI101707
11वीं मंजिल, बी–148, स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड,
नई दिल्ली– 110001

लेखापरीक्षा दायित्व

लेखापरीक्षा के आधार पर, हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा लागू कानूनों और अभिलेखों के रखरखाव के अनुपालन पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों सीएसएएस 1 से सीएसएएस 4 (सीएसएएस) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की आवश्यकता है कि लेखापरीक्षक सांविधिक और विनियामक आवश्यकताओं और योजनाओं का अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा करे तथा लागू कानूनों के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके।

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रणों सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत कथन या महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा उचित रूप से योजनाबद्ध हो और सीएसएएस के अनुसार निष्पादित हो। इस पत्र के साथ हमारी सम तिथि की रिपोर्ट को भी पा जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय–वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही तथ्य सचिवीय अभिलेखों में परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रियाएं और प्रथाएं अपनाई हैं, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने उस कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है, जिसके लिए हमने सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर भरोसा किया था।

4. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा आयोजनों आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. कार्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते, कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्त/–
सीएस नरेश कुमार सिन्हा
(स्वत्वधारी)
एफसीएस: 1807 सीपी सं.: 14984
पीआर: 610/2019
एफआरएन: S2015UP440500
यूडीआईएन– F001807F000646132

स्थान: नोएडा
दिनांक: 01 जुलाई, 2024

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – एफ।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों के उत्तर

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए

वित्त वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
कंपनी के निदेशक मंडल का आधा हिस्सा स्वतंत्र नहीं था, जिसमें एक महिला स्वतंत्र निदेशक भी शामिल थी, जैसा कि सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के नियमन 17(1) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है। निदेशक मंडल।	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) एक सरकारी कंपनी है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत परिभाषित किया गया है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति रेल मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए 62.40% हिस्सेदारी रखते हैं। कंपनी की शेयर पूंजी का. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्या 58 (ई) के अनुसार, इसके बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, आईआरसीटीसी कंपनी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क कर रही है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

एसडी/-
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09629741

दिनांक: 19 जुलाई, 2024
स्थान: नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

(2023–24 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु लेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर	प्रबंधन के उत्तर
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 1	1. अप्रैल 2022 में सुनाए गए मध्यस्थता निर्णय से संबंधित नोट संख्या 37.2(iv) जिसमें रू. 7,471.65 लाख तथा जनवरी 2018 से प्रति वर्ष 6% की दर से साधारण ब्याज सहित, जो कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया, जो स्वागत पेय की आपूर्ति के दावों के लिए है और मूल राशि हैं, का भुगतान लाइसेंसधारियों को नहीं किया गया और रेलवे के निर्देश पर यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली की गई, जबकि कॉम्बो भोजन की कीमत, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है, की प्रतिपूर्ति इन लाइसेंसधारियों को की गई थी। कंपनी ने इस निर्णय के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज कराई हैं तथा इसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। कंपनी का तर्क है कि इस मामले में मुख्य दायित्व रेलवे का होगा और कंपनी को रेलवे से वसूली का अधिकार है यदि अंततः उसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। 2. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 19.07.2023 को की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2023 के आदेश के अनुसार कम्पनी को बैंक गारंटी राशि जमा कराने की सलाह दी गई है। कंपनी ने इस निर्णय के विरुद्ध आपत्ति अपील दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, आदेशानुसार अदालत की रजिस्ट्री में रु.8,471.65 लाख की बैंक गारंटी जमा की गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उक्त मामले में निर्णय सुरक्षित रखा है।	ये सभी अनुबंध एसबीडी अनुबंध है और रेलवे द्वारा खानपान नीति 2017 के बाद आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। यह मामला रेल मंत्रालय को भेज दिया गया, क्योंकि इस मामले में मुख्य दायित्व रेलवे का होगा। कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध आपत्ति दर्ज की है और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिनांक 09.10.2023 के आदेश के माध्यम से निगम को मध्यस्थता निर्णय के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए दी गई राशि जमा करने का निर्देश दिया है। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, निगम ने कथित निर्णय के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए रु. 8,471.65 लाख की बैंक गारंटी जमा की है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उक्त मामले में निर्णय सुरक्षित रखा है। निर्णय के बाद तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 2	राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (जीएसटी कानून के तहत) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में नोट संख्या 37.2(v) जिसमें दिनांक 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी शुरू किए जाने पर कर की दर में कटौती दिए जाने के बावजूद, कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे गए रेलनीर ब्रांड के पेयजल की एमआरपी में समानुपातिक कटौती करते हुए उपभोक्ताओं को कर की दर में कटौती का अनुलाभ न देते हुए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत कंपनी के विरुद्ध 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए रु.5,041.44 लाख की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है। कंपनी का तर्क है कि रेलनीर पेयजल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा तय की जाती है, और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल की कीमतों, बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय, कंपनी के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।	रेल नीर पैकेज्ड पेजल की एमआरपी रेलवे द्वारा त की जाती है जिस पर आईआरसीटीसी का कोई नित्रण नहीं है। तदनुसार, जीएसटी के कार्यान्वन के कारण आईआरसीटीसी द्वारा मुनाफाखोरी का आरोप लगाने वाले नोटिस का जवाब 06-06-2022 को राष्ट्री मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को सौंप दिा गा है। इस मामले पर अगस्त, 2022 में बहस हुई लेकिन प्राधिकरण के अंतिम आदेश की प्रतीक्षा है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा 23.11.2022 (1.12.2022 से प्रभावी) को जारी अधिसूचना सं. 23/2022 - केंद्री कर के अनुसार, भारती प्रतिस्पर्धा आोग (सीसीआई) को सभी मामले पर निर्ण लेने की शक्तिां प्रदान की गई हैं। इसलिए एनएए द्वारा जारी नोटिस के तहत र्कावाही समाप्त हो गई है और अब भारती प्रतिस्पर्धा आोग (सीसीआई) द्वारा नए सिरे से कार्यवाही शुरू की जाएगी और आज तक, इस मामले में सीसीआई से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु लेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर	प्रबंधन के उत्तर
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 3	रेलवे बोर्ड के संबंध में नोट संख्या 49(बी) में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी दवारा विभागीय रुप से चलाए जा रहे रेल नीर संयंत्रों के लिए, रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच लाभ 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा, और पीपीपी मॉडल के तहत संचालित/डीसीओ द्वारा चलाए जा रहे संयंत्रों के लिए, रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच लाभ 40:60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विभागीय रूप से संचालित रेलनीर संयंत्रों के लाभ का 15% के रूप में रु. 320.33 लाख और पीपीपी मॉडल पर संचालित संयंत्रों के लाभ का 40% के रूप में रु. 452.25 लाख के लाभ शेयर का निर्धारण किया है, जिसमें पिछले वर्षों पीपीपी संयंत्रों से लाभ पर 25% की दर से अंतर लाभ शेयर के रूप में रु. 1451.24 लाख का शेयर निर्धारित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक 25% (40%-15%) की दर से लाभ सहभाजन की अंतर राशि 1451.24 लाख रु. का प्रावधान 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एक असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है, भले ही कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सभी रेलनीर संयंत्रों के लिए 15:85 के समान अनुपात में लाभ सहभाजन के लिए रेलवे बोर्ड को अपना अभ्यावेदन दिया है। रेलवे बोर्ड से जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। ये मामले रेलवे द्वारा/के साथ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं।	कंपनी ने रेलवे बोर्ड की सलाह के अनुसार विभागीय रुप से प्रबंधित संयंत्रों पर लाभ के 15 प्रतिशत और पीपीपी संयंत्रों पर लाभ के 40 प्रतिशत की दर से रेलवे के साथ लाभ सहभाजन करने के लिए रेलवे शेयर व्यय का प्रावधान किया है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 तक पीपीपी संयंत्रों का 15% की दर से लाभ सहभाजन करने के लिए रेल मंत्रालय को अपना अभ्यावेदन सौंपा है। मंत्रालय का जवाब अभी प्रतीक्षित है।
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 4 एवं Point 2(a) of Report on other Legal Regulatory requirements **एवं** **लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध-2 के बिंदु 5(iii), 5(v)**	पक्षकारों और बैंकों से शेष राशि की पुष्टि पत्र के संबंध में नोट संख्या 39: पक्षकारों और बैंकों से शेष राशि का पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि रेलवे को कोई शेष राशि का पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है, क्योंकि उनके खाता बही नकद आधार पर रखे जाते हैं। हमने पाया कि रेलवे से/ रेलवे को पर्याप्त मात्रा में राशि प्राप्य/देय हैं, जिसमें 31 मार्च 2024 तक परंपरागत नामें व जमा शेष सहित निष्क्रिय नामें शेष हैं और कुछ जमा शेष भी शामिल हैं, यानी रेलवे से/रेलवे को खानपान परिचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित है। इसके अलावा, अन्य पक्षकारों और बैंकों से मांगे गए शेष पुष्टिकरण पत्रों की प्रतिक्रिया नगण्य थी और पक्षकारों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया।	देनदारों के साथ-साथ लेनदारों के पुष्टिकरण पत्र सभी पक्षों (रेलवे और रेलवे इतर) को भेजा जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि रेलवे लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन करता है, जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की उपचय प्रणाली का पालन करता है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में लेन-देन होते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, देय/प्राप्य के समाधान के लिए अंचल रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं और तदनुसार बैठकों के कार्यवृत्त भी जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, रेलवे बोर्ड में अंचल रेलवे और आईआरसीटीसी अंचल कार्यालयों की समाधान बैठकें भी आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, उक्त अधिकांश प्रविष्टियां समय-समय पर खानपान नीति में हुए बदलाव के कारण हैं। निष्क्रिय नामे और जमा शेष के साथ-साथ परंपरागत मदों के समाधान और पहचान के लिए एक पेशेवर फर्म को नियुक्त किया गया है और फर्म पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। उक्त लेनदेन/शेष पर फर्म की रिपोर्ट प्रबंधन के पास विचाराधीन है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, बैंकों से 100% शेष राशि की पुष्टि होने पर पिछले वर्ष की तुलना में अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि में भी सुधार हुआ है। बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कंपनी लगातार इसका अनुसरण कर रही है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु लेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर	प्रबंधन के उत्तर
हेतु बिंदु 5	जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में नोट संख्या 51(बी) जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के लेखा बहियों में इन दावों की प्राप्यों को निर्धारण से हटा दिया गया। इस स्तर पर ऐसे दावों की राशि अभिनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके अलावा, ये डीसीओ इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं जिनमें उनके खातों से नामे किए गए रु. 364.83 लाख के दावे भी शामिल है।	निविदा के निबंधन व शर्तों के अनुसार, 4 पीपीपी रेलनीर संयंत्रों के संबंध में, डेवलपर सह संचालकों (डीसीओ) को वास्तविक बिक्री पर कर की प्रतिपूर्ति करनी है। डीसीओ द्वारा प्राप्त आईटीसी के बारे में जानकारी के अभाव में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान केवल दो संयंत्रों के लिए रु.364.83 लाख की आईटीसी प्राप्त की गई और पिछले वर्ष 2022-23 में रु. 442.46 लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22 रु. 309.28 लाख) का प्रभाव केवल दो संयंत्रों के लिए ही दर्ज किया गया था। इन डीसीओ ने कंपनी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के विरुद्ध अपना अभ्यावेदन दिया है। प्रबंधन द्वारा भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए इस मामले की जांच की जा रही है।
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 6	नोट संख्या 10.1 और 58 (i) 31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्तियों के संबंध में रेलवे और सरकार से देय रु.1,296.18 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक रु.1053.53 करोड़) शामिल हैं। रेलवे और सरकार के बकाया में से तीन वर्ष से अधिक का बकाया रु.134.65 करोड़ है, जिसमें 35.86 करोड़ रु. की चूक राशि शामिल है।	रेलवे/सरकार लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन करता है, जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की उपचय प्रणाली का पालन करता है। साथ ही, आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच समाधान कार्य एक सतत प्रक्रिया है। देय/प्राप्य के समाधान और भुगतान जारी करने के लिए अंचल रेलवे के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 से रेलवे ने प्रीपेड ट्रेनों में खानपान शुल्क का 75% दैनिक आधार पर अनंतिम राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इससे भविष्य में रेलवे से प्राप्त होने वाली व्यापार प्राप्तियों में कमी आएगी।
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 7	मुख्य रूप से भारत सरकार के रेल मंत्रालय से प्राप्त रु.33,595 लाख की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए कंपनी द्वारा किए गए कुछ आवेदनों के संबंध में, नोट संख्या 72, जिसके लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के फैसले की प्रतीक्षा है।	कंपनी ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को आवेदन दिया था, जिस पर निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है: 1. **सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति:-** भारत सरकार ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (19 जुलाई तक) के लिए क्रमशः रु.8,000 लाख, रु.8,800 लाख और रु.3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की, जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति होने के नाते कंपनी द्वारा जीएसटी देय नहीं था। 2. **यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति:-** आईआरसीटीसी ने निः शुल्क बीमा प्रदान किया, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने रु.4,700 लाख के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की थी, जिस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति होने के कारण कंपनी द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु लेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर	प्रबंधन के उत्तर
		3. अधिग्रहणकर्ता बैंकों से प्राप्त एमडीआर:– आईआरसीटीसी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिग्रहणकर्ता बैंकों से एमडीआर शुल्क के अपने हिस्से के लिए रु.300 लाख प्राप्त हुए थे, जो कि व्यापारी सेवा प्रदाता पर लगाई गई दर या शुल्क था। कंपनी ने इस भुगतान को सब्सिडी माना है तथा उक्त राशि पर कोई जीएसटी देय नहीं था। 4. वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए खानपान नीति, 2017 के अनुसार क्रमशः रु.1385 लाख, रु.7058 लाख, रु.125 लाख की एसबीडी ट्रेनों के खानपान का कार्य लेने के लिए भारतीय रेल से के अनुपातिक लाइसेंसधारी शुल्क की प्राप्ति, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि उपरोक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं है। 5. कंपनी ने इस संबंध में जल्द सुनवाई के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से अनुरोध किया था, लेकिन अभी भी निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 8	वित्तीय वर्ष 2019-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए टैरिफ संशोधन के कारण ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक के लिए राजस्व की गैर-निर्धारण के संबंध में नोट संख्या 73 - क्योंकि पोस्ट-पेड ट्रेनों की बिक्री-मूल्यांकन के संबंध में किया गया अभ्यास, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रतिशत निर्धारित करेगा, आज भी प्रगति पर है। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, भले ही बिक्री मूल्यांकन समाप्त हो गया है, लेकिन कोई राजस्व भी निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि कुछ लाइसेंसधारियों ने टैरिफ संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग पर विवाद किया है। चूंकि इस स्तर पर निर्धारित किए जाने वाले राजस्व को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या जो विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।	रेलवे बोर्ड ने वाणिज्यिक परिपत्र सं. 2019 की सीसी60 के तहत पोस्ट और प्री-पेड ट्रेनों के लिए खानपान प्रशुल्क को बढ़ाया गया है। हालांकि, 18 नवंबर 2019 से 22 मार्च 2020 (पोस्ट-पेड ट्रेनों के लिए) और 27 नवंबर 2021 से 31 दिसंबर 2023 (पोस्ट और प्री-पेड ट्रेनों के लिए) की अवधि के लिए लाइसेंस प्रशुल्क में वृद्धि के प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है और बिक्री मूल्यांकन लंबित रहने तक निर्धारण नहीं किया गया है। 27 नवंबर 2021 से नियमित ट्रेन सेवाएं बहाल होने के बाद कंपनी ने सभी ट्रेनों (पोस्ट पेड ट्रेनों के साथ-साथ प्रीपेड ट्रेनों) के लिए बिक्री आकलन पूरा किया है। इसके अलावा, कंपनी ने बी हुई लाइसेंस फीस के लिए कुछ मांग नोटिस जारी किए हैं, लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी के संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों में बी हुई लाइसेंस फीस के कंपनी के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा, कुछ लाइसेंसधारियों ने मध्यस्थता का अनुरोध किया है। चूंकि मामला विचाराधीन है और भावी फैसले के आधार पर निर्भर है, इसलिए प्रीपेड और पोस्टपेड ट्रेनों के लिए बी हुई लाइसेंस फीस के प्रभाव को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च, 2023 तक के पिछले वर्षों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में निर्धारण नहीं किया गया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु लेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर	प्रबंधन के उत्तर
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 9 तथा **लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-2 के बिंदु 5(ii)**	निम्नलिखित से संबंधित नोट संख्या 78: (i) 31 मार्च 2024 तक कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर जो पहचान, समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के लिए लंबित हैं, (ii) लंबित व्यापार देय की पहचान और प्रकटण की प्रणाली की समीक्षा और सुधार, (iii) 31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बकाया का उचित प्रकटण सुनिश्चितकरने के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग में उनका वर्गीकरण, जिसमें ऐसे पक्षों से पुष्टि के माध्यम से सुधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम में उनके वर्गीकरण की आवश्यकता है।	रिपोर्ट की गई विभेदक प्रविष्टियां माइग्रेशन के बाद से संबंधित हैं। कुछ अंतरों की पहचान पहले ही कर ली गई है और अन्य का पता लगाकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में सुधार किया जाएगा। व्यापार देय के रूप में देनदारियों की पहचान करने और उनकी अवधि निर्धारित करने की प्रणाली पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्विचार और सुधार किया जाएगा क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है। एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान के लिए ईआरपी के साथ एकीकृत ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की पहचान और वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी समीक्षा और सुधार किया जाएगा।
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 10	वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन के रूप में रु.230.13 लाख के अस्वीकार्य भुगतान के संबंध में नोट संख्या 79, जैसा कि सी एंड एजी ने रेलवे बोर्ड को भेजे गए 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट (रेलवे) के लिए अपने अनंतिम पैरा में बताया है। 24 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से, कंपनी ने रेलवे बोर्ड के 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कंपनी से टिप्पणियां मांगी गई थीं और कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को किए गए भुगतान को उचित ठहराया था। कंपनी को रेल मंत्रालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से जवाब मिलने पर, इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा।	कंपनी ने इस संबंध में रेल मंत्रालय को दिनांक 24.01.2023 को एक विस्तृत उत्तर भेजा है, जिसमें कंपनी ने अनुरोध किया है कि प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों को भुगतान किया गया कार्य-निष्पादन वेतन डीपीई और डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्य निष्पादन वेतन की राशि, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें कंपनी में बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। आज तक कंपनी को रेल मंत्रालय से इस संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से जवाब मिलने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन-संबंधी वेतन के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
विषय को प्रमुखता देने हेतु बिंदु 11	रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा दो तेजस ट्रेनों के संचालन के लिए शुल्क में वृद्धि के संबंध में नोट संख्या 76, दिनांक 05 जून, 2023 के पत्र के अनुसार 13 अगस्त, 2021 से प्रभावी, क्योंकि शुल्क के लिए पहले के निर्देश 12 अगस्त, 2021 तक वैध थे। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए बढ़े हुए शुल्कों का प्रावधान किया है, जिसकी राशि रु.5,126.20 लाख है और इसे वित्तीय परिणामों में असाधारण मद में शामिल किया गया है। हालांकि, कंपनी ने रेलवे बोर्ड के समक्ष पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए शुल्कों के इन निर्देशों को वापस लेने के लिए अभ्यावेदन दिया है, जो अभी लंबित है।	कंपनी ने रेलवे बोर्ड को अपना अभ्यावेदन दिया है और अनुरोध किया है कि आईआरसीटीसी द्वारा जून 2023 में जारी तेजस ट्रेनों के संचालन के लिए प्रशुल्क सिद्धांत को केवल संभावित प्रभाव से ही प्रभावी बनाया जाए क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हानि होगी। रेलवे की ओर से जवाब का इंतजार है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु लेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर	प्रबंधन के उत्तर
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 का बिन्दु i (ए) (ए)	कंपनी ने इन परिसंपत्तियों की संख्या-वार पहचान को छोड़कर, मात्रात्मक विवरण अचल परिसंपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड रखे हैं।	आईआरसीटीसी में परिसंपत्तियों की संख्या की पहचान करने की पद्धति लागू है और सभी प्रमुख परिसंपत्तियों को विधिवत पहचान संख्या आवंटित की गई है। हालांकि, कुछ छोटी परिसंपत्तियों में, पहचान संख्या गायब पाई गई है। कंपनी ऐसे छोटी परिसंपत्तियों पर भी नंबरिंग की व्यवस्था लागू करने के लिए उपाय कर रही है। इस संबंध में, ईआरपी में अचल परिसंपत्ति मॉड्यूल का कार्यान्वयन प्रगति पर है और इसे चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लागू किए जाने की संभावना है।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक -1 का बिन्दु i (सी)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल परिसंपत्तियों के हक विलेख (ऐसी अचल परिसंपत्तियों के अलावा जहां कंपनी एक पट्टेदार है और पट्टेदार के पक्ष में पट्टा समझौता विधिवत किए गए हैं)। उन मामलों के लिए नीचे दिए गए फुटनोट देखें जहां पट्टा समझौते निष्पादित नहीं किए गए हैं) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटण कंपनी के नाम पर किया गया हैं, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों के जिनके हक विलेख निष्पादित किए जाने हैं; (नोट 74 देखें)	खजुराहो और केवड़िया में भूमि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटित की गई है। स्थानीय उप-नियमों के अनुसार, आईआरसीटीसी को आवंटित भूमि/भूखंड के लिए अलग से कोई विलेख निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई में पश्चिम रेलवे के फ्लैटों का पट्टा समझौता/पंजीकरण संबंधित रेलवे अंचल कार्यालय में प्रक्रियाधीन है। रेलनीर संयंत्र के लिए असम राज्य सरकार द्वारा जगी रोड, असम में आवंटित भूमि के संबंध में, असम सरकार के आदेश दिनांक 17-02-2017 के अनुसार, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में सरकारी भूमि का निपटान 100% भूमि मूल्य जमा करने और 25 वर्षों के लिए राजस्व के पूंजीकरण के बाद किया गया है। रेलनीर संयंत्र के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऊना में आवंटित भूमि के संबंध में, रेल नीर संयंत्र, ऊना के पट्टा समझौते का निष्पादन प्रक्रियाधीन है। स्थानीय तहसीलदार से पट्टा विलेख निष्पादन के लिए स्टाम्प शुल्क की राशि की सलाह देने का अनुरोध किया गया है। स्थानीय तहसील कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार, दूरी प्रमाण पत्र, वास्तुकला प्रमाण पत्र और इमारत के मूल्यांकन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है जो प्रक्रियाधीन है। रेलनीर संयंत्र के लिए अंबरनाथ, महाराष्ट्र में रेलवे द्वारा दी गई भूमि के संबंध में, अंबरनाथ स्थित रेलनीर संयंत्र के पट्टे का मसौदा समझौता रेलवे को प्रस्तुत किया गया है और रेलवे की ओर से पट्टा समझौते के निष्पादन की प्रतीक्षा है। सभी पंजीकरणों को शीघ्र पूरा करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु लेखापरीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के उत्तर	प्रबंधन के उत्तर
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक –1 का बिन्दु xiv (ए)	कंपनी में अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों, कार्पोरेट कार्यालय में पर्यटन कार्यालय और रेलनीर संयंत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा के अलावा, अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है जिसे हमारी राय में, कंपनी द्वारा संचालित व्यवसाय की समाविष्टि के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता है और साथ ही वर्ष के अंत में होने वाले महत्वपूर्ण लेन-देन सहित लेन-देन लेखापरीक्षा को इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त समाविष्टि कवरेज की भी आवश्यकता है।	कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, कंपनी ने कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए एक बाहरी पेशेवर सनदी लेखाकार फर्म को नियुक्त किया है। कंपनी के परिचालनों और सांविधिक विनियमों द्वारा कार्य के विस्तृत दायरे के अनुसार उनके द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की जा रही है। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षक के सभी सुझावों / सिफारिशों/ टिप्पणियों का कंपनी द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाएगा।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक –2 का बिंदु 5 (i)	मेकर और चेकर अवधारणा, जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, आम तौर पर गायब है यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य डेटा में कई त्रुटियां और चूक हुई हैं, जिनके आधार पर खाताबहियों में लेन-देन दर्ज किए जाते हैं। हमने यह भी पाया कि विभिन्न कार्यालयों में अनुभवी और पेशेवर कर्मियों की अपर्याप्त संख्या के परिणामस्वरूप - (i) ऊपर वर्णित मेकर और चेकर अवधारणा सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से समझौता किया जा रहा है/लागू नहीं किया जा रहा है, (ii) इन कार्यालयों द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए लेन-देन / खाता बहियों में बकाया शेष राशि की समय-समय पर समीक्षा नहीं की जाती है।	कंपनी वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए मेकर और चेकर अवधारणा और अन्य संबंधित गतिविधियों के उचित कार्यान्वियन की प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया के अधीन है। इसके अलावा, कंपनी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अनुबंध के आधार पर योग्य पेशेवरों को नियुक्त किया है। त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए ईआरपी में कुछ सिस्टम-आधारित प्रतिबंध लगाए गए हैं।
लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक –2 का बिंदु 5(iv)	सिस्टम आधारित स्वचालित नियंत्रण, जांच और संतुलन के बजाय मैन्युअल नियंत्रण का पालन किया जाता है, क्योंकि तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों/पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेन-देन को एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करते हुए ईआरपी में मैन्युअल रूप से पोस्ट किए जाता हैं, क्योंकि कंपनी की मौजूदा ईआरपी एप्लीकेशन कुछ कार्यों/व्यवसायों के साथ एकीकृत नहीं है।	वर्ष के दौरान टीम ने विभिन्न तृतीय पक्ष एप्लीकेशन जैसे एयर टिकटिंग, सीएसआईएम, पेरोल और एचआरएमएस के साथ ईआरपी को एकीकृत करने के लिए कुछ उपकरण विकसित किए हैं। अन्य तीसरे पक्ष के आवेदन प्रक्रिया में हैं।

कृते निदेशक मंडल

हस्त/-
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 09629741

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 19 जुलाई, 2024

निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

(प्रबंधन 2023-24 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब देता है)

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बिंदु	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
जोर का बिंदु 1 पदार्थ का	1. नोट संख्या 37.2(iv) अप्रैल 2022 में सुनाए गए मध्यस्थता पुरस्कार के संबंध में ₹7,471.65 लाख की राशि और जनवरी 2018 से 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया, जो स्वागत आपूर्ति के दावों के लिए मूल राशि का प्रतिनिधित्व करता है। लाइसेंसधारियों को पेय का भुगतान नहीं किया गया और रेलवे के निर्देश पर यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली की गई, जबकि कॉम्बो भोजन की कीमत, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है, इन लाइसेंसधारियों को प्रतिपूर्ति की गई थी। कंपनी ने पुरस्कार के खिलाफ आपत्तियां दायर की हैं और इसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। कंपनी का तर्क है कि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी और अगर अंततः भुगतान के लिए उसे उत्तरदायी बनाया जाता है तो कंपनी को रेलवे से वसूली का अधिकार है। 2. माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 19.07.2023 को की गई तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2023 के अनुसार कंपनी को बैंक गारंटी राशि जमा करने की सलाह दी गई है। कंपनी ने इस पुरस्कार के ख़िलाफ़ आपत्ति अपील दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ₹8,471.65 लाख की बैंक गारंटी अदालत की रजिस्ट्री में जमा कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।	वे सभी अनुबंध एसबीडी अनुबंध हैं और रेलवे द्वारा खानपान नीति 2017 के बाद आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। मामले रेल मंत्रालय को भेजा गया, क्योंकि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी। कंमनी ने आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिनांक 09.10.2023 के आदेश के तहत निगम को दी गई राशि जमा करने का निर्देश दिया है ताकि आर्बिट्रल अवार्ड के निष्पादन पर रोक लगाई जा सके। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, निगम ने ₹8471.65 लाख की बैंक गारंटी जमा कर दी ताकि उक्त पुरस्कार के निष्पादन पर रोक लगाई जा सके। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी निर्णय.
जोर का बिंदु 2 पदार्थ का	राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में नोट संख्या 37.2 (v) जिसमें धारा 171 के तहत कंपनी के खिलाफ 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए ₹5,041.44 लाख की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है। सीजीएसटी अधिनियम, 2017 कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले रेलनीर ब्रांड के पेय जल की एमआरपी में आनुपातिक कमी के माध्यम से कर की दर में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने के लिए है, भले ही कर की दर में कमी हुई हो। दिनांक 01.07.2019 से जीएसटी की शुरूआत 1 जुलाई, 2017 कंपनी का तर्क है कि रेलनीर पीने का पानी नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय सक्षम आयोग (सीसीआई) को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त हैं जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।	एमआरपी रेलवे द्वारा तय की जाती है और रेल नीर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की एमआरपी पर आईआरसीटीसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तदनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण आईआरसीटीसी द्वारा मुनाफाखोरी का आरोप लगाने वाले नोटिस का जवाब 06-06-2022 को राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण को सौंप दिया गया है। इस मामले पर अगस्त, 2022 में बहस हुई लेकिन प्राधिकरण की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया। हालाँकि, भारत सरकार द्वारा 23 नवंबर, 2022 (1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी) को जारी अधिसूचना संख्या 23/2022-केंद्रीय कर के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसलिए एनएए द्वारा जारी नोटिस के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई है और अब कार्यवाही, यदि कोई हो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा नए सिरे से शुरू की जाएगी और आज तक इस मामले में सीसीआई से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बिंदु	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
जोर का बिंदु 3 पदार्थ का	रेलवे बोर्ड के संबंध में नोट संख्या 49 (बी) में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा विभागीय रूप से संचालित रेल नीर संयंत्रों के लिए, रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच लाभ 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा और पीपीपी मॉडल के तहत संचालित/डीसीओ द्वारा संचालित संयंत्रों के लिए लाभ को 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा। , रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच मुनाफा 40:60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने लाभ वसूलने के बाद 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹320.33 लाख के लाभ शेयर को विभागीय रूप से संचालित रेलनीर संयंत्रों के लाभ का 15% और ₹452.25 लाख को पीपीपी मॉडल पर चलने वाले संयंत्रों के मुनाफे का 40% माना है। अंतर लाभ के लिए शेयर राशि ₹1451.24 लाख, पिछले वर्षों के लिए पीपीपी संयंत्रों से लाभ पर 25% की दर से शेर्या 31 मार्च, 2023 तक 25% (40% -15%) की दर से लाभ साझा करने की अंतर राशि का प्रावधान, ₹1451.24 लाख, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एक असाधारण वस्तु के रूप में दिखाया गया है, भले ही कंपनी ने प्रतिनिधित्व किया हो वित्त वर्ष 2022-23 तक सभी रेलनीर संयंत्रों के लिए 15:85 के समान अनुपात पर लाभ साझा करने के लिए रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है. ये मामले रेलवे के साथ सुलह के अधीन हैं।	कंपनी ने रेलवे बोर्ड की सलाह के अनुसार रेलवे के साथ लाभ साझा करने के लिए विभागीय रूप से प्रबंधित संयंत्रों पर मुनाफे का 15% और पीपीपी संयंत्रों पर मुनाफे का 40% की दर से रेलवे शेयर खर्च का प्रावधान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 तक पीपीपी संयंत्रों के लाभ बंटवारे पर 15% की दर से शुल्क लगाने के लिए रेल मंत्रालय को प्रतिनिधित्व किया है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है।
मामले के जोर का बिंदु 4 और अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट का बिंदु (ए) और ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध-1 का बिंदु 5(iii), 5(v)	पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टि पत्र के संबंध में नोट संख्या 39: पार्टियों और बैंकों से शेष पुष्टि पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनकी लेखा पुस्तकें नकद आधार पर रखी जाती हैं। हम ध्यान देते हैं कि रेलवे से पर्याप्त राशि प्राप्य / देय है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक निष्क्रिय डेबिट शेष और कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल हैं, जिसमें लीगेसी डेबिट और क्रेडिट शेष भी शामिल हैं, जो कि / से खानपान संचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित हैं। रेलवे को. इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगे गए शेष पुष्टिकरण पत्रों की प्रतिक्रिया नगण्य थी और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया।	देनदारों के साथ-साथ लेनदारों के लिए पुष्टिकरण पत्र सभी पक्षों (रेलवे और गैर रेलवे) को भेज दिए गए हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि रेलवे लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन करता है जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की संचय प्रणाली का पालन करता है। इसके अलावा, आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में लेनदेन होते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए, देय/प्राप्य के समाधान के लिए क्षेत्रीय रेलवे के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं और बैठकों के कार्यवृत्त भी तदनुसार जारी किए जाते हैं। इसके अलावा, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रेलवे बोर्ड में जोनल रेलवे और आईआरसीटीसी जोनल कार्यालयों की सुलह बैठकें भी आयोजित की गई हैं। इसके अलावा, उक्त अधिकांश प्रविष्टियां समय-समय पर खानपान नीति में परिवर्तन के कारण हैं। निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट शेष के साथ-साथ विरासती वस्तुओं के समाधान और पहचान के लिए, एक पेशेवर फर्म को लगाया गया है और फर्म ने पहले ही रिपोर्ट जमा कर दी है। उक्त लेनदेन/शेष राशि पर फर्म की रिपोर्ट प्रबंधन के पास विचाराधीन है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जहां बैंकों से 100% शेष राशि की पुष्टि हुई है, वहीं अन्य पक्षों से शेष राशि की पुष्टि में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। कंपनी इसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार फॉलोअप कर रही है बेहतर प्रतिक्रिया.

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बिंदु	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
जोर का बिंदु 5 पदार्थ का	चार रेल नीर संयंत्रों के डेवलपर सह ऑपरेटरों (डीसीओ) द्वारा निश्चित अवधि के लिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में नोट संख्या 51 (बी) जिसके परिणामस्वरूप इन दावों की प्राप्य खातों की पुस्तकों में गैर-मान्यता प्राप्त हुई। कंपनी। इस स्तर पर ऐसे दावों की मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ये डीसीओ इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं जिनमें उनके खातों से डेबिट किए गए ₹ 364.83 लाख के दावे भी शामिल हैं।	निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार, 4 पीपीपी रेल नीर संयंत्रों के संबंध में, डेवलपर सह ऑपरेटरों (डीसीओ) को वास्तविक बिक्री पर कर की प्रतिपूर्ति करनी होगी। डीसीओ द्वारा प्राप्त आईटीसी की जानकारी के अभाव में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹364.83 लाख की प्राप्य आईटीसी की गणना केवल दो संयंत्रों के लिए की गई है और पिछले वर्ष 2022-23 में, का प्रभाव ₹442.46 लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹309.28 लाख) केवल दो संयंत्रों के लिए जिम्मेदार था। इन डीसीओ ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कंपनी के दावे के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया है। भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।
जोर का बिंदु 6 पदार्थ का	नोट संख्या 10.1 और 58(i) 31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्तियों के संबंध में 31 मार्च, 2024 को रेलवे और सरकार से देय ₹1,296.18 करोड़ (31 मार्च, 2023 को ₹ 1053.53 करोड़) शामिल हैं। रेलवे और सरकार के बकाए में से, 3 साल से अधिक समय से बकाया राशि ₹134.65 करोड़ है जिसमें डिफ़ॉल्ट राशि ₹ 35.86 करोड़ शामिल है।	रेलवे/सरकार लेखांकन की नकद प्रणाली का पालन करती है जबकि आईआरसीटीसी लेखांकन की संचय प्रणाली का पालन करती है। साथ ही, आईआरसीटीसी और रेलवे के बीच सुलह एक सतत प्रक्रिया है। देय/प्राप्य के समाधान और भुगतान जारी करने के लिए क्षेत्रीय रेलवे के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, 1.1.2019 से वित्तीय वर्ष 2023-24, रेलवे ने दैनिक आधार पर प्रीपेड ट्रेनों में खानपान शुल्क का 75% अनंतिम राशि का भुगतान करना शुरू कर दिया है। इससे रेलवे से व्यापार प्राप्तियां कम हो जाएंगी आगे जा रहा है।
जोर का बिंदु 7 पदार्थ का	मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ₹33,595 लाख की कुछ आय / प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए कंपनी द्वारा किए गए कुछ आवेदनों के संबंध में नोट संख्या 72, जिसके लिए निर्णय लिया गया अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।	कंपनी ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में आवेदन किया था, जिस पर निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है: 1. **सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति:-** भारत सरकार ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जुलाई-19 तक) के लिए क्रमशः ₹8,000 लाख, ₹8,800 लाख और ₹3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की थी। केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति होने के कारण कंपनी द्वारा जीएसटी देय नहीं था। 2. **यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति: –** आईआरसीटीसी ने नि:शुल्क बीमा प्रदान किया, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने ₹4,700 लाख के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की थी, जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति होने के कारण कंपनी द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बिंदु	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
		3. **एक्वायरर बैंकों से प्राप्त एमडीआर:–** आईआरसीटीसी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक्वायरर बैंकों से मर्चेंट सेवा प्रदाता पर लगाए गए एमडीआर शुल्क के अपने हिस्से के लिए ₹300 लाख प्राप्त हुए थे। कंपनी ने इस भुगतान को सब्सिडी के रूप में माना है और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी देय नहीं था। 5. वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए खानपान नीति, 2017 के अनुसार ₹1385 लाख, ₹7058 लाख, ₹125 लाख की एसबीडी ट्रेनों की खानपान व्यवस्था संभालने के लिए भारतीय रेलवे से आनुपातिक लाइसेंसधारी शुल्क की प्राप्ति। और 2019-20 क्रमशः और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं है। 6. कंपनी ने पहले ही इस संबंध में शीघ्र सुनवाई के लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से अनुरोध किया था लेकिन वही स्थिति ह अभी भी इंतजार है.
जोर का बिंदु 8 पदार्थ का	वित्तीय वर्ष 2019-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए टैरिफ संशोधन के कारण ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए राजस्व की गैर-मान्यता के संबंध में नोट संख्या 73 पोस्ट-पेड ट्रेनों की बिक्री-मूल्यांकन के संबंध में, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रतिशत निर्धारित करेगा, आज भी प्रगति पर है। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, भले ही बिक्री मूल्यांकन समाप्त हो गया है, लेकिन कोई राजस्व भी मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कुछ लाइसेंसधारियों ने टैरिफ संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग पर विवाद किया है। चूंकि इस स्तर पर मान्यता प्राप्त राजस्व का पता नहीं लगाया जा सकता है या यह विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।	रेलवे बोर्ड ने वाणिज्यिक परिपत्र सं. 2019 के CC60 ने पोस्ट और प्री-पेड ट्रेनों के लिए खानपान शुल्क में वृद्धि की है। हालाँकि, 18 नवंबर, 2019 से 22 मार्च, 2020 (पोस्ट पेड ट्रेनों के लिए) और 27 नवंबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 (पोस्ट और प्री-पेड ट्रेनों के लिए) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रभाव ऊपर बताए गए खानपान शुल्क में वृद्धि का पता नहीं लगाया गया है और इसकी संपूर्णता में बिक्री मूल्यांकन लंबित है। 27 नवंबर 2021 से नियमित ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बाद, कंपनी ने सभी ट्रेनों (पोस्ट-पेड) के लिए बिक्री मूल्यांकन आयोजित और पूरा कर लिया है। ट्रेनों के साथ-साथ प्रीपेड ट्रेनें)। इसके अलावा, कंपनी ने बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के लिए कुछ मांग नोटिस जारी किए हैं, लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी के संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों में कंपनी की बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा, कुछ लाइसेंसधारियों ने मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया है। चूँकि मामला न्यायाधीन है और घटना भविष्य में कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर है, प्री-पेड और पोस्ट पेड ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को 31 तारीख को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। मार्च, 2024 और पिछले वर्षों तक के लिए 31 मार्च 2023।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बिंदु	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
मामले पर जोर का बिंदु 9 और ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध-1 का बिंदु 5(ii)।	नोट संख्या 78 के संबंध में: (i) कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर जो पहचान, समाधान और समायोजन के लिए लंबित हैं, यदि कोई हो, तो मार्च 31, 2024, (ii) लंबित व्यापार देय की पहचान और प्रकटीकरण की प्रणाली की समीक्षा और सुधार, (iii) 31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उनके बकाया का उचित खुलासा सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनका वर्गीकरण, जिसमें ऐसे पक्षों से पुष्टि के माध्यम से सुधार की आवश्यकता है और सूक्ष्म में उनका वर्गीकरण, छोटा और मध्यम श्रेणी	रिपोर्ट की गई विभेदक प्रविष्टियां माइग्रेशन के बाद से संबंधित हैं। कुछ मतभेदों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और बाकी का पता लगा लिया जाएगा और वित्तीय रूप से ठीक कर लिया जाएगा वर्ष 2024-25. व्यापार देय के रूप में देनदारियों की पहचान और उनकी उम्र बढ़ने की प्रणाली पर वित्त वर्ष 2024-25 में फिर से विचार किया जाएगा और इसमें सुधार किया जाएगा क्योंकि यह एक है सतत प्रक्रिया. एमएसएमई विक्रेताओं की पहचान के लिए ईआरपी के साथ एकीकृत ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम लागू है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम में एमएसएमई की पहचान और वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी समीक्षा और सुधार किया जाएगा।
जोर का बिंदु 10 पदार्थ का	वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त लोगों को अनुग्रह राशि/प्रदर्शन संबंधी वेतन के रूप में ₹230.13 लाख के अस्वीकार्य भुगतान के संबंध में नोट संख्या 79, जैसा कि सी एंड एजी ने वर्ष के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट (रेलवे) के लिए अपने अनंतिम पैरा में बताया है। 31 मार्च 2022 को समाप्त रेलवे बोर्ड को भेजा गया। 24 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से, कंपनी ने रेलवे बोर्ड के 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कंपनी से टिप्पणियां मांगी गई थीं, जिसमें कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर किए गए भुगतान को उचित ठहराया गया था। रेल मंत्रालय से कंपनी को कोई और सूचना नहीं मिली है। रेल मंत्रालय से जवाब मिलने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा।	कंपनी ने इस संबंध में रेल मंत्रालय को दिनांक 24.01.2023 को एक विस्तृत उत्तर भेजा है, जिसके माध्यम से कंपनी ने अनुरोध किया है कि प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया प्रदर्शन पुरस्कार डीपीई और डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को प्रदर्शन पुरस्कार की राशि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें कंपनी के साथ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन का एक रूप है। आज तक, कंपनी को रेल मंत्रालय से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से जवाब मिलने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को अनुग्रह राशि/प्रदर्शन संबंधी वेतन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
जोर का बिंदु 11 पदार्थ का	रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 05 जून, 2023 के माध्यम से 13 अगस्त, 2021 से दो तेजस ट्रेनों के संचालन के लिए शुल्क बढ़ाने के संबंध में नोट संख्या 76 क्योंकि शुल्क के लिए पहले के निर्देश 12 अगस्त, 2021 तक वैध थे। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए ₹ 5,126.20 लाख तक बढ़े हुए शुल्क का प्रावधान किया है और इसे वित्तीय में असाधारण वस्तु के रूप में दिखाया गया है। परिणाम। हालाँकि, कंपनी ने पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए शुल्कों के इन निर्देशों को वापस लेने के लिए रेलवे बोर्ड ऑल को अभ्यावेदन दिया है लंबित है।	कंपनी ने रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया है और अनुरोध किया है कि आईआरसीटीसी द्वारा जून 2023 में जारी तेजस ट्रेनों के संचालन के लिए चार्जिंग सिद्धांत को केवल संभावित प्रभाव से प्रभावी बनाया जाए क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नुकसान होगा। रेलवे की ओर से प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है.

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में बिंदु	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 का बिंदु 5 (i)।	मेकर और चेकर अवधारणा, जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, आम तौर पर गायब है यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य डेटा में कई त्रुटियां और चूक हुई हैं, जिनके आधार पर लेनदेन खाते की किताबों में दर्ज किए जाते हैं। कंपनी को और अधिक पेशेवर कर्मचारियों को मजबूत करने की जरूरत है। हमने देखा: (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से समझौता किया जा रहा है / ऊपर बताए गए निर्माता और चेकर अवधारणा सहित लागू नहीं किया गया है, (ii) पहले दर्ज किए गए लेनदेन / खाते की पुस्तकों में बकाया शेष की समय-समय पर समीक्षा नहीं की गई है ये कार्यालय.	कंपनी वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए मेकर और चेकर अवधारणा और अन्य संबंधित गतिविधियों के उचित कार्यान्वयन के लिए सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, कंपनी ने मुद्दों के समाधान के लिए अनुबंध के आधार पर योग्य पेशेवरों को नियुक्त किया है। त्रुटियों को नियंत्रित करने के लिए ईआरपी में कुछ सिस्टम आधारित प्रतिबंध लगाए गए हैं।
ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक–1 का बिंदु 5(iv)।	सिस्टम–आधारित स्वचालित नियंत्रण, जांच और संतुलन के बजाय मैन्युअल नियंत्रण का पालन किया जाता है क्योंकि तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों / पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन को एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करके ईआरपी में मैन्युअल रूप से पोस्ट किया जाता है क्योंकि मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन कुछ कार्यों / खंडों के साथ एकीकृत नहीं है। कंपनी।	वर्ष के दौरान टीम ने एयर टिकटिंग, सीएसआईएम, पेरोल और एचआरएमएस जैसे विभिन्न तृतीय पक्ष अनुप्रयोगों के साथ ईआरपी को एकीकृत करने के लिए कुछ उपकरण विकसित किए हैं। अन्य तृतीय पक्ष अनुप्रयोग हैं प्रक्रिया के तहत।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

एसडी/–
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09629741

दिनांक: 19 जुलाई, 2024
स्थान: नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – एच

फॉर्म संख्या एओसी-2

अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटण का प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के तहत कुछ स्वतंत्र संव्यवहार के लेन-देन भी शामिल हैं।

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण जो स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर नहीं है:

संबंधित पक्ष के नाम	संबंधों की प्रकृति	संविदा की अवधि	विशेष निबंधन	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियां	राशि रु.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
शून्य						

2. स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए गए संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण:

संबंधित पक्ष के नाम	संबंधों की प्रकृति	संविदा की अवधि	विशेष निबंधन	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियां	राशि रु.	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
शून्य						

कृते निदेशक मंडल

हस्त/-
(संजय कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09629741

स्थान - नई दिल्ली
दिनांक - 19 जुलाई, 2024

स्टैंडअलोन
वित्तीय विवरण

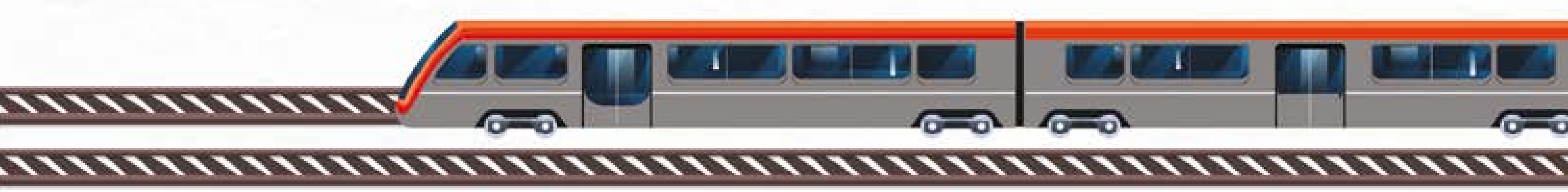

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यों,

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), तब समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (अब इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संबोधित किया जाएगा) के सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य निष्पादन), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुच्छेद लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार और साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं से कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम नीचे दिए गए मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

1. नोट संख्या 37.2(iv) - अप्रैल 2022 में घोषित मध्यस्थता निर्णय के संबंध में है जो जनवरी 2018 से 7,471.65 लाख रुपये की राशि के साथ 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया है, जो लाइसेंसधारियों को भुगतान नहीं किए गए स्वागत पेय की आपूर्ति के दावों की मूल राशि को दर्शाता है और रेलवे के निर्देशों के अनुसार, यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली है, जबकि इन लाइसेंसधारियों को कॉम्बो भोजन के कीमत की प्रतिपूर्ति कर दी गई थी, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है। कंपनी ने इस निर्णय के खिलाफ आपत्तियां दायर की हैं और इसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। मामला लंबित है। कंपनी का तर्क है कि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी और अगर अंततः भुगतान के लिए उसे उत्तरदायी ठहराए जाएगा तो कंपनी को रेलवे से वसूली का अधिकार है।

   माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई 19.07.2023 को हुई और माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 09.10.2023 के अनुसार कंपनी को बैंक गारंटी राशि जमा करने की सलाह दी गई है। कंपनी ने इस पुरस्कार के ख़िलाफ़ आपत्ति अपील दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 8,471.65 लाख रुपये की बैंक गारंटी अदालत की रजिस्ट्री में जमा कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

2. नोट संख्या 37.2(v) - राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में है जिसमें 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी की दर में कमी होने के बावजूद कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले रेल नीर ब्रांड पेय जल की एमआरपी में आनुपातिक कमी करके उपभोक्ताओं को कर की दर में कटौती का लाभ नहीं देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत कंपनी के खिलाफ 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है। कंपनी का तर्क है कि रेल नीर पेय जल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल की कीमतों, बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि में काफी वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय सक्षम आयोग ("सीसीआई") को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हैं जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।

3. रेलवे बोर्ड के संबंध में नोट संख्या 49 (बी) में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा विभागीय रूप से संचालित रेल नीर संयंत्रों के लिए, रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच लाभ 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा और पीपीपी मॉडल के तहत संचालित/डीसीओ द्वारा संचालित

संयंत्रों के लिए लाभ को 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा, रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच मुनाफा 40:60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने लाभ वसूलने के बाद 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 320.33 लाख रुपये के लाभ शेयर को विभागीय रूप से संचालित रेलनीर संयंत्रों के लाभ का 15% और 452.25 लाख रुपये को पीपीपी मॉडल पर चलने वाले संयंत्रों के मुनाफे का 40% माना है। अंतर लाभ के लिए शेयर राशि 1451.24 लाख रुपये, पिछले वर्षों के लिए पीपीपी संयंत्रों से लाभ पर 25% की दर से शेयर 31 मार्च, 2023 तक 25% (40% -15%) की दर से लाभ साझा करने की अंतर राशि का प्रावधान, 1451.24 लाख रुपये, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एक असाधारण वस्तु के रूप में दिखाया गया है, भले ही कंपनी ने प्रतिनिधित्व किया हो वित्त वर्ष 2022-23 तक सभी रेलनीर संयंत्रों के लिए 15:85 के समान अनुपात पर लाभ साझा करने के लिए रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। ये मामले रेलवे के साथ सुलह के अधीन हैं।

4. नोट संख्या 39 - पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण के पत्रों के संबंध में है। पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके बही खाते नकद आधार पर रखे जाते हैं। हमने पाया है कि रेलवे से काफी राशि प्राप्य/देय हैं, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक कई निष्क्रिय डेबिट शेष और कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल है, जिसमें लीगेसी डेबिट और क्रेडिट शेष भी शामिल हैं, जो कि रेलवे को / से खानपान संचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित हैं। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगे गए शेष पुष्टिकरण पत्रों का उत्तर नगण्य था और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया है।

5. नोट संख्या 56 (b) - चार रेल नीर संयंत्रों के डेवलपर सह ऑपरेटरों ("डीसीओ") द्वारा निश्चित अवधि के लिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में है जिसके परिणामस्वरूप इन दावों की प्राप्य राशि को कंपनी के बही खातों में मान्यता नहीं दी गयी है। इस स्तर पर ऐसे दावों की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ये डीसीओ 364.83 लाख रुपयों के दावों सहित इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं जो उनके खातों में डेबिट कर दिए गए हैं।

6. नोट संख्या 10.1 और 58(i) 31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्तियों के संबंध में 31 मार्च, 2024 को रेलवे और सरकार से देय 1,296.18 करोड़ रुपयों (31 मार्च, 2023 को 1053.53 करोड़ रु.) शामिल हैं। रेलवे और सरकार के बकाए में से, 3 साल से अधिक समय से बकाया राशि 134.65 करोड़ है जिसमें डिफ़ॉल्ट राशि 35.86 करोड़ रु. शामिल है।

7. नोट संख्या 77 - मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 33,595 लाख रुपये की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए कुछ अनुप्रयोगों के संबंध में है जिसके लिए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के निर्णय का इंतजार है।

8. नोट संख्या 73 - वित्त वर्ष 2019-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए टैरिफ संशोधन के कारण ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए राजस्व की गैर-मान्यता के संबंध में है जो पोस्ट-पेड ट्रेनों के बिक्री-मूल्यांकन के बारे में कार्य के रूप में आज भी जारी है, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का % निर्धारित करेगा। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, भले ही बिक्री मूल्यांकन पूरा हो गया हो, लेकिन किसी राजस्व को भी मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कुछ लाइसेंसधारकों ने टैरिफ संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग का विरोध किया है। चूंकि इस स्तर पर मान्यता प्राप्त राजस्व का पता नहीं लगाया जा सकता है या यह विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।

9. नोट संख्या 78 - (i) कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर जो 31 मार्च, 2024 तक पहचान, समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के लिए लंबित हैं, (ii) लंबित व्यापार देयों की पहचान और प्रकटीकरण की प्रणाली की समीक्षा और सुधार, (iii) एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनका वर्गीकरण ताकि 31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उनके बकाए का उचित प्रकटीकरण सुनिश्चित हो सके जिसमें ऐसे पक्षों से पुष्टि के माध्यम से सुधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनके वर्गीकरण की आवश्यकता है।

10. वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को 230.13 लाख रुपये की राशि का अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन के अस्वीकार्य भुगतान के संबंध में नोट संख्या 79, जैसा कि सी एंड एजी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट (रेलवे) के लिए अपने अनंतिम पैरा में रेल बोर्ड को भेजा है। दिनांक 24 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से, कंपनी ने रेल बोर्ड के दिनांक 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपना जवाब दिया है जिसमें कंपनी से टिप्पणियां मांगी गई थीं, जिसमें कंपनी ने प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को किए गए भुगतान को उचित ठहराया था। कंपनी को इस संबंध में रेल मंत्रालय से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

11. रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय के 05 जून, 2023 के पत्र के अनुसार 13 अगस्त, 2021 से दो तेजस ट्रेनों के संचालन के लिए प्रभावी शुल्क में वृद्धि के संबंध में नोट संख्या 76, क्योंकि शुल्क के लिए पहले जारी निर्देश 12 अगस्त, 2021 तक वैध थे। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए 5,126.20 लाख रु. की राशि के बढ़े हुए शुल्क का प्रावधान किया है और वित्तीय परिणामों में इसे 'असाधारण मद' के रूप में दिखाया है। हालांकि, कंपनी ने पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए शुल्क के इन निर्देशों को वापस लेने के लिए रेल बोर्ड से अनुरोध किया है जो लंबित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में, संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

आकस्मिक देयताओं के मुकदमो का आकलन और संबंधित प्रकटीकरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट नंबर 2 (ओ)- अनुमानों और निर्णयों का उपयोग-प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति और "आकस्मिक देयताओं" और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के उपरोक्त नोट्स में उल्लेखित विभिन्न मामलों से संबंधित मुकदमे चल रहे है।

आर्थिक संसाधनों के भौतिक बहिर्वाह की संभावना और क्या कोई प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं, उसका निर्धारण करने के लिए ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए प्रबंधन के अर्थपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। उचित माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कानूनी सलाह के साथ निर्णय को समर्थित किया जाता है।

चूंकि मुकदमों का अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है और प्रबंधन द्वारा ली गई स्थिति उनके सर्वोत्तम निर्णय पर आधारित होती है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह, कानूनों/विनियमों की व्याख्या से संबंधित सलाह सहित संबंधित कानूनी सलाह के अधीन हो सकती है, इसलिए इसकी पहचान हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।

हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- हमने प्रासंगिक कानूनों और विनियमों से संबंधित मुकदमों के आकलन संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा, उसका मूल्यांकन और परीक्षण किया;
- हमने इन मामलों पर विभिन्न अदालतों/प्राधिकारियों के नवीनतम आदेशों/निर्णयों को पढ़ा और उन्हें ध्यान में रखा;
- हमने इन-हाउस लीगल हेड, कर सलाहकारों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ताकि महत्वपूर्ण मुकदमों के सबसे संभावित परिणाम पर उनके आकलन को समझ सके और इन मुकदमों के लिए किए गए प्रावधानों के आधार को समझा जा सके;
- हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं /अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया;
- जहां प्रासंगिक हो वहां, हमने प्रबंधन द्वारा प्राप्त, बाहरी कानूनी राय को ध्यान में लिया;
- हमने समान मामलों में पूर्ववर्ती सेट को समझकर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया और प्रबंधन के पिछले अनुमानों/निर्णयों की विश्वसनीयता का आकलन किया;
- हमने उन मामलों के बारे में प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है जिनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है या जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना नहीं जाता है, क्योंकि भौतिक बहिर्वाह की संभावना को प्रबंधन द्वारा न्यूनतम माना जाता है; तथा
- हमने कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया।

उपरोक्त किए गए कार्य के आधार पर, मुकदमों के संबंध में प्रबंधन का आकलन और आकस्मिक देयताओं/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों से संबंधित प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित माना जाता है।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर स्टैंडअलोन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारक की जानकारी सहित मंडल की रिपोर्ट, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक विवरण गलत है, तो हमें अभिशासन के प्रभारी को मामले से अवगत कराना आवश्यक है। ऐसी अन्य जानकारी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक लंबित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन, और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों

के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देता है।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेका रिकार्डों का रखरखाव भी शामिल होता है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके; समुचित लेखाकरण का चयन करके उन्हें लागू किया जा सके; निर्णय लिए जा सकें तथा वे अनुमान तैयार किए जा सकें जो उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण हों; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव किया जा सके; जो लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के किए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए अपेक्षित थे, जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं और किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो सकती है, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की योग्यता के आकलन का उत्तरदायी होता है कि वह चल रहे कारोबार को जारी रखे, जैसा लागू हो, चल रहे कारोबार से संबंधित मामलों को प्रकट करे और जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने का प्रयास करे अथवा कार्यों को रोक दे अथवा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु उसे ऐसा करना पड़े, तब तक चल रहे कारोबार को लेखांकन का आधार बनाया जाता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलकर वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के कारण है, जिसमें हमारी रे शामिल होती है। पर्याप्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं होती है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाया जा सके। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यों की गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, यदि अकेले से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होने संभावित हो सकते है।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करके उनका आकलन करते है, कि क्या यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, और उन जोखिमों के प्रति उपयोगी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और लागू करते है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है, जो हमारी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होता हैं, के क्रम में लेखापरीक्षा के अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण की जानकरी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और उक्त नियंत्रणों के संचालन की कोई प्रभाविता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की पर्याप्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- चल रहे कारोबार के लेखांकन के संबंध में पर्याप्तता का निष्कर्ष, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होता हैं, भले ही गतिविधियों अथवा स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो, जो चल रहे कारोबार को जारी रखने में कंपनी की योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कराती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण करने के लिए हमें ध्यानाकर्षित करना अपेक्षित है, अथवा यदि इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त हो, तो हमें अपनी राय में संसोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी होने की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की गतिविधियां या स्थितियां कंपनी के चल रहे कारोबार को बंद करने का कारण हो सकती हैं।
- संपूर्ण प्रस्तुति, स्ट्रक्चर और वित्तीय विवरणों की सामग्री सहित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना और यह देखने कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेनदेन और गतिविधियों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि जिससे निष्पक्ष स्थिति प्रकट होती है।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में ग़लत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और उस कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम इन से समन्वय करते हैं जिन पर अन्य मामलों के साथ-साथ, नियोजित दायरे और लेखापरीक्षा के समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों के संचालन का प्रभारी होता है, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान सामने लाते हैं।

हम ऐसे प्रभारियों को एक विवरण भी देते है, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित नीतिगत आवश्यकताओं को लेकर संकलित किया होता है और उनके साथ उन समस्त संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में भी समन्वय करते हैं, जो पर्याप्त रूप से हमारी स्वतंत्रता को वहां करते है और जहां लागू हो, सुरक्षा से संबद्ध हों।

गवर्नेंस प्रभारियों से जिन मामलों पर समन्वय किया गया है, हम मानते हैं कि वे मामले वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करते हैं जब तक कि विधि या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को शामिल न करते हों अथवा जब, बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह मानते हैं कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामो से काफी हद तक उक्त समन्वय से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसे अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के शर्तों में केंद्र सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") में अपेक्षित है, हमने अनुलग्नक 1 में पैराग्राफ 3 और 4 में उल्लेखित मामलों पर विवरण दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं:

(क) हमने निम्नलिखित को छोड़कर वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे:

(i) अधिकांश पार्टियों और बैंकों से हमें शेष राशि की पुष्टि के पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, कुछ कार्यालयों द्वारा शेष राशि की पुष्टि के पत्र नहीं भेजे गए, जो हमारे साथ सहमत दिशानिर्देशों के विरुद्ध है;

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ऊपर बताई गई हमारी टिप्पणियों के प्रभाव की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ग) तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है।

(घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं:

(ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक 2" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारी रिपोर्ट में एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

(छ) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) की आवश्यकता है, हम इसके साथ भारत के नियंत्रक और म हालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक विवरण "अनुलग्नक 3" संलग्न कर रहे हैं।

(ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अपेक्षारनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

ii. कंपनी ने डेरिवेटिव संविदा सहित किसी भी दीर्घकालिक संविदा का समझौता नहीं किया है।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (क) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं को कंपनी द्वारा कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगा;

(ख) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कंपनी द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी "अंतिम लाभार्थियों" द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगी;

(ग) ऐसी परिस्थितियों में हमारी द्वारा उचित मानी जाती लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि पैराग्राफ (iv)(E) और (बी) के तहत हमें दिए गए प्रकटन में कोई गलतबयानी नहीं है।

v. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम और अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों बहियों को रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित लेनदेन के लिए पूरे वर्ष इसे ही संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की गई हो।

अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खाते तैयार करने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तद्नुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2024
यूडीआईएन: 24080624BKEJWE9994

अनुलग्नक 1

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ1 में संदर्भित

i. क. (क) कंपनी ने इन परिसंपत्तियों की संख्या-वार पहचान को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा वर्ष के अंत में सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में एक उचित अंतराल है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति देखी नहीं गई है;

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के उन मामलों के लिए नीचे दिए गए फुट-नोट्स देखें जिनमें पट्टा समझौते निष्पादित नहीं किए गए हैं/ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासा नहीं किया गया है, उन्हें निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखा गया है, जिनके संबंध में टाइटल डीड को निष्पादित किया जाना बाकी है;

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर लिया गया	प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गांव में होटल के लिए भूमि बिमीठा, खजुराहो, मध्य प्रदेश में भूमि	₹ 66.98 लाख	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	03.09.2013 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
केवड़िया, गुजरात में होटल के लिए भूमि	₹ 1,275 लाख	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	15.10.2020 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।

फुट-नोट्स: पट्टे पर ली गई अचल संपत्तियों के लिए

1. डी/91 और डी/141, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, मुंबई में आवासीय भवन, जिसकी लागत 03.10.2012 से 325 लाख रुपये है, रेलवे द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके लिए लाइसेंस समझौता अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
2. दिनांक 17 फरवरी, 2017 के आदेश के तहत असम राज्य सरकार द्वारा जगी रोड, असम में रेल नीर संयंत्र के लिए 8.06 लाख रुपये में भूमि आवंटित की गई। पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
3. 30 अक्टूबर, 2018 से रेल नीर संयंत्र के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऊना में 103.81 लाख रुपये में पट्टे पर भूमि आवंटित की गई। पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
4. अंबरनाथ रेल नीर प्लांट (आरओयू 28.23 लाख रुपये) के लिए 17 दिसंबर 2009 से रेलवे द्वारा दी गई जमीन। लीज एग्रीमेंट का नवीनीकरण 01 अप्रैल, 2021 से लंबित है।
5. सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास 1,374 लाख रुपये की लागत वाले तीन आवासीय फ्लैटों पर नवंबर/दिसंबर 2022 से कब्जा है। रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ लीज एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(i)(डी) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम अंतर्गत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है;

ii. क. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन (अधिकांश डिपो में तैयार स्टॉक को छोड़कर जिसकी तीसरे पक्ष द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की गई थी) आयोजित किया जाता है और प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है

और इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल 10 % या उससे अधिक की कोई विसंगति देखी नहीं गई है;

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंक के पास सावधि जमा प्राप्ति के एवज में ओवरड्राफ्ट के रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत (नवीकृत) की गई है। हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया था और कंपनी द्वारा कोई रिटर्न या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी;

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधारपर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों या फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

iv. ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूति के संबंध में उपरोक्त पैराग्राफ (iii) में हमारी टिप्पणियों के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं होता है;

v. कंपनी ने जनता से जमा मानी जाती ऐसी कोई जमा या कोई राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) अंतर्गत उसके द्वारा निर्मित उत्पादों और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vii. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, मासिक जीएसटी एवं जीएसटी टीडीएस बकाया की कुल मिलाकर इस वर्ष के लिए 339.05 लाख रु. (पिछले वर्ष 4,999.97 लाख रुपये) की आंशिक राशि जमा करने में देरी, मासिक आयकर टीडीएस बकाया की आंशिक राशि 1.38 लाख रुपये और कुछ कर्मचारियों के पीएफ बकाया जमा करने में देरी को छोड़कर जो अपने आधार कार्ड को अपने पीएफ नंबर के साथ लिंक करने में विफल रहे, कंपनी आमतौर पर अविवादित सांविधिक देय राशि समुचित प्राधिकारी के पास समय पर जमा करने में नियमित है, जिसमें भविष्य निधि, आयकर और उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, आयकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2023 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवा 11.59 लाख रुपये के पीएफ बकाया के जो उन कर्मचारियों के संबंध में है जो अपने आधार कार्ड नंबर को अपने पीएफ नंबर के साथ लिंक नहीं कर सके थे;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक देय राशि जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है, वह इस प्रकार है:

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	01.04.2007 से 31.03.2012	सीईएसटीएटी	10,480.19#	-	10,480.19#
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	2012-13 से जून 2017 तक	सीईएसटीएटी	23.05	2.31	20.74
सेवा कर	खानपान, टूर संचालन, माल परिवहन आदि पर मांग।	2014-15	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	56.36	4.23	52.13
सेवा कर	बोतलबंद पेयजल की बिक्री पर	2008-09 से 2012-13	सीईएसटीएटी / आयुक्त (अपील)	38.57	-	38.57
सेवा कर अधिनियम	मांग	2014-15 (दूसरी छमाही) और 2015-16	उप-आयुक्त	14.28	1.43	12.85
सेवा कर	मांग	2010-11 से 2013-14	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण	458.95	458.95	-
सेवा कर	मांग सह एससीएन	2017-18	केंद्रीय कर आयुक्त	64.94	-	64.94

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
सेवा कर	मांग	2011 से 2015	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	2.95	2.95	-
वैट	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008-09 से जून 2017	उच्चतम न्यायालय	8,251.01	-	8,251.01
वैट	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 और 2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)	229.83	229.83	-
वैट	आईटीसी इनकार, मोबाइल कैटरिंग पर मांग	2010-11 से 2012-13	ट्रिब्यूनल	161.70	80.87	80.83
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008-09 से 2011-12	उच्चतम न्यायालय	915.80	-	915.80
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	73.24	-	73.24
वैट दिल्ली	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2012-13	वैट अधिकारी, विशेष ओएचए	77.74	-	77.74
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2009-10 से 2010-11	विशेष आयुक्त (डीवैट)	599.39	-	599.39
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2013-14 से 2015-16	डीवैट ओएचए	427.97	2.98	424.99
वैट झारखंड	जुर्माना	2010-11 से 2012-13	एडीसी	46.31	5.79	40.52
वैट झारखंड	मांग	2010-11 से 2012-13	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	40.03	-	40.03
वैट केरल	से संबंधित कंपाउंडिंग दर से इनकार	2014-15	एसीटीओ	47.57	-	47.57
वैट ओडिशा	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 से 2013-14	आयुक्त, ट्रिब्यूनल	64.66	4.31	60.35
वैट ओडिशा	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12 से 2012-13	ट्रिब्यूनल	82.91	13.53	69.38
वैट राजस्थान	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 से 2016-17	एसीटीओ	30.22	-	30.22
वैट यूपी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2008-09	आयुक्त (यूपी वैट)	17.08	6.83	10.25
दिल्ली वैट अधिनियम	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	0.46	-	0.46
आर वैट	मांग	2015-16 से 2017-18	वाणिज्यिक कर अधिकारी	5.41	5.05	0.36
टीएन वैट अधिनियम	मांग	2014-15	सहायक आयुक्त	5.91	5.91	
टीएन वैट	मांग	2015-16 से 2017-18	सहायक आयुक्त (एसटी)	319.13	-	319.13
दिल्ली सीएसटी	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	84.61	-	84.61
दिल्ली सीएसटी	मांग	2017-18	विशेष सुनवाई प्राधिकारी	8.63	-	8.63
सीएसटी	मांग	2014-15 और 2015-16	सहायक आयुक्त (एसटी)	43.84	-	43.84
आयकर	आकलन	2020-21	एओ, आयकर	25.65	-	25.65
आय-कर टीडीएस	मांग	2007-08 से 2022-23	टीडीएस प्राधिकरण	15.59	-	15.59
सीजीएसटी अधिनियम 2021	मांग	2017-18, 2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	41.34	-	41.34
सीजीएसटी अधिनियम	मांग	2017-18 और 2019-20	संयुक्त आयुक्त अपील-05	6.13	-	6.13
जीएसटी टीएस	मांग	2017-18 से 2020-21	सहायक आयुक्त (एसटी)	57.08	13.03	44.05
जीएसटी टीएस	आकलन	2021-22	जीएसटी प्राधिकरण	50.20	-	50.20

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
जीएसटी-टीएस	कारण बताओ नोटिस	2017-18, 2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	39.46	18.49	20.97
जीएसटी ओडी	मांग	2018-19	सीटी और जीएसटी अधिकारी	0.21	-	0.21
जीएसटी अधिनियम	मांग	2020-21	जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा के अधीक्षक	3.47	-	3.47
जीएसटी अधिनियम	मांग	2014-15	केरल उच्च न्यायालय	44.05	-	44.05
जीएसटी एपी	कारण बताओ नोटिस	2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	2.17	2.17	-
वित्त अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मांग	2015-17	आयुक्त (अपील II) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी	0.90	-	0.90
प्रवेश कर	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 से 2012-13	उच्च न्यायालय	2.04	-	2.04
जीएसटी - महाराष्ट्र	कारण बताओ नोटिस	2017-18	आयुक्त, अपील	93.75	4.08	89.67
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2020-21	सहायक आयुक्त कार्यालय, तेलंगाना	30.10	12.39	17.71
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2018-19	डिप्टी कमिश्नर तेलंगाना का कार्यालय	167.07	-	167.07
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2017-20	डीजीजीआई, बेलगावी	31.06		31.06
जीएसटी	माँग	2017-18 से 2020-21	अपर/संयुक्त आयुक्त	15.56	1.58	13.98
जीएसटी	माँग	2017-2020	अपर आयुक्त	147.76	-	147.76
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2017-18	उप आयुक्त	95.87	88	7.87
जीएसटी	माँग	2018-19	अपर आयुक्त	393.03	-	393.03
कुल				**23,935.23**	**964.71**	**22,970.52**

#खाते की पुस्तकों में 2,578.03 लाख रुपये प्रदान किए गए।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन को अभ्यर्पित या प्रकटन नहीं किया है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत, कर निर्धारण में लेखा पुस्तकों में आय के रूप में पूर्व में दर्ज नहीं किया गया था;

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंकों के पास सावधि जमा के खिलाफ बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी के अलावा, कंपनी ने किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। कंपनी ने ऋण चुकाने या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंक द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता (डिफॉलटर) घोषित नहीं किया गया है;

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(सी) लागू नहीं होता है;

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड इकट्ठा नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(डी) लागू नहीं होता है;

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने खाते में या अपने संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(ई) लागू नहीं होता है;

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(एफ) लागू नहीं होता है;

x. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या

परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई पक्षपातपूर्ण आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(x) (ए और बी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xi. क. कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी न तो देखी गई और न ही रिपोर्ट की गई है।;

ख. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत हमारे द्वारा केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है;

ग. जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन, जहां लागू हो वहां, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और लेखापरीक्षा पर लागू मानकों के अपेक्षानुसार, इस तरह के लेन-देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है;

xiv. क. ज़ोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों और रेल नीर संयंत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा को छोड़कर, कंपनी के पास अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है और साथ ही वर्ष के अंत में भौतिक लेनदेन सहित लेनदेन लेखापरीक्षा को अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त कवरेज की आवश्यकता है।;

ख. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार किया है;

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-I ए अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvii. कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में और तत्कालीन पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी घाटा नहीं हुआ है;

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देयताओं के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हम यह माने कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह बताती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख तक मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं, कंपनी द्वारा देय होने पर पूरी कर दी जाएगी;

xx. क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xx)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ख. अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर आवश्यकताओं में से, 31 मार्च, 2023 तक शेष अव्ययित 151.27 लाख रुपये की राशि, (31 मार्च 2022 तक 124.39 लाख रुपये) चल रही परियोजनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्याः 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2024
यूडीआईएनः 24080624BKEJWE9994

अनुलग्नक 2

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2023 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जोकि कंपनी के उस दिन से समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ है।

1. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

   कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ओफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य भागों पर विचार लिया जाता है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समुचित डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल रहता है, ताकि कंपनी के कारोबार सहित इसकी नीतियों का नियमानुसार और कुशलतापूर्वक संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता तथा जैसे अधिनियम, के अंतर्गत अपेक्षित है, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना सुनिश्चित हो सके।

2. **लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी**

   हमारा उत्तरदायित्व, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्दर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोटफ्र) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों पर हमारी लेखापरीक्षा की है, जिसे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुरूप निर्धारित मन जाता है, जो दोनों आंतरिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होता है और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाया गया तथा उसे बनाए रखा गया था और क्या उक्त नियंत्रणों का हर तरह से प्रभावी संचालन किया गया था।

   हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना तथा उनके संचालन की प्रभाविता शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री में निहित कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आंकलित जोखिम के आधार पर डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण के संचालन की प्रभाविता का परिक्षण और मूल्यांकन शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की गलत बयानी, चाहे वह धोखधड़ो के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

   हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध करते हैं।

3. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराए जाते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो समुचित विवरण, सटीकता तथा निष्पक्षता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और अवस्थिति को दर्शाती हैं; (2) समुचित आश्वासन उपलब्ध करतें है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दर्ज किया जाता ह जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक होते हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय के विवरण प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या अवस्थिति का समय पर पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं, जिनसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

4. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं सहित त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के के कारण टकराव होने अथवा प्रबंधन का समुचित नियंत्रण न होने से, गलत बयानी होने की संभावना रहती है और उसका पता नहीं लग पता। साथ ही, भावी अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का पता लगाने के लिए भी जोखिम रहता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को हमारी निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:

i एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, मेकर और चेकर अवधारणा आम तौर पर अनुपस्थित है, यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य डेटा में कई त्रुटियां और चूक हुई हैं, जिनके आधार पर लेनदेन बही खातों में दर्ज किए जाते हैं। हमने यह भी देखा कि विभिन्न कार्यालयों में अनुभवी पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की अपर्याप्त संख्या के परिणामस्वरूप: (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से समझौता किया जा रहा है / ऊपर बताए गए मेकर और चेकर अवधारणा सहित को लागू नहीं किया जा रहा है, (ii) बही खातों में पहले दर्ज किए गए लेनदेन/ बकाया शेष की इन कार्यालयों द्वारा समय-समय पर समीक्षा नहीं की जा रही है।

ii. हमने पाया है कि: (ए) ईआरपी में तैयार किए बही खातों में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर मौजूद है, जिसमें ऐसे खातों और अंतरों को प्रबंधन द्वारा क्रमशः पहचाना और निर्धारित किया जाना बाकी है।

iii. पार्टियों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया है। रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि रेलवे अपने बही खाते नकद आधार पर रखता है। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगी गई शेष राशि की पुष्टि के लिए उत्तर नगण्य था और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया।

iv. सिस्टम-आधारित स्वचालित नियंत्रणों, चेक और शेष राशि के बजाय मैन्युअल नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तीसरी पार्टी के एप्लिकेशन/ पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन मैन्युअल रूप से ईआरपी में एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करके पोस्ट किए जाते हैं क्योंकि मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन कंपनी के कुछ कार्यों / खंडों के साथ एकीकृत नहीं है।

v. 31 मार्च, 2023 को बड़ी संख्या में निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट शेष मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में विरासती प्रविष्टियाँ भी शामिल थीं। इन शेषों की पहचान करने, उनका मिलान करने और यदि आवश्यक हो तो बट्टे खाते में डालने/राइट-बैक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

6. राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और उपरोक्त हमारे अवलोकनों के साथ पठित, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण विषय, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और 31 मार्च, 2023 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2024
यूडीआईएन: 24080624BKEJWE9994

अनुलग्नक 3

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 2 (जी) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का जवाब
1. क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो बताए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने लेखांकन लेनदेन के एक बड़े हिस्से को आईटी के माध्यम से संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। तथापि, कुछ मॉड्यूल जैसे कि (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त और संपत्ति उपयोग का अधिकार, पेरोल और एआरसीएस (लेखांकन मिलान क्लाउड सेवाएं) के लंबित कार्यान्वयन को देखते हुए ओरेकल प्रणाली का मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन एंड टू एंड एकीकृत लेखांकन प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की राशि, पर्यटन के एमसीडीओ डेटा, ई-कैटरिंग, रेल नीर संयंत्र डेटा और लेनदेन एक्सेल में संकलित किए जाते हैं और मास्टर डेटा के रूप में ईआरपी के वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल में मैन्युअल रूप से अपलोड/पोस्ट किए जाते हैं और इन तीसरी-पार्टी एप्लिकेशन में कैप्चर किया गया लेन-देन डेटा ईआरपी एप्लिकेशन के साथ संगत नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण में खातों की अखंडता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण मामला सामने नहीं आया है। सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर बताया गया है एक्सेल में संकलित डेटा के संपादन में ऑडिट ट्रेल नहीं है।
2. क्या मौजूदा ऋण की पुनः संरचना की गई है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है?	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनः संरचना या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे।
3. क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसी कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य करने योग्य नहीं थी। पिछले वर्षों में प्राप्त सरकारी अनुदान के संबंध में, लागू इंड भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इसका लेखा किया जा रहा है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2024
यूडीआईएनः 24080624BKEJWE9994

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यों,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

स्पष्ट त्रुटियों की पहचान के बाद, यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 28 मई, 2024 की हमारी पिछली रिपोर्ट का स्थान ले लेती है। यह संशोधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नई दिल्ली) द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के जवाब में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पहले व्यक्त की गई राय में कोई बदलाव नहीं करना है। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी आंकड़े में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

राय

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकद शामिल है। प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांत के अनुरूप, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, इसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य निष्पादन), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अनुच्छेद लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार और साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं से कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम नीचे दिए गए मामलों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

1. नोट संख्या 37.2(iv) - अप्रैल 2022 में घोषित मध्यस्थता निर्णय के संबंध में है जो जनवरी 2018 से 7,471.65 लाख रुपये की राशि के साथ 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया है, जो लाइसेंसधारियों को भुगतान नहीं किए गए स्वागत पेय की आपूर्ति के दावों की मूल राशि को दर्शाता है और रेलवे के निर्देशों के अनुसार, यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली है, जबकि इन लाइसेंसधारियों को कॉम्बो भोजन के कीमत की प्रतिपूर्ति कर दी गई थी, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है। कंपनी ने इस निर्णय के खिलाफ आपत्तियां दायर की हैं और इसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। मामला लंबित है। कंपनी का तर्क है कि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी और अगर अंततः भुगतान के लिए उसे उत्तरदायी ठहराए जाएगा तो कंपनी को रेलवे से वसूली का अधिकार है।

   माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई 19.07.2023 को हुई और माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 09.10.2023 के अनुसार कंपनी को बैंक गारंटी राशि जमा करने की सलाह दी गई है। कंपनी ने इस पुरस्कार के ख़िलाफ़ आपत्ति अपील दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 8,471.65 लाख रुपये की बैंक गारंटी अदालत की रजिस्ट्री में जमा कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

2. नोट संख्या 37.2(v) - राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में है जिसमें 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी की दर में कमी होने के बावजूद कंपनी द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले रेल नीर ब्रांड पेय जल की एमआरपी में आनुपातिक कमी करके उपभोक्ताओं को कर की दर में कटौती का लाभ नहीं देने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत कंपनी के खिलाफ 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है। कंपनी का तर्क है कि रेल नीर पेय जल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है क्योंकि एमआरपी रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की जाती है और वर्ष 2012 में तय की गई एमआरपी कच्चे माल की कीमतों, बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि में काफी वृद्धि के बावजूद अभी भी जारी है। कंपनी

द्वारा प्राप्त कानूनी राय कंपनी के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय सक्षम आयोग ("सीसीआई") को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हैं जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।

3. रेलवे बोर्ड के संबंध में नोट संख्या 49 (बी) में स्पष्ट किया गया है कि कंपनी द्वारा विभागीय रूप से संचालित रेल नीर संयंत्रों के लिए, रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच लाभ 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा और पीपीपी मॉडल के तहत संचालित/डीसीओ द्वारा संचालित संयंत्रों के लिए लाभ को 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा, रेलवे बोर्ड और कंपनी के बीच मुनाफा 40:60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने लाभ वसूलने के बाद 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 320.33 लाख रुपये के लाभ शेयर को विभागीय रूप से संचालित रेलनीर संयंत्रों के लाभ का 15% और 452.25 लाख रुपये को पीपीपी मॉडल पर चलने वाले संयंत्रों के मुनाफे का 40% माना है। अंतर लाभ के लिए शेयर राशि 1451.24 लाख रुपये, पिछले वर्षों के लिए पीपीपी संयंत्रों से लाभ पर 25% की दर से शेयर 31 मार्च, 2023 तक 25% (40% –15%) की दर से लाभ साझा करने की अंतर राशि का प्रावधान, 1451.24 लाख रुपये, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एक असाधारण वस्तु के रूप में दिखाया गया है, भले ही कंपनी ने प्रतिनिधित्व किया हो वित्त वर्ष 2022–23 तक सभी रेलनीर संयंत्रों के लिए 15:85 के समान अनुपात पर लाभ साझा करने के लिए रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। ये मामले रेलवे के साथ सुलह के अधीन हैं।

4. नोट संख्या 39 – पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण के पत्रों के संबंध में है। पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके बही खाते नकद आधार पर रखे जाते हैं। हमने पाया है कि रेलवे से काफी राशि प्राप्य/देय हैं, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक कई निष्क्रिय डेबिट शेष और कुछ क्रेडिट शेष भी शामिल है, जिसमें लीगेसी डेबिट और क्रेडिट शेष भी शामिल हैं, जो कि रेलवे को / से खानपान संचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित हैं। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगे गए शेष पुष्टिकरण पत्रों का उत्तर नगण्य था और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया है।

5. नोट संख्या 56 (b) – चार रेल नीर संयंत्रों के डेवलपर सह ऑपरेटरों ("डीसीओ") द्वारा निश्चित अवधि के लिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में है जिसके परिणामस्वरूप इन दावों की प्राप्य राशि को कंपनी के बही खातों में मान्यता नहीं दी गयी है। इस स्तर पर ऐसे दावों की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ये डीसीओ 364.83 लाख रुपयों के दावों सहित इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं जो उनके खातों में डेबिट कर दिए गए हैं।

6. नोट संख्या 10.1 और 58(i) 31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्तियों के संबंध में 31 मार्च, 2024 को रेलवे और सरकार से देय 1,296.18 करोड़ रुपयों (31 मार्च, 2023 को 1053.53 करोड़ रु.) शामिल हैं। रेलवे और सरकार के बकाए में से, 3 साल से अधिक समय से बकाया राशि 134.65 करोड़ है जिसमें डिफ़ॉल्ट राशि 35.86 करोड़ रु. शामिल है।

7. नोट संख्या 77 – मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 33,595 लाख रुपये की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए पिछले वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए कुछ अनुप्रयोगों के संबंध में है जिसके लिए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के निर्णय का इंतजार है।

8. नोट संख्या 73 – वित्त वर्ष 2019–20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए टैरिफ संशोधन के कारण ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्त वर्ष 2020–21 से 2022–23 के लिए राजस्व की गैर–मान्यता के संबंध में है जो पोस्ट–पेड ट्रेनों के बिक्री–मूल्यांकन के बारे में कार्य के रूप में आज भी जारी है, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का % निर्धारित करेगा। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, भले ही बिक्री मूल्यांकन पूरा हो गया हो, लेकिन किसी राजस्व को भी मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कुछ लाइसेंसधारकों ने टैरिफ संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग का विरोध किया है। चूंकि इस स्तर पर मान्यता प्राप्त राजस्व का पता नहीं लगाया जा सकता है या यह विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।

9. नोट संख्या 78 – (i) कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर जो 31 मार्च, 2024 तक पहचान, समाधान और समायोजन, यदि कोई हो, के लिए लंबित हैं, (ii) लंबित व्यापार देयों की पहचान और प्रकटीकरण की प्रणाली की समीक्षा और सुधार, (iii) एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनका वर्गीकरण ताकि 31 मार्च, 2024 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उनके बकाए का उचित प्रकटीकरण सुनिश्चित हो सके जिसमें ऐसे पक्षों से पुष्टि के माध्यम से सुधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनके वर्गीकरण की आवश्यकता है।

10. वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को 230.13 लाख रुपये की राशि का अनुग्रह राशि/कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन के अस्वीकार्य भुगतान के संबंध में नोट संख्या 79, जैसा कि सी एंड एजी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट (रेलवे) के लिए अपने अनंतिम पैरा में रेल बोर्ड को भेजा है। दिनांक 24 जनवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से, कंपनी ने रेल बोर्ड के दिनांक 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपना जवाब दिया है जिसमें कंपनी से टिप्पणियां मांगी गई थीं, जिसमें कंपनी ने प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को किए गए भुगतान को उचित ठहराया था। कंपनी को इस संबंध में रेल मंत्रालय से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

11. रेल बोर्ड, रेल मंत्रालय के 05 जून, 2023 के पत्र के अनुसार 13 अगस्त, 2021 से दो तेजस ट्रेनों के संचालन के लिए प्रभावी शुल्क में वृद्धि के संबंध में नोट संख्या 76, क्योंकि शुल्क के लिए पहले जारी

निर्देश 12 अगस्त, 2021 तक वैध थे। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए 5,126.20 लाख रु. की राशि के बढ़े हुए शुल्क का प्रावधान किया है और वित्तीय परिणामों में इसे 'असाधारण मद' के रूप में दिखाया है। हालांकि, कंपनी ने पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए शुल्क के इन निर्देशों को वापस लेने के लिए रेल बोर्ड से अनुरोध किया है जो लंबित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में समग्र रूप से और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में, संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

आकस्मिक देयताओं के मुकदमो का आकलन और संबंधित प्रकटीकरण

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट नंबर 2 (ओ)- अनुमानों और निर्णयों का उपयोग-प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति और "आकस्मिक देयताओं" और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

31 मार्च, 2024 तक, कंपनी के उपरोक्त नोट्स में उल्लेखित विभिन्न मामलों से संबंधित मुकदमे चल रहे है।

आर्थिक संसाधनों के भौतिक बहिर्वाह की संभावना और क्या कोई प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं, उसका निर्धारण करने के लिए ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए प्रबंधन के अर्थपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। उचित माने जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मामलों में कानूनी सलाह के साथ निर्णय को समर्थित किया जाता है।

चूंकि मुकदमों का अंतिम परिणाम अनिश्चित होता है और प्रबंधन द्वारा ली गई स्थिति उनके सर्वोत्तम निर्णय पर आधारित होती है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह, कानूनों/विनियमों की व्याख्या से संबंधित सलाह सहित संबंधित कानूनी सलाह के अधीन हो सकती है, इसलिए इसकी पहचान हमने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।

हमारी लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- हमने प्रासंगिक कानूनों और विनियमों से संबंधित मुकदमों के आकलन संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझा, उसका मूल्यांकन और परीक्षण किया;
- हमने इन मामलों पर विभिन्न अदालतों/प्राधिकारियों के नवीनतम आदेशों/निर्णयों को पढ़ा और उन्हें ध्यान में रखा;
- हमने इन-हाउस लीगल हेड, कर सलाहकारों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ताकि महत्वपूर्ण मुकदमों के सबसे संभावित परिणाम पर उनके आकलन को समझ सके और इन मुकदमों के लिए किए गए प्रावधानों के आधार को समझा जा सके;
- हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई आकस्मिक देयताओं /अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया;
- जहां प्रासंगिक हो वहां, हमने प्रबंधन द्वारा प्राप्त, बाहरी कानूनी राय को ध्यान में लिया;
- हमने समान मामलों में पूर्ववर्ती सेट को समझकर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया और प्रबंधन के पिछले अनुमानों/निर्णयों की विश्वसनीयता का आकलन किया;
- हमने उन मामलों के बारे में प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है जिनका प्रकटीकरण नहीं किया गया है या जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना नहीं जाता है, क्योंकि भौतिक बहिर्वाह की संभावना को प्रबंधन द्वारा न्यूनतम माना जाता है; तथा
- हमने कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन किया।

उपरोक्त किए गए कार्य के आधार पर, मुकदमों के संबंध में प्रबंधन का आकलन और आकस्मिक देयताओं/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों से संबंधित प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में उचित माना जाता है।

वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर स्टैंडअलोन लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन और शेयरधारक की जानकारी सहित मंडल की रिपोर्ट, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी पढ़ते हैं, यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक विवरण गलत है, तो हमें अभिशासन के प्रभारी को मामले से अवगत कराना आवश्यक है। ऐसी अन्य जानकारी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक लंबित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन, और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देता है।

इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समुचित लेका रिकार्डों का रखरखाव भी शामिल होता है, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हो सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके; समुचित लेखाकरण का चयन करके उन्हें लागू किया जा सके; निर्णय लिए जा सकें तथा वे अनुमान तैयार किए जा सकें जो उपयुक्त तथा विवेकपूर्ण हों; और समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और रखरखाव किया जा सके; जो लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के किए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए अपेक्षित थे, जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं और किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी, जो धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो सकती है, से मुक्त हों।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की योग्यता के आकलन का उत्तरदायी होता है कि वह चल रहे कारोबार को जारी रखे, जैसा लागू हो, चल रहे कारोबार से संबंधित मामलों को प्रकट करे और जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने का प्रयास करे अथवा कार्यों को रोक दे अथवा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु उसे ऐसा करना पड़े, तब तक चल रहे कारोबार को लेखांकन का आधार बनाया जाता है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या कुल मिलकर वित्तीय विवरण किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के कारण है, जिसमें हमारी रे शामिल होती है। पर्याप्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं होती है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाया जा सके। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यों की गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, यदि अकेले से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय पर्याप्त रूप से प्रभावित होने संभावित हो सकते है।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संदेहवाद बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करके उनका आकलन करते है, कि क्या यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, और उन जोखिमों के प्रति उपयोगी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और लागू करते है, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते है, जो हमारी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में बड़ा है, क्योंकि धोखाधडी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होता हैं, के क्रम में लेखापरीक्षा के अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण की जानकरी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और उक्त नियंत्रणों के संचालन की कोई प्रभाविता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की पर्याप्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करते हैं।
- चल रहे कारोबार के लेखांकन के संबंध में पर्याप्तता का निष्कर्ष, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होता हैं, भले ही गतिविधियों अथवा स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो, जो चल रहे कारोबार को जारी रखने में कंपनी की योग्यता पर कोई महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कराती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण करने के लिए हमें ध्यानाकर्षित करना अपेक्षित है, अथवा यदि इस तरह का प्रकटीकरण अपर्याप्त हो, तो हमें अपनी राय में संसोधन करना होता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी होने की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की गतिविधियां या स्थितियां कंपनी के चल रहे कारोबार को बंद करने का कारण हो सकती हैं।
- संपूर्ण प्रस्तुति, स्ट्रक्चर और वित्तीय विवरणों की सामग्री सहित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना और यह देखने कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण लेनदेन और गतिविधियों को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि जिससे निष्पक्ष स्थिति प्रकट होती है।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में ग़लत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावित बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने

और उस कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम इन से समन्वय करते हैं जिन पर अन्य मामलों के साथ-साथ, नियोजित दायरे और लेखापरीक्षा के समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियों के संचालन का प्रभारी होता है, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान सामने लाते हैं।

हम ऐसे प्रभारियों को एक विवरण भी देते है, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में अपेक्षित नीतिगत आवश्यकताओं को लेकर संकलित किया होता है और उनके साथ उन समस्त संबंधों तथा अन्य मामलों के बारे में भी समन्वय करते हैं, जो पर्याप्त रूप से हमारी स्वतंत्रता को वहां करते है और जहां लागू हो, सुरक्षा से संबद्ध हों।

गवर्नेंस प्रभारियों से जिन मामलों पर समन्वय किया गया है, हम मानते हैं कि वे मामले वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करते हैं जब तक कि विधि या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटन को शामिल न करते हों अथवा जब, बेहद दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह मानते हैं कि एक मामला हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के विपरीत परिणामो से काफी हद तक उक्त समन्वय से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसे अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के शर्तों में केंद्र सरकार, भारत द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") में अपेक्षित है, हमने **"अनुलग्नक 1"** में पैराग्राफ 3 और 4 में उल्लेखित मामलों पर विवरण दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं:

   (क) हमने निम्नलिखित को छोड़कर वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे:

   (i) अधिकांश पार्टियों और बैंकों से हमें शेष राशि की पुष्टि के पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा, कुछ कार्यालयों द्वारा शेष राशि की पुष्टि के पत्र नहीं भेजे गए, जो हमारे साथ सहमत दिशानिर्देशों के विरुद्ध है;

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ऊपर बताई गई हमारी टिप्पणियों के प्रभाव की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

   (ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी तौर पर अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण खाते की किताबों के अनुरूप है।

   (घ) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं:

   (ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक 2" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारी रिपोर्ट में एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

   (छ) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (5) की आवश्यकता है, हम इसके साथ भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक विवरण "अनुलग्नक 3" संलग्न कर रहे हैं।

   (ज) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अपेक्षारनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

   (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

   i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 37.2 देखें।

   ii. कंपनी ने डेरिवेटिव संविदा सहित किसी भी दीर्घकालिक संविदा का समझौता नहीं किया है।

   iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

   iv. (क) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं

को कंपनी द्वारा कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगा;

(ख) कंपनी ने प्रकटन किया है, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कि, विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कंपनी द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज के रूप में कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी "अंतिम लाभार्थियों" द्वारा या उनकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसा कुछ समान प्रदान करेगी;

(ग) ऐसी परिस्थितियों में हमारी द्वारा उचित मानी जाती लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि पैराग्राफ (iv)(E) और (बी) के तहत हमें दिए गए प्रकटन में कोई गलतबयानी नहीं है।

v. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम और अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा कि लागू है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों बहियों को रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी संबंधित लेनदेन के लिए पूरे वर्ष इसे ही संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया जिसमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ की गई हो।

अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बही खाते तैयार करने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है और तदनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई, 2024
यूडीआईएन: 24080624BKEJWY4693

"अनुलग्नक 1"

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैराग्राफ1 में संदर्भित

i. क. (क) कंपनी ने इन परिसंपत्तियों की संख्या-वार पहचान को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा वर्ष के अंत में सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में एक उचित अंतराल है। इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगति देखी नहीं गई है;

ग. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के उन मामलों के लिए नीचे दिए गए फुट-नोट्स देखें जिनमें पट्टा समझौते निष्पादित नहीं किए गए हैं/ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में खुलासा नहीं किया गया है, उन्हें निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर कंपनी के नाम पर रखा गया है, जिनके संबंध में टाइटल डीड को निष्पादित किया जाना बाकी है;

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम पर लिया गया	प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गांव में होटल के लिए भूमि बिमीठा, खजुराहो, मध्य प्रदेश में भूमि	₹ 66.98 लाख	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	03.09.2013 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।
केवड़िया, गुजरात में होटल के लिए भूमि	₹ 1,275 लाख	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	इस तालिका के कॉलम 6 में दिए गए कारण देखें	15.10.2020 से	मूल टाइटल डीड उपलब्ध नहीं है।

फुट-नोट्स: पट्टे पर ली गई अचल संपत्तियों के लिए

1. डी/91 और डी/141, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, मुंबई में आवासीय भवन, जिसकी लागत 03.10.2012 से 325 लाख रुपये है, रेलवे द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके लिए लाइसेंस समझौता अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
2. दिनांक 17 फरवरी, 2017 के आदेश के तहत असम राज्य सरकार द्वारा जगी रोड, असम में रेल नीर संयंत्र के लिए 8.06 लाख रुपये में भूमि आवंटित की गई। पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
3. 30 अक्टूबर, 2018 से रेल नीर संयंत्र के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऊना में 103.81 लाख रुपये में पट्टे पर भूमि आवंटित की गई। पट्टा समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
4. अंबरनाथ रेल नीर प्लांट (आरओयू 28.23 लाख रुपये) के लिए 17 दिसंबर 2009 से रेलवे द्वारा दी गई जमीन। लीज एग्रीमेंट का नवीनीकरण 01 अप्रैल, 2021 से लंबित है।
5. सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास 1,374 लाख रुपये की लागत वाले तीन आवासीय फ्लैटों पर नवंबर/दिसंबर 2022 से कब्जा है। रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ लीज एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है।

घ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग संपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(i)(डी) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ङ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अधीन बनाए गए नियम अंतर्गत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है;

ii. क. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन (अधिकांश डिपो में तैयार स्टॉक को छोड़कर जिसकी तीसरे पक्ष द्वारा लिखित रूप में पुष्टि की गई थी) आयोजित किया जाता है और प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है और इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल 10 % या उससे अधिक की कोई विसंगति देखी नहीं गई है;

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंक के पास सावधि जमा प्राप्ति के एवज में ओवरड्राफ्ट के रूप में पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत (नवीकृत) की गई है। हमें बताया गया है कि वर्ष के दौरान ओवरड्राफ्ट सुविधा का उपयोग नहीं किया गया था और कंपनी द्वारा कोई रिटर्न या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी;

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधारपर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है, गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कंपनियों या फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण के रूप में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(iii) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

iv. ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूति के संबंध में उपरोक्त पैराग्राफ (iii) में हमारी टिप्पणियों के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं होता है;

v. कंपनी ने जनता से जमा मानी जाती ऐसी कोई जमा या कोई राशि स्वीकार नहीं की है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) अंतर्गत उसके द्वारा निर्मित उत्पादों और उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

vii. क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, मासिक जीएसटी एवं जीएसटी टीडीएस बकाया की कुल मिलाकर इस वर्ष के लिए 339.05 लाख रु. (पिछले वर्ष 4,999.97 लाख रुपये) की आंशिक राशि जमा करने में देरी, मासिक आयकर टीडीएस बकाया की आंशिक राशि 1.38 लाख रुपये और कुछ कर्मचारियों के पीएफ बकाया जमा करने में देरी को छोड़कर जो अपने आधार कार्ड को अपने पीएफ नंबर के साथ लिंक करने में विफल रहे, कंपनी आमतौर पर अविवादित सांविधिक देय राशि समुचित प्राधिकारी के पास समय पर जमा करने में नियमित है, जिसमें भविष्य निधि, आयकर और उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय शामिल है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, आयकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2023 को उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवा 11.59 लाख रुपये के पीएफ बकाया के जो उन कर्मचारियों के संबंध में है जो अपने आधार कार्ड नंबर को अपने पीएफ नंबर के साथ लिंक नहीं कर सके थे;

ख. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वैधानिक देय राशि जो किसी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं की गई है, वह इस प्रकार है:

स्टेचू का नाम	**बकाया विवरण**	**अवधि जिससे राशि संबंधित है**	**मंच जहां विवाद लंबित है**	**सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)**	**राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)**	**शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)**
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	01.04.2007 से 31.03.2012	सीईएसटीएटी	10,480.19#	-	10,480.19#
सेवा कर	किराए पर लेने, एजेंट व्यवसाय, खानपान आदि पर कर	2012-13 से जून 2017 तक	सीईएसटीएटी	23.05	2.31	20.74
सेवा कर	खानपान, टूर संचालन, माल परिवहन आदि पर मांग।	2014-15	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	56.36	4.23	52.13
सेवा कर	बोतलबंद पेयजल की बिक्री पर	2008-09 से 2012-13	सीईएसटीएटी / आयुक्त (अपील)	38.57	-	38.57
सेवा कर अधिनियम	मांग	2014-15 (दूसरी छमाही) और 2015-16	उप-आयुक्त	14.28	1.43	12.85
सेवा कर	मांग	2010-11 से 2013-14	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण	458.95	458.95	-
सेवा कर	मांग सह एससीएन	2017-18	केंद्रीय कर आयुक्त	64.94	-	64.94

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
सेवा कर	मांग	2011 से 2015	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील)	2.95	2.95	-
वैट	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008-09 से जून 2017	उच्चतम न्यायालय	8,251.01	-	8,251.01
वैट	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 और 2008-09	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील)	229.83	229.83	-
वैट	आईटीसी इनकार, मोबाइल कैटरिंग पर मांग	2010-11 से 2012-13	ट्रिब्यूनल	161.70	80.87	80.83
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2008-09 से 2011-12	उच्चतम न्यायालय	915.80	-	915.80
वैट बिहार	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	73.24	-	73.24
वैट दिल्ली	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2012-13	वैट अधिकारी, विशेष ओएचए	77.74	-	77.74
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2009-10 से 2010-11	विशेष आयुक्त (डीवैट)	599.39	-	599.39
वैट दिल्ली और सीएसटी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2013-14 से 2015-16	डीवैट ओएचए	427.97	2.98	424.99
वैट झारखंड	जुर्माना	2010-11 से 2012-13	एडीसी	46.31	5.79	40.52
वैट झारखंड	मांग	2010-11 से 2012-13	उच्च न्यायालय/ ट्रिब्यूनल / अपीलीय प्राधिकरण	40.03	-	40.03
वैट केरल	से संबंधित कंपाउंडिंग दर से इनकार	2014-15	एसीटीओ	47.57	-	47.57
वैट ओडिशा	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 से 2013-14	आयुक्त, ट्रिब्यूनल	64.66	4.31	60.35
वैट ओडिशा	मोबाइल कैटरिंग सेवाओं पर मांग	2011-12 से 2012-13	ट्रिब्यूनल	82.91	13.53	69.38
वैट राजस्थान	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2005-06 से 2016-17	एसीटीओ	30.22	-	30.22
वैट यूपी	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2008-09	आयुक्त (यूपी वैट)	17.08	6.83	10.25
दिल्ली वैट अधिनियम	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	0.46	-	0.46
आर वैट	मांग	2015-16 से 2017-18	वाणिज्यिक कर अधिकारी	5.41	5.05	0.36
टीएन वैट अधिनियम	मांग	2014-15	सहायक आयुक्त	5.91	5.91	
टीएन वैट	मांग	2015-16 से 2017-18	सहायक आयुक्त (एसटी)	319.13	-	319.13
दिल्ली सीएसटी	मांग	2016-17	वैट - आधिकारिक सुनवाई प्राधिकरण	84.61	-	84.61
दिल्ली सीएसटी	मांग	2017-18	विशेष सुनवाई प्राधिकारी	8.63	-	8.63
सीएसटी	मांग	2014-15 और 2015-16	सहायक आयुक्त (एसटी)	43.84	-	43.84
आयकर	आकलन	2020-21	एओ, आयकर	25.65	-	25.65
आय-कर टीडीएस	मांग	2007-08 से 2022-23	टीडीएस प्राधिकरण	15.59	-	15.59
सीजीएसटी अधिनियम 2021	मांग	2017-18, 2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	41.34	-	41.34
सीजीएसटी अधिनियम	मांग	2017-18 और 2019-20	संयुक्त आयुक्त अपील-05	6.13	-	6.13
जीएसटी टीएस	मांग	2017-18 से 2020-21	सहायक आयुक्त (एसटी)	57.08	13.03	44.05
जीएसटी टीएस	आकलन	2021-22	जीएसटी प्राधिकरण	50.20	-	50.20

स्टेचू का नाम	बकाया विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है	सकल देनदारी (राशि लाख में रुपये)	राशि का भुगतान (राशि लाख में रुपये)	शुद्ध देनदारी (राशि लाख में रुपये)
जीएसटी-टीएस	कारण बताओ नोटिस	2017-18, 2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	39.46	18.49	20.97
जीएसटी ओडी	मांग	2018-19	सीटी और जीएसटी अधिकारी	0.21	-	0.21
जीएसटी अधिनियम	मांग	2020-21	जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा के अधीक्षक	3.47	-	3.47
जीएसटी अधिनियम	मांग	2014-15	केरल उच्च न्यायालय	44.05	-	44.05
जीएसटी एपी	कारण बताओ नोटिस	2018-19 और 2019-20	अतिरिक्त महानिदेशक	2.17	2.17	-
वित्त अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क	मांग	2015-17	आयुक्त (अपील II) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी	0.90	-	0.90
प्रवेश कर	मूल्यांकन, ब्याज और जुर्माना	2011-12 से 2012-13	उच्च न्यायालय	2.04	-	2.04
जीएसटी - महाराष्ट्र	कारण बताओ नोटिस	2017-18	आयुक्त, अपील	93.75	4.08	89.67
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2020-21	सहायक आयुक्त कार्यालय, तेलंगाना	30.10	12.39	17.71
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2018-19	डिप्टी कमिश्नर तेलंगाना का कार्यालय	167.07	-	167.07
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2017-20	डीजीजीआई, बेलगावी	31.06		31.06
जीएसटी	माँग	2017-18 से 2020-21	अपर/संयुक्त आयुक्त	15.56	1.58	13.98
जीएसटी	माँग	2017-2020	अपर आयुक्त	147.76	-	147.76
जीएसटी	कारण बताओ नोटिस	2017-18	उप आयुक्त	95.87	88	7.87
जीएसटी	माँग	2018-19	अपर आयुक्त	393.03	-	393.03
कुल				**23,935.23**	**964.71**	**22,970.52**

#खाते की पुस्तकों में 2,578.03 लाख रुपये प्रदान किए गए।

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन को अभ्यर्पित या प्रकटन नहीं किया है, जिसे वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत, कर निर्धारण में लेखा पुस्तकों में आय के रूप में पूर्व में दर्ज नहीं किया गया था;

ix. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंकों के पास सावधि जमा के खिलाफ बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंजूरी के अलावा, कंपनी ने किसी अन्य ऋणदाता से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। कंपनी ने ऋण चुकाने या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बैंक द्वारा कंपनी को इरादतन चूककर्ता (डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया गया है;

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई सावधि ऋण प्राप्त नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(सी) लागू नहीं होता है;

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर कोई फंड इकट्ठा नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(डी) लागू नहीं होता है;

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने खाते में या अपने संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(ई) लागू नहीं होता है;

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के तुलनपत्र की जांच करने के बाद, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने संयुक्त उद्यम में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix)(एफ) लागू नहीं होता है;

x. कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण विलेख सहित) के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या

परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई पक्षपातपूर्ण आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(x) (ए और बी) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xi. क. कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी न तो देखी गई और न ही रिपोर्ट की गई है।;

ख. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत हमारे द्वारा केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है;

ग. जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है;

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन, जहां लागू हो वहां, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और लेखापरीक्षा पर लागू मानकों के अपेक्षानुसार, इस तरह के लेन-देन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है;

xiv. क. ज़ोनल और क्षेत्रीय कार्यालयों और रेल नीर संयंत्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा को छोड़कर, कंपनी के पास अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है और साथ ही वर्ष के अंत में भौतिक लेनदेन सहित लेनदेन लेखापरीक्षा को अपने कारोबार के आकार और प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए पर्याप्त कवरेज की आवश्यकता है।;

ख. हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर विचार किया है;

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-। ए अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xvii. कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में और तत्कालीन पिछले वित्तीय वर्ष में नकदी घाटा नहीं हुआ है;

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा प्राप्त नहीं हुआ था। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, एजिंग और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देयताओं के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिसके कारण हम यह माने कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह बताती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख तक मौजूद अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है जो तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं। हम आगे सूचित करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताएं, कंपनी द्वारा देय होने पर पूरी कर दी जाएगी;

xx. क. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, ऐसी कोई अव्ययित राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(xx)(ए) कंपनी पर लागू नहीं होता है;

ख. अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर आवश्यकताओं में से, 31 मार्च, 2023 तक शेष अव्ययित 151.27 लाख रुपये की राशि, (31 मार्च 2022 तक 124.39 लाख रुपये) चल रही परियोजनाओं के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई, 2024
यूडीआईएन: 24080624BKEJWY4693

“अनुलग्नक 2”

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ खंड के तहत पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2023 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जोकि कंपनी के उस दिन से समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संयोजन के साथ है।

1. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी**

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ओफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य भागों पर विचार लिया जाता है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समुचित डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल रहता है, ताकि कंपनी के कारोबार सहित इसकी नीतियों का नियमानुसार और कुशलतापूर्वक संचालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम तथा उनका पता लगाना लेखा रिकार्डों की सटीकता और पूर्णता तथा जैसे अधिनियम, के अंतर्गत अपेक्षित है, विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना सुनिश्चित हो सके।

2. **लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी**

हमारा उत्तरदायित्व, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्दर्शन नोट (“मार्गदर्शन नोटफ्फ) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों पर हमारी लेखापरीक्षा की है, जिसे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुरूप निर्धारित मन जाता है, जो दोनों आंतरिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए लागू होता है और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। इन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और यह पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का आयोजन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाया गया तथा उसे बनाए रखा गया था और क्या उक्त नियंत्रणों का हर तरह से प्रभावी संचालन किया गया था।

हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना तथा उनके संचालन की प्रभाविता शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री में निहित कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आंकलित जोखिम के आधार पर डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण के संचालन की प्रभाविता का परिक्षण और मूल्यांकन शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की गलत बयानी, चाहे वह धोखधड़ो के कारण हो अथवा त्रुटि के कारण, के जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा संबंधी राय के लिए एक पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध करते हैं।

3. **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में समुचित आश्वासन उपलब्ध कराए जाते हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो समुचित विवरण, सटीकता तथा निष्पक्षता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और अवस्थिति को दर्शाती हैं; (2) समुचित आश्वासन उपलब्ध करतें है कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार दर्ज किया जाता ह जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक होते हैं और कंपनी की प्राप्तियां तथा व्यय के विवरण प्रबंधन तथा निदेशक मंडल के प्राधिकारों के अनुसार ही तैयार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या अवस्थिति का समय पर पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए पर्याप्त आश्वासन उपलब्ध कराती हैं, जिनसे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

4. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं सहित त्रुटि अथवा धोखाधड़ी के के कारण टकराव होने अथवा प्रबंधन का समुचित नियंत्रण न होने से, गलत बयानी होने की संभावना रहती है और उसका पता नहीं लग पता। साथ ही, भावी अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का पता लगाने के लिए भी जोखिम रहता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को हमारी निम्नलिखित टिप्पणियां हैं:

i. एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, मेकर और चेकर अवधारणा आम तौर पर अनुपस्थित है, यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य डेटा में कई त्रुटियां और चूक हुई हैं, जिनके आधार पर लेनदेन बही खातों में दर्ज किए जाते हैं। हमने यह भी देखा कि विभिन्न कार्यालयों में अनुभवी पेशेवर रूप से योग्य कर्मियों की अपर्याप्त संख्या के परिणामस्वरूप: (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से समझौता किया जा रहा है / ऊपर बताए गए मेकर और चेकर अवधारणा सहित को लागू नहीं किया जा रहा है, (ii) बही खातों में पहले दर्ज किए गए लेनदेन/ बकाया शेष की इन कार्यालयों द्वारा समय-समय पर समीक्षा नहीं की जा रही है।

ii. हमने पाया है कि: (ए) ईआरपी में तैयार किए बही खातों में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर मौजूद है, जिसमें ऐसे खातों और अंतरों को प्रबंधन द्वारा क्रमशः पहचाना और निर्धारित किया जाना बाकी है।

iii. पार्टियों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का कुछ कार्यालयों द्वारा आंशिक रूप से पालन किया गया है। रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि रेलवे अपने बही खाते नकद आधार पर रखता है। इसके अलावा, अन्य पार्टियों और बैंकों से मांगी गई शेष राशि की पुष्टि के लिए उत्तर नगण्य था और पार्टियों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवधिक अंतराल पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई और उन्हें मजबूत नहीं किया गया।

iv. सिस्टम-आधारित स्वचालित नियंत्रणों, चेक और शेष राशि के बजाय मैन्युअल नियंत्रणों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि तीसरी पार्टी के एप्लिकेशन/ पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेनदेन मैन्युअल रूप से ईआरपी में एक्सेल के माध्यम से डेटा संकलित करके पोस्ट किए जाते हैं क्योंकि मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन कंपनी के कुछ कार्यों / खंडों के साथ एकीकृत नहीं है।

v. 31 मार्च, 2023 को बड़ी संख्या में निष्क्रिय डेबिट और क्रेडिट शेष मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में विरासती प्रविष्टियाँ भी शामिल थीं। इन शेषों की पहचान करने, उनका मिलान करने और यदि आवश्यक हो तो बट्टे खाते में डालने/राइट-बैक करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

6. राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और उपरोक्त हमारे अवलोकनों के साथ पठित, कंपनी के पास, सभी महत्वपूर्ण विषय, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और 31 मार्च, 2023 तक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित है, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई, 2024
यूडीआईएन: 24080624BKEJWY4693

"अनुलग्नक 3"

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैरा 2 (जी) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षक का जवाब
1. क्या कंपनी के पास आईटी के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, तो बताए।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने लेखांकन लेनदेन के एक बड़े हिस्से को आईटी के माध्यम से संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। तथापि, कुछ मॉड्यूल जैसे कि (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त और संपत्ति उपयोग का अधिकार, पेरोल और एआरसीएस (लेखांकन मिलान क्लाउड सेवाएं) के लंबित कार्यान्वयन को देखते हुए ओरेकल प्रणाली का मौजूदा ईआरपी एप्लिकेशन एंड टू एंड एकीकृत लेखांकन प्रणाली नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग की राशि, पर्यटन के एमसीडीओ डेटा, ई-कैटरिंग, रेल नीर संयंत्र डेटा और लेनदेन एक्सेल में संकलित किए जाते हैं और मास्टर डेटा के रूप में ईआरपी के वित्तीय लेखांकन मॉड्यूल में मैन्युअल रूप से अपलोड/पोस्ट किए जाते हैं और इन तीसरी-पार्टी एप्लिकेशन में कैप्चर किया गया लेन-देन डेटा ईआरपी एप्लिकेशन के साथ संगत नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण में खातों की अखंडता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण मामला सामने नहीं आया है। सिवाय इसके कि जैसा कि ऊपर बताया गया है एक्सेल में संकलित डेटा के संपादन में ऑडिट ट्रेल नहीं है।
2. क्या मौजूदा ऋण की पुनः संरचना की गई है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताएं। क्या ऐसे मामलों का ठीक से लेखांकन किया जाता है?	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण के पुनः संरचना या ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं थे।
3. क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य करने योग्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमें सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान ऐसी कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्य करने योग्य नहीं थी। पिछले वर्षों में प्राप्त सरकारी अनुदान के संबंध में, लागू इंड भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार इसका लेखा किया जा रहा है।

कृते **एन.के.भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(फर्म की पंजीकरण संख्या - 000429N)

हस्ता./-
(एन.के.भार्गव)
(पार्टनर)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई, 2024
यूडीआईएन: 24080624BKEJWY4693

31 मार्च, 2024 को स्टैंडअलोन तुलनपत्र

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
I. परिसम्पत्तियां			
1 गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(ए) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	22,590.99	22,368.66
(बी) पूंजीगत कार्य - प्रगति पर	4	44,251.83	3,379.07
(सी) निवेश सम्पत्ति	5	2,620.73	2,658.39
(डी) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	5ए	321.73	273.25
(ई) परिसम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार	5बी	8,742.74	9,792.86
(एफ) वित्तीय परिसंपत्ति	6		
(i) निवेश	6.1	-	-
(ii) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	6.2	1,617.19	94.40
(जी) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	7	14,122.28	13,054.96
(एच) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	8	1,925.97	22,072.53
		96,193.46	**73,694.11**
2 वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(ए) सूची	9	1,096.51	960.95
(बी) वित्तीय परिसम्पत्तियां	10		
(i) व्यापार प्राप्तियां	10.1	1,37,434.19	1,14,291.40
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10.2	69,133.87	42,884.51
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	10.3	1,57,130.73	1,50,197.23
(iv) अन्य	10.4	25,749.72	21,089.80
(सी) वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	11	16,088.60	10,890.06
(डी) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	12	1,06,283.37	94,867.81
		5,12,916.99	**4,35,181.76**
कुल परिसंपत्तियां		**6,09,110.45**	**5,08,875.88**
II. इक्विटी एवं देयता			
1 इक्विटी			
(ए) इक्विटी शेयर पूंजी	13	16,000.00	16,000.00
(बी) अन्य इक्विटी	14	3,06,996.90	2,31,840.41
		3,22,996.90	**2,47,840.41**
2 देयताएं			
(i) गैर वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं	15		
(i) लीज देयताएं	70	4,179.74	5,945.11
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	5,428.56	3,743.64
(बी) प्रावधान	16	11,609.51	10,544.37
(सी) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	17	1,752.46	1,665.81
		22,970.27	**21,898.93**
(ii) वर्तमान देयताएं			
(ए) वित्तीय देयताएं	18		
(i) लीज देयताएं	70	1,855.31	2,471.11
(ii) व्यापार देय: -	18.1		
(ए) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि; तथा		9,274.74	2,483.31
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		90,466.23	82,732.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	55,734.75	35,502.43
(बी) अन्य वर्तमान देयताएं	19	1,02,771.53	1,13,189.73
(सी) प्रावधान	20	3,040.72	2,757.80
(डी) वर्तमान कर देयता (शुद्ध)	21	-	-
		2,63,143.28	**2,39,136.54**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**6,09,110.45**	**5,08,875.88**

सामग्री लेखांकन नीतियां और नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 1-84 का एक अभिन्न अंग हैं

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:-082648

हस्ता./-
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 09629741

हस्ता./-
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि विवरण

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालन से राजस्व	22	4,27,017.85	3,54,147.29
II	अन्य आय	23	16,447.77	12,043.05
III	**कुल आय (I+II)**		**4,43,465.62**	**3,66,190.34**
	खर्च			
	उपभोज्य सामग्री की लागत	24	7,198.98	7,567.38
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	25	17,495.90	12,068.58
	तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड	26	(152.71)	(132.48)
	खानपान सेवाओं का व्यय	27	1,36,704.02	1,07,289.98
	पर्यटन और ट्रेन परिचालन का व्यय	28	55,042.28	44,235.43
	विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय	29	17,462.86	14,673.70
	कर्मचारी हित खर्च	30	28,904.81	24,552.41
	वित्तीय लागत	31	1,864.49	1,611.25
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	32	5,721.64	5,372.96
	हानि क्षति	46	–	–
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	47	1,664.80	1,253.00
	अन्य व्यय	33	16,077.15	15,017.17
IV	**कुल व्यय (IV)**		**2,87,984.22**	**2,33,509.38**
V	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III - IV)**		**1,55,481.40**	**1,32,680.96**
VI	असाधारण मदें	33.2	(5,853.03)	2,720.00
VII	**कर पूर्व लाभ (V + VI)**		**1,49,628.37**	**1,35,400.96**
VIII	कर खर्च:			
	(1) वर्तमान कर	34		
	– वर्ष के लिए		39,276.54	37,322.40
	– पहले वर्ष के लिए		303.69	1,146.50
	(2) आस्थगित कर			
	– वर्ष के लिए		(1,077.65)	(2,797.54)
	– पहले वर्ष के लिए		–	(858.51)
IX	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**1,11,125.79**	**1,00,588.11**
X	अविछिन्न परिचालन से लाभ		–	–
XI	अविछिन्न परिचालन का कर व्यय		–	–
XII	अविछिन्न परिचालनों से लाभ (X - XI)		–	–
XIII	**अवधि के लिए लाभ (IX + XII)**		**1,11,125.79**	**1,00,588.11**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	ए (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया		–	–
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		–	–
	बी (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		–	–
	– पोस्ट रोजगार लाभ के दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	35	41.02	295.26
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(10.32)	(74.32)
XV	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		30.70	220.94
XVI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XV) (इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)**		**1,11,156.49**	**1,00,809.05**
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57
XVIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)		–	–
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)		–	–
XIX	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(निरंतर और अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57

सामग्री लेखांकन नीतियां और नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 1-84 का एक अभिन्न अंग हैं

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:-082648

हस्ता./-
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 09629741

हस्ता./-
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए स्टैंडअलोन कैश फ्लो का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो			
कर पूर्व लाभ		1,49,628.37	1,35,400.96
निम्न के लिए समायोजन: -			
मूल्यह्रास		5,721.64	5,372.96
फिक्स परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ)।		9.60	4.95
ब्याज आय		(11,633.79)	(7,782.49)
म्युचुअल फंड से लाभांश आय		-	(205.20)
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय		606.05	625.00
निवेश संपत्ति से किराया से आय		(234.98)	(235.00)
पूंजी अनुदान का परिशोधन		(44.28)	(44.00)
आस्थगित सुरक्षा जमा के परिशोधन से आय-देयता		(1,332.05)	(955.91)
सुरक्षा जमा पर छूट की समाप्ति पर ब्याज आय		(2.92)	(3.05)
सुरक्षा जमा देयता पर छूट की समाप्ति		1,258.44	876.47
लीज देयताओं में संशोधन		(238.32)	(216.86)
प्रतिभूति जमा आस्तियों पर छूट की समाप्ति		2.87	3.13
अतिरिक्त प्रावधान पुनरांकित		(724.41)	(2,720.00)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		971.86	2,890.62
परिचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनिक लाभ	(1)	**1,43,988.08**	**1,33,011.58**
निम्न के लिए समायोजन: -			
वस्तुसूची में कमी/(वृद्धि)		(135.56)	(168.16)
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)		(24,114.65)	(60,030.07)
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		4.76	(6.88)
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(3,667.29)	(3,730.88)
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(11,415.56)	(9,854.20)
अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(6.28)	(21.12)
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि		426.49	648.27
गैर वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		1,106.16	508.97
अन्य गैर वर्तमान देयताओं में (कमी)/वृद्धि		1,462.98	1,970.33
व्यापार देय में (कमी)/वृद्धि		14,525.51	16,126.54
अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी)/वृद्धि		20,956.74	6,199.71
अन्य मौजूदा देयताओं में (कमी)/वृद्धि		(10,418.20)	39,500.16
वर्तमान प्रावधानों में (कमी)/वृद्धि		282.92	(81.78)
	(2)	**(10,991.98)**	**(8,939.11)**
परिचालन से प्राप्त कैश	(1+2)	**1,32,996.10**	**1,24,072.47**
प्रदत्त आयकर (रिफंड का शुद्ध)		(44,778.77)	(42,899.00)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल कैश		**88,217.33**	**81,173.47**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान से		7.73	14.93
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद		(23,249.50)	(6,755.85)
ब्याज प्राप्त		10,658.31	6,047.03
लाभांश प्राप्त		-	205.20
अन्य बैंक में जमा राशि में बदलाव		(6,933.50)	(14,152.12)
सहायक कंपनी में शेयर आवेदन राशि का भुगतान		(1,500.00)	-
(कमी) / गैर-वर्तमान टीडीआर में वृद्धि		(24.63)	32.98
(कमी)/वर्तमान टीडीआर में वृद्धि		(17.15)	(194.22)
निवेश संपत्ति से किराया से आय		234.98	235.00
वर्ष के दौरान दिए गए पूंजीगत अग्रिम		(710.85)	(17,107.75)
निवेश गतिविधियों में लगाया गया शुद्ध नकद		**(21,534.61)**	**(31,674.80)**

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो		
लीज देयता के प्रमुख भाग का भुगतान	(3,827.31)	(2,809.54)
लीज देनदारी के ब्याज के भाग का भुगतान	(606.05)	(625.00)
प्रदत्त लाभांश	(36,000.00)	(40,000.00)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद	**(40,433.36)**	**(43,434.54)**
नकद और नकद समकक्ष शुद्ध में वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**26,249.36**	**6,064.13**
अथशेष नकद और नकद समकक्ष	42,884.51	36,820.38
इतिशेष नकद और नकद समकक्ष	**69,133.87**	**42,884.51**
नकद और नकद समकक्ष का समाधान		
नकद और नकद समक्ष में शामिल हैं		
नकद हस्ते	8.69	10.39
बैंकों में अधिशेष:		
– वर्तमान खाते में	62,497.43	38,449.01
– फ्लेक्सी खाते में	6,627.75	4,425.11
– तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा में		
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	**69,133.87**	**42,884.51**

टिप्पणियाँ:–

1. भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी कैश फ्लो विवरण भारतीय लेखा मानक–7 में निर्धारित की गई अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया हैं।

2. **वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान**

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अथशेष	8,416.22	10,492.13
नकद प्रवाह:–		
– पुनर्भुगतान	4,433.36	3,434.54
– कार्यवाही	–	–
गैर–नकद:–		
– उचित मूल्य	606.05	625.00
– बढ़ी हुई लीज देनदारियों और अन्य समायोजनों के बदले में संपत्ति के उपयोग के अधिकार में शुद्ध वृद्धि	1,446.14	733.63
इतिशेष	**6,035.05**	**8,416.22**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

कृते और उनकी ओर से :–
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./–
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:–082648

हस्ता./–
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:– 09629741

हस्ता./–
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:– 07247362

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	₹ लाख में
1 अप्रैल, 2023 को अधिशेष (प्रत्येक 2 रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	8,000.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अप्रैल, 2023 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	8,000.00	16,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	-	-
	-	-
31 मार्च, 2024 तक अधिशेष (प्रत्येक 10/- रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	**8,000.00**	**16,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2023	59,491.70	1,72,348.71	2,31,840.41
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	**59,491.70**	**1,72,348.71**	**2,31,840.41**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		1,11,125.79	1,11,125.79
वर्ष के लिए कर पश्चात अन्य व्यापक आय	-	30.70	30.70
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	**-**	**1,11,156.49**	**1,11,156.49**
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	3,500.00		3,500.00
इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(16,000.00)	(16,000.00)
इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान		(20,000.00)	(20,000.00)
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	(3,500.00)	(3,500.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2024	**62,991.70**	**2,44,005.20**	**3,06,996.90**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	₹ लाख में
1 अप्रैल, 2022 को अधिशेष (प्रत्येक 2 रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	8,000.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अप्रैल, 2022 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	8,000.00	16,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	-	-
31 मार्च, 2023 तक अधिशेष (प्रत्येक 10/- रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	**8,000.00**	**16,000.00**

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2022	55,991.70	1,15,039.66	1,71,031.36
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	**55,991.70**	**1,15,039.66**	**1,71,031.36**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		1,00,588.11	1,00,588.11
वर्ष के लिए कर पश्चात अन्य व्यापक आय	-	220.94	220.94
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	**-**	**1,00,809.05**	**1,00,809.05**
प्रतिधारित आय से अंतरण	3,500.00		3,500.00
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(12,000.00)	(12,000.00)
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान		(28,000.00)	(28,000.00)
सामान्य रिज़र्व में अंतरण	-	(3,500.00)	(3,500.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2022	**59,491.70**	**1,72,348.71**	**2,31,840.41**

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

नोट-1:

कॉर्पोरेट संबंधी जानकारी

रेल मंत्रालय द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड (इसके बाद से "कंपनी" के रूप में संबोधित किया जाएगा) की स्थापना की गई है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसे 27 सितंबर, 1999 को भारतीय कंपनियों में शामिल किया गया था, और इसका मूल उद्देश्य रेलवे के खानपान और पर्यटन की समस्त गतिविधियों को एक नए कंपनी को सौंपना था ताकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इन सेवाओं को व्यावसायिक बनाया जा सके और इनका उन्नयन किया जा सके। भारत में रेल आधारित पर्यटन राज्य की एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, ट्रावेल एजेंटों और आतिथ्य उद्योग के सहयोग से अत्यधिक ऊंचाई हासिल करने का विशिष्ट साधन होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, बी-148 स्टेट्समैन हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित है।

31 मार्च, 2024 तक रेल मंत्रालय की कुल हिस्सेदारी 62.4% थी।

नोट-2:

तैयारी का आधार

क) अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) के अनुसार चालू चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख) माप का आधार

कंपनी ऐतिहासिक कोस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत निम्नलिखित मदों के लिए प्रोद्भवन आधार का पालन कर रही है, जिसका आकलन अपेक्षित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उचित वेल्यू पर किया गया है।

i. परिभाषित लाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

ii. उचित मूल्य पर मापी गई कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (वित्तीय लिखत पर नीति देखें)।

ग) आकलन और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को निर्णय, आकलन और पूर्वानुमान तैयार करने होते हैं जो लेखांकन नीतियों को लागू करने पर अपना को प्रभाव छोड़ते हैं तथा वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटन और आय और व्यय की राशि को प्रभावित करते है। ऐसे आकलनों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी अवधि, कर्मचारियों के लाभार्थ व्यय, प्रावधान, राजस्व मान्यता आदि में निष्पादन की बाध्यता की संतुष्टि शामिल हैं, जिसके परिणाम इन आकलन से भिन्न हो सकते हैं। आकलन और अंतर्निहित पूर्वानुमान की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन आकलन और वास्तविक परिणामों तथा उस अवधि में मान्यता प्राप्त आकलनों के बीच परिवर्तन के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिस अवधि में परिणामों का पता लगता है/ उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है।

घ) भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी और सभी वेल्यू को,जहां अन्यथा उल्लेखित न हो, लाख रुपए की नजदीकी वेल्यू में दो दशमलव बिंदुओं तक पूर्णांकित किया जाता है।

ङ) वर्तमान प्रकृति के कारण वर्तमान देयता और वर्तमान परिसंपत्तियों को विधिक बकाया के भुगतान और रिफंड योग्य माना जाता है।

च) नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष तरीके के उपयोग से किया जाता है, जबकि बिना नकदी वाले लेनदेन और किसी पूर्व या भविष्य के स्थगन अथवा प्रोद्भवन नकद प्राप्तियां या भुगतान के लिए कर पूर्व लाभ को समायोजित किया जाता है। कंपनी का परिचालन, वित्तीय और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग किए जाते हैं।

रोकड़, बैंकों में रोकड़ और बैंकों में डिमांड डिपॉज़िट सहित नकदी प्रवाह, नकदी और नकदी समकक्ष के विवरण के उद्देश्य से, डिमांड पर पुनर्भुगतान योग्य बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट को कंपनी के नकद प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा समझा जाता है।

कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 7 के संशोधन को अपनाया है, जिसमें उद्यमों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे प्रकटन करें, जिससे वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता वित्तीय गतिविधियों से उपजी देयताओं में परिवर्तन के साथ-साथ नकदी प्रवाह और नकदी के बिना वाले परिवर्तनों का मूल्यांकन कर सकेंगे तथा वित्तीय गतिविधियों से उपजी देयताओं के लिए तुलनपत्र में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के बीच पुनर्गणना को शामिल करना का प्रस्ताव भी दे सकेंगे ताकि प्रकटन कि अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

छ) विदेशी मुद्रा

i. कार्यकारी और प्रेजेंटेशन मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल के साथ-साथ प्रेजेंटेशन मुद्रा भी है।

ii. लेनदेन और बैलेंस

लेन-देन की तारीख पर चल रहे विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में लेनदेन को दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं को तुलनपत्र जारी होने की तारीख पर विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया जाता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

ऐसे लेनदेन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा विनियम के लाभ और हानि और विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्ति तथा देयता को वर्ष के अंत में विनियम दरों के अनुसार लाभ और हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

ज) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उल्लेख अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिसमें मान्यता मानदंड पूरे होने पर, स्थापना शुल्क और अन्य संबंधित व्यय शामिल होते है।

ii. मान्यता मानदंड पूरे होने पर प्रतिस्थापन की लागत, प्रमुख निरीक्षण, महत्वपूर्ण हिस्सों की मरम्मत को पूंजी में परिणत किया जाता है।

iii. कंप्यूटरों के मामले में, कंप्यूटर के साथ खरीदे गए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की लागत को कंप्यूटरों के साथ पूंजी में परिणत किया गया है, जबकि नियमित उन्नयन और वार्षिक रखरखाव शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv. कार्यालय परिसर के लिए पट्टे पर लिए गए भवनों पर व्यय को पट्टा अवधि-कार्यालय विकास के रूप में पूंजी में में परिणत किया गया है

v. लक्जरी टूरिस्ट ट्रैन को पूंजी में परिणत किया गया है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में "लक्जरी टूरिस्ट ट्रैन" के रूप में उल्लेखित है, इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान के लिए सरकारी अनुदान पर नीति को देखें।

vi. परिसंपत्तियों की बिक्री पर, लागत और संचित मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में उल्लेखित किया जाता है।

झ) मूल्यह्रास और ऋणमुक्तिः -

(क) कुछ मदों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट कार्य अवधि के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। कुछ परिसंपत्तियां जिसकी कार्य अवधि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत नहीं है, वे इस प्रकार है:-

विवरण	उपयोग अवधि
रेल नीर संयंत्रों के अतिरिक्त, रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों पर सिविल कार्य पर किए गए व्यय को, लीजहोल्ड सुधार कार्य माना गया है और दस वर्ष की अवधि का मूल्यह्रास निकाला गया है।	10 वर्ष
रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिए गए हैं और उतनी ही अवधि का मूल्यह्रास निकाला गया है।	30 वर्ष
कंपनी ने नांगलोई, दानापुर, पालूर, अंबरनाथ और परसाला में रेलनीर संयंत्र लगाने के लिए रेलवे से भूमि पट्टे पर ली है। पट्टे की अवधि के आधार पर भवन और भूमि (संपत्ति उपयोग के अधिकार के अंतर्गत) पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।	पट्टा करार के अनुसार पट्टे की अवधि या मांग पत्र में निर्दिष्ट है। दीर्घकालिक पट्टा समझौते/मांग पत्रों के अभाव में, कार्यकाल इन-हाउस तकनीकी विशेषज्ञों की जीवन समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार लिया जाता है।
सौर ऊर्जा संयंत्र और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन	25 वर्ष
डीजी सेट, वाटर ब्लोइंग मशीन, कंप्रेसर	10 वर्ष
संयंत्र के लिए एयर कंडीशनर और चिलर	5 वर्ष

(ख) मूल्यह्रास की गणना उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख से स्ट्रेट लाइन के आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान बिक्री, परिसंपत्तियों के अलग होने तथा उनकी हानि की तारीख तक मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(ग) रेल नीर से संबंधित किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के प्रत्येक हिस्से का उस स्थिति में अलग से मूल्यह्रास होता है, यदि हिस्से की लागत उस मद की कुल लागत से संबंधित हो और उक्त हिस्से की उपयोग अवधि उस शेष संपत्ति से भिन्न हो, जो इनहाउस टेक्नीकल एक्सपर्ट के पूर्वानुमान एवं प्रमाणन पर आधारित हो। साथ ही, जिन संयंत्रों के लिए कंपनी द्वारा पूंजी सहायता प्रदान की जाती है, उनमें सभी सिविल कार्य और संयंत्र की अनुमानित जीवनकाल इनहाउस तकनिकी समिति द्वारा क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष तय की गई है। उपरोक्त के अलावा, रेल नीर संयंत्रों के लिए रेलवे भूमि पर नागरिक बुनियादी ढांचे का जीवन जीवन समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार लिया गया है। इसके अलावा, बिलासपुर संयंत्र को जनवरी 2023 में कंपनी संचालित संयंत्र से पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) में परिवर्तित कर दिया गया था। संयंत्र की प्रत्येक वस्तु का अपना कोडल जीवन होता है, और इन भागों को समाप्ति के बाद आईआरसीटीसी द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। उनका सहजीवन इसलिए, पीपीपी संयंत्र में परिवर्तित होने के बावजूद, बिलासपुर संयंत्र में संयंत्र और मशीनरी के जीवन को कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्र के मानकों के अनुसार माना जाना चाहिए। इसके

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

अतिरिक्त, कंपनी द्वारा निर्मित बिलासपुर कारखाने की इमारत का मूल्यांकन कंपनी के स्वामित्व वाले रेल नीर संयंत्रों के लिए पहले की प्रथाओं के अनुसार, 30.03.2017 से शुरू होकर 30 वर्ष की जीवन प्रत्याशा के साथ किया गया है।

(घ) कार्यालय परिसर और पट्टा भूमि (जिसके लिए पट्टा करार किया गया है) के संबंध में पट्टाधारक कार्यालय के विकास कार्यों को पट्टे-अवधि पर मूल्यह्रास/ऋणमुक्ति प्रदान की जाएगी। रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों (जिसके लिए कोई पट्टा करार नहीं किया गया है) पर सिविल कार्य पर किए गए व्यय को लीजहोल्ड के सुधार कार्यों के रूप में माना गया है और मूल्यह्रास की गणना दस वर्ष की अवधि के लिए की गई है।

(ङ) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास के तरीके, उपयोगी अवधि और अवशिष्ट वेल्यू की समीक्षा की जाती है।

(च) मूल्यह्रास की गणना मूल्यह्रास योग्य राशि पर की जाती है, अर्थात लागत से इसके अवशिष्ट वेल्यू को कम किया जाता है।

(छ) लीजहोल्ड भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के संबंध में, मूल्यह्रास भूमि के पट्टे की अवधि की अवधि तक प्रभारित किया जाता है।

(ज) विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए कालावधि समीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकति कालावधि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार है।

1) वह भूमि जिसके लिए आईआरसीटीसी के पास पट्टा समझौता है/ रेलवे के साथ लंबी अवधि यानी 10 वर्ष से अधिक के लिए आवंटन पत्र है :- पट्टा संपत्ति बनाने के लिए समझौते (परसाला और दानापुर) के अनुसार कालावधि ली गई है।

2) वह भूमि जिसके लिए आईआरसीटीसी के पास पट्टा सम झौता है / अल्पावधि के लिए रेलवे के साथ आवंटन पत्र अर्थात 10 वर्ष से कम या रेलवे के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है: नांगलोई और अंबरनाथ संयंत्र की भूमि को छोड़कर, पट्टा (आरओयू) बनाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 10 वर्ष की अवधि ली गई है।

(i) रेलवे भूमि पर स्थापित नांगलोई संयंत्र :- संयंत्र के लिए काल्पशील संस्था आधार पर अनिश्चितता के कारण वास्तविक समझौते के अनुसार कालावधि ली गई है।

(ii) रेलवे भूमि पर अंबरनाथ संयंत्र की स्थापना:- आज तक रेलवे के साथ समझौता न हो पाने के कारण केवल आरओयू बनाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा पट्टे के लिए की गई मांग के अनुसार 31.03.2026 तक की कालावधि ली गई है।

3) स्वसंचालित रेल नीर संयंत्र पर बने भवनों की कालावधि निम्न को छोड़कर कंपनी अधिनियम के अनुसार अर्थात 30 वर्ष होनी चाहिए

(i) कालावधि की अनिश्चितता के कारण नांगलोई में संयंत्र के लिए बनाए गए भवन को रेलवे के साथ वास्तविक समझौते की समाप्ति यानी 31.03.2024 तक लिया जाना चाहिए।

(ii) अंबरनाथ और पालुर संयंत्र पर बने भवन, जहां इमारत की कालावधि वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत से 10 साल यानी 31.03.2031 तक स्पष्ट समझौता न होने के कारण ली गई है।

(iii) रेलवे भूमि पर स्थित भवन जिसके लिए स्पष्ट सम झौता है, ऐसे भवनों की कालावधि रेलवे के साथ किसी भी समझौते की कालावधि के बराबर होना चाहिए।

4) पीपीपी संयंत्रों पर भवन और संयंत्रों का मूल्यह्रास समिति द्वारा मूल्यांकन की गई कालावधि के अनुसार किया जाना चाहिए यानी सिविल निर्माण के लिए 20 साल और पीएंडएम के लिए 10 साल, सिवाय बिलासपुर संयंत्र के, जिसका मूल्यह्रास स्वामित्व वाले रेल नीर संयंत्र में अपनाई गई प्रथा के अनुसार किया जा रहा है।

5) अजमेरी गेट की ओर उत्तरी क्षेत्र में स्थित पट्टाधारिता सुधार और सिविल बुनियादी ढांचे की कालावधि स्टेशन के नवीनीकरण के कारण 31.03.2024 तक ली गई है, जैसा कि रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। कंपनी के स्वामित्व वाले अन्य बेस किचन यानी लीजहोल्ड सुधार, पीएंडएम और अन्य चयनित कार्यालय उपकरणों के लिए निर्धारित संपत्तियों की अवधि वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक यानी 31 मार्च 2025 तक ली गई है।

6) रेलवे भूमि पर कार्यालय जहां कोई समझौता नहीं है और कार्यालय 01.03.2019 को अस्तित्व में हैं, आरओयू बनाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 (प्रारंभिक पुनर्गठन अवधि / संक्रमण अवधि) से 10 वर्ष की अवधि ली गई है।

7) भारत गौरव ट्रेनों पर किया गया कोई भी पूंजीगत व्यय - भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत ट्रेनों की लीज अवधि के दौरान परिशोधन किया जा रहा है।

8) रेलवे परिसंपत्तियों पर किसी भी अन्य व्यय की अवधि रेलवे के साथ समझौते के बराबर होनी चाहिए और किसी भी समझौते के अभाव में यह 10 वर्ष होनी चाहिए।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण मदों की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपत्ति की अनुमानित उपयोग अवधि इस प्रकार है:

विवरण	उपयोग अवधि
संयंत्र एवं मशीनरी	15वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
नेटवर्क एवं सर्वर	6 वर्ष
एयर कंडीशनर (रेलनीर संयंत्र के अलावा)	10 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फैक्ट्री भवन	30 वर्ष
रेल नीर संयंत्र भवन के अलावा भवन	60 वर्ष
लग्जरी टूरिस्ट ट्रैन (बेयर शेल)	15 वर्ष
अमूर्त परिसंपत्तियां	4 वर्ष
विद्युतीय संस्थापनाएं एवं उपकरण	10 वर्ष

ञ) चल रहे पूंजीगत कार्य/पूंजी अग्रिम: –

चल रहे पूंजी कार्यों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की वे लागत शामिल हैं, जो उनके उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं होते हैं तथा तुलनपत्र जारी होने की तारीख तक परिसंपत्ति की लागत का उपयोग नहीं किया जाता जाता है। पीपीई प्राप्त करने के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को अन्य "गैर-वर्तमान परिसंपत्ति" के तहत "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में दिखाया गया है।

ट) अमूर्त परिसंपत्तियां: –

अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, वेब पोर्टल, टूरिज़्म पोर्टल आदि अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि के रूप में दर्ज किया जाता है और अमूर्त परिसंपत्ति की उपयोग अवधि 4 वर्ष मानी गई है।

ठ) संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश

संयुक्त उद्यमों के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश को भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार लागत के रूप में अलग वित्तीय विवरण में मापा जाता है।

ड) निवेश संपत्तियां

(क) निवेश संपत्तियों को लागत, निकाले गए शुद्ध मूल्यह्रास और निकाली गई हानि, यदि कोई हो, के नुकसान के अनुसार दर्शाई जाती है।

(ख) कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में निर्धारित, संपत्ति के अनुमानित उपयोग अवधि पर संपत्ति में निवेश के भवन के हिस्सों में मूल्यह्रास लगाया जाता है।

(ग) निवेश संपत्तियों की मान्यता तब समाप्त होती है, जब या तो उनका निपटान किया जाता है या उनका उपयोग करना स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और उनके निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ संभावित नहीं होता है। शुद्ध निपटान प्रक्रिया और संपत्ति की वहां राशि के बीच अंतर गैर-मान्यता की अवधि में लाभ या हानि के द्वारा तय किया जाता है।

ढ) वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के लिए परिचालन चक्र

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया है, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों की अवधि के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है और अन्य सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ण) आकलन और निर्णयों का उपयोग – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

अ. प्रावधान: –

प्रावधानों को उन देयताओं के संबंध में मान्यता दी जाती है, जिन्हें केवल आकलन के पर्याप्त स्तर का उपयोग करके मापा जा सकता है, जब:

(क) किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई बाध्यता हो

(ख) आर्थिक लाभ समेटे संसाधनों का संभावित आउटफ्लो बाध्यता के निपटान के लिए अपेक्षित होगा; और

(ग) बाध्यता राशि का विश्वसनीय तरीके से आकलन किया जा सकता है। प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय की प्रतिपूर्ति को तभी स्वीकार किया जाएगा जब प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को प्राप्त प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों की छूट

प्रावधान जो 12 महीने के बाद निपटाए जाने संभावित है, की माप कर-पूर्व छूट की दर का उपयोग से वर्तमान वेल्यू देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता हुए मापी जाती है। समय के कारण प्रावधान में बढ़ोतरी को ब्याज के व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

इ. आकस्मिक देयताएं

(क) निम्नलिखित में से किसी भी मामले में आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है:

i. पिछली घटना से उपजी एक वर्तमान बाध्यता, जब यह संभावित न हो कि बाध्यता के निपटान के लिए संसाधनों के आउटफ्लो की आवश्यकता होगा; या

ii. वर्तमान बाध्यता का विश्वसनीय आकलन तैयार नहीं किया जा सकता है; या

iii. एक संभावित बाध्यता, जब तक कि संसाधन के आउटफ्लो की संभावना दूर न हो।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

(ख) आकस्मिक देयता की तुलना में आवश्यक आकस्मिक देयता और प्रावधानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है।

(ग) आकस्मिक देयता प्रावधानों का शुद्ध आकलन है जिसमें निपटान के संभावित आउटफ्लो पर विचार किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

(क) आकस्मिक परिसंपत्ति का प्रकटन तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का इनफ्लो संभावित हो।

(ख) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

त) राजस्व की मान्यता: –

कंपनी कैटरिंग सेवाओं (मोबाइल और स्टेटिक यूनिट दोनों) के प्रबंधन, विभागीय कैटरिंग यूनिट के संचालन, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बजट होटलों के प्रबंधन, फूड प्लाजा, स्टेटिक कैटरिंग स्टॉल, वाटर वेंडिंग मशीन के संचालन के लिए लाइसेंस देने, इंटरनेट के माध्यम से रेल की टिकट की बुकिंग, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से रेल संपर्क-139 कॉल सेंटर का प्रबंधन, प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटरों के माध्यम से पैकेज टूर की व्यवस्था, संपूर्ण टूर पैकेज का प्रबंधन, रेलनीर-बोतलबंद पेयजल के उत्पादन और वितरण आदि के व्यवसाय में शामिल है।

(क) भारतीय लेखा मानक-115 में निर्धारित पांच चरणों के आधार पर कंपनी ने ग्राहकों के साथ संविदा करके राजस्व अर्जित किया है:-

(i) ग्राहक के साथ संविदाओं की पहचान करना: - दो अथवा दो से अधिक पार्टियों के बीच संविदाओं को करार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे लागू किए जाने वाले अधिकार और बाध्यताएं उत्पन्न होती है और प्रत्येक संविदा के लिए मानदंड निर्धारित करता है जिसे पूरा किया जाना आवश्यक है।

(ii) संविदा में कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पहचान करें: संविदा में कार्यनिष्पादन की बाध्यता ग्राहक के साथ एक वादा होता है कि ग्राहक को एक अच्छी सेवा देनी है।

(iii) लेन-देन मूल्य का निर्धारण: लेन-देन मूल्य प्रतिफल की वह राशि है, जिस पर कंपनी अपेक्षा करती है कि ग्राहकों को वादे अनुसार सामग्री अथवा सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देती है, जिसमें तीसरी पार्टियों की ओर से एकत्र की गई राशि को शामिल नहीं किया जाता है।

(iv) संविदा में कार्यनिष्पादन बाध्यता के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना: ऐसी संविदा जिसमें एक से अधिक कार्यनिष्पादन की बाध्यता हो, कंपनी कार्यनिष्पादन की प्रत्येक बाध्यता के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करती है, जो विचारार्थ राशि का उल्लेख करता है, जिस पर कंपनी कार्यनिष्पादन की प्रत्येक बाध्यता के लिए हक पाने की अपेक्षा करती है।

(v) जब अथवा जैसे ही कंपनी ग्राहक को वादा की हुई सामग्री या सेवाएं प्रदान करके कार्यनिष्पादन की बाध्यता को पूरा करती है, तो वह राजस्व प्राप्त करती है। जब ग्राहक किसी संपत्ति पर अपना नियंत्रण जमा लेता है तो संपत्ति हस्तांतरित हो जाती है।

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से कोई भी मानदंड पूरा होता है, तो कार्यनिष्पादन की बाध्यता पूरी होती है और ओवरटाइम राजस्व की प्राप्ति होती है:

क) वैकल्पिक उपयोग के साथ कार्यनिष्पादन से कोई परिसंपत्ति तैयार नहीं होती है और कार्यनिष्पादन पूरा हो जाने की तारीख को भुगतान का एक लागू अधिकार मिलता है।

ख) कार्यनिष्पादन एक ऐसी संपत्ति तैयार करता है या उसमें वृद्धि करता है जहां ग्राहक तैयार और बढ़ी हुई परिसंपत्ति को नियंत्रित करता है।

ग) साथ ही साथ ग्राहक प्रदान किए गए लाभ प्राप्त करता है तथा उनका उपभोग करता है।

कार्यनिष्पादन बाध्यताओं के लिए, जहां उपरोक्त में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता, वहां कार्यनिष्पादन बाध्यता पूरी होने पर राजस्व को मान्यता दी जाती है। कार्यनिष्पादन बाध्यता अथवा सेवा कार्य पूरा होने पर एक संविदा आधारित परिसंपत्ति तैयार होती है, जिस पर कार्यनिष्पादन द्वारा प्रतिफल अर्जित होता है। जहां किसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल की राशि मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि से अधिक हो जाती है, तो इससे संविदा की देयता बढ़ जाती है।

निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए राजस्व उस निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य (परिवर्तनीय प्रतिफल का निवल) की राशि पर मापा जाता है। बेची गई वस्तुओं और प्रदान की गई सेवाओं का लेनदेन मूल्य संविदा के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छूटों और योजनाओं के कारण परिवर्तनीय प्रतिफल का निवल है।

राजस्व को उस सीमा तक पता लगाया जाता है, जहां यह संभावित हो कि आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और यदि लागू हो तो, राजस्व और लागत का विश्वसनीय रूप से माप हो सके।

i. बिक्री:

रेल नीर-बोतलबंद पेयजल, खाद्य और पेय पदार्थों की मेड उस समय स्वीकार की जाती हैं, जब सामान बेचा जाता है तथा सेवा प्रदान की जाती है और भारतीय लेखा मानक-115 के संदर्भ में शुद्ध जीएसटी आदि दर्ज की जाती है। इसमें इंटर-डिपो और इंटर-यूनिट हस्तांतरण शामिल नहीं है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

ii. **इंटरनेट टिकटिंग से आय: –**

(क) सेवा प्रभार से आय: कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से विदेशी ग्राहक द्वारा बुक किए गई टिकटों पर अर्जित सेवा प्रभारों को उचित मूल्य पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसी टिकटों की बिक्री पर अर्जित सकल सेवा प्रभारों को प्रोद्भवन आधार पर कंपनी की आय माना जाता है और रेलवे के तुलनात्मक शेयर व्यय के रूप में दर्शाएं जाते हैं।

(ल) सुविधा शुल्क से आय: कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से घरेलू ग्राहकों द्वारा बुक किए गए टिकटों पर अर्जित सुविधा शुल्क को उचित मूल्य पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है। ऐसी टिकटों की बिक्री से अर्जित सकल सुवधा शुल्कों का प्रोद्भवन आधार पर कंपनी की आय की गणना की जाती है और इस आय पर रेलवे को कोई शेयर नहीं दिया जाता है।

iii. **कैटरिंग सेवाओं से आय: –**

कंपनी को रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा आदेश दिया गया है कि ट्रेनों और अन्य स्थलों पर खानपान सेवाओं को अपग्रेड किया जाए और व्यावसायिक बनाया जाए। कंपनी निम्नलिखित नीतियों के अनुसार अपनी खानपान सेवाओं से आय को मान्यता देती है।

- ***ऑन–बोर्ड कैटरिंग सेवाओं से आय:***

कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे नेटवर्क पर राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान, तेजस ट्रेनों आदि प्री–पेड ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान की जा रही है। भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए दिए गए बील से प्राप्त आय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

- ***रियायत शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार और लाइसेंस शुल्क से प्राप्त आय:***

कंपनी निम्नलिखित से आय प्राप्त करती है: –

क्रम सं.	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	लाइसेंसधारियों से प्राप्त शुल्क की प्रकृति
1.	राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान, तेजस ट्रेनों आदि प्री–पेड ट्रेनों में कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा अवधि के लिए एक बारगी रियायत शुल्क (नवीकरण अवधि सहित, यदि कोई हो), और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क।
2.	एसबीडी (स्टैंडर्ड बिड डॉक्यूमेंट) करार और खानपान नीति, 2017 के अंतर्गत रेलवे द्वारा कंपनी को ट्रैन में खानपान सेवाएं देने का कार्य सौंपा गया	संविदा अवधि के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
3.	मेल/जन शताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं देने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
4.	भारतीय रेलवे परिसर में फूड प्लाजा की स्थापना और उसके संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करना	(i) कंपनी की पूर्व नीति के तहत किए गए संविदा के मामले में निर्धारित मासिक उपयोगकर्ता शुल्क और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क। (ii) संविदा पानेवालों के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क।
5.	रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएम) के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	प्रत्येक डब्ल्यूवीएम की सेवाओं की शुरुआत की तिथि से निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
6.	रेलवे स्टेशनों पर अन्य स्थिर इकाइयों जैसे जलपान कक्ष, जनाहार, कार्यकारी लाउंज, रिटायरिंग रूम आदि के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार इकाई के प्रारंभ होने की तिथि से लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया
7.	भारतीय रेलवे परिसर में बजट होटलों के पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के लिए लाइसेंस प्रदान करना	पुरस्कार विजेताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार निश्चित उपयोगकर्ता शुल्क और लाइसेंस शुल्क। 1.1.1
8.	विलंबित भुगतान, यदि कोई हो, पर जुर्माना, दंड एवं ब्याज	विलंबित भुगतान पर जुर्माना, दंड एवं ब्याज, यदि कोई हो तो, लाइसेंसधारी और विक्रेताओं से मिलने पर मान्यता दी जाती है।
9.	ट्रेनों में ई–कैटरिंग सेवाएं प्रदान की गईं	यात्रियों को वितरित किए गए कुल भोजन के मूल्य पर परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

इन शीर्षों के अंतर्गत आय को मान्यता/लेखांकन निम्नानुसार किया गया है: -

- **रियायती शुल्क:** राजस्व मान्यता से संबंधित भारतीय लेखा मानक-115 में निर्धारित समय की अवधि के लिए, आय को प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर मान्यता दी जाती है। कंपनी द्वारा प्राप्त एकबारगी रियायत शुल्क (व्यतीत न हुआ रियायत शुल्क) को अग्रिम रूप से प्राप्त आय मानी गई है। यदि रेल प्रशासन द्वारा ट्रैन के रद्द होने/वापस लिए जाने के कारण उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती है, तो उतनी अवधि में आय को मान्यता दी जाती है, जितनी अवधि में संविदा लागू रही हो।
- **उपयोगकर्ता प्रभार:** फूड प्लाजा और बजट होटल लाइसेंसधारियों द्वारा भुगतान योग्य उपयोगकर्ता प्रभार की गणना परियोजना के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।
- **लाइसेंस शुल्क: -**

(क) कंपनी द्वारा प्राप्त निर्धारित लाइसेंस शुल्क की गणना, संविदा चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर की जाती है।

(ख) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को गणना ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(ग) लाइसेंस शुल्क को गणना पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा संचालित बजट होटलों के अनुमानित टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत पर प्रोद्भवन आधार पर की जाती है। जहां, लेखापरीक्षित खातों के अनुसार लाइसेंसधारी के टर्नओवर के आधार पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाता है, जिसकी प्राप्ति के आधार पर गणना की जाती है।

- अनुबंध की समाप्ति पर अर्जित आय: नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण समाप्त किए गए कैटरिंग संविदाओं से आय की मान्यता निम्नानुसार की गई थी:

I. समाप्ति की तिथि तक, आय को मासिक समर्थक अनुपात के आधार पर संविदा की अवधि के लिए रियायती शुल्क के संबंध में मान्यता प्राप्त है और अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क के मामले में ट्रैन मासिक प्रो-राटा आधार पर परिचालन में है।

II. अन्य आय: रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क और संविदा की जब्ती पर प्रतिभूति की शेष राशि को वर्ष के दौरान अर्जित अन्य आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

iv. **पैकेज टूर से आय: -**

कंपनी रेल-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मूल्य वर्धित पर्यटन के तहत स्पेशल ट्रेनों, विशेष कोच चार्टर और बर्थ की बुकिंग और हवाई टिकटों की बुकिंग में कार्यरत है। कंपनी समूह के आधार पर विदेश पर्यटन की बुकिंग में भी कार्यरत है। स्पेशल ट्रैन/कोच चार्टर्स से प्राप्त होने वाली आय में रेलवे द्वारा निर्धारित किराए के निर्धारित प्रतिशत के रूप में कंपनी का सेवा प्रभार शामिल होता है। मूल्य वर्धित पर्यटन के मामले में, आय में किराया, ऑन-बोर्ड/ऑफ़ बोर्ड व्यय के लिए शुल्क और कंपनी के सेवा शुल्क शामिल हैं। हवाई टिकट से प्राप्त होने वाली आय में ग्राहकों से हवाई टिकट की बुकिंग के लिए लिया गया सेवा शुल्क शामिल है।

संपूर्ण टूर पैकेज, बुद्धिस्ट सर्किट स्पेशल ट्रैन और भारत दर्शनें और भारत गौरव ट्रेनों के मामले में आय में ग्राहक से एकत्रित किए हुए जीएसटी की कुल राशि शामिल है।

यात्रा की तिथि के आधार पर आय को प्रोद्भवन आधार (प्रो-राटा) पर बुक किया जाता है।

v. **ट्रैन परिचालन से आय**

कंपनी जोनल रेलवे से प्राप्त होनेवाली ट्रैन के धुलाई प्रभारो के सैद्धांतिक आधार पर संचालन में लगी हुई है। स्पेशल ट्रैन के परिचालन से प्राप्त आय में कंपनी द्वारा यात्रियों से लिया गया किराया शामिल है। ट्रैनों के संचालन से होने वाली आय को भारतीय लेखा-115 की आवश्यकता के अनुसार ट्रैन के संचालन अवधि के दौरान संचालन कार्यों से प्राप्त आय को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

vi. **इंटीग्रेशन प्रभार**

आरक्षित रेल ई-टिकटिंग सेवा के लिए कंपनी के साथ पंजीकरण और इंटीग्रेशन के लिए, प्रधान सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी को भुगतान करने वाली एक-बारगी इंटीग्रेशन शुल्क को 20 वर्ष की अवधि के लिए मान्य किया गया है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

vii. **वाटर वेंडिंग मशीन**

कंपनी वाटर वेंडिंग मशीनों के लिए लाइसेंसधारी के साथ मध्यस्थता की प्रक्रिया में है और मध्यस्थता के आदेश के अनुसार, लाइसेंसधारी के साथ क्लस्टर व्यवस्था के तहत प्रथम डब्ल्यूवीएम के चालू होने की तिथि पर राजस्व की तत्काल मान्यता के विरुद्ध प्रत्येक वाटर वेंडिंग मशीन के चालू होने की तिथि के आधार पर राजस्व की पहचान/अर्जित किया गया है।

viii. **टीडीआर और लाभांश आय सहित सावधि जमा से प्राप्त ब्याज आय: –**

सावधि जमा और टीडीआर के ब्याज से प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करके प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है, जब कंपनी को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है।

थ) व्यय: –

व्यय की मदों को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है, तथापि कुछ व्यय/दावे, जो निश्चित नहीं होते, उनके सुनिश्चित होने पर उनकी गणना की जाती है।

(i) **रेलनीर–बोतलबंद पेयजल और विभागीय खानपान गतिविधि पर व्यय: –**

व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और सभी पहचाने गए नुकसान और देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते है।

रेलवे के राजस्व हिस्से का व्यय कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्रों पर शुद्ध लाभ के 15% की दर से दर्ज किया जाता है और पीपीपी संयंत्रों के लिए, राजस्व हिस्सेदारी वर्ष के मुनाफे के 40% की दर से दर्ज की जाती है।

(ii) **इंटरनेट टिकटिंग पर व्यय: –**

व्यय की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है और सभी पहचाने गए नुकसान और देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते है

(iii) **भुगतान किए गए खानपान प्रभार:**

(क) ऑन–बोर्ड खानपान प्रभार:

ठेकेदार को भुगतान किए गए खानपान प्रभारो की गणना भारतीय रेलवे के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

(ख) रियायती शुल्क, उपयोगकर्ता प्रभार, लाइसेंस शुल्क: –

इस शीर्ष के तहत व्यय को निम्नानुसार मान्यता/गणना की गई है:–

- **भुगतान किए गए रियायती शुल्क:** ऑन बोर्ड कैटरिंग संविदा के संबंध में भारतीय रेलवे को देय रियायती शुल्क को संविदा अवधि के दौरान प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर मान्यता दी जाती है। भारतीय रेलवे को अव्ययीत रियायती शुल्क के भुगतान को अग्रिम के रूप में माना जाता है। यदि रेल प्रशासन द्वारा ट्रैन रद्द होने/नहीं चलाने के कारण उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो उतनी अवधि में आय को मान्यता दी जाती, जितनी अवधि में संविदा लागू रही हो।

- **भुगतान किए गए उपयोगकर्ता प्रभार:** फूड प्लाजा और बजट होटलों द्वारा भारतीय रेलवे को देय उपयोगकर्ता प्रभार की गणना परियोजना के चालू रहने की अवधि तक प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

- **भुगतान किया गया लाइसेंस शुल्क: –**

  कंपनी द्वारा भारतीय रेलवे को देय लाइसेंस फीस का हिसाब अवधि अनुबंध के संचालन में रहने तक निश्चित प्रतिशत के आधार पर प्रोद्भवन आधार (आनुपातिक) पर लगाया जाता है।

- भारतीय रेलवे को देय जुर्माना और जुर्माने को संचय के आधार पर मान्यता दी जाती है।

- **ट्रैन संचालन के लिए अभिरक्षा/ढुलाई शुल्क:–**

  (क) कंपनी द्वारा जोनल रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक प्रभार की गणना प्रोद्भवन आधार (प्रो–राटा) पर ट्रैनों के संचालन में रहने की अवधि तक की जाती है।

  (ख) परिवर्तनीय ढुलाई शुल्क:– जोनल रेलवे को देय शुल्क वर्ष के लिए ट्रेनों के संचालन के आधार पर रेलवे के साथ समझौते के अनुसार ट्रेन संचालन के प्रति किमी और प्रति दिन के लिए निर्धारित दर के आधार पर लिया जाता है।

- **पर्यटन व्यय: –**

  पूर्ण टूर पैकेज के मामले में, बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन और भारत गौरव ट्रेनें, सेवा शुल्क और अन्य ऑन बोर्ड/ऑफ बोर्ड शुल्क की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती हैं। ट्रैन संचालन के मामले में, रेलवे द्वारा निर्धारित/परिवर्तनीय ढुलाई/अन्य शुल्कों के कारण होने वाले व्यय और खानपान/अन्य खर्चों की गणना प्रोद्भवन आधार पर की जाती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

द) पट्टे: –

जहां कंपनी पट्टेदार है:

(i) कंपनी पट्टे की शरुआत की तारीख से उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति तथा पट्टा देयता को स्वीकार करती है। उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति का आकलन आरंभ में लगत से की जाती है जिसमे पट्टा देयता की राशि को शरुआत की तारीख को अथवा उससे पहले समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और लागत अनुमान का आकलन उक्त संपत्ति को समाप्त करने अथवा हटाने अथवा उक्त संपत्ति की उसी स्थान पर, जहां वह मौजूद थी, पर बहाली के लिए किया जाता है, जिसमें से प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन रही को घटा दिया जाता है।

(ii) उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को बाद में स्ट्रेट लाइन पद्धति का उपयोग करके उसके आरंभ की तारीख से उस संपत्ति के उपयोग की अवधि तक या पट्टा समाप्ति तक का मूल्यह्रास निकाला जाता है। उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति के अनुमानित उपयोग की अवधि का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निर्धारण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति की क्षीणता के कारण होने वाली हानियों, यदि कोई हो, से उसका आवधिक ह्रास होता है और पट्टा देयता के कुछ पुनः आकलन का समायोजन किया जाता है।

(iii) आरंभ में पट्टा देयता का आकलन पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है, जो उसकी आरंभिक तारीख से भुगतान न किए गए हों, पट्टे में दर्शाई गई ब्याज दर के उपयोग से छूट दी गई हो अथवा, यदि उस दर का तत्काल निर्धारण नहीं हो पता और कंपनी की बढ़ती ऋण दर पर आकलन किया जाता है।

(iv) पट्टा देयता की माप ब्याज के प्रभावी तरीके का उपयोग से परिशोधन लागत से की जाती है, यदि भविष्य में इंडेक्स या दर में किसी परिवर्तन के कारण पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन हो, तो इसका पुनः माप किया जाता है। जब इस तरीके से पट्टा देयता का पुनः माप किया जाता है, तो उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति की वहन राशि का एक तुलनात्मक समायोजन किया जाता है, अथवा यदि उपयोग के अधिकरवाली संपत्ति की वहन राशि घटकर शून्य रह जाती है, तो इसे लाभ और हानि के रूप में दर्ज किया जाता है।

(v) कंपनी तुलन पत्र के मुख-पृष्ठ पर उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को "उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति" में तथा तुलनपत्र में पट्टा देयताओं को "अन्य वित्तीय देयताओं" में दर्शाती है।

(vi) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्ति के पट्टे: – कंपनी ने ऐसी अल्पावधि वाली और कम मूल्यवाली परिसंपत्ति को पट्टे के उपयोग के अधिकारवाली संपत्ति को मान्यता न देने का विकल्प चुना है जिनकी पट्टा अवधि 12 महीने या उससे कम हो। कंपनी इन पट्टों से संबद्ध भुगतानों को पट्टा अवधि में एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पर व्यय के रूप में मान्यता देती है।

जहां कंपनी पट्टादाता हो:

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में काम करती है, तो इसे पट्टे का आरंभ माना जाता है, चाहे वह एक वित्तीय पट्टा हो अथवा एक परिचालनिक पट्टा हो। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी एक पूर्ण आकलन करती है, कि क्या पट्टे में उक्त संपत्ति के मालिकाना हक के आकस्मिक जोखिम और रिवार्ड का काफी हद तक पट्टा हस्तांतरण हो गया है। यदि ऐसा मामला हो, तो पट्टा एक वित्तीय पट्टा होता है, यदि नहीं तो वह एक परिचालनिक पट्टा होता है। आकलन के एक हिस्से के रूप में, कंपनी कुछ सकेतों पर विचार करती है कि क्या पट्टा परिसंपत्ति कि आर्थिक स्थिति के बड़े हिस्से के लिए है।

कंपनी परिचालनिक पट्टे के अंतर्गत प्राप्त भुगतानों को एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पर पट्टा अवधि के दौरान "अन्य आय" के रूप में आय को मान्यता देती है।

ध) परिसंपत्तियों की हानि: –

जैसा भारतीय लेखा मानक 36 में परिभाषित है नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयां तुलनपत्र की तारीख को 'परिसंपत्तियों की हानि' के साथ ही साथ वहन राशि की पहचान करती है। उससे वसूली जा सकने वाली राशि और हानि, यदि कोई हो, तो लाभ और हानि के खाते में रखा जाता है। यदि क्षति के किसी नुकसान के बाद में आरक्षित रखा जाना हो, तो उसे रिवर्सल वर्ष में रखा जाता है।

न) उधारी लागत: –

सामान्य और विशिष्ट उधारी लागतें अर्हक परिसंपत्तियों के सीधे अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन के फलस्वरूप मानी जाती है, जिन्हें अब तक उस परिसंपत्ति की लागत का हिस्सा माना जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती है। अर्हक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसके उपयोग हेतु तैयार करने के लिए पर्याप्त अवधि की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधारी लागतें को उस अवधि में, जब वे वहन की जाती हैं, उस अवधि के लाभ और हानि विवरणों में मान्यता दी जाती है।

ऩ) कर्मचारी हित: –

(क) अल्पावधि के कर्मचारी लाभ

सेवाएं प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूर्ण भुगतान योग्य सभी कर्मचारी लाभों को अल्पावधि कर्मचारी लाभ में वर्गीकृत किया जाता है। लाभ जैसे वेतन, मजदूरी, और अल्पावधि अनुपस्थिति की प्रतिपूर्ति आदि को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

(ख) दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

(i) अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी जैसे दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की बाध्यता

- वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन पर हिसाब लगाया गया।
- बीमांकिक लाभ/हानि को वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ii) नकदीकरण छोड़े

- कंपनी अपनी बैलेंस शीट में भारतीय जीवन बीमा निगम से अवकाश नकदीकरण के लिए ली गई पॉलिसी को परिसंपत्तियों की प्रतिपूर्ति के अधिकार के रूप में मान्यता देती है।
- कंपनी अपनी बैलेंस शीट में एक परिभाषित लाभ योजना के दायित्व को एक दायित्व के रूप में पहचानती है और वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है।
- कंपनी वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में परिभाषित लाभ लागत के घटकों को पहचानती है।
- कंपनी वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में प्रतिपूर्ति के अधिकार की अग्रणीत राशि में परिवर्तन को मान्यता देती है।
- बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(ग) रोजगार के बाद के लाभ

(i) परिभाषित योगदान योजनाएं: भविष्य निधि योजना के संबंध में कंपनी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को निर्धारित अंशदान देती है। योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किया गया / भुगतान योग्य अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ii) परिभाषित लाभ योजनाएं: कंपनी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। इन लाभों की पात्रता आमतौर पर इस शर्त के साथ होती है कि कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की आयु तक अथवा और न्यूनतम सेवा अवधि के पूरा होने तक सेवा में रहेगा। इन लाभों की अपेक्षित लागत नियोजन कि उस अवधि में आती हैं, जिसमें परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए समान लेखा-जोखा का तरीका अपनाया जाता है।

(iii) ग्रेच्युटी रोजगार के बाद मिलनेवाली लाभ योजना है। देयता को तुलन पत्र में परिभाषित लाभ देयता की वर्तमान मूल्य माना जाता है, जिसमें तुलन-पत्र की तिथि को परिसंपत्तियों के योजना में उचित मूल्य को कम किया जाता है। परिभाषित लाभ देयता की गणना रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) तरीके का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा की जाती है।

(iv) पुनः माप से होने वाले लाभ और हानि को समायोजन के अनुभव और बीमांकिक अनुमानों में परिवर्तनों से परिभाषित लाभ योजनाओ के संबंध में, उन्हें उसी अवधि में मान्यता दी जाती है, जब वे सीधे व्यापक आय में उत्पन्न होते है। उन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरणों में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

(घ) विदेशी सेवा अंशदान में प्रावधान/देयताएं- प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति माने जानेवाले पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए सरकारी नियमों और विनियमों की शर्तों के अनुसार पेंशन और छुट्टी वेतन दिए जाते है और उन्हें प्रोद्भवन आधार पर लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है।

प) यदि आय/व्यय की वस्तुएं कंपनी के पिछले ऑडिट किए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टर्नओवर के 1% से अधिक हो तो पिछली अवधि की त्रुटियों/आइटमों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस अवधि में त्रुटि हुई, उस अवधि के लिए तुलनात्मक मात्राओं को पुनर्स्थापित करके इन्हें पूर्वव्यापी रूप से निपटाया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को बहाल कर दिया गया है। यदि प्रारंभिक अवधि को बहाल करना अव्यावहारिक है, तो तुलनात्मक जानकारी को नई लेखांकन नीति को जल्द से जल्द व्यावहारिक तिथि से लागू करने के लिए समायोजित किया जाता है।

फ) इन्वेंटरी:

(i) इन्वेंटरी का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, स्टोर, पुर्जे और उपभोग्य सामग्रियों के मामले में, लागत में शुल्क और कर (आईटीसी का शुद्ध, जहां भी लागू हो) शामिल होते हैं और इसकी गणना एफआईएफओ के आधार पर की जाती है।

(iii) तैयार माल की लागत और कार्य जारी रहने की प्रक्रिया में कच्चे माल की लागत, पैकिंग सामग्री, निर्धारित और परिवर्तनीय उत्पादन ओवरहेड्स का उचित शेयर, लागू सीमा शुल्क और अन्य लागतें इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए अन्य उत्पन्न लागतें शामिल होती है।

(iv) पीडी मद (ट्रेडेड गुड्स) का मूल्यांकन एफआईएफओ के आधार पर लागत या एनआरवी पर किया जाता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

ब) कराधान: -

(क) वर्तमान आयकर: -

(i) लागू कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके वर्तमान आयकर सहित करों की गणना की जाती है।

(ii) राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं जहां कंपनी संचालित होती है तथा कर योग्य आय अर्जित करती है।

(iii) वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान आयकर परिसंपत्ति और देयताओं की गणना वसूली जा सकने वाली संभावित राशि पर की जाती है अथवा अतिरिक्त कर, यदि कोई हो, की देयता के लिए कर प्राधिकरणों को भुगतान की जाती है, जिन्हें आकलनों के पूरा होने पर उपलब्ध कराया /भुगतान किया जाता है।

(iv) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती हैं।

(ख) आस्थगित कर

कंपनी ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखा मानक-12 के अनुरूप आस्थगित कराधान के लिए "आयकर" की गणना की है।

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, जिनकी गणना कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है, जिन्हें अधिनियमित या रिपोर्टिंग तिथि पर मूल रूप से अधिनियमित किया गया है।

ii. आस्थगित आयकर संपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां संभव हो कि उन काटे जाने योग्य अस्थाई अंतरों पर कर लाभ उपलब्ध होगा और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

iii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक घटाया जाता है कि यह संभव न हो सके कि उपयोग की जानेवाली आस्थगित आयकर संपत्ति को संपूर्ण रूप से अथवा उसके किसी भाग के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है।

भ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय के निर्धारण के लिए, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या में उस अवधि में बकाया शेयरों की संख्या की औसत को लिया जाता है। प्रति शेयर मिश्रित आय का निर्धारण के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय शुद्ध लाभ और उस अवधि में बकाया शेयरों की संख्या की औसत को इक्विटी शेयरों की सभी मिश्रित क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाता है।

म) अनुदान

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदानों को, संबंधित परिसंपत्तियों की संभावित जीवन अवधि के अनुसार, आस्थगित आय और सिस्टेमेटिक आधार पर लाभ या हानि में किए गए क्रेडिट में शामिल किया जाता है तथा उसे अन्य आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. राजस्व व्यय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्ययों में समायोजित किया जाता है। राजस्व के अप्रयुक्त हिस्से और पूंजी अनुदान को देयता के रूप में दिखाया गया है।

iii. गैर-मौद्रिक संपत्ति के रूप में सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

कक)नकदी एवं नकदी समकक्ष

नकदी एवं नकदी समकक्षों में रोकड़, ड्राफ्ट/चेक, बैंक बैलेंस, बैंकों में जमा और अल्पावधि निवेश शामिल हैं, जो अल्प अवधि वाले (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम), उच्च मात्रा वाले निवेश होते हैं, जिन्हें तत्काल नकदी में बदला जा सकता है और जिनसे मूल्य में किन्ही परिवर्तनों का कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं होता।

खख)पुराने चेक

वे चेक जो 3 महीने की वैधता अवधि के भीतर क्लियर नहीं किया जाते हैं, उन्हें पुराने चेक खाते में जमा कर दिया जाता है। निजी पार्टियों से संबंधित पुराने चेक जो पुराने चेक में हस्तांतरण होने की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पुराने हैं और सरकारी निकायों से संबंधित चेक जो पुराने चेक में हस्तांतरण होने की तिथि से 6 वर्ष से अधिक से पुराने हैं और जो पुराने चेक खाते में भी क्लियर नहीं हुए है उन्हें विविध आय में जमा किया जाता है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए, उसे विविध व्ययों में डेबिट किया जाता है

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

गग) वित्तीय साधन: –

आरंभिक मान्यता और माप

वित्तीय साधनों को उनके उचित मूल्य सहित अथवा लेनदेन लागतों को कम करके मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय साधनों के अधिग्रहण अथवा उन्हें जारी करने के लिए सीधे देय है। हालाँकि वित्तीय परिसंपत्तियाँ (व्यापार प्राप्य) जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति

यदि किसी व्यापारिक गतिविधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसका उद्देश्य इन संविदात्मक परिसंपत्तियों के नकदी प्रवाह को बनाए रखना होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विशिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह को बढ़ाता है, जो बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज के पूरी तरह से भुगतान को कम करता हैं। प्रभावी ब्याज दर में से परिशोधन, यदि कोई हो, को कम करते हुए परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों की माप की जाती है। ईआईआर ऋणमुक्ति को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत पर मापा जाता है: –

(i) प्रतिभूति जमा

(ii) प्रतिधारण राशि

(iii) नकदी और नकदी समकक्ष

(iv) अन्य वित्तीय साधनों के साथ समायोजित अग्रिम

अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय करना होता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों में नकदी प्रवाह को बढाती है जो पूरी तरह से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान होता है।

ऋण इंट्रूमेंट एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल होता है जिसकी आरंभिक माप के साथ– साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर माप भी की जाती है। उचित मूल्य मूवमेंट्स को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में रखा जाता है। तथापि, कंपनी ब्याज से प्राप्त आय को मान्यता देती है, परिशोधन हानियों एवं रिवर्सल तथा विदेशी मुद्रा लाभ अथवा लाभ एवं हानि में हानि को मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, पूर्व में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है। ईआईआर तरीके के उपयोग से अर्जित ब्याज को स्वीकार किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, को एफवीटीपीएल में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति मानित करने के लिए चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल पर परिशोधन लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता है। यदि ऐसा करने से माप की आवश्यकता कम होती है या समाप्त होती है या मान्यता में निरंतरता नहीं होती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों की उचित मूल्य पर माप की जाती है जिसमें लाभ और हानि के विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता दी जाती है।

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं

परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं व्यापार और अन्य देय, प्रतिभूति जमा, वापसी योग्य अग्रिम और प्रतिधारण राशि का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें आरंभ में उचित मूल्य पर स्वीकार किया जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर लाया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल में कोई वित्तीय देयताएं निर्दिष्ट नहीं की है।

मान्यता समाप्त करना

वित्तीय परिसंपत्ति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय परिसंपत्ति का कोई हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्ति के समूह का एक हिस्सा) को तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति और तदुपरांत परिसंपत्ति के मालिकाना हक के सभी जोखिमों और रिवार्ड का हस्तांतरण करता है।

वित्तीय देयता

एक वित्तीय दायित्व को तब अमान्य किया जाता है जब देयता के तहत बाध्यता समाप्त हो जाती है या रद्द हो जाती है या समाप्त हो जाती है। जब कोई वित्तीय देयता महत्वपूर्ण रूप से भिन्न शर्तों पर, किसी अन्य

भारतीय मानकों के अनुसार लेखा नीतियां (इंड एएस)

समान ऋणदाता के साथ बदली जाती है अथवा किसी विद्यमान देयता की शर्तें काफी हद तक बदली जाती हैं, तो ऐसी कोई आदान-प्रदान अथवा आशोधन मूल देयता को अमान्य माना जाता है और नई देयता की मान्यता और संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का नुकसान

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके भत्तों की हानि को मान्यता देती है, जिसका लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता। व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता जिसमें कोई महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं है, को लाइफटाइम ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ईसीएल को 12-महीने के ईसीएल की बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि आरंभिक मान्यता से किसी क्रेडिट जोखिम में कोई वृद्धि न हो, ऐसे मामले में उनकी माप लाइफटाइम ईसीएल पर की जाती है। ईसीएल (या रिवर्सल) की राशि, जो रिपोर्टिंग की तारीख पर हानि भत्ते को उस राशि में समायोजित करने के लिए अपेक्षित होती है, जिसे मान्यता दिए जाने की आवश्यकता होती है, उसे लेखा के लाभ और हानि खाते के विवरण में क्षीण लाभ या हानि पर मान्यता दी जाती है।

घघ) उचित मूल्य की माप

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों का आकलन करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी संपत्ति की बिक्री किसी देयता के हस्तांतरण से पैमाइश की तारीख को बाजार प्रतिभागियों के बीच सही रूप से लेनदेन के द्वारा प्राप्त होता है। उचित मूल्य का मूल्यांकन इस पूर्वानुमान पर आधारित होता हैं कि संपत्ति की बिक्री के लिए लेनदेन या देयता के हस्तांतरण इनमें से किसी रूप में हो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार न होने की स्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभकारी बाजार में।

कंपनी की प्रमुख या सबसे फायदेमंद बाजार में पैठ होनी चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का माप वे अनुमान लगाकर किया जाता है कि बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय इन अनुमानों का उपयोग करेंगे, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं और उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, जिसके लिए अपेक्षित ध्यान देने योग्य इनपुट का अधिकतम तथा ध्यान न देने योग्य इनपुट का न्यूनतम उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्ति और देयता जिनके लिए उचित मूल्य की माप की जाती है या वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण किया जाता है, को उचित मूल्य के वर्गीकरण में रखा जाता है, जिसे निम्नानुसार वर्णित किया गया है, जो न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित होता है जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 - समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुस्पष्ट उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 - मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो अस्पष्ट रूप से उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है।

आवर्ती आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या वर्गीकरण के स्तर के बीच हस्तांतरण हुए हैं, जिसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो कुल मिलाकर उचित मूल्य की माप के लिए महत्वपूर्ण है) किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करती है, जिनका लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनर्माप या पुनर्मूल्यांकन करना अपेक्षित होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में जानकारी से सहमत होते हुए नवीनतम मूल्यांकन में मुख्य इनपुट का उपयोग करके सत्यापन करती है।

कंपनी अपेक्षित बाहरी स्रोतों से प्रत्येक परिसंपत्ति और देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना भी करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या परिवर्तन उचित है या नहीं?

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के आधार पर, जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया है, परिसंपत्तियों और देयताओं की श्रेणियां उचित मूल्य के स्तर का क्रम निर्धारित किया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

टिप्पणी:– 3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन			संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत लगाना एवं उपकरण	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालय उपकरण		फर्नीचर एवं फिक्स्चर	लग्ज़री पर्यटन गाड़ियां	कुल
		फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट	लीज़होल्ड सुधार	फैक्ट्री भवन–लीज़होल्ड				एयर कंडीशनर	कार्यालय उपकरण			
सकल आगे बढ़ाई वेल्यू												
01 अप्रैल 2022 को	2,370.40	4,112.01	2,603.24	4,642.53	10,245.96	537.90	10,214.99	494.53	1,471.12	671.35	5,202.46	42,566.49
जुड़ी	2,235.61	394.43	28.68	301.97	722.16	4.15	735.28	25.23	132.08	29.46	-	4,609.05
निपटान/समायोजन	-	-	22.07	-	7.27	-	0.47	2.06	43.15	11.37	-	86.39
31 मार्च, 2023 को	4,606.01	4,506.44	2,609.85	4,944.50	10,960.85	542.05	10,949.80	517.70	1,560.05	689.44	5,202.46	47,089.15
जुड़ी			98.23	728.58	1,657.57	3.42	405.09	22.36	62.96	22.42		3,000.63
निपटान/समायोजन					10.04	5.33	76.35	8.76	31.46	4.85		136.79
31 मार्च, 2024 को	4,606.01	4,506.44	2,708.08	5,673.08	12,608.38	540.14	11,278.54	531.30	1,591.55	707.01	5,202.46	49,952.99
संचित मूल्यह्रास एवं हानि												
01 अप्रैल, 2022 को	-	70.06	1,227.78	1,041.59	4,996.64	367.67	8,109.45	374.56	1,180.61	469.66	4,200.28	22,038.30
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	70.43	271.48	286.97	948.19	33.72	734.63	29.63	98.08	38.94	239.89	2,751.96
हानि												
निपटान/समायोजन	-	-	21.22	-	1.88	-	(1.21)	1.56	35.45	10.87	-	69.77
31 मार्च, 2023 को	-	140.49	1,478.04	1,328.56	5,942.95	401.39	8,845.29	402.63	1,243.24	497.73	4,440.17	24,720.49
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		73.77	333.32	313.46	968.18	37.63	645.59	25.47	93.93	29.53	240.07	2,760.95
हानि												
निपटान/समायोजन					8.52	4.24	71.10	7.73	23.34	4.51		119.44
31 मार्च, 2024 को	-	214.26	1,811.36	1,642.02	6,902.61	434.78	9,419.78	420.37	1,313.83	522.75	4,680.24	27,362.00
शुद्ध वहन वेल्यू												
31 मार्च, 2024 को	4,606.01	4,292.18	896.72	4,031.06	5,705.77	105.36	1,858.76	110.93	277.72	184.26	522.22	22,590.99
31 मार्च, 2023 को	4,606.01	4,365.95	1,131.81	3,615.94	5,017.90	140.66	2,104.51	115.07	316.81	191.71	762.29	22,368.66
01 अप्रैल 2022 को	2,370.40	4,041.95	1,375.46	3,600.94	5,249.32	170.23	2,105.54	119.97	290.51	201.69	1,002.18	20,528.19

नोट :– 3.1 वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, कंपनी ने पैन इंडिया लक्ज़री पर्यटन गाड़ी का अधिग्रहण किया। उक्त गाड़ी की कुल लागत ₹ 5,046.57 लाख थी। पर्यटन मंत्रालय ने 1,237.00 लाख रूपये की पूंजी सब्सिडी दी थी जिसे आस्थगित अनुदान में मान्यता दी गई और मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधित किया गया।

नोट :– 3.2 लीजहोल्ड परिसंपत्तियों (उपयोग का अधिकार) के विवरण के लिए नोट 5बी और अचल संपत्तियों के शीर्षक कार्यों के लिए नोट संख्या 69 देखें, जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट: – 4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	रेलनीर संयंत्र – विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश)	रेलनीर संयंत्र-भुसावल (महाराष्ट्र)	रेलनीर संयंत्र-भुवनेश्वर (उड़ीसा)	रेलनीर संयंत्र-ऊना (हिमाचल प्रदेश)	रेलनीर संयंत्र-सिम्हाद्री (एपी)	बजट होटल	प्रशिक्षण केंद्र, फरीदाबाद	रेलनीर संयंत्र-कोटा (राजस्थान)	अन्य	कुल
01 अप्रैल, 2022 को अधिशेष	**196.14**	**510.39**	**42.00**	**436.78**	**1,390.33**	**41.32**	**–**	**–**	**–**	**2,616.96**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	-	165.59	373.92	198.80	120.00	471.65	98.00	-	10.13	1,438.09
समायोजन	-56.14	-675.98	-	56.14	-	-	-	-	-	-675.98
31 मार्च, 2023 को अथशेष	**140.00**	**–**	**415.92**	**691.72**	**1,510.33**	**512.97**	**98.00**	**–**	**10.13**	**3,379.07**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	314.86		35.90	8.82	354.51	920.63	413.32	40,498.53		42,546.57
समायोजन			-451.82	-700.54			-511.32	-	-10.13	-1,673.81
31 मार्च, 2024 को अथशेष	**454.86**	**–**	**–**	**–**	**1,864.84**	**1,433.60**	**–**	**40,498.53**	**–**	**44,251.83**

नोट: – 4.1 (ए) पूंजीगत कार्य प्रगति पर की परिपक्वन अनुसूची

31 मार्च 2024 को सीडब्ल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	42088.54	591.65	551.64	1020	44251.83
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

31 मार्च 2023 को सीडब्ल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	1272.5	962.88	805.73	337.96	3379.07
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट: – 4.1 (बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर के परिपक्कन अनुसूची जिसकी पूर्णता इसकी मूल योजना की तुलना में अतिदेय है

31 मार्च 2024 को

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
बजट होटल – लखनऊ*	1,697.69	–	–	–	1,697.69
बजट होटल – खजुराहो**	42.50	–	–	–	42.50
बजट होटल – केवडिया***	124.65	–	–	–	124.65
फ़रीदाबाद में प्रशिक्षण केंद्र***	1,433.60	–	–	–	1,433.60
रेलनीर प्लांट – विजयवाड़ा*****	454.86	–	–	–	454.86

* जून, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति।
** सितंबर, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति दी गई।
*** अगस्त, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति दी गई।
**** मई, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति।
***** जुलाई, 2024 तक पूरा करने के लिए पुनः निविदा।

31 मार्च 2023 तक

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
बजट होटल – लखनऊ	1,347.15	–	–	–	1,347.15
रेलनीर प्लांट – सिम्हाद्री	691.72	–	–	–	691.72
रेल नीर प्लांट–भुवनेश्वर	415.92	–	–	–	415.92
रेलनीर संयंत्र– विजयवाड़ा	–	140.00	–	–	140.00

*दिसंबर, 2023 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति दी गई।

नोट:– 4.1(सी)

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसकी लागत आज की तारीख में इसकी मूल योजनाओं की तुलना में अधिक हो।

नोट:– 5 निवेश सम्पत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	गुड़गांव में भूमि	गुड़गांव में भवन	कुल
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	**464.66**	**2,368.52**	**2,833.18**
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**464.66**	**2,368.52**	**2,833.18**
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	**464.66**	**2,368.52**	**2,833.18**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	**–**	**137.23**	**137.23**
वर्ष के दौरान परिशोधन		37.56	37.56
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**–**	**174.79**	**174.79**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	गुड़गांव में भूमि	गुड़गांव में भवन	कुल
वर्ष के दौरान परिशोधन		37.66	37.66
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	-	212.45	212.45
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2024 को	464.66	2,156.07	2,620.73
31 मार्च, 2023 को	464.66	2,193.73	2,658.39
01 अप्रैल, 2022 को	464.66	2,231.29	2,695.95

नोट:-5.1 31 मार्च, 2024 को निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 8531.00 लाख रूपये है, जिसका मूल्यांकन एक मौजूदा बाजार दरों के अपनाने के द्वारा भूमि और भवन विधि के आधार पर पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत किया गया हैं।

5.2:- अन्य प्रकटन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण में निवेश संपत्तियों के लिए मान्यता प्राप्त राशियाँ		
- किराए से आय	234.98	235.00
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त हुई	17.66	17.44
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त नहीं हुई	-	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से प्राप्त हुई आय	217.32	217.56
मूल्यह्रास और परिशोधन	37.66	37.56
निवेश संपत्तियों से आय (शुद्ध)	179.66	180.00

टिप्पणी:- 5 ए अन्य अमूर्त संपत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	लाइसेंस	कुल
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	1,253.90	70.52	1,324.42
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	7.44	-	7.44
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	1,261.34	70.52	1,331.86
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	107.07	129.86	236.93
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	1,368.41	200.38	1,568.79
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	729.65	58.31	787.96
वर्ष के दौरान परिशोधन	258.45	12.20	270.65
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			0.00
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	988.10	70.51	1,058.61
वर्ष के दौरान परिशोधन	186.01	2.44	188.45
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			-
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	1,174.11	72.95	1,247.06
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2024 को	194.30	127.43	321.73
31 मार्च, 2023 को	273.24	0.01	273.25
01 अप्रैल, 2022 को	524.25	12.21	536.46

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 5ख परिसंपत्ति के प्रयोग का अधिकार

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भूमि	भवन*	वाहन	कुल
सकल वहन मूल्य				
1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभिक शेष	**3,967.98**	**5,287.33**	**6,094.75**	**15,350.06**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	40.32	2,976.48	3,736.72	6,753.52
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	584.43	736.78	3,107.84	4,429.05
31 मार्च, 2023 को समापन शेष	**3,423.87**	**7,527.03**	**6,723.63**	**17,674.53**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त		1,387.91	2,479.83	3,867.74
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन		181.26	2,002.02	2,183.28
31 मार्च, 2024 को समापन शेष	3,423.87	8,733.68	7,201.44	19,358.99
मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभिक शेष	**578.96**	**2,018.89**	**2,971.04**	**5,568.88**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास लगाया गया	136.77	913.63	1,262.39	2,312.79
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	–
समापन शेष 31 मार्च, 2023 को	**715.73**	**2,932.52**	**4,233.43**	**7,881.67**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास लगाया गया	136.77	1,048.00	1,549.81	2,734.58
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–		–
समापन शेष 31 मार्च, 2024 को	852.50	3,980.52	5,783.24	10,616.25
नेट कैरिंग वैल्यू				
31 मार्च 2024 को	2,571.37	4,753.16	1,418.20	8,742.74
31 मार्च, 2023 को	**2,708.14**	**4,594.51**	**2,490.20**	**9,792.86**
1 अप्रैल, 2022 को	**3,389.02**	**3,268.44**	**3,123.71**	**9,781.18**

***नोटः–** भवन में रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट शामिल हैं जो 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज़ पर हैं और उस अवधि में उनका मूल्यह्रास किया गया है।

नोटः– 6 वित्तीय परिसंपत्तियां– गैर चाल

नोटः– 6.1 गैर–वर्तमान निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश		
रॉयल इण्डियन रेल टूर्स लिमिटेड के प्रत्येक 10 रूपये के 25 लाख इक्विटी शेयर	250.00	250.00
घटाएं: निवेश के मूल्य में हानि	(250.00)	(250.00)
कुल निवेश	–	–

नोटः– 6.1 क कुल गैर वर्तमान निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कोट न किए गए निवेशों की सकल राशि	250.00	250.00
निवेश मूल्य में हानि की सकल राशि	(250.00)	(250.00)
निवेश का कुल उचित मूल्य	–	–

नोट 37.2 (ii), 44.4 और 45 देखें

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट:– 6.2 अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) बैंक गारंटी या अन्य प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सावधि जमा	116.38	91.75
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
ख) सुरक्षा जमा	0.81	2.65
ग) सहायक कंपनी के साथ लंबित आवंटन आवेदन राशि साझा करें*	1,500.00	-
कुल	**1,617.19**	**94.40**

* शेयरों का आवंटन 8 अप्रैल, 2024 को किया गया है

नोट:– 7 आस्थगित कर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क. आस्थगित कर देयताएं		
सम्पत्ति, संयत्र एवं उपकरण	189.42	302.06
आस्थगित कर देयताओं का योग	**189.42**	**302.06**
ख आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
कर्मचारी लाभ	3,579.35	3,298.60
संदिग्ध कर्ज	3,749.44	3,504.86
संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	5,232.44	4,854.89
निवेश	62.93	62.93
लीज़ देयता (आरओयु का शुद्ध)	177.96	219.63
आस्थगित राजस्व	954.87	919.95
दावों/हानि के लिए प्रावधान	554.71	496.16
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का योग	**14,311.70**	**13,357.02**
शुद्ध आस्थगित कर परिसम्पत्तियों	**14,122.28**	**13,054.96**

आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) का संचलन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ	संदिग्ध कर्ज	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	लीज़ देयता (आरओयु का शुद्ध)	आस्थगित राजस्व	दावों/हानि के लिए प्रावधान	कुल
1 अप्रैल 2022 को अथशेष (नोट सं 52 और 84 देखें)	**(566.65)**	**1,553.80**	**2,794.04**	**4,034.77**	**62.93**	**303.16**	**762.17**	**529.00**	**9,473.22**
वर्ष के दौरान प्रभारित/(क्रेडिट) (नोट सं 52 और 84 देखें)									
लाभ एवं हानि के लिए	264.59	1,819.12	710.82	820.12	-	(83.53)	157.78	(32.84)	3,656.06
अन्य व्यापक आय के लिए	-	(74.32)	-	-	-	-	-		(74.32)
31 मार्च 2023 को इतिशेष	**(302.06)**	**3,298.60**	**3,504.86**	**4,854.89**	**62.93**	**219.63**	**919.95**	**496.16**	**13,054.96**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ	संदिग्ध कर्ज	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	लीज़ देयता (आरओयु का शुद्ध)	आस्थगित राजस्व	दावों/हानि के लिए प्रावधान	कुल
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)									
लाभ एवं हानि के लिए	112.64	291.07	244.58	377.55	-	(41.67)	34.92	58.56	1,077.65
अन्य व्यापक आय के लिए	-	(10.32)	-	-	-	-	-		(10.32)
31 मार्च 2024 को इतिशेष	**(189.42)**	**3,579.35**	**3,749.44**	**5,232.44**	**62.93**	**177.96**	**954.87**	**554.71**	**14,122.28**

नोट:– 8 अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) पूंजीगत अग्रिम		
फ्लैट निर्माण के लिए भारतीय रेलवे को अग्रिम पूंजी	635.98	635.98
एयर इंडिया से फ्लैट की खरीद के लिए अग्रिम पूंजी	94.49	90.32
नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए पूंजीगत अग्रिम	706.68	20,851.84
भारत गौरव ट्रेनों के लिए रसोई उपकरणों के लिए पूंजीगत अग्रिम	-	8.98
ख) अन्य		
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा	488.65	485.18
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	0.17	0.23
कुल	**1,925.97**	**22,072.53**

* यह प्रारंभिक पहचान और किए गए व्यय पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :– 9 वस्तुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कच्चा माल	483.41	500.56
तैयार माल	602.18	449.56
व्यापारिक माल–पैक्ड (पीडी) मदें	10.92	10.83
लागत के निचले स्तर पर कुल सूची और शुद्ध वसूली मूल्य	**1,096.51**	**960.95**

नोट:– 10 वित्तीय परिसंपत्तियां

नोट :– 10.1 व्यापार प्राप्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
उचित समझा – सुरक्षित	-	-
उचित समझा – असुरक्षित	1,36,184.14	1,12,348.49
व्यापार प्राप्तियां जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	382.51	1,524.06
व्यापार प्राप्तियां क्रेडिट असामान्य	15,377.80	14,343.61
घटाए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(14,510.26)	(13,924.76)
कुल व्यापार प्राप्तियां	**1,37,434.19**	**1,14,291.40**

नोट 58 देखें

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 10.2 : नकद और नकद समकक्ष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
हाथ में पैसा	8.69	10.39
बैंकों के अधिशेष:		
- वर्तमान खाते में	62,497.43	38,449.01
- फ्लेक्सी वर्तमान खाते में	6,627.75	4,425.11
कुल	**69,133.87**	**42,884.51**

नोट :- 10.3 : नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अधिशेष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
- 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता और 1 वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली जमा (नोट संख्या 48 देखें)	1,47,500.00	1,49,227.89
- अनुसूचित बैंकों के पास सीमित शेष		
अवैतनिक लाभांश खाते	83.26	46.20
सीएसआर अव्ययित खाते	75.98	53.60
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता और 1 वर्ष में परिपक्व होने वाली जमा (नोट 10.3.1 देखें)	9,471.49	869.54
कुल	**1,57,130.73**	**1,50,197.23**

नोट 10.3.1: ₹ 9,471.49 लाख की सावधि जमा बैंक गारंटी या अन्य प्रतिबद्धताओं के खिलाफ मार्जिन मनी के रूप में रखे गए टीडीआर का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 10.3.2: सीएसआर के अव्ययित खाते में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 73.80 लाख और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 2.18 लाख शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 73.80 लाख के अव्ययित बैंक शेष में कंपनी द्वारा अन्य बैंक खाते से जमा किए गए टीडीएस के ₹ 0.08 लाख शामिल हैं, जिसे सीएसआर अव्ययित खाते से कंपनी के सामान्य बैंकिंग खाते में स्थानांतरित किया जाना है।

नोट:- 10.4 अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तिया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
असुरक्षित, उचित समझा गया		
सुरक्षा जमा	1280.08	1182.97
बैंक गारंटी या अन्य प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सावधि जमा	225.46	208.31
सावधि और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	5,832.36	4,856.88
संपत्ति की प्रतिपूर्ति का अधिकार		
भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना	5989.27	5257.44
अन्य प्राप्तियां	12,422.55	9,584.20
कुल	**25,749.72**	**21,089.80**

नोट:- 11 प्रचलित कर परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आयकर वापसी	11,675.45	5,836.75
कर एवं टीडीएस के लिए अग्रिम (31 मार्च, 2024 को ₹ 39276.54 लाख और 31 मार्च, 2023 को ₹ 37322.40 लाख आयकर के लिए शुद्ध प्रावधान)	4,413.15	5,053.31
कुल	**16,088.60**	**10,890.06**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट:– 12 अन्य प्रचलित परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य अग्रिम	7,721.06	5,365.53
घटाए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(535.25)	(149.03)
सरकारी प्राधिकारी के पास अधिशेष	4,649.85	6,023.49
रेलवे के पास अन्य जमा	91,852.97	79,406.60
अन्य		
प्रदत्त व्यय	2,594.68	4,218.35
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	0.06	2.87
कुल	**1,06,283.37**	**94,867.81**

* यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट :– 13 इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
2 रुपये प्रत्येक के 12500 लाख इक्विटी शेयर	25,000.00	25,000.00
(31 मार्च 2023 को– प्रत्येक ₹ 2 के दर से 12500 लाख इक्विटी शेयर)	**25,000.00**	**25,000.00**
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक 2 के 8000 लाख इक्विटी शेयर	16,000.00	16,000.00
(31 मार्च 2023 को– प्रत्येक ₹ 2 के दर से 8000 लाख इक्विटी शेयर)		
	16,000.00	**16,000.00**

नोट:– 13.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	8,000.00	16,000.00	8,000.00	16,000.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	–	–	–	–
जारी/सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त इक्विटी पूंजी वर्ष के अंत में बकाया (नीचे नोट देखें)	**8,000.00**	**16,000.00**	**8,000.00**	**16,000.00**

नोट 13.2:– शेयरों से सम्बंधित अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

कंपनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर जिसका सम मूल्य प्रतिशयर ₹ 2 है (31 मार्च, 2023 को प्रत्येक ₹2/– रुपये)। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर के लिए एक मतदान का अधिकार है। अंतरिम लाभांश को छोड़कर, निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर अनुमोदन आगामी वार्षिक आम सभा की बैठक में लिया जाना हैं। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं है, अतः लिक्विडेशन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट:– 13.3 कंपनी में कुल शेयरों के 5% से अधिक रखने वाले शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयर की संख्या लाखो में	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या लाखो में	होल्डिंग का %
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	4,992.00	62.40%
भारतीय जीवन बीमा निगम	736.19	9.20%	674.13	8.43%
कुल	**5,728.19**	**71.60%**	**5,666.13**	**70.83%**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 13.4 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

वर्ष (2023-24) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर			
प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/- रुपये	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान बदलाव
भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	-
कुल	4,992.00	62.40%	

वर्ष (2022-23) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर			
प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/- रुपये	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान बदलाव
भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	-
कुल	4,992.00	62.40%	

नोट :- 13.5 रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद से पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरी तरह बोनस के माध्यम से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2024 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2023 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2022 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2021 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2020 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2019 को संख्या लाखो में
बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	1,200.00
कुल	-	-	-	-	-	1,200.00

नोट : - 14 अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सामान्य रिजर्व	62,991.70	59,491.70
प्रतिधारित कमाई	2,44,005.20	1,72,348.71
कुल	3,06,996.90	2,31,840.41

नोट:- 14.1 सामान्य रिजर्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथशेष	59,491.70	55,991.70
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरण	3,500.00	3,500.00
इतिशेष	62,991.70	59,491.70

नोट :- 14.2 प्रतिधारित आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथशेष	1,72,348.71	1,15,039.66
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन और लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव (नोट 52 और 84 देखें)	-	-
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित अवधि के दौरान लाभ	1,11,125.79	1,00,588.11
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	30.70	220.94

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	(16,000.00)	(12,000.00)
इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान	(20,000.00)	(28,000.00)
सामान्य रिजर्व में अंतरण	(3,500.00)	(3,500.00)
इतिशेष	**2,44,005.20**	**1,72,348.71**

प्रस्तावित और वितरित किया गया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
इक्विटी शेयरों पर घोषित और भुगतान किए गए नकद लाभांश		
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश : 2/- रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 2.00 रुपये (31 मार्च, 2023 - 1.50 रुपये अंकित मूल्य पर 2.00 रुपये प्रति शेयर)	16,000.00	12,000.00
वर्ष के दौरान 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक शेयर पर 2.50 रुपये अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया (31 मार्च, 2023 - 3.50 रुपये अंकित मूल्य पर 2.00 रुपये प्रति शेयर)	20,000.00	28,000.00
	36,000.00	**40,000.00**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश*		
अवधि के लिए प्रस्तावित लाभांश: प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 2/- रुपये है (31 मार्च, 2023 - 2 रुपये अंकित मूल्य पर 2.00 रुपये प्रति शेयर)	32,000.00	16,000.00
	32,000.00	**16,000.00**

* इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे 31 मार्च 2023 तक देयता के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

नोट 15 :- वित्तीय देयताएं- गैर चालू

नोट 15.1 :- अन्य

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिभूति	5,428.56	3,743.64
कुल	**5,428.56**	**3,743.64**

नोट:- 16 प्रावधान- गैर चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
सेवानिवृत्ति लाभ (नोट 20, 37.1 और 42 देखें)	11,609.51	10,544.37
कुल	**11,609.51**	**10,544.37**

नोट :- 17 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
आस्थगित अनुदान	39.43	83.84
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग*	1,687.96	1,474.81
प्राप्त अग्रिम	25.07	107.16
कुल	**1,752.46**	**1,665.81**

* यह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य और किए गए व्यय के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 61 (iii)(सी)देखें)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोटः- 18 वित्तीय देयताएं- चालू

नोट :- 18.1 व्यापार देय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(ए) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	9274.74	2483.31
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		
वस्तुओं हेतु	2,450.69	2,030.18
सेवाओं हेतु	88,015.54	80,701.98
कुल	99,740.97	85,215.47

एमएसएमई अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण:-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि और उस पर देय ब्याज:		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूल राशि	9274.74	2483.31
उपरोक्त पर देय ब्याज*	-	-
2. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
3. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) जोड़े बिना भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
4. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
5. सफल वर्षों में जब तक कि उस तिथि तक ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में देय और देय राशि की भी अधिक राशि भुगतान करने के लिए भुगतान की जाती है।	-	-

31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	8,660.80	146.61	2.21	15.94	8,825.56
(ii) अन्य	43,081.20	10,698.09	5,313.09	18,394.47	77,486.85
(iii)विवादित देय राशि - एमएसएमई	279.16	24.35	-	145.67	449.18
(iv) विवादित बकाया - अन्य	256.59	329.74	158.50	355.43	1,100.26
(v) बिना बिल किया हुआ	5,073.19	604.39	316.62	5,884.92	11,879.12
कुल	57,350.94	11,803.18	5,790.42	24,796.43	99,740.97

31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2,447.98	-	-	-	2,447.98
(ii) अन्य	43,625.10	8,529.80	4,250.91	18,604.74	75,010.55
(iii) विवादित देय राशि - एमएसएमई	30.73	-	3.97	0.63	35.33
(iv) विवादित बकाया - अन्य	3.00	-	0.02	73.16	76.18
(v) बिना बिल किया हुआ	771.04	112.64	9.64	6,752.11	7,645.43
कुल	46,877.85	8,642.44	4,264.54	25,430.64	85,215.47

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिभूति जमा	13,755.14	9,847.23
बयाना राशि जमा	14,564.69	5,598.68
इंटरनेट टिकटिंग के लिए वापसी योग्य	12,755.24	8,853.35
अन्य के प्रति देय के लिए -व्यय का प्रावधान	10,728.71	7,309.26
लीज किराया अग्रिम	1,741.50	1,741.50
अग्रिम वापसी योग्य (राज्य तीर्थ)	2,106.21	2,106.21
बकाया लाभांश	83.26	46.20
कुल	**55,734.75**	**35,502.43**

नोट :– 19 अन्य वर्तमान देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
ए) अनुबंध देयता		
असमाप्त रियायत शुल्क	182.65	172.66
असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क	6.35	7.38
असमाप्त लाइसेंस शुल्क	27,105.15	30,609.92
अग्रिम प्राप्त	11,191.76	10,162.37
	38,485.91	40,952.33
बी) अन्य		
रोलिंग जमा	46,711.13	50,620.67
वैट के लिए प्रावधान (सेवा कर का शुद्ध) (नोट संख्या 37.2 (iii) देखें)	8,251.01	8,251.01
सेवा कर के लिए प्रावधान	2,578.03	2,578.03
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग	331.24	1,072.31
वैधानिक बकाया	6,369.93	9,671.22
आस्थगित अनुदान	44.28	44.16
कुल	**1,02,771.53**	**1,13,189.73**

*यह आरंभिक मान्यता और किए गए व्यय पर वित्तीय देयता के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिशोधित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट:– 20 प्रावधान– चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 16, 37.1 और 42 देखें)	836.85	786.58
दावों और नुकसानों के लिए प्रावधान (नोट 37.1 देखें)	2,203.87	1,971.22
कुल	**3,040.72**	**2,757.80**

नोट :– 21 वर्तमान कर देयता

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर देनदारियां (अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	–	–
कुल	**–**	**–**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट:- 22 संचालन से राजस्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ए. उत्पादों की बिक्री		
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)	31,940.57	29,503.21
खानपान		
– खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री	5,678.93	2,099.23
गैर-रेलवे व्यवसाय		
– खानपान से आय	1,203.88	670.64
कुल-उत्पाद की बिक्री	**38,823.38**	**32,273.08**
बी. सेवाओं की बिक्री		
i) इंटरनेट टिकटिंग		
अर्जित सेवा शुल्क-आईआर टिकट	55.82	25.78
सुविधा शुल्क	86,220.20	80,196.71
लाइसेंस शुल्क-कॉल सेंटर से आय	6.85	21.01
विज्ञापन/एसबीआई को-ब्रांडेड कार्ड और लॉयल्टी कार्ड से आय	18,301.84	15,294.71
आईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि के शुल्क से आय।	24,945.89	24,265.21
(ए)	**1,29,530.60**	**1,19,803.42**
ii) खानपान सेवाओं से आय		
ऑन बोर्ड कैटरिंग और अन्य सेवाओं प्रदान करने से कैटरिंग और व्यापक सेवाओं से अर्जित आय- राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम/श्रमिक स्पेशल ट्रैन/आइसोलेशन कोच	1,00,849.21	80,002.88
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय		
रियायत शुल्क से आय	10,490.55	2,349.91
लाइसेंस शुल्क से आय	67,967.76	55,170.67
उपयोगकर्ता शुल्क-फूड प्लाजा से आय	4.61	7.08
लाइसेंस शुल्क-फूड प्लाजा से आय	8,524.13	7,348.25
(बी)	**1,87,836.26**	**1,44,878.79**
iii) पर्यटन और ट्रैन संचालन		
पर्यटन और ट्रैन संचालन	47,030.78	35,131.95
राज्य तीर्थ से आय	15,179.74	15,377.83
उपयोगकर्ता शुल्क-रेल यात्री निवास से आय	92.20	118.30
लाइसेंस शुल्क-रेल यात्री निवास से आय	1,198.77	432.71
महाराजा एक्सप्रेस-राजस्व	6,600.66	5,537.63
(सी)	**70,102.15**	**56,598.42**
iv) रेलनीर		
लाइसेंस शुल्क - रेलनीर (नोट संख्या 56 (ए) देखें)	683.72	522.70
(डी)	**683.72**	**522.70**
सेवाओं की कुल-बिक्री (ए+बी+ सी+ डी)	**3,88,152.73**	**3,21,803.33**
सी. अन्य परिचालन राजस्व		
स्क्रैप बिक्री-रेल नीर	41.74	70.88
परिचालन से राजस्व (सकल)	**4,27,017.85**	**3,54,147.29**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 23 अन्य आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
एफडीआर और टीडीआर पर ब्याज आय (सकल)	11,633.79	7,782.49
ब्याज आय – अन्य	403.58	351.15
म्युचुअल फंड से लाभांश आय	–	205.20
(ए)	**12,037.37**	**8,338.84**
अन्य गैर–परिचालन आय		
काउंटरमांडिंग शुल्क और जमा प्रतिभूति जब्त	254.55	49.40
अनुबंधों की जब्ती पर अर्जित आय	94.53	167.51
निविदा प्रपत्रों की बिक्री	6.73	3.25
विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव पर लाभ	–	15.93
पूंजीगत अनुदान का परिशोधन	44.28	44.00
आस्थगित प्रतिभूति के परिशोधन से आय– देयता	1,332.05	955.91
प्रतिभूति जमा पर छूट हटाने से ब्याज आय	2.92	3.05
संविदात्मक जुर्माना और दंड से प्राप्त आय	1,709.00	1,553.47
निवेश संपत्ति पर किराये की आय	234.98	235.00
विविध आय	731.36	676.69
(बी)	**4,410.40**	**3,704.21**
कुल	**16,447.77**	**12,043.05**

नोट:– 24 उपयोग की गई सामग्री की लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)		
ओपनिंग स्टॉक	484.68	453.85
जोड़ें: खरीद और व्यय	6,232.07	7,095.34
	6,716.75	**7,549.19**
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक	466.41	484.68
(ए)	**6,250.34**	**7,064.51**
विभागीय खानपान		
ओपनिंग स्टॉक	15.88	11.03
जोड़ें: खरीद और व्यय	949.76	507.72
	965.64	**518.75**
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक	17.00	15.88
(बी)	**948.64**	**502.87**
कुल (ए+बी)	**7,198.98**	**7,567.38**

नोट :– 25 स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
पुनर्विक्रय के लिए पीडी/पके हुए खाद्य पदार्थों की खरीद	5,233.04	1,913.82
खरीद – गैर–रेलवे खानपान	652.51	270.33
खरीद – रेलनीर (पीपीपी)	11,610.35	9,884.43
कुल	**17,495.90**	**12,068.58**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट:- 26 तैयार सामान की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति और व्यापार के लिए स्टॉक

रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	449.56	310.58
	449.56	310.58
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	602.18	449.56
	602.18	449.56
(वृद्धि)/ कमी	(152.62)	(138.98)
विभागीय खानपान		
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	-	0.07
पीडी वस्तुएं	2.09	3.33
	2.09	3.40
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	-	-
पीडी वस्तुएं	1.42	2.09
	1.42	2.09
(वृद्धि)/ कमी	0.67	1.31
लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनें		
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	8.74	13.93
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	9.50	8.74
(वृद्धि)/ कमी	(0.76)	5.19
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	(152.71)	(132.48)

नोट :- 27 लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं के व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रदान की जाने वाली खानपान और व्यापक सेवाओं का व्यय		
ऑन बोर्ड खानपान और अन्य शुल्क - राजधानी और शताब्दी/प्रीमियम/श्रमिक स्पेशल ट्रैन/ आइसोलेशन कोच	99,028.04	79,033.62
	99,028.04	79,033.62
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि का व्यय		
रियायत शुल्क	4,209.34	939.96
लाइसेंस शुल्क	29,994.32	24,303.29
उपयोगकर्ता शुल्क - फूड प्लाजा	1.84	2.83
लाइसेंस शुल्क - फूड प्लाजा	3,379.28	2,939.30
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	91.20	70.98
	37,675.98	28,256.36
	1,36,704.02	1,07,289.98

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 28 पर्यटन और ट्रैन संचालन का व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
पर्यटन और ट्रैन संचालन	36,018.67	25,752.18
राज्य तीर्थ का व्यय	11,849.82	12,238.26
लाइसेंस शुल्क – रेल यात्री निवास	479.51	173.09
उपयोगकर्ता शुल्क – रेल यात्री निवास	36.88	47.32
रखरखाव और अन्य शुल्क	1,874.88	1,558.75
लग्जरी टूरिस्ट ट्रैनों का खर्च	4,782.52	4,465.83
	55,042.28	44,235.43

नोट :– 29 विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रेल नीर (पैकेज्ड पेयजल)		
– संचालन और रखरखाव शुल्क	1,580.73	1,610.80
– लाइसेंस शुल्क भूमि	22.81	12.92
– विद्युत और ईंधन	1,061.28	1,104.20
– मरम्मत और रखरखाव – संयंत्र और मशीनरी	3.15	5.89
– रेलवे शेयर – रेलनीर	772.58	546.60
– मरम्मत और रखरखाव – अन्य	27.77	11.73
(ए)	3,468.32	3,292.14
खानपान		
– आगत लदान और उतरन भाड़ा–खानपान	221.28	81.92
– खाद्य निरीक्षण व्यय	151.23	58.78
– विद्युत और ईंधन	150.64	133.98
– अन्य प्रत्यक्ष व्यय	54.30	20.71
(बी)	577.45	295.39
इंटरनेट टिकटिंग		
– रखरखाव और अन्य शुल्क	3,821.70	3,498.68
– रद्दीकरण प्रभार	0.09	0.39
– रेलवे शेयर	223.99	234.45
– इंटरनेट उपयोग शुल्क	105.54	104.02
– कमीशन का भुगतान	8,032.19	6,207.47
– मैसेज पर खर्च	1,233.58	1,041.16
(सी)	13,417.09	11,086.17
कुल (ए+बी+सी)	17,462.86	14,673.70

नोट :– 30 कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	24,593.52	21,058.01
भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण और अन्य निधियों में अंशदान	3,630.91	2,829.07
उपादान	566.13	560.12
कर्मचारी कल्याण व्यय	114.25	105.21
	28,904.81	24,552.41

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :- 31 वित्त लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिभूति जमा पर छूट को समाप्त करना	1,258.44	876.47
लीज देयता पर ब्याज खर्च	606.05	625.00
आयकर पर ब्याज	-	109.78
	1,864.49	**1,611.25**

नोट :- 32 मूल्यह्रास और परिशोधन लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त संपत्ति पर मूल्यह्रास (नोट -3 और 5 देखें)	2,798.61	2,789.52
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (नोट -5 ए देखें)	188.45	270.65
संपत्ति के उपयोग अधिकार पर मूल्यह्रास (नोट-5बी देखें)	2,734.58	2,312.79
	5,721.64	**5,372.96**

नोट :- 33 अन्य व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत और पानी	169.79	257.31
कार्यालय किराया	91.88	108.09
आस्थगित सुरक्षा जमा (संपत्ति) के परिशोधन से व्यय	2.87	3.13
शुल्क, दरें और कर	1,459.38	810.04
मरम्मत रखरखाव और अन्य	1,304.65	909.59
बीमा	270.50	251.68
यात्रा खर्च	1,139.23	809.58
परिवहन व्यय	273.79	196.33
निदेशक का बैठने का शुल्क	12.60	10.80
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या-33.1 देखें)	43.01	42.45
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	2.11	2.13
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	7.25	6.54
सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क	0.25	0.33
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1,593.11	1,072.65
संचार व्यय	173.05	155.39
माल जावक और सीएफए शुल्क	5,108.82	4,870.90
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	274.21	181.78
विज्ञापन व्यय	858.58	568.90
व्यवसाय विकास/मार्केटिंग व्यय	266.07	236.70
विक्रेता आयोग	78.63	60.91
प्रतिभूति व्यय	432.48	397.24
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	3.91	-
अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	9.60	4.95
संदेहजनक ऋण और अग्रिम के लिए भत्ता	971.86	2,890.62
पिछले वर्ष के लिए आयकर	-	-
दावों और नुकसान के लिए प्रावधान	247.11	2.48
दंड	558.47	860.60
विविध व्यय	723.94	306.05
कुल	**16,077.15**	**15,017.17**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 33.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षक के रूप में भुगतान का विवरण		
लेखापरीक्षा का शुल्क	17.97	15.63
कर लेखापरीक्षा का शुल्क	5.03	4.38
अन्य क्षमता में		
सीमित समीक्षा शुल्क	11.34	10.32
अन्य प्रमाणपत्र	–	0.40
यात्रा पर प्रतिपूर्ति/व्यय	8.67	11.72
कुल	**43.01**	**42.45**

नोट :– 33.2 आपवादिक मदें (नोट संख्या 83 देखें)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अतिरिक्त बकाया लिखित प्रावधान	724.41	2,720.00
रेलनीर खंड के लाभ में रेलवे का शेयर	(1,451.24)	–
कुल	**(5,853.03)**	**2,720.00**

नोट :– 34 आयकर खर्च

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर शुल्क	39,276.54	37,322.40
पहले के वर्षों के लिए आयकर	303.69	1,146.50
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में (नोट 52 और 84 देखें)	(1,077.65)	(2,797.54)
पिछले वर्षों के लिए आस्थगित कर	–	(858.51)
कुल	**38,502.58**	**34,812.85**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	10.32	74.32
कुल	**10.32**	**74.32**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच समाधान :

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर संचालन से कर पूर्व लेखा लाभ	1,49,628.37	1,35,400.96
आयकर से पहले लेखा लाभ	**1,49,628.37**	**1,35,400.96**
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.17% (31 मार्च, 2023–25.17%) पर	37,661.46	34,080.42
कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं होने वाली राशियों का कर प्रभाव		
जोड़ें: आयकर में भारतीय लेखा मानक समायोजन की अनुमति नहीं है	(18.54)	(19.97)
देर से कर जमा करने पर दंड/ब्याज का भुगतान	28.25	4.93
आयकर के तहत अनुमत वस्तुओं का प्रभाव	117.91	396.53
सीएसआर व्यय	419.03	315.38

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर पर ब्याज	-	27.63
दर और अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	(9.22)	(280.06)
	537.43	444.44
प्रभावी आयकर दर पर	38,198.89	34,524.86
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय (निरंतर संचालन से संबंधित)	38,198.89	34,524.86
प्रभावी कर दर	25.53%	25.50%

नोट :- 35 अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	एफवीटीओसीआई रिजर्व	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (लाभ/(हानि)		
- उपादान	230.19	428.45
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	(189.17)	(133.19)
कुल	41.02	295.26
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर कर	(10.32)	(74.32)
कुल	(10.32)	(74.32)

नोट :- 36 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस		
निरंतर संचालन से	13.89	12.57
संचालन बंद करने से	-	-
डाइल्यूटेड ईपीएस		
निरंतर संचालन से	13.89	12.57
संचालन बंद करने से	-	-

36.1 प्रति शेयर मूल आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को लाभ:		
निरंतर संचालन से	1,11,125.79	1,00,588.11
संचालन बंद करने से	-	-
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त आय	1,11,125.79	1,00,588.11
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	8,000.00	8,000.00

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

36.2 प्रति शेयर कम की गई आय

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को लाभ:		
निरंतर संचालन	1,11,125.79	1,00,588.11
संचालन बंद करने से	-	-
निरंतर संचालन से प्रति शेयर आय में कमी की गणना में प्रयुक्त आय	1,11,125.79	1,00,588.11

प्रति शेयर आय कम करने के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या, प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मिलान निम्नानुसार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	8000.00	8000.00
डाइल्यूशन का प्रभाव:	-	-
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	8000.00	8000.00

नोट :- 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

नोट :- 37.1 प्रावधान,

भारतीय लेखा मानक -37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति" के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में किए गए प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार है: -

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता		पेंशन का प्रावधान		छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)		उपादान के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक
अथशेष	13,924.77	11,100.68	149.03	82.50	109.13	87.36	5,851.37	5685.13	1,342.37	1531.38
जोड़	585.64	2,824.09	386.22	66.53	2.99	21.77	1,204.52	593.98	335.94	131.67
उपयोगिता/योगदान	(0.15)	-	-	-		-	(447.06)	(427.74)	(512.65)	(320.68)
समायोजन / रिवर्सल	-	-	-	-		-	6.89	-	3.40	-
इतिशेष	14,510.26	13,924.77	535.25	149.03	112.12	109.13	6,615.72	5,851.37	1,169.06	1,342.37

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	विकल्प देनेवालों के लिए पेंशन का प्रावधान		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान		अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान		एलटीसी के लिए प्रावधान		दावों और नुकसान के लिए प्रावधान (नोट 56 (ए) देखें)	
	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 तक
अथशेष	544.99	658.85	5.63	(51.06)	3,339.46	2959.85	138.00	145.95	1,971.22	2,101.72
जोड़	-	-	348.05	263.25	606.24	388.03	42.55	9.15	247.11	104.64
उपयोगिता/योगदान	(69.72)	(113.86)	(347.05)	(206.56)	(18.88)	(8.42)	(42.30)	(17.10)	(14.46)	(132.98)
समायोजन / रिवर्सल	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	(102.16)
इतिशेष	475.27	544.99	9.13	5.63	3,926.82	3,339.46	138.25	138.00	2,203.87	1,971.22

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(i) प्रबंधन के अनुमानों के आधार पर संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बट्टे खाते में डाले गए खराब ऋणों के लिए ₹ 0.15 लाख की राशि का उपयोग किया गया है।

(ii) स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचने के लिए (आईआरसीटीसी -रेलवे) मानिद प्रतिनियुक्ति का विकल्प लेनेवालों के लिए प्रावधान किया गया है ताकि, आईआरसीटीसी की पेंशन देयता के अंतर के 100% परिवर्तन का पूरी तरह एक ही बार में निपटान हो सके जिससे पेंशन की मासिक आवर्ती देयता से बचा जा सकता है। मानिद प्रतिनियुक्ति विकल्पों के लिए छुट्टी नकदीकरण भुगतान के प्रावधान में ₹ 1.33 लाख शामिल हैं।

(iv) पेंशन के लिए प्रावधान उन कर्मचारियों के संबंध में देय योगदान का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने 31 मार्च, 2023 तक अपना एनपीएस खाता नहीं खोला है।

(v) दावों और नुकसान के लिए प्रावधान में पिछले वर्षों के दौरान लाइसेंसधारियों को दिए गए लाइसेंस शुल्क के रिफंड के रूप में देय ₹ 796.59 लाख की राशि के लाइसेंसधारियों को जीएसटी रिफंड का प्रावधान शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लाइसेंसधारी के पक्ष में दिए गए निर्णय के अनुसार लाइसेंसधारी को भुगतान के लिए 14.46 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

नोट :- 37.2 आकस्मिक देयताएं (प्रबंधन द्वारा निर्धारित, परिमाणित और प्रमाणित)

(i) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*:

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क.	सेवा कर	8,561.26	8,797.43
ख.	वैट और अन्य कर	3,285.52	3,464.83
ग.	आयकर	41.22	42.11
घ.	जीएसटी	1,218.18	251.30
ङ.	अन्य	9,950.86	10,852.21
	कुल	23,057.04	23,407.88

(ii) रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग (सी एंड के) का एक संयुक्त उद्यम है, जो दिनांक 10.12.2008 के जेवी समझौते के आधार पर आईआरसीटीसी से 15 वर्ष की लीज पर लग्जरी टूरिस्ट ट्रैन, महाराजा एक्सप्रेस को चलाने, संचालन और प्रबंधन के लिए ली जाएगी। इसने एक सीजन के लिए ट्रैन का संचालन किया और उसके बाद दोनों कंपनियों के प्रबंधन के बीच विवाद पैदा हो गया।

सीएंडके ने आईआरसीटीसी और आरआईआरटीएल के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ राहत की मांग करते हुए मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू की है जिसमें निम्न मांग की गई है- (i) जेवी समझौते को विशेष रूप से निष्पादित किया जाए (ii) जेवी समझोते को समाप्त किया जाए, (iii) जब तक सुनवाई और दावे के अंतिम निपटान तक लंबित है तब तक, यह निर्देश दिया जाएं कि ट्रैन आरआईआरटीएल के हिस्से के रूप में चलेगी (iv) आईआरसीटीसी को जेवी कंपनी के अनन्य उपयोग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए ट्रैन के रेक/कोचों का उपयोग करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए (v) जेवी समझौते के अनुसार ट्रैन के लिए एक औपचारिक पट्टा समझौता निष्पादित करना (vi) आईआरसीटीसी को जेवी कंपनी की कार्यशील पूंजी की हानि के लिए 2000 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए और (vii) वैकल्पिक रूप से और अप्रत्याशित घटना में जेवी समझौते के विशिष्ट निष्पादन को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो 3,5100 लाख की राशि के नुकसान का दावा करने की मांग।

दिनांक 26.07.2021 की कार्यवाही के दौरान, कॉक्स एंड किंग के वकील ने एक बयान दिया कि "दावेदार अपने दावे को ₹ 2270 लाख तक सीमित करना चाहता है, साथ ही ब्याज इस अनुबंध में खर्च की गई लागत है"। मामले में अंतिम दलीलें 28.02.2023 को सुनी गईं और मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने आईआरसीटीसी के पक्ष में दिनांक 31.07.2023 को एक पुरस्कार पारित किया है।

पुरस्कारों के अनुसार, आईआरसीटीसी ने मध्यस्थता में पूरी तरह से जीत हासिल की है और कॉक्स एंड किंग्स (सीएंडके) द्वारा दावा की गई राहत को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए, कंपनी पर उक्त पुरस्कार का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। मध्यस्थ निर्णय अंतिम हो गया है क्योंकि दावेदार द्वारा कोई अपील नहीं की गई है।

(iii) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर वैट मामला

आईआरसीटीसी उन ट्रैनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान कर रहा है जिनके रेलवे किराए में खानपान शुल्क शामिल है। वैट के आयुक्त ने अपने दिनांक 23.03.2006 के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2(जेडसी)(vii) के अर्थ के भीतर ट्रैनों में ऑन-बोर्ड खानपान सेवा को वस्तुओं की बिक्री माना है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

आईआरसीटीसी ने वैट के अपीलीय प्राधिकारी समक्ष अपील दायर की। प्राधिकरण ने दिनांक 07.09.2006 के आदेश द्वारा आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, यह टिपण्णी दी कि केंद्रीय अधिनियम से संबंधित यह कार्य आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है क्योंकि यह कर केवल उन वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर लगेगा जो राज्य से बहार एक से दूसरे राज्य के भीतर होता है।

आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके उक्त आदेश का विरोध किया और प्रार्थना की कि आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 के तहत मूल्य वर्धित कर लगाया नहीं जा सकता हैं और यह कि आईआरसीटीसी की ऑन-बोर्ड खानपान सेवाएं मुख्य रूप से ऐसी सेवाएं हैं जिनमें भोजन और पेय पदार्थ प्रदान किए जाते हैं और केवल सेवा कर के दायरे में आती हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैट आयुक्त के फैसले को बरकरार रखा और आईआरसीटीसी की याचिका को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आईआरसीटीसी वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, यह पहले से चुकाए गए सेवा कर का रिफंड ले सकता है।

निर्णय से व्यथित होकर, आईआरसीटीसी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित 19.7.2010 के निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। 2010 की एसएलपी 25292-25319 को स्वीकार कर लिया गया है और वह अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वैट प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग की वसूली पर यथास्थिति के रूप में अंतरिम निर्देश दिया है। इसलिए मामला न्यायाधीन है और आईआरसीटीसी वर्तमान में वैट का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, आईआरसीटीसी ने विवेकसम्मत लेखा नीति के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 तक (30 जून, 2017 तक) पूरे भारत में 8251.01 लाख के सेवा कर की वैट देयता प्रदान की है और ऊपर 37.2 (i) में शामिल नहीं किया गया है। संबंधित वैट इनपुट ग्राह्यता को सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष के रूप में दिखाया गया है।

(iv) कुछ लाइसेंसधारी जो ट्रैनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी के ठेकेदार हैं, ने भारतीय रेलवे द्वारा जारी 2013 के सीसी 67 के साथ पठित 2013 के सीसी 63 के अनुसार नियमित भोजन और कॉम्बो भोजन की दरों में अंतर के कारण मुआवजे की मांग करते हुए मध्यस्थता खंड के बारे में सूचित किया और 2014 के सीसी 32 के संदर्भ में 2014 से अब तक की अवधि के लिए प्रदान किए गए वेलकम पेय की कीमत के लिए दावे की मांग की। मध्यस्थ ने जनवरी 2015 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए उपरोक्त सेवाओं के लिए 13 याचिकाओं में ₹ 7471.65 लाख (लगभग) की राशि का निर्णय सुनाया।

तथ्यात्मक स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, यह ध्यान में रखना चाहिए कि दावेदार ने यात्रियों को प्रदान की गई उपरोक्त सेवाओं के लिए दिए गए चालान जमा करते समय कथित राशि का दावा नहीं किया। ये सभी अनुबंध एसबीडी अनुबंध हैं और खानपान नीति 2017 के बाद आईआरसीटीसी को सौंपे गए थे। यह भी ध्यान में लेना चाहिए कि भारतीय रेलवे के यात्रियों को सेवाएं प्रदान की गईं और भारतीय रेलवे को आईआरसीटीसी द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। इन परिस्थितियों में, निर्णय के परिणामस्वरूप आईआरसीटीसी की कोई देयता नहीं होगी और उपरोक्त निर्णयों के अनुसार प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि कंपनी पुरस्कारों पर विवाद करने का इरादा रखती है और यदि कंपनी को अंततः भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, तो उसे रेलवे से वसूली का अधिकार भी है। हालाँकि, इसे उपरोक्त 37.2 (i) में शामिल किया गया है। कंपनी ने आर्बिट्रल अवार्ड के खिलाफ आपत्ति दर्ज की है और माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने दिनांक 09.10.2023 के आदेश के तहत निगम को दी गई राशि जमा करने का निर्देश दिया है ताकि आर्बिट्रल अवार्ड के निष्पादन पर रोक लगाई जा सके। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, निगम ने ₹ 8471.65 लाख की बैंक गारंटी जमा कर दी ताकि उक्त पुरस्कार के निष्पादन पर रोक लगाई जा सके। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने उक्त मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

(v) राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण से ₹ 5041.44 लाख के लिए प्राप्त डिमांड नोटिस:

आईआरसीटीसी 4 स्वामित्व वाले संयंत्रों (पिछले वर्ष कंपनी के स्वामित्व वाले 5 संयंत्र थे) के माध्यम से केवल यात्रियों और रेलवे स्टेशनों पर बिक्री के लिए रेल नीर बोतलबंद पेयजल का निर्माता है। बिलासपुर संयंत्र वित्त वर्ष 2022-23 में पीपीपी संयंत्र में परिवर्तित हो गया और 12 संयंत्र पीपीपी मॉडल पर हैं। जीएसटी लागू होने के बाद, उत्पाद पर कर देयता 24% (उत्पाद शुल्क 12.5% (45% की कमी के साथ) + वैट 12.5%) से घटाकर 18% जीएसटी कर दी गई। भले ही जीएसटी लागू करने के बाद जीएसटी दरों में कोई कमी नहीं हुई, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने देखा कि कर का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया गया है और इस तरह, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के अंतर्गत ₹ 5041.44 लाख की मुनाफाखोरी राशि के लिए नोटिस जारी की गई।

स्टेशनों और ऑन-बोर्ड पर खानपान सेवाओं जैसे नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत रेल नीर आता है। यह भी एक तथ्य है कि रेल नीर की कीमत विभिन्न मानदंडों के आधार पर रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। रेलवे बोर्ड के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 72 के 2012 के माध्यम से वर्ष 2012 में 15/- की वर्तमान एमआरपी तय की गई थी। हालांकि रेल नीर का हस्तांतरण मूल्य 0-75 किलोमीटर मीटर के लिए 10 है, 75 किमी से ऊपर के लिए ₹ 10.50 और पूर्व रेल नीर संयंत्र ₹ 9.33 है जो रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। वर्ष 2012 से कच्चे माल, बिजली और मानव संसाधन की लागत में हुई वृद्धि के बावजूद, रेल मंत्रालय ने बाजार दर से कम कीमत पर मानकीकृत रेल नीर की आपूर्ति में अनिवार्य सरकारी कार्यों और सरकारी उद्देश्यों के एक हिस्से के रूप में रियायती दर को बरकरार रखा है। प्राधिकरण ने जीएसटी अधिनियम की धारा 171 की गलत व्याख्या समझी है और केंद्रीय पीएसयू के खिलाफ कारण शोकॉज नोटिस वापिस लेने की पूरी संभावना है, जो अनुमानों पर आधारित है। विशेष अधिवक्ता को नियुक्त कर शोकॉज नोटिस का विरोध किया जा रहा है। मामला अभी प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिए उक्त राशि के प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे उपरोक्त नोट 37.2 (i) में भी शामिल नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

हालाँकि, 23.11.2022 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 23/2022-केंद्रीय कर के अनुसार (1.12.2022 से प्रभावी), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को उन सभी मामलों पर निर्णय लेने के अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनमें जीएसटी अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले जीएसटी दरों में कमी पर उपभोक्ताओं को कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए, मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के तहत कार्यवाही पर निर्णय अब सीसीआई द्वारा किया जाएगा।

(vi) केरल सरकार ने केरल राज्य में रेलनीर की बिक्री के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रेलनीर की प्रति लीटर बोतल का एमआरपी ₹ 13/- निर्धारित किया है और कंपनी को ₹ 15/- के बजाय ₹ 13/- पर रेलनीर की बोतल बेचने की सलाह दी है। दिनांक 27.4.2022 के आदेश के तहत कारण बताओ और जब्ती के खिलाफ आदेश पर रोक है और रोक जारी है। इस मामले में अभी कोई अगली तारीख तय नहीं की गई है। चूंकि, इसके वित्तीय निहितार्थ का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसे आकस्मिक देनदारियों के उपरोक्त नोट 37.2 (i) में शामिल नहीं किया गया है।

(vii) कंपनी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई), पुणे से दिनांक 18.10.2012 को एक कारण बताओ सह मांग नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें विभाग ने ₹ 7902 लाख रुपये की मांग (उपरोक्त नोट संख्या 37 (2) (i) में शामिल) इस आधार पर की है कि आईआरसीटीसी ने अचल संपत्ति सेवाओं के किराये, आउटडोर कैटरिंग, व्यवसाय सहायक सेवाओं, मूर्त माल आपूर्ति और रेल ट्रैवल एजेंट के तहत आने वाली विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।

विभाग के अनुसार, आईआरसीटीसी ने फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिटों और विभिन्न स्टेटिक यूनिटों आदि को अन्य खानपान/वेंडिंग ठेकेदारों को पट्टे पर दिया है, जिसके लिए आईआरसीटीसी को लाइसेंस शुल्क प्राप्त हुआ है। डीजीसीईआई के अनुसार, "अचल संपत्ति को किराये पर देना" सेवा श्रेणी के तहत उक्त लाइसेंस शुल्क पर सेवा कर देय है।

आईआरसीटीसी की राय में, ऐसी सेवाएं "अचल संपत्ति को किराये पर देना" सेवाओं की सेवा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती हैं क्योंकि भूमि का स्वामित्व भारतीय रेलवे के पास है न कि आईआरसीटीसी के पास और इसका उद्देश्य यात्रियों की सेवा करना है न कि लाभ कमाना। आईआरसीटीसी ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की जो प्रक्रियाधीन है।

इस बीच, वित्त वर्ष 2019-20 में, "अचल संपत्ति को किराये पर देना" के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की संवैधानिक वैधता को कुछ अन्य पीड़ित करदाताओं (निर्धारितियों) द्वारा एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से चुनौती दी गई है और इसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस पर अंतिम सुनवाई 08.05.2019 को हुई थी और उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उपरोक्त एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सीईएसटीएटी द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

नोट :- 37.3 आकस्मिक परिसंपत्ति

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	पार्टी का नाम	विवरण	अपीलीय प्राधिकरण	पुरस्कार राशि (31 मार्च, 2024 तक)	पुरस्कार राशि (31 मार्च, 2023 तक)
1	ए.के. रॉय बनाम आईआरसीटीसी	2577-78, 5279-80, 2395-96, 9165/66/67-68, 2555-56, 2569-70, 2213-14,2203-04, 2061-62, 2209-10, 1043-44	पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित	21.95	21.95
2	सीकेके कैटरर्स	वसूली के लिए मुकदमा	मुकदमा लंबित	102.00	102.00
3	ट्रावेल खाना	सेवा प्रदाता ने ई-कैटरिंग के संबंध में राशि जमा नहीं की	मध्यस्थता	13.29	13.29
4	रेलवे	यात्री प्रतिक्रिया प्रणाली	लागू नहीं	638.41	638.41

यदि कंपनी अंततः इन दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है तो रेलवे से वसूली के अधिकार के लिए नोट 37.2 (iv) और प्रतिनियुक्तिकर्ताओं को अनुग्रह/प्रदर्शन संबंधी भुगतान के संबंध में नोट 79 देखें।

नोट :- 38 भुगतान गेटवे और बैंक समाधान

कंपनी इंटरनेट के माध्यम से रेलवे आरक्षण का प्रबंधन कर रही है, जिसके लिए लगभग सभी भुगतान साधन उपलब्ध हैं। पेमेंट गेटवे (पीजी)/नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई/वॉलेट आदि का उपयोग किया जा रहा है। उनमें से, पुरानी साइट से संबंधित कुछ पुराने पीजी खाते थे जो निष्क्रिय थे और कुछ बैंक पक्ष/तकनीकी मुद्दों के कारण समाधान के लिए लंबित थे। इसका अंतिम समाधान प्रक्रिया में है। लंबित समाधान के लिए, वर्तमान वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023 ₹ 291.59 लाख बकाया डेबिट का 100% है) के दौरान ₹ 201.76 लाख (बकाया डेबिट का 100%) के संदिग्ध के लिए प्रावधान किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट:– 39: अधिशेष पुष्टिकरण

व्यापार प्राप्तिया

ए. रेलवे अधिशेष

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, भुगतान किए गए अग्रिम और प्रतिभूति जमा के रूप में रेलवे बकाया, रेलवे से समाधान और पुष्टि के अधीन हैं और इसमें रेलवे से खानपान के अधिग्रहण से पिछले बकाया भी शामिल हैं। कंपनी ने रेलवे से बकाया की पहचान करने और उसे अलग करने की प्रक्रिया में है। रेलवे/सरकारी निकायों को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि उनकी पुस्तकें नकद आधार पर रखी जाती हैं। कंपनी ने 31 मार्च, 2024 (31 मार्च, 2023 ₹ 6740.52 लाख) की स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार रेलवे से प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 9047.52 लाख का प्रावधान किया है, जो प्रबंधन के वसूली के संदेह में है।

बी. तृतीय पक्ष अधिशेष

तृतीय पक्ष पार्टी का अधिशेष विभिन्न पार्टी से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। शेष पुष्टिकरण पत्र निजी पार्टियों को भेजे गए हैं लेकिन पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है। आईआरसीटीसी ने 31 मार्च, 2024 (31 मार्च, 2023 ₹ 7184.24 लाख) की स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 5,462.69 लाख का प्रावधान किया है, जो प्रबंधन के वसूली के लिए संदिग्ध हैं।

अन्य देय और बैंक

ये शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। हालांकि, आईआरसीटीसी ने इन पार्टियों को बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भेजे हैं लेकिन रिस्पांस संतोषजनक नहीं है

नोट :– 40 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

31 मार्च 2024 को ₹ 7683.47 लाख की राशि के लिए प्रदान नहीं किए गए पूंजीगत खाते पर शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि 31 मार्च 2023 को ₹ 25182.85 लाख थी।

नोट :– 41

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम का मूल्य, यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है, तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होनेवाली राशियां और व्यवसाय से देय राशि/ अन्य पार्टियों और बैंक बैलेंस सहित व्यापार प्राप्तियों / देय राशियों का बैलेंस पुष्टि और समाधान के अधीन है।

नोट :– 42

कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं/परिभाषित अंशदान योजना का सामान्य विवरण:

(i) उपादान: उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की वेतन की दरसे सेवा छोड़ने पर देय है। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए ₹ 20 लाख की उपादान सीमा पर विचार किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकनसभी कर्मचारियों के लिए कर दिया चाहे उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।

(ii) छुट्टी नकदीकरण: स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए तुलनपत्र की तारीख को, मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी वेतन का प्रावधान किया जाता है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाए बिना दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए।

(iii) अर्धवेतन छुट्टी: उन पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अर्धवेतन छुट्टी एकत्र की है। तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान किया जाता है।

(iv) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) : योग्य कर्मचारियों को तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

(v) भविष्य निधि: कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12% और कॉर्पोरेशन के समतुल्य योगदान को जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है इसका लेखा जोनल भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है। भविष्य निधि में कॉर्पोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(vi) इतर सेवा योदान : सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तियों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉर्पोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तियों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए इतर सेवा योगदान प्रोद्भवन आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(vii) राष्ट्रीय पेंशन योजना: एनपीएस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित योगदान योजना है। इस तरह की योजना के तहत देय मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10% योगदान के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। कंपनी ऐसी योजना में देय अंशदान को सेवा के दौरान कर्मचारियों के लिए व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(viii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी): तुलनपत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, प्रदान किया गया।

परिभाषित दायित्वों के संबंध में भारतीय लेखा मानक -19 "कर्मचारी लाभ" के तहत आवश्यक अन्य प्रकटीकरण हैं:

(ए) बीमांकिक अनुमान

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.23%	7.36%
(ii)	मृत्यु दर	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2012-14)	इंडियन अश्योर्ड लाइव्ज मोर्टेलिटी (2012-14)
(iii)	परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	7.23%	7.36%
(iv)	वेतन वृद्धि	10%	10%
(v)	उन्मूलन दर	2%	2%
(vi)	बीमांकिक मूल्यांकन में भावी देयता वृद्धि के अनुमान पर विचार किया जाता है, मुद्रास्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है		

(बी) बीमांकिक विधि

प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (PUC) बीमांकिक विधि का उपयोग सेवानिवृत्ति, सेवा काल में मृत्यु और वापसी के लिए बहिर्गमन कर्मचारियों के प्लान की देयताओं का आकलन करने और सेवा में रहते समय अनुपस्थिति की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है।

(सी) नियोक्ता व्यय के घटक

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान*		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	वर्तमान सेवा लागत	467.33	450.17	461.63	434.09	265.88	241.45	10.47	11.15	158.46	133.73
(ii)	पिछली सेवा लागत	-	-								
(iii)	संक्षेप लागत										
(iv)	समापन लागत										
(v)	कुल सेवा लागत	467.33	450.17	461.63	434.09	265.88	241.45	10.47	11.15	158.46	133.73
	शुद्ध ब्याज लागत										
(vi)	डीबीओ पर ब्याज व्यय	457.93	417.60	430.56	408.10	245.78	212.52	10.15	10.48	139.12	109.20
(vii)	ब्याज (योजना परिसंपत्ति पर आय)	(359.13)	(307.64)	-	-					138.71)	(112.87)
(viii)	कुल शुद्ध ब्याज	98.80	109.96	430.56	408.10	245.78	212.52	10.15	10.48	0.41	(3.67)
(ix)	तत्काल स्वीकृत (लाभ)/हानि अन्य दीर्घावधि लाभ			312.33	(248.22)	94.58	(65.94)	21.93	(12.48)		
(x)	**पी एंड एल में शामिल तय लाभ लागत**	566.13	560.13	1,204.52	593.97	606.24	388.03	42.55	9.15	158.87	130.06

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(डी) लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल परिभाषित लाभ लागत

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	जनसांख्यिकी अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–	–	–	–	–		
(ii)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	119.08	(159.47)	118.85	(165.54)	69.78	(93.36)	2.76	(4.41)	38.04	(44.69)
(iii)	डीबीओ पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(329.04)	(261.21)	193.48	(82.68)	24.80	27.42	19.17	(8.07)	157.26	176.31
(iv)	छूट दर की तुलना में योजना परिसंपत्ति (से अधिक)/ से कम	(20.23)	(7.78)	–	–					(6.13)	1.57
(v)	ओसीआई में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(230.19)	(428.45)					–	–	189.17	133.19
(vi)	लाभ और हानि और ओसीआई (तय लाभ लागत) में मान्यता प्राप्त कुल लागत										
(vii)	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लागत	566.13	560.13	1,204.52	593.97	606.24	388.03	42.55	9.15	158.87	130.06
(viii)	ओसीआई में स्वीकृत प्रभावित पुनर्मापन	(230.19)	(428.45)					–	–	189.17	133.19
(ix)	कुल तय लाभ लागत	335.94	131.68	1,204.52	593.97	606.24	388.03	42.55	9.15	348.04	263.25

(ई) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,870.03	6,221.90	6,614.37	5,850.03	3,926.82	3,339.46	138.25	138.00	2,380.19	1,890.32
(ii)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	5,700.99	4,879.54	–	–					2,371.06	1,884.69
(iii)	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(हानि)	(1,169.04)	(1,342.36)	(6,614.37)	(5,850.03)	(3,926.82)	(3,339.46)	(138.25)	(138.00)	(9.13)	(5.63)
(iv)	अस्वीकृत पिछली सेवा लागतें										
(v)	तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/ (देयता) की स्वीकृति	(1,169.04)	(1,342.36)	(6,614.37)	(5,850.03)	(3,926.82)	(3,339.46)	(138.25)	(138.00)	(9.13)	(5.63)
(vi)	नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य										
(vii)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य										
	वर्तमान देयताएं	193.87	215.44	219.49	186.57	168.13	134.19	138.25	138.00	4.99	3.25
	गैर-वर्तमान देयताएं	975.17	1,126.92	6,394.88	5,663.46	3,758.69	3,205.27	–	–	4.14	2.38

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(एफ) समाप्त होने वाली अवधि के दौरान दायित्व में परिवर्तन

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,221.92	5,816.11	5,850.04	5,683.81	3,339.46	2,959.85	138.00	145.94	1,890.34	1,520.88
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	467.33	450.17	461.63	434.09	265.88	241.45	10.47	11.15	158.46	133.73
(iii)	ब्याज लागत	457.93	417.60	430.56	408.10	245.78	212.52	10.15	10.48	139.12	109.20
(iv)	योजना संशोधन										
(v)	पूर्व सेवा लागत										
(vi)	संक्षेप	–	–								
(vii)	अधिग्रहण समायोजन	3.40	–	6.89	–					2.50	
(viii)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(209.96)	(420.67)	312.33	(248.22)	94.58	(65.94)	21.93	(12.48)	195.30	131.62
(ix)	भुगतान किए गए लाभ	(70.58)	(41.31)	(447.07)	(427.74)	(18.88)	(8.43)	(42.31)	(17.10)	(5.53)	(5.09)
(x)	परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य (समापन)	6,870.05	6,221.92	6,614.38	5,850.04	3,926.83	3,339.46	138.25	138.00	2,380.19	1,890.34

(जी) योजना परिसंपत्तियों के मूल्यों के ओपनिंग और क्लोजिंग का मिलान

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	4,879.53	4,284.74	–	–	–	–			1,884.69	1,571.93
(ii)	अधिग्रहण समायोजन						–				
(iii)	योजना परिसंपत्ति पर निर्धारित रिटर्न	359.13	307.64				–			138.71	112.86
(iv)	योगदान	512.65	320.68	–	–	–		–	–	341.52	201.47
(v)	भुगतान किए गए लाभ	(70.58)	(41.31)	–	–	–				–	-
(vi)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	20.23	7.78	–	–	–		–	–	6.13	(1.57)
(vii)	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	5,700.98	4,879.53	–	–	–	–			2,371.05	1,884.69

(एच) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	ओपनिंग ओसी (संचयी अस्वीकृत हानि/(लाभ)										
(ii)	डीबीओ पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(209.96)	(420.67)	–	–	–	–	–	–	195.30	131.62
(iii)	संपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(20.23)	(7.78)	–	–	–	–	–	–	(6.13)	1.57
(iv)	परिशोधन बीमांकिक (हानि)/लाभ										
(v)	ओसीआई में नेशुद्ध वृद्धि	(230.19)	(428.45)	–	–	–	–	–	–	189.17	133.19
(vi)	पूर्व सेवा लागत का परिशोधन										
(vii)	अन्य व्यापक आय में कुल स्वीकृति	(230.19)	(428.45)							189.17	133.19

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(आई) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति (देयता)/ देयता	(1,342.36)	(1,531.38)	(5,850.04)	(5,683.81)	(3,339.46)	(2,959.86)	(138.00)	(145.95)	(5.64)	51.05
(ii)	अवधि की शुरुआत में संचित ओसीआई/हानि में स्वीकृत राशि	-	-								
(iii)	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि की शुरुआत में समायोजन से पहले)	(1,342.36)	(1,531.38)	(5,850.04)	(5,683.81)	(3,339.46)	(2,959.86)	(138.00)	(145.95)	(5.64)	51.05
(iv)	अवधि के लिए शुद्ध आवधिक लाभ (लागत)/आय	(566.13)	(560.13)	(1,204.52)	593.97	(606.24)	(388.03)	(42.55)	(9.15)	(158.87)	(130.06)
(v)	नियोक्ता का योगदान	509.25	320.68	440.18	427.74	18.88	8.42	42.31	17.10	344.55	206.56
(vi)	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि के अंत में समायोजन से पहले)	(1,399.23)	(1,770.81)	(6,614.38)	(5,850.04)	(3,926.82)	(3,339.47)	(138.24)	(138.00)	180.04	127.55
(vii)	अवधि के अंत में संचित अन्य व्यापक आय/(हानि) में स्वीकृत राशि	230.19	428.45					-	-	(189.17)	(133.19)
(viii)	शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति/ (देयता) वर्ष की अंत की अवधि में स्वीकृति	(1,169.04)	(1,342.36)	(6,614.38)	(5,850.04)	(3,926.82)	(3,339.47)	(138.24)	(138.00)	(9.13)	(5.64)

(जे) प्रतिपूर्ति अधिकारों के उद्घाटन और समापन मूल्यों का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	छुट्टी नकदीकरण	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	अवधि के आरंभ में प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य	5,257.44	4,916.24
(ii)	प्राप्ति समायोजन		
(iii)	प्रतिपूर्ति अधिकारों पर अपेक्षित रिटर्न		
(iv)	योगदान	331.26	-
(v)	लाभ का भुगतान किया गया	-	-
(vi)	व्यय का शुद्ध प्रतिपूर्ति पर वापसी	400.57	341.20
(vii)	अवधि के अंत में प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य	5,989.27	5,257.44

(के) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी उपादान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंपनी ने छुट्टी नकदीकरण के भुगतान के लिए एलआईसी से ग्रुप लीव इनकैशमेंट स्कीम ली है। जिसे उपरोक्त योजनागत संपत्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(एल)संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

	अनुमानों में परिवर्तन	उपादान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	अर्धवेतन वेतन पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	पीआरएमबी पर प्रभाव
छूट दर	0.50% की वृद्धि	-442.89	-455.29	-267.37	-	-
	0.50% की कमी	485.78	512.5	300.71	-	-
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	92.72	489.75	287.38	-	-
	0.50% की कमी	-101.11	-450.44	-264.51	-	-

उपरोक्त संवेदनशील विश्लेषण धरना में परिवर्तन के आधार पर होता है जबकि अन्य सभी मान्यताओं को निरंतर रखता जाता है। व्यवहार में, यह होने की संभावना नहीं है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय, वही स्थिति (अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि) को वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

(एम) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	वर्ष	उपादान	छुट्टी नकदीकरण	अर्ध वेतन छुट्टी	एलटीसी	पीआरएमबी
ए	0 से 1 वर्ष	193.87	219.49	168.13	-	-
बी	1 से 2 वर्ष	298.45	284.48	163.92	-	-
सी	2 से 3 वर्ष	195.71	205.1	116.32	-	-
डी	3 से 4 वर्ष	213.72	202.12	114.17	-	-
ई	4 से 5 वर्ष	224.40	194.69	120.73	-	-
एफ	5 से 6 वर्ष	189.99	167.53	95.81	-	-
जी	6 वर्ष बाद	5,553.90	5340.97	3,147.74	-	-

नोट :- 43

वर्ष 2023-24 के दौरान, रेल मंत्रालय के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन और खानपान नीति के अनुसार, विभिन्न जोनल रेलवे के साथ भागीदारी की गई है।

नोट :- 44 संबंधित पार्टी प्रकटन

भारतीय लेखा मानक- 24 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं: -

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड
सहायक	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	(i) श्रीमती रजनी हसीजा, निदेशक (टी एंड एम), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ (31.05.2023 से समाप्त)
	(ii) श्रीमती सीमा कुमार, अतिरिक्त सदस्य (टी एंड सी)/रेलवे बोर्ड, आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ (01.06.2023 से 09.01.2024 तक नियुक्त)
	(iii) श्री संजय कुमार जैन, सीएमडी, आईआरसीटीसी (10.01.2024 से नियुक्त)
	(iv) श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) और सीएफओ
	(v) डॉ. लोकैया रविकुमार, निदेशक (खानपान सेवाएं)
	(vi) श्री कमलेश कुमार मिश्रा, ईडी (बीडी)/रेलवे बोर्ड, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ (01.06.2023 से 16.02.2024 तक नियुक्त)
	(vii) श्री राहुल हिमालयन, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (16.02.2024 से नियुक्त)
	(viii) श्री नीरज शर्मा (नामित निदेशक)
	(ix) श्री मनोज कुमार गांगेय (नामित निदेशक)
	(x) श्री विनय कुमार शर्मा (स्वतंत्र निदेशक)
	(xi) श्री नामग्याल वांगचुक (स्वतंत्र निदेशक)
	(xii) श्री देवेन्द्र पाल भारती (स्वतंत्र निदेशक) (09.06.2023 से नियुक्त)
	(xiii) श्रीमती सुमन कालरा (कंपनी सचिव)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 44.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन-देन

वर्ष के दौरान निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक इस प्रकार था:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
लघु अवधि के लाभ	237.21	206.77
रोजगार उपरांत लाभ*	22.96	23.93
	260.17	230.70

*उपरोक्त में रोजगारोत्तर लाभ के लिए दीर्घकालिक योगदान/प्रावधान शामिल नहीं है

नोट 44.2 स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क	12.60	10.80

नोट 44.3 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

आईआरसीटीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसका नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा बहुसंख्यक शेयरों को धारण करके किया जाता है। भारतीय लेखा मानक 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिस इकाई पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन-देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ के आधार पर किया जाता है। आईआरसीटीसी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूटों को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएं जिनके साथ आईआरसीटीसी के महत्वपूर्ण लेन-देन शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, वे निम्नानुसार है:-

कंपनी का नाम:

रेल मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार (कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव)
रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)
क्रिस (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)
रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित)

कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन:-

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2023-24	2022-23
1	रेलवे	खानपान और व्यापक सेवाओं, ऑन बोर्ड खानपान और अन्य सेवाओं से आय- राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम ट्रेन	98,818.70	80,002.88
2	रेलवे	लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं पर रेलवे का शेयर	37,586.30	28,256.36
3	रेलवे	रेलनीर पर रेलवे का शेयर	2,223.82	546.60
4	रेलवे	इंटरनेट टिकट सेवा शुल्क और विज्ञापन, कार्यालय किराया और पानी और बिजली पर रेलवे शेयर	361.81	374.04
5	रेलवे	महाराजा एक्सप्रेस, तेजस और अन्य ट्रैनों पर ढुलाई शुल्क	21,463.64	13,776.95
6	रेलवे	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2,307.00	1,666.62
7	रेलवे	फ्लैटों के निर्माण के लिए पूंजी अग्रिम	-	64.55
8	क्रिस	रखरखाव और विकास पर व्यय और इंटरनेट टिकटिंग के लिए लीज्ड लाइन व्यय	1,577.84	1,599.73
9	क्रिस	आय-एकीकृत 139 एवं रेल मदद	1,164.05	729.61
10	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लीज लाइन और रखरखाव और विकास व्यय	655.93	454.65
11	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	रखरखाव और विकास व्यय	176.82	46.53

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

अन्य प्रकटन:

कंपनी ने उसके माध्यम से बुक की गई ट्रैन टिकटों के भुगतान के संबंध में रेल मंत्रालय को इंटरनेट टिकटिंग के लिए 31 मार्च, 2024 तक ₹ 91,472.98 लाख (31 मार्च, 2023 को ₹ 79,026.60 लाख) रोलिंग जमा के रूप में दिए।

ये लेन-देन कंपनी के सामान्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रित किए जाते है।

रोज़गार पश्चात लाभ योजनाओं के साथ लेन-देन अलग-अलग ट्रस्ट फंडों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	ट्रस्ट फंड का नाम	विवरण	2023-24	2022-23
भुगतान का प्रेषण				
1	आईआरसीटीसी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	योगदान	512.65	320.68
2	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	योगदान	341.52	201.47

नोट 44.4 संयुक्त उद्यम के साथ शेष राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
(i)	निवेश	250.00	250.00
(ii)	निवेश के मूल्य में क्षति	(250.00)	(250.00)
(iii)	अग्रिम लीज किराया	1,741.50	1,741.50
(iv)	लीज किराया प्राप्ति	269.08	269.08
(v)	व्यापार देयताएं	(1,471.71)	(1,471.71)

कंपनी के शेयर के निवेश मूल्य में क्षति अर्थात 250.00 लाख का आरआईआरटीएल के संचयी हानि को इसके शुद्ध मूल्य से हटा दिया गया है। इसके अलावा, आरआईआरटीएल के 2011-12 से 2023-24 के तुलनपत्र को अंतिम रूप मैसर्स कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ लंबित विवाद नहीं सुलझाने के कारण नहीं दिया गया है।

नोट 44.5 सहायक कंपनी के साथ लेनदेन और शेष

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन की प्रकृति	31-03-2024	31-03-2023
1	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	आवेदन राशि साझा करें (लंबित आवंटन)	1,500.00	-
2	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड के प्रारंभिक व्यय	24.13	-
3	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	शेष राशि वसूली योग्य	24.13	-

नोट :- 45 संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

कंपनी ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर 50-50 बराबर भागीदारी के साथ रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के संयुक्त उपक्रम के रूप में 10 दिसंबर 2008 को एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया। हालांकि इक्विटी भागीदारों के बीच मुद्दों के कारण, आईआरसीटीसी ने 12 अगस्त 2011 को कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ समझौते समाप्त कर दिया, और आरआईआरटीएल से ट्रैन भी वापस ले ली।

संयुक्त उद्यम कंपनी में कंपनी के स्वामित्व हित का शेयर, परिसंपत्ति, देयता, आय, व्यय, आकस्मिक देयताएं और पूंजी प्रतिबद्धताओं का दोनों पार्टियों के बीच विवाद के चलते उनके लेखों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 31 मार्च, 2024 तक उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण भारतीय लेखा मानक 110 के अनुरूप अपेक्षित समग्रित वित्तीय विवरण नहीं बना है। ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक के अनुसार अलग हैं।

क्रम सं	संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का %	परिसंपत्तियाँ	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजी प्रतिबद्धताएं
1	आरआईआरटीएल	50%	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 46 परिसंपत्तियों की क्षति

आईआरसीटीसी ने 31 मार्च, 2024 को कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त और आरओयू परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि में हानि के किसी भी संकेत के लिए आकलन किया है। इस तरह के आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, आईआरसीटीसी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए वर्ष के दौरान कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

गोल्डन चैरियट और भारत गौरव ट्रेनों की भविष्य की लाभप्रदता के वर्तमान मूल्य के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक आरओयू की कोई हानि आवश्यक नहीं मानी गई, भले ही इन ट्रेनों का संचालन मार्च तक घाटे में था।

नोट :– 47 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि और बोर्ड द्वारा स्वीकृत

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि	1,664.80	1,253.00
2	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि	1,664.80	1,253.00

(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण:-

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24			2022-23		
		नकद में (ए)	चल रही परियोजनाओं पर नकद में व्यय किया जाना शेष है (बी)	कुल (ए+बी)	नकद में (ए)	चल रही परियोजनाओं पर नकद में व्यय किया जाना शेष है (बी)	कुल (ए+बी)
i)	किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण						
ii)	ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर						
ए)	स्वच्छ भारत कोष और नमामि गंगे पर व्यय	-	-	-	295.98	-	295.98
बी)	शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय	637.13	149.93	787.06	357.57	96.98	454.55
सी)	इच्छित जिला	253.38	53.68	307.06	90.78	17.65	108.43
डी)	स्वच्छता, सामाजिक सशक्तिकरण एवं पर्यावरण पर व्यय	206.86	54.04	260.90	110.49	19.58	130.07
ई)	सशस्त्र सेनाएँ	61.14	-	61.14	5.00	-	5.00
एफ)	आईआईटी के लिए अनुसंधान एवं विकास	-	-	-	44.22	11.06	55.28
जी)	पीएम केयर फंड	171.11	-	171.11	150.00	-	150.00
एच)	कौशल विकास और खेल	53.05	22.71	75.76	47.69	6.00	53.69
आई)	अन्य (रेलनीर सामुदायिक भोजन की आपूर्ति एवं प्रशासनिक व्यय आदि)	1.77	-	1.77	-	-	-
	कुल	1384.44	280.36	1664.80	1101.73	151.27	1253.00

नोट 47.1 – कमी

विवरण	2023-24	2022-23
साल के अंत में कमी	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट 47.2 – चल रही परियोजनाओं के लिए अव्ययित राशि का विवरण

वर्ष	चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च नहीं की गई कुल राशि	2023-24 के दौरान खर्च की गई कुल राशि	31 मार्च, 2024 तक खर्च की जाने वाली शेष राशि	टिप्पणियां
2023-24	280.36	-	280.36	अलग बैंक खाते में जमा किया गया
2022-23	151.27	77.55	73.72	अलग बैंक खाते में जमा किया गया
2021-22	51.48	51.48	-	-
2020-21	2.18	-	2.18	अलग बैंक खाते में जमा किया गया

नोट 47.3 वर्ष के दौरान किए गए सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था।

नोट 47.4 सीएसआर प्रावधानों में हलचल इस प्रकार है

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान (ब्याज आय का शुद्ध)	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	समापन शेष
1	2023-24	204.75	280.54	-129.03	356.26
2	2022-23	126.39	151.27	-72.91	204.75

नोट 47.4: चल रही परियोजनाओं का विवरण 31 मार्च 2024

चालू और चालू परियोजना के अलावा अन्य के मामले में						
प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाता		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाता	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाता
151.27	53.60	1,664.80	1384.44	129.03	280.28	75.98

नोट 47.5 : चल रही परियोजनाओं का विवरण 31 मार्च 2023

चालू और चालू परियोजना के अलावा अन्य के मामले में						
प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि		अंतिम शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाता		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अव्ययित खाता	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अव्ययित खाता
124.39	-	1,253.00	1,099.61	72.91	151.27	53.60

31 मार्च तक कंपनी के पास पड़ी अव्ययित सीएसआर की राशि निर्धारित समय सीमा के भीतर अलग बैंक खाते में जमा की जाती है।

नोट :- 48 नकद और नकद समकक्षों के अतिरिक्त बैंक बैलेंस

आईआरसीटीसी ने भारतीय स्टेट बैंक से ₹ 10,000 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10,000 लाख) की सावधि जमा पर ₹ 12,000 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12,000 लाख) की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त की है। यह ओवरड्राफ्ट की सुविधा के लाभ के लिए इस अवधि में सावधि जमा की दर से @ 1% अधिक होगी। सावधि जमा दावा करने योग्य है।

नोट :- 49 रेलवे शेयर

(ए) लाइसेंस शुल्क/सेवा शुल्क सकल मूल्य पर दिखाया गया है और भारतीय रेलवे को तद्रूप शेयर का भुगतान/बकाया को नोट संख्या 27, 28, 29 और 33.2 के तहत व्यय के रूप में दिखाया गया है।

(बी) रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच दिनांक 17.01.2007 को हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार, रेलनीर पर रेलवे को दिए जाते राजस्व का उल्लेख श्रेणी। "यात्री सुविधाएं जैसे स्टाल का प्रबंधन, रेलवे स्टेशन पर जलपान कक्ष, पेंट्री कार सेवाएं, रेल नीर आदि जहां सेवाएं भुगतान किए गए यात्रियों तक ही सीमित हैं और वस्तुओं की बिक्री और टैरिफ रेलवे द्वारा निर्धारित और नियंत्रित किए जाते हैं। इस गतिविधि के लिए सेवा प्रदाता को मिलने वाला लाभ बहुत सीमित होता है" में किया गया है। ऐसे मामले में आईआरसीटीसी द्वारा अर्जित राजस्व पर 15% राजस्व का हिस्सा देय है। विभागीय इकाइयों के मामले में, आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे को शुद्ध लाभ का 15% देना होगा।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 20.07.2021 के माध्यम से, रेलवे शेयर के मुद्दे को उठाया और कंपनी को दिनांक 19.01.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार सभी रेल नीर संयंत्रों के रेलवे शेयर का भुगतान करने के लिए सूचित किया।

20.07.2021 की तारीख वाले पत्र के जवाब में, कंपनी ने पहले की तरह उसी आधार पर अपना प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि, रेलवे बोर्ड ने कंपनी के तर्क को स्वीकार नहीं किया और विभागीय संयंत्रों के लिए 15% लाभ साझा करने और विकासकर्ता-सह-ऑपरेटर (डीसीओ) द्वारा चलाए जा रहे पीपीपी संयंत्रों के लिए कैटरिंग नीति 2017 के अनुसार 40% राजस्व साझा करने की सलाह दी, जैसा कि 30.09.2021 की तारीख वाले पत्र में बताया गया है। हालांकि, कंपनी का तर्क है कि पीपीपी संयंत्र लाइसेंसी मॉडल पर नहीं चलाए जा रहे हैं क्योंकि ये संयंत्र आईआरसीटीसी द्वारा स्थापित किए गए हैं और रेल नीर की बिक्री केवल आईआरसीटीसी के चालानों पर होती है।

कंपनी ने सभी संयंत्रों, जिनमें पीपीपी संयंत्र भी शामिल हैं, के लिए 15% लाभ साझा करने पर सहमति जताई और रेलवे बोर्ड को 24.02.2022 की तारीख वाले पत्र के माध्यम से सूचित किया। कंपनी ने 2713.32 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया, जिसे रेलवे बोर्ड ने समायोजन के अधीन स्वीकार किया। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेल नीर खंड के लाभ का 15% होने के नाते 546.60 लाख रुपये की रेलवे हिस्सेदारी मान्यता दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे हिस्सेदारी की मान्यता नहीं दी गई क्योंकि रेल नीर खंड में पिछले वर्षों के लिए 2713.32 लाख रुपये की रेलवे हिस्सेदारी के कारण नुकसान हुआ था, जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेल नीर खंड के लाभ के खिलाफ चार्ज किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक नई स्थिति में, रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा विभागीय रूप से चलाए जा रहे रेल नीर संयंत्रों के लिए लाभ का वितरण 15:85 के अनुपात में किया जाएगा, जबकि पीपीपी मॉडल के तहत डीसीओ द्वारा चलाए जा रहे संयंत्रों के लिए लाभ का वितरण 40:60 के अनुपात में होगा। इसके अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विभागीय रूप से चलाए जा रहे रेल नीर संयंत्रों से 15% लाभ के रूप में 320.33 लाख रुपये और पीपीपी मॉडल पर चलाए जा रहे संयंत्रों के लाभ का 40% के रूप में 452.25 लाख रुपये की लाभ हिस्सेदारी मान्यता दी है। कंपनी ने पिछले वर्षों के लिए पीपीपी संयंत्रों के लाभ पर 25% की दर से अंतराल लाभ हिस्सेदारी के रूप में 1451.24 लाख रुपये का चार्ज भी किया है। 31 मार्च 2023 तक के लिए 25% (40%-15%) की अंतराल लाभ हिस्सेदारी का प्रावधान 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक असाधारण आइटम के रूप में दिखाया गया है, जबकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सभी रेल नीर संयंत्रों के लिए 15:85 के समान अनुपात में लाभ साझा करने के लिए रेलवे बोर्ड के समक्ष प्रतिनिधित्व किया है। रेलवे बोर्ड से प्रतिक्रिया का अभी इंतज़ार है। ये मामले रेलवे के साथ समायोजन के अधीन हैं।

नोट :- 50 फ्लैट और भूमि के लिए पूंजी अग्रिम

फ्लैट्स और भूमि की खरीद/निर्माण के लिए निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया गया था जो आज तक लंबित हैं:-

- वर्ष 2002-03/2006-07/2021-22/2022-23 में भारतीय रेल को ₹ 635.98 लाख का भुगतान।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया लिमिटेड से फ्लैटों की खरीद के लिए ₹ 90.32 लाख।

नोट :- 51

(ए) पीपीपी मॉडल के अंतर्गत रेल नीर संयंत्रों के अनुबंध समझौते के अनुसार, डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) समझौते में निर्धारित लाइसेंस शुल्क (एलएफ) की निर्धारित राशि का भुगतान करेगा और आईआरसीटीसी डीसीओ को मात्रा में कमी का भुगतान करेगा यदि एक वर्ष में वास्तविक प्रेषण रियायत समझौते में निर्धारित प्रेषण स्तर से कम हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) ने निर्णय लिया कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोई कमी मुआवजा देय नहीं होगा। ईबी ने आगे निर्णय लिया कि चूंकि यह स्थिति "गैर राजनीतिक अपेक्षित घटना" से संबंधित है, जैसा कि समझौते के खंड 16.2 में प्रदान किया गया है, लाइसेंस शुल्क का लाभ डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) को प्रो-राटा आधार पर दिया जा सकता है, जो वास्तविक उत्पादन और विधिवत निष्पादित समझौतों के अनुसार स्थापित की गई क्षमता से संबंधित है।

आईआरसीटीसी द्वारा लिए गए निर्णय से सभी डीसीओ को अवगत करा दिया गया है। लेकिन कुछ डीसीओ ने कंपनी के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कुल 437.61 लाख रुपये (वित्तीय वर्ष 2020-21 - 243.17 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2021-22 - 194.44 लाख रुपये) प्रदान किए गए। ईबी के निर्णय को स्वीकार नहीं करने वाले असहमत डीसीओ के संबंध में माफ किए गए लाइसेंस शुल्क को घटाकर कमी मुआवजे के लिए "दावे और क्षति के लिए प्रावधान" की गणना की गई है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान परिचालन सामान्य हो गया है और इसलिए, व्यक्तिगत संयंत्र के अनुबंध नियमों और शर्तों के अनुसार 50.41 लाख रुपये की कमी क्षतिपूर्ति की गणना और हिसाब लगाया गया है। हालांकि, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेल नीर संयंत्रों के सामान्य संचालन के मद्देनज़र कोई कमी मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(बी) निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार, 4 पीपीपी रेल नीर संयंत्रों के संबंध में, डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) को वास्तविक मूल्य पर बिक्री पर कर की प्रतिपूर्ति करनी होगी। डीसीओ द्वारा प्राप्त आईटीसी की जानकारी के अभाव में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 364.83 लाख रुपये की प्राप्य आईटीसी को केवल दो संयंत्रों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और पिछले वर्ष 2022-23 में 442.46 लाख रुपये का प्रभाव पड़ा है। लाखों (वित्तीय वर्ष 2021-22: 309.28 लाख रुपये) का हिसाब केवल दो संयंत्रों के लिए रखा गया था। इन डीसीओ ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कंपनी के दावे के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया है। भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

नोट :- 52

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने लागत के आधार पर 3 श्रेणी के कोचों के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय से ₹1200 लाख प्राप्त किए थे, जिसमें से ₹121.66 लाख की शेष राशि पर्यटन मंत्रालय को वापस कर दी गई है।

नोट :- 53 खंडवार रिपोर्टिंग

कॉर्पोरेट नियोजन के लिए सीओडीएम और प्रबंधक कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रकृति, संगठन संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर व्यवसाय निष्पादन की जांच की हैं और इसके व्यवसाय के पांच रिपोर्ट की जानेवाले खंडों की पहचान की है:-

- खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन और ट्रैन संचालन
- राज्य तीर्थ
- इंटरनेट टिकटिंग

निगम मुख्य रूप से स्वदेशी बाजार की जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के किए प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों को अलग-अलग खंडों में राजस्व और व्यय को दर्ज करने के लिए सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट में उल्लेख किया गया है।

खंड से संबंधित राजस्व और प्रत्यक्ष व्यय उन मदों के आधार पर आबंटित किए जाते हैं जिनकी अलग-अलग रूप से खंड से संबंधित होने की पेहचाह की जा सकती है, जबकि शेष लागतों को अनाबंटित व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि इन व्यय के लिए खंड प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन व्यय को अनाबंटित के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है और केवल कॉर्पोरेशन की कुल आय के लिए समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में इस तरह के अनाबंटित व्यय का समग्र प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है।

कंपनी के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति और देयताओं की पहचान किसी भी रिपोर्ट करने योग्य खंड के लिए नहीं की जाती है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा को यथार्थ रूप से अलग करना कठिन हो सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

खंडवार रिपोर्टिंग

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	खानपान		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन और ट्रैन संचालन		राज्य तीर्थ		विलोपन		कुल	
	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
राजस्व														
उत्पादों की बिक्री	6,882.81	2,769.87	31,940.57	29,503.21	–	–	–	–	–	–			38,823.38	32,273.08
सेवाओं की बिक्री	1,87,836.26	1,44,878.79	683.72	522.70	1,29,530.60	1,19,803.42	54,922.41	41,220.59	15,179.74	15,377.83			3,88,152.73	3,21,803.33
अन्य परिचालन आय	–	–	41.74	70.88	–	–							41.74	70.88
अंतर –खंडवार बिक्री			1,401.09	1,359.94							(1,401.09)	(1,359.94)	–	–
अन्य आय	2,542.50	1,994.87	337.13	447.99	800.51	885.13	668.72	302.19	61.54	74.04			4,410.40	3,704.22
ब्याज और लाभांश आय													12,037.37	8,338.84
कुल राजस्व	**1,97,261.57**	**1,49,643.53**	**33,003.16**	**30,544.78**	**1,30,331.11**	**1,20,688.55**	**55,591.13**	**41,522.78**	**15,241.28**	**15,451.87**	**–**	**–**	**4,43,465.62**	**3,66,190.35**
खंडवार परिणाम	26,880.28	16,272.69	4,373.49	3,469.87	1,06,034.76	1,00,507.52	3,212.31	1,267.17	2,943.19	2,824.87			1,55,481.40	1,32,680.96
अनाबंटित कॉर्पोरेट आय													–	–
अनाबंटित कॉर्पोरेट व्यय													–	–
कर पूर्व लाभ (आपवादिक मद से पहले)	**26,880.28**	**16,272.69**	**4,373.49**	**3,469.87**	**1,06,034.76**	**1,00,507.52**	**3,212.31**	**1,267.17**	**2,943.19**	**2,824.87**			**1,55,481.40**	**1,32,680.96**
आपवादिक मदें	–	528.04	(1,451.24)	174.15	724.41	1,584.99	(5,126.20)	378.30	–	54.52	–	–	(5,853.03)	2,720.00
कर से पूर्व लाभ	**26,880.28**	**16,800.73**	**2,922.25**	**3,644.02**	**1,06,759.17**	**1,02,092.51**	**(1,913.89)**	**1,645.47**	**2,943.19**	**2,879.39**	**–**	**–**	**1,49,628.37**	**1,35,400.96**
आय कर													38,502.58	34,812.85
शुद्ध लाभ	**26,880.28**	**16,800.73**	**2,922.25**	**3,644.02**	**1,06,759.17**	**1,02,092.51**	**(1,913.89)**	**1,645.47**	**2,943.19**	**2,879.39**	**–**	**–**	**1,11,125.79**	**1,00,588.11**
अन्य प्रकटन														
ब्याज व्यय	708.43	575.27	157.84	117.68	445.12	468.40	505.50	390.50	47.60	59.40	–	–	1,864.49	1,611.25
मूल्यह्रास	1,322.52	1,007.82	1,444.59	1,380.72	991.58	1,215.77	1,918.72	1,703.62	44.23	65.03	–	–	5,721.64	5,372.96
कुल मूल्यह्रास	1,322.52	1,007.82	1,444.59	1,380.72	991.58	1,215.77	1,918.72	1,703.62	44.23	65.03			5,721.64	5,372.96

नोट:

1. अंतर-खंडवार बिक्री को कुल राजस्व में नहीं लिया गया है।

2. कंपनी के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्ति और देयताओं में किसी भी उचित खंड की पहचान नहीं की गई है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर उपयोग के लिए किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्ति और देयताओं से संबंधित खंडवार प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा का सार्थक पृथ्थकरण हो सकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोटः- 54 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भारतीय लेखा मानक-115 के तहत प्रकटीकरण

(ए) राजस्व का विसमूहन

(i) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विसमूहन नीचे दिया गया है: उत्पादों के प्रकार और सेवा के अनुसार

राशि (लाख ₹ में)

वस्तु या सेवा का प्रकार	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	38,823.38	32,273.08
सेवा की बिक्री-		
i) इंटरनेट टिकटिंग	1,29,530.60	1,19,803.42
ii) खानपान सेवाओं से आय	1,00,849.21	80,002.88
iii) रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय	86,987.05	64,875.91
iv) पर्यटन और ट्रैन संचालन	70,102.15	56,598.42
v) रेलनीर लाइसेंस शुल्क	683.72	522.70
vi) अन्य परिचालन आय	41.74	70.88
कुल	4,27,017.85	3,54,147.29

(ii) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का विसमूहन नीचे दिया गया है: खंडवार

राशि (लाख ₹ में)

खंडवार	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
खानपान	1,97,261.57	1,49,643.53
रेलनीर	33,003.16	30,544.78
इंटरनेट टिकटिंग	1,30,331.11	1,20,688.55
पर्यटन और ट्रैन संचालन	55,591.13	41,522.78
राज्य तीर्थ	15,241.28	15,451.87
कुल	4,31,428.25	3,57,851.51

(बी) खंड रिपोर्टिंग से राजस्व ₹ 431428.25 लाख (वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 357851.51 लाख) है।

(सी) अनुबंध शेष

राशि (लाख ₹ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
व्यापार प्राप्य (नोट 10.1)	1,37,434.19	1,14,291.40
अनुबंध परिसंपत्ति	-	-
अनुबंध देयताएं (नोट 19)	38,485.91	40,952.33

(i) व्यापार प्राप्य गैर-ब्याज मुक्त होते हैं और ग्राहक प्रोफ़ाइल में रेल मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

(ii) अनुबंध संपत्ति को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी के अधिकार पर विचार करने के लाइट सेवाओं का कार्यनिष्पादन किया जाता है। पहले से अनुबंधित परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कोई भी राशि संलग्न शर्त यानी भविष्य की सेवा की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत है, अर्थात भविष्य की सेवाएं जिनमें बिल बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध परिसंपत्ति	-	-
प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वृद्धि के कारण अनुबंध परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण	-	-
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	-	-

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(iii) अनुबंध देयताएं असमाप्त होनेवाले रियायत शुल्क, असमाप्त लाइसेंस शुल्क, असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क, असमाप्त एकीकरण शुल्क और पैकेज टूर के लिए अग्रिम से संबंधित ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि का प्रतिनिधित्व करती हैं।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
वर्ष के प्रारंभ में अनुबंध देयताएं	40,952.33	22,081.68
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं*	38,485.91	40,952.33

नोट :– 55 पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है ताकि कंपनी शेयर धारकों को अधिकतम रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास कोई उधारी नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी इसके पूंजीगत ढांचे को चलाने और वित्तीय करारों की आवश्यकता के लिए इसकी आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन करने के लिए समायोजन करती है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या पूंजी प्रबंधन की प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

नोट :– 56 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफवी टीपीएल*	एफवीटीओ सीआई **	परिशोधित लागत	एफवी टीपीएल*	एफवीटीओ सीआई **	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्ति						
(i) निवेश	–	–	–	–		–
(ii) प्रतिभूति जमा	–	–	1,280.89	–		1,185.62
(iii) व्यापार प्राप्य	–	–	1,37,434.19	–		1,14,291.40
(iv) नकद और नकद समकक्ष	–	–	69,133.87	–		42,884.51
(v) नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेंस	–	–	1,57,130.73	–		1,50,197.23
(vi) अन्य	–	–	26,086.02	–		19,998.58
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	–	–	3,91,065.70	–		3,28,557.34
वित्तीय देयताएं						
(i) प्रतिभूति जमा	–	–	19,183.70	–		13,590.87
(ii) अग्रिम धन जमा			14,564.69			5,598.68
(iii) व्यापार देय	–	–	99,740.97	–		85,215.47
(iv) पट्टा देयताएं	–	–	6,035.05			8,416.22
(v) अन्य	–	–	27,414.92	–		20,056.52
कुल वित्तीय देयताएं	–	–	1,66,939.33	–		1,32,877.76

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

** अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

(ii) संपत्ति और देयताएं जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया जाता हैं।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	मूल कीमत	उचित कीमत	मूल कीमत	उचित कीमत
वित्तीय पूंजी				
प्रतिभूति जमा राशि	1,280.89	1,280.82	1,185.62	1,185.62
कुल वित्तीय परिसंपत्ति	1,280.89	1,280.82	1,185.62	1,185.62
वित्तीय देयताएं				
प्रतिभूति जमा राशि	19,183.70	19,127.58	13,590.87	13,474.48
पट्टा देयताएं	6,035.05	6,035.05	8,416.22	8,416.22
कुल वित्तीय देयताएं	25,218.75	25,162.63	22,007.09	21,890.70

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

ए. व्यापार प्राप्ति, व्यापार देय, अल्पावधि प्रतिभूति जमा, नकद और नकद समकक्ष और अन्य लघु अवधि की प्राप्ति और अन्य देय राशि की तुलना में उनकी लघु प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

बी. लंबी अवधि की प्रतिभूति जमा राशियों के उचित मूल्य की गणना सावधि जमाओं की वर्तमान बाजार दर का उपयोग करते हुए नकदी प्रवाह में छूट के आधार की गई थी। गैर लक्ष्यों के इनपुट में शामिल करने के कारण इन्हें स्तर -3 के अनुक्रम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

उचित मूल्य का अनुक्रम

स्तर 1 - चिह्नित परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 - उद्धृत मूल्य के अलावा स्तर 1 में जोकि परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से उत्पन्न) रूप से शामिल किया जाता है।

स्तर 3 - परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जोकि बाजार डेटा (गैर अवलोकन योग्य इनपुट) के अवलोकन पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित में उचित मूल्य माप अनुक्रम, वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को उचित मूल्य जिसमें पुनरावृत्ति के आधार पर और परिशोधित लागत के आधार पर मापा जाता है।

31 मार्च 2024 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	-	-	1,280.82	1,280.82
	-	**-**	**1,280.82**	**1,280.82**

31 मार्च 2024 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	-	-	19,127.58	19,127.58
पट्टा देयताएं	-	-	6,035.05	6,035.05
	-	**-**	**25,162.63**	**25,162.63**

31 मार्च 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति जिसके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	-	-	1,185.62	1,185.62
	-	**-**	**1,185.62**	**1,185.62**

31 मार्च 2022 तक वित्तीय देयताओं के लिए मात्रात्मक प्रकटन उचित मूल्य माप अनुक्रम:-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित मूल्य का प्रकटन किया गया है:				
प्रतिभूति जमा राशि	-	-	13,474.48	13,474.48
पट्टा देयताएं	-	-	8,416.22	8,416.22
	-	**-**	**21,890.70**	**21,890.70**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 57 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना है और इसके संचालन के समर्थन में गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो इसके संचालन से सीधे प्राप्त होते हैं। कंपनी को बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम हो सकते है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन और प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति देता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:–

ए) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार की कीमतों में होनेवाले बदलावों के कारण भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढाव कर देता है। बाजार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में ऋण और उधार, जमा और अन्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें भविष्य में वित्तीय साधनों के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य बाजार के ब्याज दर में बदलाव के उतार–चढ़ाव के कारण होता है। कंपनी, कंपनी नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों के साथ जमा राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर का जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय साधनों की अवधि के लिए है।

ii) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। विदेशी मुद्रा लेनदेन की कम मात्रा को देखते हुए, विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से कोई वास्तविक जोखिम मौजूद नहीं है। कंपनी किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम को रोक नहीं लगा सकती है।

बी) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या किसी वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। कंपनी को व्यापार प्राप्य, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अपनी वित्तीय गतिविधियों से क्रेडिट जोखिम का सामना करना पड़ता है। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाले नुकसान को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षों की वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करती है।

सी) वित्तीय साधन और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास शेष राशि से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरणों के आधार पर अनुमोदित प्रतिपक्ष के साथ किया जाता है।

डी) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होती क्योंकि वे देय हो जाते हैं। कंपनी यथासंभव सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है, क्योंकि जब भी देय हो, तो इसकी देयताओं को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त तरलता होगी, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों के अंतर्गत, अस्वीकार्य नुकसान या कंपनी की प्रतिष्ठा के जोखिम के बिना रहेगी।

कंपनी की तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष और संचालन से उत्पन्न होता नकदी प्रवाह है। कंपनी पर कोई बैंक का कर्ज नहीं है। कंपनी का मानना है कि अपनी वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कार्यशील पूंजी है। कोई भी अल्पावधि–कार्यशील पूंजी प्रबंधन और अन्य परिचालन संबंधी आवश्यकताओं के लिए आवश्यक राशि से अधिक उत्पन्न अधिशेष नकद को नकद और बैंक के साथ अल्पावधि जमाओं में निवेश के रूप में रखा जाता है। उक्त निवेश उचित परिपक्वता और पर्याप्त तरलता वाले उपकरणों में किए जाते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोटः- 58 अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते और व्यापार प्राप्तियों के एजिंग की अनुसूची

(i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		3 वर्ष तक	3 से अधिक 5 से कम	5 वर्ष से अधिक	डिफॉल्ट
रेलवे / सरकार	सकल वहन राशि	1,16,153.25	4,417.72	5,461.92	3,585.60
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	0%	100%	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)		-	5,461.92	3,585.60
	व्यापार प्राप्तियों की सकल वहन राशि	1,16,153.25	4,417.72	-	-
गैर-रेलवे/गैर-सरकारी	सकल वहन राशि	15,384.30	382.51	1,570.94	4,988.21
	अनुमानित क्रेडिट दर	0%	50%	100%	100%
	अनुमानित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)	-	191.26	1,570.94	3700.54(*)
	व्यापार प्राप्तियों की सकल वहन राशि	15,384.30	191.26	-	1,287.67

*1. नियत निपटान के समय लाइसेंसधारी से दावे की वसूली न होने की स्थिति में, डब्ल्यूवीएम संविदाओं के लिए 03 वर्ष तक 712.03 लाख रु. और 03 से 05 वर्ष तक 658.06 लाख रु. और 05 साल से अधिक तक 388.86 लाख रु. की विवादित लेनदारी पर ईसीएल प्रावधान, रेलवे के संबंधित 40% हिस्से का भुगतान करने का दायित्व हिस्सा भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, कंपनी द्वारा प्राप्य राशि के 60% का प्रावधान किया गया है।

*2. 3 साल तक 138.22 लाख रु. और 03 से 05 साल तक 1159.86 लाख रु. और 05 साल से अधिक की विवादित लेनदारी राशि में बिक्री मूल्यांकन, चाय और कॉफी परोसने और भोजन शुल्क दर में बढ़ोतरी पर अधिक लाइसेंस शुल्क से संबंधित लाइसेंसधारक के बकाया दावे शामिल हैं। विवाद निपटान के समय लाइसेंसधारी से दावे की वसूली न होने की स्थिति में, रेलवे के संबंधित 45% हिस्से (रखरखाव शुल्क सहित) का भुगतान करने का दायित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, कंपनी द्वारा प्राप्य राशि के 55% का प्रावधान किया गया है।

(ii) 31 मार्च 2024 को व्यापर प्राप्ति की एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - जो अच्छा माना जाता है	64,951.29	26,776.33	32,496.72	1,887.55	4,417.72	1,30,529.61
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है					382.51	382.51
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट को नुकसान					7,032.86	7,032.86
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य- जो अच्छा माना जाता है						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट को नुकसान		22.79	194.12	719.69	7,408.34	8,344.94
(vii)बिल न की गई राशि	4,674.47	82.70	81.82	70.80	744.74	5,654.53

31 मार्च 2023 को व्यापर प्राप्तियों के एजिंग की अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - जो अच्छा माना जाता है	73,704.79	25,439.08	2,701.92	231.11	6,865.93	1,08,942.84
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य - जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई ह	-	-	-	-	1,524.06	1,524.06
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट को नुकसान					5,474.50	5,474.50

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– जो अच्छा माना जाता है	–	–	–	–	–	–
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिनके क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्रेडिट को नुकसान	–		259.36	166.12	8,443.63	8,869.11
(vii)बिल न की गई राशि	2,521.29	18.14	75.03	34.77	756.43	3,405.65

नोट :– 59 आकलन एवं अनुमान

निम्नलिखित प्रमुख अनुमान भविष्य में चिंता के करक हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत हैं जिनकी अगली वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्ति और देयताओं की मात्रा को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

ए) निष्पक्ष मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन की तकनीकों का उपयोग करके वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों को मापा जाता है। जहां तक संभव हो वहां, इन तरीकों के लिए इनपुट प्रत्यक्ष बाजारों से लिए गए हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए एक परिमाण निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी का जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे विचारशील इनपुट शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मूल्यांकन में परिवर्तन वित्तीय साधनों के रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

बी) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिससे हानि के विरुद्ध उपयोग महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के उपयोग से किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्ति की पहचान करने के लिए अपेक्षित संभावित समय और भावी कर नियोजन कार्यनीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य लाभ स्तर दोनों को आधारित माना जा सकता है।

सी) परिभाषित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल हैं। मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, इन मान्यताओं में परिवर्तन के लिए एक परिभाषित लाभ दायित्व अत्यंत संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी अनुमानों की समीक्षा की जाती है।

डी) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन अवधि

नोट 2(आई) में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि दी गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित उपयोगी जीवन अवधि कई कारकों पर आधारित है जिसमें अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव शामिल है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है।

ई) पट्टें

कंपनी यह निर्धारित करने में अपने निर्णय का उपयोग करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं, पट्टा अनुबंध को बढ़ाने या उसे समाप्त करने का विकल्प होगा या नहीं। रेलवे से लीज़ पर ली गई भूमि के लिए भविष्य की लीज़ अवधि का अनुमान लगाने के लिए नोट संख्या 2 (i) (h) देखें।

नोट :– 60 ट्रैन संचालन

कंपनी रेलवे से प्राप्त ट्रैनों के मूल आधार पर धुलाई प्रभार के परिचालन में लगी हुई है। विशेष ट्रैन के संचालन से होने वाली आय में यात्रियों से लिया गया मूल किराया, खानपान शुल्क और कंपनी द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क शामिल हैं। ट्रैनों के संचालन से होने वाली आय को भारतीय लेखा मानक–115 की आवश्यकता के अनुसार ट्रैन के संचालन के समय की अवधि में मान्यता दी जाती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :- 61 टिकट जमा रसीद धन वापसी (टीडीआर) मामल

भारतीय रेलवे से प्राप्त होने के बाद टीडीआर रिफंड कंपनी द्वारा यात्रियों को दिया जाता है। 31 मार्च 2023 तक, लंबित मामलों की संख्या 77731 (पिछले वर्ष 59582) थी जिसका मूल्य ₹ 949.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 726.40 लाख) है।

नोट :- 62 पीपीपी मॉडल पर आधारित रेलनीर संयंत्र

4 नग के अलावा. कंपनी के स्वामित्व वाले रेल नीर संयंत्र, 15 नग। पीपीपी मॉडल पर विभिन्न स्थानों पर रेल नीर संयंत्र चालू हैं। विजयवाड़ा में एक और रेल नीर संयंत्र निर्माणाधीन है और इस रेल नीर संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन 2024-25 में शुरू होने की संभावना है।

नोट :- 63 पूंजीगत व्यय

आरओयू संपत्तियों को छोड़कर, कंपनी ने सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिमों सहित ₹ 23,960.35 लाख का कुल पूंजीगत व्यय किया है (पिछले वर्ष ₹ 23,863.60 लाख)।

नोट :- 64 पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ होगी सीबीआई जांच

मीडिया में आई खबरों के अनुसार पूर्व रेल मंत्री सहित आईआरसीटीसी के पूर्व-वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध सीबीआई जांच के संबंध में कंपनी किसी भी वित्तीय दायित्व का पूर्वानुमान नहीं करती है।

नोट :- 65 जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट

31 मार्च, 2024 तक जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी पोर्टल और जीएसटी रिटर्न 2बी पर दिखाई देने वाली कुल राशि) 2283.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 921.13 लाख रुपये) नोट 12 में "सरकारी अधिकारियों के साथ शेष" में शामिल है, जो क्रेडिट के लिए लंबित है, आज की तारीख में जीएसटीआर 2बी में।

नोट :- 66 कर्मचारी आगे बढ़ता है

आधिकारिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर्मचारी की वास्तविक कठिनाइयों से बचने हेतु कर्मचारी को अग्रिमों का भुगतान किया जाता है। बाद में कर्मचारियों को खर्च की अलग से प्रतिपूर्ति की जाती है। तदनुसार, तथापि, अग्रिम गैर-वापसी योग्य है जब तक कि रोजगार छूट नहीं जाता है और इसे वर्तमान प्रकृति के रूप में माना जाता है।

नोट :-67 रेलनीर संयंत्रों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव

आईआरसीटीसी ने निजी पार्टियों "ऑपरेटर" के साथ समझौता किया है, जिसमें आईआरसीटीसी द्वारा रेल नीर की खरीद, सीएफए और परिवहन सेवाओं के लिए आईआरसीटीसी के स्वामित्व वाली भूमि पर जल उपचार संयंत्र की स्थापना (निर्माण और संयंत्र मशीनरी), संचालन और रखरखाव के लिए ऑपरेटर जिम्मेदार है। समझौते की शर्तों में प्रावधान है कि अनुबंध अवधि के समाप्त होने के बाद, भवन सहित संयंत्र में कमीशन की गई संपत्ति को आईआरसीटीसी को हस्तांतरित कर दी जाएगी। चूंकि ऐसे ओ एंड एम ठेकेदार के लिए अनुबंध हेतु निविदा दी जाती है और व्यावसायिक बोलियों के आधार पर चयन किया जाता है। भवन और संयंत्र की लागत और परम्परावादी दृष्टिकोण से परिसंपत्तियों की लागत के बारे में अतिरिक्त विचार का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी के आभाव में मान्यता नहीं दी गई है। तदनुसार ऐसी परिसंपत्तियों की गणना टेकओवर के समय तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई है।

नोट :-68 जल वेंडिंग मशीनों पर लाइसेंस शुल्क

नोट 27 के अनुसार लाइसेंसधारी शुल्क में वाटर वेंडिंग मशीनों पर प्राप्त लाइसेंस शुल्क में 25% रेलवे शेयर (परिपत्र 36/2015 के अनुसार 15%) का आकस्मिक प्रावधान शामिल है, जो खानपान नीति 2017 के अंतर्गत रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण लंबित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 69 31.03.2024 तक अचल परिसंपत्ति की सूची जिसका टाइटल डीड आईआरसीटीसी के नाम से नहीं है

तुलनपत्र में संबंधित लाइन मद	संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिनके नाम पर टाइटल डीड है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक, या प्रमोटर*/ निदेशक का रिश्तेदार है या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण**
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी
(क) फ्रीहोल्ड संपत्तियों की सूची जिसके लिए स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है						
पीपीई	गांव बिमीथा, जिला छतरपुर, खजुराहो में होटल के लिए भूमि	₹66.98 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	03.09.2013	टाइटल डीड का निष्पादन अभी बाकी है।
	केवड़िया रेलवे स्टेशन के पास केवड़िया में होटल के लिए भूमि, गुजरात	₹1275 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	15.10.2020	टाइटल डीड का निष्पादन अभी बाकी है।
(ख) लीजहोल्ड संपत्तियों की सूची जिनके लिए लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं की गई है						
	आवासीय भवन					
	डी/91 और डी/141, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, बांद्रा, मुंबई	₹325 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	03.10.2012	रेलवे के साथ लाइसेंस करार लंबित है
	सफदरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के पास 3 आवासीय फ्लैट	₹1374 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	नवंबर और दिसंबर, 2022	रेलवे के साथ लीज समझौता अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है
परिसंपत्ति का उपयोग अधिकार	**ज़मीनें :–**					
	असम राज्य सरकार द्वारा जगी रोड, असम में रेलनीर प्लांट के लिए भूमि आवंटित की गई	₹8.06 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	17.02.2017	लीज एग्रीमेंट अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा रेलनीर प्लांट के लिए ऊना में भूमि आवंटित की गई	₹103.81 लाख	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	30.10.2018	लीज एग्रीमेंट अभी तक निष्पादित नहीं हुआ है।
	महाराष्ट्र के अंबरनाथ में रेलवे द्वारा रेलनीर प्लांट के लिए दी गई जमीन	₹28.23 लाख	रेलवे के साथ लीज समझौता	कॉलम ऋ में टिप्पणियां देखें	17.12.2009	रेलवे के साथ लीज समझौते का नवीनीकरण 1 अप्रैल, 2021 से लंबित है

नोट :– 70 पट्टे

ए) पट्टेदार के रूप में कंपनी

पट्टेदार के रूप में कंपनी ने विभिन्न पट्टे अनुबंधों किए है, जिसमें भूमि, कार्यालय के स्थान और वाहनों का पट्टा शामिल है। भारतीय लेखा मानक 116 के उपयोग से पहले, कंपनी ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत करती थी।

कंपनी के पास कार्यालयों और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी जिसकी अवधि 12 महीने या उससे कम हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पाधि पट्टा' मान्यता की छूट लागू करती है।

परिसंपत्ति का उपयोग अधिकार

मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार की वहन राशि और वर्ष के दौरान हुए मूवमेंट का प्रकटन नोट 5बी में किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

पट्टा देयता

मान्यता प्राप्त पट्टा देयता की वहन राशि और वर्ष के दौरान मूवमेंट नीचे दर्शाई गए हैं:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्ष की शुरुआत में बैलेंस	8,416.22	10,492.13
जोड़/समायोजन (शुद्ध)	1446.14	733.63
ब्याज की मान्यता	606.05	625.00
भुगतान	4,433.36	3,434.54
वर्ष के अंत में बैलेंस	6035.05	8416.22
वर्तमान	1,855.31	2,471.11
गैर चालू	4,179.74	5,945.11

31 मार्च 2024 को बिना छूट दिए, किए गए पट्टे देयता की अवधि समाप्ति का विश्लेषण इस प्रकार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
पट्टा देयताएं	2,213.20	972.90	3,225.48
	2,213.20	972.90	3,225.48

31 मार्च 2023 को बिना छूट दिए, किए गए पट्टे देयता की अवधि समाप्ति का विश्लेषण इस प्रकार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2 वर्ष और अधिक
पट्टा देयताएं	3,039.18	2,065.75	4,429.33
	3,039.18	2,065.75	4,429.33

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त राशियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिसंपत्ति के उपयोग अधिकार का मूल्यह्रास व्यय (नोट 32 देखें)	2,734.58	2,312.79
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय (नोट 31 देखें)	606.05	625.00
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 33 देखें)	89.01	104.96
	3429.64	3042.75

कंपनी के पास कई पट्टे अनुबंध हैं जिनमें बढ़ाने और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं। प्रबंधन द्वारा इन विकल्पों पर चर्चा की जाती है और कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जाता है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन अनुबंध बढ़ाने और समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किया जाना यथोचित रूप से उचित है।

बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होते लाभ/हानि कंपनी पर लागू नहीं होते है।

कंपनी ने लीज देनदारी की गणना के लिए वृद्धिशील उधार दर के रूप में एसबीआई एमसीएलआर का उपयोग किया है।

बी) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने पट्टे पर अपनी परिसंपत्ति दी है, जिसका विवरण नोट 5 निवेश परिसंपत्ति के अंतर्गत दिया गया है।

वर्ष के दौरान पट्टा किराए के ₹ 234.98 लाख (पिछले वर्ष ₹ 235.00 लाख) को आय के रूप में मान्यता दी गई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

पट्टा भुगतान प्राप्तियों की अवधि समाप्ति का विवरण इस प्रकार है:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष के भीतर	73.90	234.96
एक वर्ष के बाद और पांच वर्ष से अधिक नहीं	-	73.90
पांच वर्ष के बाद	-	-

नोट :- 71 तेजस और महाकाल एक्सप्रेस ट्रैन:

रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को तेजस ट्रैनों के 02 रेक और काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रैनों का 01 रेक को यात्री ट्रैनों के रूप में संचालित करने का आदेश दिया था ताकि यात्रियों को प्रीमियम खंड की निजी ट्रैनों में यात्रा करने का विकल्प प्रदान किया जा सके। आईआरसीटीसी ने दोनों ट्रैनों का उद्घाटन क्रमशः 4 अक्टूबर, 2019 और 17 जनवरी, 2020 को लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद सेक्टर पर किया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में, दोनों तेजस ट्रैन अक्टूबर, 2020 के महीने से संचालित की गई हैं और कोविड-19 महामारी और यात्री ट्रैनों की सेवाओं के बंद होने के कारण बंद कर दी गई हैं। वर्तमान महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर परिचालन अवधि के लिए तेजस और काशी महाकाल दोनों ट्रैन के लिए निर्धारित प्रतिबद्धताओं में छूट देने के लिए रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने दिनांक 11.5.2021 के पत्र संख्या टीसी-II/2910/20/ट्रैन के माध्यम से, केवल गैर-परिचालन के लिए आईआरसीटीसी यात्री ट्रैनों के लिए निर्धारित लागत की गणना और प्रभार लागू करने में "अच्छी ट्रेनों के लिए रास्तों के नुकसान" के घटक को 31.12.2020 तक की अवधि तक माफ करने पर सहमति व्यक्त की है और निर्णय लिया है कि अन्य लागू शुल्क वही रहेंगे। आईआरसीटीसी ने फिर से रेलवे बोर्ड से तीन ट्रैन की गैर-परिचालन अवधि को प्राकृतिक आपदा स्थिति मान कर, ₹ 2793 लाख की राशि के निर्धारित शुल्क (निश्चित ढुलाई और अभिरक्षा शुल्क) को माफ करने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन और प्रतिबंध लगाना आईआरसीटीसी के नियंत्रण से बाहर था। तथापि, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में तेजस और काशी महाकाल एक्सप्रेस दोनों ट्रैन के निर्धारित शुल्क का पूरा प्रावधान किया है। मामला लंबित है। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान, रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या टीसी-/2910/2019/ ट्रेन्स बाई आईआरसीटीसी (ई-3344610), नई दिल्ली दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से तेजस ट्रेनों से संबंधित कस्टडी और फिक्स्ड ढुलाई शुल्क के रूप में 2793 लाख रु. में से 174.91 लाख रुपये की छूट की अनुमति दी है। वर्ष के दौरान उक्त राशि को असाधारण मदों (नोट संख्या 33.2 देखें) के तहत प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान में शामिल किया गया है।

नोट :- 72 कंपनी ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन किया है जिसके लिए एएआर का निर्णय की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है:

1. सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से, जनहित में आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रैन टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों से सेवा शुल्क लेने को माफ कर दिया था। भारत सरकार ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जुलाई-19 तक) के लिए क्रमशः ₹ 8000 लाख, ₹ 8800 लाख और ₹ 3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 (2), केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि को कर योग्य आपूर्ति के मूल्यांकन से बाहर रखती है, इसलिए केंद्र सरकार होने के नाते भारतीय रेलवे से प्राप्त होने वाली राशि को प्रदान करने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। इसलिए उपरोक्त प्रतिपूर्ति के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

2. यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति: भारत सरकार ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से ट्रैन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को नि:शुल्क यात्रा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने नि:शुल्क बीमा प्रदान किया जिसके लिए रेल मंत्रालय को ₹4700 लाख के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की गई थी जिस पर केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कंपनी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

3. एक्वायरर बैंकों से प्राप्त एमडीआर। आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक्वायरर बैंकों से एमडीआर शुल्कों के अपने हिस्से के लिए 300 लाख रुपये प्राप्त किए हैं, जो मर्चेंट सेवा प्रदाताओं पर लगने वाली दर या शुल्क है। कंपनी ने इस भुगतान को सब्सिडी के रूप में माना है और उपरोक्त राशि पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त सब्सिडी को आपूर्ति के आकलन से बाहर रखा जाता है और जीएसटी लागू करने के लिए किए जाते विचार का हिस्सा नहीं बनेगा।

4. आईआरसीटीसी ने कैटरिंग नीति, 2017 के अनुसार एसबीडी ट्रैनों के कैटरिंग का कार्यभार सँभालने के लिए भारतीय रेलवे से यथानुपात लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया है, जो वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः ₹1385 लाख, ₹ 7058 लाख, ₹ 125 लाख था और उपरोक्त राशियों पर कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं होता है क्योंकि यह जीएसटी लागू

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

होने से पहले भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंसधारी से प्राप्त किया गया था और इसकी प्राप्ति के समय वित्त अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे को देय लाइसेंस के अनुदान पर सेवा कर लागू नहीं था। भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को भुगतान की गई आनुपातिक राशि निविदा अवधि के शेष भाग के लिए थी जिसे जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा अपनी सहायक कंपनी आईआरसीटीसी को लाइसेंस देने से लेन-देन की पद्धति नहीं बदलती है क्योंकि लाइसेंस जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान की गई थी। कर लागू करने की घटना वह है, जब सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान/आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार, 'लाइसेंस प्रदान करने' वाली सेवा, भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंस प्रदान किए जाने के समय प्रदान की गई थी।

नोट :- 73

रेलवे बोर्ड ने वाणिज्यिक परिपत्र सं. 2019 के सीसी60 ने पोस्ट और प्री-पेड ट्रेनों के लिए खानपान शुल्क में वृद्धि की है। हालाँकि, 18 नवंबर, 2019 से 22 मार्च, 2020 (पोस्ट पेड ट्रेनों के लिए) और 27 नवंबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 (पोस्ट और प्री-पेड ट्रेनों के लिए) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रभाव ऊपर बताए गए खानपान शुल्क में वृद्धि का पता नहीं लगाया गया है और इसकी संपूर्णता में बिक्री मूल्यांकन लंबित है। 27 नवंबर 2021 से नियमित ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू करने के बाद, कंपनी ने सभी ट्रेनों (पोस्ट-पेड) के लिए बिक्री मूल्यांकन आयोजित और पूरा कर लिया है। ट्रेनों के साथ-साथ प्री-पेड ट्रेन)। इसके अलावा, कंपनी ने बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के लिए कुछ मांग नोटिस जारी किए हैं, लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी के संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों में कंपनी की बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा, कुछ लाइसेंसधारियों ने मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया है। चूँकि मामला न्यायाधीन है और घटना भविष्य में कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर है, प्री-पेड और पोस्ट पेड ट्रेनों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को 31 तारीख को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है। मार्च, 2024 और पिछले वर्षों के लिए 31 मार्च, 2023 तक।

नोट :- 74

मानक भोजन/वस्तुओं का मेनू और टैरिफ रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें दिनांक 12.12.2019 को सीसी-64 द्वारा संशोधित किया गया और बढ़ाया गया था। निर्देशों के अनुसार, इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना था और एक अंतरिम उपाय के रूप में, लाइसेंस शुल्क को बढ़ाने के बाद उसका क्या प्रभाव होता है उसका आकलन करने के लिए सीमित इकाइयों में बिक्री का मूल्यांकन किया गया था। तदनुसार, 28.01.2020 को दिशा-निर्देश जारी किए गए थे ताकि लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को इकाई के लाइसेंस शुल्क में किए गए बढ़ोतरी को जोड़कर या 6 महीने के भीतर बिक्री का मूल्यांकन करके, जो भी अधिक हो, शामिल किया जा सके। तथापि, अनपेक्षित कोविड महामारी शुरू हो गई और यात्री ट्रैन संचालन को 23.03.2020 से बंद कर दिया गया। इकाइयां बंद थीं और गंभीर प्रतिबंधों के कारण बिक्री मूल्यांकन नहीं हो पाया। 20.01.2021 को लाइसेंस शुल्क पर 20% कम लाइसेंस शुल्क लेने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए क्योंकि कोविड का प्रभाव चल रहा था। इसके अतिरिक्त, 04.10.2021 को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें 31.10.2021 तक 20% कम लाइसेंसधारी शुल्क लागू करने और फुटफॉल के आधार पर 01.11.2021 से लाइसेंस शुल्क लेने के लिए नई पद्धति लागू करने के लिए कहा गया था।

स्टेशनों पर स्थिर इकाइयां बंद कर दी गईं और सरकारी निर्देशों के अनुसार के अनुसार लॉकडाउन के बाद गंभीर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण इन इकाइयों का बिक्री मूल्यांकन नहीं किया जा सका। दिनांक 01.06.2020 से अस्थायी यात्री रेलगाड़ियों का संचालन शुरु किया गया। दिनांक 01.06.2020 से केवल सीमित (पीएडी और आरटीई) वस्तुओं को 10% लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री की अनुमति दी गई थी। हालांकि, यह अनुमति केवल कुछ स्टेशनों तक ही सीमित थी क्योंकि स्थानीय प्रतिबंधों के कारण अधिकांश स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित थी।

दिनांक 20.01.2021 को कोविड के मौजूदा प्रभाव के कारण लाइसेंस शुल्क की 20% की दर से कम लाइसेंस शुल्क वसूलने के दिशानिर्देश जारी किए गए। इसके अलावा, दिनांक 04.10.2021 को 31.10.2021 तक कम की गई लाइसेंस फीस को 20% की दर से लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए और लोगों की आवाजाही की मात्रा के आधार पर 01.11.2021 से एलएफ चार्ज करने के लिए नई पद्धति लागू की गई। दिनांक 31.05.2022 तक चल रही संविदाओं के लिए अंतरिम पद्धति का पालन किया गया। दिनांक 01.06.2022 से 100% लाइसेंस शुल्क वसूलने के निर्देश जारी किए गए।

वित्त वर्ष 2022-23 में सभी स्थिर इकाइयों का बिक्री मूल्यांकन पूरा किया गया। लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने बढ़े हुए एलएफ पर कंपनी के फैसले को माननीय केरल उच्च न्यायालय डिब्ल्यूपी(सी) डब्ल्यूपी 26745/20, डब्ल्यूपी26795/20, डब्ल्यूपी26721/20, डब्ल्यूपी26703/20 में चुनौती दी है।

चूंकि मामला न्यायाधीन है और अनिश्चितता है और घटना भविष्य में कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर है, इसलिए स्थिर इकाइयों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को वित्त वर्ष 2022-23 की लेखा बहियों में निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि, रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए लेखा बहियों में 94.54 लाख रु. (रेलवे शेयर का निवल) की लाइसेंस फीस पर नकारात्मक (वापसी) प्रभाव को निर्धारित किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के दौरान गणना में त्रुटि के कारण चालु वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 94.54 लाख में से रु.45.87 लाख की राशि उलट दी गई है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :– 75 अनुपात

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपात इस प्रकार हैं:

विवरण	न्यूमरेटर	डिनोमिनेटर	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	भिन्नता (% में)
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति	वर्तमान देयताएं	1.95	1.82	7.14
ऋण इक्विटी अनुपाते (4)	कुल ऋण (1)	शेयरधारकों की इक्विटी	0.02	0.03	-33.33
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण चुकौती के लिए उपलब्ध आय (2)	ऋण सेवा(3)	37.48	38.54	-2.75
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	करों के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारक की इक्विटी की औसत	0.39	0.46	-15.22
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बिक्री	सूची की औसत	72.33	81.88	-11.66
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	संचालन से राजस्व	व्यापार प्राप्य की औसत	3.39	4.13	-17.92
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	सेवाओं की बिक्री और खरीद की लागत	औसत व्यापार देय	2.53	2.41	4.98
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	आय	कार्यशील पूंजी	1.71	1.81	-5.52
शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	0.26	0.28	-7.14
नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओई)	ब्याज और करों से पहले आय	नियोजित पूंजी (कुल मूल्य और दीर्घावधि पट्टा देयताएं)	0.46	0.54	-14.81
निवेश पर रिटर्न (आरओआई) (5)	निवेश से अर्जित आय	समय भारित औसत निवेश	7.94	5.19	52.99

(1) ऋण केवल पट्टे की देयताओं को दर्शाता है।

(2) करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय / आय और ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर नुकसान।

(3) वर्तमान वर्ष के लिए पट्टे का भुगतान।

(4) शेयरधारकों की इक्विटी में वृद्धि और ऋण में कमी के कारण ऋण इक्विटी अनुपात में कमी आई।

(5) एफडीआर पर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण आरओआई में वृद्धि हुई है।

नोट :– 76 विशेष मद

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, असाधारण वस्तुओं पर शुद्ध व्यय ₹ 5853.03 लाख है, जिसमें शामिल हैं: (i) ₹ 5126.20 लाख जो कि 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 के लिए दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए संशोधित स्थिर, परिवर्तनीय और कस्टडी शुल्क के संबंध में प्रावधान किया गया है, जो कि रेलवे मंत्रालय से प्राप्त पत्र के अनुसार है, हालाँकि कंपनी ने इस राशि की छूट के लिए रेलवे बोर्ड से प्रतिनिधित्व किया है, (ii) ₹ 1451.24 लाख जो कि मॉडल पर संचालित रेलनीर संयंत्रों के लाभ पर 25% (40%-15%) के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक के लाभ वितरण के लिए प्रावधान किया गया है और (iii) ₹ 724.41 लाख जो कि विभिन्न खर्चों के लिए पिछले वर्षों में वापस लिखी गई अधिकतम प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, असाधारण वस्तुओं पर शुद्ध आय ₹ 2720.00 लाख है, जिसमें शामिल हैं: (i) ₹ 1198.59 लाख जो कि प्रदर्शन से संबंधित वेतन (पीआरपी) के लिए पिछले वर्षों में वापस लिखी गई अधिकतम प्रावधान है, (ii) ₹ 1085.74 लाख जो कि इंटरनेट टिकटिंग के लिए रखरखाव और विकास शुल्क के लिए पिछले वर्षों में वापस लिखी गई अधिकतम प्रावधान है और (iii) ₹ 435.67 लाख जो कि विभिन्न अन्य खर्चों के लिए पिछले वर्षों में वापस लिखी गई अधिकतम प्रावधान है।

नोट :– 77

कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई कंपनी का गठन किया, जिसका नाम है "आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड"। 10 फरवरी, 2024 को इसका मुख्य उद्देश्य "विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान संबंधी सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय को आगे बढ़ाना" है। उक्त सहायक कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष 10 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक होगा, जैसा कि आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 4 मार्च, 2024 को हुई बैठक में अनुमोदित किया था। तदनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 10 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए सहायक कंपनी को केवल आईआरसीटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :- 78 विरासती लेन-देन

(ए) पुराने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का प्रतिनिधित्व करने वाली लीगेसी मदों और नियंत्रण और सहायक बैलेंस के बीच कुछ अंतर की पहचान/समाधान/समायोजन प्रगति पर है। साथ ही, व्यापार देय के रूप में देयताओं के वर्गीकरण/पहचान की प्रणाली और प्राप्त/बनाए गए चालानों के लिए किए गए भुगतानों के लिंकिंग सहित देय/प्राप्तियों की एजिंग की समीक्षा की जाएगी और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसे सुधारा जाएगा।

(बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम में एमएसएमई की पहचान और वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी समीक्षा और सुधार किया जाएगा।

नोट :- 79 प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को अनुग्रह राशि / कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन

रेल मंत्रालय ने पत्र संख्या 2023-बीसी-पीपी-05/2021-22 दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन के भुगतान पर सी एंड एजी द्वारा जारी अनंतिम पैरा संख्या 05 कंपनी को भेजा है और इस अनंतिम पैरा पर टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया है। इस पैरा पर सी एंड एजी ने टिप्पणी की है कि पीआरपी के बदले में या सीडीईए वेतनमान पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को वेतन समानता के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान डीपीई और डीओपीटी के अनुदेशों का उल्लंघन था, इस प्रकार यह अस्वीकार्य था। इसके अलावा सी एंड एजी ने सिफारिश की है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों अनुग्रह राशि/पीआरपी का भुगतान रोक दिया जाए और प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को किए गए 230.13 लाख रु. के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए। कंपनी ने दिनांक 24.01.2023 को रेल मंत्रालय को विस्तृत उत्तर भेजा है जिसमें कंपनी ने अनुरोध किया है कि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को कार्य-निष्पादन वेतन के रूप में किया गया भुगतान डीपीई और डीओपीटी के अनुदेशों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों को कार्य-निष्पादन वेतन की राशि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें कंपनी के साथ बनाए रखने के प्रोत्साहन स्वरूप है। इस संबंध में अब तक कंपनी को रेल मंत्रालय से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। रेल मंत्रालय से उत्तर प्राप्त होने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 30.65 लाख रु. के मौजूदा प्रावधान (किए गए अंतरिम भुगतान का निवल) को 31 मार्च, 2023 तक प्रतिलेखित किया गया। रेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है।

नोट :- 80 भारतीय-एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (यथा संशोधित) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण

कंपनी ने तुलन-पत्र और लाभ व हानि के विवरण की संबंधित मदों या लेनदेन के संबंध में उपयुक्त स्थान पर प्रकटण किया है। किसी तरह का गैर-प्रकटीकरण का कारण संबंधित लेनदेन है।

नोट :- 81 उधार

कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

नोट :- 82 अन्य नियामक सूचना

(i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। तदनुसार, कोई प्रकटीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन किया है:

बंद कर दी गई कंपनी का नाम	बंद कर दी गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि (₹ लाख में)	बंद कर दी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
जी लाइट एनर्जी प्रा.लि.	देय	6.06	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देय	0.01	--
हकमीचंद डी एंड संस	देय	5.26	--

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन किया है: -

बंद कर दी गई कंपनी का नाम	बंद कर दी गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि (₹ लाख में)	बंद कर दी गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो,
लीड प्रबंधन सेवाएँ	प्राप्य	0.29	--
जी लाइट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	देय	6.06	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देय	0.01	--
भारती सेल्युलर लिमिटेड	देय	0.49	--
रेडगार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.27	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	प्राप्य	2.06	--

(iii) कंपनी को कोई प्रभार या ऋणमुक्ति नहीं है जिसका वैधानिक अवधि के भीतर अभी तक आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

(iv) कंपनी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड या निवेश नहीं किया है।

(v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं दिया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ:

(ए) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या

(बी) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की वस्तुएं प्रदान करेगा

(vi) कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) यह अनुमान के साथ कि कंपनी:

(ए) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या

(बी) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई भी गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की अन्य वस्तुएं प्रदान करेगा

(vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जिसे लेखा पुस्तकों में दर्ज न किया गया हो, जिसे वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के कोई अन्य संबंधित प्रावधान)

(viii) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ix) कंपनी की एक सहायक कंपनी 10 फरवरी, 2024 को निगमित हुई है और सहायक कंपनी ने किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण नहीं किया है। कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेयर की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के अनुच्छेद (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(x) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xi) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स

नोट :- 83 पिछले वर्षों के लिए पुनः समूहीकरण, पुनर्वर्गीकरण, पूर्व अवधि की वस्तुएँ

पिछले वर्ष के आंकड़ों की पुष्टि करने और उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए उन्हें पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत/पुनः प्रस्तुत किया गया है। विवरण निम्नानुसार है:-

31 मार्च, 2023 को पुनः वर्गीकरण से पहले और बाद में बैलेंस शीट की वस्तुएं:

(ए) तुलनपत्र

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	पुनः वर्गीकरण से पहले विवरण	पुनः वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण के बाद
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	11.31	83.09	94.40
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	1,50,488.63	-291.40	1,50,197.23
अन्य चालू वित्तीय संपत्ति	20,881.49	208.31	21,089.80

परिवर्तन का कारण: सावधि जमा को शेड्यूल III की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च 2023 को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(बी) नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	पुनः वर्गीकरण से पहले विवरण	पुनः वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण के बाद
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	81,012.23	161.24	81,173.47
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-31,513.56	-161.24	-31,674.80

परिवर्तन का कारण: टर्म डिपॉजिट्स को 31 मार्च 2023 को शेड्यूल III की आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इसका संबंधित प्रभाव नकद प्रवाह के विवरण में है।

कंपनी ने स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में पिछले अवधि के मदों के पुनर्विवरण के लिए अपनी नीति को इंड ए.एस के अनुसार परिभाषित किया है। इस नीति का प्रभाव वर्तमान वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण नहीं है। वर्तमान वर्ष के लाभ में शुद्ध वृद्धि ₹ 553.94 लाख है, जो वर्तमान वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए पिछले अवधि के मदों के कारण है।

नोट :- 84 वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

28 मई, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों को जारी करने का अनुमोदन दिया गया था।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

हस्ता./-
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:-082648

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 09629741

सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

हस्ता./-
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

समेकित
वित्तीय विवरण

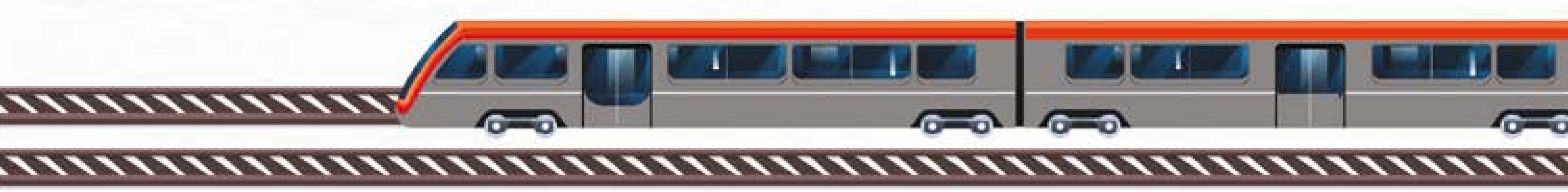

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

के सदस्यों को
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("इसके बाद धारित ग्रुप के रूप में संबोधित") और इसकी सहायक कंपनी (धारित ग्रुप और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "ग्रुप" के रूप में संबोधित किया गया है) के साथ समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (अब इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संबोधित किया जाएगा) का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित ("अधिनियम") अपेक्षित रूप से जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक ("इंडएएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक ग्रुप के मामलों की स्थिति, इसका लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य निष्पादन), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार और साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं से ग्रुप से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण मामलें

हम नीचे दिए गए मामलों पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं:

1. नोट संख्या 37.2(iv) - अप्रैल 2022 में निर्णीत मध्यस्थता मामले के संबंध में है, जो जनवरी 2018 से 7,471.65 लाख रुपये की राशि के साथ 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया है, जो लाइसेंसधारियों को भुगतान नहीं किए गए स्वागत पेय की आपूर्ति के दावों के लिए मूल राशि और रेलवे के निर्देश पर यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कॉम्बो भोजन की कीमत, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है, इन लाइसेंसधारियों को प्रतिपूर्ति की गई थी। ग्रुप ने इस निर्णय के प्रति आपत्तियां दर्ज कराई हैं तथा इसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। ग्रुप का तर्क है कि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी और यदि अंततः उसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा तो ग्रुप को रेलवे से वसूली का अधिकार है।

   माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 19.07.2023 को की गई और माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2023 के अंतरिम आदेश के अनुसार ग्रुप को बैंक गारंटी राशि जमा करने की सलाह दी गई है। ग्रुप ने इस निर्णय के प्रति अपनी आपत्ति अपील दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही करते हुए 8,471.65 लाख रुपये की बैंक गारंटी न्यायालय रजिस्ट्री में जमा कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने पास उक्त मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

2. नोट संख्या 37.2(v) - राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में है जिसमें समूह के प्रति सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है, क्योंकि समूह द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले पेयजल के रेलनीर ब्रांड के एमआरपी में समानुपातिक कमी के माध्यम से कर की दर में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया, जबकि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी की शुरूआत पर कर की दर में कमी हुई थी। ग्रुप का तर्क है कि रेलनीर पेयजल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका अधिकतम खुदरा मूल्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथा वर्ष 2012 में निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य, कच्चे माल, बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद जारी है। ग्रुप द्वारा प्राप्त कानूनी राय ग्रुप के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय सक्षम आयोग ("सीसीआई") को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।

3. नोट सं. 49 (बी) रेलवे बोर्ड के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप द्वारा विभागीय रूप से संचालित रेल नीर संयंत्रों के लिए, रेलवे बोर्ड और ग्रुप के बीच लाभ 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा, और पीपीपी मॉडल के तहत संचालित संयंत्रों के लिए/डीसीओ द्वारा संचालित, रेलवे बोर्ड और ग्रुप के बीच लाभ 40:60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तदनुसार, ग्रुप ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विभागीय रूप से संचालित रेलनीर संयंत्रों के लाभ का 15% के रूप में 320.33 लाख रुपये और पीपीपी मॉडल पर संचालित संयंत्रों के लाभ का 40% के रूप में 452.25 लाख रुपये के लाभ शेयर का निर्धारण किया गया है, जिसमें पिछले वर्षों के पीपीपी संयंत्रों से लाभ पर 25% की दर से अंतर लाभ शेयर के रूप में 1451.24 लाख रुपये का लाभ शेयर चार्ज किया गया है। 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 25% (40%-15%) की दर से लाभ बंटवारे की अंतर राशि 1451.24 लाख रुपये का प्रावधान 31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है, भले ही ग्रुप ने वित्त वर्ष 2022-23 तक सभी रेलनीर संयंत्रों के लिए 15:85 के एक समान अनुपात में लाभ के बंटवारे के लिए रेलवे बोर्ड को अपना प्रतिनिधित्व दिया है। रेलवे बोर्ड से जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। ये मामले रेलवे के साथ समाधान के अधीन हैं।

4. नोट संख्या 39 – पार्टियों और बैंकों से शेष राशि की पुष्टिकारण के पत्रों के संबंध में है। पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए ग्रुप द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके बही खाते नकद आधार पर रखे जाते हैं। हमने पाया है कि रेलवे से काफी राशि प्राप्य/देय हैं, जिसमें 31 मार्च 2024 तक कई निष्क्रिय नामे शेष और कुछ जमा शेष भी शामिल हैं, जिसमें वसीयत नामे और जमा शेष शामिल हैं, जो कि रेलवे को/से खानपान परिचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित हैं। शेष। इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगे गए शेष राशि की पुष्टिकरण पत्रों की प्रतिक्रिया नगण्य थी और समय-समय पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई है और उन्हें सुदृढ़ नहीं बनाया गया है ताकि पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगे गए संतुलन पुष्टिकरण पत्रों की प्रतिक्रिया नगण्य थी और समय-समय पर संतुलन पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा और पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुदृढ़ नहीं किया गया है।

5. नोट संख्या 51(बी) – चार रेल नीर संयंत्रों के डेवलपर सह ऑपरेटरों ("डीसीओ") द्वारा कुछ अवधि के लिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में है जिसके परिणामस्वरूप इन दावों की प्राप्य राशि को ग्रुप के की खाता-बहियों में इन दावों की प्राप्ति का निर्धारण नहीं किया गया। इस स्तर पर ऐसे दावों की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ये डीसीओ इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं, जिनमें उनके खातों में नामे किए गए रुपये 364.83 लाख के दावे भी शामिल हैं।

6. नोट संख्या 10.1 और 58(i) – 31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 तक रेलवे और सरकार से देय 1296.18 करोड़ रुपये शामिल हैं (31 मार्च, 2023 तक 1053.53 करोड़ रुपये)। रेलवे और सरकार के बकाया में से, तीन वर्षों से अधिक समय से 134.65 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जिसमें 35.86 करोड़ रुपये की चूक राशि भी शामिल है।

7. नोट नं. 72 मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 33,595 लाख रुपये की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए ग्रुप द्वारा किए गए कुछ आवेदनों के संबंध में, जिसके लिए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा है।

8. नोट संख्या 73 – वित्त वर्ष 2019-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए प्रशुल्क संशोधन के कारण गाड़ियों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए राजस्व की गैर-निर्धारण के संबंध में पोस्ट-पेड ट्रेनों की बिक्री-मूल्यांकन के बारे में, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रतिशत निर्धारित करेगा, आज तक अभी भी प्रगति पर है। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, हालांकि बिक्री मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, फिर भी कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लाइसेंसधारियों ने प्रशुल्क संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग पर आपत्ति जताई है। चूंकि निर्धारण प्राप्त किए जाने वाले राजस्व का या तो इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता है या विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।

9. नोट संख्या 78 – (i) कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर जो 31 मार्च, 2024 तक पहचान, समाधान और समायोजन यदि कोई हो, के लिए लंबित हैं, (ii) लंबित व्यापार देयताओं की पहचान और प्रकटण प्रणाली की समीक्षा और सुधार, (iii) 31 मार्च, 2024 तक समेकित वित्तीय विवरणों में अपने बकाया का उचित प्रकटण सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं का निर्धारण और उनका वर्गीकरण, जिसमें ऐसे पक्षों से पुष्टि के माध्यम से सुधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनके वर्गीकरण की आवश्यकता है।

10. नोट नं. 79 – प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक 230.13 लाख रुपये की अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन संबंधी अस्वीकार्य भुगतान किए जाने के संबंध में, जैसा कि सी एंड एजी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट (रेल) के लिए अपने अनंतिम पैरा में कहा है, रेलवे बोर्ड को भेजा गया। 24 जनवरी, 2023 के पत्र के द्वारा, ग्रुप ने रेलवे बोर्ड के 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपना उत्तर भेजा है, जिसमें ग्रुप से टिप्पणियां मांगी गई थीं, जिसमें कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर किए गए भुगतान को ग्रुप द्वारा उचित ठहराया गया था। ग्रुप को रेल मंत्रालय से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले पर रेल मंत्रालय से जवाब मिलने पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

11. नोट नं. 76 – रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा दो तेजस ट्रेनों के परिचालन के लिए शुल्क में वृद्धि के संबंध में 13 अगस्त, 2021 से 05 जून, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से, प्रभावी है क्योंकि शुल्क के लिए पहले के निर्देश 12 अगस्त, 2021 तक वैध थे। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए 5,126.20 लाख रुपये के बढ़े हुए शुल्क का प्रावधान किया है और वित्तीय परिणामों में "असाधारण मद" के रूप में दिखाया गया है। हालाँकि, ग्रुप ने रेलवे बोर्ड के समक्ष पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए शुल्कों के इन निर्देशों को वापस लेने के लिए अभ्यावेदन दिया है, जो लंबित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाला प्रमुख लेखापरीक्षा मामला निर्धारित किया है।

आकस्मिक देयताओं के मुकदमों का आकलन और संबंधित प्रकटण

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2 (ओ) – अनुमानों और निर्णयों का उपयोग-प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां और आकस्मिक देयताओं और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37.2 देखें।

31 मार्च, 2024 तक, समूह को विभिन्न मामलों से संबंधित कई मुकदमों का सामना करना पड़ा है, जैसा कि उपरोक्त नोट में बताया गया है।

आर्थिक संसाधनों के भौतिक बहिर्वाह की घटना की संभावना निर्धारित करने और क्या कोई प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय का समर्थन कुछ भौतिक मामलों में कानूनी सलाह के साथ भी किया जाता है जिन्हें उचित माना जाता है।

चूंकि मुकदमों का अंतिम परिणाम अनिश्चित है और प्रबंधन द्वारा ली गई स्थिति उनके सर्वोत्तम निर्णय के अनुप्रयोग पर आधारित है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह, कानूनों/विनियमों की व्याख्या से संबंधित कानूनी सलाह के अधीन हो सकती है, इसलिए इसकी पहचान हमने मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- हमने प्रासंगिक कानूनों और विनियमों से संबंधित मुकदमों के आकलन संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा, उसका मूल्यांकन और परीक्षण किया;
- हमने इन मामलों पर विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा दिए गए नवीनतम आदेशों/अधिनिर्णयों को पढ़ा और उन्हें ध्यान में रख कर विचार किया गया;
- हमने इन-हाउस कानूनी प्रमुख, कर सलाहकारों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ताकि महत्वपूर्ण मुकदमों के सबसे संभावित परिणाम पर उनके आकलन को समझा जा सके और इन मुकदमों के लिए किए गए प्रावधानों के आधार को समझा जा सके;
- हमने समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट आकस्मिक देनदारियों/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया;
- जहां प्रासंगिक हो वहाँ, हमने प्रबंधन द्वारा प्राप्त, बाहरी कानूनी राय को ध्यान में लाया गया।
- हमने समान मामलों में पूर्ववर्ती सेट को समझकर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया और प्रबंधन के पिछले अनुमानों/निर्णयों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया;
- हमने उन मामलों के बारे में प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है जिनका प्रकटण नहीं किया गया हैं या जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना नहीं जाता है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा सामग्री के बहिर्गमन की संभावना को बहुत कम माना जाता है;
- हमने ग्रुप के प्रकटण की पर्याप्तता का आकलन किया।

निष्पादित उपरोक्त कार्य के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों से संबंधित मुकदमों और संबंधित प्रकटणों के संबंध में प्रबंधन का मूल्यांकन उचित माना जाता है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

ग्रुप का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारक की जानकारी सहित मंडल की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत तरीके से बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक कथन गलत है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के प्रभारी लोगों को अवगत कराना आवश्यक है। ऐसी अन्य जानकारी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

ग्रुप का निदेशक मंडल इन समेकन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन, और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ग्रुप के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देता है।

इस जिम्मेदारी में ग्रुप की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयनकरके उन्हें लागू किया जा सकें; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं और किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है, से मुक्त हो।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ग्रुप की योग्यता के आकलन का उत्तरदायी होता है कि वह चल रहे कारोबार को जारी रखे, जैसा लागू हो, चल रहे कारोबार से संबंधित मामलों का प्रकटण करे और जब तक प्रबंधन या तो ग्रुप को बंद करने का प्रयास करे अथवा कार्यों को रोक दें अथवा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु उसे ऐसा करना पड़ें, तब तक चल रहे कारोबार को लेखांकन का आधार बनाया जा सकता है।

निदेशक मंडल ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुवीक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि या लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के कारण है, जिसमें हमारी राय शामिल होती है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं होती है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाया जा सके। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यों की गलत बयानी उत्पन्न हो सकती हैं और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने संभावित हो सकते है।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करके उनका आकलन करते है, कि क्या यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, और उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलतबयानी की तुलना में बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होता हैं, के क्रम में लेखापरीक्षा के अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या ग्रुप के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की कोई प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की पर्याप्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए अनुमानों एवं संबंधित प्रकटणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- चालू व्यवसाय के लेखांकन के संबंध में प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होता हैं, भले ही गतिविधियों अथवा स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो, जो ग्रुप की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कराती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटणों की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह को चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद करना पड़ सकता है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटण शामिल हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष स्थिति प्रकट होती है।

महत्वपूर्णता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और उस कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में गवर्नेंस के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में तब शामिल करते हैं जब तक कि विधि या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटण को शामिल न करते हों अथवा जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह मानते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से काफी हद तक उक्त समन्वय से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित हो सकते है।

अन्य मामले

हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 तक कुल परिसंपत्ति 1506.07 लाख रुपये, कुल राजस्व शून्य रुपये और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए (18.06) लाख रुपये का निवल लाभ/(हानि) दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

सहायक कंपनी 10 फरवरी, 2024 को निगमित हुई, और इसलिए, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े समेकित परिणामों में दिए गए हैं। चूंकि उससे पहले सहायक कंपनी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के आंकड़े केवल मूल कंपनी से संबंधित हैं और केवल तुलनात्मक उद्देश्य के लिए दिए गए हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को छोड़कर आवश्यक थेः

- (i) हमें अधिकांश पक्षों और बैंकों से शेष राशि की पुष्टि के पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा, कार्यालयों द्वारा रेलवे को शेष पुष्टि पत्र नहीं भेजे गए, जो हमारे साथ सहमत दिशानिर्देशों के विरुद्ध है। समेकित वित्तीय विवरणों पर ऊपर बताई गई हमारी टिप्पणियों के प्रभाव की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(बी) हमारी राय में, ग्रुप द्वारा विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं, ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच परीक्षा से प्रतीत होता है।

(सी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, लेखा-बही के अनुरूप हैं।

(डी) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं:

(इ) कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(एफ) ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया अनुलग्नक 1 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारी रिपोर्ट में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है।

(जी) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार रिपोर्टिंग कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(एच) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

- i. ग्रुप ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटण किया है। समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37.2 में देखें।
- ii. ग्रुप ने व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित किसी भी दीर्घकालिक अनुबंध का समझौता नहीं किया है।
- iii. ग्रुप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित की जाने वाली कोई राशि आवश्यक नहीं थी।
- iv. (ए) ग्रुप ने यह प्रकटन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ग्रुप द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(बी) ग्रुप ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ग्रुप द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, ग्रुप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी "अंतिम लाभार्थियों" द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि अनुच्छेद (iv) (ए) और (बी) के तहत हमें दिए गए प्रकटण में कोई गलतबयानी नहीं है।

v. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम और अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, ग्रुप के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में ग्रुप के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, ग्रुप ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाता-बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा प्राप्त है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, आयोजित लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के अनुच्छेद 3 (xx) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक परिणाम अलेखापरीक्षित हैं, इसलिए सीएआरओ रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते, एन. के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000429N)

हस्त/-
(एन. के. भार्गव)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2024

यूडीआईएनः 24080624BKEJWF6661

अनुलग्नक 1

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 2 (एफ) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष 31 मार्च, 2024 तक के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ग्रुप) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

1. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए ग्रुप द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व ग्रुप प्रबंधन का है। इन उत्तरदायित्वों में ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समुचित डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावी ढंग से ग्रुप की नीतियों का पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता, तथा अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

2. **लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व**

हमारा दायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षित मानकों का पालन करते हुए लेखापरीक्षा आयोजित की, जिसे अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू सीमा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और यह दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुपालनार्थ आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या इन समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में इन समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना और इस आंकलित जोखिम के आधार पर डिजाइन तथा आंतरिक और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, समेकित वित्तीय विवरणों की गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. **समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के उन रख-रखाव से संबंधित है जो समूह की परिसंपत्तियों के लेन-देन और व्यपक्तियों को उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और समूह की प्राप्तियां और व्यय केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) समूह की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

4. **समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं**

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की

मिलीभुगत या अनुचित प्रबंधन के अधिभावी की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस संबंध में हमारी निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं –

   i. मेकर और चेकर की अवधारणा, जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, आम तौर पर गायब है यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य आँकड़ों में कई त्रुटियां और चूक हो रही हैं, जिनके आधार पर लेन-देन खाता-बही में दर्ज किए जाते हैं। ग्रुप को और अधिक पेशेवर कर्मचारियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमने यह भी पाया कि (i) ऊपर वर्णित मेकर और चेकर अवधारणा सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से समझौता किया जा रहा है/लागू नहीं किया जा रहा है, (ii) इन कार्यालयों द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए लेन-देन/खातों में बकाया शेष राशि की समय-समय पर समीक्षा नहीं की जा रही है।

   ii. हमने नोट किया कि-(ए) ई. आर. पी. में रखी गई लेखा बहियों में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता बही शेष के बीच अंतर मौजूद हैं, जहां ऐसे खातों और अंतरों की प्रबंधन द्वारा क्रमशः पहचान और मात्रा निर्धारित किया जाना बाकी है।

   iii. कार्यालयों द्वारा पक्षकारों से शेष राशि का पुष्टि पत्र प्राप्त करने के लिए ग्रुप द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजे गए क्योंकि रेलवे नकद आधार पर अपने खाता बहियों को बनाए रखता है। इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगी गई शेष राशि की पुष्टि के लिए प्रतिक्रिया नगण्य थी और समय-समय पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई है और उन्हें मजबूत नहीं बनाया गया है जिससे कि पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

   iv. प्रणाली-आधारित स्वचालित नियंत्रण, जांच और संतुलन के बजाय मैनुअल नियंत्रण का पालन किया जाता है क्योंकि तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों/पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेन-देन को एक्सेल प्रारूप में डेटा संकलित करते हुए ईआरपी में मैन्युअल रूप से पोस्ट किया जाता है क्योंकि मौजूदा ईआरपी अनुप्रयोग ग्रुप के कुछ कार्यों/खंडों के साथ एकीकृत नहीं है।

   v. 31 मार्च, 2024 तक बड़ी संख्या में निष्क्रिय नामे और जमा शेष मौजूद हैं, जिसमें बड़ी संख्या में विरासत प्रविष्टियां शामिल हैं। ग्रुप ने शेष राशियों की पहचान और मिलान करना शुरू कर दिया है। एक बार सभी प्रविष्टियों की पहचान हो जाने के बाद यदि आवश्यक हो तो ग्रुप द्वारा बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन करने की आवश्यकता होती है।

6. राय

हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और ऊपर वर्णित पैरा 5 में हमारी टिप्पणियों के साथ पठित, ग्रुप के सभी महत्वपूर्ण मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित रहे, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए ग्रुप द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है।

कृते, एन. के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000429N)

हस्त/–
(एन. के. भार्गव)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2024

यूडीआईएन: 24080624BKEJWF6661

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

के सदस्यों को
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

स्पष्ट त्रुटियों की पहचान के बाद, यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 28 मई, 2024 की हमारी पिछली रिपोर्ट का स्थान ले लेती है। यह संशोधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नई दिल्ली) द्वारा उठाई गई टिप्पणियों के जवाब में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और पहले व्यक्त की गई राय में कोई बदलाव नहीं करना है। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी आंकड़े में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

राय

हमने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("इसके बाद धारित ग्रुप के रूप में संबोधित") और इसकी सहायक कंपनी (धारित ग्रुप और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "ग्रुप" के रूप में संबोधित किया गया है) के साथ समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (अब इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संबोधित किया जाएगा) का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित ("अधिनियम") अपेक्षित रूप से जानकारी प्रदान करते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक ("इंडएएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 तक ग्रुप के मामलों की स्थिति, इसका लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य निष्पादन), उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित नकदी प्रवाह और इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हैं।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार और साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं से ग्रुप से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

महत्वपूर्ण मामलें

हम नीचे दिए गए मामलों पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं:

1. नोट संख्या 37.2(iv) - अप्रैल 2022 में निर्णीत मध्यस्थता मामले के संबंध में है, जो जनवरी 2018 से 7,471.65 लाख रुपये की राशि के साथ 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, कुछ लाइसेंसधारियों के पक्ष में दिया गया है, जो लाइसेंसधारियों को भुगतान नहीं किए गए स्वागत पेय की आपूर्ति के दावों के लिए मूल राशि और रेलवे के निर्देश पर यात्रियों को नियमित भोजन की आपूर्ति के लिए अंतर लागत की वसूली का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कॉम्बो भोजन की कीमत, जो नियमित भोजन की कीमत से कम है, इन लाइसेंसधारियों को प्रतिपूर्ति की गई थी। ग्रुप ने इस निर्णय के प्रति आपत्तियां दर्ज कराई हैं तथा इसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। ग्रुप का तर्क है कि इस मामले में मुख्य देनदारी रेलवे की होगी और यदि अंततः उसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा तो ग्रुप को रेलवे से वसूली का अधिकार है।

   माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई दिनांक 19.07.2023 को की गई और माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2023 के आदेश के अनुसार ग्रुप को बैंक गारंटी राशि जमा करने की सलाह दी गई है। ग्रुप ने इस निर्णय के प्रति अपनी आपत्ति अपील दायर की है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही करते हुए 8,471.65 लाख रुपये की बैंक गारंटी न्यायालय रजिस्ट्री में जमा कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने पास उक्त मामले में निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

2. नोट संख्या 37.2(v) - राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण (जीएसटी) द्वारा जारी नोटिस दिनांक 25.02.2022 के संबंध में है जिसमें समूह के प्रति सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत 1 जुलाई, 2017 से 31 मई, 2020 की अवधि के लिए 5,041.44 लाख रुपये की मुनाफाखोरी का आरोप लगाया गया है, क्योंकि समूह द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले पेयजल के रेलनीर ब्रांड के एमआरपी में समानुपातिक कमी के माध्यम से कर की दर में कमी का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया, जबकि 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी की शुरूआत पर कर की दर में कमी हुई थी। ग्रुप का तर्क है कि रेलनीर पेयजल नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका अधिकतम खुदरा मूल्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, तथा वर्ष 2012 में निर्धारित अधिकतम

खुदरा मूल्य, कच्चे माल, बिजली, मानव संसाधन लागत, माल ढुलाई आदि की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद जारी है। ग्रुप द्वारा प्राप्त कानूनी राय ग्रुप के तर्क को उचित ठहराती है। भारतीय सक्षम आयोग ("सीसीआई") को अब ऐसे सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें कर कटौती का लाभ करदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है और मामला अब सीसीआई के पास लंबित है।

3. नोट सं. 49 (बी) रेलवे बोर्ड के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप द्वारा विभागीय रूप से संचालित रेल नीर संयंत्रों के लिए, रेलवे बोर्ड और ग्रुप के बीच लाभ 15:85 के अनुपात में साझा किया जाएगा, और पीपीपी मॉडल के तहत संचालित संयंत्रों के लिए/डीसीओ द्वारा संचालित, रेलवे बोर्ड और ग्रुप के बीच लाभ 40:60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तदनुसार, ग्रुप ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विभागीय रूप से संचालित रेलनीर संयंत्रों के लाभ का 15% के रूप में 320.33 लाख रुपये और पीपीपी मॉडल पर संचालित संयंत्रों के लाभ का 40% के रूप में 452.25 लाख रुपये के लाभ शेयर का निर्धारण किया गया है, जिसमें पिछले वर्षों के पीपीपी संयंत्रों से लाभ पर 25% की दर से अंतर लाभ शेयर के रूप में 1451.24 लाख रुपये का लाभ शेयर चार्ज किया गया है। 31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार 25% (40%-15%) की दर से लाभ बंटवारे की अंतर राशि 1451.24 लाख रुपये का प्रावधान 31 मार्च 2024 तक समाप्त वर्ष के लिए असाधारण मद के रूप में दिखाया गया है, भले ही ग्रुप ने वित्त वर्ष 2022-23 तक सभी रेलनीर संयंत्रों के लिए 15:85 के एक समान अनुपात में लाभ के बंटवारे के लिए रेलवे बोर्ड को अपना प्रतिनिधित्व दिया है। रेलवे बोर्ड से जवाब अभी भी प्रतीक्षित है। ये मामले रेलवे के साथ समाधान के अधीन हैं।

4. नोट संख्या 39 - पार्टियों और बैंकों से शेष राशि की पुष्टिकारण के पत्रों के संबंध में है। पार्टियों और बैंकों से शेष राशि पुष्टिकरण पत्र प्राप्त करने के लिए ग्रुप द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनके बही खाते नकद आधार पर रखे जाते हैं। हमने पाया है कि रेलवे से काफी राशि प्राप्य/देय हैं, जिसमें 31 मार्च 2024 तक कई निष्क्रिय नामे शेष और कुछ जमा शेष भी शामिल हैं, जिसमें वसीयत नामे और जमा शेष शामिल हैं, जो कि रेलवे को/से खानपान परिचालन के हस्तांतरण की अवधि से संबंधित हैं। शेष। इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगे गए शेष राशि की पुष्टिकरण पत्रों की प्रतिक्रिया नगण्य थी और समय-समय पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई है और उन्हें सुदृढ़ नहीं बनाया गया है ताकि पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगे गए संतुलन पुष्टिकरण पत्रों की प्रतिक्रिया नगण्य थी और समय-समय पर संतुलन पुष्टिकरण प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा और पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुदृढ़ नहीं किया गया है।

5. नोट संख्या 51(बी) - चार रेल नीर संयंत्रों के डेवलपर सह ऑपरेटरों ("डीसीओ") द्वारा कुछ अवधि के लिए जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट डेटा को साझा न करने के संबंध में है जिसके परिणामस्वरूप इन दावों की प्राप्य राशि को ग्रुप के की खाता-बहियों में इन दावों की प्राप्ति का निर्धारण नहीं किया गया। इस स्तर पर ऐसे दावों की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, ये डीसीओ इन दावों पर भी विवाद कर रहे हैं, जिनमें उनके खातों में नामे किए गए रुपये 364.83 लाख के दावे भी शामिल हैं।

6. नोट संख्या 10.1 और 58(i) - 31 मार्च, 2024 तक व्यापार प्राप्तियों के संबंध में, 31 मार्च, 2024 तक रेलवे और सरकार से देय 1296.18 करोड़ रुपये शामिल हैं (31 मार्च, 2023 तक 1053.53 करोड़ रुपये)। रेलवे और सरकार के बकाया में से, तीन वर्षों से अधिक समय से 134.65 करोड़ रुपये की राशि बकाया है, जिसमें 35.86 करोड़ रुपये की चूक राशि भी शामिल है।

7. नोट नं. 72 मुख्य रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त 33,595 लाख रुपये की कुछ आय/प्राप्तियों के संबंध में माल और सेवा कर की प्रयोज्यता से संबंधित अग्रिम निर्णय के लिए ग्रुप द्वारा किए गए कुछ आवेदनों के संबंध में, जिसके लिए अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा है।

8. नोट संख्या 73 - वित्त वर्ष 2019-20 में रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए प्रशुल्क संशोधन के कारण गाड़ियों के लिए लाइसेंस शुल्क में की जाने वाली वृद्धि से वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए राजस्व की गैर-निर्धारण के संबंध में पोस्ट-पेड ट्रेनों की बिक्री-मूल्यांकन के बारे में, जो लाइसेंस शुल्क में वृद्धि का प्रतिशत निर्धारित करेगा, आज तक अभी भी प्रगति पर है। प्रीपेड ट्रेनों के संबंध में, हालांकि बिक्री मूल्यांकन समाप्त हो चुका है, फिर भी कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लाइसेंसधारियों ने प्रशुल्क संशोधन के कारण अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क की मांग पर आपत्ति जताई है। चूंकि निर्धारण प्राप्त किए जाने वाले राजस्व का या तो इस स्तर पर पता नहीं लगाया जा सकता है या विवादित है, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया है।

9. नोट संख्या 78 - (i) कुछ सहायक और नियंत्रण खाता शेष के बीच अंतर जो 31 मार्च, 2024 तक पहचान, समाधान और समायोजन यदि कोई हो, के लिए लंबित हैं, (ii) लंबित व्यापार देयताओं की पहचान और प्रकटण प्रणाली की समीक्षा और सुधार, (iii) 31 मार्च, 2024 तक समेकित वित्तीय विवरणों में अपने बकाया का उचित प्रकटण सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणियों में एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं का निर्धारण और उनका वर्गीकरण, जिसमें ऐसे पक्षों से पुष्टि के माध्यम से सुधार और सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी में उनके वर्गीकरण की आवश्यकता है।

10. नोट नं. 79 - प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक 230.13 लाख रुपये की अनुग्रह राशि/कार्य-निष्पादन संबंधी अस्वीकार्य भुगतान किए जाने के संबंध में, जैसा कि सी एंड एजी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट (रेल) के लिए अपने अनंतिम पैरा में कहा है, रेलवे बोर्ड को भेजा गया। 24 जनवरी, 2023 के पत्र के द्वारा, ग्रुप ने रेलवे बोर्ड के 09 जनवरी, 2023 के पत्र पर अपना उत्तर भेजा है, जिसमें ग्रुप से टिप्पणियां मांगी गई थीं, जिसमें कंपनी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर किए गए भुगतान को ग्रुप द्वारा उचित ठहराया गया था। ग्रुप को रेल मंत्रालय से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले पर रेल मंत्रालय से जवाब मिलने पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

11. नोट नं. 76 – रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा दो तेजस ट्रेनों के परिचालन के लिए शुल्क में वृद्धि के संबंध में 13 अगस्त, 2021 से 05 जून, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से, प्रभावी है क्योंकि शुल्क के लिए पहले के निर्देश 12 अगस्त, 2021 तक वैध थे। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए 5,126.20 लाख रुपये के बढ़े हुए शुल्क का प्रावधान किया है और वित्तीय परिणामों में "असाधारण मद" के रूप में दिखाया गया है। हालाँकि, ग्रुप ने रेलवे बोर्ड के समक्ष पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़े हुए शुल्कों के इन निर्देशों को वापस लेने के लिए अभ्यावेदन दिया है, जो लंबित है।

    उपरोक्त मामले के संबंध में समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामला

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाला प्रमुख लेखापरीक्षा मामला निर्धारित किया है।

आकस्मिक देयताओं के मुकदमों का आकलन और संबंधित प्रकटण

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 2 (ओ) – अनुमानों और निर्णयों का उपयोग-प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां और आकस्मिक देयताओं और अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37.2 देखें।

31 मार्च, 2024 तक, समूह को विभिन्न मामलों से संबंधित कई मुकदमों का सामना करना पड़ा है, जैसा कि उपरोक्त नोट में बताया गया है।

आर्थिक संसाधनों के भौतिक बहिर्वाह की घटना की संभावना निर्धारित करने और क्या कोई प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसे मामलों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णय का समर्थन कुछ भौतिक मामलों में कानूनी सलाह के साथ भी किया जाता है जिन्हें उचित माना जाता है।

चूंकि मुकदमों का अंतिम परिणाम अनिश्चित है और प्रबंधन द्वारा ली गई स्थिति उनके सर्वोत्तम निर्णय के अनुप्रयोग पर आधारित है जो प्रबंधन पूर्वाग्रह, कानूनों/विनियमों की व्याख्या से संबंधित कानूनी सलाह के अधीन हो सकती है, इसलिए इसकी पहचान हमने मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में की है।

हमारे लेखापरीक्षा ने प्रमुख लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे:

- हमने प्रासंगिक कानूनों और विनियमों से संबंधित मुकदमों के आकलन संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा, उसका मूल्यांकन और परीक्षण किया;
- हमने इन मामलों पर विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों द्वारा दिए गए नवीनतम आदेशों/अधिनिर्णयों को पढ़ा और उन्हें ध्यान में रख कर विचार किया गया;
- हमने इन-हाउस कानूनी प्रमुख, कर सलाहकारों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया ताकि महत्वपूर्ण मुकदमों के सबसे संभावित परिणाम पर उनके आकलन को समझा जा सके और इन मुकदमों के लिए किए गए प्रावधानों के आधार को समझा जा सके;
- हमने समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट आकस्मिक देनदारियों/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों का समर्थन करने वाली अंतर्निहित गणनाओं के आधार पर परीक्षण के आधार पर अपना मूल्यांकन किया;
- जहां प्रासंगिक हो वहाँ, हमने प्रबंधन द्वारा प्राप्त, बाहरी कानूनी राय को ध्यान में लाया गया।
- हमने समान मामलों में पूर्ववर्ती सेट को समझकर प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया और प्रबंधन के पिछले अनुमानों/निर्णयों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया;
- हमने उन मामलों के बारे में प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया है जिनका प्रकटण नहीं किया गया हैं या जिन्हें आकस्मिक देयता के रूप में माना नहीं जाता है, क्योंकि प्रबंधन द्वारा सामग्री के बहिर्गमन की संभावना को बहुत कम माना जाता है;
- हमने ग्रुप के प्रकटण की पर्याप्तता का आकलन किया।

निष्पादित उपरोक्त कार्य के आधार पर, समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक देनदारियों/अन्य महत्वपूर्ण मुकदमों से संबंधित मुकदमों और संबंधित प्रकटणों के संबंध में प्रबंधन का मूल्यांकन उचित माना जाता है।

वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

ग्रुप का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नकों, व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारक की जानकारी सहित मंडल की रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन/निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत तरीके से बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक कथन गलत है, तो हमें इस मामले को गवर्नेंस के प्रभारी लोगों को अवगत कराना आवश्यक है। ऐसी अन्य जानकारी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

ग्रुप का निदेशक मंडल इन समेकन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन, और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) सहित भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ग्रुप के नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देता है।

इस जिम्मेदारी में ग्रुप की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयनकरके उन्हें लागू किया जा सकें; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो एक सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाते हैं और किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी, जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है, से मुक्त हो।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ग्रुप की योग्यता के आकलन का उत्तरदायी होता है कि वह चल रहे कारोबार को जारी रखे, जैसा लागू हो, चल रहे कारोबार से संबंधित मामलों का प्रकटण करे और जब तक प्रबंधन या तो ग्रुप को बंद करने का प्रयास करे अथवा कार्यों को रोक दें अथवा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो किन्तु उसे ऐसा करना पड़ें, तब तक चल रहे कारोबार को लेखांकन का आधार बनाया जा सकता है।

निदेशक मंडल ग्रुप की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुवीक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि या लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के कारण है, जिसमें हमारी राय शामिल होती है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं होती है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाया जा सके। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तथ्यों की गलत बयानी उत्पन्न हो सकती हैं और इसे महत्वपूर्ण समझा जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित होने संभावित हो सकते है।

लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों की पहचान करके उनका आकलन करते है, कि क्या यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई है, और उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि से उत्पन्न होने वाले गलतबयानी की तुलना में बड़ा है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का डिजाइन, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त होता हैं, के क्रम में लेखापरीक्षा के अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या ग्रुप के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की कोई प्रभावशीलता है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन प्राक्कलनों की पर्याप्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए अनुमानों एवं संबंधित प्रकटणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- चालू व्यवसाय के लेखांकन के संबंध में प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष तथा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित होता हैं, भले ही गतिविधियों अथवा स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता हो, जो ग्रुप की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कराती हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटणों की ओर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह को चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद करना पड़ सकता है।

- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटण शामिल हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष स्थिति प्रकट होती है।

महत्वपूर्णता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की वह मात्रा है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभावना बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और उस कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में गवर्नेंस के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

गवर्नेंस के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का उल्लेख अपनी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में तब शामिल करते हैं जब तक कि विधि या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटण को शामिल न करते हों अथवा जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह मानते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से काफी हद तक उक्त समन्वय से सार्वजनिक हित लाभ महत्वपूर्ण साबित हो सकते है।

अन्य मामलें

हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2024 तक कुल परिसंपत्ति 1506.07 लाख रुपये, कुल राजस्व शून्य रुपये और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए (18.06) लाख रुपये का निवल लाभ/(हानि) दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

सहायक कंपनी 10 फरवरी, 2024 को निगमित हुई, और इसलिए, 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के आंकड़े समेकित परिणामों में दिए गए हैं। चूंकि उससे पहले सहायक कंपनी अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के आंकड़े केवल मूल कंपनी से संबंधित हैं और केवल तुलनात्मक उद्देश्य के लिए दिए गए हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और उन्हें प्राप्त किया है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को छोड़कर आवश्यक थेः

(i) हमें अधिकांश पक्षों और बैंकों से शेष राशि की पुष्टि के पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा, कार्यालयों द्वारा रेलवे को शेष पुष्टि पत्र नहीं भेजे गए, जो हमारे साथ सहमत दिशानिर्देशों के विरुद्ध है। समेकित वित्तीय विवरणों पर ऊपर बताई गई हमारी टिप्पणियों के प्रभाव की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(बी) हमारी राय में, ग्रुप द्वारा विधि अनुसार अपेक्षित उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं, ऐसा उन पुस्तकों की हमारी जांच परीक्षा से प्रतीत होता है।

(सी) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, लेखा-बही के अनुरूप हैं।

(डी) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं:

(इ) कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. 463 (ई), दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

(एफ) ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया अनुलग्नक 1 में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। वित्तीय रिपोर्टिंग पर ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता के बारे में हमारी रिपोर्ट में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है।

(जी) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षानुसार रिपोर्टिंग कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(एच) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i. ग्रुप ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटण किया है। समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37.2 में देखें।

ii. ग्रुप ने व्युत्पन्नी अनुबंधों सहित किसी भी दीर्घकालिक अनुबंध का समझौता नहीं किया है।

iii. ग्रुप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित की जाने वाली कोई राशि आवश्यक नहीं थी।

iv. (ए) ग्रुप ने यह प्रकटन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ग्रुप द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(बी) ग्रुप ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ग्रुप द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, ग्रुप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी "अंतिम लाभार्थियों" द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(सी) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमने परिस्थितियों में उचित माना है; हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि अनुच्छेद (iv) (ए) और (बी) के तहत हमें दिए गए प्रकटण में कोई गलतबयानी नहीं है।

v. वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम और अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, ग्रुप के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में ग्रुप के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल है, ग्रुप ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाता-बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा प्राप्त है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए यह पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, आयोजित लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3 (1) के प्रावधान के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए सांविधिक आवश्यकता के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल के संरक्षण पर रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के अनुच्छेद 3 (xx) और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सहायक परिणाम अलेखापरीक्षित हैं, इसलिए सीएआरओ रिपोर्ट में कोई योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते, एन. के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000429N)

हस्त/-
(एन. के. भार्गव)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई, 2024

यूडीआईएनः 24080624BKEJWZ9212

अनुलग्नक 1

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत अनुच्छेद 2 (एफ) में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने वर्ष 31 मार्च, 2024 तक के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ग्रुप) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

1. **आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व**

   भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लेखित अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए ग्रुप द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने का उत्तरदायित्व ग्रुप प्रबंधन का है। इन उत्तरदायित्वों में ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का समुचित डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावी ढंग से ग्रुप की नीतियों का पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता, तथा अधिनियम के तहत आवश्यक रूप से विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना शामिल है।

2. **लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व**

   हमारा दायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षित मानकों का पालन करते हुए लेखापरीक्षा आयोजित की, जिसे अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू सीमा, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं और यह दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुपालनार्थ आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या इन समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

   हमारे लेखापरीक्षा में इन समेकित वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना और इस आंकलित जोखिम के आधार पर डिजाइन तथा आंतरिक और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, समेकित वित्तीय विवरणों की गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो, जोखिमों के आकलन सहित लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

   हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह इन समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

3. **समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ**

   समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समूह का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर ग्रुप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के उन रख-रखाव से संबंधित है जो समूह की परिसंपत्तियों के लेन-देन और व्ययक्तियों को उचित रूप से प्रदर्शित करते हैं। (2) उचित आश्वासन प्रदान करना कि लेन-देन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों का पालन करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और समूह की प्राप्तियां और व्यय केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) समूह की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

4. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभुगत या अनुचित प्रबंधन के अधिभावी की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

5. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इस संबंध में हमारी निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं –

   i. मेकर और चेकर की अवधारणा, जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है, आम तौर पर गायब है यानी लागू नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और अन्य आँकड़ों में कई त्रुटियां और चूक हो रही हैं, जिनके आधार पर लेन-देन खाता-बही में दर्ज किए जाते हैं। ग्रुप को और अधिक पेशेवर कर्मचारियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमने यह भी पाया कि (i) ऊपर वर्णित मेकर और चेकर अवधारणा सहित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से समझौता किया जा रहा है/लागू नहीं किया जा रहा है, (ii) इन कार्यालयों द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए लेन-देन/खातों में बकाया शेष राशि की समय-समय पर समीक्षा नहीं की जा रही है।

   ii. हमने नोट किया कि-(ए) ई. आर. पी. में रखी गई लेखा बहियों में कुछ सहायक और नियंत्रण खाता बही शेष के बीच अंतर मौजूद हैं, जहां ऐसे खातों और अंतरों की प्रबंधन द्वारा क्रमशः पहचान और मात्रा निर्धारित किया जाना बाकी है।

   iii. कार्यालयों द्वारा पक्षकारों से शेष राशि का पुष्टि पत्र प्राप्त करने के लिए ग्रुप द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। रेलवे को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजे गए क्योंकि रेलवे नकद आधार पर अपने खाता बहियों को बनाए रखता है। इसके अलावा, अन्य पक्षों और बैंकों से मांगी गई शेष राशि की पुष्टि के लिए प्रतिक्रिया नगण्य थी और समय-समय पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा नहीं की गई है और उन्हें मजबूत नहीं बनाया गया है जिससे कि पक्षों से बेहतर प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

   iv. प्रणाली-आधारित स्वचालित नियंत्रण, जांच और संतुलन के बजाय मैनुअल नियंत्रण का पालन किया जाता है क्योंकि तीसरे पक्ष के अनुप्रयोगों/पोर्टलों के माध्यम से निष्पादित लेन-देन को एक्सेल प्रारूप में डेटा संकलित करते हुए ईआरपी में मैन्युअल रूप से पोस्ट किया जाता है क्योंकि मौजूदा ईआरपी अनुप्रयोग ग्रुप के कुछ कार्यों/खंडों के साथ एकीकृत नहीं है।

   v. 31 मार्च, 2024 तक बड़ी संख्या में निष्क्रिय नामे और जमा शेष मौजूद हैं, जिसमें बड़ी संख्या में विरासत प्रविष्टियां शामिल हैं। ग्रुप ने शेष राशियों की पहचान और मिलान करना शुरू कर दिया है। एक बार सभी प्रविष्टियों की पहचान हो जाने के बाद यदि आवश्यक हो तो ग्रुप द्वारा बट्टे खाते डालना/प्रतिलेखन करने की आवश्यकता होती है।

6. राय

हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और ऊपर वर्णित पैरा 5 में हमारी टिप्पणियों के साथ पठित, ग्रुप के सभी महत्वपूर्ण मामलों में, समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित रहे, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के घटकों पर विचार करते हुए ग्रुप द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर है।

कृते, एन. के. भार्गव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण सं. 000429N)

हस्त/-
(एन. के. भार्गव)
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: 080624
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 जुलाई, 2024

यूडीआईएन: 24080624BKEJWZ9212

31 मार्च, 2024 को समेकित तुलन पत्र

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
I. परिसम्पत्तिया			
1 गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(क) सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	3	22,590.99	22,368.66
(ख) पूंजीगत कार्य - प्रगति पर	4	44,251.83	3,379.07
(ग) निवेश सम्पत्ति	5	2,620.73	2,658.39
(घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	5 क	321.73	273.25
(ङ) परिसम्पत्ति के प्रयोग का अधिकारक	5 ख	8,742.74	9,792.86
(च) वित्तीय परिसंपत्ति	6		
(i) निवेश	6.1	-	-
(ii) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध)	6.2	117.19	94.40
(छ) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	7	14,128.36	13,054.96
(ज) अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति	8	1,925.97	22,072.53
		94,699.54	**73,694.11**
2 वर्तमान परिसम्पत्तियां			
(क) सूची	9	1,096.51	960.95
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां	10		
(i) व्यापार प्राप्तियां	10.1	1,37,434.19	1,14,291.40
(ii) नकद और नकद समकक्ष	10.2	70,633.87	42,884.51
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	10.3	1,57,130.73	1,50,197.23
(iv) अन्य	10.4	25,749.72	21,089.80
(ग) वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)	11	16,088.60	10,890.06
(घ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां	12	1,06,283.37	94,867.81
		5,14,416.99	**4,35,181.76**
कुल परिसंपत्तियां		**6,09,116.53**	**5,08,875.88**
II. इक्विटी एवं देयता			
1 इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	16,000.00	16,000.00
(ख) अन्य इक्विटी	14	3,06,978.84	2,31,840.41
		3,22,978.84	**2,47,840.41**
2 देयताएं			
(i) गैर वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	15		
(i) लीज देयताएं	70	4,179.74	5,945.11
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	15.1	5,428.56	3,743.64
(ख) प्रावधान	16	11,609.51	10,544.37
(ग) अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	17	1,752.46	1,665.81
		22,970.27	**21,898.93**
(ii) वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं	18		
(i) लीज देयताएं	70	1,855.31	2,471.11
(ii) व्यापार देय: -	18.1		
(ए) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि; तथा		9,274.74	2,483.31
(बी) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		90,490.36	82,732.16
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	18.2	55,734.76	35,502.43
(ख) अन्य वर्तमान देयताएं	19	1,02,771.53	1,13,189.73
(ग) प्रावधान	20	3,040.72	2,757.80
(घ) वर्तमान कर देयता (शुद्ध)	21	-	-
		2,63,167.42	**2,39,136.54**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**6,09,116.53**	**5,08,875.88**

सामग्री लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां इन समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं 1-85

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:-080624

हस्ता./-
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 09629741

हस्ता./-
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

हस्ता./-
सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I	परिचालन से राजस्व	22	4,27,017.85	3,54,147.29
II	अन्य आय	23	16,447.77	12,043.05
III	**कुल आय (I+II)**		**4,43,465.62**	**3,66,190.34**
	खर्च			
	उपभोज्य सामग्री की लागत	24	7,198.98	7,567.38
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	25	17,495.90	12,068.58
	तैयार माल की वस्तु सूचियों से परिवर्तन, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड	26	(152.71)	(132.48)
	खानपान सेवाओं का व्यय	27	1,36,704.02	1,07,289.98
	पर्यटन और ट्रेन परिचालन का व्यय	28	55,042.28	44,235.43
	विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय	29	17,462.86	14,673.70
	कर्मचारी हित खर्च	30	28,904.81	24,552.41
	वित्तीय लागत	31	1,864.49	1,611.25
	मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	32	5,721.64	5,372.96
	हानि क्षति	46	-	-
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	47	1,664.80	1,253.00
	अन्य व्यय	33	16,101.28	15,017.17
IV	**कुल व्यय (IV)**		**2,88,008.35**	**2,33,509.38**
V	**असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (III-IV)**		**1,55,457.27**	**1,32,680.96**
VI	असाधारण मदें	33.2	(5,853.03)	2,720.00
VII	**कर पूर्व लाभ (V+VI)**		**1,49,604.24**	**1,35,400.96**
VIII	कर खर्च:			
	(1) वर्तमान कर	34		
	- वर्तमान कर		39,276.54	37,322.40
	- पहले वर्ष के लिए		303.69	1,146.50
	(2) आस्थगित कर			
	- वर्ष के लिए		(1,083.72)	(2,797.54)
	- पहले वर्ष के लिए		-	(858.51)
IX	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)**		**1,11,107.73**	**1,00,588.11**
X	अविछिन्न परिचालन से लाभ		-	-
XI	अविछिन्न परिचालन का कर व्यय		-	-
XII	अविछिन्न परिचालनों से लाभ (X-XI)		-	-
XIII	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII)**		**1,11,107.73**	**1,00,588.11**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	अ. (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया		-	-
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	इ. (i) मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	- पोस्ट रोजगार लाभ के दायित्व का पुनर्मूल्यांकन	35	41.02	295.26
	(ii) आय कर से सम्बन्धीत मदों को लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		(10.32)	(74.32)
XV	**अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**30.70**	**220.94**
XVI	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII+XV) (इस अवधि के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय सहित)**		**1,11,138.43**	**1,00,809.05**
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57
XVIII	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)		-	-
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)		-	-
XIX	**आय प्रति इक्विटी शेयर:**			
	(निरंतर और अविछिन्न परिचालनों के लिए)			
	(1) मूलभूत (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57
	(2) डाइल्यूटेड (₹ में) (अंकित मूल्य ₹ 2 प्रति शेयर)	36	13.89	12.57

सामग्री लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां इन समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं 1-85

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:-080624

हस्ता./-
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 09629741

हस्ता./-
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

हस्ता./-
सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए समेकित कैश फ्लो का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से कैश फ्लो			
कर पूर्व लाभ		1,49,604.24	1,35,400.96
निम्न के लिए समायोजन: –			
मूल्यह्रास		5,721.64	5,372.96
फिक्स परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ)।		9.60	4.95
ब्याज आय		(11,633.79)	(7,782.49)
म्युचुअल फंड से लाभांश आय		-	(205.20)
लीज देयताओं पर ब्याज व्यय		606.05	625.00
निवेश संपत्ति से किराया से आय		(234.98)	(235.00)
पूंजी अनुदान का परिशोधन		(44.28)	(44.00)
आस्थगित सुरक्षा जमा के परिशोधन से आय-देयता		(1,332.05)	(955.91)
सुरक्षा जमा पर छूट की समाप्ति पर ब्याज आय		(2.92)	(3.05)
सुरक्षा जमा देयता पर छूट की समाप्ति		1,258.44	876.47
लीज देयताओं में संशोधन		(238.32)	(216.86)
प्रतिभूति जमा आस्तियों पर छूट की समाप्ति		2.87	3.13
अतिरिक्त प्रावधान पुनरांकित		(724.41)	(2,720.00)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		971.86	2,890.62
परिचालन पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालनिक लाभ	(1)	**1,43,963.95**	**1,33,011.58**
निम्न के लिए समायोजन: –			
वस्तुसूची में कमी / (वृद्धि)।		(135.56)	(168.16)
व्यापार और अन्य प्राप्तियों में कमी/(वृद्धि)।		(24,114.65)	(60,030.07)
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		4.76	(6.88)
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(3,667.29)	(3,730.88)
अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)		(11,415.56)	(9,854.20)
अन्य गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियों में कमी/(वृद्धि)।		(6.28)	(21.12)
अन्य गैर वर्तमान वित्तीय देयता में (कमी) / वृद्धि		426.49	648.27
गैर वर्तमान प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		1,106.17	508.97
अन्य गैर वर्तमान देयताओं में (कमी) / वृद्धि		1,462.98	1,970.33
व्यापार देय में (कमी)/ वृद्धि		14,549.63	16,126.54
अन्य वित्तीय देयताओं में (कमी) / वृद्धि		20,956.74	6,199.71
अन्य मौजूदा देयताओं में (कमी) / वृद्धि		(10,418.20)	39,500.16
वर्तमान प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		282.92	(81.78)
	(2)	**(10,967.85)**	**(8,939.11)**
परिचालन से प्राप्त कैश	(1+2)	**1,32,996.10**	**1,24,072.47**
प्रदत्त आयकर (रिफंड का शुद्ध)		(44,778.77)	(42,899.00)
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल कैश		**88,217.33**	**81,173.47**
ख. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान से		7.73	14.93
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अन्य अमूर्त परिसम्पत्तियों की खरीद		(23,249.50)	(6,755.85)
ब्याज प्राप्त		10,658.31	6,047.03
लाभांश प्राप्त.		-	205.20
अन्य बैंक शेष में परिवर्तन		(6,933.50)	(14,152.12)
सहायक कंपनी में शेयर आवेदन राशि के लिए भुगतान		-	-
गैर-वर्तमान टीडीआर में (कमी) / वृद्धि		(24.63)	32.98
वर्तमान टीडीआर में (कमी) / वृद्धि		(17.15)	(194.22)
निवेश संपत्ति से किराये की आय		234.98	235.00
वर्ष के दौरान दिए गए पूंजीगत अग्रिम		(710.85)	(17,107.75)
निवेश गतिविधियों में लगाया गया शुद्ध नकद		**(20,034.61)**	**(31,674.80)**

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
3. वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो		
लीज देयता के प्रमुख भाग का भुगतान	(3,827.31)	(2,809.54)
लीज देनदारी के ब्याज के भाग का भुगतान	(606.05)	(625.00)
प्रदत्त लाभांश	(36,000.00)	(40,000.00)
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकद	**(40,433.36)**	**(43,434.54)**
नकद और नकद समकक्ष शुद्ध में वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**27,749.36**	**6,064.13**
अथशेष नकद और नकद समकक्ष	42,884.51	36,820.38
इतिशेष नकद और नकद समकक्ष	**70,633.87**	**42,884.51**
नकद और नकद समकक्ष का समाधान		
नकद और नकद समक्ष में शामिल हैं		
नकद हस्ते	8.69	10.39
बैंकों में अधिशेष:		
– वर्तमान खाते में	63,997.43	38,449.01
– फ्लेक्सी खाते में	6,627.75	4,425.11
– तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमाओं में		
तुलन पत्र के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	**70,633.87**	**42,884.51**

नोट:–

1. नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखा मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।
2. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
अथशेष	8,416.22	10,492.13
नकद प्रवाह:–		
– पुनर्भुगतान	4,433.36	3,434.54
– कार्यवाही	–	–
गैर–नकद:–		
– लीज़ देनदारी पर ब्याज व्यय	606.05	625.00
– बढ़ी हुई लीज देनदारियों और अन्य समायोजनों के बदले में संपत्ति के उपयोग के अधिकार में शुद्ध वृद्धि	1,446.14	733.63
इतिशेष	**6,035.05**	**8,416.22**

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

हस्ता./–
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:–080624

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

कृते और उनकी ओर से :–
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./–
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:– 09629741

हस्ता./–
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:– 07247362

हस्ता./–
सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	₹ लाख में
1 अप्रैल, 2023 को अधिशेष (प्रत्येक 2 रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	8,000.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अप्रैल, 2023 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	8,000.00	16,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	-	-
	-	-
31 मार्च, 2024 तक अधिशेष (प्रत्येक 10/- रूपये का 100 लाख इक्विटी शेयर)	8,000.00	16,000.00

ख. अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2023	59,491.70	1,72,348.71	2,31,840.41
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	59,491.70	1,72,348.71	2,31,840.41
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		1,11,107.73	1,11,107.73
वर्ष के लिए कर पश्चात अन्य व्यापक आय	-	30.70	30.70
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	-	1,11,138.43	1,11,138.43
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	3,500.00		3,500.00
इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(16,000.00)	(16,000.00)
इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान		(20,000.00)	(20,000.00)
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	(3,500.00)	(3,500.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2024	62,991.70	2,43,987.14	3,06,978.84

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	शेयरों की संख्या लाख में	₹ लाख में
1 अप्रैल, 2022 को अधिशेष (प्रत्येक 10 रूपये का 1600 लाख इक्विटी शेयर)	8,000.00	16,000.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अप्रैल, 2022 में पुनर्निर्धारित अधिशेष	8,000.00	16,000.00
वर्ष के दौरान जारी की गई शेयर पूंजी	-	-
31 मार्च, 2023 तक अधिशेष (प्रत्येक ₹ 2/- रूपये का 8000 लाख इक्विटी शेयर)	**8,000.00**	**16,000.00**

ख अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	आरक्षित एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
वर्ष के आरम्भ में अधिशेष यानी 1 अप्रैल, 2022	55,991.70	1,15,039.66	1,71,031.36
पूर्व अवधि समायोजन के कारण प्रभाव एवं लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-
वर्ष की आरम्भ में पुनर्निर्धारित अधिशेष	**55,991.70**	**1,15,039.66**	**1,71,031.36**
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ		1,00,588.11	1,00,588.11
वर्ष के लिए कर पश्चात अन्य व्यापक आय	-	220.94	220.94
वर्ष के लिए कर पश्चात कुल व्यापक आय	**-**	**1,00,809.05**	**1,00,809.05**
प्रतिधारित आय से अंतरण	3,500.00		3,500.00
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(12,000.00)	(12,000.00)
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान		(28,000.00)	(28,000.00)
सामान्य रिज़र्व में अंतरण	-	(3,500.00)	(3,500.00)
वर्ष के अंत में अधिशेष अर्थात 31 मार्च, 2023	**59,491.70**	**1,72,348.71**	**2,31,840.41**

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

नोट-1 – कार्पोरेट संबंधी जानकारी

समेकित वित्तीय विवरण में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी-धारक कंपनी) और इसकी सहायक संस्था (सामूहिक रूप से ग्रुप संबोधित) के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

धारक कंपनी

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) (इसके बाद "ग्रुप" के रूप में संबोधित) की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा की गई है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे 27 सितम्बर, 1999 को भारतीय कंपनियों में शामिल किया गया था और इसका मूल उद्देश्य रेलवे के खानपान और पर्यटन गतिविधियों को एक नई कंपनी को सौंपना था, ताकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इन सेवाओं को व्यावसायिक बनाया जा सके और इनका उन्नयन किया जा सके। भारत में रेल आधारित पर्यटन राज्य एजेंसियों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों और आतिथ्य उद्योग के साथ समन्वय में उच्च विकास हासिल करने का विशिष्ट साधन होगा। कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है और कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस बाराखंभा रोड नई दिल्ली-110001 में स्थित है। 31 मार्च 2024 तक रेल मंत्रालय की कुल शेयरधारिता 62.4 प्रतिशत रही।

सहायक कंपनी

आईआरसीटीसी पेमेंट लिमिटेड (आईआरसीटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) एक पब्लिक लिमिटेड, सीआईएन - U66190DL2024GOI426549 कंपनी का अधिवास है और इसे 10 फरवरी 2024 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में शामिल किया गया था, जिसका उद्देश्य आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए भुगतान एकत्रीकरण, गेटवे और सीमा पार भुगतान सहित विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान संबंधी सेवाओं से संबंधित व्यवसाय करना है। यह नकद और उपहार कार्ड जैसे पूर्व-भुगतान उपकरण जारी करता है, कूपन और लॉयल्टी कार्ड का प्रबंधन करता है, और भारत बिल भुगतान इकाई के रूप में कार्य करता है। कंपनी भुगतान प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और फिनटेक समाधान विकसित करती है, जो ई-कॉमर्स, शैक्षिक, वित्तीय और सरकारी संस्थानों को समर्थन देता है। सहायक गतिविधियों में बैंक और निलंब खाते खोलना, तकनीकी बुनियादी ढांचे विकसित करना और विवादों का समाधान करना शामिल है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बी-148, 11वीं मंजिल, ए विंग स्टेट्समैन हाउस, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, मध्य दिल्ली-110001, भारत में स्थित है।

नोट-2 – तैयारी का आधार

ए) अनुपालन का विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण, समय-समय पर कार्यशील संस्था (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) के अनुसरण में चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं।

बी) समेकन के सिद्धांत –

सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण समेकन के लिए कंपनी की उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

सहायक कंपनी वह संस्था है जिस पर ग्रुप का नियंत्रण होता है। ग्रुप किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब ग्रुप को संस्था के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनशील प्रतिफल प्राप्त होता है या अधिकार रखता है तथा संस्था की संबंधित गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। सहायक कंपनी को उस तिथि से पूर्ण रूप से समेकित किया जाता है जिस दिन नियंत्रण समूह को हस्तांतरित किया जाता है। नियंत्रण बंद होने की तिथि से उन्हें विघटित कर दिया जाता है।

ग्रुप परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़कर मूल और इसकी सहायक कार्य क्षेत्र के वित्तीय विवरणों को एक साथ जोड़ता है। ग्रुप कंपनियों के बीच लेन-देन पर अंतर-कंपनी लेन-देन, शेष और अप्राप्त लाभ को समाप्त कर दिया जाता है। अप्राप्त घाटे को भी तब तक समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन-देन में अंतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण नहीं मिलता है।

सी) मापन का आधार

ग्रुप ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखांकन के उपार्जन आधार का अनुसरण कर रहा है तथा निम्नलिखित मदों के लिए संबंधित इंड-एएस के अनुसार उचित मूल्य पर मापन किया गया है।

i. निर्धारित अनुलाभ योजना और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी अनुलाभ
ii. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां उचित मूल्य (वित्तीय लिखत पर नीति) पर मापी जाती हैं।

डी) अनुमानों और निर्णयों का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग को प्रभावित करते हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देनदारियों, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशि और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। इस तरह के अनुमानों के उदाहरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोगी जीवन, कर्मचारी अनुलाभ व्यय, प्रावधान, राजस्व निर्धारण में प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि आदि शामिल हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन अनुमानों में परिवर्तन के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम ज्ञात/मूर्त रूप दिए जाते हैं।

ई) सभी वित्तीय जानकारी भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंकों के साथ निकटतम लाख रुपए तक पूर्णांकित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया हो।

एफ) सांविधिक देय और प्रतिदेय वर्तमान देनदारियों और वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है।

जी) नकदी प्राप्ति का विवरणे

नकदी प्राप्ति का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुए बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत कर-पूर्व लाभ को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्राप्ति को अलग किया जाता है।

नकदी प्राप्ति के विवरण के लिए, नकदी और नकदी समकक्ष में हाथ में नकदी, बैंकों में नकदी और बैंकों में मांग जमा शामिल हैं, बकाया बैंक निवल ओवरड्राफ्ट, जो मांग पर चुकाने योग्य हैं, उन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

कंपनी ने इंड-एएस 7 में संशोधन को अपनाया है, जिसके लिए संस्थाओं को ऐसे प्रकटण प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों में परिवर्तन का मूल्यांकन करने में सक्षम बनाते हैं, जिसमें नकदी प्राप्ति और गैर-नकद परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले दोनों परिवर्तन शामिल हैं, जो वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए तुलन-पत्र में शुरुआती और समापन शेष के बीच मिलान को शामिल करने का सुझाव देते हैं, ताकि प्रकटण की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

एच) विदेशी मुद्रा विनिमय

i. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रु. (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

ii. लेन-देन और शेष राशि

लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा में लेन-देन दर्ज किए जाते हैं। मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों को तुलन-पत्र की तिथि पर लागू विनिमय दरों के संदर्भ में अनुवादित या परिवर्तित किया जाता है।

ऐसे लेन-देन के निपटान से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ और हानियां तथा वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के विनिमय दर में परिवर्तन को लाभ या हानि के रूप में निर्धारण किया जाता है।

आई) संपत्ति, संयत्र तथा उपकरण

i. यदि निर्धारण मानदंडों को पूरा किया जाता है तो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अधिष्ठापन प्रभार की लागत पर कहे जाते हैं, जिसमें स्थापना शुल्क और अन्य संबंधित खर्च शामिल हैं।

ii. यदि निर्धारण मानदंड पूरे हो जाते हैं तो प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण और महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है।

iii. कंप्यूटर के मामले में, कंप्यूटर के साथ खरीदी गई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की लागत को कंप्यूटर के साथ पूंजीकृत किया गया है, जबकि नियमित उन्नयन और वार्षिक रखरखाव शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।

iv. कार्यालय परिसर के लिए पट्टे पर दी गई इमारतों पर व्यय को पट्टे पर कार्यालय विकास के रूप में पूंजीकृत किया गया है।

v. लक्जरी पर्यटक ट्रेन को परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में "लक्जरी पर्यटक ट्रेन" के रूप में दर्शाया गया है तथा इन परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित अनुदान के लिए सरकारी अनुदान पर नीति देखें।

vi. परिसंपत्तियों की बिक्री होने पर, लागत और संचित मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है, और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में निर्धारण किया जाता है।

जे) मूल्यह्रास और परिशोधन –

(ए) कुछ मदों को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट कालावधि के अनुसार मूल्यह्रास लगाया जाता है। कुछ मदों को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कालावधि के अनुसार मूल्यह्रास प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है –

विवरण	उपयोगी कालावधि
रेल नीर संयंत्र के अलावा रेलवे की भूमि पर स्थित परिसर में सिविल कार्य पर किए गए व्यय को पट्टा-आधारित सुधार के रूप में गिना गया है तथा दस वर्षों में इसका मूल्यह्रास किया गया है।	10 वर्ष

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

विवरण	उपयोगी कालावधि
रेलवे की भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दिए गए हैं और इस अवधि में उनका मूल्यह्रास किया गया है।	30 वर्ष
कंपनी ने नांगलोई, दानापुर, पलुर, अंबरनाथ और परसाला में रेलनीर संयंत्रों की स्थापना के लिए रेलवे से पट्टे के आधार पर भूमि ली है, भवनों और भूमि पर मूल्यह्रास (उपयोग संपत्ति के अधिकार के तहत)।	पट्टे की अवधि पट्टा करार के अनुसार अथवा मांग पत्रों में निर्दिष्ट है। दीर्घकालिक पट्टा करार /मांग पत्रों के अभाव में अवधि को आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञों की कालावधि समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार लिया जाता है।
सौर ऊर्जा संयंत्र और विद्युत सब-स्टेशन	25 वर्ष
डीजी सेट, वाटर ब्लोइंग मशीन, कंप्रेसर	10 वर्ष
संयंत्र के लिए एयर कंडीशनर और चिलर	5 वर्ष

(बी) मूल्यह्रास की गणना उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि के आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की बिक्री, निराकृत और हानि की तिथि तक मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

(सी) कंपनी रेल नीर संयंत्रों से संबंधित किसी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के प्रत्येक मद का उस स्थिति में अलग-अलग मूल्यह्रास होता है, यदि हिस्से की लागत मद की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है जो आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञ के पूर्वानुमानों एवं प्रमाणन पर आधारित हो। साथ ही, पीपीपी संयंत्रों के लिए, कंपनी द्वारा पूंजी सहायता प्रदान की जाती है, आंतरिक तकनीकी समिति द्वारा पूरे सिविल कार्य और संयंत्र के लिए अनुमानित जीवन का अनुमान क्रमशः 20 वर्ष और 10 वर्ष तय किया गया है। उपरोक्त के अलावा, बिलासपुर संयंत्र को जनवरी 2023 में कंपनी द्वारा संचालित संयंत्र से पीपीपी (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) में परिवर्तित कर दिया गया। संयंत्र की प्रत्येक मद का अपना कोडल जीवन है और इन भागों को उनके कोडल जीवन की समाप्ति के बाद आईआरसीटीसी द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, बिलासपुर संयंत्र में, मशीनरी और संयंत्र के जीवन को कंपनी के स्वामित्व वाले संयंत्र के मानकों के अनुसार माना जाना चाहिए, भले ही इसे पीपीपी संयंत्र में परिवर्तित कर दिया गया हो। इसके साथ ही, कंपनी द्वारा निर्मित बिलासपुर कारखाने के भवन की जीवन प्रत्याशा 30 वर्ष आंकी गई है, जो कि कंपनी के स्वामित्व वाले रेल नीर संयंत्रों के लिए पूर्व प्रथाओं के अनुसार, 30.03.2017 से शुरू होगी।

(डी) कार्यालय परिसरों और पट्टाधृत भूमि के संबंध में पट्टाधृत कार्यालय विकास (जिसके लिए पट्टा करार विद्यमान है) पट्टे की अवधि के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन किया गया है। रेलवे भूमि पर स्थित परिसरों में सिविल कार्य पर किए गए व्यय (जिसके लिए कोई पट्टा समझौता मौजूद नहीं है) को पट्टाधारी सुधार के रूप में लिया गया है और दस वर्षों के लिए मूल्यह्रास माना गया है। उपरोक्त के अलावा, रेल नीर संयंत्रों के लिए रेलवे भूमि पर सिविल अवसंरचना के कालावधि समीक्षा समिति की रिपोर्ट के अनुसार लिया गया है।

(ई) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन काल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

(एफ) मूल्यह्रास की गणना मूल्यह्रास योग्य राशि, यानि लागत में से इसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर काम किया जाता है।

(जी) पट्टे पर दी गई भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैटों के संबंध में, भूमि के पट्टे की पूरी अवधि के दौरान मूल्यह्रास लगाया जाता है।

(एच) विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए कालावधि समीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकित कालावधि, कंपनी अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार है, सिवाय इसके जो कि नीचे दिए गए हैं-

1) वह भूमि जिसके लिए आईआरसीटीसी के पास रेलवे के साथ लंबी अवधि यानी 10 वर्ष से अधिक के लिए पट्टा समझौता/आवंटन पत्र है- पट्टा संपत्ति बनाने के लिए करार (परसाला और दानापुर) के अनुसार जीवन लिया गया है।

2) वह भूमि जिसके लिए आईआरसीटीसी के पास रेलवे के साथ अल्पावधि यानी 10 वर्ष से कम के लिए पट्टा समझौता/आवंटन पत्र है या रेलवे के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है- नांगलोई और अंबरनाथ संयंत्र की भूमि को छोड़कर, पट्टे बनाने की अवधि (आरओयू) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 10 वर्ष ली गई है।

   (i) रेलवे की भूमि पर स्थापित नांगलोई प्लांट- वास्तविक करार के अनुसार कालावधि की गणना की गई है।

   (ii) रेलवे की जमीन पर स्थापित अंबरनाथ संयंत्रः आज तक रेलवे के साथ करार न होने के कारण केवल आरओयू बनाने के लिए पट्टे के लिए रेलवे द्वारा की गई मांग के अनुसार दिनांक 31.03.2026 तक कालावधि की गणना की गई है।

3) स्व-संचालित रेल नीर संयंत्र पर बने भवनों की कालावधि निम्नलिखित के सिवाय कंपनी अधिनियम के अनुसार यानि 30 वर्ष है -

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

(i) कालावधि की अनिश्चितता के कारण नांगलोई में संयंत्र के लिए बनाए गए भवन को रेलवे के साथ वास्तविक करार की समाप्ति यानी 31.03.2024 तक के लिए लिया गया है।

(ii) करार नहीं होने के कारण, अंबरनाथ और पालुर संयंत्र पर बने भवन की कालावधि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत से 10 साल यानी 31.03.2031 तक ली गई है।

(iii) रेलवे भूमि पर स्थित भवनों के लिए, जिनके लिए स्पष्ट समझौता है, ऐसे भवनों की कालावधि रेलवे के साथ हुए किसी भी करार की कालावधि के समान लिया गया है।

4) पीपीपी संयंत्रों के लिए भवन, संयंत्र और मशीनरी का मूल्यह्रास समिति द्वारा मूल्यांकन की गई कालावधि के अनुसार किया जा रहा है यानि सिविल निर्माण के लिए 20 वर्षों और पी एंड एम के लिए 10 वर्ष, सिवाय बिलासपुर संयंत्र के, जिसका मूल्यह्रास स्वामित्व वाले रेल नीर संयंत्र में अपनाई गई प्रथा के अनुसार किया जा रहा है।

5) रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, स्टेशन के नवीनीकरण के कारण, अजमेरी गेट की ओर उत्तरी जोन में स्थित पट्टाधारिता सुधार और सिविल बुनियादी ढांचे की कालावधि दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई है। कंपनी के स्वामित्व वाले अन्य बेस किचन यानी पट्टाधारी सुधार, पी एंड एम और अन्य चयनित कार्यालय उपकरणों के लिए निर्धारित परिसंपत्तियों की कालावधि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक यानी 31 मार्च 2025 तक ली गई है।

6) रेलवे की भूमि पर स्थित कार्यालय जहां कोई समझौता नहीं है और कार्यालय 01 मार्च, 2019 को अस्तित्व में हैं, वहां आरओयू बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 (प्रारंभिक पुनर्गठन अवधि/संक्रमण अवधि) से 10 वर्ष की कालावधि ली गई है।

7) भारत गौरव ट्रेनों पर किए गए किसी भी पूंजीगत व्यय को भारतीय रेल की भारत गौरव योजना के तहत ट्रेनों का पट्टा कालावधि के दौरान परिशोधित किया जा रहा है।

8) रेलवे परिसंपत्तियों पर कोई अन्य व्यय - यानि रेलवे के साथ करार के अनुसार मूल्यह्रास/परिशोधन किया जा रहा है और किसी भी करार के अभाव में, यह 10 वर्ष होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार ली गई संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की महत्वपूर्ण मदों की वर्तमान और तुलनात्मक अवधि के लिए परिसंपतियों की अनुमानित उपयोगी कालावधि इस प्रकार है-

विवरण	उपयोगी कालावधि
संयंत्र और मशीनरी	15 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
नेटवर्क और सर्वर	6 वर्ष
एयर कंडीशनर (रेलनीर संयंत्र के अलावा)	10 वर्ष
फर्नीचर	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फैक्ट्री भवन	30 वर्ष
रेलनीर संयंत्र भवन के अलावा अन्य भवन	60 वर्ष
लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन (बेयर शेल)	15 वर्ष
अमूर्त परिसंपत्तियां	4 वर्ष
विद्युत संस्थापनाएं और उपकरण	10 वर्ष

के) प्रगति में पूंजी कार्य/पूंजी अग्रिम

प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) की लागत शामिल है जो अभी तक अपने लक्षित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं और उन परिसंपत्तियों की लागत जो तुलन-पत्र की तिथि से पूर्व उपयोग में नहीं लाई गई है। पीपीई प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई अग्रिम राशि को अन्य "गैर-चालू परिसंपत्तियों" के तहत "पूंजीगत अग्रिम" के रूप में दर्शाया जाता है।

एल) अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, वेब पोर्टल, पर्यटन पोर्टल आदि को अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए प्रतिफल पर दर्ज किया जाता है और अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी कालावधि को 4 वर्ष माना गया है।

एम) निवेश संपत्तियां

ए) निवेश संपत्तियों को लागत, संचित मूल्यह्रास और संचित हानि नुकसान, यदि कोई हो, के निवल पर बताया जाता है।

बी) कंपनी द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में निर्धारित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी कालावधि पर निवेश संपत्ति के भवन निर्माण घटक का मूल्यह्रास लगाया जाता है।

सी) निवेश संपत्तियों का निर्धारण तब रद्द कर दिया जाता है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया जाता है और उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर को निर्धारण रद्द करने की अवधि में लाभ या हानि के रूप में पहचाना जाता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

एन) चालू और गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए परिचालन चक्र

कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया है जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है और अन्य सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ओ) अनुमान और निर्णयों का उपयोग – प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां:

ए. प्रावधान–

प्रावधानों को उन देयताओं के संबंध में निर्धारण किया जाता है जिन्हें केवल पर्याप्त मात्रा में अनुमानों का उपयोग करते हुए ही मापा जा सकता है जब:

(ए) किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी पर वर्तमान दायित्व उत्पन्न होना।

(बी) दायित्व का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; और

(सी) दायित्व की राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के संबंध में अपेक्षित प्रतिपूर्ति का तभी निर्धारण किया जाता है जब यह लगभग निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जिन प्रावधानों का निपटान 12 महीने से अधिक समय में होने की उम्मीद है, उन्हें कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करते हुए वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जो देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को ब्याज व्यय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

बी. आकस्मिक देयताएं

(ए) आकस्मिक देयताओं का प्रकटण निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता है–

i. किसी पूर्व घटना से उत्पन्न होने वाला वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी; या

ii. वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता; या

iii. संभावित दायित्व, जब तक कि संसाधन के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो।

(बी) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक देयताओं और प्रावधानों के लिए आकस्मिक देयता समीक्षा की जाती है।

(सी) आकस्मिक देयता, निपटान पर संभावित बहिर्वाह पर विचार करते हुए अनुमानित प्रावधानों का निवल भाग है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

(ए) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटण वहां किया जाता है जहां आर्थिक अनुलाभ संभावित हो।

(बी) प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है।

पी) राजस्व निर्धारण

कंपनी खानपान सेवाओं (मोबाइल और स्थिर दोनों इकाइयों) का प्रबंधन करने, विभागीय खानपान इकाइयों का संचालन, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर बजट होटलों का प्रबंधन, फूड प्लाजा संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करना, अचल खानपान स्टॉल, वाटर वेंडिंग मशीन, इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकटों की बुकिंग करने, सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रेल संपर्क-139 कॉल सेंटर का प्रबंधन, प्रतिष्ठित टूर ऑपरेटरों के माध्यम से पैकेज टूर की व्यवस्था करने, संपूर्ण टूर पैकेज का प्रबंधन, रेलनीर-पैकेज्ड पेयजल का उत्पादन और वितरण, निजी ट्रेनों का संचालन करने आदि के व्यवसाय में शामिल है।

ए) कंपनी भारतीय लेखा मानक-115 में निर्धारित पांच चरणों के आधार पर ग्राहकों के साथ संविदा के माध्यम से राजस्व का निर्धारण करती है:-

(i) ग्राहक के साथ संविदाओं की पहचान करना:- संविदा दो या उससे अधिक पक्षकारों के बीच एक करार के रूप में परिभाषित की जाती है जो लागू करने योग्य अधिकारों और दायित्वों का सृजन करती है और प्रत्येक संविदा के लिए मानदंड निर्धारित करती है जिसे पूरा किया जाना चाहिए।

(ii) संविदा में कार्य-निष्पादन दायित्वों की पहचान करना: कार्य-निष्पादन दायित्व ग्राहक के साथ संविदा में ग्राहक को कोई वस्तु या सेवा हस्तांतरित करने का वादा है।

(iii) लेन-देन मूल्य निर्धारित करना: लेन-देन मूल्य वह राशि है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को स्थानांतरित करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है, जिसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

(iv) संविदा में कार्य-निष्पादन दायित्वों के लिए लेन-देन मूल्य आवंटित करना - ऐसी संविदा के लिए जिसमें एक से अधिक कार्य-निष्पादन दायित्व हैं, कंपनी प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए लेन-देन मूल्य को उस राशि में आवंटित करती है जो उस प्रतिफल की राशि को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करने के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

(v) राजस्व का निर्धारण तब किया जाता है जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा किए गए सामान या सेवाओं को हस्तांतरित करते हुए कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। किसी परिसंपत्ति का हस्तांतरण तब होता है जब ग्राहक उस परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है।

यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा हो जाता है तो कार्य-निष्पादन दायित्व का समाधान हो जाता है और समय के साथ राजस्व का निर्धारण हो जाता है-

ए) यह कार्य-निष्पादन किसी वैकल्पिक उपयोग वाली परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है तथा आज तक पूर्ण किए गए कार्य-निष्पादन हेतु भुगतान पाने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

बी) कार्य-निष्पादन किसी परिसंपत्ति का सृजन या संवर्धन करता है, जिसे परिसंपत्ति के सृजन या संवर्धन के दौरान ग्राहक नियंत्रित करता है।

सी) ग्राहक प्रदान किए गए अनुलाभों को एक साथ प्राप्त करता है और उपभोग करता है।

कार्य-निष्पादन दायित्वों के लिए, जहां उपर्युक्त शर्तों में से एक को पूरा नहीं किया जाता है, तो राजस्व का उस समय निर्धारण किया जाता है जब कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है। जब वादा की गई वस्तुओं या सेवाओं को वितरित करते हुए कार्य-निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है, तो यह कार्य-निष्पादन द्वारा अर्जित प्रतिफल की राशि पर संविदा आधारित परिसंपत्ति का सृजन करता है। जहां किसी ग्राहक से प्राप्त प्रतिफल की राशि, निर्धारण प्राप्त राजस्व की राशि से अधिक हो जाती है, तो यह संविदा दायित्व को जन्म देती है।

कार्य-निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए प्राप्त राजस्व को उस कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आवंटित लेन-देन मूल्य (निवल परिवर्तनीय प्रतिफल) की राशि पर मापा जाता है। बिक्री की गई मद और सेवाओं का लेन-देन मूल्य, संविदा के हिस्से के रूप में कंपनी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न छूट और योजनाओं के कारण निवल परिवर्तनीय प्रतिफल है।

राजस्व का उस सीमा तक निर्धारण किया जाता है, जहां तक यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे तथा राजस्व और लागत, यदि लागू हो, को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकें।

i. बिक्री

रेलनीर-पैकेज्ड पेयजल, खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री का उस समय निर्धारण किया जाता है जब माल की बिक्री और सेवाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें भारतीय लेखा मानक-115 के अनुसार जीएसटी आदि के बाद दर्ज किया जाता है। इसमें अंतर-डिपो और अंतर-इकाई हस्तांतरण शामिल नहीं है।

ii. इंटरनेट टिकट प्रणाली से आय

(ए) सेवा शुल्क से आय - सेवा शुल्क से आय कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से विदेशी ग्राहकों द्वारा बुक किए गए टिकटों पर अर्जित सेवा शुल्क के मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है। ऐसे टिकटों की बिक्री पर अर्जित सकल सेवा शुल्क को कंपनी के उपचय के रूप में दर्ज किया गया है तथा संबंधित रेलवे हिस्से को व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

(बी) सुविधा शुल्क से आय - सुविधा शुल्क से आय कंपनी की वेबसाइट (www.irctc.co.in) के माध्यम से घरेलू ग्राहकों द्वारा बुक किए गए टिकटों पर अर्जित सुविधा शुल्क के मूल्य के आधार पर निर्धारण किया जाता है। ऐसी टिकटों की बिक्री पर अर्जित सुविधा शुल्क को कंपनी के उपचय के रूप में दर्ज किया गया है तथा ऐसी आय पर रेलवे का कोई हिस्सा देय नहीं है।

iii. खानपान सेवाओं से आय

रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय ने कंपनी को ट्रेनों और अन्य स्थानों पर खानपान सेवाओं को उन्नत और पेशेवर बनाने का कार्य सौंपा है। कंपनी निम्नलिखित नीतियों के अनुसार खानपान सेवाओं से अपनी आय का निर्धारण करती है।

- **ऑन-बोर्ड खानपान सेवाओं से आय-**

  कंपनी भारतीय रेल नेटवर्क पर प्री-पेड ट्रेनों यानी राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान, तेजस ट्रेनों आदि में खानपान सेवाएं प्रदान करती है। यह आय भारतीय रेल के यात्रियों को खानपान सेवाएं प्रदान करने के आधार पर उपचय की जाती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

- **रियायत शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क और लाइसेंस शुल्क से आय–**

कंपनी को निम्नलिखित से आय प्राप्त करती है –

क्र. सं.	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	लाइसेंसधारियों से प्राप्त शुल्क की प्रकृति
1.	राजधानी, दुरंतो, शताब्दी, वंदे भारत, गतिमान, तेजस आदि प्री-पेड ट्रेनों में कैटरिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविधा अवधि के लिए एकमुश्त रियायत शुल्क (नवीनीकरण अवधि सहित, यदि कोई हो), और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क, जैसा लागू हो
2.	एसबीडी (मानक बोली दस्तावेज) करार और खानपान नीति, 2017 के अनुसार रेलवे द्वारा कंपनी को ट्रेनों में खानपान सेवाएं देने का कार्य सौंपा गया।	संविधा अवधि के लिए निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
3.	मेल/जनशताब्दी/एक्सप्रेस ट्रेनों में खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा प्राप्तकर्ता के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निश्चित लाइसेंस शुल्क।
4.	भारतीय रेल परिसर में फूड प्लाजा की स्थापना और उसके संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	(i) कंपनी की पूर्व नीति के तहत किए गए संविदा के मामले में निर्धारित मासिक उपयोगकर्ता शुल्क और परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क। (ii) संविदा प्राप्तकर्ता के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया गया।
5.	रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन (डब्ल्यूवीएम) के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	प्रत्येक डब्लूवीएम की सेवा प्रारंभ करने की तिथि के आधार पर निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
6.	रेलवे स्टेशन पर अन्य स्थिर इकाइयों जैसे जलपान कक्ष, जनाहार, कार्यकारी लाउंज, विश्राम कक्ष आदि के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	इकाई के प्रारंभ होने की तिथि से संविदा प्राप्तकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित लाइसेंस शुल्क।
7.	भारतीय रेल परिसर में बजट होटलों के पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के लिए लाइसेंस प्रदान करना।	संविदा प्राप्तकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क और लाइसेंस शुल्क।
8	विलंबित भुगतान, यदि कोई हो, पर जुर्माना, दंड एवं ब्याज।	विलंबित भुगतान पर जुर्माना, दंड और ब्याज, यदि कोई हो, तो लाइसेंसधारी और विक्रेताओं से प्राप्त होने पर निर्धारण किया जाएगा।
9.	ट्रेनों में ई-कैटरिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।	यात्रियों को वितरित कुल भोजन के मूल्य पर परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क

इन शीर्षों के अंतर्गत आय को निम्नानुसार निर्धारण / लेखांकित किया गया है –

- **रियायत शुल्क –** आय को राजस्व निर्धारण से संबंधित भारतीय लेखा मानक-115 में दी गई अवधि के दौरान उपचय आधार (प्रति-अनुपात) पर निर्धारण किया जाता है। कंपनी द्वारा प्राप्त एकमुश्त रियायत शुल्क (असमाप्त रियायत शुल्क) को अग्रिम रूप से प्राप्त आय के रूप में माना गया है। यदि रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन के रद्दीकरण/वापसी के कारण ट्रेनों का करार समाप्त कर दिया जाता है, तो उस अवधि के दौरान आय की गणना की जाएगी, जब करार प्रभावी था।

- **उपयोगकर्ता शुल्क –** फूड प्लाजा और बजट होटल लाइसेंसधारियों द्वारा देय उपयोगकर्ता शुल्क परियोजना के चालू रहने की अवधि तक उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

- **लाइसेंस शुल्क**

(ए) कंपनी द्वारा प्राप्त निश्चित लाइसेंस शुल्क का लेखा संविदा के संचालन के चालू रहने की अवधि तक उपचय आधार (प्रति-अनुपात) पर किया जाता है।

(बी) परिवर्तनीय लाइसेंस शुल्क को ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई खानपान सेवाओं के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

(सी) लाइसेंस शुल्क का लेखा पुनर्विकास, संचालन, प्रबंधन और हस्तांतरण के आधार पर लाइसेंसधारियों द्वारा संचालित बजट

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

होटलों के अनुमानित कारोबार के निर्धारित प्रतिशत के रूप में किया जाता है। जहां लाइसेंसधारी से लेखापरीक्षित खातों के अनुसार उसके वास्तविक कुल कारोबार के आधार पर अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क प्राप्त किया जाना है, वहां उसका लेखा रसीद के आधार पर किया जाता है।

- **संविदा समाप्ति पर अर्जित आय –** नियमों और शर्तों के उल्लंघन के कारण समाप्त किए गए खानपान संविदा से आय का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है –

  I. समाप्ति की तिथि तक, आय को संविदा अवधि के दौरान रियायत शुल्क के संबंध में आनुपातिक आधार पर निर्धारण किया जाता है, तथा लाइसेंस शुल्क के मामले में, ट्रेन के परिचालन की अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर निर्धारण किया जाता है।

  II. अन्य आय: संविदाओं की समाप्ति पर रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क और प्रतिभूति जमा की शेष राशि को वर्ष के दौरान अर्जित अन्य आय के रूप में निर्धारण किया जाता है।

iv. पैकेज टूर से आय

कंपनी रेल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रेलगाड़ियों, विशेष कोच चार्टर और मूल्यवर्धित पर्यटन के तहत बर्थों की बुकिंग और हवाई टिकटों की बुकिंग में लगी हुई है। कंपनी समूह आधार पर विदेशी पर्यटन की बुकिंग में भी लगी हुई है। विशेष रेलगाड़ियों/कोच चार्टर से होने वाली आय में रेलवे द्वारा निर्धारित किराये के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में कंपनी का सेवा शुल्क शामिल होता है। मूल्य-वर्धित पर्यटन के मामले में, आय में किराया, ऑन-बोर्ड/ऑफ-बोर्ड व्यय और कंपनी के सेवा शुल्क शामिल होते हैं। हवाई टिकटों से होने वाली आय में, ग्राहकों से हवाई टिकटों की बुकिंग से अर्जित सेवा शुल्क भी शामिल है।

सम्पूर्ण टूर पैकेज, बौद्ध सर्किट विशेष ट्रेन, भारत दर्शन ट्रेन और भारत गौरव ट्रेन के मामले में, आय में ग्राहक से एकत्रित जीएसटी की कुल राशि शामिल होती है।

यात्रा की तिथि के आधार पर, आय उपचय (आनुपातिक) आधार पर दर्ज की जाती है।

v. रेल परिचालन से आय

कंपनी क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त ट्रेनों के परिचालन में ढुलाई शुल्क सिद्धांत के आधार पर लगी हुई है। विशेष रेलगाड़ी के परिचालन से प्राप्त आय में कंपनी द्वारा यात्रियों से निर्धारित किराया शामिल है। रेलगाड़ियों के परिचालन से प्राप्त आय को भारतीय लेखा मानक-115 की आवश्यकता के अनुसार रेलगाड़ियों के परिचालन के दौरान निर्धारण किया जाता है।

vi. एकीकरण शुल्क

आरक्षित रेल ई-टिकटिंग सेवा के लिए कंपनी के साथ पंजीकरण और एकीकरण के लिए प्रमुख सेवा प्रदाता द्वारा कंपनी को देय एकमुश्त एकीकरण शुल्क को 20 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारण किया गया है।

vii. वाटर वेंडिंग मशीन

कंपनी लाइसेंसधारी के साथ जल वेंडिंग मशीनों के लिए मध्यस्थता कार्यवाही में है और इस आदेश के अनुसार, लाइसेंसधारी के साथ क्लस्टर व्यवस्था के तहत पहले डब्लूवीएम के चालू होने की तिथि पर राजस्व का तत्काल निर्धारण के विरुद्ध, प्रत्येक जल वेंडिंग मशीन के शुरू होने की तिथि के आधार पर राजस्व का निर्धारण/उपचय किया गया है।

viii. टीडीआर और लाभांश आय सहित सावधि जमा से ब्याज आय

सावधि जमा और टीडीआर से ब्याज के रूप में प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हुए उपचय आधार पर निर्धारण किया जाता है।

लाभांश आय का निर्धारण तब किया जाता है, जब कंपनी का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

क्यू) व्यय

व्यय की मदों का उपचय के आधार पर निर्धारण किया जाता है, तथापि कुछ व्यय/दावे, जो निश्चित नहीं हैं, उनका हिसाब उनके निश्चित होने पर लगाया जाता है।

(i) रेलनीर – पैकेज्ड पेयजल और खानपान गतिविधि पर व्यय

व्यय का लेखा, उपचय आधार पर किया जाता है तथा सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किए जाते है।

रेलवे के राजस्व हिस्से पर व्यय कंपनी के संयंत्रों पर निवल लाभ के 15% की दर से दर्ज किया जाता है और पीपीपी संयंत्रों के लिए राजस्व हिस्सा वर्ष के लाभ के 40% की दर से दर्ज किया जाता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

(ii) इंटरनेट टिकटों पर व्यय

व्यय का लेखा उपचय आधार पर किया जाता है तथा सभी ज्ञात हानियों और देयताओं के लिए प्रावधान किया जाता है।

(iii) भुगतान किया गया खानपान शुल्क –

(ए) ऑनबोर्ड खानपान शुल्क

भारतीय रेल के यात्रियों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं के लिए ठेकेदार को भुगतान किए गए खानपान शुल्क का लेखा उपचय के आधार पर किया जाता है।

(बी) रियायती शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क, लाइसेंस शुल्क –

इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय को निम्नलिखित अनुसार निर्धारण/लेखांकित किया गया है–

- भुगतान किया गया रियायती शुल्क - ऑनबोर्ड खानपान संविदा के संबंध में भारतीय रेल को देय रियायती शुल्क संविदा अवधि के दौरान उपचय आधार (प्रति-अनुपात) पर निर्धारण किया गया है। भारतीय रेल को अव्ययित रियायत शुल्क पर रेलवे के हिस्से का भुगतान अग्रिम माना गया है। यदि संविदा की शर्तों का उल्लंघन या रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेन को रद्द करने/वापस लेने के कारण ट्रेनों के संविदा समाप्त हो जाते हैं, तो उस अवधि के दौरान व्यय का निर्धारण संविदा के प्रभावी होने से किया जाता है।

- भुगतान किए गए उपयोगकर्ता शुल्क - फूड प्लाजा और बजट होटलों के संबंध में भारतीय रेल को देय उपयोगकर्ता शुल्क का लेखा परियोजनाओं के संचालन की अवधि तक उपचय आधार पर किया जाता है।

- **लाइसेंस शुल्क का भुगतान**

  कंपनी द्वारा भारतीय रेल को देय लाइसेंस शुल्क का लेखा एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर, संविदा के संचालन की अवधि तक उपचय आधार (प्रति-अनुपात) पर किया जाता है।

  - भारतीय रेल को देय जुर्माना एवं दंड उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है।

  - ट्रेन परिचालन पर अभिरक्षा/ढुलाई शुल्क -

  (ए) कंपनी द्वारा क्षेत्रीय रेलवे को देय निर्धारित वार्षिक प्रभारों का लेखा-जोखा ट्रेनों के परिचालन तक उपचय आधार (प्रति-अनुपात) पर किया जाता है।

  (बी) परिवर्तनशील ढुलाई प्रभार- क्षेत्रीय रेलवे को देय शुल्क, वर्ष के लिए ट्रेनों के परिचालन के आधार पर रेलवे के साथ संविदा के अनुसार प्रति किलोमीटर और प्रति दिन ट्रेन परिचालन के लिए एक निश्चित दर के रूप में उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

- **पर्यटन व्यय**

  सम्पूर्ण टूर पैकेज, बौद्ध सर्किट विशेष ट्रेन और भारत गौरव ट्रेनों के मामले में, टिकटों की लागत, सेवा शुल्क और अन्य ऑनबोर्ड/ऑफबोर्ड शुल्क का हिसाब उपचय आधार पर लगाया जाता है। रेल परिचालन के मामले में, रेलवे द्वारा निर्धारित/परिवर्तनीय ढुलाई/अन्य प्रभारों तथा खानपान/अन्य व्ययों के कारण होने वाले व्यय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

  प्रारंभिक व्यय और शेयर निर्गम व्यय को इंड एएस-1 के अनुसार उस वर्ष में पूर्ण रूप से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जिसमें वे व्यय किए गए हों।

आर) पट्टे

जहां कंपनी पट्टेदार है –

(i) कंपनी पट्टा प्रारंभ तिथि पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और पट्टा देयता का निर्धारण करती है। उपयोग संपत्ति के अधिकार को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टे की देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही कोई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित संपत्ति को हटाने और हटाने या अंतर्निहित संपत्ति या जिस स्थान पर यह स्थित है, उसे बहाल करने के लिए लागत का अनुमान, प्राप्त किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को कम करना शामिल है।

(ii) उपयोग-अधिकार-परिसंपत्ति का मूल्यह्रास, उसके प्रारंभ की तिथि से लेकर उपयोग-अधिकार-परिसंपत्ति के उपयोगी कालावधि की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति तक सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान ही निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को समय-समय पर क्षति हानि, यदि कोई हो, के आधार पर कम किया जाता है, तथा पट्टा देयता के कुछ पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

(iii) पट्टा देयता को प्रारंभ में पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है या यदि कंपनी की वृद्धिशील उधार दर की वह दर आसानी से निर्धारित नहीं की गई है।

(iv) पट्टा दायित्व को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जब सूचकांक या दर में परिवर्तन से भविष्य के पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है तो इसे पुनः मापा जाता है। जब पट्टा दायित्व को इस तरीके से पुनः मापा जाता है, तो उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में संगत समायोजन किया जाता है या यदि उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो उसे लाभ और हानि में दर्ज किया जाता है।

(v) कंपनी तुलन-पत्र में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को अलग से "उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों" के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है, तथा पट्टा देनदारियों को तुलन-पत्र में "अन्य वित्तीय देनदारियों" के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

(vi) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे:- कंपनी ने 12 महीने या उससे कम अवधि वाले अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों का निर्धारान नहीं करने का निर्णय लिया है। कंपनी इन पट्टों से जुड़े पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधे तौर पर व्यय के रूप में निर्धारण किया है।

जहां कंपनी पट्टादाता है –

जब कंपनी पट्टादाता के रूप में कार्य करती है, तो वह पट्टे के आरंभ में ही यह निर्धारित कर लेती है कि प्रत्येक पट्टा वित्त पट्टा है या परिचालन पट्टा। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिम और लाभों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित करता है। यदि ऐसा है तो यह पट्टा वित्तीय पट्टा है, यदि ऐसा नहीं है तो यह परिचालन पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक कालावधि के प्रमुख भाग के लिए है।

कंपनी परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी तौर पर आय के रूप में अन्य आय के भाग के रूप में निर्धारण किया जाता है।

एस) परिसंपतियों का ह्रास

'परिसंपत्तियों के ह्रास' पर भारतीय लेखा मानक 36 में परिभाषित नकदी उत्पादक इकाइयों की पहचान तुलन-पत्र की तिथि पर वहन राशि के संबंध में की जाती है। लाभ और ह्रास खाते के विवरण में उसकी वसूली योग्य राशि और ह्रास, यदि कोई हो, का निर्धारण किया गया है। ह्रास, को यदि बाद में प्रतिवर्ती किए जाने की आवश्यकता हो, तो उसे प्रतिवर्ती वर्ष में रखा जाता है।

टी) उधारी लागत

सामान्य और विशिष्ट उधार लागतें अर्हक परिसंपत्तियों के सीधे अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां अपने लक्षित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती हैं। अर्हक परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अपने लक्षित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में निर्धारण किया जाता है जिसमें वे खर्च की गई हैं।

यू) कर्मचारी अनुलाभ

(ए) अल्पावधि कर्मचारी अनुलाभ

सेवाएं प्रदान करने के बारह महीने के भीतर पूर्णतः देय सभी कर्मचारी अनुलाभों को अल्पकालिक कर्मचारी अलाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेतन, मजदूरी और अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति आदि जैसे अनुलाभों को उस अवधि में निर्धारण किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(बी) दीर्घकालिक कर्मचारी अनुलाभ –

(i) अर्ध वेतन अवकाश और एलटीसी जैसे दीर्घकालिक कर्मचारी अनुलाभों के लिए दायित्व को वर्ष के अंत में किए गए

- बीमांकित मूल्यांकन पर हिसाब में लिया जाता है
- बीमांकित लाभ/हानि को वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में निर्धारण किया जाता है।

(ii) **छुट्टी नकदीकरण**

- कंपनी अपने तुलन-पत्र में छुट्टी नकदीकरण के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई पॉलिसी को प्रतिपूर्ति अधिकार के रूप में निर्धारण करती है।
- कंपनी अपने तुलन-पत्र में निर्धारित अनुलाभ योजना के दायित्व को देयता के रूप में निर्धारण करती है और वर्ष समाप्ति पर, स्वतंत्र बीमांकित द्वारा किए गए बीमांकित मूल्यांकन द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है।
- कंपनी वर्ष के लाभ और हानि विवरण में निर्धारित अनुलाभ लागत के घटकों का निर्धारण करती है।
- कंपनी वर्ष के लाभ और हानि विवरण में प्रतिपूर्ति के अधिकार की वहन राशि में परिवर्तन का निर्धारण करती है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

- बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में निर्धारण किया जाता है।

(सी) सेवा अवधि पश्चात अनुलाभ

(i) निर्धारित अंशदान योजनाएँ – कंपनी भविष्य निधि योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एक निश्चित अंशदान देती है। योजनाओं के अंतर्गत भुगतान किया गया/देय अंशदान उस अवधि के दौरान निर्धारण प्राप्त होता है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(ii) निर्धारित अनुलाभ योजनाएँ – कंपनी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा अनुलाभ प्रदान करती है। इन अनुलाभों की पात्रता आमतौर पर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने और न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करने पर सशर्त होती है। इन अनुलाभों की अपेक्षित लागतों को पूरे सेवाकाल के दौरान उसी लेखांकन पद्धति का उपयोग करते हुए अर्जित किया जाता है, जिसका उपयोग निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के लिए किया जाता है।

(iii) उपदान सेवाकाल के पश्चात निर्धारित अनुलाभ योजना है। तुलन-पत्र में निर्धारित दायित्व, तुलन-पत्र की तिथि पर निर्धारित अनुलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। निर्धारित अनुलाभ दायित्व की गणना प्रक्षिप्त इकाई ऋण (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकित द्वारा की जाती है।

(iv) निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः मापन अनुलाभ और हानियों को उस अवधि में निर्धारण किया जाता है, जिसमें वे सीधे अन्य समग्र आय में होते हैं। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित आय में शामिल किया जाता है।

(व) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के लिए विदेशी सेवा अंशदान – पेंशन और अवकाश वेतन के लिए प्रावधान/देयताएं सरकारी नियमों और विनियमों के अनुसार बनाई जाती हैं तथा उपचय के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में दर्शाई जाती हैं।

v) (i) यदि आय/व्यय की मदें अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के कंपनी के कुल कारोबार के 1% से अधिक हैं, तो पूर्व अवधि की त्रुटियों/मदों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस अवधि में त्रुटि हुई थी, उसके लिए तुलनात्मक राशियों को दोहराकर इन्हें पूर्वव्यापी रूप से निपटाया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः दर्शाया जाता है। यदि प्रारंभिक अवधि को पुनः बताना अव्यावहारिक हो, तो तुलनात्मक जानकारी को समायोजित किया जाता है, ताकि नई लेखांकन नीति को प्रारंभिक व्यावहारिक तिथि से लागू किया जा सके।

(ii) तुलन-पत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाएं

तुलन-पत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं का प्रभाव, जो तुलन-पत्र की तिथि पर मौजूद शर्तों से संबंधित राशियों के निर्धारण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाली अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों में समायोजित किया जाता है।

डब्ल्यू) इन्वेंटरी

(i) इन्वेंटरी का मूल्यांकन कम लागत और निवल प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(ii) कच्चे माल, पैकिंग सामग्री, भंडार, पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों के मामले में, लागत में शुल्क और कर (आईटीसी के बाद, जहां भी लागू हो) शामिल हैं और इसकी गणना एफआईएफओ के आधार पर की जाती है।

(iii) तैयार माल और प्रक्रियाधीन कार्य में कच्चे माल की लागत, पैकिंग सामग्री, निश्चित और परिवर्तनीय उत्पादन उपरिव्ययों का उचित हिस्सा, लागू उत्पाद शुल्क तथा इनवेंटरी को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं।

(iv) पीडी वस्तुओं (व्यापारिक माल) का मूल्यांकन एफआईएफओ आधार पर लागत या एनआरवी पर किया जाता है।

एक्स) कराधान

(ए) वर्तमान आयकर

(i) वर्तमान आयकर सहित करों की गणना लागू कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए की जाती है।

(ii) राशि की गणना के लिए प्रयुक्त कर दरें और कर कानून वे हैं जो उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होते हैं या मूल रूप से लागू होते हैं जहां कंपनी संचालित होती है और कर योग्य आय अर्जित करती है।

(iii) वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए चालू आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कराधान प्राधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। अतिरिक्त करों के लिए देयता, यदि कोई हो, निर्धारण पूरा होने पर प्रदान/भुगतान किया जाता है।

(iv) ओसीआई मदों से संबंधित वर्तमान कर को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में निर्धारण प्राप्त है।

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

(बी) आस्थगित कर

कंपनी ने कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस-12 "आयकर" के अनुरूप आस्थगित कराधान का लेखा-जोखा रखा है।

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है, जिनकी गणना रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए की जाती है।

ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक निर्धारण किया जाता है, जहां यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर जमा और अप्रयुक्त कर घाटे को अग्रेषित करने का उपयोग किया जा सकता है।

iii. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना नहीं रह जाती कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सम्पूर्ण या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

iv. ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में निर्धारण प्राप्त है।

वाई) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय का निर्धारण करते समय, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को मिलने वाले निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या होती है। प्रति शेयर मिश्रित आय का निर्धारण करते समय, इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले निवल लाभ और अवधि में बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

जेड) अनुदान

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद से संबंधित सरकारी अनुदान को, संबंधित परिसंपत्तियों के संभावित जीवन अवधि के अनुसार, आस्थगित आय और पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में किए गए जमा में शामिल किया जाता है तथा उसे अन्य आय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. राजस्व व्यय से संबंधित अनुदानों को संबंधित व्ययों में समायोजित किया जाता है। राजस्व के अप्रयुक्त हिस्से और पूंजी अनुदान को देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

iii. गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति के रूप में सरकारी अनुदान को उचित मूल्य पर निर्धारण किया जाता है तथा अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करते हुए तुलन-पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

एए) नकदी एवं नकदी समकक्ष

नकदी एवं नकदी समकक्षों में रोकड़, ड्राफ्ट/चेक, बैंक शेष, बैंकों में जमा राशि और अल्पावधि निवेश शामिल हैं, जो अल्प अवधि वाले (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम), उच्च मात्र वाले निवेश होते हैं, जिन्हें तत्काल नकदी में बदला जा सकता हैं और जिनसे मूल्य में किन्हीं परिवर्तनों का कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं होता।

बीबी) कालातीत चेक

जिन चेकों का तीन माह की वैधता अवधि के भीतर समाशोधन नहीं किया गया है, उन्हें कालातीत चेक खाते में जमा कर दिया जाता है। निजी पक्षकारों से संबंधित कालातीत चेक, जो कालातीत चेक में स्थानांतरण की तिथि से 4 वर्ष से अधिक पुराने हैं, तथा सरकारी निकायों से संबंधित चेक, जो कालातीत चेक में स्थानांतरण की तिथि से 6 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा जिनका समाशोधन कालातीत चेक खाते में नहीं किया जा सका है, उन्हें विविध आय में जमा किया जाता है। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए उसे विविध व्यय में नामे किया जाएगा।

सीसी) वित्तीय लिखत–

आरंभिक निर्धारण और माप

वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य सहित अथवा लेन-देन लागतों को कम करते हुए निर्धारित किया जाता है, जो वित्तीय लिखतों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे देय है। हालांकि वित्तीय परिसंपतियाँ (व्यापार प्राप्य) जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, उन्हें लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

यदि किसी व्यापारिक गतिविधि के दौरान वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, जिसका उद्देश्य इन संविदात्मक परिसंपत्तियों के नकदी प्राप्ति को बनाएं रखना होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्राप्ति को बढ़ाता है, जो बकाया मूल राशि और ब्याज के पूरी तरह से भुगतान को कम करता हैं। प्रभावी ब्याज दर में से परिशोधन, यदि कोई हो, को कम करते हुए परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों का माप किया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्तीय आय में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है–

(i) प्रतिभूति जमा

(ii) प्रतिधारण राशि

(iii) नगदी और नगदी समकक्ष

(iv) अन्य वित्तीय साधन के साथ समायोज्य अग्रिम

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

अन्य समग्र आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां किसी ऐसे व्यवसाय के अंतर्गत रखी जाती हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाहों को एकत्रित करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को विक्रय करना होता है तथा वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें विनिर्दिष्ट तिथियों में नकदी प्राप्ति को बढ़ाती हैं, जो पूर्ण रूप से बकाया मूल राशि पर मूल और ब्याज का भुगतान होता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को प्रारंभ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में निर्धारण किया जाता है। हालाँकि, कंपनी ब्याज से प्राप्त आय का निर्धारण करती है, परिशोधन ह्रास और प्रतिवर्तन, तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में शामिल करती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए निर्धारण किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता है। यदि ऐसा करने से माप या पहचान संबंधी असंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ और हानि विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय दायित्व

व्यापार और अन्य देय, प्रतिभूति जमा, वापसी योग्य अग्रिम और प्रतिधारण धन द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर निर्धारण किया जाता है, और बाद में प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर किया जाता है।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं (एफवीटीपीएल)

कंपनी ने एफवीटीपीएल में कोई वित्तीय देयताएं निर्दिष्ट नहीं की है।

निर्धारण रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का कोई हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को तभी निर्धारण से बाहर किया जाता है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्राप्ति के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्तियों और तदुपरांत परिसंपत्ति के मालिकाना हक के सभी जोखिमों और प्रतिफल का हस्तांतरण करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय दायित्व को तब निर्धारण से बाहर किया जाता है, जब देयता के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाती है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व को निर्धारण से बाहर करने और एक नए दायित्व को निर्धारण के रूप में माना जाता है, और संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में निर्धारण किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रासित

कंपनी उन वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण ह्रासित (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करते हुए ह्रासित भत्तों की हानि का निर्धारण करती है, जिसका लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। बिना किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक वाले व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ते को आजीवन ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ईसीएल को 12 महीने की ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि आरंभिक निर्धारण से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो, ऐसे मामले में उन्हें आजीवन ईसीएल पर मापा किया जाता है। ईसीएलएस (या प्रतिवर्ती) की वह राशि जिसे उस राशि की रिपोर्टिंग तिथि पर हानि भत्ते को समायोजित करने के लिए आवश्यक है जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, उसे लाभ और हानि खाते के विवरण में लाभ या हानि के रूप में निर्धारित किया गया है।

डीडी) उचित मूल्य का मानप

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों का निर्धारण करती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति

भारतीय मानकों के अनुसार लेखांकन नीतियां (इंड एएस)

की बिक्री किसी देयता के हस्तांतरण मापन की तिथि को बाजार प्रतिभागियों के बीच सही रूप से लेन-देन के द्वारा प्राप्त होता है। उचित मूल्य माप इस पूर्वानुमान पर आधारित होता है कि परिसंपत्ति की बिक्री की लिए लेन-देन या देयता के हस्तांतरण इनमें से किसी रूप में हो -

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार में, या
- प्रमुख बाजार न होने की स्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सर्वाधिक लाभप्रद बाजार में।

मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का माप अनुमानों के आधार पर मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण के समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं। कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हैं और उचित मूल्य को मापने हेतु पर्याप्त आँकड़े उपलब्ध है, जिसके लिए अपेक्षित ध्यान देने योग्य इनपुट का अधिकतम तथा ध्यान न देने योग्य इनपुट का न्यूनतम उपयोग किया जाता है।

परिसंपत्तियां और देयता जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकटण किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया जाता है, जो कि न्यूनतम स्तर के इनपुट पर आधारित होता है। समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए निम्न महत्वपूर्ण है -

- स्तर 1 समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सुस्पष्ट उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है।
- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीकें जिसके लिए न्यूनतम स्तर का इनपुट लिया जाता है जो अस्पष्ट रूप से उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से निर्धारण की जाने वाली परिसंपत्तियों और देयताओं के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुए हैं या नहीं, जिसके लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करते हुए (सबसे निचले स्तर के इनपुट के आधार पर, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) किया जाता है।

रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव का विश्लेषण करती है, जिनका लेखांकन नीतियों के अनुसार पुनः माप या पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक होता है। इस विश्लेषण के लिए, कंपनी संविदाओं और अन्य संबंधित दस्तावेजों के मूल्यांकन की गणना में दी गई जानकारी से सहमत होते हुए नवीनतम मूल्यांकन में मुख्य इनपुटों का उपयोग करते हुए सत्यापन करती है।

कंपनी प्रत्येक परिसंपत्ति और देयता के उचित मूल्य में परिवर्तन की तुलना संबंधित बाह्य स्रोतों से करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि परिवर्तन उचित है या नहीं।

उचित मूल्य के प्रकटण के उद्देश्य से, कंपनी ने परिसंपत्ति या देयताओं की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के आधार पर, जैसा ऊपर बताए गए उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देयताओं के श्रेणियों का निर्धारण किया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणी:– 3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	भवन			संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत लगाना एवं उपकरण	ईडीपी परिसंपत्तियां	कार्यालय उपकरण		फर्नीचर एवं फिक्स्चर	लग्ज़री पर्यटन गाड़ियां	कुल
		फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट	लीज़होल्ड सुधार	फैक्ट्री भवन–लीज़होल्ड				एयर कंडीशनर	कार्यालय उपकरण			
सकल आगे बढ़ाई वेल्यू												
01 अप्रैल 2022 को	2,370.40	4,112.01	2,603.24	4,642.53	10,245.96	537.90	10,214.99	494.53	1,471.12	671.35	5,202.46	42,566.49
जुड़ी	2,235.61	394.43	28.68	301.97	722.16	4.15	735.28	25.23	132.08	29.46	–	4,609.05
निपटान/समायोजन	–	–	22.07	–	7.27	–	0.47	2.06	43.15	11.37	–	86.39
31 मार्च, 2023 को	4,606.01	4,506.44	2,609.85	4,944.50	10,960.85	542.05	10,949.80	517.70	1,560.05	689.44	5,202.46	47,089.15
जुड़ी			98.23	728.58	1,657.57	3.42	405.09	22.36	62.96	22.42		3,000.63
निपटान/समायोजन					10.04	5.33	76.35	8.76	31.46	4.85		136.79
31 मार्च, 2024 को	4,606.01	4,506.44	2,708.08	5,673.08	12,608.38	540.14	11,278.54	531.30	1,591.55	707.01	5,202.46	49,952.99
संचित मूल्यह्रास एवं हानि												
01 अप्रैल, 2022 को	–	70.06	1,227.78	1,041.59	4,996.64	367.67	8,109.45	374.56	1,180.61	469.66	4,200.28	22,038.30
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	–	70.43	271.48	286.97	948.19	33.72	734.63	29.63	98.08	38.94	239.89	2,751.96
हानि												
निपटान/समायोजन	–	–	21.22	–	1.88	–	(1.21)	1.56	35.45	10.87	–	69.77
31 मार्च, 2023 को	–	140.49	1,478.04	1,328.56	5,942.95	401.39	8,845.29	402.63	1,243.24	497.73	4,440.17	24,720.49
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क		73.77	333.32	313.46	968.18	37.63	645.59	25.47	93.93	29.53	240.07	2,760.95
हानि												
निपटान/समायोजन					8.52	4.24	71.10	7.73	23.34	4.51		119.44
31 मार्च, 2024 को	–	214.26	1,811.36	1,642.02	6,902.61	434.78	9,419.78	420.37	1,313.83	522.75	4,680.24	27,362.00
शुद्ध वहन वेल्यू												
31 मार्च, 2024 को	4,606.01	4,292.18	896.72	4,031.06	5,705.77	105.36	1,858.76	110.93	277.72	184.26	522.22	22,590.99
31 मार्च, 2023 को	4,606.01	4,365.95	1,131.81	3,615.94	5,017.90	140.66	2,104.51	115.07	316.81	191.71	762.29	22,368.66
01 अप्रैल 2022 को	2,370.40	4,041.95	1,375.46	3,600.94	5,249.32	170.23	2,105.54	119.97	290.51	201.69	1,002.18	20,528.19

नोट 3.1 वित्त वर्ष 2009–10 के दौरान, समूह ने एक पैन इंडिया लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन का अधिग्रहण किया। उक्त ट्रेन की कुल लागत 5,046.57 लाख रुपये थी। पर्यटन मंत्रालय ने ₹ 1,237.00 लाख की पूंजी सब्सिडी दी थी जिसे आस्थगित अनुदान के रूप में मान्यता दी गई है और मूल्यह्रास के अनुपात में परिशोधन किया गया है।

नोट 3.2

लीजहोल्ड एसेट्स (उपयोग का अधिकार) के विवरण के लिए नोट 5 बी और अचल संपत्तियों के शीर्षक कार्यों के लिए नोट संख्या 69 देखें, जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट: – 4 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	रेलनीर संयंत्र – विजयवाड़ा (आंध्रप्रदेश)	रेलनीर संयंत्र–भुसावल (महाराष्ट्र)	रेलनीर संयंत्र–भुवनेश्वर (उड़ीसा)	रेलनीर संयंत्र–ऊना (हिमाचल प्रदेश)	रेलनीर संयंत्र–सिम्हाद्री (एपी)	बजट होटल	प्रशिक्षण केंद्र, फरीदाबाद	रेलनीर संयंत्र–कोटा (राजस्थान)	अन्य	कुल
01 अप्रैल, 2022 को अधिशेष	**196.14**	**510.39**	**42.00**	**436.78**	**1,390.33**	**41.32**	**–**	**–**	**–**	**2,616.96**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	-	165.59	373.92	198.80	120.00	471.65	98.00	-	10.13	1,438.09
समायोजन	-56.14	-675.98	-	56.14	-	-	-	-	-	-675.98
31 मार्च, 2023 को अथशेष	**140.00**	**–**	**415.92**	**691.72**	**1,510.33**	**512.97**	**98.00**	**–**	**10.13**	**3,379.07**
जोड़ (अनुवर्ती व्यय)	314.86		35.90	8.82	354.51	920.63	413.32	40,498.53		42,546.57
समायोजन			-451.82	-700.54			-511.32	-	-10.13	-1,673.81
31 मार्च, 2024 को अथशेष	454.86	–	–	–	1,864.84	1,433.60	–	40,498.53	–	44,251.83

नोट: – 4.1 (ए) पूंजीगत कार्य प्रगति पर की परिपक्वन अनुसूची

31 मार्च 2024 को सीडब्ल्यूआईपी परिपक्वन अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	42088.54	591.65	551.64	1020	44251.83
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

उथखझ रसशळपस डलहशर्वीश्रश रों प 31[st] चरीलह 2023

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्यप्रगति पर	निम्न अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति पर परियोजनाएं	1272.5	962.88	805.73	337.96	3379.07
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट: - 4.1 (बी) पूंजीगत कार्य प्रगति पर के परिपक्वन अनुसूची जिसकी पूर्णता इसकी मूल योजना की तुलना में अतिदेय है

31 मार्च 2024 को

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	निम्न में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
बजट होटल - लखनऊ*	1,697.69	-	-	-	1,697.69
बजट होटल - खजुराहो**	42.50	-	-	-	42.50
बजट होटल - केवडिया***	124.65	-	-	-	124.65
फ़रीदाबाद में प्रशिक्षण केंद्र***	1,433.60	-	-	-	1,433.60
रेलनीर प्लांट- विजयवाड़ा*****	454.86	-	-	-	454.86

* जून, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति।
** सितंबर, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति दी गई।
*** अगस्त, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति दी गई।
**** मई, 2024 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति।
***** जुलाई, 2024 तक पूरा करने के लिए पुनः निविदा।

31 मार्च 2023 को

राशि (लाख ₹ में)

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	निम्न में पूरा किया जाना है				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
बजट होटल - लखनऊ*	1,347.15	-	-	-	1,347.15
रेलनीर प्लांट - सिम्हाद्री	691.72	-	-	-	691.72
रेल नीर प्लांट-भुवनेश्वर	415.92	-	-	-	415.92
रेलनीर संयंत्र- विजयवाड़ा	-	140.00	-	-	140.00

*दिसंबर, 2023 तक पूरा करने के लिए विस्तार की अनुमति दी गई।

नोट:- 4.1(सी)

31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 तक ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसकी लागत आज की तारीख में इसकी मूल योजनाओं की तुलना में अधिक हो।

नोट:- 5 निवेश सम्पत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	गुड़गांव में भूमि	गुड़गांव में भवन	कुल
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	**464.66**	**2,368.52**	**2,833.18**
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**464.66**	**2,368.52**	**2,833.18**
वर्ष के दौरान जोड़/समायोजन	-	-	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	**464.66**	**2,368.52**	**2,833.18**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	**-**	**137.23**	**137.23**
वर्ष के दौरान परिशोधन		37.56	37.56
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	गुड़गांव में भूमि	गुड़गांव में भवन	कुल
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**–**	**174.79**	**174.79**
वर्ष के दौरान परिशोधन		37.66	37.66
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	**–**	**212.45**	**212.45**
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2024 को	**464.66**	**2,156.07**	**2,620.73**
31 मार्च, 2023 को	**464.66**	**2,193.73**	**2,658.39**
01 अप्रैल, 2022 को	**464.66**	**2,231.29**	**2,695.95**

नोट:–5.1 31 मार्च, 2023 को निवेश संपत्ति का उचित मूल्य 5831.00 लाख रूपये है, जिसका मूल्यांकन एक मौजूदा बाजार दरों के अपनाने के द्वारा भूमि और भवन विधि के आधार पर पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत किया गया हैं।

5.2 अन्य प्रकटन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31, मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31, मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि के विवरण में निवेश संपत्तियों के लिए मान्यता प्राप्त राशियाँ		
– किराए से आय	234.98	235.00
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त हुई	17.66	17.44
संपत्ति का प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जिससे किराये से आय प्राप्त नहीं हुई	–	–
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से प्राप्त हुई आय	217.32	217.56
मूल्यह्रास और परिशोधन	37.66	37.56
निवेश संपत्तियों से आय (शुद्ध)	**179.66**	**180.00**

टिप्पणी 5 ए अन्य अमूर्त संपत्ति

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	सॉफ्टवेयर	लाइसेंस	कुल
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	**1,253.90**	**70.52**	**1,324.42**
वर्ष के दौरान जोड़	7.44	–	7.44
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**1,261.34**	**70.52**	**1,331.86**
वर्ष के दौरान जोड़	107.07	129.86	236.93
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	**1,368.41**	**200.38**	**1,568.79**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल, 2022 को अथशेष	**729.65**	**58.31**	**787.96**
वर्ष के दौरान परिशोधन	258.45	12.20	270.65
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			0.00
31 मार्च, 2023 को इतिशेष	**988.10**	**70.51**	**1,058.61**
वर्ष के दौरान परिशोधन	186.01	2.44	188.45
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन			–
31 मार्च, 2024 को इतिशेष	**1,174.11**	**72.95**	**1,247.06**
शुद्ध वहन वेल्यू			
31 मार्च, 2024 को	**194.30**	**127.43**	**321.73**
31 मार्च, 2023 को	**273.24**	**0.01**	**273.25**
01 अप्रैल, 2022 को	**524.25**	**12.21**	**536.46**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट 5 ख परिसंपत्ति के प्रयोग का अधिकार

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भूमि	भवन*	वाहन	कुल
सकल वहन मूल्य				
01 अप्रैल 2022 को अथशेष	**3,967.98**	**5,287.33**	**6,094.75**	**15,350.06**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	40.32	2,976.48	3,736.72	6,753.52
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	584.43	736.78	3,107.84	4,429.05
31 मार्च 2023 को इतिशेष	**3,423.87**	**7,527.03**	**6,723.63**	**17,674.53**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार		1,387.91	2,479.83	3,867.74
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन		181.26	2,002.02	2,183.28
31 मार्च 2023 को इतिशेष	3,423.87	8,733.68	7,201.44	19,358.99
मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल 2022 को अथशेष	**578.96**	**2,018.89**	**2,971.04**	**5,568.88**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	136.77	913.63	1,262.39	2,312.79
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को इतिशेष	**715.73**	**2,932.52**	**4,233.43**	**7,881.67**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रभार	136.77	1,048.00	1,549.81	2,734.58
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-		-
31 मार्च 2024 को इतिशेष	852.50	3,980.52	5,783.24	10,616.25
शुद्ध वहन वेल्यू				
31 मार्च, 2024 को	2,571.37	4,753.16	1,418.20	8,742.74
31 मार्च, 2023 को	2,708.14	4,594.51	2,490.20	9,792.86
01 अप्रैल, 2022 को	3,389.02	3,268.44	3,123.71	9,781.18

*नोट:- भवन में रेलवे भूमि पर निर्मित आवासीय फ्लैट शामिल हैं जो 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर हैं और उस अवधि के दौरान उनका मूल्यह्रास हुआ है।

नोट:- 6 वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

नोट:- 6.1 गैर-वर्तमान निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
संयुक्त उद्यम के इक्विटी उपकरणों में निवेश		
रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड के प्रत्येक ₹ 10 के 25 लाख इक्विटी शेयर	250.00	250.00
कम: निवेश के मूल्य में हानि	(250.00)	(250.00)
कुल निवेश	-	-

नोट 6.1 ए अन्य खुलासे: गैर चालू निवेश

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
बिना उद्धत निवेश की कुल राशि	250.00	250.00
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि	(250.00)	(250.00)
निवेश का कुल उचित मूल्य	-	-

नोट 37.2 (ii), 44.4 और 45 देखें

नोट 6.2 अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) बैंक गारंटी या अन्य प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सावधि जमा	116.38	91.75
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
बी) सुरक्षा जमा	0.81	2.65
कुल	117.19	**94.40**

* शेयर 8 अप्रैल, 2024 को आवंटित किए गए हैं

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 7 आस्थगित कर

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क. आस्थगित कर देनदारियां		
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	189.42	302.06
आस्थगित कर देनदारियों का कुल	**189.42**	**302.06**
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
कर्मचारी लाभ	3,579.35	3,298.60
संदिग्ध ऋण	3,749.44	3,504.86
वैधानिक देनदारियां (धारा 43बी के तहत)	5,232.44	4,854.89
निवेश	62.93	62.93
पट्टा देयता (आरओयू का शुद्ध)	177.96	219.63
आस्थगित राजस्व	954.87	919.95
दावों/नुकसान के लिए प्रारंभिक व्यय और प्रावधान	560.79	496.16
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का कुल	**14,317.78**	**13,357.02**
आस्थगित कर संपत्ति नेट	**14,128.36**	**13,054.96**

आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) का संचलन

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	कर्मचारी लाभ	संदिग्ध कर्ज	संवैधानिक देयताएं (धारा 43बी के अन्तर्गत)	निवेश	लीज़ देयता (आरओयु का शुद्ध)	आस्थगित राजस्व	दावों/नुकसान के लिए प्रारंभिक व्यय और प्रावधान	कुल
1 अप्रैल 2022 को अथशेष (नोट सं 52 और 84 देखें)	**(566.65)**	**1,553.80**	**2,794.04**	**4,034.77**	**62.93**	**303.16**	**762.17**	**529.00**	**9,473.22**
वर्ष के दौरान प्रभारित/(क्रेडिट) (नोट सं 52 और 84 देखें)									
लाभ एवं हानि के लिए	264.59	1,819.12	710.82	820.12	–	(83.53)	157.78	(32.84)	3,656.06
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(74.32)	–	–	–	–	–		(74.32)
31 मार्च 2023 को इतिशेष	**(302.06)**	**3,298.60**	**3,504.86**	**4,854.89**	**62.93**	**219.63**	**919.95**	**496.16**	**13,054.96**
वर्ष के दौरान प्रभारित/(जमा)									
लाभ एवं हानि के लिए	112.64	291.07	244.58	377.55	–	(41.67)	34.92	64.64	1,083.73
अन्य व्यापक आय के लिए	–	(10.32)	–	–	–	–	–		(10.32)
31 मार्च 2024 को इतिशेष	**(189.42)**	**3,579.35**	**3,749.44**	**5,232.44**	**62.93**	**177.96**	**954.87**	**560.79**	**14,128.36**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:- 8 अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) पूंजीगत अग्रिम		
फ्लैट निर्माण के लिए भारतीय रेलवे को अग्रिम पूंजी	635.98	635.98
एयर इंडिया से फ्लैट की खरीद के लिए अग्रिम पूंजी	94.49	90.32
नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की खरीद के लिए पूंजीगत अग्रिम	706.68	20,851.84
भारत गौरव ट्रेनों के लिए रसोई उपकरणों के लिए पूंजीगत अग्रिम	-	8.98
ख) अन्य		
सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा	488.65	485.18
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	0.17	0.23
कुल	**1,925.97**	**22,072.53**

* यह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और किए गए व्यय के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है

नोट :- 9 वस्तुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कच्चा माल	483.41	500.56
तैयार माल	602.18	449.56
व्यापारिक माल-पैक्ड (पीडी) मदें	10.92	10.83
कुल	**1,096.51**	**960.95**

नोट:- 10 वित्तीय परिसंपत्तियां

नोट :- 10.1 व्यापार प्राप्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
उचित समझा - सुरक्षित	-	-
उचित समझा - असुरक्षित	1,36,184.14	1,12,348.49
व्यापार प्राप्तियां जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	382.51	1,524.06
व्यापार प्राप्तियां क्रेडिट असामान्य	15,377.80	14,343.61
घटाए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(14,510.26)	(13,924.76)
कुल व्यापार प्राप्तियां	**1,37,434.19**	**1,14,291.40**

नोट 58 देखें

नोट 10.2 : नकद और नकद समकक्ष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
हाथ में पैसा	8.69	10.39
बैंकों के अधिशेष:		
- वर्तमान खाते में	63,997.43	38,449.01
- फ्लेक्सी वर्तमान खाते में	6,627.75	4,425.11
कुल	**70,633.87**	**42,884.51**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :– 10.3 : नकद और नकद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक अधिशेष

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
– 3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ जमा लेकिन 12 महीने से कम (नोट सं 48 देखें)	1,47,500.00	1,49,227.89
– अनुसूचित बैंक के साथ प्रतिबंधित शेष		
अदत्त लाभांश खाते	83.26	46.20
सीएसआर अव्ययित खाते	75.98	53.60
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ जमा लेकिन 12 महीने से कम (नोट 10.3.1 देखें)	9,471.49	869.54
कुल	**1,57,130.73**	**1,50,197.23**

नोट 10.3.1: ₹ 9,471.49 लाख की सावधि जमा बैंक गारंटी या अन्य प्रतिबद्धताओं के खिलाफ मार्जिन मनी के रूप में रखे गए टीडीआर का प्रतिनिधित्व करती है।

नोट 10.3.2: सीएसआर के अव्ययित खाते में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 73.80 लाख और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 2.18 लाख शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 73.80 लाख के अव्ययित बैंक शेष में समूह द्वारा अन्य बैंक खाते से जमा किए गए टीडीएस के लिए ₹ 0.08 लाख शामिल हैं, जिसे सीएसआर अव्ययित खाते से समूह के सामान्य बैंकिंग खाते में स्थानांतरित किया जाना है।

नोट:– 10.4 अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तिया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
सुरक्षा जमा	1280.08	1182.97
बैंक गारंटी या अन्य प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखी गई सावधि जमा	225.46	208.31
सावधि और सावधि जमा पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	5,832.36	4,856.88
संपत्ति की प्रतिपूर्ति का अधिकार		
भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना	5989.27	5257.44
अन्य प्राप्य	12,422.55	9,584.20
कुल	**25,749.72**	**21,089.80**

नोट:– 11 प्रचलित कर परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आयकर वापसी	11,675.45	5,836.75
कर एवं टीडीएस के लिए अग्रिम (31 मार्च, 2024 को ₹ 39276.54 लाख और 31 मार्च, 2023 को ₹ 37322.40 लाख आयकर के लिए शुद्ध प्रावधान)	4,413.15	5,053.31
कुल	**16,088.60**	**10,890.06**

नोट:– 12 अन्य प्रचलित परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
अन्य अग्रिम	7,721.06	5,365.53
घटाएः संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	(535.25)	(149.03)
सरकारी प्राधिकारी के पास अधिशेष	4,649.85	6,023.49
रेलवे के पास अन्य जमा	91,852.97	79,406.60
अन्य		
प्रदत्त व्यय	2,594.68	4,218.35
प्रतिभूति जमा पर उचित मूल्य समायोजन*	0.06	2.87
कुल	**1,06,283.37**	**94,867.81**

* यह प्रारंभिक मान्यता और व्यय की गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :- 13 इक्विटी शेयर पूंजी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक ₹ 2 के 12500 लाख इक्विटी शेयर	25,000.00	25,000.00
(31 मार्च 2023 को- प्रत्येक ₹10 के दर से 2500 लाख इक्विटी शेयर)	25,000.00	25,000.00
जारी/अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक ₹ 2 के 8000 लाख इक्विटी शेयर	16,000.00	16,000.00
(31 मार्च 2023 तक - ₹ 2 प्रत्येक के 8000 लाख इक्विटी शेयर)		
	16,000.00	16,000.00

नोट:- 13.1 इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)	शेयर की संख्या लाखो में	राशि (लाख ₹ में)
वर्ष की शुरुआत में जारी/अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	8,000.00	16,000.00	8,000.00	16,000.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/अभिदत्त और प्रदत्त इक्विटी पूंजी बकाया	8,000.00	16,000.00	8,000.00	16,000.00

नोट 13.2 शेयरों से जुड़े अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के पास एक श्रेणी का इक्विटी शेयर जिसका सम मूल्य प्रतिशयर ₹ 2 है (31 मार्च, 2023 को प्रत्येक ₹ 10/- रुपये)। प्रत्येक शेयरधारक को प्रति शेयर के लिए एक मतदान का अधिकार है। अंतरिम लाभांश को छोड़कर, निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश पर अनुमोदन आगामी वार्षिक आम सभा की बैठक में लिया जाना हैं। कंपनी के पास कोई वरीयता शेयर नहीं है, अतः लिक्विडेशन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक कंपनी की शेष परिसंपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट 13.3 कंपनी में कुल शेयरों का 5% से अधिक रखने वाले शेयरधारकों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2023 को	
	शेयर की संख्या लाखो में	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या लाखो में	होल्डिंग का %
इक्विटी शेयर				
भारत के राष्ट्रपति ने रेल मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	4,992.00	62.40%
भारतीय जीवन बीमा निगम	736.19	9.20%	674.13	8.43%
कुल	5,728.19	71.60%	5,666.13	70.83%

नोट 13.4 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

वर्ष (2023-24) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर			
प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/- रुपये	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान बदलाव
भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	-
कुल	4,992.00	62.40%	

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

वर्ष (2022-23) के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर			
प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या प्रत्येक ₹ 2/- रुपये	कुल शेयरों का%	% वर्ष के दौरान बदलाव
भारत के राष्ट्रपति ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया	4,992.00	62.40%	-
कुल	4,992.00	62.40%	

नोट :- 13.5 रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद से पांच वर्षों की अवधि के दौरान पूरी तरह बोनस के माध्यम से भुगतान के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या

विवरण	31 मार्च 2024 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2023 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2022 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2021 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2020 को संख्या लाखो में	31 मार्च 2019 को संख्या लाखो में
इक्विटी शेयर बोनस के रूप में जारी किये गये	-	-	-	-	-	1,200.00
कुल	-	-	-	-	-	1,200.00

नोट : - 14 अन्य इक्विटी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
सामान्य रिजर्व	62,991.70	59,491.70
प्रतिधारित कमाई	2,43,987.14	1,72,348.71
कुल	3,06,978.84	2,31,840.41

नोट:- 14.1 सामान्य रिजर्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अथशेष	59,491.70	55,991.70
जोड़ें: प्रतिधारित आय से अंतरण	3,500.00	3,500.00
इतिशेष	62,991.70	59,491.70

नोट :- 14.2 प्रतिधारित आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
अथशेष	1,72,348.71	1,15,039.66
जोड़ें: पूर्व अवधि समायोजन और लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण प्रभाव	-	-
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित अवधि के दौरान लाभ	1,11,107.73	1,00,588.11
आयकर के परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्माप से उत्पन्न होने वाली अन्य व्यापक आय	30.70	220.94
इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश का भुगतान	(16,000.00)	(12,000.00)
इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश का भुगतान	(20,000.00)	(28,000.00)
सामान्य रिजर्व में अंतरण	(3,500.00)	(3,500.00)
इतिशेष	2,43,987.14	1,72,348.71

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

प्रस्तावित और वितरित किया गया

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश घोषित और भुगतान किया गया		
अवधि के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश: ₹ 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ₹ 2.00 प्रति शेयर (31 मार्च, 2023: ₹ 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 1.50 प्रति शेयर)	16,000.00	12,000.00
वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश का भुगतान ₹ 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ₹ 2.50 प्रति शेयर (31 मार्च, 2023 - ₹ 2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ₹ 3.50 प्रति शेयर)	20,000.00	28,000.00
	36,000.00	**40,000.00**
इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश*		
अवधि के लिए प्रस्तावित लाभांश: ₹2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ₹ 4/- प्रति शेयर (31 मार्च, 2023 - ₹2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर ₹ 2.00 प्रति शेयर)	32,000.00	16,000.00
	32,000.00	**16,000.00**

*इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वर्तमान वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे 31 मार्च 2024 तक देनदारी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

नोट 15 :- वित्तीय देयताएं- गैर चालू

नोट 15.1 :- अन्य

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रतिभूति	5,428.56	3,743.64
कुल	**5,428.56**	**3,743.64**

नोट:- 16 प्रावधान- गैर चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
सेवानिवृत्ति लाभ (नोट 20, 37.1 और 42 देखें)	11,609.51	10,544.37
कुल	**11,609.51**	**10,544.37**

नोट :- 17 अन्य गैर वर्तमान देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आस्थगित अनुदान	39.43	83.84
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग*	1,687.96	1,474.81
प्राप्त अग्रिम	25.07	107.16
कुल	**1,752.46**	**1,665.81**

* यह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य और किए गए व्यय के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 18 वित्तीय देयताएं– चालू

नोट :– 18.1 व्यापार देय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	9274.74	2483.31
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		
वस्तुओं हेतु	2,450.69	2,030.18
सेवाओं हेतु	88,039.67	80,701.98
कुल	99,765.10	85,215.47

एमएसएमई अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रकटीकरण:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि और उस पर देय ब्याज का भुगतान न किया जाना:		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूल राशि	9274.74	2483.31
उपरोक्त पर देय ब्याज*	–	–
2. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ-साथ प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	–	–
3. भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	–	–
4. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अवैतनिक शेष ब्याज की राशि	–	–
5. आगे के वर्षों में भी शेष ब्याज की राशि, उस तारीख तक, जब तक कि ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है।	–	–

31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	8,660.80	146.61	2.21	15.94	8,825.56
(ii) अन्य	43,105.33	10,698.09	5,313.09	18,394.47	77,510.98
(iii) विवादित देय राशि – एमएसएमई	279.16	24.35	–	145.67	449.18
(iv) विवादित बकाया – अन्य	256.59	329.74	158.50	355.43	1,100.26
(v) बिना बिल किया हुआ	5,073.19	604.39	316.62	5,884.92	11,879.12
कुल	57,375.07	11,803.18	5,790.42	24,796.43	99,765.10

31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्ति एजिंग अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2,447.98	–	–	–	2,447.98
(ii) अन्य	43,625.10	8,529.80	4,250.91	18,604.74	75,010.55
(iii) विवादित देय राशि – एमएसएमई	30.73	–	3.97	0.63	35.33
(iv) विवादित बकाया – अन्य	3.00	–	0.02	73.16	76.18
(v) बिना बिल किया हुआ	771.04	112.64	9.64	6,752.11	7,645.43
कुल	46,877.85	8,642.44	4,264.54	25,430.64	85,215.47

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :- 18.2 अन्य वित्तीय देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
प्रतिभूति जमा	13,755.14	9,847.23
बयाना राशि जमा	14,564.69	5,598.68
इंटरनेट टिकटिंग के लिए वापसी योग्य	12,755.24	8,853.35
अन्य के प्रति देय के लिए -व्यय का प्रावधान	10,728.72	7,309.26
लीज किराया अग्रिम	1,741.50	1,741.50
अग्रिम वापसी योग्य (राज्य तीर्थ)	2,106.21	2,106.21
बकाया लाभांश	83.26	46.20
कुल	**55,734.76**	**35,502.43**

नोट :- 19 अन्य वर्तमान देयताएं

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) अनुबंध देयता		
असमाप्त रियायत शुल्क	182.65	172.66
असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क	6.35	7.38
असमाप्त लाइसेंस शुल्क	27,105.15	30,609.92
अग्रिम प्राप्त	11,191.76	10,162.37
	38,485.91	**40,952.33**
ल) अन्य		
रोलिंग जमा	46,711.13	50,620.67
वैट के लिए प्रावधान (सेवा कर का शुद्ध) (नोट संख्या 37.2 (iii) देखें)	8,251.01	8,251.01
सेवा कर के लिए प्रावधान	2,578.03	2,578.03
प्रतिभूति राशि का आस्थगित भाग*	331.24	1,072.31
वैधानिक बकाया	6,369.93	9,671.22
आस्थगित अनुदान	44.28	44.16
कुल	**1,02,771.53**	**1,13,189.73**

* यह प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय दायित्व के उचित मूल्य और किए गए व्यय के बीच अंतर के अपरिवर्तित हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट:- 20 प्रावधान- चालू

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट 16, 37.1 और 42 देखें)	836.85	786.58
दावों और क्षति के लिए प्रावधान (नोट 37.1 देखें)	2,203.87	1,971.22
कुल	**3,040.72**	**2,757.80**

नोट :- 21 वर्तमान कर देयता

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वर्तमान कर देनदारियां (अग्रिम कर और टीडीएस का शुद्ध)	-	-
कुल	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 22 संचालन से राजस्व

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क. उत्पादों की बिक्री		
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)	31,940.57	29,503.21
खानपान		
– खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री	5,678.93	2,099.23
गैर–रेलवे व्यवसाय		
– खानपान से आय	1,203.88	670.64
कुल–उत्पाद की बिक्री	**38,823.38**	**32,273.08**
ख. सेवाओं की बिक्री		
i) इंटरनेट टिकटिंग		
अर्जित सेवा शुल्क–आईआर टिकट	55.82	25.78
सुविधा शुल्क	86,220.20	80,196.71
लाइसेंस शुल्क–कॉल सेंटर से आय	6.85	21.01
विज्ञापन/एसबीआई को–ब्रांडेड कार्ड और लॉयल्टी कार्ड से आय	18,301.84	15,294.71
खआईएटीए/आरटीएसए/इंटरनेट कैफे आदि के शुल्क से आय।	24,945.89	24,265.21
(क)	**1,29,530.60**	**1,19,803.42**
ii) खानपान सेवाओं से आय		
कैटरिंग और व्यापक सेवाओं से आय, ऑन बोर्ड कैटरिंग और अन्य सेवाओं से आय–राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम ट्रेनें/आस्था स्पेशल ट्रेनें	1,00,849.21	80,002.88
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय		
रियायत शुल्क से आय	10,490.55	2,349.91
लाइसेंस शुल्क से आय	67,967.76	55,170.67
उपयोगकर्ता शुल्क–फूड प्लाजा से आय	4.61	7.08
लाइसेंस शुल्क–फूड प्लाजा से आय	8,524.13	7,348.25
(ख)	**1,87,836.26**	**1,44,878.79**
iii) पर्यटन और ट्रैन संचालन		
पर्यटन और ट्रैन संचालन	47,030.78	35,131.95
राज्य तीर्थ से आय	15,179.74	15,377.83
उपयोगकर्ता शुल्क–रेल यात्री निवास से आय	92.20	118.30
लाइसेंस शुल्क–रेल यात्री निवास से आय	1,198.77	432.71
महाराजा एक्सप्रेस–राजस्व	6,600.66	5,537.63
(ग)	**70,102.15**	**56,598.42**
iv) रेलनीर		
लाइसेंस शुल्क – रेलनीर (नोट संख्या 51 (ए) देखें)	683.72	522.70
(घ)	**683.72**	**522.70**
सेवाओं की कुल–बिक्री (क+ख+ग+घ)	**3,88,152.73**	**3,21,803.33**
ग. अन्य परिचालन राजस्व		
स्क्रैप बिक्री–रेल नीर	41.74	70.88
परिचालन से राजस्व (सकल)	**4,27,017.85**	**3,54,147.29**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :- 23 अन्य आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय			
एफडीआर और टीडीआर पर ब्याज आय (सकल)		11,633.79	7,782.49
ब्याज आय - अन्य		403.58	351.15
म्युचुअल फंड से लाभांश आय		-	205.20
	(क)	12,037.37	8,338.84
अन्य गैर-परिचालन आय			
काउंटरमांडिंग शुल्क और जमा प्रतिभूति जब्त		254.55	49.40
अनुबंधों की जब्ती पर अर्जित आय		94.53	167.51
निविदा प्रपत्रों की बिक्री		6.73	3.25
विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव पर लाभ		-	15.93
पूंजीगत अनुदान का परिशोधन		44.28	44.00
आस्थगित प्रतिभूति के परिशोधन से आय- देयता		1,332.05	955.91
प्रतिभूति जमा पर छूट हटाने से ब्याज आय		2.92	3.05
संविदात्मक जुर्माना और दंड से प्राप्त आय		1,709.00	1,553.47
निवेश संपत्ति पर किराये की आय		234.98	235.00
विविध आय		731.36	676.69
	(ख)	4,410.40	3,704.21
कुल	(क+ख)	16,447.77	12,043.05

नोट:- 24 उपयोग की गई सामग्री की लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)			
ओपनिंग स्टॉक		484.68	453.85
जोड़ें: खरीद और व्यय		6,232.07	7,095.34
		6,716.75	7,549.19
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक		466.41	484.68
	(क)	6,250.34	7,064.51
विभागीय खानपान			
ओपनिंग स्टॉक		15.88	11.03
जोड़ें: खरीद और व्यय		949.76	507.72
		965.64	518.75
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक		17.00	15.88
	(ख)	948.64	502.87
कुल	(क+ख)	7,198.98	7,567.38

नोट :- 25 स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
पुनर्विक्रय के लिए पीडी/पके हुए खाद्य पदार्थों की खरीद	5,233.04	1,913.82
खरीद - गैर-रेलवे खानपान	652.51	270.33
खरीद - रेलनीर (पीपीपी)	11,610.35	9,884.43
कुल	17,495.90	12,068.58

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 26 तैयार सामान की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति और व्यापार के लिए स्टॉक

रेलनीर (पैकेज्ड पेयजल)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	449.56	310.58
	449.56	310.58
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	602.18	449.56
	602.18	449.56
(वृद्धि)/ कमी	(152.62)	(138.98)
विभागीय खानपान		
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	–	0.07
पीडी वस्तुएं	2.09	3.33
	2.09	3.40
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	–	–
पीडी वस्तुएं	1.42	2.09
	1.42	2.09
(वृद्धि)/ कमी	0.67	1.31
लग्जरी टूरिस्ट ट्रेनें		
ओपनिंग स्टॉक		
तैयार माल	8.74	13.93
क्लोजिंग स्टॉक		
तैयार माल	9.50	8.74
(वृद्धि)/ कमी	(0.76)	5.19
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	(152.71)	(132.48)

नोट :– 27 लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं के व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रदान की जाने वाली खानपान और व्यापक सेवाओं का व्यय		
बोर्ड पर खानपान और अन्य शुल्क – राजधानी और शताब्दी/प्रीमियम ट्रेनें/आस्था विशेष ट्रेनें	99,028.04	79,033.62
	99,028.04	79,033.62
रियायत शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि का व्यय		
रियायत शुल्क	4,209.34	939.96
रियायत शुल्क	29,994.32	24,303.29
उपयोगकर्ता शुल्क – फूड प्लाजा	1.84	2.83
लाइसेंस शुल्क – फूड प्लाजा	3,379.28	2,939.30
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	91.20	70.98
	37,675.98	28,256.36
	1,36,704.02	1,07,289.98

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :- 28 पर्यटन और ट्रैन संचालन का व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
पर्यटन और ट्रैन संचालन	36,018.67	25,752.18
राज्य तीर्थ का व्यय	11,849.82	12,238.26
लाइसेंस शुल्क - रेल यात्री निवास	479.51	173.09
उपयोगकर्ता शुल्क - रेल यात्री निवास	36.88	47.32
रखरखाव और अन्य शुल्क	1,874.88	1,558.75
लग्जरी टूरिस्ट ट्रैनों का खर्च	4,782.52	4,465.83
	55,042.28	44,235.43

नोट :- 29 विनिर्माण और प्रत्यक्ष व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
रेल नीर (पैकेज्ड पेयजल)		
- संचालन और रखरखाव शुल्क	1,580.73	1,610.80
- लाइसेंस शुल्क - भूमि एवं चिन्हीकरण	22.81	12.92
- विद्युत और ईंधन	1,061.28	1,104.20
- मरम्मत और रखरखाव - संयंत्र और मशीनरी	3.15	5.89
- रेलवे शेयर - रेलनीर	772.58	546.60
- मरम्मत और रखरखाव - अन्य	27.77	11.73
(क)	3,468.32	3,292.14
खानपान		
- आगत लदान और उतरन भाड़ा-खानपान	221.28	81.92
- खाद्य निरीक्षण व्यय	151.23	58.78
- विद्युत और ईंधन	150.64	133.98
- अन्य प्रत्यक्ष व्यय	54.30	20.71
(ख)	577.45	295.39
इंटरनेट टिकटिंग		
- रखरखाव और अन्य शुल्क	3,821.70	3,498.68
- रद्दीकरण प्रभार	0.09	0.39
- रेलवे शेयर	223.99	234.45
- इंटरनेट उपयोग शुल्क	105.54	104.02
- कमीशन का भुगतान	8,032.19	6,207.47
- मैसेज पर खर्च	1,233.58	1,041.16
(ग)	13,417.09	11,086.17
कुल (क+ख+ग)	17,462.86	14,673.70

नोट :- 30 कर्मचारी लाभ व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और बोनस	24,593.52	21,058.01
भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण और अन्य निधियों में अंशदान	3,630.91	2,829.07
उपादान	566.13	560.12
कर्मचारी कल्याण व्यय	114.25	105.21
	28,904.81	24,552.41

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :– 31 वित्त लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रतिभूति जमा पर छूट को समाप्त करना	1,258.44	876.47
लीज देयता पर ब्याज खर्च	606.05	625.00
आयकर पर ब्याज	–	109.78
	1,864.49	1,611.25

नोट :– 32 मूल्यहास और परिशोधन लागत

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूर्त संपत्ति पर मूल्यहास (नोट –3 और 5 देखें)	2,798.61	2,789.52
अमूर्त संपत्ति पर परिशोधन (नोट –5 ए देखें)	188.45	270.65
संपत्ति के उपयोग अधिकार पर मूल्यहास (नोट–5बी देखें)	2,734.58	2,312.79
	5,721.64	5,372.96

नोट :– 33 अन्य व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विद्युत और पानी	169.79	257.31
कार्यालय किराया	91.88	108.09
आस्थगित सुरक्षा जमा (संपत्ति) के परिशोधन से व्यय	2.87	3.13
शुल्क, दरें और कर	1,459.38	810.04
मरम्मत रखरखाव और अन्य	1,304.65	909.59
बीमा	270.50	251.68
यात्रा खर्च	1,139.23	809.58
परिवहन व्यय	273.79	196.33
निदेशक का बैठने का शुल्क	12.60	10.80
लेखापरीक्षकों को भुगतान (नोट संख्या–33.1 देखें)	43.01	42.45
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	2.11	2.13
आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	7.25	6.54
सचिवीय लेखापरीक्षा शुल्क	0.25	0.33
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	1,593.11	1,072.65
संचार व्यय	173.05	155.39
माल जावक और सीएफए शुल्क	5,108.82	4,870.90
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	274.21	181.78
विज्ञापन व्यय	858.58	568.90
व्यवसाय विकास/मार्केटिंग व्यय	266.07	236.70
विक्रेता आयोग	78.63	60.91
प्रतिभूति व्यय	432.48	397.24
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव	3.91	–
अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान	9.60	4.95
संदेहजनक ऋण और अग्रिम के लिए भत्ता	971.86	2,890.62
पूर्व अवधि के व्यय	–	–
दावों और नुकसान के लिए प्रावधान	247.11	2.48
दंड	558.47	860.60
कंपनी निगमन व्यय	24.13	–
विविध व्यय	723.94	306.05
कुल	**16,101.28**	**15,017.17**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :- 33.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षकों को लेखा परीक्षक के रूप में भुगतान का विवरण		
लेखापरीक्षा का शुल्क	17.97	15.63
कर लेखापरीक्षा का शुल्क	5.03	4.38
अन्य क्षमता में		
सीमित समीक्षा शुल्क	11.34	10.32
अन्य प्रमाणपत्र	-	0.40
यात्रा पर प्रतिपूर्ति/व्यय	8.67	11.72
कुल	**43.01**	**42.45**

नोट :- 33.2 आपवादिक मदें (नोट संख्या 76 देखें)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	724.41	2,720.00
तेजस ट्रेन के लिए ढुलाई और अन्य शुल्क	(5,126.20)	-
रेल नीर (पीपीपी संयंत्र) के लाभ में रेलवे की हिस्सेदारी	(1,451.24)	-
कुल	**(5,853.03)**	**2,720.00**

नोट :- 34 आयकर खर्च

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्तमान आयकर:		
वर्तमान आयकर शुल्क	39,276.54	37,322.40
पहले के वर्षों के लिए आयकर	303.69	1,146.50
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	(1,083.72)	(2,797.54)
पिछले वर्षों के लिए आस्थगित कर	-	(858.51)
कुल	**38,496.51**	**34,812.85**

अन्य व्यापक आय में आयकर व्यय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर:		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	10.32	74.32
	10.32	**74.32**

कर व्यय और लेखा लाभ के बीच समाधान :

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निरंतर संचालन से कर पूर्व लेखा लाभ	1,49,604.24	1,35,400.96
आयकर से पहले लेखा लाभ	**1,49,604.24**	**1,35,400.96**
भारत की वैधानिक आयकर दर 25.17% (31 मार्च, 2023-25.17%) पर	37,655.39	34,080.42
कर योग्य आय की गणना में कटौती योग्य (कर योग्य) नहीं होने वाली राशियों का कर प्रभाव		
जोड़ें: आयकर में भारतीय लेखा मानक समायोजन की अनुमति नहीं है	(18.54)	(19.97)
देर से कर जमा करने पर दंड/ब्याज का भुगतान	28.25	4.93

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर के तहत अनुमत वस्तुओं का प्रभाव	117.91	396.53
सीएसआर व्यय	419.03	315.38
आयकर पर ब्याज	-	27.63
दर और अन्य मदों में परिवर्तन का प्रभाव	(9.22)	(280.06)
	537.43	**444.44**
प्रभावी आयकर दर पर	38,192.82	**34,524.86**
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय (निरंतर संचालन से संबंधित)	38,192.82	34,524.86
प्रभावी कर दर	25.53%	**25.50%**

नोट :- 35 अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	एफवीटीओसीआई रिजर्व	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (लाभ/(हानि)		
- उपादान	230.19	428.45
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	(189.17)	(133.19)
कुल	41.02	**295.26**
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर कर	(10.32)	(74.32)
कुल	(10.32)	**(74.32)**

नोट :- 36 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल ईपीएस		
निरंतर संचालन से	13.89	12.57
संचालन बंद करने से	-	-
डाइल्यूटेड ईपीएस		
निरंतर संचालन से	13.89	12.57
संचालन बंद करने से	-	-

36.1 प्रति शेयर मूल आय

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ:		
सतत संचालन से	1,11,107.73	1,00,588.11
परिचालन बंद करने से	-	-
प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	1,11,107.73	**1,00,588.11**
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में)	8,000.00	8,000.00

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

36.2 प्रति शेयर कम की गई आय

प्रति शेयर कम की गई आय की गणना में प्रयुक्त ईक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्या:-

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ:		
सतत संचालन	1,11,107.73	1,00,588.11
परिचालन बंद करने से	-	-
निरंतर संचालन से प्रति शेयर कम आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आय	**1,11,107.73**	**1,00,588.11**

प्रति शेयर पतला आय के प्रयोजन के लिए इक्विटी शेयरों की भारित संख्या को प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ मिलाया जाता है:

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर मूल आय के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या	8000.00	8000.00
तनुकरण का प्रभाव:	-	-
प्रति शेयर पतला आय के प्रयोजन के लिए शेयरों की भारित औसत संख्या	**8000.00**	**8000.00**

नोट :- 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

नोट :- 37.1 प्रावधान,

भारतीय लेखा मानक -37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति" के अनुसार, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों में किए गए प्रावधानों से संबंधित प्रकटीकरण इस प्रकार है: -

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता		पेंशन का प्रावधान		छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)		उपादान के लिए प्रावधान (सेवानिवृत्ति लाभ)	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथशेष	13,924.77	11,100.68	149.03	82.50	109.13	87.36	5,851.37	5685.13	1,342.37	1531.38
जोड़	585.64	2,824.09	386.22	66.53	2.99	21.77	1,204.52	593.98	335.94	131.67
उपयोगिता/योगदान	(0.15)	-	-	-		-	(447.06)	(427.74)	(512.65)	(320.68)
समायोजन / रिवर्सल	-	-	-	-		-	6.89	-	3.40	-
इतिशेष	**14,510.26**	**13,924.77**	**535.25**	**149.03**	**112.12**	**109.13**	**6,615.72**	**5,851.37**	**1,169.06**	**1,342.37**

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	विकल्प देनेवालों के लिए पेंशन का प्रावधान		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान		अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान		एलटीसी के लिए प्रावधान		दावों और नुकसान के लिए प्रावधान (नोट 51 (ए) देखें)	
	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अथशेष	544.99	658.85	5.63	(51.06)	3,339.46	2959.85	138.00	145.95	1,971.22	2,101.72
जोड़	-	-	348.05	263.25	606.24	388.03	42.55	9.15	247.11	104.64
उपयोगिता/योगदान	(69.72)	(113.86)	(347.05)	(206.56)	(18.88)	(8.42)	(42.30)	(17.10)	(14.46)	(132.98)
समायोजन / रिवर्सल	-	-	2.50	-	-	-	-	-	-	(102.16)
इतिशेष	**475.27**	**544.99**	**9.13**	**5.63**	**3,926.82**	**3,339.46**	**138.25**	**138.00**	**2,203.87**	**1,971.22**

(i) संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान प्रबंधन के अनुमान के आधार पर किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 0.15 लाख रुपये की राशि का उपयोग बुरे ऋणों को काटने की दिशा में किया गया है।

(ii) सेवानिवृत्ति लाभों (पेंशन को छोड़कर) के लिए प्रावधान स्वतंत्र गणनाकार के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(iii) कल्पित प्रतिनियुक्ति धारकों के संबंध में पेंशन का प्रावधान पेंशन के अंतर (आईआरसीटीसी-रेलवे) के 100% समायोजन के लिए किया गया है, ताकि आईआरसीटीसी की पेंशन देनदारियों का पूर्ण और अंतिम एकमुश्त निपटान किया जा सके, जिससे पेंशन की मासिक आवर्ती देनदारी से बचा जा सके। लीव एनकैशमेंट के प्रावधान में कल्पित प्रतिनियुक्ति धारकों के लिए 1.33 लाख रुपये शामिल हैं।

(iv) पेंशन का प्रावधान उन कर्मचारियों के संबंध में देय योगदान को दर्शाता है, जिन्होंने 31 मार्च, 2024 तक अपने एनपीएस खाते नहीं खोले हैं।

(v) दावे और हर्जाने के प्रावधान में पूर्व वर्षों के दौरान लाइसेंसधारियों को दिए गए लाइसेंस शुल्क की वापसी के रूप में 796.59 लाख रुपये की जीएसटी वापसी के लिए प्रावधान शामिल है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, 14.46 लाख रुपये की राशि का उपयोग लाइसेंसधारी को उच्च न्यायालय द्वारा लाइसेंसधारी के पक्ष में दिए गए पुरस्कार के अनुसार भुगतान के लिए किया गया है।.

नोट :- 37.2 आकस्मिक देयताएं (प्रबंधन द्वारा निर्धारित, परिमाणित और प्रमाणित)

(i) कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया*:

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क.	सेवा कर	8,561.26	8,797.43
ख.	वैट और अन्य कर	3,285.52	3,464.83
ग.	आयकर	41.22	42.11
घ.	जीएसटी	1,218.18	251.30
ङ.	अन्य	9,950.86	10,852.21
	कुल	23,057.04	**23,407.88**

*लंबित अग्रिम निर्णय आवेदन के संबंध में नोट संख्या 72 देखें। रकम निश्चित नहीं है.

(ii) रॉयल इंडियन रेल टूर लिमिटेड (आरआईआरटीएल) आईआरसीटीसी और कॉक्स एंड किंग्स (सीएंडके) का एक संयुक्त उद्यम है, जो 10.12.2008 के संयुक्त उद्यम समझौते के आधार पर महाराजा एक्सप्रेस नामक लग्ज़री टूरिस्ट ट्रेन को चलाने, संचालन और प्रबंधन के लिए कम से कम 15 वर्षों की अवधि के लिए आईआरसीटीसी से लीज़ पर ली गई थी। इसने एक सीज़न के लिए ट्रेन का संचालन किया, जिसके बाद दोनों कंपनियों के प्रबंधन के बीच विवाद उत्पन्न हो गया।

सीएंडके ने आईआरसीटीसी और आरआईआरटीएल के खिलाफ मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की, जिसमें उन्होंने राहत मांगी कि (i) संयुक्त उद्यम समझौते का विशेष रूप से पालन किया जाए, (ii) संयुक्त उद्यम समझौते के समाप्ति को रद्द किया जाए, (iii) सुनवाई और दावे के अंतिम निपटारे तक यह निर्देश दिया जाए कि ट्रेन आरआईआरटीएल के हिस्से के रूप में संचालित होती रहे, (iv) आईआरसीटीसी को ट्रेन के डिब्बों/कोचों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करने से स्थायी रूप से रोका जाए और केवल संयुक्त उद्यम कंपनी के लिए ही उपयोग किया जाए, (v) संयुक्त उद्यम समझौते की शर्तों के अनुसार ट्रेन के लिए एक औपचारिक लीज़ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएं, (vi) आईआरसीटीसी को संयुक्त उद्यम कंपनी की कार्यशील पूंजी की कमी के लिए ₹ 2000 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, और (vii) यदि संयुक्त उद्यम समझौते का विशेष प्रदर्शन नहीं दिया जाता है, तो ₹ 35,100 लाख का हर्जाना दावे के रूप में दिया जाए।

26.07.2021 की कार्यवाही के दौरान, कॉक्स एंड किंग्स के वकील ने यह बयान दिया कि 'दावाकर्ता अपने दावे को ₹ 2270 लाख के साथ ब्याज तक सीमित करना चाहता है, जो इस अनुबंध में खर्च की गई लागत है'। मामले में अंतिम बहस 28.02.2023 को सुनी गई, और 31.07.2023 को मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने आईआरसीटीसी के पक्ष में निर्णय सुनाया।

पुरस्कार के अनुसार, आईआरसीटीसी मध्यस्थता में पूरी तरह से विजयी रहा और कॉक्स एंड किंग्स (सीएंडके) द्वारा मांगी गई राहतों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए, इस पुरस्कार का समूह पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। मध्यस्थता का निर्णय अंतिम हो गया है क्योंकि दावाकर्ता द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है।

(iii) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वैट मामला दायर किया गया

आईआरसीटीसी ट्रेनों में ऑन-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान कर रही है, जिनमें कैटरिंग शुल्क रेलवे किराए में शामिल है। वैट आयुक्त ने 23.03.2006 के आदेश के तहत ट्रेनों में ऑन-बोर्ड कैटरिंग सेवाओं को उक्त अधिनियम की धारा 2(zc)(vii) के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री माना है।

आईआरसीटीसी ने वैल्यू एडेड टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए 07.09.2006 के आदेश में कहा कि केंद्रीय अधिनियम से संबंधित टिप्पणियां आयुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर थीं क्योंकि वे अंतर-राज्यीय बिक्री के तहत वस्तुओं की कर-देयता से संबंधित थीं, जो राज्य के बाहर होती है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

आईआरसीटीसी ने उक्त आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए यह प्रार्थना की कि आईआरसीटीसी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं दिल्ली वैल्यू एडेड टैक्स अधिनियम, 2004 के तहत वैट के अधीन नहीं हैं और आईआरसीटीसी की ऑन-बोर्ड कैटरिंग सेवाएं मुख्यतः सेवाएं हैं जिनमें भोजन और पेय भी प्रदान किए जाते हैं और केवल सेवा कर के अधीन हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वैटआयुक्त के निर्णय को बरकरार रखा और आईआरसीटीसी की याचिका को खारिज कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि आईआरसीटीसी वैट भुगतान के लिए उत्तरदायी है, हालांकि उसने पहले से भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी ले सकती है।

इस निर्णय से आहत होकर, आईआरसीटीसी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जो 19.7.2010 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ है। SLP 25292-25319/2010 को स्वीकार किया गया है और इसका निर्णय प्रतीक्षारत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैट अधिकारियों द्वारा की गई मांग वसूली पर यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम निर्देश दिया है। अतः मामला विचाराधीन है और वर्तमान में आईआरसीटीसी वैट भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है। हालांकि, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 (30 जून, 2017 तक) के लिए पूरे भारत में ₹8251.01 लाख की वैटदेनदारी (सेवा कर घटाकर) को एक विवेकपूर्ण लेखा नीति के रूप में प्रदान किया है और इसे नोट 37.2 (i) में शामिल नहीं किया गया है। संबंधित वैट इनपुट सरकार के साथ शेष राशि के रूप में दिखाया गया है।

(iv) कुछ लाइसेंसधारियों, जो आईआरसीटीसी के ठेकेदार हैं, ने नियमित भोजन और कॉम्बो भोजन की दरों में अंतर के आधार पर मुआवजे की मांग करते हुए मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय रेल द्वारा जारी CC 63/2013 और CC 67/2013 सर्कुलरों के अनुसार, उन्होंने स्वागत पेय की कीमत का भी दावा किया है जो CC 32/2014 के अनुसार प्रदान किया गया था। मध्यस्थ ने जनवरी 2015 से मार्च 2020 की अवधि के लिए 13 याचिकाओं में उक्त सेवाओं के लिए लगभग ₹7471.65 लाख की राशि प्रदान की है।

तथ्यों की स्थिति के आधार पर, यह रिकॉर्ड का मामला है कि दावा करने वाले ने उक्त सेवाओं के लिए कभी भी इनवॉयस प्रस्तुत करते समय इस राशि का दावा नहीं किया। ये सभी अनुबंध SBD अनुबंध हैं और कैटरिंग नीति 2017 के बाद आईआरसीटीसी को सौंपे गए हैं। यह भी रिकॉर्ड में है कि उक्त सेवाएं भारतीय रेल के यात्रियों को प्रदान की गई और भुगतान की गई राशि आईआरसीटीसी को भारतीय रेल द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी है। इन परिस्थितियों में, इस निर्णय के परिणामस्वरूप आईआरसीटीसी पर कोई देनदारी नहीं होगी और उपरोक्त निर्णयों के अनुसार कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। समूह इस निर्णय को विवादित करना चाहता है और उसके पास रेलवे से वसूली का अधिकार है, यदि समूह को अंततः भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। हालांकि, इसे नोट 37.2 (i) में शामिल किया गया है।

समूह ने मध्यस्थता निर्णय के खिलाफ आपत्ति दायर की है और माननीय न्यायालय ने 09.10.2023 के आदेश के तहत निगम को आदेश दिया है कि वह मध्यस्थता निर्णय के कार्यान्वियन को रोकने के लिए दी गई राशि को जमा करे। उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, निगम ने ₹ 8471.65 लाख की बैंक गारंटी जमा की है ताकि उक्त निर्णय के कार्यान्वियन को रोका जा सके। यह उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा है।

(v) नेशनल एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से ₹5041.44 लाख की मांग नोटिस प्राप्त:

आईआरसीटीसी 4 स्वामित्व वाले संयंत्रों (पिछले वर्ष समूह के स्वामित्व वाले 5 संयंत्र। बिलासपुर संयंत्र को वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीपीपी संयंत्र में परिवर्तित कर दिया गया) और पीपीपी मॉडल पर 12 संयंत्रों के माध्यम से ऑनबोर्ड यात्रियों और रेलवे स्टेशनों पर विशेष बिक्री के लिए रेल नीर बोतलबंद पेयजल का निर्माता है। 01.07.2017 से जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के बाद, उत्पाद पर कर देयता 24% (उत्पाद शुल्क 12.5% (45% की छूट के साथ + वैट 12.5%) से घटकर 18% जीएसटी हो गई। भले ही जीएसटी व्यवस्था के बाद जीएसटी दरों में कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण ने पाया है कि कर का लाभ उपभोक्ता को नहीं दिया गया है और इस तरह सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 के तहत ₹ 5041.44 लाख की मुनाफाखोरी राशि के लिए नोटिस जारी किया गया है।

रेल नीर निस्संदेह स्टेशनों और ट्रेन में खानपान सेवाओं जैसे नियंत्रित मूल्य खंड के अंतर्गत आता है। यह भी एक तथ्य है कि विभिन्न मानदंडों के आधार पर रेल नीर की कीमत रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित की जाती है। वर्तमान एमआरपी ₹ 15/- वर्ष 2012 में रेलवे बोर्ड वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 72/2012 के माध्यम से तय की गई थी। हालांकि रेल नीर का हस्तांतरण मूल्य 0-75 किलोमीटर मीटर के लिए ₹ 10, 75 किलोमीटर से ऊपर ₹ 10.50 और एक्स रेल नीर प्लांट ₹ 9.33 समूह द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2012 से कच्चे माल, बिजली और मानव संसाधन लागत में वृद्धि के बावजूद, रेल मंत्रालय ने अनिवार्य सरकारी कार्यों और बाजार दर से कम कीमत पर मानकीकृत रेल नीर की आपूर्ति करने के सरकारी उद्देश्यों के एक भाग के रूप में रियायती दर को बनाए रखना जारी रखा ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण ने जीएसटी अधिनियम की धारा 171 की गलत व्याख्या की है और केंद्रीय पीएसयू के खिलाफ कारण बताओ नोटिस वापस लेने की पूरी संभावना है, जो अनुमानों पर आधारित है। समूह द्वारा कारण बताओ नोटिस का विरोध किया गया है और मामले पर अगस्त, 2022 में बहस की गई थी, लेकिन प्राधिकरण से अंतिम आदेश अभी भी प्रतीक्षित है। उक्त राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इसे ऊपर नोट 37.2 (i) में भी शामिल नहीं किया गया है।

हालाँकि, भारत सरकार द्वारा 23 नवंबर, 2022 को जारी अधिसूचना संख्या 23/2022-केंद्रीय कर (1 दिसंबर, 2022 से प्रभावी) के अनुसार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इसलिए एनएए द्वारा जारी नोटिस के तहत कार्यवाही समाप्त हो गई है और अब कार्यवाही, यदि कोई हो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा नए सिरे से शुरू की जाएगी और आज तक इस मामले में सीसीआई से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(vi) केरल सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केरल राज्य में बिक्री के लिए रेल नीर की 1 लीटर बोतल की अधिकतम खुदरा कीमत 13 रुपये प्रति लीटर तय की है और समूह को सलाह दी है कि वे रेल नीर की बोतल 15 रुपये प्रति लीटर के बजाय 13 रुपये प्रति लीटर पर बेचें। 27.4.2022 के आदेश के अनुसार कारण बताओ और जब्ती के खिलाफ स्थगन आदेश है और स्थगन जारी है। इस मामले में अभी तक कोई और तारीख तय नहीं की गई है। चूंकि, इसके लिए वित्तीय निहितार्थ का पता नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए इसे आकस्मिक देनदारियों के ऊपर नोट 37.2 (i) में शामिल नहीं किया गया है।

(vii) समूह को दिनांक 18.10.2012 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क खुफिया महानिदेशालय (डीजीसीईआई), पुणे से कारण बताओ सह मांग नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें विभाग ने ₹ 7902 लाख (उपर्युक्त नोट संख्या 37 (2) (आई) में शामिल) की मांग इस आधार पर की है कि आईआरसीटीसी ने अचल संपत्ति सेवाओं के किराये, आउटडोर खानपान, व्यवसाय सहायक सेवाओं, मूर्त वस्तुओं की आपूर्ति और रेल ट्रैवल एजेंटों के तहत कवर की गई विभिन्न सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया है।

विभाग के अनुसार, आईआरसीटीसी ने फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट और विभिन्न स्टैटिक यूनिट आदि को अन्य कैटरिंग/वेंडिंग ठेकेदारों को पट्टे पर दिया है, जिसके लिए आईआरसीटीसी को लाइसेंस फीस मिली है। डीजीसीईआई के अनुसार, 'अचल संपत्ति को किराए पर देने' की सेवा श्रेणी के तहत उक्त लाइसेंस फीस पर सेवा कर देय है।

आईआरसीटीसी की राय में, ऐसी सेवाएँ 'अचल संपत्ति को किराए पर देने' की सेवा श्रेणी में नहीं आती हैं, क्योंकि भूमि आईआरसीटीसी की नहीं बल्कि भारतीय रेलवे की है और इसका उद्देश्य यात्रियों की सेवा करना है, न कि लाभ कमाना। आईआरसीटीसी ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की है जो प्रक्रियाधीन है।

इस बीच, वित्तीय वर्ष 2019-20 में, 'अचल संपत्ति को किराए पर देने' के अंतर्गत आने वाली सेवाओं की संवैधानिक वैधता को कुछ अन्य पीड़ित करदाताओं द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस पर अंतिम सुनवाई 08.05.2019 को हुई थी और इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उपर्युक्त एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सीईएसटीएटी द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

नोट 37.3 आकस्मिक परिसंपत्तियां

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	दल का नाम	विवरण	अपीलीय प्राधिकारी	पुरस्कार राशि (31 मार्च, 2024 तक)	पुरस्कार राशि (31 मार्च, 2023 तक)
1	ए.के. रॉय बनाम आईआरसीटीसी	2577-78, 5279-80, 2395-96, 9165/66/67-68, 2555-56,2569-70, 2213-14,2203-04, 2061-62, 2209-10, 1043-44	यह मामला पटियाला हाउस कोर्ट में लंबित है	21.95	21.95
2	सीकेके कैटरर्स	वसूली के लिए मुकदमा	मुकदमा लंबित है	102.00	102.00
3	सफर खाना	सेवा प्रदाता ने ई-कैटरिंग के संबंध में राशि जमा नहीं की	मध्यस्थता करना	13.29	13.29
4	रेलवे	यात्री फीडबैक प्रणाली	नहीं	638.41	638.41

यदि समूह को अंततः इन दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है तो रेलवे से वसूली के अधिकार के लिए नोट 37.2 (iv) देखें और प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों को अनुग्रह राशि/निष्पादन संबंधी वेतन के संबंध में नोट 79 देखें।

नोट:- 38 भुगतान गेटवे और बैंक समाधान

समूह इंटरनेट के माध्यम से रेलवे आरक्षण संभाल रहा है जिसके लिए लगभग सभी भुगतान साधन जैसे भुगतान गेटवे (पीजी) / नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / यूपीआई / वॉलेट आदि का उपयोग किया जा रहा है। उनमें से, पुरानी साइट से संबंधित कुछ पुराने पीजी खाते थे जो निष्क्रिय थे और कुछ बैंक पक्ष / तकनीकी मुद्दों के कारण समाधान के लिए लंबित थे। इसका अंतिम समाधान प्रक्रिया में है। समाधान लंबित होने के कारण, चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के दौरान ₹ 201.76 लाख (डेबिट बकाया का 100% होने के नाते) के संदिग्ध के लिए प्रावधान किया गया है। ₹ 291.59 लाख डेबिट बकाया का 100% होने के नाते)।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:- 39: अधिशेष पुष्टिकरण

व्यापार प्राप्तिया

क. रेलवे अधिशेष

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, भुगतान किए गए अग्रिम और प्रतिभूति जमा के रूप में रेलवे बकाया, रेलवे से समाधान और पुष्टि के अधीन हैं और इसमें रेलवे से खानपान के अधिग्रहण से पिछले बकाया भी शामिल हैं। कंपनी ने रेलवे से बकाया की पहचान करने और उसे अलग करने की प्रक्रिया में है। रेलवे/सरकारी निकायों को कोई शेष पुष्टिकरण पत्र नहीं भेजा गया क्योंकि उनकी पुस्तकें नकद आधार पर रखी जाती हैं। कंपनी ने 31 मार्च, 2024 (31 मार्च, 2023 ₹ 6740.52 लाख) की स्थिति के अनुसार नीति के अनुसार रेलवे से प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 9047.52 लाख का प्रावधान किया है, जो प्रबंधन के वसूली के संदेह में है।

ख. तृतीय पक्ष अधिशेष

तीसरे पक्ष के शेष राशि विभिन्न पक्षों से पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। शेष राशि की पुष्टि के पत्र निजी पक्षों को भेजे गए हैं, लेकिन पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है। आईआरसीटीसी ने नीति के अनुसार प्राप्य के विरुद्ध 31 मार्च, 2024 तक ₹ 5,462.69 लाख (31 मार्च 2023 ₹ 7184.24 लाख) का प्रावधान बनाया है, जिसकी वसूली प्रबंधन के मद्देनजर संदिग्ध है।

अन्य देय और बैंक

ये शेष राशि पुष्टि और समाधान के अधीन हैं। हालांकि, आईआरसीटीसी ने इन पार्टियों को बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भेजे हैं लेकिन रिस्पांस संतोषजनक नहीं है

नोट :- 40 पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले और प्रावधानित नहीं किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि 31 मार्च 2024 तक ₹ 7683.47 लाख है, जबकि 31 मार्च 2023 तक यह ₹ 25182.85 लाख है।

नोट :- 41

प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम का मूल्य, यदि व्यवसाय सामान्य तौर पर चलता है, तो उस राशि से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है। तथापि, तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार रेलवे व्यवसाय से प्राप्त होनेवाली राशियां और व्यवसाय से देय राशि/ अन्य पार्टियों और बैंक बैलेंस सहित व्यापार प्राप्तियों / देय राशियों का बैलेंस पुष्टि और समाधान के अधीन है।

नोट :- 42 कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजनाओं/परिभाषित अंशदान योजना का सामान्य विवरण:

(i) **उपादान:** उन पात्र कर्मचारियों को जो 5 वर्ष की अथवा अधिक की लगातार सेवा करते हैं सेवा के पूर्ण प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों की वेतन की दरसे सेवा छोड़ने पर देय है। बीमांकिक मूल्यांकन के लिए ₹ 20 लाख की उपादान सीमा पर विचार किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकनसभी कर्मचारियों के लिए कर दिया चाहे उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।

(ii) **छुट्टी नकदीकरण:** स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा किए गए तुलनपत्र की तारीख को, मूल्यांकन के आधार पर छुट्टी वेतन का प्रावधान किया जाता है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाए बिना दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए।

(iii) **अर्धवेतन छुट्टी:** उन पात्र कर्मचारियों के लिए जिन्होंने अर्धवेतन छुट्टी एकत्र की है। तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अर्धवेतन छुट्टी का प्रावधान किया जाता है।

(iv) **छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) :** योग्य कर्मचारियों को तुलनपत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

(v) **भविष्य निधि:** कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जमा मूल वेतन का 12% और कॉर्पोरेशन के समतुल्य योगदान को जो भविष्य निधि के लिए दिया जाता है इसका लेखा जोनल भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के पास रखा जाता है। भविष्य निधि में कॉर्पोरेशन का अंशदान राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

(vi) **इतर सेवा योदान :** सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रतिमान्य प्रतिनियुक्तियों (वे कर्मचारी जिन्होंने भारतीय रेलवे से निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर कॉर्पोरेशन में कार्यभार संभाला है) सहित प्रतिनियुक्तियों के संबंध में छुट्टी वेतन और पेंशन के लिए इतर सेवा योगदान प्रोद्भवन आधार पर राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(vii) राष्ट्रीय पेंशन योजना: एनपीएस के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ एक परिभाषित योगदान योजना है। इस तरह की योजना के तहत देय मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 10% योगदान के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है। कंपनी ऐसी योजना में देय अंशदान को सेवा के दौरान कर्मचारियों के लिए व्यय के रूप में मान्यता देती है।

(viii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी): तुलनपत्र की तारीख के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, प्रदान किया गया।

परिभाषित दायित्वों के संबंध में भारतीय लेखा मानक –19 ड्ढकर्मचारी लाभड्ड के तहत आवश्यक अन्य प्रकटीकरण हैं:

(क) बीमांकिक अनुमान

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.23%	7.36%
(ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम का 100% (2012 – 14	आईएएलएम का 100% (2012 – 14
(iii)	परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	7.23%	7.36%
(iv)	वेतन वृद्धि	10%	10%
(v)	उन्मूलन दर	2%	2%
(vi)	बीमांकिक मूल्यांकन में भावी देयता वृद्धि के अनुमान पर विचार किया जाता है, मुद्रास्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है		

(ख) बीमांकिक विधि

प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (PUC) गणनात्मक विधि का उपयोग सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र, और सेवा के दौरान मुआवजे वाली अनुपस्थिति के लिए निकास कर्मचारियों की योजना की देनदारियों का आकलन करने के लिए किया जाता है।

(ग) नियोक्ता व्यय के घटक

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान*		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	वर्तमान सेवा लागत	467.33	450.17	461.63	434.09	265.88	241.45	10.47	11.15	158.46	133.73
(ii)	पिछली सेवा लागत	–	–								
(iii)	संक्षेप लागत										
(iv)	समापन लागत										
(v)	कुल सेवा लागत	467.33	450.17	461.63	434.09	265.88	241.45	10.47	11.15	158.46	133.73
	शुद्ध ब्याज लागत										
(vi)	डीबीओ पर ब्याज व्यय	457.93	417.60	430.56	408.10	245.78	212.52	10.15	10.48	139.12	109.20
(vii)	ब्याज (योजना परिसंपत्ति पर आय)	(359.13)	(307.64)	–	–					(138.71)	(112.87)
(viii)	कुल शुद्ध ब्याज	98.80	109.96	430.56	408.10	245.78	212.52	10.15	10.48	0.41	(3.67)
(ix)	तत्काल स्वीकृत (लाभ)/हानि अन्य दीर्घावधि लाभ			312.33	(248.22)	94.58	(65.94)	21.93	(12.48)		
(xi)	**पी एंड एल में शामिल तय लाभ लागत**	566.13	560.13	1,204.52	593.97	606.24	388.03	42.55	9.15	158.87	130.06

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(घ) लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल परिभाषित लाभ लागत

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	जनसांख्यिकी अनुमान के परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	–	–	–	–	–	–	–	–		
(ii)	वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण डीबीओ में बीमांकिक (लाभ)/हानि	119.08	(159.47)	118.85	(165.54)	69.78	(93.36)	2.76	(4.41)	38.04	(44.69)
(iii)	डीबीओ पर अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(329.04)	(261.21)	193.48	(82.68)	24.80	27.42	19.17	(8.07)	157.26	176.31
(iv)	छूट दर की तुलना में योजना परिसंपत्ति (से अधिक)/ से कम	(20.23)	(7.78)	–	–					(6.13)	1.57
(v)	ओसीआई में शामिल कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(230.19)	(428.45)					–	–	189.17	133.19
(vi)	लाभ और हानि और ओसीआई (तय लाभ लागत) में मान्यता प्राप्त कुल लागत										
(vii)	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त लागत	566.13	560.13	1,204.52	593.97	606.24	388.03	42.55	9.15	158.87	130.06
(viii)	ओसीआई में स्वीकृत प्रभावित पुनर्मापन	(230.19)	(428.45)					–	–	189.17	133.19
(ix)	कुल तय लाभ लागत	335.94	131.68	1,204.52	593.97	606.24	388.03	42.55	9.15	348.04	263.25

(ङ) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,870.03	6,221.90	6,614.37	5,850.03	3,926.82	3,339.46	138.25	138.00	2,380.19	1,890.32
(ii)	योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	5,700.99	4,879.54	–	–					2,371.06	1,884.69
(iii)	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(हानि)	(1,169.04)	(1,342.36)	(6,614.37)	(5,850.03)	(3,926.82)	(3,339.46)	(138.25)	(138.00)	(9.13)	(5.63)
(iv)	अस्वीकृत पिछली सेवा लागतें										
(v)	तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/ (देयता) की स्वीकृति	(1,169.04)	(1,342.36)	(6,614.37)	(5,850.03)	(3,926.82)	(3,339.46)	(138.25)	(138.00)	(9.13)	(5.63)
(vi)	नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य										
(vii)	लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य										
	वर्तमान देयताएं	193.87	215.44	219.49	186.57	168.13	134.19	138.25	138.00	4.99	3.25
	गैर-वर्तमान देयताएं	975.17	1,126.92	6,394.88	5,663.46	3,758.69	3,205.27	–	–	4.14	2.38

(च) समाप्त होने वाली अवधि के दौरान दायित्व में परिवर्तन

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6,221.92	5,816.11	5,850.04	5,683.81	3,339.46	2,959.85	138.00	145.94	1,890.34	1,520.88
(ii)	वर्तमान सेवा लागत	467.33	450.17	461.63	434.09	265.88	241.45	10.47	11.15	158.46	133.73
(iii)	ब्याज लागत	457.93	417.60	430.56	408.10	245.78	212.52	10.15	10.48	139.12	109.20
(iv)	योजना संशोधन										
(v)	पूर्व सेवा लागत										
(vi)	संक्षेप	–	–								

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(vii)	अधिग्रहण समायोजन	3.40	–	6.89	–					2.50	
(viii)	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(209.96)	(420.67)	312.33	(248.22)	94.58	(65.94)	21.93	(12.48)	195.30	131.62
(ix)	भुगतान किए गए लाभ	(70.58)	(41.31)	(447.07)	(427.74)	(18.88)	(8.43)	(42.31)	(17.10)	(5.53)	(5.09)
(x)	परिभाषित लाभों का वर्तमान मूल्य (समापन)	6,870.05	6,221.92	6,614.38	5,850.04	3,926.83	3,339.46	138.25	138.00	2,380.19	1,890.34

(छ) योजना परिसंपत्तियों के मूल्यों के ओपनिंग और क्लोजिंग का मिलान

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	4,879.53	4,284.74	–	–	–	–			1,884.69	1,571.93
(ii)	अधिग्रहण समायोजन					–	–				
(iii)	योजना परिसंपत्ति पर निर्धारित रिटर्न	359.13	307.64			–	–			138.71	112.86
(iv)	योगदान	512.65	320.68	–	–			–	–	341.52	201.47
(v)	भुगतान किए गए लाभ	(70.58)	(41.31)	–	–					–	–
(vi)	योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)।	20.23	7.78	–	–			–	–	6.13	(1.57)
(vii)	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	5,700.98	4,879.53	–	–	–	–			2,371.05	1,884.69

(ज) अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	ओपनिंग ओसी (संचयी अस्वीकृत हानि/(लाभ)										
(ii)	डीबीओ पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(209.96)	(420.67)	–	–	–	–	–	–	195.30	131.62
(iii)	संपत्ति पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(20.23)	(7.78)	–	–	–	–	–	–	(6.13)	1.57
(iv)	परिशोधन बीमांकिक (हानि)/लाभ										
(v)	ओसीआई में नेशुद्ध वृद्धि	(230.19)	(428.45)	–	–	–	–	–	–	189.17	133.19
(vi)	पूर्व सेवा लागत का परिशोधन										
(vii)	अन्य व्यापक आय में कुल स्वीकृति	(230.19)	(428.45)							189.17	133.19

(झ) तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्ति/देयता की स्वीकृति

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	प्रारंभ में स्वीकृत शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति/ देयता	(1,342.36)	(1,531.38)	(5,850.04)	(5,683.81)	(3,339.46)	(2,959.86)	(138.00)	(145.95)	(5.64)	51.05
(ii)	अवधि की शुरुआत में संचित ओसीआई/हानि में स्वीकृत राशि	–	–								
(iii)	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि की शुरुआत में समायोजन से पहले)	(1,342.36)	(1,531.38)	(5,850.04)	(5,683.81)	(3,339.46)	(2,959.86)	(138.00)	(145.95)	(5.64)	51.05
(iv)	अवधि के लिए शुद्ध आवधिक लाभ (लागत)/आय	(566.13)	(560.13)	(1,204.52)	(593.97)	(606.24)	(388.03)	(42.55)	(9.15)	(158.87)	(130.06)
(v)	नियोक्ता अंशदान (अधिग्रहण समायोजन का शुद्ध)	509.25	320.68	440.18	427.74	18.88	8.42	42.31	17.10	344.55	206.56

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	उपादान		छुट्टी नकदीकरण		अर्ध वेतन छुट्टी		एलटीसी		पीआरएमबी	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(vi)	(उपार्जित)/प्रीपेड लाभ लागत (अवधि के अंत में समायोजन से पहले)	(1,399.23)	(1,770.81)	(6,614.38)	(5,850.04)	(3,926.82)	(3,339.47)	(138.24)	(138.00)	180.04	127.55
(vii)	अवधि के अंत में संचित अन्य व्यापक आय/(हानि) में स्वीकृत राशि	230.19	428.45					-	-	(189.17)	(133.19)
(viii)	शुद्ध तुलनपत्र परिसंपत्ति/(देयता) वर्ष की अंत की अवधि में स्वीकृति	(1,169.04)	(1,342.36)	(6,614.38)	(5,850.04)	(3,926.82)	(3,339.47)	(138.24)	(138.00)	(9.13)	(5.64)

(ञ) प्रतिपूर्ति अधिकारों के उद्घाटन और समापन मूल्यों का समाधान

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	नकदीकरण छोड़े	
		31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(i)	अवधि के आरंभ में प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य	5,257.44	4,916.24
(ii)	प्राप्ति समायोजन		
(iii)	प्रतिपूर्ति अधिकारों पर अपेक्षित रिटर्न		
(iv)	योगदान	331.26	-
(v)	लाभ का भुगतान किया गया	-	-
(vi)	व्यय का शुद्ध प्रतिपूर्ति पर वापसी	400.57	341.20
(vii)	अवधि के अंत में प्रतिपूर्ति अधिकारों का उचित मूल्य	5,989.27	5,257.44

(ट) एक ट्रस्ट (एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा प्रबंधित कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। समूह ने अवकाश नकदीकरण के भुगतान के लिए एलआईसी से समूह अवकाश नकदीकरण योजना ली है जिसे उपरोक्त योजना परिसंपत्तियों के रूप में नहीं माना जाता है।.

(ठ) संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

	अनुमानों में परिवर्तन	उपादान दायित्व पर प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण पर प्रभाव	अर्धवेतन वेतन पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव	पीआरएमबी पर प्रभाव
छूट दर	0.50% की वृद्धि	-442.89	-455.29	-267.37	-	-
	0.50% की कमी	485.78	512.5	300.71	-	-
वेतन वृद्धि दर	0.50% की वृद्धि	92.72	489.75	287.38	-	-
	0.50% की कमी	-101.11	-450.44	-264.51	-	-

ऊपर दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण एक अनुमान में बदलाव पर आधारित है, जबकि सभी अन्य अनुमानों को स्थिर रखा गया है। व्यवहार में, ऐसा होने की संभावना कम है, और कुछ अनुमानों में बदलाव एक-दूसरे से संबंधित हो सकते हैं। महत्वपूर्ण अंशदायी मान्यताओं के प्रति परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते समय वही विधि (प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि) लागू की गई है जो परिभाषित लाभ दायित्व की गणना के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(ड) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	वर्ष	उपादान	छुट्टी नकदीकरण	अर्ध वेतन छुट्टी	एलटीसी	पीआरएमबी
क	0 से 1 वर्ष	193.87	219.49	168.13	–	–
ख	1 से 2 वर्ष	298.45	284.48	163.92	–	–
ग	2 से 3 वर्ष	195.71	205.10	116.32	–	–
घ	3 से 4 वर्ष	213.72	202.12	114.17	–	–
ङ	4 से 5 वर्ष	224.40	194.69	120.73	–	–
च	5 से 6 वर्ष	189.99	167.53	95.81	–	–
छ	6 वर्ष बाद	5,553.90	5340.97	3,147.74	–	–

नोट :– 43

वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न ज़ोनल रेलवेज़ के साथ साझाकरण रेल मंत्रालय के साथ संपादित समझौता ज्ञापन () और कैटरिंग नीति, 2017 के अनुसार किया गया है।

नोट :– 44 संबंधित पार्टी प्रकटन

भारतीय लेखा मानक- 24 'संबंधित पार्टी प्रकटन' के अनुसार, संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं: –

संबंध की प्रकृति	संबंधित पार्टी का नाम
संयुक्त उद्यम	रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड
सहायक	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	(i) श्रीमती. रजनी हसीजा, निदेशक (टी एंड एम) सीएमडी, आईआरसीटीसी के अतिरिक्त प्रभार के साथ (31.05.2023 से समाप्त)
	(ii) श्रीमती. सीमा कुमार, अतिरिक्त सदस्य (टी एंड सी)/रेलवे बोर्ड, आईआरसीटीसी के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ (01.06.2023 से 09.01.2024 तक नियुक्त)
	(iii) श्री संजय कुमार जैन, सीएमडी, आईआरसीटीसी (10.01.2024 से नियुक्त)
	(iv) श्री अजीत कुमार, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
	(v) डॉ. लोकैया रविकुमार, निदेशक (खानपान सेवाएँ)
	(vi) श्री कमलेश कुमार मिश्रा, ईडी (बीडी)/रेलवे बोर्ड, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) के रूप में अतिरिक्त प्रभार के साथ (01.06.2023 से 16.02.2024 तक नियुक्त)
	(vii) श्री राहुल हिमालयन, निदेशक (पर्यटन एवं विपणन) (16.02.2024 से नियुक्त)
	(viii) श्री नीरज शर्मा (नामांकित निदेशक)
	(ix) श्री मनोज कुमार गांगेय (नामांकित निदेशक)
	(x) श्री विनय कुमार शर्मा (स्वतंत्र निदेशक)
	(xi) श्री नामग्याल वांगचुक (स्वतंत्र निदेशक)
	(xii) श्री देवेन्द्र पाल भारती (स्वतंत्र निदेशक) (09.06.2023 से नियुक्त)
	(xiii) श्रीमती सुमन कालरा (कंपनी सचिव)

नोट:– 44.1 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेन–देन

वर्ष के दौरान निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधन कर्मियों का पारिश्रमिक इस प्रकार था:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
लघु अवधि के लाभ	237.21	206.77
रोजगार उपरांत लाभ*	22.96	23.93
	260.17	230.70

*उपरोक्त में रोजगारोत्तर लाभ के लिए दीर्घकालिक योगदान/प्रावधान शामिल नहीं है

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :- 44.2 स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
स्वतंत्र निदेशकों के लिए बैठक शुल्क	12.60	10.80

नोट :- 44.3 सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन

आईआरसीटीसी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसे केंद्र सरकार बहुसंख्यक शेयरों के स्वामित्व द्वारा नियंत्रित करती है। IND-AS 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, यदि कोई इकाई जिसे वही सरकार नियंत्रित करती है या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य इकाइयों को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पक्षों के साथ लेन-देन बाज़ार शर्तों पर आर्म्स-लेंथ आधार पर किया जाता है। आईआरसीटीसी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूटों का उपयोग किया है और समेकित वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ आईआरसीटीसी का महत्वपूर्ण लेन-देन होता है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: -

संस्थाओं का नाम:

भारत सरकार, रेल मंत्रालय के माध्यम से (समूह पर महत्वपूर्ण प्रभाव)
रेल विकास निगम लिमिटेड (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
क्रिस (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)
रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (रेल मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित)

कुछ महत्वपूर्ण लेन-देन:-

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	पार्टी	लेनदेन की प्रकृति	2023-24	2022-23
1	रेलवे	कैटरिंग और व्यापक सेवाओं से आय, ऑन बोर्ड कैटरिंग और अन्य सेवाओं से आय- राजधानी/शताब्दी/प्रीमियम ट्रेनें	1,00,849.21	80,002.88
2	रेलवे	लाइसेंसधारी खानपान सेवाओं पर रेलवे की हिस्सेदारी	37,675.98	28,256.36
3	रेलवे	रेलनीर पर रेलवे का शेयर	772.58	546.60
4	रेलवे	इंटरनेट टिकटिंग सेवा शुल्क, विज्ञापन, कार्यालय किराया और पानी और बिजली पर रेलवे का हिस्सा	361.81	374.04
5	रेलवे	महाराजा एक्सप्रेस, तेजस और अन्य ट्रेनों पर ढुलाई शुल्क	21,463.64	13,776.95
6	रेलवे	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2,307.00	1,666.62
7	रेलवे	फ्लैटों के निर्माण के लिए पूंजीगत अग्रिम	-	64.55
8	सीआरआईएस	इंटरनेट टिकटिंग के लिए रखरखाव एवं विकास और लीज्ड लाइन व्यय पर व्यय	1,577.84	1,599.73
9	सीआरआईएस	आय-एकीकृत 139 एवं रेल मदद	1,164.05	729.61
10	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लीज लाइन और रखरखाव एवं विकास व्यय	655.93	454.65
11	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	रखरखाव एवं विकास व्यय	176.82	46.53

अन्य प्रकटन:

इंटरनेट टिकटिंग से संबंधित 31 मार्च, 2024 को ₹ 91,472.98 लाख (31 मार्च, 2023 को ₹ 79,026.60 लाख) की राशि रोलिंग डिपॉजिट के रूप में रेल मंत्रालय के साथ दी गई है, जो समूह के माध्यम से बुक की गई ट्रेन टिकटों के भुगतान के लिए है।

ये लेन-देन कंपनी के सामान्य व्यवसाय द्वारा नियंत्रित किए जाते है।

रोज़गार पश्चात लाभ योजनाओं के साथ लेन-देन अलग-अलग ट्रस्ट फंडों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।

राशि (लाख ₹ में)

क्रम सं.	ट्रस्ट फंड का नाम	विवरण	लेनदेन 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	लेनदेन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
भुगतान का प्रेषण				
1	आईआरसीटीसी ग्रेच्युटी ट्रस्ट	योगदान	512.65	320.68
2	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना	योगदान	341.52	201.47

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट :– 44.4 संयुक्त उद्यम के साथ शेष राशि

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31-03-2024	31-03-2023
(i)	निवेश	250.00	250.00
(ii)	निवेश के मूल्य में क्षति	(250.00)	(250.00)
(iii)	अग्रिम लीज किराया	1,741.50	1,741.50
(iv)	लीज किराया प्राप्ति	269.08	269.08
(v)	व्यापार देयताएं	(1,471.71)	(1,471.71)

निवेश के मूल्य में ह्रास समूह की निवेश हिस्सेदारी, यानी ₹ 250.00 लाख के लिए किया गया है क्योंकि आरआईआरटीएल के संचयी घाटों ने इसकी निवल संपत्ति को समाप्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आरआईआरटीएल की 2011-12 से 2023-24 तक की बैलेंस शीट को M/s कॉक्स एंड किंग्स (इंडिया) लिमिटेड के साथ विवाद लंबित होने के कारण अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

नोट 44.5 सहायक कंपनी के साथ लेनदेन और शेष

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	लेन-देन की प्रकृति	31-03-2024	31-03-2023
1	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	आवेदन राशि साझा करें (लंबित आवंटन)	1,500.00	-
2	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड के प्रारंभिक व्यय	24.13	-
3	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	पुनर्प्राप्त करने योग्य शेष	24.13	-

नोट :– 45 संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

कंपनी ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ मिलकर 50-50 बराबर भागीदारी के साथ रॉयल इंडियन रेल टूर्स लिमिटेड (आरआईआरटीएल) के संयुक्त उपक्रम के रूप में 10 दिसंबर 2008 को एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया। हालांकि इक्विटी भागीदारों के बीच मुद्दों के कारण, आईआरसीटीसी ने 12 अगस्त 2011 को कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड के साथ समझौते समाप्त कर दिया, और आरआईआरटीएल से ट्रैन भी वापस ले ली।

साझा उद्यम कंपनी में समूह की स्वामित्व हिस्सेदारी, संपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय, आकस्मिक देनदारियों और पूंजी प्रतिबद्धताओं का विवरण 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पक्षों के बीच विवाद के कारण इसके खातों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, जिसके कारण Ind AS 110 के तहत आवश्यक वित्तीय विवरणों का समेकन नहीं किया जा सका। ये समेकित वित्तीय विवरण Ind AS के अनुसार पृथक वित्तीय विवरण हैं।

क्र. सं.	संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी का नाम	कंपनी के स्वामित्व हित का %	परिसंपत्तियाँ	देयताएं	आय	व्यय	आकस्मिक देयताएं	पूंजी प्रतिबद्धताएं
1	आरआईआरटीएल	50%	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है

नोट :– 46 परिसंपत्तियों की क्षति

आईआरसीटीसी ने 31 मार्च, 2024 को समूह की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (PPE), अमूर्त संपत्तियों और ROU संपत्तियों की वहन राशि में किसी ह्रास के संकेत का आकलन किया है। इस आकलन के आधार पर, प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान आईआरसीटीसी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त संपत्तियों के ह्रास के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

गोल्डन चैरियट और भारत गौरव ट्रेनों की भविष्य की लाभप्रदता के वर्तमान मूल्य के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक इन ट्रेनों के संचालन में घाटा होने के बावजूद, प्रबंधन द्वारा ROU के ह्रास के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:-47 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

क) वर्ष के दौरान समूह द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि और बोर्ड द्वारा अनुमोदित

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 31.03.2024 को समाप्त	वर्ष 31.03.2023 को समाप्त
1	वर्ष के दौरान समूह द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	1,664.80	1,253.00
2	बोर्ड द्वारा वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली स्वीकृत राशि	1,664.80	1,253.00

(ख) वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि का विवरण:-

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24			2022-23		
		किया गया व्यय (ए)	चल रही परियोजनाओं पर अभी तक व्यय नहीं किया गया (बी)	कुल (ए+बी)	किया गया व्यय (ए)	चल रही परियोजनाओं पर अभी तक व्यय नहीं किया गया (बी)	कुल (ए+बी)
i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण							
ii उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर							
क)	स्वच्छ भारत कोष एवं नमामि गंगा पर व्यय	-	-	-	295.98	-	295.98
ख)	शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय	637.13	149.93	787.06	357.57	96.98	454.55
ग)	आकांक्षी जिला	253.38	53.68	307.06	90.78	17.65	108.43
घ)	स्वच्छता, सामाजिक अधिकारिता एवं पर्यावरण पर व्यय	206.86	54.04	260.90	110.49	19.58	130.07
ङ)	सशस्त्र बल	61.14	-	61.14	5.00	-	5.00
च)	अनुसंधान एवं विकास से लेकर आईआईटी तक	-	-	-	44.22	11.06	55.28
छ)	पीएम केयर फंड	171.11	-	171.11	150.00	-	150.00
ज)	कौशल विकास एवं खेल	53.05	22.71	75.76	47.69	6.00	53.69
i)	अन्य (रेलनीर सामुदायिक भोजन की आपूर्ति और प्रशासनिक व्यय आदि)	1.77	-	1.77	-	-	-
	कुल	1384.44	280.36	1664.80	1101.73	151.27	1253.00

नोट 47.1 कमी

विवरण	2023-24	2022-23
साल के अंत में कमी	शून्य	शून्य
पिछले वर्षों की कुल कमी	शून्य	शून्य
कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट 47.2 चल रही परियोजनाओं के लिए अव्ययित राशि का विवरण

धशरी	चालू परियोजनाओं के लिए कुल राशि खर्च नहीं की गई	2023-24 के दौरान खर्च की गई कुल राशि	31 मार्च, 2024 तक खर्च की जाने वाली शेष राशि	टिप्पणी
2023-24	280.36	-	280.36	अलग बैंक खाते में जमा
2022-23	151.27	77.55	73.72	अलग बैंक खाते में जमा
2021-22	51.48	51.48	-	-
2020-21	2.18	-	2.18	अलग बैंक खाते में जमा

नोट 47.3 वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं हुआ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट 47.4 चालू परियोजनाओं का विवरण 31 मार्च 2024

चालू एवं गैर–चालू परियोजना के मामले में						
प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते में
151.27	53.60	1,664.80	1384.44	129.03	280.28	75.98

नोट 47.5 चालू परियोजनाओं का विवरण 31 मार्च 2023

चालू एवं गैर–चालू परियोजना के मामले में						
प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते में
124.39	–	1,253.00	1,099.61	72.91	151.27	53.60

31 मार्च तक समूह के पास पड़ी अप्रयुक्त सीएसआर राशि निर्धारित समय–सीमा के भीतर अलग बैंक खाते में जमा कर दी गई है।

नोटः– 48 नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष

आईआरसीटीसी ने ₹ 12,000 लाख (पिछले वर्ष ₹ 12,000 लाख) की सावधि जमा के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक से ₹ 10,000 लाख (पिछले वर्ष ₹ 10,000 लाख) के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठाया है। ओडी सुविधा का लाभ उस अवधि के लिए सावधि जमा पर ब्याज दर से 1% अधिक होगा जिसके लिए ओडी का लाभ उठाया जा रहा है। उस सीमा तक की सावधि जमा ग्रहणाधिकार के अधीन हैं।

नोटः– 49 रेलवे शेयर

(क) लाइसेंस फीस/सेवा शुल्क सकल मूल्य पर दर्शाए गए हैं और भारतीय रेलवे को भुगतान/देय संबंधित हिस्से को नोट संख्या 27, 28, 29 और 33.2 के तहत व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

(ख) रेलवे और आईआरसीटीसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू दिनांक 17.01.2007 के अनुसार, रेल नीर पर रेलवे के साथ राजस्व का बंटवारा श्रेणी ख में उल्लिखित किया गया है यात्री सुविधाएं जैसे स्टॉल का प्रबंधन, रेलवे स्टेशन पर जलपान कक्ष, पेंट्री कार सेवाएं, रेल नीर आदि जहां सेवाएं भुगतान करने वाले यात्रियों तक सीमित हैं और बिक्री के लिए वस्तुएं और टैरिफ रेलवे द्वारा निर्धारित और नियंत्रित किए जाते हैं। इस गतिविधि के लिए सेवा प्रदाता के लिए लाभ की बहुत सीमित गुंजाइश है। ऐसे मामले में आईआरसीटीसी द्वारा अर्जित राजस्व का 15% राजस्व हिस्सा देय है। विभागीय इकाइयों के मामले में, आईआरसीटीसी द्वारा रेलवे के साथ शुद्ध लाभ का 15% साझा किया जाना है।

रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 20.07.2021 के माध्यम से रेलवे शेयर का मुद्दा उठाया है और कंपनी को एमओयू दिनांक 19.01.2007 के अनुसार सभी रेल नीर संयंत्रों का रेलवे हिस्सा देने को कहा है।

हालांकि, रेलवे बोर्ड ने कंपनी के तर्क को स्वीकार नहीं किया और 30.09.2021 के पत्र के माध्यम से डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) द्वारा चलाए जा रहे पीपीपी संयंत्रों के लिए खानपान नीति 2017 के अनुसार विभागीय संयंत्रों के लिए लाभ का 15% और 40% राजस्व साझा करने की सलाह दी। हालांकि, समूह ने तर्क दिया कि पीपीपी संयंत्र लाइसेंसी मॉडल पर नहीं चलाए जाते हैं क्योंकि ये संयंत्र आईआरसीटीसी द्वारा स्थापित किए जाते हैं और रेल नीर की बिक्री केवल आईआरसीटीसी के चालान पर होती है। कंपनी ने पीपीपी संयंत्रों सहित सभी संयंत्रों के लिए 15% लाभ साझा करने पर सहमति व्यक्त की थी और रेलवे बोर्ड को 24.02.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया और 2713.32 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान किया, जिसे रेलवे बोर्ड ने सुलह के अधीन स्वीकार कर लिया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रेल नीर खंड के मुनाफे के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020–21 तक पिछले वर्षों के लिए ₹ 2713.32 लाख के रेलवे शेयर के कारण रेल नीर खंड में हुए नुकसान के कारण वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कोई रेलवे हिस्सा मान्यता प्राप्त नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान एक और विकास में, रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया कि कंपनी द्वारा विभागीय रूप से चलाए जा रहे रेल नीर संयंत्रों के लिए, आईआर और कंपनी के बीच मुनाफे को 15: 85 के अनुपात में साझा किया जाएगा और पीपीपी मॉडल के तहत संचालित / डीसीओ द्वारा चलाए जा रहे संयंत्रों के लिए, आईआर और कंपनी के बीच मुनाफे को 40: 60 के अनुपात में साझा किया जाएगा। तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान विभागीय रूप से चलाए जा रहे रेलनीर संयंत्रों के लाभ के 15% के रूप में ₹ 320.33 लाख और पीपीपी मॉडल पर चलाए जा रहे संयंत्रों के मुनाफे के 40% के रूप में ₹ 452.25 लाख के लाभ शेयर को मान्यता दी है, पिछले वर्षों के पीपीपी संयंत्रों से लाभ पर

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

25% की दर से अंतर लाभ शेयर के रूप में ₹ 1451.24 लाख का लाभ शेयर चार्ज करने के बाद। 31 मार्च, 2023 तक 25% (40%-15%) की दर से लाभ साझा करने की अंतर राशि के लिए प्रावधान, जो कि ₹ 1451.24 लाख है, को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एक अपवाद मद के रूप में दिखाया गया है, भले ही समूह ने रेलवे बोर्ड को वित्त वर्ष 2022-23 तक सभी रेलनीर संयंत्रों के लिए 15:85 के एक समान अनुपात में लाभ साझा करने के लिए प्रतिनिधित्व किया है। रेलवे बोर्ड से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है। ये मामले रेलवे के साथ सुलह के अधीन हैं।

नोट:-50 फ्लैट और जमीन के लिए पूंजीगत अग्रिम

पिछले वर्षों में फ्लैटों और भूमि की खरीद/निर्माण के लिए निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया था जो आज भी लंबित हैं:-

- वर्ष 2002-03/2006-07/2021-22/2022-23 में भारतीय रेलवे को 635.98 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

- वित्त वर्ष 2018-19 में एयर इंडिया लिमिटेड से फ्लैटों की खरीद के लिए 90.32 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

नोट:- 51

(क) पीपीपी मॉडल के तहत रेल नीर संयंत्रों के अनुबंध समझौते के अनुसार, डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) समझौते में निर्धारित लाइसेंस शुल्क (एलएफ) की निश्चित राशि का भुगतान करेगा और आईआरसीटीसी डीसीओ को वॉल्यूम शॉर्टफॉल भुगतान करेगा यदि एक वर्ष में वास्तविक बिक्री रियायत समझौते में निर्धारित सुनिश्चित बिक्री से कम है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी के कार्यकारी बोर्ड (ईबी) ने निर्णय लिया था कि कोविड-19 महामारी के दौरान कोई कमी मुआवजा देय नहीं होगा। ईबी ने आगे निर्णय लिया कि चूंकि यह स्थिति समझौते के खंड 16.2 में प्रदान की गई "गैर राजनीतिक अप्रत्याशित घटना" से संबंधित है, इसलिए डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) को लाइसेंस शुल्क लाभ वास्तविक उत्पादन और विधिवत निष्पादित समझौतों के अनुसार स्थापित क्षमता के साथ आनुपातिक आधार पर दिया जा सकता है।

आईआरसीटीसी द्वारा लिए गए निर्णय से सभी डीसीओ को अवगत करा दिया गया। लेकिन कुछ डीसीओ ने कंपनी के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 437.61 लाख (वित्तीय वर्ष 2020-21 - ₹ 243.17 लाख और वित्तीय वर्ष 2021-22 - ₹ 194.44 लाख) की कुल राशि 'दावों और हर्जाने के प्रावधान' के रूप में प्रदान की गई थी, जो कि असहमत डीसीओ के संबंध में माफ किए गए लाइसेंस शुल्क के शुद्ध गणना की गई कमी मुआवजे के लिए थी, जिन्होंने ईबी के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, परिचालन सामान्य हो गया है और इसलिए, 50.41 लाख रुपये की कमी मुआवजे की गणना की गई है और व्यक्तिगत संयंत्र के अनुबंध की शर्तों और शर्तों के अनुसार इसका हिसाब लगाया गया है। हालांकि, रेलनीर संयंत्रों के सामान्य संचालन के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई कमी क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की गई है।

(ख) निविदा की शर्तों के अनुसार, 4 पीपीपी रेल नीर संयंत्रों के संबंध में, डेवलपर सह ऑपरेटर (डीसीओ) को वास्तविक बिक्री पर करों की प्रतिपूर्ति करनी है। डीसीओ द्वारा प्राप्त आईटीसी की जानकारी के अभाव में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 364.83 लाख की आईटीसी प्राप्य राशि का लेखा केवल दो संयंत्रों के लिए किया गया है और पिछले वर्ष 2022-23 में, ₹ 442.46 लाख (वित्तीय वर्ष 2021-22 ₹ 309.28 लाख) का प्रभाव केवल दो संयंत्रों के लिए ही दर्ज किया गया था। इन डीसीओ ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए समूह के दावे के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया है। भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रबंधन द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है।

नोट:- 52

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी को लागत के आधार पर 3 ग्लास टॉप कोचों के विनिर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय से 1200 लाख रुपये प्राप्त हुए थे, जिसमें से शेष 121.66 लाख रुपये पर्यटन मंत्रालय को वापस किए जाने हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 53 खंड रिपोर्टिंग

सीओडीएम और कॉर्पोरेट योजना प्रबंधक कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति, संगठन संरचना और आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर व्यवसाय के प्रदर्शन की जांच करते हैं और इसके व्यवसाय के पांच रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान इस प्रकार की है:–

- खानपान
- रेलनीर
- पर्यटन और ट्रेन संचालन
- राज्य तीर्थ
- इंटरनेट टिकटिंग

निगम मुख्य रूप से घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करता है। इस प्रकार कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक खंड नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों को लगातार अलग–अलग खंडों में राजस्व और व्यय रिकॉर्ड करने के लिए लागू किया जाता है, जैसा कि महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट में निर्धारित किया गया है।

खंड के संबंध में राजस्व और प्रत्यक्ष व्यय उन मदों के आधार पर आवंटित किए जाते हैं जो संबंधित खंड के लिए व्यक्तिगत रूप से पहचाने जाने योग्य हैं जबकि शेष लागतों को असंबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि इन खर्चों को खंड प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है और तदनुसार इन खर्चों को अलग से असंबद्ध के रूप में प्रकट किया जाता है और निगम की कुल आय के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। कुल राजस्व में ऐसे गैर–आबंटन योग्य व्ययों का कुल प्रतिशत महत्वपूर्ण नहीं है।

कंपनी के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को किसी भी रिपोर्ट योग्य खंड में पहचाना नहीं जाता है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित खंडीय प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा का सार्थक पृथक्करण बोझिल हो सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

खंड रिपोर्टिंग

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	खानपान		रेलनीर		इंटरनेट टिकटिंग		पर्यटन एवं रेल परिचालन		राज्य तीर्थ		उन्मूलन		कुल	
	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ	वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ
राजस्व														
उत्पादों की बिक्री	6,882.81	2,769.87	31,940.57	29,503.21	-	-	-	-	-	-	-	-	38,823.38	32,273.08
सेवाओं की बिक्री	1,87,836.26	1,44,878.79	683.72	522.70	1,29,530.60	1,19,803.42	54,922.41	41,220.59	15,179.74	15,377.83	-	-	3,88,152.73	3,21,803.33
अन्य परिचालन आय	-	-	41.74	70.88	-	-	-	-	-	-	-	-	41.74	70.88
अंतर-खंड बिक्री	-	-	1,401.09	1,359.94	-	-		-	-	-	(1,401.09)	(1,359.94)	-	-
अन्य आय	2,542.50	1,994.87	337.13	447.99	800.51	885.13	668.72	302.19	61.54	74.04	-	-	4,410.40	3,704.22
ब्याज और लाभांश आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,037.37	8,338.84
कुल राजस्व	**1,97,261.57**	**1,49,643.53**	**33,003.16**	**30,544.78**	**1,30,331.11**	**1,20,688.55**	**55,591.13**	**41,522.78**	**15,241.28**	**15,451.87**	**-**	**-**	**4,43,465.62**	**3,66,190.35**
खंड परिणाम	**26,869.25**	**16,272.69**	**4,371.64**	**3,469.87**	**1,06,027.47**	**1,00,507.52**	**3,209.20**	**1,267.17**	**2,942.34**	**2,824.87**	**-**	**-**	**1,55,457.27**	**1,32,680.96**
अनआवंटित कॉर्पोरेट आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अनआवंटित कॉर्पोरेट व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर से पहले लाभ (असाधारण मदों से पहले)	**26,869.25**	**16,272.69**	**4,371.64**	**3,469.87**	**1,06,027.47**	**1,00,507.52**	**3,209.20**	**1,267.17**	**2,942.34**	**2,824.87**	**-**	**-**	**1,55,457.27**	**1,32,680.96**
असाधारण मदें	-	528.04	(1,451.24)	174.15	724.41	1,584.99	(5,126.20)	378.30	-	54.52	-	-	(5,853.03)	2,720.00
कर से पहले लाभ	**26,869.25**	**16,800.73**	**2,920.40**	**3,644.02**	**1,06,751.88**	**1,02,092.51**	**(1,917.00)**	**1,645.47**	**2,942.34**	**2,879.39**	**-**	**-**	**1,49,604.24**	**1,35,400.96**
आयकर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,496.51	34,812.85
शुद्ध लाभ	**26,869.25**	**16,800.73**	**2,920.40**	**3,644.02**	**1,06,751.88**	**1,02,092.51**	**(1,917.00)**	**1,645.47**	**2,942.34**	**2,879.39**	**-**	**-**	**1,11,107.73**	**1,00,588.11**
अन्य प्रकटीकरण														
ब्याज व्यय	708.43	575.27	157.84	117.68	445.12	468.40	505.50	390.50	47.60	59.40	-	-	1,864.49	1,611.25
मूल्यह्रास	1,322.52	1,007.82	1,444.59	1,380.72	991.58	1,215.77	1,918.72	1,703.62	44.23	65.03	-	-	5,721.64	5,372.96
कुल मूल्यह्रास	1,322.52	1,007.82	1,444.59	1,380.72	991.58	1,215.77	1,918.72	1,703.62	44.23	65.03	-	-	5,721.64	5,372.96

नोट:

1. अंतर-खंड बिक्री को कुल राजस्व में नहीं लिया जाता है।

2. समूह के व्यवसाय में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों और देनदारियों को किसी भी रिपोर्ट योग्य खंड में नहीं पहचाना जाता है क्योंकि इनका उपयोग खंडों के बीच परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। कंपनी का मानना है कि वर्तमान में कुल परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित खंडीय प्रकटीकरण प्रदान करना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि उपलब्ध डेटा का सार्थक पृथक्करण बोझिल हो सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 54 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर भारतीय लेखा मानक–115 के तहत प्रकटीकरण

(क) राजस्व का विभाजन

(i) नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से समूह के राजस्व का विभाजन है: उत्पादों और सेवा के प्रकार के अनुसार

राशि (लाख ₹ में)

माल या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री	38,823.38	32,273.08
सेवा की बिक्री–		
i) इंटरनेट टिकटिंग	1,29,530.60	1,19,803.42
ii) खानपान सेवाओं से आय	1,00,849.21	80,002.88
iii) रियायती शुल्क, लाइसेंस शुल्क आदि से आय	86,987.05	64,875.91
iv) टूर और ट्रेन संचालन	70,102.15	56,598.42
v) रेलनीर लाइसेंस शुल्क	683.72	522.70
vi) अन्य परिचालन आय	41.74	70.88
कुल	**4,27,017.85**	**3,54,147.29**

(ii) नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से समूह के राजस्व का विभाजन है: खंडवार

राशि (लाख ₹ में)

खंडवार	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
खानपान	1,97,261.57	1,49,643.53
रेलनीर	33,003.16	30,544.78
इंटरनेट टिकटिंग	1,30,331.11	1,20,688.55
टूर और ट्रेन संचालन	55,591.13	41,522.78
राज्य तीरथ	15,241.28	15,451.87
कुल	**4,31,428.25**	**3,57,851.51**

(ख) सेगमेंट रिपोर्टिंग से राजस्व ₹ 431428.25 लाख (वित्त वर्ष 2022–23 में ₹ 357851.51 लाख) है।

(ग) अनुबंध शेष

राशि (लाख ₹ में)

	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
व्यापार प्राप्य (नोट 10.1)	1,37,434.19	1,14,291.40
अनुबंध परिसंपत्तियां	–	–
अनुबंध देयताएँ (नोट 19)	38,485.91	40,952.33

(i) व्यापार प्राप्तियां ब्याज रहित हैं और ग्राहक प्रोफ़ाइल में रेल मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम आदि शामिल हैं। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र 12 महीने तक का है।

(ii) अनुबंध परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में समूह के विचार के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि को संलग्न शर्त यानी भविष्य की सेवा की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्तियों के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जो बिलिंग मील का पत्थर हासिल करने के लिए आवश्यक है।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्ति	–	–
अनुबंध परिसंपत्ति से व्यापार प्राप्य में स्थानांतरण और प्रगति के माप में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वृद्धि	–	–
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	–	–

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(iii) अनुबंध देनदारियां ग्राहकों से अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि को दर्शाती हैं, जो असमाप्त रियायत शुल्क, असमाप्त लाइसेंस शुल्क, असमाप्त उपयोगकर्ता शुल्क, असमाप्त एकीकरण शुल्क और पैकेज टूर के लिए अग्रिम से संबंधित हैं।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	मार्च 31, 2024	मार्च 31, 2023
वर्ष की शुरुआत में अनुबध देयताएँ	40,952.33	22,081.68
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएँ	38,485.91	40,952.33

नोट:- 55 पूंजी प्रबंधनप

समूह का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि यह सुनिश्चित हो सके और समूह की क्षमता बनी रहे ताकि समूह शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके। 31 मार्च 2024 तक समूह के पास कोई उधार नहीं है।

इसके अलावा, समूह आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के मद्देनजर समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

नोट:- 56 उचित मूल्य माप

(i) श्रेणी के अनुसार वित्तीय उपकरणी

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल*	एफवीटीओ सीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
(i) निवेश	-	-	-	-		-
(ii) सुरक्षा जमा	-	-	1,280.89	-		1,185.62
(iii) व्यापार प्राप्य	-	-	1,37,434.19	-		1,14,291.40
(iv) नकद और नकद समकक्ष	-	-	70,633.87	-		42,884.51
(v) नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	-	-	1,57,130.73	-		1,50,197.23
(vi) अन्य	-	-	24,586.02	-		19,998.58
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**3,91,065.70**	**-**		**3,28,557.34**
वित्तीय देयताएं						
(i) सुरक्षा जमा	-	-	19,183.70	-		13,590.87
(ii) बयाना राशि			14,564.69			5,598.68
(iii) व्यापार देयताएं	-	-	99,765.10	-		85,215.47
(iv) पट्टा देयताएं	-	-	6,035.05			8,416.22
(v) अन्य	-	-	27,414.93	-		20,056.52
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**1,66,963.47**	**-**		**1,32,877.76**

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

(ii) परिसंपत्तियां और देयताएँ जिन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जिसके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है।

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
सुरक्षा जमा	1,280.89	1,280.82	1,185.62	1,185.62
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**1,280.89**	**1,280.82**	**1,185.62**	**1,185.62**
वित्तीय देयताएँ				
सुरक्षा जमा	19,183.70	19,127.58	13,590.87	13,474.48
लीज़ देयताएँ	6,035.05	6,035.05	8,416.22	8,416.22
कुल वित्तीय देयताएँ	**25,218.75**	**25,162.63**	**22,007.09**	**21,890.70**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

क. व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, अल्पावधि सुरक्षा जमा, नकद और नकद समकक्ष और अन्य अल्पकालिक प्राप्य और अन्य देय की अग्रणी राशि को अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

ख. दीर्घकालिक सुरक्षा जमा के उचित मूल्य की गणना सावधि जमा की वर्तमान बाजार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह पर की गई थी। अप्राप्य इनपुट को शामिल करने के कारण उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर-3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 - समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2 - स्तर 1 के भीतर उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट शामिल हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त) देखने योग्य हैं।

स्तर 3 - परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अअवलोकन योग्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

निम्नलिखित तालिका आवर्ती आधार पर और परिशोधन लागत पर उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य माप पदानुक्रम को प्रस्तुत करती है।

31 मार्च 2024 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है:				
सुरक्षा जमा	-	-	1,280.82	1,280.82
	-	**-**	**1,280.82**	**1,280.82**

31 मार्च 2024 तक वित्तीय देनदारियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है:				
सुरक्षा जमा	-	-	19,127.58	19,127.58
लीज़ देयताएँ	-	-	6,035.05	6,035.05
	-	**-**	**25,162.63**	**25,162.63**

31 मार्च 2023 तक वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया गया है:				
सुरक्षा जमा राशि	-	-	1,185.62	1,185.62
	-	**-**	**1,185.62**	**1,185.62**

31 मार्च 2023 तक वित्तीय देनदारियों के लिए मात्रात्मक प्रकटीकरण उचित मूल्य माप पदानुक्रम:

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य का खुलासा किया जाता है:				
सुरक्षा जमा	-	-	13,474.48	13,474.48
लीज़ देयताएँ	-	-	8,416.22	8,416.22
	-	**-**	**21,890.70**	**21,890.70**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

टिप्पणियां:-57 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य समूह के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। समूह की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

समूह बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियां उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होती हैं और कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार वित्तीय जोखिम की पहचान, माप और प्रबंधन किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमति व्यक्त करता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:-

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। बाज़ार जोखिम में ब्याज दर जोखिम और विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल हैं। बाज़ार जोखिम से प्रभावित वित्तीय उपकरणों में सुरक्षा जमा, बैंक जमा और अन्य गैर-व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है कि बाजार की ब्याज दर में बदलाव के कारण वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव होगा। समूह अपने ब्याज जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार करता है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि ब्याज दर वित्तीय साधनों की अवधि के लिए है।

ii) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। विदेशी मुद्रा लेनदेन की कम मात्रा को देखते हुए, विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम से कोई महत्वपूर्ण जोखिम मौजूद नहीं है। समूह किसी भी विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव नहीं करता है।

ख) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम समूह के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, और मुख्य रूप से ग्राहकों से समूह की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है। समूह को अपनी वित्तीय गतिविधियों से ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है, जिसमें व्यापार प्राप्य, बैंकों में जमा राशि, वित्तीय संस्थान और अन्य वित्तीय उपकरण शामिल हैं। क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर है। प्रतिपक्ष ऋण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाले नुकसान को रोकना है। समूह प्रतिपक्षकारों की वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए उनकी क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन करता है।

ग) वित्तीय साधन और नकद जमा

बैंकों और वित्तीय संस्थानों में शेष राशि से क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन समूह की नीति के अनुसार किया जाता है। अधिशेष का निवेश केवल प्रतिपक्ष से प्राप्त वित्तीय उद्धरण के आधार पर अनुमोदित प्रतिपक्ष के साथ किया जाता है।

घ) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसके कारण समूह अपने वित्तीय दायित्वों को देय होने पर पूरा नहीं कर पाएगा। जहां तक संभव हो, समूह यह सुनिश्चित करके अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है कि सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों में, समूह की प्रतिष्ठा को अस्वीकार्य नुकसान या जोखिम उठाए बिना, देय होने पर उसके पास हमेशा अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता होगी।

समूह की तरलता के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समकक्ष और परिचालन से उत्पन्न नकदी प्रवाह हैं। समूह पर कोई बैंक उधार नहीं है। समूह का मानना है कि कार्यशील पूंजी उसकी वर्तमान परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। कार्यशील पूंजी प्रबंधन और अन्य परिचालन आवश्यकताओं के लिए आवश्यक राशि से अधिक उत्पन्न कोई भी अल्पकालिक-अधिशेष नकदी, बैंकों के साथ अल्पकालिक जमा में नकदी और निवेश के रूप में रखी जाती है। उक्त निवेश उचित परिपक्वता और पर्याप्त तरलता वाले उपकरणों में किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 58 अपेक्षित ऋण हानि और व्यापार प्राप्य की आयु अनुसूची के लिए भत्ते

(i) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		3 वर्ष तक	3 से अधिक 5 से कम	वर्ष से अधिक	चूक
रेलवे/सरकारी	सकल वहन राशि	1,16,153.25	4,417.72	5,461.92	3,585.60
	अपेक्षित ऋण दर	0%	0%	100%	100%
	अपेक्षित ऋण घाटा (हानि प्रावधान भत्ता)		–	5,461.92	3,585.60
	व्यापार प्राप्य की शुद्ध वहन राशि	1,16,153.25	4,417.72	–	–
गैर-रेलवे/गैर-सरकारी	सकल वहन राशि	15,384.30	382.51	1,570.94	4,988.21
	अपेक्षित ऋण दर	0%	50%	100%	100%
	अपेक्षित ऋण घाटा (हानि प्रावधान भत्ता)	–	191.26	1,570.94	3700.54(*)
	व्यापार प्राप्य की शुद्ध वहन राशि	15,384.30	191.26	–	1,287.67

*1. लाइसेंसधारी से दावे की वसूली न होने की स्थिति में, 03 वर्ष तक ₹ 712.03 लाख, 03 से 05 वर्ष तक ₹ 658.06 लाख और 05 वर्ष से अधिक की ₹ 388.86 की विवादित प्राप्तियों पर डब्ल्यूवीएम अनुबंधों के लिए ईसीएल प्रावधान उचित निपटान के बाद, रेलवे के 40% हिस्से का भुगतान करने का दायित्व भी समाप्त हो जाएगा। अत: समूह द्वारा प्राप्य राशि के 60% पर प्रावधान किया गया है।

*2. 03 से 05 साल तक ₹ 138.22 लाख की विवादित प्राप्य राशि और 05 साल से अधिक ₹ 1159.86 लाख की विवादित प्राप्तियों में बिक्री मूल्यांकन पर लाइसेंस शुल्क में वृद्धि, चाय और कॉफी परोसने और भोजन टैरिफ दर में बढ़ोतरी से संबंधित लाइसेंसधारक के बकाया दावे शामिल हैं। प्रतिनियुक्ति निपटान के समय लाइसेंसधारी से दावे की वसूली न होने की स्थिति में, रेलवे के 45% हिस्से (रखरखाव शुल्क सहित) का भुगतान करने का दायित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए, समूह द्वारा प्राप्य राशि के 55% पर प्रावधान किया गया है।

(ii) 31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्य उम्र बढ़ने का कार्यक्रम

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –अच्छा माना जाता है	64,951.29	26,776.33	32,496.72	1,887.55	4,417.72	1,30,529.61
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है					382.51	382.51
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –क्रेडिट खराब होता है					7,032.86	7,032.86
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य –अच्छा माना जाता है						
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य –क्रेडिट खराब होता है		22.79	194.12	719.69	7,408.34	8,344.94
(vii) बिल न की गई राशि	4,674.47	82.70	81.82	70.80	744.74	5,654.53

31 मार्च 2023 तक व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया*					
	6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	73,704.79	25,439.08	2,701.92	231.11	6,865.93	1,08,942.84
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	1,524.06	1,524.06
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण					5,474.50	5,474.50
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	–	–	–	–	–	–
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	–	–	–	–	–	–

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

राशि (लाख ₹ में)

विवरण		भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया*					
		6 महीने से कम	6 महीने - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्य - ऋण क्षीण	-		259.36	166.12	8,443.63	8,869.11
(vii)	बिल न की गई राशि	2,521.29	18.14	75.03	34.77	756.43	3,405.65

नोट:-59 अनुमान एवं धारणाएँ

भविष्य से संबंधित प्रमुख धारणाएं और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि में भौतिक समायोजन होने का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां संभव हो इन विधियों के लिए इनपुट अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए कुछ हद तक निर्णय की आवश्यकता होती है। निर्णयों में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में धारणाओं में परिवर्तन वित्तीय साधनों के सूचित उचित मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और स्तर के आधार पर, आस्थगित कर परिसंपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है जिसे पहचाना जा सकता है। भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के साथ भविष्य के कर योग्य लाभ।

ग) परिभाषित लाभ दायित्व

कर्मचारी लाभ दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल होता है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है

घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन नोट 2(i) में दिया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभाव सहित कई कारकों पर आधारित है। समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है।

ङ) पट्टे

समूह अपने निर्णय का उपयोग यह निर्धारित करने में करता है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं, पट्टा समझौते का विस्तार विकल्प और पट्टा समझौते की समाप्ति विकल्प का प्रयोग किया जाएगा या नहीं। रेलवे से पट्टे पर ली गई भूमि के लिए नोट संख्या देखें। 2 (i) (h) भविष्य की लीज अवधि का अनुमान लगाने के लिए।

नोट:- 60 ट्रेन संचालन

समूह हॉलेज चार्ज सिद्धांत के आधार पर जोनल रेलवे से प्राप्त ट्रेनों के संचालन में लगा हुआ है। विशेष ट्रेन के संचालन से होने वाली आय में यात्रियों से लिया गया मूल किराया, खानपान शुल्क और समूह द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क शामिल हैं। ट्रेनों के संचालन से होने वाली आय को Ind AS-115 की आवश्यकता के अनुसार ट्रेन के संचालन की समयावधि के आधार पर मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 61 टिकट जमा रसीद रिफंड (टीडीआर) मामले

भारतीय रेलवे से टीडीआर प्राप्त होने के बाद समूह द्वारा यात्रियों को टीडीआर रिफंड किया जाता है। 31 मार्च 2024 तक, लंबित मामलों की संख्या 77731 (पिछले वर्ष 59582) थी, जिनका मूल्य ₹ 949.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 726.40 लाख) था।

नोट:– 62 रेलनीर संयंत्र पीपीपी मॉडल पर

4 नग के अलावा. समूह के स्वामित्व वाले रेल नीर संयंत्र, 15 नग। पीपीपी मॉडल पर विभिन्न स्थानों पर रेल नीर संयंत्र चालू हैं। विजयवाड़ा में एक और रेल नीर संयंत्र निर्माणाधीन है और इस रेल नीर संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन 2024-25 में शुरू होने की संभावना है।

नोट:– 63 पूंजीगत व्यय

समूह ने सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम सहित ₹ 23,960.35 लाख का कुल पूंजीगत व्यय किया है, लेकिन आरओयू परिसंपत्तियों को छोड़कर (पिछले वर्ष ₹ 23,863.60 लाख)।

नोट:– 64 पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच

मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार समूह को पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी की संलिप्तता वाली सीबीआई जांच के संबंध में किसी वित्तीय देनदारी की आशंका नहीं है।

नोट:– 65 जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट

31 मार्च, 2024 तक जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी पोर्टल और जीएसटी रिटर्न 2बी पर दिखाई देने वाली कुल राशि) ₹ 2283.76 लाख (पिछले वर्ष ₹ 921.13 लाख) की राशि "सरकारी अधिकारियों के साथ शेष" 12 में शामिल है, जो जीएसटीआर में क्रेडिट के लिए लंबित है। आज की तारीख में 2बी.

नोट:– 66 कर्मचारी अग्रिम

आधिकारिक खर्चों को पूरा करने के लिए वास्तविक कर्मचारी कठिनाइयों से बचने के लिए कर्मचारी अग्रिम का भुगतान किया जाता है। बाद में कर्मचारियों को खर्च की प्रतिपूर्ति अलग से की जाती है। तदनुसार, हालांकि रोजगार मिलने तक अग्रिम वापसी योग्य नहीं है, उसे छूट नहीं दी गई है और उसे चालू प्रकृति का माना गया है।

नोट:–67 रेलनीर संयंत्रों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव

समूह ने निजी पार्टियों "ऑपरेटर" के साथ एक समझौता किया है, जिसमें ऑपरेटर रेल नीर की खरीद के लिए समूह के स्वामित्व वाली भूमि पर जल उपचार संयंत्र की स्थापना (भवन और संयंत्र मशीनरी), संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

नोट :–68 जल वेंडिंग मशीनों पर लाइसेंस शुल्क

नोट 27 के अनुसार लाइसेंसधारी शुल्क में वाटर वेंडिंग मशीनों पर प्राप्त लाइसेंस शुल्क में 25% रेलवे शेयर (परिपत्र 36/2015 के अनुसार 15%) का आकस्मिक प्रावधान शामिल है, जो खानपान नीति 2017 के अंतर्गत रेलवे बोर्ड से स्पष्टीकरण लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:- 69 अचल संपत्तियों की सूची जिनके शीर्षक विलेख 31.03.2024 तक निष्पादित होने बाकी हैं

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर का रिश्तेदार/ निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण**
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी
(क) फ्रीहोल्ड संपत्तियों की सूची जिनके स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं						
पीपीई	ग्राम बिमीठा, जिला में होटल के लिए भूमि। छतरपुर, खजुराहो, म.प्र.	₹66.98 लाखों	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम जी में टिप्पणियां देखें	03.09.2013	स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
	गुजरात के केवडिया रेलवे स्टेशन के पास केवडिया में होटल के लिए भूमि	₹1275 लाखों	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम जी में टिप्पणियां देखें	15.10.2020	स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
(ख) लीजहोल्ड संपत्तियों की सूची जिनके लिए लीज डीड अभी तक निष्पादित नहीं की गई है						
	आवासीय भवन:-					
उपयोग का अधिकार संपत्ति	डी/91 और डी/141, वेस्टर्न रेलवे कॉलोनी, पाली हिल्स, बांद्रा, मुंबई	₹325 लाखों	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम जी में टिप्पणियां देखें	03.10.2012	स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
	सफदरजंग रेलवे स्टेशन के पास 3 आवासीय फ्लैट, नई दिल्ली	₹1374 लाखों	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम जी में टिप्पणियां देखें	नवम्बर और दिसंबर, 2022	स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
	भूमि :-					
	रेलनीर प्लांट के लिए असम राज्य सरकार द्वारा जगी रोड, असम में भूमि आवंटित की गई	₹8.06 लाखों	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम जी में टिप्पणियां देखें	17.02.2017	स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ऊना में रेलनीर संयंत्र के लिए भूमि आवंटित की गई	₹103.81 लाखों	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम जी में टिप्पणियां देखें	30.10.2018	स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।
	महाराष्ट्र के अंबरनाथ में रेलनीर प्लांट के लिए रेलवे द्वारा दी गई जमीन	₹28.23 लाखों	आईआरसीटीसी के नाम पर आवंटन पत्र	कॉलम जी में टिप्पणियां देखें	17.12.2009	रेलवे के साथ लीज समझौते का नवीनीकरण 1 अप्रैल, 2021 से लंबित है

नोट:- 70 पट्टे

क) पट्टेदार के रूप में समूह

पट्टेदार के रूप में समूह ने विभिन्न पट्टा अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान और वाहनों का पट्टा शामिल है। भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाने से पहले, समूह ने आरंभ तिथि पर अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को या तो वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था।

समूह के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के पट्टे वाले कार्यालयों और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी हैं। समूह इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टे' मान्यता छूट लागू करता है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां

मान्यता प्राप्त उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों की वहन राशि और वर्ष के दौरान होने वाली गतिविधियों का खुलासा नोट 5बी में किया गया है।

पट्टा देयताएँ

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	गया है: 31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	8,416.22	10,492.13
संस्करण/समायोजन (शुद्ध)	1446.14	733.63
ब्याज का प्रत्यायन	606.05	625.00
भुगतान	4,433.36	3,434.54
वर्ष के अंत में शेष राशि	6035.05	**8416.22**
वर्तमान	1,855.31	2,471.11
गैर–वर्तमान	4,179.74	5,945.11

31 मार्च 2024 तक बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
पट्टा देयताएं	2,213.20	972.90	3,225.48
	2,213.20	972.90	3,225.48

31 मार्च 2023 तक बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण निम्नानुसार है:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
पट्टा देयताएं	3,039.18	2,065.75	4,429.33
	3,039.18	**2,065.75**	**4,429.33**

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियां

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास व्यय (नोट 32 देखें)	2,734.58	2,312.79
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय (नोट 31 देखें)	606.05	625.00
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 33 देखें)	89.01	104.96
	3429.64	**3042.75**

समूह के पास कई पट्टा अनुबंध हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। इन विकल्पों पर प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाती है और ये समूह की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का उपयोग किया जाना उचित है।

बिक्री और लीजबैक लेनदेन से लाभ/हानि समूह पर लागू नहीं है।

समूह ने लीज देनदारी की गणना के लिए वृद्धिशील उधार दर के रूप में एसबीआई एमसीएलआर का उपयोग किया है।

ख) एक पट्टादाता के रूप में समूह

समूह ने अपनी संपत्ति पट्टे पर दी है, इसका विवरण नोट 5 निवेश संपत्ति के तहत दिया गया है।

वर्ष के दौरान आय के रूप में लीज रेंटल को ₹ 234.98 लाख (पिछले वर्ष ₹ 235.00 लाख) के रूप में मान्यता दी गई है।

पट्टा भुगतान प्राप्तियों की परिपक्वता का विवरण इस प्रकार है:–

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
एक वर्ष से अधिक नहीं	73.90	234.96
एक वर्ष से अधिक नहीं और पांच वर्ष से अधिक नहीं	–	73.90
डरींशी हिंरप षळींश शरीं	–	–

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:- 71 तेजस और महाकाल एक्सप्रेस ट्रेनें:

रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को तेजस ट्रेनों के 02 रेक और काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेनों के 01 रेक को यात्री ट्रेनों के रूप में संचालित करने का अधिकार दिया था ताकि यात्रियों को प्रीमियम सेगमेंट की निजी ट्रेनों में यात्रा करने का विकल्प प्रदान किया जा सके। आईआरसीटीसी ने क्रमशः लखनऊ-नई दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद-मुंबई-अहमदाबाद सेक्टर पर 4 अक्टूबर, 2019 और 17 जनवरी, 2020 को दोनों ट्रेनों का उद्घाटन किया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, दोनों तेजस ट्रेनें अक्टूबर, 2020 के महीने से चलाई गई हैं और कोविड-19 महामारी और यात्री ट्रेन सेवाओं के निलंबन के कारण बंद कर दी गई हैं। वर्तमान महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान गैर परिचालन अवधि के लिए तेजस और काशी महाकाल दोनों ट्रेनों के खिलाफ तय प्रतिबद्धताओं को माफ करने के लिए रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या TC-II/2910/20/ट्रेन दिनांक 11.5.2021 के माध्यम से केवल 31.12.2020 तक गैर-परिचालन अवधि के लिए आईआरसीटीसी यात्री ट्रेनों के लिए निर्धारित लागत की गणना और शुल्क लगाने में "माल गाड़ियों के लिए पथ के नुकसान" के घटक को माफ करने पर सहमति व्यक्त की है और निर्णय लिया है कि लागू अन्य शुल्क समान रहेंगे। आईआरसीटीसी ने रेलवे बोर्ड से फिर से अनुरोध किया है कि वह तीन ट्रेनों की गैर-परिचालन अवधि के लिए क 2793 लाख की राशि के निर्धारित शुल्क (निश्चित ढुलाई और हिरासत शुल्क) को माफ करने पर पुनर्विचार करे, इसे एक अप्रत्याशित स्थिति मानते हुए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा लगाया गया लॉकडाउन और प्रतिबंध आईआरसीटीसी के नियंत्रण से बाहर था। हालांकि, आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में तेजस ट्रेनों और काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेनों दोनों के लिए निर्धारित शुल्क का पूरा प्रावधान किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी (ई-3344610), नई दिल्ली के दिनांक 06.01.2023 के पत्र संख्या टीसी-II/2910/2019/ट्रेन के माध्यम से ₹ 2793 लाख में से कस्टडी और फिक्स्ड हॉलेज शुल्क के कारण तेजस ट्रेनों से संबंधित 174.91 लाख रुपये की राशि माफ करने की अनुमति दी है। उक्त राशि उस वर्ष के दौरान असाधारण मदों के तहत वापस लिखे गए अतिरिक्त प्रावधान में शामिल है (नोट संख्या 33.2 देखें)।

नोट:- 72 समूह ने निम्नलिखित मुद्दों के लिए अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन किया है, जिसके लिए एएआर का निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है:

1. **सेवा शुल्क की प्रतिपूर्ति:** भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के माध्यम से, जनहित में आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन टिकटों की बुकिंग के लिए यात्रियों से सेवा शुल्क माफ कर दिया था। भारत सरकार ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (जुलाई-19 तक) के लिए क्रमशः ₹ 8000 लाख, ₹ 8800 लाख और ₹ 3227 लाख की समेकित राशि की प्रतिपूर्ति की है। सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 15 (2) कर योग्य आपूर्ति के मूल्य से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि को बाहर करती है, इसलिए भारतीय रेलवे से केंद्र सरकार होने के नाते उसी के प्रावधान के लिए किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त राशि पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। इसलिए उपरोक्त प्रतिपूर्ति के लिए आईआरसीटीसी द्वारा कोई जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया था।

2. **यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति:** भारत सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मुफ्त में यात्रा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, आईआरसीटीसी ने निःशुल्क बीमा प्रदान किया, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने 4700 लाख रुपये के यात्रा बीमा की प्रतिपूर्ति की थी, जिस पर समूह द्वारा कोई जीएसटी नहीं दिया गया था, जो केंद्र सरकार से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति थी।

3. अधिग्रहणकर्ता बैंकों से प्राप्त एमडीआर। आईआरसीटीसी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधिग्रहणकर्ता बैंकों से 300 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, जो व्यापारी सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए एमडीआर दर या शुल्क के अपने हिस्से के रूप में है। समूह ने इस भुगतान को सब्सिडी के रूप में माना है और उक्त राशि पर कोई जीएसटी नहीं दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से प्राप्त सब्सिडी को आपूर्ति के मूल्य से बाहर रखा जाएगा और यह जीएसटी लगाने के उद्देश्य से विचार का हिस्सा नहीं होगा।

4. आईआरसीटीसी को खानपान नीति, 2017 के अनुसार एसबीडी ट्रेनों के खानपान का कार्य संभालने के लिए भारतीय रेलवे से आनुपातिक लाइसेंस शुल्क क्रमशः 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए ₹ 1385 लाख, ₹ 7058 लाख, ₹ 125 लाख प्राप्त हुए हैं और उपरोक्त राशियों पर कोई जीएसटी नहीं दिया गया है, क्योंकि उक्त राशि पर जीएसटी लागू नहीं है क्योंकि यह राशि जीएसटी लागू होने से पहले भारतीय रेलवे द्वारा लाइसेंसधारी से प्राप्त की गई थी और वित्त अधिनियम के अनुसार इसकी प्राप्ति के समय भारतीय रेलवे को देय लाइसेंस के अनुदान पर सेवा कर लागू नहीं था। भारतीय रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी को भुगतान की गई आनुपातिक राशि निविदा अवधि के शेष भाग के लिए है, जिसे जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले प्रदान किया गया था। कर का प्रभाव वह घटना है जब सेवा प्राप्तकर्ता को सेवा प्रदान की जाती है। इस प्रकार, लाइसेंस प्रदान करने वाली सेवा भारतीय रेलवे द्वारा उस समय प्रदान की गई थी जब लाइसेंस प्रदान किया गया था।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 73

रेलवे बोर्ड ने वाणिज्यिक परिपत्र संख्या CC60/2019 के माध्यम से पोस्ट और प्रीपेड ट्रेनों के लिए खानपान शुल्क में वृद्धि की है। हालांकि, ऊपर बताए गए खानपान शुल्क में वृद्धि के कारण 18 नवंबर, 2019 से 22 मार्च, 2020 (पोस्ट पेड ट्रेनों के लिए) और 27 नवंबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 (पोस्ट और प्रीपेड ट्रेनों के लिए) की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव का पता नहीं लगाया गया है और बिक्री मूल्यांकन लंबित रहने तक इसे पूरी तरह से मान्यता दी गई है। 27 नवंबर 2021 से नियमित ट्रेन सेवाओं के फिर से शुरू होने के बाद, समूह ने सभी ट्रेनों (पोस्ट-पेड ट्रेनों के साथ-साथ प्रीपेड ट्रेनों) के लिए बिक्री मूल्यांकन किया और उसे पूरा कर लिया है। इसके अलावा, समूह ने बढ़ी हुई लाइसेंस फीस के लिए कुछ डिमांड नोटिस उठाए हैं, लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी के संबंधित माननीय उच्च न्यायालयों में लाइसेंस फीस में वृद्धि के समूह के फैसले को चुनौती दी है। इसके अलावा, कुछ लाइसेंसधारियों ने मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया है। चूंकि मामला विचाराधीन है और घटना भविष्य में कुछ घटना के परिणाम पर निर्भर है, प्रीपेड और पोस्ट पेड ट्रेनों के लिए लाइसेंस फीस में वृद्धि के प्रभाव को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष और 31 मार्च, 2023 तक के पिछले वर्षों के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई है।

नोट: – 74

मानक भोजन/वस्तुओं का मेनू और टैरिफ रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन्हें 12.12.2019 के सीसी-64 के माध्यम से संशोधित और बढ़ाया गया था। तदनुसार, इकाई के लाइसेंस शुल्क को सौंपे गए वेटेज को जोड़कर या 6 महीने के भीतर बिक्री मूल्यांकन करके, जो भी अधिक हो, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को शामिल करने के लिए 28.01.2020 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। हालांकि, अप्रत्याशित COVID महामारी शुरू हो गई और लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके कारण 23.03.2020 से MoR द्वारा यात्री ट्रेन संचालन और यात्रियों के लिए स्टेशनों के संचालन को निलंबित कर दिया गया। स्टेशनों पर स्थिर इकाइयां बंद थीं और लॉकडाउन के कारण सरकार के निर्देशों के अनुसार गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे, इकाइयों का बिक्री मूल्यांकन नहीं किया जा सका। अस्थायी यात्री ट्रेन परिचालन 01.06.2020 से शुरू हुआ। केवल सीमित (पीएडी और आरटीई) वस्तुओं को 01.06.2020 से 10% लाइसेंस शुल्क पर बिक्री की अनुमति दी गई थी। 20.01.2021 को कोविड के मौजूदा प्रभाव के कारण लाइसेंस फीस पर 20% की दर से कम लाइसेंस फीस वसूलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। इसके अलावा, 04.10.2021 को 31.10.2021 तक 20% की दर से कम लाइसेंस फीस लागू करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए और 01.11.2021 से फुट फॉल के आधार पर एलएफ वसूलने के लिए नई पद्धति लागू की गई। 31.05.2022 तक चल रहे अनुबंधों के लिए अंतरिम पद्धति का पालन किया गया। 01.06.2022 से 100% लाइसेंस फीस वसूलने के निर्देश जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी स्थिर इकाइयों के लिए बिक्री मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। लेकिन कुछ लाइसेंसधारियों ने माननीय केरल उच्च न्यायालय (WP(C) WP 26745/20,WP26795/20,WP26721/20,WP26703/20) में बढ़ी हुई एलएफ पर समूह के फैसले को चुनौती दी है। चूंकि मामला विचाराधीन है और अनिश्चितता है और घटना भविष्य में कुछ घटनाओं के परिणाम पर निर्भर है, इसलिए स्थिर इकाइयों के लिए लाइसेंस शुल्क में वृद्धि के प्रभाव को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खाता पुस्तकों में मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि, रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन करते हुए, लाइसेंस शुल्क पर ₹ 94.54 लाख (रेलवे शेयर का शुद्ध) के नकारात्मक (वापसी) प्रभाव को वर्ष 2022-23 के लिए खाता पुस्तकों में मान्यता दी गई थी। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 45.87 लाख की राशि वापस कर दी गई है।

नोट :– 75 अनुपात

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्षों के लिए अनुपात इस प्रकार हैं:

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	विचरण (% में)
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताएँ	1.95	1.82	7.14
ऋण-इक्विटी अनुपात (4)	कुल ऋण(1)	शेयरधारकों की इक्विटी	0.02	0.03	-33.33
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय (2)	ऋण सेवा(3)	37.48	38.54	-2.75
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.39	0.46	-15.22
इन्वेंटी टर्नओवर अनुपात	बिक्री	औसत शेयरधारक की इक्विटी	72.33	81.88	-11.66

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

विवरण	मीटर	भाजक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	विचरण (% में)
व्यापार प्राप्य	संचालन से राजस्व	औसत इन्वेंटी	3.39	4.13	-17.92
टर्नओवर अनुपात	सेवाओं की बिक्री और खरीद की लागत	औसत व्यापार	2.53	2.41	4.98
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	राजस्व	प्राप्ति योग्य	1.7	1.81	-6.08
शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	शुद्ध लाभ	औसत व्यापार देय	0.26	0.28	-8.39
शुद्ध लाभ अनुपात पूंजी पर रिटर्न नियोजित (ROE)	ब्याज और करों से पहले की कमाई	संचालन से राजस्व नियोजित पूंजी (नेट वर्थ और दीर्घकालिक लीज़ देयताएँ)	0.46	0.54	-14.81
निवेश पर रिटर्न (ROI) (5)	निवेश से उत्पन्न आय	समय भारित औसत निवेश	7.94	5.19	52.99

(1) ऋण केवल पट्टा देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

(2) करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय/आय प्लस ब्याज + अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान जैसे अन्य समायोजन।

(3) चालू वर्ष के लिए पट्टा भुगतान।

(4) शेयरधारकों की इक्विटी में वृद्धि और ऋण में कमी के कारण ऋण इक्विटी अनुपात में कमी आई है।

(5) एफडीआर पर ब्याज दरों में वृद्धि के कारण आरओआई में वृद्धि हुई है।

नोट:- 76 असाधारण आइटम

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, अपवादात्मक मदों के कारण शुद्ध व्यय क 5853.03 लाख है, जिसमें शामिल हैं: (i) क 5126.20 लाख जो दो तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए संशोधित फिक्स्ड, वेरिएबल और कस्टडी चार्ज के लिए प्रावधान किया गया है। रेल मंत्रालय से प्राप्त पत्र के अनुरूप 13 अगस्त, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए, भले ही समूह ने इस राशि की छूट के लिए रेलवे बोर्ड को अभ्यावेदन दिया है, (ii) ₹ 1451.24 लाख, पीपीपी मॉडल पर संचालित रेलनीर संयंत्रों के मुनाफे पर 31 मार्च, 2023 तक 25% (40%-15%) की दर से लाभ साझा करने की अंतर राशि के लिए प्रावधान किया जा रहा है और (iii) ₹ 724.41 लाख, विभिन्न खर्चों से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए अतिरिक्त प्रावधान हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, अपवादात्मक मदों के कारण क 2720.00 लाख की शुद्ध आय में शामिल हैं: (i) क 1198.59 लाख, जो प्रदर्शन से संबंधित वेतन (पीआरपी) से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए अतिरिक्त प्रावधान हैं, (ii) क 1085.74 लाख, जो इंटरनेट टिकटिंग के लिए रखरखाव और विकास शुल्क से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए अतिरिक्त प्रावधान हैं और (iii) क 435.67 लाख, जो विभिन्न अन्य खर्चों से संबंधित पिछले वर्षों के लिए वापस लिखे गए अतिरिक्त प्रावधान हैं।

नोट:- 77

समूह ने 10 फरवरी, 2024 को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई कंपनी को शामिल किया, जिसका नाम "आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड" है, जिसका मुख्य उद्देश्य "विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान संबंधी सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय करना" है। उक्त सहायक कंपनी का पहला वित्तीय वर्ष 10 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक होगा, जैसा कि आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा 4 मार्च, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया है। तदनुसार, 10 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए सहायक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण केवल आईआरसीटीसी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।

चूंकि सहायक कंपनी 10 फरवरी, 2024 को निगमित हुई है और इसलिए 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के समेकित आंकड़ों में 10 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए सहायक कंपनी के आंकड़े शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के आंकड़े केवल मूल कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि सहायक कंपनी उस वर्ष के दौरान अस्तित्व में नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट – 78 विरासती लेन–देन

(क) पुराने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस तथा नियंत्रण और सहायक बैलेंस के बीच कुछ अंतरों को दर्शाने वाली विरासती मदों की पहचान/समाधान/समायोजन का काम प्रगति पर है। इसके अलावा, व्यापार देयताओं के रूप में देनदारियों के वर्गीकरण/पहचान की प्रणाली और प्राप्त/प्राप्त किए गए चालानों के विरुद्ध किए गए/प्राप्त भुगतानों को जोड़ने सहित देयताओं/प्राप्तियों की आयु निर्धारण की प्रणाली पर वित्त वर्ष 2024-25 में पुनर्विचार किया जाएगा और इसमें सुधार किया जाएगा।

(ख) एमएसएमई की पहचान और सूक्ष्म, लघु और मध्यम में वर्गीकरण एक सतत प्रक्रिया है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इसकी समीक्षा की जाएगी और इसमें सुधार किया जाएगा।

नोट:– 79 प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को अनुग्रह राशि/प्रदर्शन संबंधी वेतन

रेल मंत्रालय ने पत्र संख्या 2023-बीसी-पीपी-05/2021-22 दिनांक 09.01.2023 के माध्यम से प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को अनुग्रह राशि/प्रदर्शन संबंधी वेतन के भुगतान पर सीएंडएजी द्वारा जारी अनंतिम पैरा संख्या 05 को समूह को भेजा है और अनंतिम पैरा पर टिप्पणी भेजने का अनुरोध किया है। इस पैरा पर सीएंडएजी ने टिप्पणी की है कि सीडीए स्केल पर प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों को पीआरपी के बदले या वेतन समानता के रूप में अनुग्रह राशि का भुगतान डीपीई और डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन है और इस प्रकार अस्वीकार्य है। इसके अलावा सीएंडएजी ने सिफारिश की है कि प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को अनुग्रह राशि/पीआरपी का भुगतान रोक दिया जाए और प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों को किए गए 230.13 लाख रुपये के अस्वीकार्य भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए। समूह ने दिनांक 24.01.2023 को रेल मंत्रालय को विस्तृत उत्तर भेजा है जिसमें कंपनी ने अनुरोध किया है कि प्रतिनियुक्तियों को दिया गया प्रदर्शन पुरस्कार डीपीई और डीओपीटी के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है। प्रतिनियुक्तियों को दिए जाने वाले प्रदर्शन पुरस्कार की राशि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें समूह के साथ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन का एक रूप है। आज तक कंपनी को रेल मंत्रालय से कोई और संचार प्राप्त नहीं हुआ है। रेल मंत्रालय से प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर इस मामले पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बकाया प्रावधान (किए गए अंतरिम भुगतानों का शुद्ध) 30.65 लाख रुपये 31 मार्च, 2023 तक वापस लिखे गए थे। रेल मंत्रालय से प्रतिक्रिया अभी भी प्रतीक्षित है।

नोट :– 80 भारतीय–एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III (यथा संशोधित) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण

कंपनी ने तुलन-पत्र और लाभ व हानि के विवरण की संबंधित मदों या लेनदेन के संबंध में उपयुक्त स्थान पर प्रकटण किया है। किसी तरह का गैर-प्रकटीकरण का कारण संबंधित लेनदेन है।

नोट :– 81 उधार

कंपनी ने वर्ष के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

नोट :– 82 अन्य नियामक सूचना

(i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। तदनुसार, कोई प्रकटीकरण देने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन किया है:

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया शेष (₹ लाख में)	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई
जी लाइट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	देय	6.06	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देय	0.01	--
हकमीचंद डी एंड संस	देय	5.26	--

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

समूह ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेनदेन किया है: -

हटाई गई कंपनी का नाम	हटाई गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया शेष (₹ लाख में)	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई
लीड मैनेजमेंट सर्विसेज़	प्राप्तियों	0.29	--
जी लाइट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	देय	6.06	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	देय	0.01	--
भारती सेलुलर लिमिटेड	देय	0.49	--
रेडगार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	देय	0.27	--
रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	प्राप्तियों	2.06	--

(iii) समूह के पास कोई भी चार्ज या संतोष नहीं है जिसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (ROC) के साथ वैधानिक अवधि के बाद पंजीकरण कराना बाकी है।

(iv) समूह ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(v) समूह ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

(क) समूह (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देना या निवेश करना, या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना

(vi) समूह ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) भी शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि समूह:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देना या निवेश करना, या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना

(vii) समूह का ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(viii) समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ix) समूह की एक सहायक कंपनी 10 फरवरी, 2024 को निगमित की गई है और सहायक कंपनी ने किसी अन्य कंपनी का अधिग्रहण नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेयर्स की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

(x) समूह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(xi) समूह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

नोट:– 83 पुनर्समूहन, पुनर्वर्गीकरण, पिछले वर्षों के पूर्व अवधि आइटम

पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुष्ट करने तथा उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाने के लिए पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत/पुनः वर्णित किया गया है। विवरण इस प्रकार है:–

31 मार्च, 2023 तक पुनर्वर्गीकरण से पहले और बाद में बैलेंस शीट की मदें:

(क) बैलेंस शीट

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	पुनः वर्गीकरण से पहले	फिर से वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण के बाद
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	11.31	83.09	94.40
नकदी और नकदी समकक्षों के अलावा बैंक शेष	1,50,488.62	-291.39	1,50,197.23
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति	20,881.49	208.31	21,089.80

परिवर्तन का कारण: अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च 2023 तक सावधि जमा को पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(ख) नकदी प्रवाह का विवरण

राशि (लाख ₹ में)

विवरण	पुनः वर्गीकरण से पहले	फिर से वर्गीकरण	पुनः वर्गीकरण के बाद
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	81,012.23	161.24	81,173.47
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-31,513.56	-161.24	-31,674.80

परिवर्तन का कारण: अनुसूची III की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च 2023 तक सावधि जमा को पुनर्वर्गीकृत किया गया है। इसका संगत प्रभाव नकदी प्रवाह विवरण में है।

समूह ने भारतीय लेखा मानक के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में पूर्व अवधि की मदों के पुनर्कथन के लिए अपनी नीति परिभाषित की है। नीति का प्रभाव चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण नहीं है। चालू वर्ष के लाभ और हानि विवरण में पूर्व अवधि की प्रकृति की मदों को मान्यता दिए जाने के कारण वर्ष के लिए लाभ में शुद्ध वृद्धि ₹553.94 लाख है।

नोट:– 84:

(क) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं युक्त विवरण

भाग ए 'सहायक कंपनियां' किंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87) के अनुसार

राशि (लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड
	अधिग्रहण की तिथि	10 फरवरी, 2024
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति	31 मार्च, 2024
	कारोबार का मुख्य स्थान	भारत
1	शेयर पूंजी	–
2	अन्य इक्विटी/रिजर्व और अधिशेष (जैसा लागू हो)	1,481.94
3	देनदारियां	24.13
4	कुल इक्विटी और देयता	1,506.07
5	कुल संपत्तियां	1,506.07
6	निवेश	0.00
7	कारोबार	0.00
8	कर से पहले लाभ	-24.13
9	कर के लिए प्रावधान	-6.07
10	कर के बाद लाभ	-18.06
11	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	नहीं
12	अंतरिम लाभांश – वरीयता	नहीं
13	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	नहीं
14	प्रस्तावित लाभांश – वरीयता	नहीं
15	शेयर होल्डिंग का %	नहीं

समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी

राशि (लाख ₹ में)

संस्था का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियां, अर्थात कुल परिसंपत्तियां घटा कुल देयताएँ		लाभ या (हानि) में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	मात्रा (₹)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	मात्रा (₹)	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में	मात्रा (₹)
मूल कंपनी						
आईआरसीटीसी लिमिटेड	99.54%	3,21,486.67	100.02%	1,11,115.56	100.02%	1,11,146.26
सहायक						
आईआरसीटीसी पेमेंट्स लिमिटेड	0.46%	1,481.94	-0.02%	(18.06)	-0.02%	(18.06)
शुद्ध योग	**100%**	**3,22,968.61**	**100.00%**	**1,11,097.50**	**100%**	**1,11,128.20**

नोट:- 85 समेकित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

समेकित वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2024 को जारी करने हेतु अनुमोदित किया गया।

हमारी सम तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **एन.के. भार्गव एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि सं. : 000429एन

कृते और उनकी ओर से :-
इंडियन रेलवे कैटरिंग एन्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता./-
चार्टर्ड अकाउंटेंट एन.के. भार्गव
पार्टनर
एम.नं.:-080624

हस्ता./-
संजय कुमार जैन
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:- 09629741

हस्ता./-
अजीत कुमार
निदेशक (वित्त) और सीएफओ
डीआईएन:- 07247362

हस्ता./-
सुमन कालरा
कंपनी सचिव
एम.नं. एफसीएस 9199

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2024

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

महानिदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे वाणिज्यक ,नई दिल्ली
C/o भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
Office of the Director General of Audit
Railway Commercial, New Delhi
C/o Comptroller and Auditor General of India
4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 4, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

संख्या/डी.जी.ए./आर.सी/AA-IRCTC/83-12/2024-25/248 दिनांक:02.08.2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड,
ग्यारवा- बारवा माला, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली– 110 001.

महोदय,

विषय: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (Standlaone and Consolidated Financial Statements) के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ |

मैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (Standlaone and Consolidated Financial Statements) के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 कीधारा 143 (6) (b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ |

कृप्या इस पत्र की संलग्नको सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए |

भवदीय,

संलग्न : यथोपरी

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
महानिदेशक (रेलवे वाणिज्यक)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह बताया गया है कि यह उनके द्वारा 24 जुलाई 2024 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो 28 मई 2024 की उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा कथित दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत जिस पर कोई टिप्पणी की जाए या सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्यक, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह बताया गया है कि यह उनके द्वारा 24 जुलाई 2024 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो 28 मई 2024 की उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट का स्थान लेता है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा कथित दस्तावेजों के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्रारंभिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

अपनी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैंने कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं पाई है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत जिस पर कोई टिप्पणी की जाए या सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
रेलवे वाणिज्यक, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 02.08.2024

नोट्स

दूरंदेशी बयान

इस रिपोर्ट की कुछ सूचनाओं में भविष्योन्मुखी कथन हो सकते हैं जिनमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम, व्यवसाय योजना और संभावनाएं आदि शामिल हैं और आमतौर पर "विश्वास," "योजना," "जैसे भविष्योन्मुखी शब्दों द्वारा पहचाने जाते हैं। आशा करना," जारी रखना," "अनुमान लगाना," "उम्मीद करना," "हो सकता है," "होगा" या अन्य समान शब्द। फ़ॉयवर्ड-लुकिंग स्टेटमेंट ऐसे बयानों के आधार पर मान्यताओं या आधार पर निर्भर हैं। हमने इन मान्यताओं या आधारों को सद्भावना से चुना है, और हम मानते ह कि वे सभी भौतिक मामलों में उचित हैं। हालाँकि, हम सावधान करते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ ऐसे भविष्योन्मुखी कथनों में व्यक्त या निहित रूप से भिन्न हो सकते हैं। हम किसी भी भविष्योन्मुखी कथन को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं, चाहे वह नई जानकारी,भविष्य की घटनाओं, या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम - मिनी रत्न श्रेणी-।)

पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय

11वीं मंजिल, बी-148, स्टेट्समैन हाउस,
बाराखंभा रोड, नई दिल्ली -110001
टेलीफ़ोन 011-23311263/64 | **फैक्स** 011-23311259
सीआईएन L74899DL1999GOI101707

a K&A creation | www.kalolwala.com